कादश माला, खंड 8, अंक 21

गुरूवार, 19 दिसम्बर, 1996
28 अग्रहायण, 1918 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(ग्यारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 8 में अंक 21 से 22 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: पचास रूपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन्
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपरसचिव
लोक सभा सचिवालय

श्रीमती रेवा नैयर
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री देवेन्द्र कुमार
सम्पादक

श्री बलराम सूरी
सहायक सम्पादक

श्रीमती सरिता नागपाल
सहायक सम्पादक

श्री मुन्नी लाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी रारकडूण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

गुरुवार, 19 दिसम्बर, 1996/28 अग्रहायण, 1918(शक)

का

शुद्धि-पत्र

.....

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
63	18	श्री राम चन्द मुर्मू	श्री रूप चन्द मुर्मू
120	अंत में	"(घ) जी नहीं ।	
		(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।" जोड़िए ।	
169	14	4001	4101
185	नीचे से 11	(क) जी	(क) जी नहीं ।
311	नीचे से 10	श्री सनिल बसु	श्री अनिल बसु

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 8, तीसरा सत्र 1996/1918 (शक)
अंक 21, गुरूवार, 19 दिसम्बर, 1996/28 अग्रहायण, 1918 (शक)

विषय		कालम
निधन सम्बन्धी उल्लेख		1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	401 से 406 और 411	1—38
अल्प सूचना प्रश्न	1	
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	407 से 410 और 412 से 420	41—57
अतारांकित प्रश्न संख्या	3978 से 4211	57—252
सभा पटल पर रखे गए पत्र		252—261
कृषि संबंधी स्थायी समिति		
विवरण—सभा पटल पर रखा गया		261
संचार संबंधी स्थायी समिति		
पांचवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत		261
श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति		
तीसरा प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश—प्रस्तुत		261
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति		
बावनवां प्रतिवेदन—सभा पटल पर रखा गया		262
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति		
अड़तीसवां और उनतालीसवां प्रतिवेदन—सभा पटल पर रखा गया		262
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
(एक) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में समुद्री रेत संग्रहण और पत्थर उत्खनन पर प्रतिबंध		
कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद		262—265
(दो) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बारे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति		313—336
श्री इन्द्रजीत गुप्त		313—315
नियम 377 के अधीन मामले		309—312
(एक) बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में जासूसी की बढ़ती हुई गतिविधियों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता		
श्री राधा मोहन सिंह		309
(दो) दक्षिण पश्चिम जोन में गुंटाकल डिवीजन का बंगलौर के साथ मुख्यालय के रूप में प्रस्तावित विलय न किए जाने की आवश्यकता		
श्री वेंकटरामी रेड्डी अनन्था		310

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कालम
(तीन)	बांदा जिले के दस्यु प्रभावित क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को पर्याप्त धनराशि जारी किये जाने की आवश्यकता श्री रामसजीवन	310
(चार)	भारी वाहनों की भार वहन क्षमता में वृद्धि करने हेतु मोटर वाहन अधिनियम, 1939 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा	310
(पांच)	केरल में कोल्लम बाई-पास का दूसरा चरण शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन	310
(छह)	असम में ब्रह्मपुत्र घाटी गवेषण परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता डा. अरुण कुमार शर्मा	310—311
(सात)	श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए बंद पड़ी मिलों को दुबारा चालू किए जाने की आवश्यकता प्रो. ओमपाल सिंह "निडर"	312
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—**आस्थागित**		336—342
पंचायत-उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक—**पारित**		342—344
राज्य सभा द्वारा यथापारित		
विचार करने का प्रस्ताव		342—344
खण्ड 2 से 5 और 1		344
पारित करने का प्रस्ताव		344
चीनी निर्यात वृद्धि (निरसन) विधेयक—**पारित**		345
विचार करने का प्रस्ताव		
श्री सनत मेहता		345—346
श्री बलाई चन्द्र राय		346
श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल		347—348
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव		348
खण्ड 2 और 1		349
पारित करने का प्रस्ताव		349
कंपनी (संशोधन) विधेयक—**पारित**		349—360
राज्य सभा द्वारा यथापारित		
श्री पी. चिदम्बरम		349—352, 355—360
विचार करने का प्रस्ताव		352
जस्टिस गुमान मल लोढा		352—353
श्री सनत मेहता		353—355
खण्ड 2 से 10 और 1		360
पारित करने का प्रस्ताव		360

विषय	कालम
महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय विधेयक—पारित	
राज्य सभा द्वारा यथापारित	
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री एस.आर. बोम्मई	361—362
श्री विजय अन्नाजी मुडे	362—365
श्री जी.एम. बनातवाला	365—366
श्री नीतीश कुमार	366—371
श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह	371—374
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी	374—377
श्री शिवराज सिंह	377—380
श्री नवल किशोर राय	380—381
श्री समीक लहिरी	381—382
श्री मोहन रावले	382—383
श्री वी. धनन्जय कुमार	384—385
श्री कल्पनाथ राय	386—389
डा. के.पी. रामालिंगम	390—392
जस्टिस गुमान मल लोढा	392—396
श्री सुरेश प्रभु	396—398
श्री माणिकराव होडल्या गावीत	398—399
श्री सैयद मसूदल हुसैन	399—400
प्रो. अजित कुमार मेहता	401—402
प्रो. ओमपाल सिंह "निडर"	402—404
श्री दिलीप सिंह भूरिया	404—406
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव	406—408
श्री रामबहादुर सिंह	408—410
श्री चमन लाल गुप्त	410—411
श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह	411—412
श्री सत्यदेव सिंह	412—415
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी	415—417
प्रो. रासा सिंह रावत	417—420
श्री नन्द कुमार साय	420—422
श्री अनिल कुमार यादव	422—423
डा. सत्यनारायण जटिया	423—424
श्री राम कृपाल यादव	424—425
श्री रमेश चेन्नित्तला	425—427

विषय	कालम
श्री गंगा चरण राजपूत	427—429
श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका	429—431
श्री एस.आर. बोम्मई	431—433
खण्ड 2 से 44 और 1	435—437
पारित करने का प्रस्ताव	438

लोक सभा

गुरूवार, 19 दिसम्बर, 1996/28, अग्रहायण, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण बड़े दुख के साथ मुझे आपको हमारे एक पूर्व साथी श्री कन्हैया लाल भेरुलाल मालवीय के निधन की सूचना देनी है।

श्री कन्हैया लाल भेरुलाल मालवीय 1957-62 के दौरान दूसरी लोकसभा के सदस्य थे। वे मध्य प्रदेश के शाजापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे।

एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता श्री मालवीय ने अनेक सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए भारी कार्य किया और उन्होंने छुआछूत दूर करने के कार्य में सक्रिय भाग लिया। उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन गरीब और पददलितों के कल्याण में समर्पित कर दिया।

श्री कन्हैया लाल भेरुलाल मालवीय का 69 वर्ष की आयु में 27 सितम्बर, 1996 को इन्दौर में निधन हो गया।

हम अपने इस साथी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है, शोक संतप्त परिवार को हमारी शोक सम्वेदना प्रेषित करने में सदन की भावना हमारे साथ है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वान्ह 11.02 बजे

तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

श्री रूप चन्द पाल (हुगली) : परसों मुम्बई में जो कुछ हुआ वह न केवल गंभीर मामला है...

श्री मनोरंजन भक्त : मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : हमें पहले विपक्ष के नेता की बात सुननी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, अभी हमने शोक का प्रकटीकरण किया है। शोक के साथ आनंद जुड़ा हुआ रहता है। एक सुखद समाचार मिला है, जो लखनऊ से प्राप्त हुआ है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से संबंधित है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति राज कायम करने की जो उद्घोषणा थी, विधान सभा को अनिश्चितकाल के लिए निलम्बित करने की घोषणा थी, उसको रद्द कर दिया गया है...**(व्यवधान)** और सरकार को आगे कार्यवाही करने के लिए निर्देश जारी किया है।

अध्यक्ष महोदय, यह उद्घोषणा केन्द्र सरकार ने की थी। उसी समय हमने चेतावनी दी थी कि यह अवैधानिक कदम उठाया जा रहा है। आपके सामने जब यह मामला आया तो आपने भी कहा कि यह कोर्ट के सामने है। अब यह मामला कोर्ट के सामने नहीं है। हम जीत गए हैं। इस अदालत में भी हमें फैसला मिलना चाहिए। अब इन विधेयकों का कोई अर्थ नहीं है। मैं केन्द्र सरकार का इस्तीफा मांगने जा रहा हूं। केन्द्र सरकार को त्यागपत्र दे देना चाहिए। चुनाव के बाद संविधान की हत्या की गई, लोकतंत्र का गला घोंटा गया, संविधान की धारा 356 का दुरुपयोग किया गया। यद्यपि संयुक्त मोर्चा में शामिल सभी दल 356 का विरोध करते हैं, मगर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के अधिकार से वंचित करने का सवाल आया तो अपना-अपना घोषणापत्र ताक पर रख दिया गया। आज पराजय हो गई, इसको स्वीकार कर लें और उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय सरकार बनने दें। केन्द्र सरकार चले और उत्तर प्रदेश में भी सरकार चले, ऐसा प्रबंध करिए। अगर उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं चली तो यहां भी सरकार खतरे में पड़ सकती है।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपकी सूचना मिल गई है। हम प्रश्नकाल के बाद इस पर चर्चा करेंगे।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए। मैं सदैव अनुशासित सदस्य रहा हूं लेकिन मैं भारी मन से इस सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सितम्बर से समस्त विकास कार्य रोक दिया गया है।

वहां बालू और पत्थर इकट्ठे करने पर पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्रतिबंध आदेश के कारण कोई भी विकास कार्य तथा निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात को समझता हूं।

श्री मनोरंजन भक्त : इस तरह वहां अत्यंत गंभीर स्थिति पैदा हो गई है और 20,000 से अधिक लोग बेरोजगार हो गए हैं। मैं समझता हूं, ऐसी परिस्थितियों में इस सभा को इस ओर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वहां कोई विधानसभा या अन्य ऐसी कोई संस्था नहीं है। मैंने अनेक प्रवासों पर इस मामले को उठाया था और आपने भी इस मामले में दो बार सरकार को निदेश दिया था। लेकिन अब तक इस पर सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह शून्यकाल नहीं है।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, मैं हमेशा ही एक अनुशासित सदस्य रहा हूं। केन्द्र सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया है। इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल है।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : अध्यक्ष महोदय, हमें भी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, हमीरपुर और बाराबंकी में हुए हत्याओं के मामले उठाने हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप हर बात को शून्यकाल बना देना चाहते हैं।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दूरस्थ, अलग थलग और पिछड़ा क्षेत्र हैं। इस द्वीपसमूह के संघशासी क्षेत्र होने के कारण वहां अच्छा प्रशासन मुहैया कराना केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है।

अध्यक्ष महोदय : श्री भक्त, यह तरीका नहीं है, मैं मामले की गंभीरता को समझता हूं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री भक्त, मैं आपकी भावनाओं को पूरी तरह समझता हूं। मैंने माननीय मंत्री महोदय को 12 बजे सभा में उपस्थित रहने और इस मामले में वक्तव्य देने के लिए सूचित कर दिया है। मैंने पहले ही उनको निदेश दे दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न संख्या 401, श्रीमती भावना चिखलिया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई शून्यकाल नहीं है। प्रश्नकाल को आप शून्यकाल कैसे बना सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालंदा) : अध्यक्ष महोदय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर में राष्ट्रपति शासन को पहले ही अवैध करार दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं श्री वाजपेयी पहले ही इस बारे में बोल चुके हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, उन्होंने केवल यह कहा है कि सरकार को इस पर अमल करना चाहिए। लेकिन इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। इसमें एक पल भी विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। अब श्री शिवराज सिंह चौहान, कृपया अपना प्रश्न करें।

पूर्वान्ह 11.04 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

छंटाई करने वाली मशीनें

+

***401. श्री शिवराज सिंह :**

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक मुख्य डाकघर में छंटाई की मशीन लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान देश में छंटाई की कितनी मशीनें लगाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) देश के सभी डाकघरों में छंटाई मशीनें कब तक लगाए जाने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ङ). एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

देश के प्रत्येक प्रधान डाकघर में छंटाई मशीनें लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। तथापि, दो ऑटोमेटिड मेल प्रोसेसिंग सेंटर, जिनमें प्रत्येक में दो लैटर सार्टिंग मशीनें लगी हुई हैं, क्रमशः मुंबई और चेन्नई स्थित एयरपोर्ट सार्टिंग कार्यालयों में कार्य कर रहे हैं जहां बड़ी मात्रा में डाक एकत्र होती है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऑटोमेटिड मेल प्रोसेसिंग कार्यक्रम के समेकन तथा विस्तार का भी प्रस्ताव हैं।

प्रति घंटे लगभग 30,000 पत्र छांटने की क्षमता वाली छंटाई मशीन लगाने का औचित्य केवल उसी डाकघर में बनता है जिसमें प्रति दिन लगभग 4.5 लाख मशीनेबल डाक छंटाई के लिए प्राप्त होती हो। इस समय, देश के किसी भी प्रधान डाकघर में ऐसी मशीन के प्रयोग का औचित्य नहीं बनता है। सार्टिंग मशीनों द्वारा पत्रों की प्रोसेसिंग के लिए बार कोडिंग मशीनों के माध्यम से बार कोड प्रिंट करने की आवश्यकता होती है। पत्र पर छपे हुए बार कोड छंटाई

मशीन द्वारा पहचान लिए जाते हैं। मुंबई के कुछ बड़े तथा अधिक महत्वपूर्ण डाकघरों, जिनमें बड़ी मात्रा में डाक प्रेषित की जाती है, में बार बार कोडिंग मशीन के प्रयोग की एक योजना का परीक्षण किया जा रहा है। वर्ष 1996-97 के दौरान किसी भी प्रधान डाकघर में कोई भी छंटाई मशीन लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, वर्ष 1996-97 के दौरान मुंबई में 9 स्टैंड-एलोन बार कोडिंग मशीनें-मुंबई जी पी ओ में 5, सिओन डाकघर में 2 तथा घाटकोपर व चेंबूर डाकघर में एक-एक लगाने का प्रस्ताव है।

श्री शिवराज सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि डाकघरों में छंटाई मशीन लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और कोई औचित्य भी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि देश में डाक द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और विशेषकर महानगरों में डाक व तार के अम्बार लगे हुए हैं और लोगों को पत्र समय पर नहीं मिलते हैं, बहुत देरी से मिलते है। हाथ से काम चाहे कितना ही किया जाए, आखिर हाथ से काम करने की एक सीमा होती है। पिछले दिनों डाक व तार विभाग की हड़ताल के कारण डाक के अम्बार लग गए और उसको बांटने में काफी समय लगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, जबकि देश में डाक द्वारा पत्र भेजने की संख्या लगातार बढ़ रही है, चाहे छंटाई मशीन आप न लगायें, लेकिन पत्र लोगों को समय पर मिल जाएं, इसके लिए आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं? माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि छंटाई मशीन लगाने का औचित्य उसी डाकघर में बनता है, जिसमें प्रतिदिन 4.5 लाख डाक छंटनी के लिए प्राप्त होते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, ऐसे डाकघर देश में कितने हैं, जहां आप छंटाई मशीन लगाने का विचार रखते हैं? यदि हां, कब तक छंटाई मशीन लगाई जाएगी?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में सोर्टिंग मशीन दो हैं, एक बम्बई में और दूसरी चेन्नई में। इनको लगाने में एक दिक्कत यह भी होती है कि जो मेल-मैटिरियल है, उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। इस मशीन की कीमत भी बहुत है, बीस करोड़ रुपए की एक मशीन आती है। यह हमारे देश में बनती भी नहीं है, विदेश से आती हैं। दो मशीनें देश में लगी हुई हैं, उनकी जितनी क्षमता है, उतना कार्य उनको मिल भी नहीं रहा है।

अभी जो बल्क मेल होता है, खास तौर से कामर्शियल हाउसेस का, पहले वे खुद सार्टिंग करते थे, उसके बाद उन्होंने विभाग को ही दे दिया। अब समय से डाक पहुंच भी रही है और विभाग को लाभ भी हो रहा है। यह जो सार्टिंग मशीन है इससे एक समस्या और भी पैदा हो सकती है कि हमारी बढ़ती हुई आबादी में जिन कुछ लोगों को ज्यादा काम मिला हुआ है वह कुछ घट जाए, हमें बिना वजह विदेशों को पैसा देकर मशीन लगानी पड़ी। उसके बाद भी नौंवी योजना में बारफुटिंग मशीनें, जिनकी कीमत कम है, ये लगाने में विचार किया जा रहा है।

श्री शिवराज सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, हमारे महान और विशाल देश में पांच लाख से अधिक गांव हैं और जैसा कि डाक विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण विकास के प्रति 23.12 वर्ग किलामीटर पर एक डाकघर में अनेकों गांव आते हैं, ऐसे में अगर एक डाकिया चाहे तो भी हरेक गांव में रोज चिट्ठियां नहीं पहुंचा पाता। इसलिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षत्रों में, दूरदराज के क्षेत्रों में जो डाक भेजी जाती है वह कई दिनों तक मिलती नहीं है बल्कि कई बार तो वह डाक तब मिलती है जब उसके भेजने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। कोई शोक संदेश या शादी-विवाह का प्रसंग हो, यहां तक कि जिला परिषद, जनपद पंचायतों की बैठकों की सूचना हो, मेरा गांव भी दूरदराज के इलाके में है तो मुझे भी सूचना इतनी देर में मिलती है कि उसके पहुंचने का कोई औचित्य नहीं रहता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दूरदराज के गांवों में डाक का वितरण रोज हो, ठीक प्रकार से हो, समय पर डाक ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे। अभी ग्रामीण क्षेत्र में डाक नहीं पहुंच रही है।

मेरा कहना है कि इसके लिए माननीय मंत्री जी क्या प्रयत्न करेंगे, क्या उपाय करेंगे? नम्बर दो।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नम्बर दो नहीं, यही दो नम्बर है। आपका पहला नम्बर हो चुका है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क डाक का हमारे ही देश में है। भले ही चीन की आबादी हमसे ज्यादा हो लेकिन उससे तीन गुना ज्यादा डाकघर हमारे यहां है और जो हमारे पास सूचना है उसके अनुसार प्रत्येक गांव में रोज डाक का वितरण होता है।

श्री शिवराज सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, नहीं होता है। यह जानकारी ठीक नहीं है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : आप पहले पूरी बात सुन लीजिए। फिर भी जो माननीय सदस्य ने यहां पर आशंका जताई है इसके लिए हम खुद प्रयत्नशील हैं, चिन्तित हैं। इसके लिए हम जल्दी ही यह कोशिश कर रहे हैं, अभी क्रिसमस और न्यू ईयर्स डे में हमने कुछ अलग से डाक का बड़े-बड़े महानगरों में इंतजाम किया है। पोंगल के लिए तमिलनाडु में भी जल्दी प्रिंटिंग काड्र्स लोगों को पहुंच जाए। उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है और अलग से हम यहां हैड क्वार्टर से कुछ सीनियर ऑफिसर्स को भेज कर प्रांतों में यह पता लगाने की कोशिश करेंगे, जो माननीय सदस्य की आशंका है कि डाक वितरण ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है और उसको हम खुद सुनिश्चित करेंगे कि जो हमारे पास रिपोर्ट है कि रोज गांवों में डाक वितरण होती है वह रिपोर्ट सही है या नहीं है।

श्री शिवराज सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, महीनों तक डाक नहीं मिलती है।...**(व्यवधान)**

श्री थावरचन्द गेहलोत : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने डाकघर खोलने के लिए कोई मापदंड बनाए हैं? क्या 1000 से अधिक की आबादी वाले गांवों में डाकघर खोले जाने चाहिए, ऐसा मापदंड है और यदि है तो क्या सरकार 1000 से अधिक की आबादी वाले सब गांवों में दिसम्बर, 1997 तक डाकघर खोल देगी?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : श्रीमान्, हमारे देश में छह लाख से ऊपर गांव हैं और एक लाख 53 हजार के आसपास डाकघर हैं, जो मापदंड है वह 3000 की आबादी और 1/3 जहां उनको रेवेन्यू प्राप्त हो वहां पर डाकघर खोले जाते हैं। इस वर्ष कुछ हमने लक्ष्य से अधिक डाकघर खोल दिए हैं। अब नौवीं पंचवर्षीय योजना में हमारा प्रयास होगा कि जो हमारा मापदंड है उसके अनुसार हम डाकघर गांवों में खोलने का प्रयास करें।

श्री विजय अन्नाजी मुडे : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि डाक विलम्ब से पहुंचती है इसके प्रमुख कारण यह हैं कि वहां जो काम करने वाले हैं उनको बहुत कम पगार मिलती है। क्या सरकार की योजना है कि उनके वेतन में वृद्धि की जाएगी ताकि यह डाक में जो दुर्व्यवस्था है वह दूर हो जाए?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : किसी सीमा तक माननीय सदस्य की चिंता उचित है। ई.डी.एम्प्लॉइज के बारे में जस्टिस तलवार कमेटी का गठन किया गया है। उनकी ग्रेचुएटी जो पांच हजार रुपये थी दो-तीन महीने पहले उसको बढ़ाकर हमने 16 हजार रुपये कर दिया है। ई.डी. एम्प्लॉइज के बारे में हमें भी चिंता है लेकिन तलवार कमेटी का हम इंतजार कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सरकारी और गैर-सरकारी इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर निवेश

+

***402. श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल :**

जस्टिस गुमान मल लोढा :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी और गैर-सरकारी इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर कितना निवेश/खर्च किया गया तथा उससे क्या परिणाम रहे;

(ख) क्या सरकार ने विश्व स्तर की गुणवत्ता और किफायती लागत को ध्यान में रखते हुए उत्कृष्ट किस्म के इस्पात के उत्पादन के लिये अनुसंधान और विकास पर और अधिक निवेश को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चालू-वर्ष और अगले तीन वर्षों के दौरान सरकारी और गैर-सरकारी इस्पात क्षेत्र में कितना निवेश किये जाने की संभावना है; और

(घ) सरकारी/निजी क्षेत्र में चल रही अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है तथा विचाराधीन परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी और निजी इस्पात क्षेत्रों में अनुसंधान और बिकास पर किए गए निवेश/खर्च को नीचे दिया गया है:—

(करोड़ रुपए)

	1993-94	1994-95	1995-96
सरकारी क्षेत्र			
स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि. (सेल)	40.18	45.13	50.12
राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आर.आई.एन.एल.)	2.50	2.50	2.50
उप-योग:	42.68	47.63	52.62
निजी क्षेत्र			
टाटा आयरन एण्ड स्टील कं. लि. (टिस्को)	10.45	11.55	11.30
मुकुन्द लि.	00.52	00.54	00.61
बिहार अजॉय एण्ड स्टील लि.	00.52	00.57	00.57
उषा मार्टिन इंडस्ट्रीजस् लि.	00.20	00.19	-
कल्याणी स्टील्स लि.	00.10	00.08	00.05
सनफ्लैग आयरन एण्ड स्टील कं. लि.	1.22	-	-
महेन्द्रा यूजिन स्टील कं.लि.	-	00.27	00.50
उप-योग:	13.01	13.20	13.03
कुल:	55.69	60.83	65.65

प्राप्त परिणाम

सेल

उपरोक्त अवधि के दौरान अनुसंधान एवं विकास संबंधी प्रयासों के परिणामस्वरूप इस्पात संयंत्रों के निष्पादन-सूचकों में सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त, लोहा और इस्पात अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, सेल द्वारा अनेक तकनीकी जानकारी के अन्तरण और परामर्शदात्री कार्य कार्यान्वित किए गए जिससे 1994-95 और 1995-96 के दौरान वाह्य-आय भी हुई है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

अनुसंधान एवं विकास के कार्यकलापों से सिंटर मशीनों, हैमर क्रैशर, लोहा और इस्पात तैयार करने वाले संयंत्रों में उपयुक्त विकल्प कच्चा माल तैयार करने, उत्पादकता एवं कार्यक्षमता में सुधार करने में सहायता मिली। इससे उत्पादित लोहे और इस्पात की गुणवत्ता में सुधार हुआ।

टिस्को

पिछले तीन वर्षों में अनेक परियोजनाएं कार्यान्वित की गई और इससे कच्चा माल, लोहे एवं इस्पात तैयार करने तथा पश्चगामी प्रक्रिया में सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त, नए उत्पादों जैसे क्रोशन रसिस्टेंट रिश्नफोर्समेंट स्टील, आटोमोबाइल फोर्ज्ड अवयवों के लिए इस्पात का भारत में पहली बार प्रयोग हुआ है।

अन्य निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र

इन संयंत्रों द्वारा मुख्यतया निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए कार्य किया गया :—

— अंगीकरण और उसके साथ-साथ स्वदेशी विकास अथवा लोहे एवं इस्पात से संबंधी प्रौद्योगिकी के माध्यम से नए उत्पाद तथा प्रक्रिया विकास।

— लागत में कमी

— ऊर्जा संरक्षण

— अपशिष्ट उपयोग

(ख) मामले पर विचार किया जा रहा है।

(ग) मामले पर विचार किया जा रहा है।

सेल

मार्च 1997 के अन्त तक सेल की विभिन्न इकाइयों में 87 परियोजनाओं को पूरा किए जाने की योजना है। ये परियोजनाएं ठीक प्रकार चल रही हैं।

30 नवम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार 26 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इनमें से कुछ परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और जिन पर काम हो रहा है उनसे विभिन्न प्रौद्योगिकी लाभ मिले हैं जिनको अनुलग्नक-I में दर्शाया गया है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

1995-96 तक शुरू की गई सभी अनुसंधान एवं विकास संबंधी योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित अनुसंधान एवं विकास संबंधी परियोजनाएं शुरू की गई हैं और ये पूरे होने के विभिन्न चरणों में है :—

(1) कन्वर्टर की लाइनिंग लाइफ में सुधार के लिए अध्ययन।

(2) बाइडिंग वायर का विकास।

(3) चूना पत्थर के स्थान पर सिंटर तैयार करने के लिए एल डी स्लैग का उपयोग।

(4) कोल-ब्लैंड में सोफ्ट कोयले के उपयोग के लिए आरंभिक अध्ययन।

(5) वायर रॉड मिल में रिइन्फोर्समेंट के एफ ई 500 ग्रेड का उत्पादन।

टिस्को

कच्चा माल, लोहा एवं इस्पात, उत्पाद और लक्षण वर्णन के संबंध में अनेक परियोजनाएं (कुल 42) चल रही हैं। ये परियोजनाएं संतोषजनक रूप से काम कर रही हैं।

अनुलग्नक-I

(क) चल रही चयनित परियोजनाएं

आई.आर.एस. के संरचनात्मकों का विकासः एम-41

ग्रेड इस्पातः ए.एस.पी. के माध्यम सेः इस्को प्रक्रियाः ए.एस.पी.

आर.डी.सी.आई.एस., ए.एस.पी. और इस्को द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित प्रौद्योगिकीय प्राचलों का उपयोग करके इंगाट का परीक्षण रोलिंग किया गया था। बेल्लित उत्पाद रेलवे की आवश्यकताओं के लिए आई.एस.ओ.-250 चैनल था। परीक्षण परिणाम दर्शाते हैं कि लम्बे उत्पाद वाई.एस. 409 एम.पी.ए. और यू.टी.एस. 512 एम.पी. ए. सहित उपरोक्त विनिर्दिष्ट की प्रोर्टीज आवश्यकताओं को पूरा करते हैं जबकि 1 टी के बैण्ड फोर्मेबिलिटी सहित क्रमशः न्यूनतम निर्धारित मूल्य 540 एम.पी.ए. और 480 एम.पी. है।

मॉल्ड हीट ट्रान्सफर कोफिसिएण्ट का नाम और स्लैब कास्टरों के स्प्रे नोज्स की हीट एक्सट्रेक्शन क्षमता : बी.एस.पी.

स्लैब कास्टर में मॉल्ड तापमान की सतत् माप तीन हीट्स में की गई है। इस अध्ययन में कास्टिंग प्राचलों के डाटा लोगिंग सहित मॉल्ड में 64 विभिन्न स्थानों पर तापमान की माप साथ-साथ की गई है। इस प्रकार की माप जो देश में पहली बार बनाई गई है, बी.एस.पी. में कन्कास्ट में व्यापक सुधार के लिए आदानों की गणितीय मॉडल पहले ही विकसित है। अर्थात् वर्धित कास्टिंग स्पीड के लिए सैकण्डरी कूलिंग का संशोधन, कास्ट स्लैबों में कमियों को न्यूनतम करना और एयर मिस्ट कूलिंग के लिए साफ्टवेयर।

सिलिकान स्टील की क्वालिटी में सुधार : आर.एस.पी.

अप्रैल, 1996 में 8 हीट्स में किए गए प्रथम अभियान के परिणामों का विश्लेषण किया गया था और 1250 डिग्री सेल्सियस के संशोधित पुनर्तापन तापमान सहित उच्च ए.एल. (0.25-0.4%) और एस.एल. (2.40-2.60%) समेत रसायन में परिवर्तन की सिफारिश की

गई थी। उपरोक्त संशोधित प्रक्रिया का उपयोग करते हुए जुलाई, 1996 के बाद 15 हीट्स बनाए गए हैं। पूर्णित प्रक्रमित 20 क्वाइलों के परिणाम दर्शाते हैं कि 17 हीट्स एम. 36 ग्रेड में और शेष 3 एम-27 ग्रेड में उत्तीर्ण हो गए हैं। वाणिज्यिक उत्पादन को स्थिर करने की दृष्टि से यह काफी प्रोत्साहन-जनक है।

सी.आर.एम. की सिल्टिंग लाइन नं. 3 में प्रतिसीजन लेवलर शुरू करना

शीत बेल्लित पत्तियों के आकार में चपटेपन में सुधार करने के लिए संशोधन करने की आवश्यकता है। कमियों में सुधार करने के लिए एक प्रीसीजन लैवलर लगाया गया है और 21 अगस्त, 1996 को सिल्टिंग लाइन नं. 3 में चालू किया गया है। यहा पता चला है कि 15-20 एम.एम. की आरम्भिक वेवीनेस से चपटेपन में 50-55 प्रतिशत तक सुधार हुआ है। यदि वेवीनैस 10 एम.एम. से कम है तो सुधार लगभग 70 प्रतिशत होगा।

क्वायल कोटिंग उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गालबों क्वायलों की क्वालिटी में सुधार : बी.एस.एल.

हाट डिप जस्तीकृत (एच.डी.जी.) चादरों के सतह की मार्फोलोजी को नियंत्रित करने के लिए प्रौद्योगिकी प्रक्रिया का इस्टतमीकरण करने के लिए बी.एस.एल. में विकास संबंधी प्रयास किए गए हैं। वर्धित वायु जल मिष्ठमूलिंग और कोटिड स्ट्रिप की टैम्पर रोलिंग सहित बाथकन्ट्रोल (पी.बी./0.10%, ए एल 0.20-).22% तथा एफ ई 0.06%) के जरिए 200 माइक्रोंस से कम 5000 माईक्रोंस की माध्यम मूल्य से डी.जी. सीटों का सप्जेल्स नियंत्रित किया गया था। बसबोडी के निर्माण में उपयोग करने के लिए मैसर्स जे.सी. कोच बिल्डर्स, चण्डीगढ़ ने 55 टन गालबों क्वाइलों के सम्पूर्ण लाट को स्वीकार कर लिया है। लगभग 200 टन गालबों क्वाइलें बाजार के विभिन्न खण्डों जैसे कलर कोटर सुरक्षा उपकरणों तथा गृह उपकरणों के निर्माताओं ने स्वीकार कर ली हैं।

पूरी की गई परियोजनायें

एस.एम.एस.एक. में ट्विन हर्थ फरनेंस के जरिए सेमी-किल्ड स्टील के लिए डी आक्सीडेशन प्रक्रिया का इस्टतमीकरण : बी. एस.पी. जून, 1996

बी.एस.पी. के एस.एम.एस. एम में ट्विन हर्थ फरनेंस के जरिए आई.एस. 2062 ग्रेड के स्टील (सेमी-किल्ड) का ही-आक्सीडेशन एस.आई.एम.एन. और एच.सी.एफ.ई.एम.एन. सहित संशोधित डी आक्सीडेशन प्रक्रिया द्वारा इस्टतम्मीकरण किया गया है। इसमें मालड में किसी ए एल वृद्धि और एस आई और एम एन प्राप्तियों में क्रमशः 18.8 से 41.4 प्रतिशत और 69.8 से 75.5 प्रतिशत सुधार सहित चपटे टाप इन्गांट सहित टीमिंग प्रक्रिया अच्छी हुई और इससे एफ ई एस आई और एच सी एफ ई एम एन खपत कम होकर क्रमशः 0.50 कि. ग्राम/टन और 0.60 कि. ग्राम/टन हो गई।

ब्लूम और बिलेटों में मोल्टन कोर और पाइप के लिए कारण ज्ञात करना और उनके उपाए करना : बी एस पी सितम्बर, 1996

एस एम एस-1 में मोल्टन कोर की आवृत्ति को कम करने के लिए अप्रैल-सितम्बर, 1996 के दौरान 2.5 शीटों का परीक्षण किया गया और इसमें एफ ई एम एन और एस आई एन सहित डी आक्सीडेशन का प्रयोग किया गया, सोकिंग तापमान 1340 डिग्री सेल्सियस तक कम हुआ, हेटेरोजिनीटी कम करने के लिए लैडल नाइट्रोजन और कैरी ओवर स्लैग का नियन्त्रण। उन्नत डी-आक्सीडेशन और कम हुए साकिंग पीट तापमान के परिणामस्वरूप ब्लूमिंग मिल में 1000 टी शियर में माल्टन कोर 1.7 प्रतिशत से कम होकर लगभग 0.7 प्रतिशत हो गई। इसके आधार पर शाप ने कार्यान्वयन योजना तैयार की है।

पुनर्तापन भट्टी, प्लेट मिल के बर्नट, स्किड इन्सूलेशन और ठोस हर्थ रिफ्रैक्ट्रीज में सुधार : बी.एस.पी.: अक्तूबर, 1996

पुनर्तापन भट्टी 3 से 6 संशोधित आयल फायरड बर्नर रूपांकित, निर्मित और परीक्षित किए गए हैं। सेरानिक फाइबर को शामिल करते हुए एल सी सी सहित फर्नेश-1 में इन-सिटू कास्ट किए गए हैं जबकि फर्नेश 3 के लिए स्किड पर प्री कास्ट प्री फायरड ब्लाक एल सी सी से उपयोग किए गए हैं। इस प्रकार स्किडपाइप कूलिंग के जरिए सृजित वाष्प 28 प्रतिशत (8.07टी/घंटा से 5.77 टी/घंटा) तक कम हो गई है। स्किड का जीवनकाल परिवर्तन से पूर्व 6-7 माह की तुलना में बढ़कर 10 माह हो गया है।

अपरिष्कृत बेन्जोल की एसिड धुलाई में सृजित एसिड सल्ज का उपयोग

विस्तृत प्रयोगशाला और पायलट स्केल जांच के जरिए अपरिष्कृत बेन्जोल की एसिड धुलाई के दौरान सृजित स्लैज से एसिड की प्राप्ति के लिए बीएसपी और आरडी सी आई एस द्वारा एक पर्यावरण प्रेमी प्रौद्योगिकी सफलतापूर्वक विकसित की गई है। उपरोक्त प्रौद्योगिकी के आधार पर 10 टन प्रतिदिन क्षमता का वाणिज्यिक संयंत्र रूपांकित, स्थापित और चालू किया गया है। इस संयंत्र में अब तक लगभग 250 टन एसिड का उत्पादन किया गया है। इस अपशिष्ट उपयोगिता-प्रौद्योगिकी को अन्य इस्पात संयंत्रों में समानान्तर रूप से अन्तरित किया जा सकता है।

मशीन सामग्रियों के लिए मशीनी समस्याओं के लिए उत्पादकता में सुधार

350 बीएचएन से ऊपर की हार्डनैस सहित मशीनी समस्या सामग्रियों के लिए डीएसपी में सी ई एम शाप में प्लाज्मा एडिड हाट मशीनिंग शुरू की गई है। यह प्रणाली स्वदेशी रूप से विकसित की गई हैं। एस जी आयरन रोलस को मशीनिंग करते समय परम्परागत मशीनिंग प्रक्रियाओं की तुलना में अधिक सही सहित सामग्री उन्मूलन दर में 5 गुणा से अधिक वृद्धि हुई है। परीक्षण परिणाम दर्शाते हैं कि हाट मशीनिंग के कारण सामग्री पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं था। रोल

का सर्फेस तापमान 125 डिग्री सेल्सियस से कम था और रोल की हार्डनैस में कमी नहीं हुई थी।

डब्ल्यू एंड ए.पी., डी.एस.पी. में लोको व्हील्स के लिए कोच एंड वैगन व्हील और इनक्लाइंड होल ड्रिलिंग प्रौद्योगिकी हेतु माइक्रो अलॉयड का विकास अक्तूबर, 1996

* विद्युत चाय भट्टी में प्रायोगिक आधार पर 0.16 प्रतिशत बी, 0.0.19 प्रतिशत एन.बी. और 0.07.0.13 प्रतिशत एम.ओ. के परिवर्धन सहित दो माइक्रो अलॉयड स्टील हीटों का निर्माण किया गया था और बाद में आई.आर.एस.आर-19-93 स्पेसीफिकेशन के अनुसार इनका कोच और वैगन व्हील्स के लिए प्रक्रमण किया गया। मौजूदा रिम स्प्रे क्वैंचिंग और टैंपरिंग ट्रीटमेंट प्रक्रिया का प्रयोग किए बगैर हासिल की गई मैकेनिकल और मैटालर्जिकल प्रॉपर्टीज यू.टी.एस.: 876 एम.पी.ए., प्रतिशत ईलॉग : 17 प्रतिशत बी.एच.एन. :' 248-255, सी.वी.एन इनर्जी: 18.7 जे एंड फिक्सचर टफनैस (के.के.),5 57 एम.पी.ए. एम. हैं। इस्पात में लागत में महत्वपूर्ण कमी सहित उत्पादकता में वृद्धि की संभावना है।

नए सिंटर संयंत्र : डी.एस.पी. हेतु प्रक्रिया इष्टतमीकरण, अक्तूबर, 1996

* कुछ प्रमुख प्राचलों जैस ईंधन, क्रशिंग इंडैक्स, ब्लैंड मिक्स और गैस प्रैशर के डी.पी.आर. की शर्तों के अनुरूप नहीं होने के बावजूद उत्पादकता में 0.87 (फरवरी, 1995 जनवरी, 1996 की औसत) से 1.17 वी एम^2/एच.आर. (फरवरी, 1996-सितंबर, 1996 की औसत) तक वृद्धि की गई थी इसे बॉलिंग रिजिमे लैसिंग करके वर्टीकल सिंटरिंग स्पीड बढ़ाकर प्राप्त किया गया था। सिंटर मिक्स बैड के कॉम्पैक्शन के द्वारा सिंटर के मीन साइज को भी 13.9 एम.एम. से 20 एम.एम. तक बढ़ाया गया था।

डाइरैक्ट रीडिंग पैराग्राफी द्वारा इक्विपमेंट की कंडीशन मॉनीटरिंग, आर.एस.पी., जून, 1996

* कंडीशन मॉनीटरिंग के लिए पांच प्रमुख उत्पादन इकाइयां अर्थात् निजी विद्युत संयंत्र-I और II, ऑक्सीजन संयंत्र, ब्लूमिंग और स्लिबिंग मिल और सिंटरिंग संयंत्र अभिज्ञात की गई थीं। डुप्लैक्स पैरीग्राफ एनेलाइजर और इंडक्टिवली कपल्ड प्लास्मा टैक्निक का प्रयोग करते हुए आर.डी.सी.आई.एस. में कंटेमीनेंट एनेलाइसिस के जरिए कुल 29 महत्वपूर्ण उपस्करों को प्रबोधन किया गया था। वूम आउट पार्टीकल्स का शेष, साइज, रंग और टैक्सचर निर्धारित किए गए थे। इन विश्लेषणों के आधार पर सी. पी.पी.-II में कोयला मिल गीयर बाक्सों और ब्लूमिंग और स्लैबिंग मिल में हाइड्रालिक स्लैब शीयर की प्लूइड फिल्म बीयरिंग के अवरोध को रोक लिया गया था जो प्रकृति में कैटेस्ट्रोफिक हो सकते थे।

सी.सी.पी.-II, आर.एस.पी., के लिए इंटीग्रेटेड डाटा एक्वीजीशन, जून, 1996

* आर.एस.वी.पी. के निजी विद्युत संयंत्र-II, राउरकेला में एक व्यापक शक्यता अध्ययन किया गया है और इंटीग्रेटेड डाटा एक्वीजीशन सिस्टम की रैट्रोफिटिंग के लिए एक रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट में अनेक उद्देश्यों, विद्युत संयंत्रों में अनुरक्षण, प्रचालक, ट्रैडिंग एंड अलार्म, डाटा लोगिंग और सीक्वैन्स ऑफ इवेंट रिकॉर्डिंग, नियंत्रण, रिपोर्ट जैनरेशन इत्यादि में मॉडर्न इंटीग्रेटेड डाटा एक्वीजीशन सिस्टम के कार्यों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई हैं। रिपोर्ट सिस्टम आर्कीटैक्चर, ऑन लाइन टरबाइन एंडबॉयलर एफीसिएन्शी कैल्कुलेशन्स और मशीन रनिंग अदर कैलकुलेशन का ब्यौरा देते हुए दो भिन्न सिस्टम कॉन्फीग्यूरेशन योजनाएं भी प्रस्तुत करती है। इसमें केबलों, परियोजना लागत अनुमान और अपेक्षित श्रम दिवसों सहित फील्ड संकेतों का संपूर्ण विवरण है।

सिलिकॉन स्टील क्वायलों की टी.आई.जी. वैल्डिंग की गुणवत्ता में सुधार, आर.एस.पी., सितम्बर, 1996

* एनेलिंग-पिकलिंग लाइन और शीत बेल्लन मिल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए दो तत्प बेल्लित सिलिकॉन क्वायलें वैल्ड की जाती हैं। वैल्डिंग किए गए जोड़ों पर क्वायलों की विफलता बहुत अधिक थी और रोलेबल वैल्ड केवल 45 प्रतिशत तक ही सीमित थे। वैल्डिंग प्राचलों का इष्टतमीकरण करके और स्ट्रैस एनेलाइसिस तकनीक का प्रयोग करते हुए वैल्ड जोड़ की ज्यामिति बदलकर स्वीकृति स्तर 79 प्रतिशत तक बढ़ाया गया था।

फ्रंट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए ऑन लाइन ट्रांजैक्शन प्रॉसेसिंग सॉफ्टवेयर का विकास, आर.एस.पी., नवम्बर, 1996

* फाइनेंशियल अकाउंटिंग के दो बड़े और जटिल क्षेत्रों, नामतः रॉ मैटीरियल बिल्ड एंड अकाउंट्स और ऑपरेशन बिल्स एंड अकाउंट्स और ऑपरेशन बिल्स एंड अकाउंट्स को विकसित इन हाउस सॉफ्टवेयर के जरिए कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। सॉफ्टवेयन प्रोग्राम में ओरेकल, सी एंड यूनिक्स में 1,30,000 प्रोग्राम कोड की लाइनें हैं। कंप्यूटरीकृत प्रणाली प्रतिवर्ष 60 लाख टन कच्ची सामग्री, 1100 करोड़ रुपए के कारोबार, 50,000 बिल और दस्तावेजों और 47 व्यक्तियों के कार्यभार का लेखा-जोखा करती है। ऑन लाइन सिस्टम अप्रैल, 96 से सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है।

धमन भट्टी-5 में प्रक्रिया तीव्रीकरण, बी.एस.एल., जून, 1996

* स्कैफोल्ड रिमूवल, थ्रोट डायामीटर में संशोधन, ओपनिंग ब्लैंकेड टायर्स, धमन की बढ़ी हुई ह्यूमीडिफिकेशन, राफ्ट का इष्टतमीकरण और भार वितरण में सुधारात्मक कार्रवाई के जरिए इस रूग्ण भट्टी के निष्पादन में सुधार किया गया था। परिणामतः भट्टी के उत्पादकता स्तर 1.06 टी/एम^3/दिन (जून, 96) हो गया।

ग्राहकों की बेहतर संतुष्टि के लिए एच.डी.जी.एल. और डी.सी. आर.एल. में उन्नत ऑयल कोटिंग सिस्टम शुरू करना, बी.एस. एल. अगस्त, 1996

* शीट गॉज उत्पादों की ऑन लाइन कोटिंग के लिए डी.सी.आर. एल. में हाई प्रिसीजन फ्लैट जैट नॉजिलों सहित एक उन्नत आयल कोटिंग सिस्टम शुरू किया गया है। गैल्बो क्वायलों की ऑन लाइन ऑयल कोटिंग के लिए एच.डी.जी.एल. में ऑटोमाइजिंग स्प्रेगन सहित एक अन्य कोटिंग सिस्टम भी शुरू किया गया। दोनों सिस्टम 1.0-1.5 पी.एम. थिकनैस सहित बहुत अच्छी और एक सी कोटिंग उपलब्ध करवा रहे हैं और ऑयल की खपत में एच.डी.जी.एल. में 1.0 लीटर/टन से 0.5 लीटर/टन और डी.सी.आर.एल. में 0.8 लीटर/टन से 0.35 लीटर/टन की कमी हुई है।

कोक ओवन बैटरी-4 में कोक पुशिंग ऑपरेशन के लिए इंटीग्रेटेड अलाइनमेंट सिस्टम, बी.एस.एल., अगस्त, 1996

* कोक ओवन बैटरी-4 में एक इंटीग्रेटेड अलाइनमेंट सिस्टम डिजाइन किया गया, विकसित और स्थापित किया गया है। सिस्टम पुशर और गाइड कारों के बीच अलाइनमेंट सुनिश्चित करने के लिए गामा रे इंटरलॉक पर आधारित है। क्वैंच कार और पुशर कार ऑपरेटरों के बीच ध्वनि और डिजिटल संप्रेषण के लिए एक वी.एच.एफ. कम्यूनिकेशन नैटवर्क भी स्थापित किया गया है। सिस्टम अपनी किस्म का नया है और वॉइस और डिजिटल डाटा संकेतों के साथ-साथ प्रसारण के लिए सिंगल रेडियो फ्रिक्वैन्सी कैरियर का प्रयोग करता है। मिसअलाइनमेंट पुशर और गाइड कारों के कारण गलत पुशिंग को इस सिस्टम ने दूर कर दिया है।

उन्नत गुणवत्ता की ई-38/ई-34 ऑटोमोटिव स्टील प्लेटों का उत्पादन, बी.एस.एल., सितम्बर, 1996

* ई-38/ई-34 श्रेणी के इस्पात का प्रयोग 5-7 एम.एम. की मोटाई वाले लम्बे चेसिस मेंबर के निर्माण में किया जाता है। ए.एस.पी. (इं.ए.एफ.-सी.सी.) बी.एस.एल. रूट के जरिए इसकी आपूर्ति ऑटोमोबाइल निर्माताओं को की जा रही थी। ई-38/ई-34 इस्पात का उत्पादन तकनीकी-आर्थिक पहलू को ध्यान में रखते हुए एल.डी. इंगट रूट का प्रयोग करते हुए बोकारो इस्पात संयंत्र में शुरू किया गया था। दोनों श्रेणियों के इस्पात का उत्पादन अपेक्षित फोर्मेबिलिटी प्रॉपर्टी (ई-38 के लिए अपेक्षित 0.5 टी. के मुकाबले क्लोज बेंड प्राप्त और ई-38 के लिए क्लोज बैंड) सहित सफलतापूर्वक किया गया है। अन्य विशिष्ट प्रॉपर्टीज (ई-38:वाई.एस.: 372-450 एम.पी.ए., टी.एस. : 441-503 एम.पी.ए., ईलोंग : 21। प्रतिशत और ई-34 :: वाई.एस. : 342-412 एम.पी.ए., टी.एस. : 440-466 एम.पी.ए. ईलोंग 29 प्रतिशत मिन.) प्राप्त कर ली गई हैं। प्रैस के लिए परीक्षण टेल्को, पुणे में सफलतापूर्वक किए गए हैं।

शीत बेल्लित बेदाग इस्पात पत्ती की उत्पादकता में सुधार, एस एस पी जुलाई, 1996

* हॉट रोल्ड बैड्स के बैच एनीलिंग प्रोसेस के जरिए थिनर गॉज (1.0 एम एम) फैरिटिक स्टेनलैस स्टील का वाणिज्यिक उत्पादन बहुत समय और ऊर्जा खपत वाला है। बैच एनीलिंग के स्थान पर सतत एनीलिंग लाइन के जरिए लगभग 100 टन फैरिटिक स्टेनलैस स्टील का प्रक्रमण किया गया था। जिससे उत्पादन दर में 3 टन/अवर से 30 टन/अवर की वृद्धि हुई। शीत बेल्लित इस्पात का फाइनल एनीलिंग साइकल भी संशोधित किया गया और पत्तियां 860^0 सी के स्थान पर 880^0 सी पर एनील की गई थीं। इसके परिणामस्वरूप स्किन पास मिल में पूर्व में स्ट्रैचर स्ट्रेन्स दूर करने के लिए और इच्छित सरफेस क्वालिटी देने के लिए अपेक्षित 5 पासेज के स्थान पर 3 पासेज सहित पत्तियों का अंतिम प्रक्रमण होने लगा। इसने स्किन पास मिल की उत्पादकता को 40 प्रतिशत से बढ़ा दिया है।

ओडीएफ डाटा से ऑरिएन्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन (ओ डी एफ) तकनीक और मैथमेटीकल मॉडलिंग ऑफ फोमिंग लिमिट डाइग्राम्स (एफएलडी) द्वारा टैक्सचर प्रोफाइल्स इन एक्सट्रा डीप ड्राइंग (ईडीडी) एल्यूमिनियम एण्ड किल्ड शीट का मूल्यांकन। (आर डी सी आई एस) जून, 1996

* 0.8, 1.0, 1.25, 1.60 और 2.0 एम एम मोटाई की वाणिज्यिक रूप से उत्पादित शीटों का प्रयोग टैक्सचर प्रोफाइलों के निर्धारण और लिमिट डाइग्राम्स बनाने के लिए भी किया जाता था। जांच से पता चलता है कि 1.25 और 1.60 एम एम थिकनैस काली शीटों के (III) प्रकार के टैक्सचर होते हैं जो डीपड्राइंगएप्लीकेशन्स के लिए वांछित हैं। तदनुसार शेष शीटों से 1.25 और 1.60 एम. एम. शीटों का फोमिंग बिहेवियर बेहतर है। इसके अतिरिक्त ध्यौरी के आधार पर परिकलित और प्रायोगिक आधार पर निर्धारित एफएलडी और प्लास्टिक एनिसोट्रापी मूल्य बहुत ज्यादा समान हैं अर्थात एक दूसरे के साथ क्रमशः 10 प्रतिशत और 0.5 प्रतिशत हैं। एफ एल डी और प्लास्टिक एनिसोट्रापी के निर्धारण हेतु एफ ओ आर टी आर ए एन सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है।

सुपर फैरिटिक स्टेनलैस स्टील का विकास, आर डी सी आई एस, जून, 1996

* 29 सी आर 4 एम ओ टाइप के सुपर फैरिटिक स्टेनलैस स्टील को गलित कर दिया गया है और आर डी सी आई एस में तप्त बेल्लित कर दिया है। डक्टाइल बैरिटल ट्रांजीशन ट्रैम्प्रेचर (डीबीटीटी), माइक्रो स्ट्रक्चर के संबंध में करैक्टराइजेशन अध्ययन किया गया है। 2 प्रतिशत एन एल सहित स्टील प्रदर्शित डी बी टी टी के सन्निकट 0^0 सी साथ ही साथ एक्सीलैंट कारोजन रैजिस्टेन्स प्रॉपर्टीज-एस सी सी टैस्ट (ए एस टी एम जी-123) के बाद भी और एम्बलेंट टैंप्रेचर पर 0.1 एन एन सी आई

सोल्यूशन में पिटिंग पॉटेन्शियल (एस सी ई) 900 एम वी और 60 सी पर 750 सी एम वी में कोई विफलता नहीं है। क्लोराइड अटैक के लिए पूर्णतः निरापद होते हुए सुपर फैरिटिक/ स्टेनलैस स्टील समुद्र जल/ब्राइम में प्रयोग हेतु अनुकूल है।

प्रीपरेशन ऑफ कंपेडियम ऑफ वैल्डिंग स्टील, आर डी सी आई एस, जून 1996

* एक "कपैडियम ऑन वैल्डिंग ऑफ स्टील" निदेशक, आर डी सी आई एस, और निदेशक कामर्शियल ऑन एप्लीकेशन इंजीनियरिंग वर्क द्वारा हस्ताक्षरित एक मैमोरेन्डम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तैयार किया गया है। कपैडियम के दो भाग हैं। पहले भाग में वैल्डिंग पर एक सिंहावलोकन है जिसे विशेष रूप से फील्ड सी एम ओ कार्यकारियों, जो विभिन्न ग्राहकों के साथ काम करते हैं और जिनसे वैल्डिंग के बुनियादी पहलुओं पर सलाह की अक्सर अपेक्षा रहती है, के लिए रूपांतरित किया गया है। दूसरे भाग में इस्पात की पांच श्रेणियों (टीओआर, सीयू-टीएमटी, सी यू-सी आर टी एम टी, एस ए आई एल एम ए-450 एच आई, ए एस टी एम-537 सी 1.1) की वैल्डेबिलिटी प्रोपर्टीज का मूल्यांकन हैं। अध्ययन ने वैल्डिंग कंडीशन के इष्टतमीकरण और सेफ वैल्डिंग प्रैक्टिस बनाने में सहायता की है जो फ्रैब्रीकेटेड उत्पादों में हाई इंटीग्रेटी सुनिश्चित करेगी।

हॉट बैंड की कोल्ड रेलिबिलिटी पर न्यून पुनर्तापन तापक्रम और न्यून फिनिशिंग तापक्रम का प्रभाव, आर डी सी आई एस, जुलाई, 1996

* लो कार्बन स्टील को तीन विशिष्ट क्षेत्रों (यू+वाई और ए क्षेत्र) में रोल लोड और टोरक्यू पर बेल्लित रुकने के प्रभाव को मिलाने के लिए जांच का काम हाथ में लिया गया। थाम अधिकतम इन-फ्लो स्ट्रैस (-180 एम पी ए) ने लगभग ए $सी_3$ (.890 सी) पर रीएक्ट किया। मिक्सड रीजन (ऐ+वाई) में रोलिंग तापक्रम में -800 सी की कमी सहित फ्लो स्ट्रैस-155 एम पी ए तक कम होता है और उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। इस प्रकार-87^0 सी पर खत्म करने की मिल मैक्टिस को मिल पर अधिक भार डाले बगैर 750 सी तक कम किया जा सकता है। फ्रैटिक रीजन में मीन फ्लो स्ट्रैस में तेजी से वृद्धि से इस तापक्रम से कम तापक्रम पर रोलिंग नहीं हो सकती।

मल्टीलेयर्ड-मल्टीफेस्ड रेनफोर्स्ड कास्टेबल कंपोजिट्स, आर डी सी आई एस, सितम्बर, 1996

* एल सी सी, यू एल सी सी और एन सी सी सहित क्ले बेस्ड कास्टेबल्स पर आधारित विभिन्न कांबीनेशन्स पर अध्ययन किए गए थे। सीबीसी 10 से 60 प्रतिशत के बीच थी। कंपोजिट्स को एच एम ओ आर, बाइनरी स्ट्रैन्थ डाइग्राम, स्पेलिंग रेजिस्टन्स और मेकेनिकल स्ट्रैन्थ के मूल्यांकन के आधार पर किया गया था। इष्टतमीकरण अध्ययन से पता चलता है कि 10 प्रतिशत क्ले बेस्ट कास्टेबलों को न्यू जैनरेशन कास्टेबलों के साथ मुख्य प्राचलों (हॉट स्ट्रेन्थ, स्पेलिंग रैजिस्टैन्स) को प्रभावित किए बगैर प्रयोग किया जा सकता था, में इससे वाणिज्यिक प्रयोज्यता के दौरान लागत में कमी होगी।

इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल अकाउटिंग सिस्टम, आरडीसीआईएस, नवम्बर, 1996

* रांची स्थित सभी सेल इकाइयों के फाइनेंशियल अकाउन्टिंग का ध्यान रखने के लिए एक ऑन लाइन कंप्यूटरीकृत सिस्टम विकसित किया गया है। 40,000 वाउचरों के जरिए 55 करोड़ रुपए के कारोबार का प्रबंधन सॉफ्टवेयर पैकेज करता है। कार्यक्षेत्र में ऑन लाइन वाउचरों के तैयार करने से खाते अंतिम रूप से बंद करने तक और आन लाइन क्वैरीज, एम आई एस, डी एस एस, जैनरेशन ऑफ रिसीप्ट्स, वाउचरों और चैकों का मुद्रण शामिल है। इसे सेल की अन्य इकाइयों के लिए उनके लेखा कर्म की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्वीकार्य बनाया जा सकता है।

अतिरिक्त जानकारी

नई प्रौद्योगिकी/प्रक्रिया/विकसित उत्पाद

* कोक ओवन बैटरी नं.-4 में कोक पुशिंग आपरेशन के संबंध में एकीकृत अलायनमेंट प्रणाली से पुसर और गाइड कारों के दोषपूर्ण अलायनमेंट के कारण होने वाले खराब पुशिंग को समाप्त करने में सहायता मिली है।

* एल ए डी-इंगट पद्धति के माध्यम से बी.एस.आई. में उन्नत क्वालिटी के उत्पादन ई-38/ई-34 आटोमोटिव स्टील प्लेटों का मानकीकरण किया गया।

* गुणों को प्रभावित किए बिना आर डी सी आई एस में मल्टीलेयरकृत-मल्टीफेज्ड रिइन्फोर्सड, कास्टेबलों वाले अवयवों का विकास किया गया है।

* आर.डी.सी.आई.एस में बी एफ प्रोसेस के प्रभावी थर्मल कन्ट्रोल के लिए रूल-बेस के विकास से तप्त धातु में सिलिका के उत्पादन में सहायता मिलेगी।

* बी एफ के सी आर आई-सी एस आर के इस्टीमेशन से संबंधित पद्धति का मानकीकरण किया गया है।

* आर डी सी आई एस में सुपर फैरिटिक स्टील के विकास से इस्पात को सी वाटर/ब्राइन मीडिया में उपयोग में सहायता मिलेगी।

उत्पादकता सुधार

* बी.एस.एफ. के एस एम एस-1 में ब्लूम और बिलैट में मोल्टन कोर और पाइप के लिए कारणों को अभिज्ञान करने से ब्लूमिंग

मिल के 1000 टी शियर में मोल्ट किए कोर को 1.2 प्रतिशत से कम करके 0.7 प्रतिशत करने में सहायता मिली है।

* एस एस पी के स्किन पास मिल में कोल्ड रोल्ड स्टैनलैस स्टील स्ट्रिप की उत्पादकता 4 प्रतिशत बढ़ गई।

* बी.एस.एल. में बी एफ नं.-5 में प्रक्रिया के गहन करने से फर्नेस की उत्पादकता 1.06टी/एम-3/दिवस के स्तर से बढ़कर 1.25 टी/एम^3/दिवस हो गई।

* प्रचालन की प्रक्रिया गहनता और संशोधन से बी एफ की उत्पादकता के औसत में वृद्धि हुई तथा बी एस एल की बी एफ नं.-5 तथा इस्को की बी एफ नं.-4 में कोक दर में कमी आई।

* बी.एस.पी. के बी एफ नं.-7 के लिए तरल रेसिन बोर्डेड मडगन के विकास से कास्ट-हाऊस की उपलब्धता एवं उत्पादकता में वृद्धि हुई।

* स्लैबों के रिमोट रिविलिंग के लिए ऑन-लाइन पद्धति को आर एस पी की एच एस एम की रिहीटिंग फर्नेस नं.-1 और 2 में लगाया गया है। इसके परिणामस्वरूप चार्जिंग में होने वाला विलम्ब कम हुआ है, उत्पादकता में सुधार हुआ है तथा श्रमशक्ति में कमी होने की आशा है।

* ए एस पी में ई ए एफ-वी ओ डी पद्धति के माध्यम से स्टेनलैस स्टील के उत्पादन के लिए संशोधित डिआक्सीडेशन पद्धति से प्राप्त होने वाले क्रोमियम और उत्पादन में वृद्धि हुई है।

उत्पादन में सुधार

* गहन जांच से और बाद में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन से बी एस एल में एच आर क्वायलों के एज कंडिशन में सुधार हुआ है। दोषमुक्त किनारों वाली क्वायलों की बनने वाली संख्या भी 18 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गई है।

* डी एस पी में बी ओ एफ-इंगट पद्धति के माध्यम से व्हील स्टील के उत्पादन से संबंधित विकसित प्रक्रिया प्रोद्योगिकी। इसे इंगट स्टील से परिसज्जित व्हील के समग्र उत्पादन के सुधार के लिए संबद्ध किया गया है।

* ए एस पी में सेल पास डिजाइन और अन्य प्रक्रिया प्राचलों में किए गए संशोधन से वाल वियरिंग स्टील के लिए रोल्ड-बार में मिल दोष समग्र स्वीकार्यता में कमी आई है।

ऊर्जा संरक्षण में कमी

* फोमी स्लैग के सृजन के लिए वी एस पी के ई ए एफ में कोक इंजक्टर को लगाने से विद्युत ऊर्जा खपत में समग्र रूप से कमी आई है।

* निम्न थर्मल मास कैरेमिक फाइबर लाइनिंग से ए एस बी के फोर्ज शॉप में रिहीटिंग फर्नेस के संशोधन से 7000 जी कैलो की औसत वार्षिक बचत हुई है।

* हॉट ट्रीटमेंट और रिहीटिंग फर्नेस में दोहरे ईंधन बर्नर के विकास और उसे लगाने से वी आई एस एल को उपलब्ध बी एफ गैस को उपयोग करने में सहायता मिली है। इससे तेल की खपत में 90 प्रतिशत की कमी आई है।

गुणता सुधार

* आर एस पी में सिलकन स्टील क्वायलों के टी आई जी वैल्डिंग की गुणता में सुधार करने से रोलेबल वैल्ड की स्वीकार्यता स्तर 45 प्रतिशत से बढ़कर 79 प्रतिशत होने में सहायता मिली है।

* बी.एस.एल. के एच.डी.जी.एल. और डी.सी.आर.एल. में विकसित ऑयल कोटिंग सिस्टम को शुरू करने से ग्राहकों के बेहतर तुष्टिकरण के लिए शीट गॉज उत्पादों में समान ऑयल कोटिंग में सहायता मिली है।

* बी एस पी के सिंटर प्लांट-II में इंगनेश हुड के साथ इंगनेशन हुड-रूपा के मोनोलिपिक कास्टिंग के तहत सिंटर की शक्ति में सुधार हुआ है और इससे गैस की खपत में भी कमी आई है।

* आर एस पी में तप्त रोल्ड क्वायलों की स्ट्रीप क्वालिटी को प्रारंभिम रोल क्राउन, (/मोइक्रोन) प्राप्त किया जा सका है।

* रसायन के संशोधन के माध्यम से तथा मोल्ड तैयार करके, लिमिंग पद्धति, फिनिश रोलिंग ताप आदि जैसी अन्य प्रक्रिया प्रचालों से आर एस पी में एच आर क्वायलों के एज क्रैकिंग 8 प्रतिशत से कम होकर 5 प्रतिशत हो गया है।

* हाइड्रासिक डिस्कैलिंग पद्धति और मिल पद्धति में संशोधन करके वी एस एल में तप्त रोल्ड क्वायलों की सरफेश स्थिति में सुधार हुआ है।

श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि सरकारी और निजी क्षेत्र ने अनुसंधान और विकास पर औसतन केवल 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लेकिन मैंने विभिन्न स्थानों से जो जानकारी इकट्ठी की है उसके अनुसार सरकारी और निजी क्षेत्र की विभिन्न कम्पनियों ने इस पर जो धनराशि खर्च की है वह इस प्रकार है : सेल ने अपने 12000 से 15000 करोड़ रुपए के अपने कारोबार में से अनुसंधान और विकास पर मुश्किल से 50 करोड़ रुपए अर्थात लगभग 8.3 से 8.4 प्र.श. तक खर्च किए हैं। इसी तरह 'टिस्को' ने, जिसका कारोबार 4,000 करोड़ रु. से 5000 करोड़ रुपए है, अनुसंधान और विकास पर मुश्किल से 8 से 10 करोड़ रुपए खर्च किए हैं जो 8.14 अथवा 0.15 प्रतिशत बैठता है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल : महोदय, अब यह स्थिति है। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिके रहना चाहते हैं तो हमें लागत प्रभावी उत्पादन करने के लिए अपने अनुसंधान और विकास को सुदृढ़ बनाना चाहिए। सौभाग्य से हमारे देश में लौह अयस्क और सस्ती

श्रमशक्ति प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए हमें अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद बनाने चाहिए और उनका विपणन तंत्र भी बेहतर होना चाहिए।

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य महोदय की बात से सहमत हूं।

श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल : महोदय, अभी मैंने प्रश्न नहीं पूछा है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि वास्तव में धनराशि का कितना आबंटन हुआ है और इससे कितनी धनराशि वस्तुतः खर्च की गई है।

महोदय, इस्पात विकास कोष नाम से एक कोष है जिसमें प्रतिवर्ष 600 करोड़ रुपए तक इकट्ठे होते हैं और इस कोष में से मुश्किल से 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि गत तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में कितनी धनराशि आवंटित की गई है और कितनी धनराशि खर्च की गई है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछते समय भाषण दे रहे हैं। अब मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा।

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : महोदय, मैं माननीय सदस्य महोदय की इस बात से सहमत हूं कि हमारे देश के इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर निवेश अत्यंत अपर्याप्त है। मैं उनकी इस बात से भी सहमत हूं कि 'सेल' में अनुसंधान और विकास पर होने वाला निवेश 'सेल' के कारोबार का केवल 8.3 प्रतिशत है। अब सरकार ने अनुसंधान और विकास में सुधार करने और निवेश में वृद्धि करने हेतु अनेक उपाय किए हैं।

हाल ही में सरकार ने अनुसंधान और विकास पर सालाना 158 करोड़ रुपए का निवेश करने का निर्णय लिया हैं। अब यह मामला मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाने की प्रक्रिया में है। मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलते ही हम अनुसंधान और विकास पर सालाना 158 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और हम यह धनराशि इस्पात विकास कोष से लेंगे।

श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल : महोदय, मेरे प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि यह मामला विचाराधीन है। लेकिन तत्कालीन सचिव श्री बागाची ने बताया है कि मौजूदा मांग के अनुसार इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए 158 करोड़ रुपए अस्वीकार कर दिए हैं। ये तत्कालीन सचिव के शब्द हैं।

निर्यात और घरेलू खपत हेतु रणनीति तैयार करने के लिए डा. एम.के. सेनगुप्त की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी। मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है खासतौर पर अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में की गई सिफारिशों और किए गए उपायों के संबंध में।

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : महोदय, इसके लिए मुझे एक अलग सूचना चाहिए क्योंकि यह बात अनुसंधान और विकास से संबंधित नहीं है। लेकिन मैं सभा को यह सूचित करना चाहूंगा कि विकसित देशों की तुलना में हमारे देश में इस्पात की खपत-दर अत्यंत कम है। हमारी खपत दर केवल 22 किलोग्राम है।

जहां तक सेनगुप्त समिति के प्रतिवेदन का संबंध है, इसके लिए मुझे अलग से सूचना की आवश्यकता है।

जस्टिस गुमान मल लोढा : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि भारतीय लौह अयस्क के मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मूल्य की तुलना में चार से पांच गुना कम हैं और श्रम लागत भी विश्व के विकसित देशों की लागत की तुलना में 5 से 20 प्रतिशत कम है। अमेरिका में यह 32 प्रतिशत है। इसके बावजूद भारत में इस्पात उद्योग पिछड़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी भारत से लौह अयस्क खरीद रहे हैं और तैयार माल सस्ते मूल्य पर भारत में भेज रहे हैं। जिसके परिणामस्वरूप भारतीय इस्पात उद्योग बर्बाद हो गया है। यह एक तथ्य है कि मार्च 1995 में इस्पात विकास कोष में कराधान के जरिए 4521 करोड़ रुपए एकत्रित हुए थे लेकिन इसमें से केवल 5 लाख रुपए अध्ययन सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्य हेतु वितरित किए गए थे। ऐसा लगता है कि जैसे आज यह अनुसंधान और विकास का कार्य रोक दिया गया है; यदि ऐसा है तो मैं इसके कारण जानना चाहूंगा।

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : महोदय, मैं माननीय सदस्य लोढा जी की इस बात से सहमत हूं कि हमारे देश में श्रम लागत अत्यंत कम है और लौह अयस्क भी बहुत सस्ता है। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं कि भारतीय इस्पात उद्योग बर्बाद हो रहा है। भारत में इस्पात उद्योग बहुत अच्छा कार्य निष्पादन कर रहा है। आजादी के समय हमारे देश में केवल 1.6 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन होता था और आज हम 21.4 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन कर रहे हैं। हमारा देश नौवीं पंचवर्षीय योजना के पूरे होने के बाद इस्पात के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा। मैंने सभा को पहले ही सूचित कर दिया है कि हमारे देश में अनुसंधान और विकास पर निधि का उपयोग अत्यंत कम है। यह भी सत्य है कि इस्पात विकास कोष के रूप में भारी निधि है। अब सरकार ने अनुसंधान और विकास के लिए सालाना 158 करोड़ रुपए निवेश करने का निर्णय किया है और हम इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी हेतु भेज रहे हैं।

श्री प्रदीप भट्टाचार्य : हमारे देश में बहुत से छोटे इस्पात संयंत्र हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार हमारे देश के इन छोटे इस्पात संयंत्रों के विकास के बारे में विचार कर रही है।

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : हमारी मुख्य समस्या यह है कि हमारे देश के छोटे इस्पात संयंत्र छोटे आकार की भट्टी प्रौद्योगिकी अपना रहे हैं जिसका विश्व के विकसित देशों में प्रचलन बंद हो गया है।

अतः हमें अपने इस्पात संयंत्रों को विकसित करने की प्रौद्योगिकी तैयार करनी होगी। प्रौद्योगिकी में निवेश की कमी के कारण हमारे देश

में उत्पादन की लागत बहुत अधिक है। अब सरकार देश के छोटे इस्पात संयंत्रों के लिए कुछ उपाय करने पर गंभीरता से विचार कर रही है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं जानना चाहूंगा कि क्या निम्न लिखित मामलों से सम्बन्धित जानकारी माननीय मंत्री महोदय के पास उपलब्ध है। 158 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर जाने वाले हमारे कुल खर्च में प्रतिशत कितना होगा और अंतर्राष्ट्रीय मानदण्ड क्या है? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या धातु क्षेत्र से सम्बंधित संस्थानों सी एस आई आर तथा डी आर डी ओ को इस्पात उत्पादों के अनुसंधान और विकास में शामिल किया गया है। हम बहुत अधिक मदों का उत्पादन नहीं करते और इनमें अनुसंधान भी आवश्यक हैं। अंतिम बात, किस तरह के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं? क्या आप इस समय दिए जा रहे प्रोत्साहनों से संतुष्ट हैं? वास्तव में, अनुसंधान और विकास के लिए प्रोत्साहन है लेकिन वह केवल एक सौ प्रतिशत हैं। पहले यह एक सौ प्रतिशत से अधिक था। क्या आप और अधिक प्रोत्साहन देने पर विचार कर रहे हैं और क्या आपने इस संबंध में वित्त मंत्रालय से संपर्क किया है?

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : इस समय हमारे देश में अनुसंधान और विकास पर होने वाला व्यय केवल 0.3 प्रतिशत है। 150 करोड़ रुपए का उपयोग करने के बाद भी अनुसंधान और विकास पर होने वाला व्यय एक प्रतिशत से कम होगा। अमेरिका और जापान जैसे अधिकांश विकसित देशों में अनुसंधान और विकास पर किए जाने वाला निवेश लगभग दो या तीन प्रतिशत है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस्पात संबंधी अनुसंधान कार्य कर रही सीएसआईआर तथा डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं को भी इसमें शामिल कर रही है।

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : महोदय, माननीय सदस्य देश में इस्पात उद्योग के अनुसंधान और विकास के लिए दिए जा रहे प्रोत्साहनों के बारे में जानना चाहा है। इस समय 'सेल' की अनुसंधान और विकास इकाई रांची में स्थित है और वह यह कार्य कर रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय इस्पात निगम, रक्षा प्रयोगशालाएं तथा जमशेदपुर स्थित धातु-कर्म संबंधी विभाग भी यह कार्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि उन्होंने जो आंकड़े दिये हैं आर एंड डी में, पिछले तीन सालों में कितना खर्च हुआ है कृपा करके सदन के सामने यह तथ्य भी लाएं कि नॉन प्रोडक्टिव ऐक्सपेण्डीचर पर कितना खर्च हुआ है? पी.आर., ऐड्वर्टाइजमेंट, फॉरेन ट्रिप्स, गैस्ट हाउसेज वगैरह पर कितना खर्च हुआ है? मंत्री जी कृपेयर करके सदन के सामने डाटा दें कि आर एंड डी और नॉन-प्रोडक्टिव ऐक्सपेण्डीचर का क्या रेशियो है? आर एंड डी पर आपने जो भी खर्च किया है उसका क्या नतीजा निकला है? इन्होंने बड़े लंबे कसीदे काढ़े हैं। मैं बोकारो स्टील प्लांट के बारे में बता रही हूं। यह जुलाई में हुई घटना है। उसमें एक बियरिंग था जो रशियन्स लगाकर गए थे। उन्होंने कहा था कि 100 साल तक यह ठीक से काम करता रहेगा। 20-25 साल वह ठीक से काम कर रहा था, लेकिन इंजीनियर्स को लगा कि ये सारे बदले जाते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप किसी मंत्री से यह आशा कैसे करते हैं कि वह प्रश्न विशेष का उत्तर दें। यह एक नीतिगत मामला है।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : यह बहुत जरूरी बात है। उसके बाद उस बियरिंग को हटा दिया गया और उस बियरिंग को हटा देने के बाद आपके सांइटिस्ट्स उसकी जगह दूसरा बियरिंग नहीं लगा सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री से उस बियरिंग के बारे में जानकारी रखने की आशा नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा (धनबाद) : आप प्रश्न सुन लें। आपने एक कविता सुनी होगी।

> "एक घने जूते के लिए, एक घोड़े का नुकसान,
> एक घोड़े के लिए, एक रथ का नुकसान,
> एक रथ के लिए, एक युद्ध का नुकसान"

एक बियरिंग के चलते तीन महीने आपका प्रोडक्शन बाधित रहा और मिलियन्स का नुकसान हुआ है। तो क्या आप इन्क्वायरी करेंगे कि आर एंड डी पर खर्च करके आपने क्या उपलब्धि हासिल की है? एक बियरिंग जबरदस्ती निकाल लिया और उसका रीप्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं। क्या इसकी भी इन्क्वायरी करेंगे?

[अनुवाद]

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : इसके लिए मुझे अलग से सूचना की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री महोदय की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। आप मंत्री महोदय से इसका उत्तर देने की आशा नहीं कर सकते।

दूरदर्शन धारावाहिक

***403. श्री मुरलीधर जेना** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन नेटवर्क पर कमीशण्ड धारावाहिकों को दिखाए जाने और पूरा करने के संबंध में क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दूरदर्शन पर कमीशण्ड आधार पर कितने धारावाहिक मंजूर किए गये;

(ग) सरकार द्वारा इन धारावाहिकों के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितने धारावाहिकों को पूरा किया गया और कितने धारावाहिक दूरदर्शन में लम्बित हैं; और

(ङ) शेष धारावाहिकों को मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) कमीशंड धारावाहिक के निर्माता को दूरदर्शन के साथ किए गए लिखित करार के अनुसार धारावाहिक को पूरा किया जाना होता है। धारावाहिक को इसके पूरा होने तथा पूर्वदर्शन समिति द्वारा प्रसारण हेतु उपयुक्त पाए जाने पर ही धारावाहिक प्रसारित किया जाता है। दूरदर्शन की कार्यक्रम अपेक्षाओं और समय स्लॉट की उपलब्धता के अनुसार धारावाहिक के प्रसारण का समय निर्धारित किया जाता है।

(ख) ब्यौरा निम्नानुसार है :—

1993-94	158
1994-95	491
1995-96	281

(ग) श्रीमान् जी, 133 करोड़ रुपये।

(घ) 702 धारावाहिक पूरे हो चुके हैं। 228 अभी पूरे किए जाने हैं और इनका निर्माण विभिन्न चरणों में हैं।

(ङ) तकनीकी कर्मीदल एवं व्यावसायियों का न मिलना, शूटिंग-स्थल संबंधी समस्याओं, कलाकारों में फेरबदल आदि जैसी कुछ अत्यावश्यकताओं के कारण निर्माता धारावाहिकों को निर्धारित समय में पूरा नहीं कर पाते। बजट की कमी से भी विलम्ब हुआ है।

श्री मुरलीधर जेना : टेली सीरियल बनाने के बारे में सरकार की इस समय क्या नीति है। कितनी निर्माता और निर्माता कम्पनियां ऐसी हैं जो समय पर मानकस्तर के अपेक्षित टेली सीरियल देने के मामले में असफल रहीं हैं।

श्री सी.एम. इब्राहीम : टेली सीरियल के मामले में एक सुनिश्चित नीति है।...**(व्यवधान)**

श्री मुरलीधर जेना : मैं उसी नीति के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री पी.आर. दासमुंशी : माननीय मंत्री को उसे सुस्पष्ट करना चाहिए।...**(व्यवधान)**

श्री सी.एम. इब्राहीम : इसके बारे में एक सुविस्तृत नीति है तथा तीन विभिन्न कार्यक्रम हैं। एक कमीशन आधारित कार्यक्रम है और दूसरे प्रायोजित कार्यक्रम है। इस दृष्टि से प्रस्तावों पर विचार करने के लिए कतिपय मार्गनिर्देश हैं। इन मार्गनिर्देशों को अत्यंत विस्तृत रूप में तय कर प्रस्तुत किया जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इन कार्यक्रमों के मामले में कभी दखलंदाजी नहीं करता है क्योंकि ये संबद्ध कार्यालय के दिन-प्रतिदिन के कार्य का हिस्सा होते हैं। मूल्यांकन के लिए दो समितियां होती हैं:—

एक कास्टिंग समिति तथा दूसरी मूल्यांकन समिति। जिसमें उप महानिदेशक (कार्यक्रम), कार्यक्रम नियंत्रक, उप-नियंत्रक, कार्यक्रम तथा सहायक नियंत्रक, कार्यक्रम शामिल होते हैं। ऐतिहासिक विषय वस्तु होने पर एक इतिहासकार को आमंत्रित किया जाता है। अदाकार तय करने के लिए जो समिति होती है उसमें अध्यक्ष (महानिदेशक), उपाध्यक्ष (अपर महानिदेशक), एक सदस्य (उप महानिदेशक) जो कार्यक्रम से संबंध होता है तथा एक अन्य सदस्य (उप महानिदेशक) होता है जो कार्यक्रम के कमीशन का प्रभारी होता है। इस प्रकार सात सदस्य होते हैं। वे ही अदाकरों के बारे में और कार्यक्रमों को मंजूर या नामंजूर करने के मामले में निर्णय लेते हैं।

कुमारी फ्रिडा तोपनो : मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार के पास आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनियों और गतिविधियों के बारे में दूरदर्शन पर टेलीफिल्म दिखाने के बारे में कोई प्रस्ताव है, और यदि है, तो भारत के सुविख्यात आदिवासी सपूत विरसा मुंडा पर 13 एपिसोड के सीरियल के प्रसारण के बारे में स्टैच्यू कमिटी, राउरकेला से प्राप्त प्रस्ताव के बारे में क्या उपाय किए गए हैं और क्या सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है?

[हिन्दी]

श्री सी.एम. इब्राहीम : सर, यूजुअली जो कमीशंड प्रोग्राम्स हैं उन्हें फ्रीडम फाइटर्स पर हिस्टोरिकल पॉलिसी पर बनाया जाता है। इन्होंने इस ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया है, मैं इस पर अवश्य गौर करूंगा।

कुमारी उमा भारती : माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक छोटा सा प्रश्न करना चाहती हूं कि अगस्त के महीने में मेरे एक सवाल के उत्तर में मंत्री जी ने कहा था कि दूरदर्शन पर कार्यक्रमों में जो फूहड़ता, अश्लीलता और अपसंस्कृति दिखाई देती है उसको रोकने के लिए वे सब पार्टियों के सांसदों की एक समिति बनायेंगे, ताकि उसके अनुरूप दूरदर्शन के कार्यक्रमों का एक मापदंड बनाया जा सके। उसके लिए उन्होंने कहा है कि वह बहुत जल्दी बनायेंगे। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या वह समिति बन गई है, यदि बन गई है तो उसमें कौन-कौन सी पार्टियों के कौन-कौन से मैम्बर्स लिये गये हैं?

श्री सी.एम. इब्राहीम : अभी तक हमने वह समिति नहीं बनाई है।

कुमारी उमा भारती : क्यों नहीं बनाई, इसे क्या आप मजाक में ले रहे हैं...**(व्यवधान)**

श्री सी.एम. इब्राहीम : आप पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए।

कुमारी उमा भारती : क्या बात सुनें। आज टेलीविजन जिस प्रकार से घर को बर्बाद कर रहा है, देश को बर्बाद कर रहा है... **(व्यवधान)**

श्री सी.एम. इब्राहीम : मैं उसी पर आ रहा हूं।

कुमारी उमा भारती : मैं आपकी मीठी-मीठी बातों में आने वाली नहीं हूं। आप कभी हमारे प्रश्नों के जवाब ठीक से नहीं देते हैं, आप और कल्याण मंत्री जी टरकाते रहते हैं...**(व्यवधान)**

श्री सी.एम. इब्राहीम : मैं माननीय सदस्या को धन्यवाद देता हूं, कि उन्हें मेरी बातें मीठी-मीठी लग रही हैं।

कुमारी उमा भारती : आप मेरे भाई हो।

श्री सी.एम. इब्राहीम : आप मेरी बहन हो...**(व्यवधान)**

हम इस समिति को इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि प्रसार भारती बिल के बारे में, जैसा मैंने कहा दूरदर्शन को हम औटोनौमी देना चाहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आई एण्ड बी. की कन्सलटेटिव कमेटी में दो बार इस विषय पर बातचीत हुई है। एक बार पूरे लीडर्स आफ अपोजीशन के साथ बात होने के बाद, कल ही हमने कैबिनेट के सामने इस पूरे मामले को रखा है...**(व्यवधान)** जैसे ही हमारे वहां से पास सूचना आएगी,

[अनुवाद]

दूरदर्शन और आकाशवाणी को तथा स्वायत्तता मिल जाएगी। इसके लिए बोर्ड जैसा कोई निकाय गठित होगा। तब वे तदनुरूप निर्णय लेंगे। यही कारण है कि इसे हमने नहीं बनाया है।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : सांसदों की समिति का क्या हुआ ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री एस.के. कारवींधन : महोदय, अधिकांश ब्यौरे आपने अल्कोहल के उत्पादन और अन्य संबद्ध उत्पादों का गैर सरकारी चैनलों और दूरदर्शन के माध्यम से विज्ञापन कर रहे हैं। इन विज्ञापनों का युवा वर्ग की मनःस्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है। कुछ बीयर ब्लैंडिंग इकाइयां अपने उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित करने और बिक्री के लिए हमारी प्राचीन नृत्यकला भरतनाट्यम का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पर पाबंदी लगाने जा रही है या नहीं।

श्री सी.एम. इब्राहीम : मैं इसकी जांच करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 404 श्री एस.बी. थोरात

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस प्रश्न से 'बी' पार्ट की ओर दिलाना चाहती हूं...**(व्यवधान)** जिसमें पूछा गया है कि विगत तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन पर कमीशण्ड आधार पर कितने धारावाहिक मंजूर किए गए। इसके उत्तर में मंत्री जी ने फीगर्स दी है कि 1993-94 में 158, 1994-95 में 491 और 1995-96 में 281, मैं जानना चाहती हूं कि जब आपने कमीशन बेसिस पर धारावाहिक मंजूर किए, वह कमीशन किसे मिला, कौन उसका बैनिफीशियरी है...**(व्यवधान)** कौन कमीशन दे रहा है...**(व्यवधान)** मंत्री जी ने कमीशन के बारे में जवाब दिया है।

अध्यक्ष महोदय : इसकी इजाजत नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती सुषमा जी हम अगले प्रश्न की चर्चा शुरू कर चुके हैं। कृपया नियमों का उल्लंघन मत कीजिए। उस प्रश्न का पहले ही उत्तर दिया जा चुका है।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में श्रमिकों को भेजा जाना

***404. श्री संदीपान थोरात** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इजराइल सरकार ने विशेष रूप से अपने निर्माण कार्य उद्योगों के लिए भारत से श्रमिकों को अपने यहां बुलाने में रूचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो इजराइल तथा अन्य देशों जैसे दक्षिणी कोरिया में हमारे कुशल/अर्द्ध कुशल श्रमिकों को भेजने हेतु उठाये गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम क्या हैं;

(ग) सरकार की इस संबंध में वर्तमान नीति क्या है तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में श्रमिकों को भेजे जाने संबंधी मौजूदा व्यवस्था क्या है;

(घ) श्रमिकों को बाहर भेजने वाली कुल कितनी पंजीकृत एजेंसियां हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उनके माध्यम से कितने व्यक्तियों को विदेश भेजा गया है तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जिन ट्रेडों/कौशल की मांग है उनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे मामलों की संख्या तथा ब्यौरा क्या है जहां इन एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों का शोषण किया गया है तथा इस तरह की एजेंसियों का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ङ). एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

इजराएल की सरकार ने हाल ही में द्विपक्षीय विचार-विमर्श में ऐसे रूचि दिखाई है। ऐसी आशा है कि श्रम बल के आवागमन को लगभग दोनों की ओर से निजी क्षेत्र के माध्यम से किया जाएगा। तथापि, इस दौरान दोनों सरकारें इसे सुविधाजनक बनाने के लिए अपने-अपने कानूनों और विनियमों के अनुसार यथा अपेक्षित प्रक्रियाएं तैयार कर सकती हैं। दक्षिणी कोरिया में भारतीय कर्मकारों को नियुक्त किया जाना कोरियाई लघु कार्य परिसंघ, दक्षिणी कोरिया से समुचित कोटा के आबंटन पर निर्भर करेगा।

2. विदेशों में रोजगार के लिए भारतीय कर्मकारों की भर्ती और नियोजन को उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। विदेशों में रोजगार के लिए भारतीय कर्मकारों की आपूर्ति के अवसरों का, इस मंत्रालय में अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत भर्ती एजेन्टों अथवा परियोजना निर्यातकों द्वारा शुरू की गयी परियोजना के निष्पादन के लिए उनके द्वारा पता लगाया जाता है।

3. 15.12.1996 तक 2813 भर्ती ऐजन्टों को पंजीकृत किया गया है। वर्ष, 1993, 1994 और 1995 के दौरान क्रमशः 4.38 लाख, 4.25 लाख और 4.15 लाख कर्मकारों ने उत्प्रवास संरक्षियों से विदेश में रोजगार के लिए अनुमति मांगी थी।

4. विगत तीन वर्षों 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के भिन्न-भिन्न उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए भर्ती एजेन्टों के विरूद्ध 187 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। पुलिस प्राधिकारियों और विदेश स्थित संबंधित मिशनों द्वारा शिकायतों की जांच पड़ताल की गयी थी और प्रत्येक मामले में अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत समुचित कार्रवाई की गयी है।

पंजीकरण प्रमाणपत्रों की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण विगत तीन वर्षों में निम्नलिखित भर्ती एजेंटों का पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित/रद्द किया गया:—

क्र.सं.	भर्ती एजेंटों का नाम
1.	मैसर्स एक्सपो इंडिया, मुम्बई
2.	मैसर्स आर.के. इंटरप्राइसिज, मुम्बई
3.	मैसर्स आलीवन ट्रेवल्स, मुम्बई
4.	मैसर्स बिजनस एड्स, मुम्बई
5.	मैसर्स सुल्तान ट्रेवल्स एंड रिक्रूटिंग एजेंट, मुम्बई
6.	मैसर्स एस.के. इंटरप्राइसिज, मुम्बई
7.	मैसर्स जेसपर इंटरप्राइसिज, मुम्बई
8.	मैसर्स समरीन ट्रेवर्ल्स, मुम्बई
9.	मैसर्स पाशा इंटरप्राईसिज, मुम्बई
10.	मैसर्स अल-समीत इंटरनेशनल, मुम्बई
11.	मैसर्स अल-करीम ओवरसीस कोन, ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लि. मुम्बई
12.	मैसर्स रिलायन्स स्टाफिंग सर्विसेज, मुम्बई
13.	मैसर्स आर.के. इंटरप्राइसिज, दिल्ली
14.	मैसर्स ए.जे. इंटरनेशनल, दिल्ली
15.	मैसर्स प्राइड ट्रेवल्स, मोगा
16.	मैसर्स हंस एजेंसिस, जालन्धर
17.	मैसर्स अल-रहमान एसोसिएट्स, दिल्ली
18.	मैसर्स शम्बरोज, दिल्ली
19.	मैसर्स एलीड इंटरप्राइसिज, कोचीन
20.	मैसर्स अथेना ट्रेवल्स, कोचीन
21.	मैसर्स के.वी. एक्सपोर्ट, कोल्लम
22.	मैसर्स पालक्कम एसोसिएट्स कोचीन

श्री संदीपान थोरात : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट तो हूं किंतु पूरी तरह नहीं। मेरा प्रश्न भारतीय कामगारों की विदेशों में भरती से संबंधित है। महोदय, पूर्ववर्ती श्रम मंत्री होने के नाते आप भारतीय कामगारों के बारे में भलीभांति जानते हैं। इस दृष्टि से आपने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

श्री संदीपान थोरात : मैं अभी प्रश्न करता हूं, जरा उसे सही तरीके से पेश तो करने दीजिए। भारतीय कामगार जो विदेश जा रहे हैं, वे भारत में निवेश करने के लिए बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, और भारत सरकार को उनकी शिक्षा पर कुछ खर्च नहीं करना पड़ता है। जबकि उन डाक्टरों और वैज्ञानिकों जैसे मेधावी लोगों की शिक्षा पर बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है जो बाहर जाकर बस जाते हैं; मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार की ऐसी कोई विशेष प्रोत्साहन योजना उन कामगारों के लिए है जो विदेश जाते हैं और अपेक्षाकृत ज्यादा कमाते हैं और अपना सारा धन भारत भेजते हैं। यह मेरा पहला प्रश्न है।

श्री एम. अरुणाचलम : मैं सदस्य को संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। जैसाकि आप जानते हैं हमारी सरकार विदेश में जहां-जहां भारतीय कामगार कार्यरत हैं वहां शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने में सहायता कर रही हैं। ये उन कामगारों के बच्चों के कल्याण हेतु हैं। इसके अतिरिक्त जहां-कहीं कामगारों के मामले में कोई समस्या होगी तो वहां हम सम्बद्ध दूतावास से चर्चा करेंगे और उसी दूतावास के माध्यम से सम्बद्ध सरकार से बात करेंगे।

श्री संदीपान थोरात : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने अधिकाधिक संख्या में कामगारों को विदेश भेजने के मामले में नए सिरे से कोई पहल की है।

श्री एम. अरुणाचलम : यह सतत प्रक्रिया है। हम तात्कालिक आधार पर प्रक्रियाओं को और आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : अध्यक्ष महोदय, उत्तर के भाग (4) में बताया गया है कि विगत तीन वर्षों 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान उत्प्रवास अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले विभिन्न भरती एजेंटों के खिलाफ 187 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

विदेशों में कामगारों की भरती या नौकरी देने के मामले में काफी धोखाधड़ी की जा रही है। अतः मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार विदेशों में कामगार भेजने के लिए भरती करने के प्रयोजन से विदेश रोजगार विकास निगम स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। यह मेरे प्रश्न का पहला भाग है।

प्रश्न के दूसरे भाग में मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या सऊदी अरब ने वीसा जारी किए जाने पर पाबंदी लगायी है, एक खास तबके के लोगों को वहां के वीसा से वंचित रखा जा रहा है। पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान ऐसा ही हुआ था और भारत सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप किया था। और तब 60:40 का अनुपात निर्धारित कर समस्या का समाधान

कर लिया गया था। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री मेरे प्रश्न के दोनों भागों के उत्तर दें।

श्री एम. अरुणाचलम : महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार विगत तीन वर्षों से केन्द्रीय जनशक्ति सम्वर्द्धन परिषद गठित करने के बारे में विचार कर रही है। इसके बारे में 26.10.96 को राज्यों के श्रम सचिवों की बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। इस बैठक में यह सिफारिश की गयी थी कि ऐसी-परिषद का गठन किया जाए और भारत सरकार के सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों से परामर्श कर इसकी संरचना के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

जहां तक इस प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, सऊदी अरब एक खास तबके के लोगों की भरती के लिए आग्रह कर रहा है। इसके बारे में वहां की सरकार से पहले भी बातचीत की गयी है, मुझे यह बताया गया कि इसमें कुछ गैर-सरकारी भरती एजेंटों का हाथ है। इसीलिए सरकार से चर्चा की गयी है।

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, मैं अपने प्रश्न के अंतिम भाग के बारे में माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि भरती के मामले में किसी समुदाय के प्रति भेदभाव नहीं बरता जाएगा। उन्होंने उन एजेंटों की सूची पहले ही दे दी है जिनको ब्लैकलिस्ट में शामिल किया गया है। कुछ ऐसे एजेंट भी हैं जो कामगार भरती के बहाने से भारी धन राशि बटोर लेते हैं और फिर न तो उन्हें विदेश भेजते हैं और न ही उनका पैसा वापस करते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र तथा केरल के अन्य अनेक भागों में भी ऐसे हजारों मामले सामने आए हैं। कामगारों को न तो विदेश भेजा गया और न ही उनका पैसा वापिस किया गया। ऐसा भी हुआ है कि जिन कामगारों को भेजा गया उन्हें संविदा में उल्लिखित वेतन से कम धन राशि दी गई है। ऐसे हजारों मामले सामने आए हैं जिसमें पहले तय की गई धनराशि से बहुत कम धनराशि-वेतन के रूप में दी गई। मुझे पता लगा है कि ये कामगार इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रो. कुरियन आप ब्यौरा ही दिए जा रहे हैं। प्रश्न तो पूछिए।

प्रो. पी.जे. कुरियन : इसीलिए महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि इन दोनों मामलों में सरकार क्या कार्यवाही करेगी? क्या वह उन पर मुकदमा चलाएगी और क्या संबंधित सरकार से इस बारे में बातचीत करेगी ताकि कामगारों के लिए जो तनख्वाह तय की गई है वही उसे विदेश जाकर दी जाए।

श्री एम. अरुणाचलम : महोदय, मैंने मुख्य प्रश्न में भी बताया है कि जब कभी हमें शिकायत मिली है तो हम उस एजेंसी को निलम्बित या रद्द कर देते हैं।

प्रो पी.जे. कुरियन : केवल यही पर्याप्त नहीं है और मैं यही तो कह रहा हूं। यह सरासर धोखाधड़ी है। यह दाण्डिक अपराध है। अतः ऐसी एजेन्सी को रद्द करना मात्र ही पर्याप्त नहीं है।

श्री एम. अरुणाचलम : महोदय, मुझे प्रश्न का जवाब तो देने दीजिए। जब कोई नियोक्ता अपने देश में हमारे किसी कामगार को कोई नौकरी देता है और गड़बड़ी करता है तो हमारा दूतावास संबद्ध देश की सरकार से सम्पर्क करता है और फिर वे अपने कानून के अनुरूप कार्यवाही करते हैं। अभी हाल में मैं जब संयुक्त अरब अमीरात में था तो मैंने संयुक्त अरब अमीरात सरकार से श्रम मंत्रालय से कतिपय मामलों पर चर्चा की थी। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि उनके कानून के मुताबिक कार्यवाही की जाएगी।

बाल मजदूरी के उन्मूलन हेतु अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

+

***405. श्री शान्तिलाल पुरषोत्तम दास पटेल :**
श्री दिनशा पटेल :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान बाल मजदूरी के उन्मूलन हेतु अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई धनराशि का पूर्ण सदुपयोग किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में किस सीमा तक सफलता मिली है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). बाल श्रम के उन्मूलन हेतु अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आईपीईसी) के अन्तर्गत भारत को दो द्विवर्षों 1992-93 और 1994-95 के लिए 3.65 मिलियन अमरीकी डालर का आबंटन किया गया। वर्ष 1996 के लिए आबंटन 0.5 मिलियन डालर है। 1992-96 के दौरान 4.15 मिलियन अमरीकी डालर के इस कुल आबंटन में से अब तक आईपीईसी द्वारा 3.3 मिलियन अमरीकी डालर की राशि क्रियान्वयन एजेन्सियों को निर्गत की गई है। आई पी ई सी के अन्तर्गत कुल 118 कार्रवाई कार्यक्रम के लिए निधियां प्रदान की गई जिससे लगभग 80,000 कामकाजी बच्चे सीधे लाभान्वित हुए हैं।

[हिन्दी]

श्री शांतिलाल पुरषोत्तम दास पटेल : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो कार्यक्रम बनाये हैं, क्या उनकी देखभाल करने के लिए कोई योजना आपके पास है। अगर है तो आप उसका ब्यौरा दीजिए। गुजरात में आईडेंटिफाइड करके जो 950 बच्चे निकाले गये हैं वह किस साल के बताये हैं। इससे ज्यादा भी बच्चे हो सकते हैं। हर स्टेट्स में इससे ज्यादा बच्चे काम करते रहते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपका आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है तथा पिछले तीन साल में, गुजरात में इस योजना के बारे में आगे क्या हुआ है?

[अनुवाद]

श्री एम. अरुणाचलम : महोदय, माननीय सदस्य विभिन्न कार्यक्रमों से चकराए हुए हैं। बाल श्रम के क्षेत्र में सरकार के पास तीन कार्यक्रम हैं। इसमें एक 'इपेक' (आई.पी.ई.सी.) है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। जैसा कि आप जानते हैं हमारी एक छोटी सी सहायता अनुदान योजना है जिसके लिए प्रतिवर्ष एक करोड़

रु. का प्रावधान है। तीसरा कार्यक्रम राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना है। यह प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम से संबंधित है। जहां तक इस कार्यक्रम का संबंध है इससे लगभग 80,000 बच्चों को लाभ मिला है।

अध्यक्ष महोदय : क्या गुजरात में इसके अधीन कोई परियोजना है? मेरे विचार से वे शायद यही जानना चाहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसके बारे में पता लगा लें और बाद में माननीय सदस्य को बता दें।

[हिन्दी]

श्री शांतिलाल पुरषोत्तम दास पटेल : अध्यक्ष महोदय, अभी नहीं मिलता है। तो बाद में क्या मिलेगा।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री एम. अरुणाचलम : मेरे पास आंकड़े हैं। हमने गुजरात में 1,350 बच्चों को लाभ देने के लिए पांच परियोजनाओं को दने के लिए मंजूरी दी है...**(व्यवधान)**

श्री सनत मेहता : ऐसी योजना में केवल इतने ही बच्चों को लाभ देने के लिए प्रावधान क्यों किया गया है।

[हिन्दी]

श्री दिनशा पटेल : अध्यक्ष महोदय, गुरुपाद स्वामी कमेटी ने सरकार को बाल मजदूरों के बारे में कोई रिपोर्ट दी है, इसके बारे में हां तो कर दिया है लेकिन इस रिपोर्ट के बारे में सरकार ने क्या किया? आपने एलोकेशन के बारे में बताया कि 4.15 मिलियन में से 3.3 मिलियन ही एलॉट हुआ तो इससे कम होने की बात क्या है? कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा बाल मजदूर हैं तथा गुजरात में कितने हैं? क्या इनके कम करने की कोई योजना आपके पास है।

[अनुवाद]

श्री एम. अरुणाचलम : यह प्रश्न इपेक से संबंधित है। जहां तक इपेक कार्यक्रम का संबंध है, पश्चिम बंगाल में 22,890 बच्चों को लाभ प्राप्त हुआ है। किसी भी राज्य में इतनी भारी संख्या में बच्चों को लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। जहां तक गुजरात का संबंध, जैसाकि मैं बता चुका हूं वहां 1350 बच्चों को लाभ प्राप्त हुआ है।

उन्होंने जो कमीशन के बारे में प्रश्न पूछा है उसके लिए मुझे अलग से नोटिस दिया जाना जरूरी है।

[हिन्दी]

श्री दिनशा पटेल : मैंने पूछा कि एलोकेशन कम क्यों है? ...**(व्यवधान)** 4.15 मिलियन से 3.3 मिलियन क्यों हुआ? इसका क्या कारण है?

[अनुवाद]

श्री एम. अरुणाचलम : यह एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, हमें इसे करना ही होगा। उन्होंने इतनी धनराशि ही हमारे देश को प्रदान की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक लगभग 3.3 मिलियन अमरीकी डालर का उपयोग किया जा चुका है और शेष धनराशि अन्य सहायक एजेंसियों को दी जाएगी।

[हिन्दी]

प्रो. ओमपाल सिंह 'निडर' : अध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत बड़ा है। दुर्भाग्य से हमारे यहां हुनर सीखने और श्रम करने में कोई अंतर नहीं किया गया क्योंकि हम पश्चिम की नकल कर रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है। जिन परिवारों में केवल बच्चे ही कमाने वाले हैं और आश्रितों में उनकी बूढ़ी मां, दादी या बाबा हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर उनको भी निकाल दिया गया तो उनके भरण-पोषण की सरकार ने क्या व्यवस्था की है या क्या करने वाली है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास ऐसा कोई कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत उन बच्चों को मुआवजा दिया जा सके, जिन्हें नौकरी से हटाया गया है?

श्री एम. अरुणाचलम : महोदय, हमारे पास बाल श्रम समाप्त करने संबंधी राष्ट्रीय परियोजना है। उस योजना के अंतर्गत जोखिमपूर्ण उद्योग से हटाए गए प्रत्येक बच्चे को 100 रुपए की सब्सिडी दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : श्री ए.सी. जोस केवल एक वाक्य का ही प्रश्न पूछिएगा।

श्री ए.सी. जोस : महोदय, बाल श्रम समाप्त करने के मामले में देश में कोई ठोस उपाय नहीं किए जा रहे हैं। जहां कहीं भी बाल श्रमिक हैं वहां वे अभी भी कार्यरत हैं।

इस बारे में जन समान्य का जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। क्या माननीय मंत्री या केन्द्रीय सरकार बाल श्रम प्रथा समाप्त करने के बारे में प्रचार करने के लिए मजदूर संघों और गैर सरकारी संगठनों से भी सक्रिय सहयोग लेने के लिए तैयार हैं? क्या आम जनता, मजदूर संघों और गैर सरकारी संगठनों से सक्रिय सहयोग लेने के लिए सरकार की कोई योजना है?

श्री एम. अरुणाचलम : जी हां महोदय, हम मजदूर संघों और गैर सरकारी संगठनों को शामिल कर रहे हैं। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने इसके बारे में एक निर्णय दिया है। हमें उसका भलीभांति अध्ययन करना है और उसके बाद हमें इस पर नए सिरे से विचार करना होगा।

"बोल्ट" योजनाओं के उद्देश्य

***406. श्री भक्त चरण दास** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992 और 1994 में क्रमशः शुरू की गई "ओन यूअर वैगन" योजना और "बोल्ट" योजना के उद्देश्य क्या-क्या हैं;

(ख) क्या इन योजनाओं में बहुत ही कम निजी निवेश हुआ है,

(ग) इन योजनाओं की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और इनके खराब कार्य निष्पादन के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार की इन योजनाओं को और आगे कार्यान्वित करने के बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

[हिन्दी]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) 'माल डिब्बे के मालिक बनें' तथा 'बोल्ट' योजनाओं का उद्देश्य वित्त-पोषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से रेल परिवहन क्षमता के विस्तार के लिए रेलों के संसाधनों में वृद्धि करना है।

(ख) 'माल डिब्बे के मालिक बनें' योजना के प्रति प्रतिक्रिया प्रायः उत्साहवर्धक रही है। स्थिर अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के संबंध में, 'बोल्ट' योजना के प्रति प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक नहीं रही है।

(ग) और (घ). 'माल डिब्बे के मालिक बनें' योजना अगस्त 1992 में लागू की गई थी, तब से लेकर नवम्बर 1996 तक 11580 माल डिब्बों (चौपहियों के हिसाब से) के लिए आर्डर प्राप्त हुए हैं तथा 7043 माल डिब्बों की (चौपहियों के हिसाब से) खरीद की गई है। 'बोल्ट' योजना के अंतर्गत, आमान परिवर्तन की दो परियोजनाएं (मुदखेड़-आदिलाबाद तथा वीरमगाम-मेहसाणा) तथा चल स्टॉक की एक परियोजना (चौपहियों के हिसाब से 3050 माल डिब्बों के लिए) दी गयी हैं। अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए 'बोल्ट' योजना के अंतर्गत खराब निष्पादन का कारण यह है कि बोलीदाताओं द्वारा अधिक लागत उद्धृत की गई तथा योजना के लिए पर्याप्त प्रत्युत्तर नहीं मिला। बहरहाल, प्राप्त अनुभव के आधार पर, योजनाओं को और अधिक आकर्षित बनाने के प्रयास किये जाते हैं।

[अनुवाद]

श्री भक्त चरण दास : महोदय, वैगन योजना का लक्ष्य है रेलवे को वैगनों, रोलिंग स्टाक की खरीदारी तथा पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे नेटवर्क के विस्तार में निवेश से स्वतंत्र रखा जाए तथा औद्योगिक, वाणिज्यिक कार्यकलापों तथा नयी रेलवे लाइनों के लिए छोटे गैर-सरकारी निवेश को आकृष्ट किया जाए ताकि रेलवे के रुग्ण विकास में तेजी लाई जा सके।

किंतु 'आपका अपना वैगन योजना' को पांच वर्ष पहले लागू किया गया था, तब से आज तक केवल 7043 वैगन ही खरीदे गए हैं। इससे यही स्पष्ट होता है कि यह योजना गैर-सरकारी निवेश को आकृष्ट करने में असफल रही है।

इसीलिए महोदय मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि रेलवे में गैर-सरकारी निवेशकों को निवेश करने के लिए आकर्षित करने हेतु क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं, ताकि रेलवे को वैगनों की खरीदारी और अन्य विकास कार्यों में निवेश नहीं करना पड़े।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि ओन योर वैगन स्कीम के तहत 1992 में योजना शुरू की गई थी। क्योंकि हमारे पास सरकारी साधन इतने नहीं हैं कि हम उससे सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, इसलिए 1992 में ओन योर वैगन स्कीम शुरू की गई थी। हमारा लक्ष्य था कि इससे प्रतिवर्ष 5 हजार वैगन आएंगे। लेकिन यह योजना विशेष सफल नहीं हुई और इसमें कोई खास रूचि नहीं दिखाई गई। इसलिए इस योजना में सुधार लाया गया। 1992 में जो लीज चार्जेज दस साल के लिए 14.5 प्रतिशत था उसे 1994 में बढ़ाकर दस साल के लिए 16 प्रतिशत कर दिया। इसके अलावा भी हमने कई छूट दीं जिसमें लीजिंग कम्पनी थी जिन्हें पिछली योजना में शामिल नहीं किया गया था, उनको शामिल किया गया। डिजाइन, लोन और सर्विस चार्जेस जो 6.5 प्रतिशत था, उसे घटाकर 3 प्रतिशत किया गया। इन केस ऑफ डायरैक्ट प्रोक्योरमैंट इन चार्जों को 2.5 प्रतिशत से घटाकर 1.5 प्रतिशत किया। हमने यह भी कहा कि यदि रेलवे समय पर निर्धारित मात्रा में वैगन नहीं देंगे तो 4 रुपये प्रति टन की क्षतिपूर्ति करेंगी। उसका नतीजा यह हुआ कि इसका काफी इफैक्ट हुआ। जहां 1994-95 में हमको 797 वैगनों के आर्डर्स उपलब्ध थे वहीं 1995-96 में 4572 वैगनों के आर्डर्स मिले और 1996-97 के नवम्बर तक 4650 वैगन के आर्डर्स मिले। मैं समझता हूं कि यह ट्रेड काफी उत्साहवर्धक है और हम इन्वैस्टर्स को अट्रैक्ट करने में सफल हुए हैं।

[अनुवाद]

श्री भक्त चरण दास : रामगढ़, लांगीगढ़ रोड, केसिंगा, टिटिलागढ़, कांटाबानजी खरियार रोड, सम्बलपुर, राउरकेला स्टेशनों से आने-जाने वाली मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों के यात्रियों के लिए क्लोक रूम, बेडरोल, आदि की व्यवस्था बहुत खराब है। अतः मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि उपर्युक्त स्टेशनों के अनुरक्षण में सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं तथा इस प्रयोजन से कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, यह जो स्कीम है, मुख्य रूप से इसमें दो पार्ट आते हैं, एक वैगन स्कीम आता है और एक बोल्ट आता है। माननीय सदस्य ने मेंटीनेंस का कहा है, कूल एक बजे रात तक रेलवे के सप्लीमेंटरी बजट पर इसमें काफी चर्चा हुई है और उसमें हमने विस्तार से बताने का काम किया है। मेंटीनेंस की तरफ हम गम्भीरता से देख रहे हैं। जहां तक बैडसेल वगैरह का सवाल है, ए.सी.-II टायर में हमने साफ तौर से कह दिया है कि जो कमी है, वह कमी नहीं रहेगी और जहां मेंटीनेंस का सवाल है, उसके लिए सैल बना दिये गये हैं, हम लोग कड़ाई से उसमें एक्शन भी ले रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि जहां तक मेंटीनेंस के दो पार्ट हैं, एक तो मेंटीनेंस बैडरोल्स वगैरह का है, एक कोचेज के

मेंटीनेंस का पार्ट है, जो कोचेज हैं, जो डिब्बे में जो हम सुधार कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास सफीसिएंट मात्रा में डिब्बों की कमी है, लेकिन जो भी डिब्बे उपलब्ध हैं, हम उनको रिपेयर करवाकर और दूसरे माध्यम से भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ-साथ जो डिब्बों की कमी है, उस कमी की भी पूर्ति करने के लिए हम कड़ाई से कदम उठा रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 407, श्री वी.एम. सुधीरन-अनुपस्थित प्रश्न सं. 408, श्रीमती वसुंधरा राजे-अनुपस्थित प्रश्न सं. 409 श्री अनंत कुमार हेगड़े-अनुपस्थित, प्रश्न सं. 410, श्री जार्ज फर्नान्डीज अनुपस्थित, डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डे-अनुपस्थित। प्रश्न सं.411, डा. एम. जगन्नाथ।

डा. एम. जगन्नाथ : प्रश्न सं. 411 महोदय।

प्राइवेट दूरसंचार आपरेटरों संबंधी सरकारी नीति

***411. डा. एम. जगन्नाथ :**
श्री टी. गोपाल कृष्ण :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 नवम्बर, 1996 के "इकानोमिक टाइम्स" में "गवर्नमेंट पॉलिसीज थ्रोटल प्राइवेट टेलीकाम आपरेटर्ज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या दूरसंचार विनियामक निकाय का गठन कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसका गठन कब तक कर दिया जाएगा?

[हिन्दी]

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

विवरण

समाचार मद में इस बात पर बल दिया गया है कि लंबी दूरी सेवा की अनुमति देने के लिए सरकार की मनाही, सरकार द्वारा निर्धारित टैरिफ की सीमा, इंटरकनेक्ट एवं पोर्ट प्रभारों का मनमाना निर्धारण, और सर्किलों में किसी प्रचालक द्वारा कार्यान्वयन करने के संबंध में सर्किलों की संख्या को सीमित करने से मूल सेवाओं में निजी निवेश करना अलाभप्रद हो गया है। जिन निजी पार्टियों ने निविदाओं के प्रति रूचि दिखाई है, वे लंबी दूरी सेवा, टैरिफ की सीमा और साथ ही निजी प्रचालकों को प्रचालनार्थ अनुमत्य सर्किलों की संख्या के बारे में सरकार के निश्चय से वाकिफ थे, क्योंकि इनके बारे में निविदा दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया था। अतः सरकार इस समाचार मद में उल्लिखित तर्कों से सहमत नहीं है। तथापि, भावी प्रचालकों ने उन समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है जो लाइसेंस की गैर-हस्तांतरणीयता (नॉन-ट्रांसफरेबिलिटी) के कारण उत्पन्न हुई हैं और साथ ही यह आशंका व्यक्त की है कि उनकी परियोजनाएं वित्तीय तौर पर व्यवहार्य नहीं होंगी। इन समस्याओं पर सरकार विचार कर रही है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के गठन हेतु विधेयक, लोकसभा में पेश किया जा चुका है और उसे संचार संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था जिसकी रिपोर्ट 21.11.96 को लोकसभा के पटल पर और 26.11.96 को राज्य सभा के पटल पर रखी जा चुकी है। इस मामले में आगे कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

डा. एम. जगन्नाथ : भारतीय प्रबंध संस्थान बंगलौर ने कहा है कि गैर सरकारी प्रचालकों को अपने निवेश के लिए प्रतिवर्ष 2.5 प्रतिशत लाभ मिलेगा। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या प्रचालकों को लंबी दूरी सेवा के लिए अनुमति दी गई है या नहीं। दूरसंचार विभाग को कुल राजस्व का 55 प्रतिशत स्वदेशी और लम्बी दूरी सेवा से प्राप्त होता है। तो सरकार इसके लिए अनुमति क्यों नहीं दे रही है? मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या बुनियादी सेवा के प्रचालकों को 2.5 प्रतिशत लाभ मिलेगा या नहीं? क्या यह सच है? अभी तक इसके बारे में कोई राष्ट्रीय नीति क्यों नहीं बनायी गयी है?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय उत्तर देने के लिए खड़े हैं। आप बैठ जाइए।

[हिन्दी]

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) : उनको क्वश्चन समझ में नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय : ट्रांसलेशन में टाइम लगता है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : उसको देखना पड़ेगा। उसमें व्यावहारिक दृष्टिकोण ही अपनाया जाएगा।

12.00 बजे

[अनुवाद]

श्री टी. गोपाल कृष्ण : महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय दूरसंचार नीति में सुविचारित लक्ष्य प्राप्त करने में क्या अड़चनें हैं तथा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण नियुक्त करने में विलम्ब के कौन-कौन से कारण हैं?

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : टेलीकाम रेगुलेटरी बिल को इसी सदन में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, फिर उसको प्रवर समिति में भेज दिया गया। उसकी रिपोर्ट आ गई है। उस पर अंतिम निर्णय होने के बाद सदन में रखा जाएगा।

अपरान्ह 12.00 $^{1}/_{2}$ बजे

अल्प सूचना प्रश्न

[अनुवाद]

ऑक्सीटोसिन इन्जेक्शन के प्रयोग पर प्रतिबंध

अ.सू.प्र. 1. श्री मानवेन्द्र शाह : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 दिसम्बर, 1996 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "इंजेक्टिंग द काउस एण्ड बुफैलोस विद आक्सीटोसिन फार इंकरीजिंग द मिल्क आउटपुट" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(ग) क्या गाय और भैंस को आक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाने से दूध विष युक्त हो जाता है;

(घ) क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच कराई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले?

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में पुशपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ङ). विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां। सरकार हिन्दुस्तान टाइम्स में 6.12.1996 को प्रकाशित समाचार से अवगत है। ऑक्सीटोसिन का प्रयोग कभी-कभी उन गाय-भैसों में किया जाता है जो दूध पसावने की समस्या से ग्रसित होती हैं। इस स्थिति में जानवर का अपना ऑक्सीटोसिन सर्कुलेशन में रिलीज नहीं होता है। तथापि इस टीके के इस्तेमाल से दूध की मात्रा नहीं बढ़ती है।

(ख) ऑक्सीटोसिन अनुसूची-"एच" की औषधि है। इसलिए औषधि एवं कॉसमेटिक अधिनियम, 1940; नियमावली, 1945 (नियम 65) के प्रावधानों के अनुसार ऑक्सीटोसिन टीके की बिक्री की अनुमति तभी दी जा सकती है जब उसे किसी पंजीकृत मेडिकल प्रेक्टिशनर द्वारा लिखा गया हो (इसमें पशुचिकित्सक भी शामिल हैं)। इस अधिनियम को क्रियान्वित करने की शक्ति औषधि नियंत्रक तथा राज्यों के औषधि नियंत्रकों के पास निहित है। भारत के औषधि नियंत्रक ने राज्यों के औषधि नियंत्रकों को पहले ही ये अनुदेश दे दिए हैं कि वे ऑक्सीटोसिन के उत्पादन और वितरण को विनियमित करें।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). चूंकि ऑक्सीटोसिन एक "पेप्टाइड हार्मोन" है, अतः इसे रक्त से सीधे दूध में संचरित नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐसा नहीं लगता कि दूध में ऑक्सीटोसिन को हटाना एक प्रमुख रास्ता है। इसके अलावा यह सर्कुलेशन से बहुत तेजी से हट जाता है (इसकी आधी उम्र केवल लगभग 1 से 5 मिनट तक होती है) और दूध के पसावने के लिए स्तनग्रन्थि/स्तनकोष द्वारा इस्तेमाल करने के अलावा इसे गुर्दे और लीवर द्वारा नष्ट कर दिया जाता है।

[अनुवाद]

श्री मानवेन्द्र शाह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने यह स्पष्ट नहीं कहा है कि आक्सीटोसिन जनता के लिए हानिकारक है या नहीं। मंत्री महोदय ने यही कहा है कि इसका प्रभाव हल्का हो जाता है। इसीलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि बाजार को दूध की पूर्ति के लिए ले जाए जाने से पहले सरकार द्वारा क्या निवारक उपाय किए गए हैं ताकि उसमें विद्यमान आक्सीटोसिन का असर हल्का या समाप्त किया जा सके। इस बारे में संतोषजनक सुस्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है जो कि स्वास्थ्य के लिए ख़तरनाक है। मैं यह जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्री इस बारे में कौन से उपाय करने पर विचार कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, आक्सीटोसिन एक हारमोन होता है जो मनुष्य के शरीर में और जानवर के शरीर में भी एक खास प्रकार के ग्लैंड द्वारा उत्पादित होता है। जब किसी दुधारू जानवर का बच्चा मर जाता है, जैसे गाय या भैंस का, तब लैक्टेशन में कठिनाई होती है, तब आक्सीटोसिन हारमोन का इंजेक्शन देकर दूध उतारने का काम होता है। इससे जानवर के शरीर पर कोई कुप्रभाव न पड़े और दूध में इसका कोई असर न हो, इन सबकी ड्रग कंट्रोलर द्वारा गहराई से जांच-पड़ताल कराकर इस दवा को प्रस्तावित किया गया है। इससे मनुष्य अथवा जानवर के स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : शांत हो जाइए। सभा में अनुशासन अनिवार्य है।

(व्यवधान)

श्री मानवेन्द्र शाह : अध्यक्ष महोदय, एक औषध नियंत्रक सभी शहरों में दूध की पूर्ति करने वाले सभी पशुओं की जांच कैसे कर सकता है। मैं उनके वक्तव्य को चुनौती देता हूं। मैं समुचित उत्तर से ही संतुष्ट होऊंगा, मैं यह जानना चाहता हूं कि सभी पशुओं की जांच के लिए वे कौन से उपायों पर विचार कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब यह खबर अखबार में प्रकाशित हुई कि इस इंजेक्शन को देने से दूध में जहरीला

अंश आ जाता है और वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है तो हमने एक नहीं, तीन-तीन संस्थानों आई.बी.आर.आई., आई.सी.ए.आर. और एन.डी.आर.आई. से जांच कराई गई और यह पाया गया कि आक्सीटोसिन के हारमोन की सुई जब शरीर में जाती है तब एक-डेढ़ मिनट से ज्यादा वह शरीर पर नहीं टिकती। इसलिए शरीर पर उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता और न ही दूध पर कोई कुप्रभाव होता है। अतः यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। जब शरीर में उक्त हारमोन की कमी हो जाती अथवा नहीं निकलती तब उस सुई का प्रयोग किया जाता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पद

***407. श्री वी.एम. सुधीरन** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम न्यायालयों में इस समय पीठासीन अधिकारियों के काफी पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग). केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए गठित 12 केन्दीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में इस समय पीठासीन अधिकारियों की चार रिक्तियां हैं। इन रिक्तियों में से तीन को भरने के लिए नामांकन प्राप्त हो गये हैं और चौथी रिक्ति के लिए नामांकन आमंत्रित किये गये हैं।

राजस्थान में खनिज

***408. श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिणी राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिजों के कितने भंडार हैं;

(ख) इस क्षेत्र में छिपी हुई खनिज सम्पदा की खोज हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य में खनिजों की समुचित खोज हेतु कोई निश्चित नीति और कार्यक्रम तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, दक्षिण राजस्थान में प्राप्त करने योग्य जिलावार खनिज भण्डार संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) राज्य में खनिजों का विदोहन खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस क्षेत्र में प्रमुख खनिजों के लिए 649 खनन पट्टे, गौण खनिजों के लिए 6363 खनन पट्टे और गौण खनिजों के लिए 10085 खदान लाइसेंस हैं।

(ग) और (घ). केन्द्र सरकार ने देश में खनिज संसाधनों के गवेषण और विकास के लिए समूचे देश हेतु गैर-ईंधन और गैर परमाणु खनिज संबंधी राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 पहले से ही बना रखी है। खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में 1993 में घोषित नई खनिज नीति के अनुरूप 1994 में संशोधन किया गया है। सरकार ने अक्तूबर, 1996 में खनिजों के गवेषण और विदोहन में विदेशी प्रौद्योगिकी शामिल करने और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 6 के अंतर्गत 25 वर्ग कि.मी. से बड़े क्षेत्रों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस देने के संबंध में मार्ग निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान सरकार ने राज्य में खनिजों के गवेषण और विकास के लिए खनिज नीति, 1994 में भी बनाई है।

विवरण

दक्षिण राजस्थान में प्राप्त करने योग्य जिलावार खनिज भंडारों (1.4.1990) की स्थिति के अनुसार

खनिज	जिला	इकाई	प्राप्त योग्य भंडार (1.4.1990 को)
1	2	3	4
क्वार्टज/सिलिका सैंड	बुंदी	000टन	11080
	कोटा	वही	7440
	सिरोही	वही	0.8
	उदयपुर	वही	1.0
चायनाक्ले	भीलवाड़ा	वही	7581
	बुंदी	वही	4142
	चित्तौड़गढ़	वही	24120
पायरोफिलाइट	उदयपुर	टन	683735
वोलास्टोनाइट	डूंगरपुर	वही	41100
	सिरोही	वही	2749839
अभ्रक	भीलवाड़ा	किलोग्राम	1681738
ग्रेफाइट	बांसवाड़ा	टन	440116

1	2	3	4
सोपस्टोन	बांसवाड़ा	000टन	271
	भीलवाड़ा	वही	16761
	चित्तौड़गढ़	वही	42
	डूंगरपुर	वही	4796
	सिरोही	वही	5
	उदयपुर	वही	12414
चूना पत्थर	चित्तौड़गढ़	वही	826572.00
(चाल्क सहित)	सिरोही	वही	347082.00
	कोटा	वही	249337
	उदयपुर	वही	662520
गारनेट	भीलवाड़ा	टन	121020.000
	सिरोही	वही	5005000.000
सिलिमेनाइट	उदयपुर	वही	1500.00
डोलोमाइट	भीलवाड़ा	000टन	926.00
	उदयपुर	वही	2550.00
रॉक फास्फेट	बांसवाड़ा	टन	19340.00
	उदयपुर	वही	67894885.00
फेल्सपार	भीलवाड़ा	वही	519631.00
ओकर	चित्तौड़गढ़	वही	7853175
	उदयपुर	वही	3110821
तांबा अयस्क	भीलवाड़ा	000 टन	3419
(1.4.1993)	बुंदी	वही	1998 (सशर्त संसाधन)
	चित्तौड़गढ़	वही	2289
	डूंगरपुर	वही	763
	सिरोही	वही	3920
	उदयपुर	वही	2439
सीसा-जस्ता अयस्क	भीलवाड़ा	000 टन	58843
(1.4.1993)	चित्तौड़गढ़	वही	607
	सिरोही	वही	750
	उदयपुर	वही	91456
	राजसमंद	वही	8253
कायनाइट	भीलवाड़ा	टन	500 (सशर्त संसाधन)
कैल्साइट	भीलवाड़ा	टन	7725
	सिरोही	वही	1789284
	उदयपुर	वही	197962
एपेटाइट (रॉक फास्फेट)	उदयपुर	टन	30000
टंगस्टन अयस्क	सिरोही	वही	29230
बैराइटस	भीलवाड़ा	वही	1294
	बुंदी	वही	15954
	उदयपुर	वही	1535760
एस्बेस्टस	भीलवाड़ा	वही	243
	डूंगरपुर	वही	2592
	उदयपुर	वही	807919
फ्लूरस्पार	डूंगरपुर	वही	631117
	सिरोही	वही	42500

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड

*409. **श्री अनंत कुमार हेगड़े** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ख) क्या बोर्ड के अधिकांश सदस्य विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ अंशकालिक रूप से संबद्ध हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप प्राधिकरण के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) बोर्ड के कार्यकरण में और देश में विमान यात्रा की सुरक्षा के स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) इस समय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में अध्यक्ष, एक पूर्णकालिक सदस्य, एक पदेन सदस्य (डीजीसीए) तथा पांच अंशकालिक सदस्य हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) पूर्णकालिक सदस्य (प्रचालन) का पद 17.10.1996 से भर लिया गया है। तीन और पूर्णकालिक सदस्यों अर्थात् सदस्य (कार्मिक एवं प्रशासन), सदस्य (आयोजना), सदस्य (वित्त एवं लेखा) की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं। तथापि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में रिक्तियों के कारण देश के हवाई अड्डों में हवाई यात्रा सुरक्षा के स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

बैलाडीला खानों को पट्टे पर देना

*410. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :**

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैलाडिला लौह अयस्क भण्डारों को प्राइवेट पार्टियों को पट्टे पर देने के लिये बातचीत जारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और शर्तें क्या हैं; और

(ग) इन खानों को कब तक अंतरित किये जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (ग). संयुक्त उद्यम के जरिए बैलाडिला निक्षेप-II बी का विकास करने के लिए नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एन. एम.डी.सी.) को दी गई सरकार की मंजूरी के आधार पर एन.एम.डी. सी. ने 10 जुलाई, 1995 को एन.डी.आई.एल. के साथ एक संयुक्त उद्यम सक़रार पर हस्ताक्षर किए और 31 जुलाई, 1995 को बैलाडिला मिनरल डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (बी.एम.डी.सी.) नामक एक नई संयुक्त उद्यम कम्पनी निगमित की गई। इसके अतिरिक्त एन.एम. डी.सी. ने निक्षेप II-बी के खनन पट्टे का हस्तान्तरण संयुक्त उद्यम कम्पनी के पक्ष में करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को अपना आवेदन प्रस्तुत किया था।

मध्य प्रदेश सरकार ने अपने 6.1.1996 के पत्र के तहत इस प्रस्ताव की सिफारिश की थी और एम.एम.आर.डी. अधिनियम-1957 के प्रावधानों के तहत केन्द्र सरकार की यथा अपेक्षित पूर्व मंजूरी खान मंत्रालय से मांगी थी। राज्य सरकार ने कतिपय शर्तें जैसे संयुक्त उद्यम कम्पनी के साम्या में 20 प्रतिशत तक की राज्य सरकार की भागीदारी, नई संयुक्त उद्यम कम्पनी द्वारा मध्य प्रदेश प्राथमिक रूप से बस्तर जिले में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करना, राज्य विशेष रूप से बस्तर जिले से श्रमशक्ति की भर्ती करना, संयुक्त उद्यम कम्पनी द्वारा इस क्षेत्र में स्कूल/अस्पताल स्थापित करना आदि शामिल करने का प्रस्ताव भी किया है। खान मंत्रालय ने एम.एम.आर.डी. अधिनियम, 1957 और खनिज रियायत नियम, 1960 के प्रावधानों के अनुपालन की शर्त पर और इस शर्त पर कि सरकार द्वारा प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कम्पनी अर्थात बैलाडिला मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड और एन. एम.डी.सी. इन शर्तों पर एकमत हों, हस्तान्तरण के लिए शर्तों पर सहमत हों और एक अनुबंध करें या अन्य कोई उचित वैधानिक कार्रवाई में उन्हें शामिल करें, के अनुपालन की शर्त पर उस प्रस्ताव को 21 मार्च, 1996 को मंजूरी दे दी थी।

खान मंत्रालय ने अपने दिनांक 13.6.1996 के पत्र के तहत मध्य प्रदेश सरकार से यह सूचित करने का अनुरोध किया था कि क्या एन. एम.डी.सी. ने खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 27 (3) के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित शर्तों के संबंध में अपनी स्वीकृति दे दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने दिनांक 19.6.96 और 3.8.96 के पत्रों के तहत इस्पात मंत्रालय से यह अनुरोध किया है कि वह राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित शर्तों पर अपनी स्वीकृति देने के संबंध में एन. एम.डी.सी. को सलाह दे।

संसद सदस्य श्री गुरूदास दास गुप्ता और श्री जीवन राय ने लौह अयस्क खान II-बी के खनन पट्टे का हस्तान्तरण संयुक्त उद्यम कम्पनी के पक्ष में करने के बारे में स्थगन आदेश देने के लिए माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा अधिकारिता के आधार पर रिट याचिका 10.5.1996 को खारिज कर दी गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा 3 सप्ताह का अन्तरिम स्थगन दिया गया था जिसके लिए बाद में उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि अन्तरिम स्थगन तब तक निलंबित रहेगा जब तक कि अन्तरिम स्थगन के विरूद्ध संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा की गई अपील और मूल रिट याचिका खारिज करने के आदेश के विरूद्ध श्री गुरूदास दास गुप्ता और श्री जीवन राय द्वारा की गई अपील का निपटान नहीं हो जाता। ये अपीलें नियमित बेंच के समक्ष प्रस्तुत की जानी हैं।

बैलाडिला निक्षेप-II बी के हस्तान्तरण के विरूद्ध जुलाई, 1996 में दिल्ली उच्च न्यायालय में भी एक जनहित मुकदमा दायर किया गया है। मामले को अंतिम बहस के लिए दिनांक 13.1.1997 तक स्थगित कर दिया गया है।

यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसकी विभिन्न पहलुओं से विस्तृत जांच करने की आवश्यकता है। तथापि, चूंकि यह मामला न्यायालयों में लंबित है, अतः सरकार न्यायिक अधिमत की प्रतीक्षा करेगी।

इंडियन एयरलाइन्स के घरेलू यातायात में वृद्धि

*412. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष की प्रथम छमाही में इंडियन एयरलाइन्स द्वारा घरेलू यातायात में 15 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान गलत सिद्ध हुआ है तथा इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस वर्ष के अगले छः माह में इसमें कितनी वृद्धि होने की आशा है; और

(घ). इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चालू वित्त वर्ष के पिछले 6 महीनों में वर्ष 1995-96 की इसी अवधि की तुलना में इंडियन एयरलाइन्स द्वारा प्रक्षेपित यात्री वहन में संवृद्धि 14.5 प्रतिशत रही।

(घ) यातायात में प्रत्याशित संवृद्धि को प्राप्त करने की दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(1) कमांडरों की बढ़ी हुई संख्या के जरिए बेड़े के उपयोग में वृद्धि, इंडियन एयरलाइन्स के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी एलायंस एयर में कमांडरों को ठेके पर लेना तथा इंजीनियरों की बढ़ी हुई उत्पादकता के परिणामस्वरूप प्रतिदिन रोस्टरबद्ध विमानों की संख्या में वृद्धि।

(2) उत्पाद में सुधार, विपणन कार्यनीतियों में नवीनता/उद्यमशीलता, सुधरे हुए समयबद्ध कार्य निष्पादन तथा कम्पनी की क्षमताओं के बारे में सूचना का प्रसार करके यात्रियों को आकर्षित करना।

खोज कार्य के लिए कार्य दल

***413. श्री एन. डेनिस :**

डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पूर्वोत्तर क्षेत्र में खनिजों की उपलब्धता का पता लगाने के लिए हाल ही में एक कार्य योजना पर विचार किया है;

(ख) क्या इस प्रयोजन हेतु एक कार्य बल का गठन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्यबल की क्या उपलब्धियां रही हैं; और

(घ) वर्तमान कार्य योजना में अन्तर्ग्रस्त व्यय का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (घ). पूर्वोत्तर क्षेत्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित सम्पूर्ण देश में खनिजों के गवेषण और विदोहन सरकार के सतत् योजना कार्य-कलाप हैं। तथापि, पूर्वोत्तर क्षेत्र में समूचे आर्थिक विकास के एक हिस्से के रूप में सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में खनिज संसाधनों के उचित गवेषण और विदोहन को सुविधाजनक बनाने के लिए संभावनाओं और महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाने हेतु एक कार्य योजना तैयार करने के लिए हाल ही में एक कार्य बल का गठन किया है। पूर्वोत्तर राज्यों में अन्य बातों में, कार्य बल के विचारणीय विषय हैं- भूवैज्ञानिक, पर्यावरणीय और खनिज अध्ययनों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाना, विदोहन के लिये अलग-अलग खनिज निक्षेपों का पता लगाना और खनिज विकास के लिए आवश्यक प्रशासनिक संरचना की सिफारिश करना। खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए कोई अलग कार्य बल गठित नहीं किया गया है।

कार्य बल ने प्रारंभिक कार्य-कलाप शुरू कर दिये हैं और इस संबंध में अब तक कोई व्यय नहीं किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश में खनिज संसाधनों के गवेषण और विदोहन के लिए वास्तविक राशि देश की वार्षिक योजना और पंचवर्षीय योजना के प्रावधानों के अनुसार है।

इस्पात का आयात/निर्यात

***414. श्री सौम्य रंजन** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान अब तक इस्पात का कितनी मात्रा में उत्पादन, आयात तथा निर्यात किया गया;

(ख) इन वर्षों के दौरान देश में संस्थापित तथा कार्यरत इस्पात संयंत्रों की क्षमता का सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में अलग-अलग कितना उपयोग किया गया; और

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान क्षमता के उपयोग में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जा रहे हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान अप्रैल-नवम्बर तक उत्पादित, आयातित और निर्यातित परिसज्जित इस्पात की मात्रा नीचे दी गई है:—

(दस लाख टन)

	1994-95	1995-96	1996-97* (अप्रैल-नवम्बर) (अनन्तिम)
उत्पादन	17.82	21.40	14.80
आयात	1.70	1.57	1.04
निर्यात	0.92	1.07	0.65

* आंशिक रूप से अनुमानित

(ख) सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र में इस्पात संयंत्रों में उत्पादन की क्षमता उपयोगिता का अनुमान निम्नानुसार है :—

	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र
1994-95	86%	68%
1995-96	87%	67%
1996-97 (अप्रैल-नवम्बर)	87%	62%

(ग) किसी भी बाजार अर्थव्यवस्था में क्षमता उपयोगिता कई घटकों जैसे मांग उपलब्धता, मूल्य आदि पर निर्भर करेगी। क्षमता उपयोगिता में सुधार करने के लिए सेल ने राउरकेला, बोकारो और दुर्गापुर स्थित अपने संयंत्रों का आधुनिकीकरण कार्य शुरू किया है। सेल द्वारा उठाए गए अन्य कदमों में आदानों की गुणवत्ता में सुधार करना, प्रचालन और अनुरक्षण प्रक्रियाओं में सुधार करना, निजी विद्युत सृजन अधिकतम करना और अन्तर-संयंत्र में परस्पर समन्वय में सुधार करना आदि शामिल है। इसी प्रकार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर.आई.एन.एल.) ने क्षमता उपयोगिता में सुधार करने के लिए संतुलन सुविधाओं की स्थापना करके, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर और उनकी क्षमता का विकास करके, उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करने के लिए संयंत्र और उपस्कर का संशोधन करके, पूंजीगत पुनर्संरचना करके और लागत में कमी आदि करके उपाय किए हैं।

सवारी गाड़ी के विद्युत इंजनों की खरीद

***415. श्री मनोरंजन भक्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने प्रौद्योगिकी के अंतरण हेतु किए गए समझौते के अंतर्गत स्विटजरलैंड की फर्म मैसर्स एशिया ब्राउन बोवर (एबीबी) से ऐसी 3 फेस 6000 अश्वशक्ति के सवारी गाड़ी के विद्युत इंजन खरीदे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एबीबी को कितने सवारी गाड़ी और माल गाड़ी के इंजनों के क्रयादेश दिए गए एवं इन इंजनों की ढुलाई क्षमता कितनी हैं; और

(घ) प्रौद्योगिकी के अंतरण की प्रक्रिया के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है और देश में एबीबी इंजनों का निर्माण कब से आरम्भ हो जाएगा?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख). जी हां। भारतीय रेलों ने एबीबी/स्विटजरलैंड से 5440 अश्व शक्ति के 10 सवारी गाड़ी बिजली रेल इंजन तथा रेल इंजन बैंक के रूप में सवारी गाड़ी के एक अतिरिक्त रेल इंजन की खरीद की है, जिनकी 'फ्री-आन-बोर्ड' कुल लागत 54268500 स्विस फ्रैंक+42042000 ड्यूश मार्क यानि 259 करोड़ रुपये के समतुल्य है। जुलाई '93 में दी गई आपूर्ति संविदा के अंतर्गत, भारतीय रेलों द्वारा ये रेल इंजन अक्तूबर '95 से सितम्बर '96 के बीच प्राप्त किए गए थे।

(ग) जुलाई, 93 में मैसस एबीबी को सवारी गाड़ी के दस रेल इंजनों तथा माल गाड़ी के 20 रेल इंजनों के लिए क्रयादेश दिया गया था। इसके अतिरिक्त, रेल इंजन बैंक के रूप में, सवारी गाड़ी के एक रेल इंजन तथा माल गाड़ी के दो रेल इंजनों के लिए अतिरिक्त क्रयादेश भी दिया गया था। उनकी कर्षण क्षमता नीचे दिये गये अनुसार है:—

सवारी गाड़ी रेल इंजन

120 कि.मी. प्रति घंटे की गति से 26 सवारी डिब्बे; अथवा
160 कि.मी. प्रति घंटे की गति से 18 सवारी डिब्बे।

माल गाड़ी रेल इंजन

समतल जगह पर 100 कि.मी. प्रति घंटे की गति से 4700 टन; अथवा 1:200 की ढलान पर 53 कि.मी. प्रति घंटे की गति से 4700 टन।

(घ) प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए संविदा दस वर्ष की अवधि तक के लिए होगी और यह सन् 2004 में पूरी होगी। उच्च अश्व शक्ति वाले बिजली रेल इंजनों का देश में निर्माण भारतीय रेल के चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में नीचे लिखे अनुसार करने की योजना है :—

1997-98	-	10 रेल इंजन
1998-99	-	30 रेल इंजन (अनन्तिम)
1999-2000	-	50 रेल इंजन (अनन्तिम)

कृषि श्रमिकों के लिए कल्याण योजनाएं

***416. श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली व अन्य राज्यों में कृषि मजदूरों के लिए कौन-कौन सी योजनाएं अनुमोदित की गई;

(ख) इन योजनाओं से कृषि मजदूर कहां तक लाभान्वित हुए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि का आवंटन किया गया;

(घ) क्या सरकार का इस संबंध में कुछ और कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ). सरकार, कृषि कर्मकारों के नियोजन और सेवा शर्तों को विनियमित करने तथा कल्याणकारी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए एक व्यापक विधान के अधिनियमन पर विचार कर रही है।

विवरण

केन्द्रीय सरकार द्वारा केवल दिल्ली में कृषि कर्मकारों के लिए अलग से किन्हीं कल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी प्रदान नहीं की गयी है। तथापि, गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण जनसंख्या, जिसमें विशेष रोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत कृषि कर्मकार शामिल हैं, के कल्याण हेतु शुरू की गयी कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं।:—

(I) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी)

इस योजना के अंतर्गत आय बढ़ाने वाली परिसंपत्तियां अर्जित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान के साथ छोटे कृषकों, सीमान्त कृषकों, कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण कारीगरों के लिए भिन्न भिन्न मिश्रित आर्थिक सहायता तथा अलग-अलग दरों पर आवधिक ऋण शामिल हैं। अक्तूबर, 1996 तक इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या 615166 है। वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान आबंटित कुल निधियां क्रमशः 1098.22 करोड़ रुपये, 1097.21 करोड़ रुपये और 1097.21 करोड़ रुपए थी।

(II) जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई)

इस योजना का उद्देश्य अतिरिक्त अर्थपूर्ण रोजगार का सृजन करना और उत्पादक सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन करना है। 1996-97 के दौरान इस योजना के अंतर्गत (अक्तूबर, 1996 तक) रोजगार सृजन 1656.46 लाख श्रम दिवस था। वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान आबंटित निधियां क्रमशः 2800 करोड़ रुपये, 3240 करोड़ रुपये और 2236.79 करोड़ रुपए थी। इस योजना को देश के उन 120 पिछड़े जिलों में तेज किया गया है जिनमें बेरोजगारी और अल्प-रोजगार का सकेंद्रण है।

(III) रोजगार आश्वासन योजना (ई ए एस)

2 अक्तूबर, 1993 को पूरे देश के 1752 पिछड़े ब्लाकों में "रोजगार आश्वासन याजना" नामक एक नई योजना शुरू की गयी थी जिसका उद्देश्य अपर्याप्त कृषि मौसम में 100 दिन का अकुशल शारीरिक कार्य मुहैया करवाना है। इस योजना से मुख्य रूप से कृषि कर्मकार लाभान्वित होते हैं। हाल ही में इस योजना को 3206 ब्लाकों में लागू कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत इसके प्रारंभ से अक्तूबर, 1996 तक पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या 22325379 है। अक्तूबर, 1996 तक इस योजना के अंतर्गत सृजित रोजगार 1347.16 लाख श्रम दिवस हैं। वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के लिए निधियों का आबंटन क्रमशः 1200 करोड़ रुपए, 1278.09 करोड़ रुपए और 777.37 करोड़ रुपए था।

(IV) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास (डी डब्ल्यू सी आर ए)

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों वाली महिलाओं के कौशलों और अभिरूचि के अनुरूप आय सृजन संबंधी कार्यकलापों को शुरू किए जाने के लिए सामूहिक दृष्टिकोण का उपयोग करके उनके आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए 1982-83 में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास नामक एक योजना चलाई गयी थी। यह योजना एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण के सहयोग से संचालित की जाती है।

(V) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना (एन एस ए एस)

भारत सरकार ने गरीबों के लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना की घोषणा की है। इसमें 65 वर्ष से अधिक आयु वाले बेसहारा व्यक्तियों के लिए 75/-रु. प्रतिमाह की दर से वृद्धावस्था पेंशन, रोजी रोटी कमाने वाले प्रमुख व्यक्ति की प्राकृतिक मृत्यु और दुर्घटना से मृत्यु के लिए परिवारों को क्रमशः 5000/- रुपये और 10,000/- रुपये के एक मुश्त परिवार लाभ तथा दो जीवित बच्चों के लिए प्रति प्रसव 300/- रुपये के प्रसूति लाभ की अपेक्षा की गयी है। इस योजना से क्रमशः 5.3 मिलियन, 3.5 लाख लाभानुभोगियों और 4.5 लाख महिला कर्मकारों के लाभान्वित होने की संभावना है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, केन्द्रीय तथा विभिन्न राज्य सरकारों ने 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग वाले सभी भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को बीमा सीमा के अंतर्गत लाने के लिए जीवन बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा निधि के अंतर्गत 1987 में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए समूह बीमा योजना और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभानुभोगियों के लिए 1988 में बीमा योजना जैसी विभिन्न बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाई हैं। इसके अलावा, विभिन्न राज्य सरकारें भिन्न भिन्न अर्हकारी मानदण्डों और पेंशन दरों के आधार पर वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं चला रही हैं।

[हिन्दी]

प्रवेश परीक्षा में अंग्रेजी भाषा की आवश्यकता

***417. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा रेलवे इंजीनियरिंग तथा अन्य ट्रेडों में पाठ्यक्रमों हेतु आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन प्रशिक्षण तथा शैक्षिक संस्थानों में तथा रोजगार हेतु किन-किन परीक्षाओं में एक विषय के रूप में अंग्रेजी अनिवार्य है; और

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा सभी प्रशिक्षण तथा शैक्षिक संस्थानों में तथा रोजगार हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षाओं में तथा अन्य स्थानों में जहां अंग्रेजी अनिवार्य है, इस भाषा की अनिवार्यता समाप्त करने में क्या अड़चनें हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग). जी नहीं। इस प्रकार के पाठ्यक्रमों के लिए भारतीय रेलों द्वारा कोई प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाती। लेकिन, समूह 'क' पदों पर भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं।

रेल भर्ती बोर्डों के माध्यम से समूह 'ग' पदों के लिए आयोज़ित की जा रही परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र द्विभाषिक रूप में, अर्थात् अंग्रेजी और हिंदी में तैयार किए जाते हैं। सामान्य अंग्रेजी के प्रश्नों के साथ-साथ , अब उत्तरोत्तर हिंदी में भी चरणबद्ध आधार पर उतने ही अंकों के प्रश्न पूछे जाने लगे हैं और यह विकल्प रहता है कि दोनों में से किसी एक को हल किया जाए। यह परिपाटी 30 कोटियों के लिए शुरू की गई है। इसे 35 अन्य कोटियों पर लागू करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। अगले चरण में, अन्य कोटियों पर विचार किया जाएगा, सिवाए उन पदों के जहां अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक समझा जाता है, यथा अंग्रेजी अध्यापक, अंग्रेजी आशुलिपिक आदि।

रेलों में नौकरी हेतु परीक्षाओं के लिए, प्रशिक्षण और शैक्षिणिक संस्थानों में विषय के रूप में अंग्रेजी अनिवार्य नहीं है।

[अनुवाद]

फाईबर ऑप्टिक तकनीक

***418. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :**
प्रो. जितेन्द्र नाथ दास :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उच्च श्रेणी के दूरसंचार नेटवर्क के लिये सभी प्रमुख तटीय शहरों की सबमेरीन फाइबर ऑप्टिक सिस्टम के साथ जोड़ने के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान लंबी दूरी के 'डाट' नेटवर्क की तुलना में इन परियोजनाओं की लागत प्रभाविकता का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) क्या भारतीय दूरसंचार नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु ऐसी सुपर सूचना प्रणाली को गंगा के मैदानी इलाकों में स्थित शहरों में भी पहुंचाया जायेगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) तथा (ख). जी, हां। 1994 के दौरान विदेश संचार निगम लि. से "जलमाला" नामक एक परियोजना प्राप्त हुई थी, जो गुजरात के भावनगर से लेकर कलकत्ता तक के प्रायद्वीपीय भारत के 26 तटीय स्टेशनों में संपर्कता प्रदान करने के लिए थी। यह प्रस्ताव, 760 करोड़ रुपए की कुल लागत से 60000 सर्किटों की चैनल क्षमता वाली 2.5 जी बी पी एस की 2+1 प्रणाली हेतु 4800 कि.मी. की कुल दूरी के लिए समुद्रीय आप्टिक फाइबर बिछाने हेतु था।

(ग) इस परियोजना में प्रति किलोमीटर अनुमानित लागत दूरसंचार विभाग की मौजूदा लंबी दूरी आप्टिकल फाइबर केबल परियोजनाओं की लागत से लगभग तीन गुना बैठती है।

(घ) से (च). इस परियोजना का, गंगा के मैदानी भागों के नगरों तक विस्तार करने संबंधी कोई प्रस्ताव विदेश संचार निगम लि. से प्राप्त नहीं हुआ था, तथापि, दूरसंचार विभाग ने उपरोक्त परियोजना में प्रस्तावित एवं गंगा के मैदानी भागों के सभी प्रमुख नगरों को अत्यधिक उच्च क्षमता वाले आप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने की योजना बनाई है।

दूरसंचार विभाग द्वारा नियोजित 10 परियोजनाओं का विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

दूरसंचार द्वारा नियोजित 10 उच्च क्षमतायुक्त परियोजनाओं के ब्यौरे

1. नई दिल्ली-अम्बाला-चंडीगढ़-लुधियाना-जालंधर-भटिंडा-नई दिल्ली एसटीएम-16 रिंग।
2. नई दिल्ली-मुरादाबाद-लखनऊ-वाराणसी-इलाहाबाद-कानपुर-आगरा-नई दिल्ली-एसटीएम-16 रिंग।
3. कलकत्ता-पटना-वाराणसी-रांची-कलकत्ता एसटीएम-16 रिंग।
4. नई दिल्ली-आगरा-भोपाल-इन्दौर-जयपुर-नई दिल्ली एसटीएम-16 रिंग।
5. मुम्बई-इन्दौर-अहमदाबाद-मुम्बई एसटीएम-16 रिंग।
6. मुम्बई-पुणे-बिदार-हैदराबाद-बंगलौर-मैंगलूर-मुम्बई एसटीएम-16 रिंग।
7. बैंगलोर-चैन्नई-विजयवाड़ा-हैदराबाद-बेंगलोर एसटीएम-16 रिंग।
8. कलकत्ता-रायपुर-नागपुर-हैदराबाद-विजयवाड़-कटक- कलकत्ता एसटीएम-16 रिंग।
9. चैन्नई-बेंगलोर-कोयम्बतूर-एर्नाकुलम-त्रिवेन्द्रम-मदुरै-चैन्नई एसटीएम-16 रिंग।
10. मुम्बई-पुणे-बिदार-नागपुर-भोपाल-इन्दौर-मुम्बई एसटीएम-16 रिंग।

मैसर्स इन्स्ट्रूमेंटशन लिमिटेड के बेरोजगार मजदूर

*419. **श्री ताराचन्द भगोरा** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रम मैसर्स इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा के रूग्ण होने के फलस्वरूप 3000 से अधिक मजदूरों के बेरोजगार होने का खतरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस इकाई को पुनः चालू करने तथा मजदूरों के रोजगार को संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). मैं. इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के मामले को अक्तूबर, 1993 में औद्योगिक वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड को संदर्भित किया गया था और औद्योगिक और वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड ने कम्पनी को 19.1.1994 को रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के तहत रूग्ण इकाई के रूप में घोषित कर दिया था। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड ने आई डी बी आई को पुनरूद्धार योजना तैयार करने के लिए संचालन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया था। इस कम्पनी को अधिग्रहण करने/समामेलित करने के लिए निविदा आमंत्रित करने के बाद, आई डी बी आई ने कतिपय प्रस्ताव प्राप्त किये थे जो औ. और वि.पु. बोर्ड द्वारा स्वीकार्य नहीं पाए गए। मै. इन्स्ट्रूमेंटेशन लि. कोटा ने आई डी बी आई और सरकार के समक्ष दूसरी पुनरूद्धार योजना प्रस्तुत की है।

बाल श्रमिकों के लिए कल्याण परियोजना

*420. **श्री हरिन पाठक** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में राज्यवार/परियोजनाएं सहायतानुदान योजना के अंतर्गत बाल श्रमिकों संबंधी कल्याण परियोजनाओं को शुरू करने के लिए सरकार द्वारा जिन स्वैच्छिक एजेंसियों को वित्तीय सहायता दी जा रही है उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान उक्त एजेंसियों की क्या उपलब्धियां रहीं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान योजना के अधीन वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान सहायता प्राप्त एजेंसियों की एक सूची संलग्न विवरण में है।

2. सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा शुरू किए गए कार्यकलापों में बाल श्रम को रोकने के उपाय, कल्याणकारी परियोजनाएं चलाना जिसके अंतर्गत बालकों को अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण अनुपूरक पोषणाहार और स्वास्थ्य देखरेख मुहैया कराई जाती है, आदि शामिल हैं। सभी स्वैच्छिक एजेंसियों से कुल मिलाकर वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान क्रमशः 2820 और 4545 बालकों को शामिल किया है।

विवरण

सहायता अनुदान योजना के अधीन सहायता प्राप्त संगठनों की सूची

1994-95

1. दि कांग्रेगेशन ऑफ दि सिस्टर्स ऑफ क्रास ऑफ चावनाड, तिरूचिरापल्ली।
2. भारतीय बाल कल्याण परिषद, नई दिल्ली।
3. रूचिका स्कूल, भुवनेश्वर।
4. कर्नाटक राज्य बाल कल्याण परिषद, बैंगलौर।
5. इस्टीट्यूट ऑफ साइक्लोजिकल एण्ड एजूकेशन रिसर्च, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल।
6. इण्डिया इन्टरनेशनल रूरल सेंटर, नई दिल्ली।
7. अमृत बाल श्रम कल्याण सोसाइटी, अहमदाबाद (गुजरात)
8. विवेकानन्द शिक्षा सोसाइटी, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल।
9. श्रमिक विकास सेवा आश्रम, इलाहाबाद, उ.प्र.।
10. सेन्ट्रल यंग मिजो एसोसिएशन आइजोल, उ.प्र.।
11. भारतरीय बाल कल्याण परिषद, नई दिल्ली।

1995-96

1. दि कांग्रेगेशन ऑफ दि सिस्टर्स ऑफ क्रास ऑफ चावनाड, तिरूचिरापल्ली।
2. भारतीय बाल कल्याण परिषद, नई दिल्ली।
3. रूचिका स्कूल, भुवनेश्वर।
4. कर्नाटक राज्य बाल कल्याण परिषद, बैंगलौर।
5. इस्टीट्यूट ऑफ साइक्लोजिकल एण्ड एजूकेशन रिसर्च, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल।
6. इण्डिया इन्टरनेशनल रूरल सेंटर, नई दिल्ली।
7. विवेकानन्द शिक्षा सोसाइटी, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल।
8. श्रमिक विकास सेवा आश्रम, इलाहाबाद, उ.प्र.।
9. ग्रामीण संसाधन विकास परिषद बक्सर, बिहार।
10. यूनाइटेड क्लब ओजिनी, उड़ीसा।
11. जिबारामजी क्लब, उड़ीसा।
12. ग्राम विकास सेवा समिति, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश

13. करीमपुर समाज कल्याण सोसाइटी, जिला नादिया, पश्चिम बंगाल।

14. भारतीय बाल कल्याण परिषद, तमिलनाडु।

15. विजयापुरम प्रजा सेवा समिति, चित्तूर, आंध्र प्रदेश।

16. बंधुआ मुक्ति मोर्चा, नई दिल्ली।

17. रफी अहमद किदवई शिक्षा समिति, भोपाल, मध्य प्रदेश।

18. ग्राम स्वराज अभियान संस्थान, वैशाली, बिहार।

19. महात्मा गांधी खादी और ग्रामोद्योग समिति, खुर्द, उड़ीसा।

20. गोपाल समाज कल्याण प्रतिष्ठान, नालन्दा, बिहार।

21. मिथिला ग्राम विकास परिषद, दरभंगा बिहार।

22. कथा, नई दिल्ली।

23. नवचेतन्य अकादमी फॉर यूथ एडवांसमेंट विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश।

24. आल इण्डिया संथाल वेल्फेयर कल्चरल सोसाइटी, नई दिल्ली।

एअर इंडिया में घोटाला

3978. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 अक्तूबर, 1996 के "जनसत्ता" में "एअर इंडिया की आमदनी बढ़ाने के नाम पर तीन अरब की हेराफेरी का इलजाम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां। वितरण लागत तथा वित्तीय जोखिम को कम करने के लिए एयर इंडिया ने, संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्र में वितरण नेटवर्क के पुनरीक्षण का निर्णय लिया है।

(ख) जी, नहीं। तथापि, एयर इंडिया लिमिटेड को निदेश दिया गया है कि यदि एयर इंडिया द्वारा कोई सामान्य विक्रय अभिकर्ताओं का चयन किया जा रहा है तो वह सिर्फ योग्यता पर तथा कम्पनी द्वारा निर्धारित कार्यविधि के अनुसार किया जाना चाहिए।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

लाभप्रद एयर लाइन सेवाओं को बंद करना

3979. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाभप्रद एयरलाइन सेवाओं अर्थात् तिरूवनंतपुरम-दुबई, तिरूवनंतपुरम-आबुधाबी और तिरूवनंतपुरम-मस्कट को बंद किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या उपर्युक्त उड़ानों को बंद किए जाने के निर्णय पर विचार करने का प्रस्ताव पुनः है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) तिरूवनंतपुरम हवाई अड्डे से खाड़ी देशों के लिए अतिरिक्त उड़ानें चालू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) तिरूवनंतपुरम-दुबई, आबुधाबी और मस्कट के लिए उड़ानें बंद नहीं की गई हैं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) तिरूवनंतपुरम से खाड़ी देशों के लिए वर्तमान विमान सेवा प्रचालन, वर्तमान यातायात आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त है।

बाल श्रम प्रथा के उन्मूलन हेतु अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की धनराशि

3980. श्री बी.एल. शर्मा "प्रेम" : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को यह बताया है कि इसे बाल श्रम प्रथा के उन्मूलन जैसे कार्यक्रमों के लिए संगठन की धनराशि की आवश्यकता नहीं होगी;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के निर्णय लेने संबंधी मानदंड क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान परियोजनावार अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग). अ.श्र.सं. के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के भाग के रूप में, भारत 1992 से अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम (आइपैक) में सहभागी रहा है। दो वर्षों, 1992-93 और 1994-95 के लिए आइपैक के अधीन भारत के लिए आबंटन 3.65 मिलियन अमरीकी डालर था। वर्ष 1996 के लिए आबंटन 0.5 मिलियन अमरीकी डालर है।

इसके अतिरिक्त, बाल श्रम समस्या को सुलझाने के सरकार के प्रयासों को एक अन्य अं.श्र.सं. परियोजना द्वारा सहायता प्रदान की गई जिसका नाम है, बाल श्रम कार्रवाई और सहयोग कार्यक्रम (कनाग्र) वर्ष 1992-95 के लिए परियोजना के अधीन आबंटन 0.83 मिलियन अमरीकी डालर था।

भारत ने सन् 1995 में अं.श्र.सं. को संसूचित किया था कि वह बाल श्रम को समाप्त करने के लिए बाहरी सहायता नहीं लेगा और विशिष्ट अं.श्र.सं. द्वारा सामना की जा रही बजटीय कठिनाइयों को देखते हुए इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए अपने स्वयं के संसाधन पर निर्भर रहना श्रेयस्कर समझता है। आगे यह संसूचित किया गया कि भारत में अं.श्र.सं. की विद्यमान अनुमोदित परियोजनाएं अपनी पूरी कार्यान्वयन अवधि को पूरा करेंगी। क्लास्प ने पहले ही अपनी सामान्य कार्यान्वयन की अवधि पूरी कर ली है। समझौता के ज्ञापन के अनुसार आइपैक दिसम्बर, 1996 तक कार्य करता रहेगा।

एयर इंडिया और इसके सहयोगी

3981. श्री सनत कुमार मंडल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 8 अक्तूबर, 1996 के "हिन्दू-बिजैनस लाइन" में प्रकाशित समाचार शीर्षक "एयर-इंडिया एण्ड एलाइन्सिस इट इज ए डाल फाइट, एण्ड दे मूव इन पैक्स" की ओर आकर्षित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) ऐसे समझौतों का भारत के राष्ट्रीय विमान वाहक के समान विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

नागर विमानन मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). जी, हां। अनेक विमानकंपनियां अपने मार्किट शेयर में वृद्धि करने हेतु परस्पर सहयोग के समझौते कर रही हैं।

(ग) और (घ). स्थिति से निपटने के लिए, एअर इंडिया भी यूरोपीय, अमेरिकी तथा दक्षिण पूर्व एशियाई वाहकों के सहयोग से अपने कोड-शेयर प्रचालनों का विस्तार करने की संभाव्यता का लगातार पता लगा रही है। स्कैंडिनेवियन एयरलाइन सिस्टम, यूनाइटेड एयरलाइन्स, कुवैत एयरलाइन्स, मलेशियन एयरलाइन्स, गल्फ एयर तथा एयर मारीशस के साथ इस प्रकार के कोड-शेयर/संयुक्त उद्यम प्रबंध-व्यवस्थाएं पहले से ही प्रचालन में हैं।

बोकारो इस्पात संयंत्र के विमान की दुर्घटना

3982. प्रो. रीता वर्मा : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995 और 1996 के दौरान अभी तक बोकारो इस्पात संयंत्र के कितने विमान नष्ट हुए;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान हुई प्रत्येक दुर्घटना के क्या कारण थे और प्रत्येक दुर्घटना में कितनी क्षति हुई;

(ग) इस सम्बन्ध में की गयी जांच का ब्यौरा क्या है और दोषी पाये गये व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने हेतु क्या उपाय किये गये हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य) : (क) से (ख). बोकारो इस्पात संयंत्र (बी एस एल) के पास केवल एक ही विमान है। वर्ष 1995 और 1996 के दौरान इसकी केवल एक भूमि दुर्घटना हुई थी और यह क्षतिग्रस्त हो गया था। यह भूमि दुर्घटना 1996 में हुई थी। यह दुर्घटना उस समय हुई जब भूमि पर ब्रेकों की दक्षता की जांच की जा रही थी। इंजन के निरीक्षण प्रभारों को छोड़कर मरम्मत की वास्तविक लागत 22,19,641 रु. है। इंजन के निरीक्षण प्रभार ओवरहालिंग एजेंसी अर्थात मैसर्स प्रैट एण्ड व्हाइटने, कनाडा द्वारा निरीक्षण करने के पश्चात उपलब्ध हो सकेंगे। चूंकि विमान बीमाकृत है इसलिए बीमा कम्पनी में आवश्यक दावा किया गया है।

(ग) नागर विमानन महानिदेशालय (डी जी सी ए) द्वारा जांच की गई है। संबंधित इंजीनियर को भविष्य में और अधिक सावधान रहने के लिए चेतावनी दी गई है और भविष्य में विमान को टैक्सी न करने की सलाह दी गई है।

(घ) भविष्य में पुनरावृत्ति से बचने के लिए बी एस एल द्वारा संबंधित इंजीनियर को विमान को टैक्सी न करने का निदेश दिया गया है।

यात्री रेलगाड़ी का शुरू करने में विलम्ब

3983. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आधारभूत ढांचा उपलब्ध होने के बावजूद खड़गपुर से बर्द्धमान और सियालदाह, नैनीताल से हावड़ा, बंडेल से सेड्डा, पुरूलिया से बर्द्धमान और चित्तरंजन से बर्द्धमान/आसनसोल तक यात्री रेलगाड़ी शुरू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या दैनिक यात्रियों की कठिनाई को दूर करने हेतु अतिरिक्त आधारभूत ढांचे के निर्माण हेतु अतिरिक्त निवेश किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) खड़गपुर-सियालदाह/बर्द्धमान खंड पर यात्री सेवाएं आरंभ करना फिलहाल व्यवहार्य नहीं है क्योंकि अदुंल लिंक के रास्ते यह मार्ग यात्री गाड़ी परिचालन के लिए उपयुक्त नहीं है। बंडेल के रास्ते नैहाटी से हावड़ा तक रेल सेवा आरंभ करने में बंडेल में रिवर्सल की समस्या है। नैहाटी से हावड़ा जाने वाले यात्रियों को बंडेल में गाड़ी बदलनी होगी। बंडेल पहले से ही सियालदाह से चार जोड़ी गाड़ियों के द्वारा

जुड़ा हुआ है। इसके अलावा बंडेल से सियालदाह जाने वाले यात्री नैहाटी में रेल गाड़ी बदल सकते हैं। गाड़ी बदलने के लिए पुरूलिया-बर्द्धमान के बीच यात्री सेवा के संबंध में आसनसोल में सुविधाजनक मेल देने वाली गाड़ी सेवाएं उपलब्ध हैं। फिलहाल, पुरूलिया और बर्द्धमान के बीच, पुरूलिया पर अनुरक्षण सुविधाओं की अनुपलब्धता सहित परिचालन तथा संसाधन तंगी के कारण सीधी रेल सेवा चलाना व्यवहार्य नहीं है। चितरंजन-आसनसोल खंड, फिलहाल, चितरंजन और बर्द्धवान को जोड़ने वाली सीधी गाड़ी सेवाओं के अलावा डीजल पुंश-पुल तथा अन्य रेलसेवाओं द्वारा सेवित है।

(ख) और (ग). खडगपुर और सियालदाह के बीच ई.एम.यू. रेल सेवा आरंभ करने के लिए एक टोह इंजी. एवं यातायात सर्वेक्षण आरंभ किया गया है और सर्वेक्षण पूरा हो जाने के पश्चात ही व्यवहार्य तथा उचित निवेश किया जा सकता हैं।

[हिन्दी]

नगरपालिका निकायों को वित्तीय सहायता

3984. श्री भगवान शंकर रावत : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आगरा और फतेहपुर सीकरी के नगरपालिका निकायों को उनकी मांग के अनुरूप वित्तीय सहायता उपलब्ध न कराने के कारण पर्यटकों, अन्य नागरिकों एवं संस्थाओं ने पर्यटन स्थलों एवं उन अन्य स्थानों, जहां पर्यटक ठहरते हैं, पर गंदगी तथा निम्न स्तरीय सुविधाओं के बारे में शिकायतें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लोक हित याचिकाओं पर सुनवाई के समय उच्चतम न्यायालय ने भी कुछ सिफारिशें की हैं और इस संबंध में चिन्ता व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में सरकार के विचाराधीन कोई समय-बद्ध उपचारात्मक कार्ययोजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कब तक कार्य शुरू होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख). पर्यटन विभाग, नगरपालिका निकायों को अनुरक्षण, सफाई तथा अन्य रख-रखाव हेतु वित्तीय सहायता नहीं देता है। तथापि, राज्य सरकारों को, पर्यटन आधारभूत परियोजनाओं के लिए उनके गुणावगुणों, पारस्परिक प्राथमिकता तथा धन की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) से (च). उत्तर प्रदेश राज्य सरकार तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सूचना इकट्ठी की जा रही है।

[अनुवाद]

केबिन में निर्धारित से अधिक व्यक्तियों का प्रवेश

3985. श्री उत्तम सिंह पवार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम श्रेणी कम्पार्टमेंट का परिचारी आरक्षण-सहित-यात्रा कर रहे, टिकट धारी चार सदस्यों वाले परिवार को केबिन में अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिये बाध्य कर सकता है; और

(ख) यदि हां, तो परिचारी केबिन/कूपे में दिन के समय में और रात्रि के दौरान कितने व्यक्तियों को बिठा सकता है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). प्रथम श्रेणी के सवारी डिब्बे में चार शायिका वाले केबिन में रात्रि के दौरान अर्थात् 21.00 बजे से 6 बजे तक चार यात्रियों, जिनका आरक्षण होता है, को यात्रा करने की अनुमति दी जाती है। इसमें दिन के दौरान 6 यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति है। दो शायिका वाले कूपे में रात्रि में दो और दिन में तीन व्यक्तियों को यात्रा करने की अनुमति है।

तीर्थयात्री मामलों के लिए पृथक मंत्रालय का सृजन

3986. श्री राम नाईक : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पवित्र स्थलों पर धार्मिक, माहौल, सौन्दर्य और सुविधाओं के अनुरक्षण और भक्तों के कल्याण कार्यों की देखभाल के लिए तीर्थयात्री मामलों का पृथक मंत्रालय सृजित करने के लिए लोगों की भारी मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि तीर्थयात्रा को पर्यटन से अलग करने की मांग है क्योंकि खराब मौसम में दुर्गम स्थलों तक पर्वतारोहण करने वाले तीर्थयात्रियों की तुलना पर्यटकों के साथ नहीं की जानी चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) जी, नहीं। भारत सरकार के पर्यटन विभाग को जनता की इस प्रकार की मांग की जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

रेल लाइन की यातायात क्षमता संबंधी सर्वेक्षण

3987. श्रीमती मीरा कुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर जंक्शन में मिलने वाली आठों सेक्शन की रेल लाइनों के सम्बन्ध में प्रत्येक का दैनिक यातायात सर्वेक्षण करा लिया गया है ताकि द्रुत परिवहन व्यवस्था को लागू किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कम से कम कानपुर-लखनऊ, कानपुर-फतेहपुर और कानपुर-घाटमपुर के बीच द्रुत परिवहन व्यवस्था लागू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मिनरल जल की अतिरिक्त बोतलों का प्रावधान

3988. श्री रामचन्द मुर्मू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी राजधानी एक्सप्रैस के यात्रियों को मिनरल जल की अतिरिक्त बोतल उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इसे न्यायसंगत माना है कि सम्पूर्ण यात्रा के दौरान जल की एक बोतल पर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकारी डिब्बे के वाटर-कूलरों को पुन:स्थापित किए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). जी नहीं। प्रत्येक यात्री के लिए 1000 मि.ली. पानी की केवल एक बोतल अनुमेय है और अतिरिक्त पानी की बोतल भुगतान करने पर दी जाती है। मिनरल पानी की बोतलें मार्ग में विभिन्न स्टेशनों पर और गाड़ियों में बिक्री के लिए उपलब्ध की जाती है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली-ग्वालियर रेल लाइन के दोहरीकरण कार्य की प्रगति

3989. श्री अशोक अर्गल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली-आगरा-धौलपुर-मुरैना-ग्वालियर रेल लाइन के दोहरीकरण के संबंध में क्या प्रगति की गयी है;

(ख) क्या यह सच है कि धौलपुर-मुरैना सेक्शन पर गैर-सरकारी ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) दोहरे लाइन हेतु चम्बल नदी पर रेल पुल के निर्माण कार्य का कितना प्रतिशत पूरा किया जा चुका है;

(ङ) क्या उक्त लाइन पर दोहरीकरण का निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के अनुसार पूरा कर लिया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो उक्त लाइन के दोहरीकरण कार्य को कब तक पूरा कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) हेतामपुर और घेर के बीच चम्बल पुल का भाग जहां दोहरीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है, को छोड़कर दिल्ली और ग्वालियर के बीच का सम्पूर्ण मार्ग दोहरीकृत है।

(ख) केवल पुल के दिल्ली छोर पर मिट्टी संबंधी कार्य की प्रगति धीमी है।

(ग) ठेकेदारों को दिया गया मिट्टी संबंधी कार्य को करने का ठेका रद्द कर दिया गया है और जोखिम और लागत के आधार पर नयी निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

(घ) समग्र प्रगति 23 प्रतिशत है।

(ङ) और (च). 15 ठीक बुनियादों में से 8 पर पहले कार्य प्रारंभ हो गया है और काफी कार्य पूरा हो गया है और शेष 7 ठीक बुनियादों पर चालू वर्ष के दौरान कार्य शुरू किया जाएगा।

(छ) मार्च 1999 तक सम्पूर्ण कार्य पूरा होने की संभावना है।

[हिन्दी]

पार्सल और सामान की बुकिंग पर रोक

3990. श्री किशन लाल दिलेर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली से हाथरस फोर्ट के लिए पार्सल और सामान की बुकिंग पर रोक लगाए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या हाथरस शहर में हाथरस फोर्ट रेलवे स्टेशन द्वारा कोई रेलवे बुकिंग एजेंसी खोली गई है और क्या इस एजेंसी के कार्यकलापों में अनियमितताओं के बारे में तथा रेल कर्मचारियों की मिली भगत से आम आदमी को सुविधाएं प्रदान न किए जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) हाथरस क्षेत्र में पार्सल यातायात को युक्तिसंगत बनाने के लिए, हाथरस किला स्टेशन को, पार्सलों की बुकिंग अस्थायी तौर से बंद किए जाने की विनिश्चय किया गया है। बहरहाल, वैयक्तिक और व्यापारिक सामानों को इस स्टेशन को बुक किए जाने की अनुमति है। पार्सल यातायात हाथरस जं. को बुक किया जाता है जोकि हाथरस किला से मुश्किल से 9 कि.मी. की दूरी पर है।

(ख) से (घ). हाथरस सिटी में रेल द्वारा नियुक्त एक एजेंट द्वारा सिटी बुकिंग एजेंसी चलाई जा रही है। रेल को जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनकी जांच की गई है और एजेंसी पर जुर्माना करने सहित उपयुक्त कार्रवाई की गई है।

[अनुवाद]

कार्यक्रमों में अश्लीलता

3991. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में निर्बाध रूप से अश्लीलता का प्रदर्शन किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार भारतीय दंड संहिता तथा महिला प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम 1986 तथा अन्य संबंधित अधिनियमों में संशोधन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कब तक इसमें संशोधन किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). कानूनों की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं से संबंधित ऐसे विभिन्न कानूनों की जांच करने का अधिकार प्राप्त है जो महिलाओं को सांविधिक तथा विधायी सुरक्षोपाय प्रदान करते हैं, आयोग की सिफारिशों को संबंधित विभागों/मंत्रालयों को भेजा जाता है। वर्तमान में, मानव संसाधन मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) संबंधित विभागों/मंत्रालयों के परामर्श से "स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986" नामक विधान की पुनरीक्षा कर रहा है। इस प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है।

सुपर कंडक्टिव ट्रेक संबंधी परीक्षण

3992. प्रो. पी.जे. कुरियन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सुपर कंडक्टिव ट्रेक संबंधी कोई परीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार के परीक्षण अन्य देशों में भी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के शेयर

3993. श्री मोहन रावले : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने बाजार में अपने शेयर जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को भी ये शेयर दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). सरकार द्वारा महानगर टेलीफोन निगम लि. के धारित शेयरों पर 3 खेपों (ट्रैंच) में 34.27 प्रतिशत की सीमा तक अविनिवेश किया गया।

अविनिवेश का महीना/वर्ष	अविनिवेशित शेयरों की संख्या	प्रतिशत
फरवरी, 1992	120000000	20.00%
मार्च/अप्रैल, 1994	76935300	12.82%
अक्तूबर, 1995	8685660	1.45%
	205620960	34.27%

महानगर टेलीफोन निगम द्वारा कोई नए शेयर जारी नहीं किए गए थे।

(ग) से (ङ). जी नहीं, चूंकि महानगर टेलीफोन निगम लि. के कर्मचारियों को भारत सरकार के दूरसंचार विभाग से प्रतिनियुक्ति पर माना गया है, अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए यह व्यवहार्य नहीं पाया गया था।

[हिन्दी]

बिहार में स्फटिक के भंडार

3994. श्री एन.चे. राठवा : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में लोहरदगा के निकट स्फटिक (क्वार्ट्ज) के भंडार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कलकत्ता और उड़ीसा के व्यापारी उक्त खनिज को ग्रामीणों से भारी मात्रा में अवैध रूप से खरीद कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख). लोहारदगा सहित दक्षिण बिहार के हार्ड रॉक क्षेत्र में क्वार्टज (स्फटीक) का होना भूवैज्ञानिक रूप से संभव है। तथापि, कम मूल्य के खनिज होने के कारण भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इस क्षेत्र में क्वार्टज के भंडारों का कोई व्यवस्थित अनुमान नहीं लगाया है।

(ग) और (घ). भारत सरकार को ग्रामीणों से खनिज की ऐसी अवैध खरीद के बारे में कोई जानकारी नहीं है। चूंकि यह विषय राज्य का है इसलिए बिहार सरकार ने लोहारदगा के जिला प्रशासन को निगरानी रखने और जहां कहीं भी ऐसी अवैध गतिविधियां देखी जाए वहां उपयुक्त कानूनी कार्रवाई करने का निदेश दिया है।

अलीगढ़ में बाल श्रमिक

3995. श्री चिन्तामन वानगा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ के ताला उद्योग में बहुत से बाल श्रमिक कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ताला उद्योग में कितने बाल मजदूर कार्यरत हैं और उनकी औसत आयु, कार्य घण्टों और मासिक आय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का उनके कल्याण के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश विकास प्रणाली निगम लिमिटेड (उ.प्र. डेस्को) द्वारा कराये गए नमूना सर्वेक्षण के अनुसार अलीगढ़ ताला उद्योग में लगभग 15,000 बच्चे कार्य कर रहे हैं। ये बच्चे एक दिन में औसतन 8-10 घन्टे कार्य करते हैं और इनकी प्रति व्यक्ति मासिक आय 254.15 रु. है। इस नमूना सर्वेक्षण के अनुसार इन कामकाजी बच्चों में 70.70 प्रतिशत 11-14 आयु समूह के हैं।

(घ) ताला उद्योग अलीगढ़ सहित जोखिमकारी व्यवसायों से हटाए गए बच्चों के पुनर्वासन और उन्हें विशेष विद्यालयों में दाखिला दिलाने, जहां उन्हें अनौपचारिक शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, स्वास्थ्य जांच और वजीफा प्रदान किया जाता है, के उद्देश्य से 1987 में एक राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना शुरू की गई थी। अब तक अलीगढ़ बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत 2500 बच्चों के पुनर्वासन के लिए 30 विशेष विद्यालयों की संस्वीकृति की गयी है। बाल श्रम के बुराइयों के विरूद्ध सर्वेक्षण और जागरूकता सृजन कराने के लिए भी निधियों की संस्वीकृति की गई है।

[अनुवाद]

पंजाब मेल में बोगियां हटाया जाना

3996. श्री सुशील चन्द्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली से भोपाल होते हुए मुम्बई जाने वाली पंजाब मेल से एक प्रथम श्रेणी का डिब्बा हटाकर उसके स्थान पर वातानुकूलित थ्री टायर का डिब्बा लगा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो सीटों के आरक्षण के मामले में इस परिवर्तन से पूर्व भोपाल का आरक्षण कोटा कितना था;

(ग) मुम्बई और नई दिल्ली तक यात्रा के लिए सीटों के आरक्षण के मामले में भोपाल का वर्तमान कोटा कितना है;

(घ) क्या भोपाल का आरक्षण कोटा कम किया गया है अथवा इसे समाप्त कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे कब पुनः आरम्भ किया जायेगा अथवा सीटों की संख्या को बढ़ाया जायेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) बंबई के लिए 1038 पंजाब मेल में 12 शायिकाओं और फिरोजपुर के लिए 1037 पंजाब मेल में 2 शायिकाओं का आरक्षण कोटा उपलब्ध था।

(ग) से (ङ). 1038 पंजाब मेल में भोपाल से प्रथम श्रेणी में पहले उपलब्ध 12 शायिकाओं का कोटा वा.कु. 3 टियर में बहाल करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। 1037 पंजाब मेल में भोपाल के लिए 6.11.96 से वा.कु. 3 टियर में 4 शायिकाओं के आरक्षण कोटे का आबंटन पहले ही कर दिया गया है।

रेलवे द्वारा आयात पर खर्च की गई धनराशि

3997. श्री पी.आर. दासमुंशी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवां पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान तथा वर्ष 1994-95, 995-96 और 1996-97 में 31 अक्तूबर, 96 तक पटरी नवीनीकरण सामग्रियों सहित चल स्टाक तथा अन्य उपस्करों के आयात पर रेलवे ने कुल कितनी धनराशि व्यय की है;

(ख) क्या सरकार ने "सेल" के उत्पादन की उपेक्षा करके "ब्रिटिश रेल" की भारी मात्रा में आयात किया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या "ब्रिटिश रेल" को जहां बिछाया गया है वहां उनमें दरारें पड़ गई हैं, जिससे सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेलवे का पुनर्गठन

3998. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रकाश टंडन समिति ने रेलवे का पुनर्गठन किए जाने की संस्तुति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). भारतीय रेल की संगठनात्मक व्यवस्था तथा प्रबंधन प्रणाली का अध्ययन करने के लिए श्री प्रकाश टंडन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और मार्च 1994 में समिति ने सिफारिशें प्रस्तुत की थी। समिति की सिफारिशों में आधुनिक वित्तीय सूचना प्रणाली, उपभोक्ता को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय केंद्रित एप्रोच के विकास, निवेश योजना प्रणाली में सुधार, मानव संसाधन के विकास तथा संगठनात्मक पुनर्गठन के क्षेत्र शामिल हैं।

(ग) समिति की वैचारिक प्रकृति की रपट में विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयनता पर विचार करने के लिए विभिन्न समितियों/कार्यबलों के गठन का सुझाव दिया गया था। रेल मंत्रालय ने निम्नानुसार विभिन्न समितियों/कार्यबलों का गठन किया है :-

I. लागत तथा लाभ केंद्रों की पहचान

II. वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली का आधुनिकीकरण

भारतीय रेल पर लागत तथा लाभ केंद्रों की पहचान, लेखा प्रणाली के विकास तथा वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली के आधुनिकीकरण की पहचान के लिए 30.8.94 को गठित हसन इकबाल समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 15.4.96 को प्रस्तुत कर दी थी। बोर्ड ने विनिश्चिय किया है कि सिफारिशों को परिचय रेल पर पायलट परियोजना के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा।

III. पूंजी पुनर्संरचना

भारतीय रेल पर मूल उद्देश्यों को पूरा करने के लिए रेल वित्त को अलग करने की नये सिरे से गहन समीक्षा तथा पूंजी संरचना की समीक्षा के लिए 2.5.94 को गठित ए.वी. पौलस समिति ने 30.4.96 को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट में प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :-

(1) भारतीय रेल के निए एक चार्टर जिनके अंतर्गत विशेषकर रेल की भूमिका, इनके वित्तीय लक्ष्य, निवेश नीति, मूल्य सिद्धांत, शक्तियों के प्रत्यायोजन तथा स्वायत्तता और संसदीय नियंत्रण की नीति संबंधी पहलुओं पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

(2) निवेश समर्थन का कुल आहरण नहीं हो सकता जिसे राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत तत्काल प्रतिफल न देने वाली परियोजनाएं आरंभ करने के लिए चालू रखना होगा। यह पूंजी लाभांश मुक्त होनी चाहिए।

(3) रेलवे मूल्यह्रास आरक्षित निधि के अंतर्गत शेष निधि केवल नवीकरण तथा परिसंपत्तियों के बदलाव के लिए होनी चाहिए तथा निधि योजना सीमा या वित्त मंत्रालय के नियंत्रण के बिना केवल रेलवे के अधिकार क्षेत्र में होनी चाहिए।

(4) महानगर परिवहन परियोजना को भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची (समवर्ती सूची) की सूची-2 में सम्मिलित करके यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि राज्य सरकार भी इस प्रकार के यातायात के लिए उत्तरदायी हैं।

IV. कम्प्यूटर पर दीर्घ सूत्री निर्णय अनुलम्बन प्रणाली परियोजना का विकास विश्व बैंक की सहायता से गठित कार्यदल

साफ्टवेयर पर आधारित निवेश योजना माडल के विकास में एलआरडीएसएस ने विचारार्थ विषय और उपलब्ध संसाधनों में उल्लेखनीय प्रगति की है। आज तक, एलआरडीएसएस ने माल भाड़ा पूर्वानुमान माडल पूरा कर लिया है तथा वर्ष 2000-01 के लिए मालभाड़े का पूर्वानुमान लगा दिया है। एलआरडीएसएस टीम ने 2000-01 में उन खण्डों की, जहां कठिनाई उत्पन्न होने की संभावना है, पहचान कर ली है। रेलवे बोर्ड ने, हुई प्रगति के आधार पर, आधारित निवेश नियोजना तथा रेल जालतंत्र की क्षमता में वृद्धि के लिए एलआरडीएसएस के पूर्ण विकास के लिए अनुमोदन दे दिया है।

१. विभिन्न सेवाओं का एकीकरण

एक कामन कैडर में विभिन्न रेल सेवाओं के एकीकरण की जांच के लिए 15.4.94 को गठित गुप्ता-नारायण समिति ने अक्तूबर, 1995 में अपनी पैरा-2 रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-

(क) समिति ने यह सिफारिश की है कि सभी रेल सेवाओं का एक में विलय न तो व्यवहार्य है और न ही संगठन के सर्वाधिक हित में है। उन्होंने निम्नलिखित का सुझाव दिया है :-

(1) आईआरएसएसई तथा आईआरएसईई का एक में विलय किया जाना चाहिए;

(2) मंडलीय स्तरों पर सभी परिवहन तथा वाणिज्यिक पदों (कनिष्ठ वेतनमान पदों के अलावा) को संयुक्त यातायात पद में परिवर्तित किया जाए;

(3) एक संघटित अन्तःवरिष्ठता सूची तैयार की जानी चाहिए तथा समिति द्वारा सिफारिश किए अन्य कई उपायों को अंतःकार्मिक सेवा में सुधार के लिए लागू किया जाना चाहिए।

(ख) समिति ने यह सिफारिश की है कि अध्यक्ष रेलवे बोर्ड द्वारा किसी विभागीय पद को न देखे जाने वाली प्रणाली का पुनः आरम्भ किया जाय।

(ग) समिति ने भर्ती के समय शैक्षणिक अर्हताओं में कोई भी परिवर्तन न करने का सुझाव दिया है परन्तु उसने विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों के लिए संबंधित क्षेत्रों में त्वरित पाठ्यक्रम सहित सेवा के दौरान अधिक प्रशिक्षण के लिए विभिन्न उपायों की सिफारिश की है।

(घ) महाप्रबंधक के पद के लिए पैनल बनाने हेतु 56 वर्ष की आयु सीमा को घटाकर 55 वर्ष किया जाए।

(ङ) समूह "ख" में कार्यरत विभागीय उम्मीदवारों तथा इंजी. सेवा परीक्षा तथा सिविल सेवा परीक्षा के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 35 वर्ष तक बढा दी जाए।

[हिन्दी]

खाड़ी युद्ध के दौरान रद्द की गई गाड़ियां

3999. श्री ब्रजमोहन राम : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी युद्ध के दौरान रद्द की गई गाड़ियों के नाम क्या हैं;

(ख) इनमें से कौन-कौन सी गाड़ियां पुनः आरंभ कर दी गयी हैं; और

(ग) हटिया-वाराणसी गाड़ी को न चलाए जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) ये सभी गाड़ियां पुनः शुरू कर दी गई हैं।

(ग) हटिया-वाराणसी एक्सप्रेस को 25.1.91 को रद्द किया गया था और 30.4.91 को पुनः शुरू कर दिया गया था। बहरहाल, कम लोकप्रिय होने के कारण इसे बाद में 1.7.91 से रद्द करना पड़ा था।

विवरण

(क) खाड़ी युद्ध के दौरान रद्द की गई गाड़ियों की सूची :-

1.	3133/3134	सियालदाह-मुगलसराय एक्सप्रेस
2.	4047/4048	दिल्ली-बालामऊ एक्सप्रेस
3.	8631/8632	हटिया-वाराणसी एक्सप्रेस
4.	4265/4266	देहरादून-वाराणसी एक्सप्रेस
5.	7339/7340	दादर-नागपुर एक्सप्रेस
6.	1269/1270	भोपाल-राजकोट एक्सप्रेस (राजकोट उज्जैन खंड पर)
7.	2853/2854	दुर्ग-भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस
8.	9809/9810	अहमदाबाद भावनगर एक्सप्रेस
9.	5717/5718	कटिहार-गुवाहाटी दोआर एक्सप्रेस
10.	3039/3040	हावड़ा-दिल्ली एक्सप्रेस (हावड़ा-मुगलसराय खंड पर)
11.	3283/3284	भिवानी-दानापुर गंगा-यमुना एक्सप्रेस
12.	3213/3214	भिवानी-दानापुर गंगा-यमुना एक्सप्रेस
13.	3049/3050	अमृतसर-हावड़ा एक्सप्रेस
14.	9903/9904	अहमदाबाद-दिल्ली एक्सप्रेस
15.	6511/6512	मद्रास दादर एक्सप्रेस
16.	1057/1058	दादर-अमृतसर एक्सप्रेस
17.	4309/4310	देहरादून-उज्जैनी एक्सप्रेस
18.	2473/2474	दिल्ली-मुजफ्फरपुर शहीद एक्सप्रेस
19.	2449/2450	दिल्ली-मुजफ्फरपुर सरयू-यमुना एक्सप्रेस
20.	7489/7490	कोच्चिन-वाराणसी एक्सप्रेस
21.	7491/7492	तिरूपति-वाराणसी एक्सप्रेस
22.	8089/8090	तिरूपति हावड़ा एक्सप्रेस (हावड़ा विजयवाड़ा खंड पर)
23.	6093/6094	मद्रास लखनऊ एक्सप्रेस
24.	6017/6018	कन्याकुमारी जम्मूतवी हिमसागर एक्सप्रेस
25.	6687/6688	जम्मूतवी-मंगलोर नवयुग एक्सप्रेस
26.	5045/5046	अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस

27.	5045/4056	कोच्चिन-गोरखपुर एक्सप्रेस
28.	7081/7082	कोच्चिन-इन्दौर एक्सप्रेस
29.	5089/5090	गोरखपुर-हैदराबाद एक्सप्रेस
30.	6365/6366	त्रिच्यी-कोच्चिन एक्सप्रेस
31.	3035/3036	हावड़ा-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस
32.	2159/2160	हावड़ा ग्वालियर चम्बल एक्सप्रेस
33.	2181/2182	हावड़ा-आगरा एक्सप्रेस
34.	2161/2162	दादर-आगरा लश्कर एक्सप्रेस
35.	1171/1172	हावड़ा-इन्दौर शिप्रा एक्सप्रेस
36.	2537/2538	गुवाहाटी-हावड़ा एक्सप्रेस
37.	4245/4246	सूरत-वाराणसी ताप्ती गंगा एक्सप्रेस
38.	4247/4248	बड़ोदरा-ओखा एक्सप्रेस
39.	4647/4648	दिल्ली-अमृतसर फ्लाइंग मेल
40.	6591/6592	बंगलोर-हॉस्पेट एक्सप्रेस
41.	6307/6308	एर्णाकुलम-कण्णौर एक्सप्रेस
42.	6179/6180	मद्रास-तिरूनालवली एक्सप्रेस
43.	6799/6800	मद्रास-रामेश्वरम एक्सप्रेस(मदुरै-रामेश्वरम खंड पर)
44.	7021/7022 और 8651/8652	निजामुद्दीन-सिकन्दराबाद/विशाखापत्तनम दक्षिण/लिंक एक्सप्रेस
45.	9017/9018	बम्बई-हापा एक्सप्रेस
46.	329/330	पुणे-हैदराबाद पैसेंजर

[अनुवाद]

मुफ्त शिक्षा

4000. श्री तरित वरण तोपदार : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन.जे.सी.एस. समझौते के तहत भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अन्तर्गत आने वाले इस्पात संयंत्रों के प्रबंधनों को कर्मचारियों के बच्चों को दसवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करानी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बोकारो स्टील सिटी में एसे कितने स्कूल चल रहे हैं?

इस्पात मंत्री और खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) जी, हां।

(ख) "सेल" के संयंत्रों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में कर्मचारियों के बच्चों को मैट्रिक तक निःशुल्क शिक्षा देने के लिए 30.7.1975 को नई दिल्ली में एन.जे.सी.एस. स्तर पर हुए समझौते करार में प्रावधान किया गया था।

यह सुविधा अब भी जारी है क्योंकि एन.जे.सी.एस. स्तर पर बाद में हुए समझौता करारों में यह शामिल है।

(ग) बोकारो स्टील संयंत्र में चलाए जा रहे इस प्रकार के स्कूलों की संख्या नीचे दी गई है :—

स्कूल का स्तर	स्कूलों की संख्या
माध्यमिक स्तर के स्कूल	15
उच्चतर स्तर के स्कूल	4

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची

4001. डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची में जिलावार कितने आवेदक हैं; और

(ख) कब तक प्रतीक्षा सूची को निपटा दिया जाएगा?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 30.11.96 की स्थिति के अनुसार, मध्य प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) 1996-97 के दौरान, मध्य प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य, 45,000 लाइनों का है, जिनमें से 30.11.96 तक 20,378 लाइनें प्रदान की जा चुकी हैं। दिनांक 31.3.97 तक लगभग 25,000 और लाइनें प्रदान किए जाने की संभावना है। वर्ष 1997-98 के दौरान शेष प्रतीक्षा सूची को निपटा दिया जाएगा।

विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	30.11.96 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	भोपाल	8024
2.	सिहोर	640
3.	जबलपुर	5503
4.	खुरगौन	419

1	2	3
5.	मंदसौर	926
6.	झाबुआ	337
7.	रतलाम	1649
8.	दतिया	379
9.	ग्वालियर	1995
10.	भिंड	582
11.	मुरैना	648
12.	इंदौर	5046
13.	धार	613
14.	उज्जैन	2068
15.	देवास	958
16.	रायपुर	2989
17.	दुर्ग	7483
18.	राजनंद गांव	1032
19.	जगदलपुर	1392
20.	होशंगाबाद	1895
21.	खंडवा	1357
22.	बेतुल	1358
23.	छिंदवाड़ा	988
24.	बालाघाट	294
25.	मांडला	90
26.	नरसिंहपुर	760
27.	सिवनी	160
28.	सागर	1206
29.	बिलासपुर	6102
30.	रायगढ़	632
31.	रीवा	1132
32.	सिद्धि	484
33.	पन्ना	196
34.	सतना	1503
35.	सरगुजा	1213
36.	शहडोल	1199
37.	छतरपुर	586
38.	दमोह	241
39.	टीकमगढ़	99
40.	गुना	363
41.	राजगढ़	352
42.	शाजापुर	217
43.	शिवपुरी	543
44.	रायसेन	510
45.	विदिशा	426

[अनुवाद]

सवारी-डिब्बों की कमी

4002. श्री वसुदेव आचार्य :

डा. असीम बाला :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सवारी डिब्बों की कमी है तथा दोषपूर्ण तथा पुराने सवारी डिब्बों के प्रयोग से यात्रियों तथा कर्मचारियों के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सवारी डिब्बे बनाने हेतु किसी तीसरे विनिर्माण संयंत्र की स्थापना करने हेतु विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) निर्धारित गाड़ी सेवाओं की मात्र आवश्यकता को पूरा करने के लिए रेल सवारी डिब्बों की कोई कमी नहीं है। रेलें खराब कोचों का इस्तेमाल नहीं करती है। सभी कोचों का निर्धारित आवधिक अनुरक्षण होता है तथा प्रत्येक ट्रिप के बाद इनकी जांच की जाती है। किसी भी खराब कोच में यात्रियों को ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती है।

"ओवरएजड" शब्द से आशय सिद्धांत रूप से उपयोगी जीवन की समाप्ति से है और नियोजन के लिए प्रयोज्य है। जब कभी भी रेल डिब्बे अपने सिद्धांत रूप से उपयोगी जीवन की समाप्ति पर आ जाते हैं तब उनकी जांच की जाती है और उनकी स्थिति के आधार पर उन्हें हटा दिया जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) रेलवे की जरूरत को पूरा करने के लिए चालू निर्माण क्षमता पर्याप्त है।

रेलगाड़ियां चलाना

4003. श्री इन्नान मोल्लाह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हावड़ा-अम्ता-चम्पाधन्गा-शिमाखाला जाती समिति से हावड़ा-बड़गछिया सेक्शन में अधिक रेलगाड़ियां चलाने, रेलगाड़ियों की बारम्बारता में वृद्धि करने तथा सेवाओं में तेजी लाने हेतु दिनांक 2 जुलाई, 1996 का कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सेक्शन में और रेलगाड़ियां चलाई जानी हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). हावड़ा-बडगछिया खंड में गाड़ी सेवाओं के सुधार के संबंध में हावड़ा-आमटा-चंपा-ढांगा सेक्शन यात्री समिति से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ग) और (घ). हावड़ा-बडगछिया खंड पर अतिरिक्त हुए सेवाओं सहित अतिरिक्त गाड़ी सेवाएं शुरू करना एक सतत् प्रक्रिया है बशर्ते कि परिचालनिक व्यवहार्यता, संसाधनों की उपलब्धता और यातायात का औचित्य बनता हो। हावड़ा-बड़गछिया खंड में परिचालनिक दृष्टि से और संसाधनों की तंगियों के कारण नई सेवाएं शुरू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

रेलवे ट्राली पैसेन्जर

4004. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकोट मण्डल के पश्चिम रेलवे ट्राली पैसेन्जर बड़ी लाईन पर राजकोट से खम्पालिया तथा खम्पालिया से राजकोट के बीच चलती है और रात्रि 10.00 बजे खम्पालिया पहुंच कर आठ घंटे पश्चात् सुबह राजकोट के लिये रवाना होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या खम्पालिया पर आठ घंटे ट्राली पैसेन्जर को खड़ा करने से डीजल का दुरूपयोग होता है;

(ग) यदि हां, तो क्या जनता ने इसे खम्पालिया पर आठ घंटे खड़ा करने की बजाय विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल द्वारिका तक बढ़ाने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त ट्राली ट्रेन को द्वारिका तक कब तक बढ़ा दिया जायेगा;

(ङ) क्या सरकार को उपरोक्त ट्रेन को द्वारिका तक बढ़ाने के संबंध में संसद सदस्यों से अभ्यावेदन, ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की और उसके क्या परिणाम रहे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) राजकोट और खम्पालिया के बीच फिलहाल कोई रेल ट्राली पैसेंजर नहीं चल रही है। बहरहाल वीरमगाम और खम्पालिया के बीच 203/201 मिश्रित फास्ट पैसेंजर चल रही है जो खम्पालिया 22.00 बजे पहुंचती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ). 203/204 मिश्रित फास्ट पैसेंजर को द्वारका तक बढ़ाने की जांच की गई है लेकिन न तो परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक पाया गया है और न ही द्वारका में असुविधाजनक समय में पहुंचने के कारण इसे वांछनीय समझा गया है।

(ङ) से (छ). राजकोट-खम्पालिया ट्राली पैसेंजर को द्वारका तक बढ़ाने के लिए श्री चन्देश पटेल संसद सदस्य से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। 203/204 मिश्रित फास्ट पैसेंजर को द्वारका तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

रेल उपरि पुलों हेतु समझौता

4005. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने समपारों के स्थान पर ऊपरी पुलों के निर्माण के लिए निजी उद्यमियों के साथ समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विज्ञापनों/धारावाहिकों से दूरदर्शन/आकाशवाणी की आय

4006. श्रीमती लक्ष्मी पनवाका :
श्री दत्ता मेघे :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) आकाशवाणी और दूरदर्शन को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आज तक विज्ञापनों, धारावाहिकों और अन्य कार्यक्रमों से कितनी आय हुई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रथम रूप से कुल आय में से लाभ की राशि कितनी है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विज्ञापनों, धारावाहिकों तथा अन्य कार्यक्रमों से आकाशवाणी और दूरदर्शन को प्राप्त सकल राजस्व निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आकाशवाणी	दूरदर्शन
1993-94	64.35	372.98
1994-95	64.39	398.02
1995-96	80.97	430.13
1996-97	47.10 (अक्तूबर, 96 तक)	313.32 (नवम्बर, 96 तक)

(ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन वाणिज्यिक संगठन नहीं हैं और इसलिए किसी प्रकार के लाभ अर्जन का प्रश्न नहीं उठता।

कोंकण रेल निगम द्वारा किसानों की भूमि को क्षति

4007. श्री चर्चिल अलेमाओ : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण गोवा में काले गांव में कोंकण रेल निगम के ठेकेदारों द्वारा किसानों की भूमि को गंभीर क्षति पहुंचाये जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक इस संबंध में क्षतिपूर्ति के भुगतान के बारे में कोई याचिका मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्षतिपूर्ति का भुगतान कब तक कर दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) काले गांव से कोंकण रेलवे मार्ग का संरेखण नहीं गुजरता है।

(ख) से (ङ), प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों पर धारावाहिक

4008. श्री अशोक प्रधान : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनियों पर आधारित कोई धारावाहिक प्रसारित करने का है;

(ख) क्या सरकार को राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन और उपलब्धियों पर इस राज्य में स्थित चार बाहरी निर्माताओं से कमीशंड श्रेणी के अंतर्गत तेरह प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों पर कार्यवाही की जा रही है।

[अनुवाद]

केरल की प्रतीक्षा सूची

4009. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि केरल में "कन्नौर सैकण्डरी स्विचिंग" क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न दूरभाष केन्द्रों में हजारों प्रार्थी टेलीफोन की प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं;

(ख) यदि हां, तो टेलीफोन केन्द्रवार विवरण क्या है और प्रत्येक ऐसे केन्द्र में कितने प्रार्थी प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं; और

(ग) सरकार ने टेलीफोन केन्द्रों की क्षमता और अल्प समय में प्रतीक्षा सूची में दर्ज प्रार्थियों को टेलीफोन उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाये हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) 30.11.96 की स्थिति के अनुसार एक्सचेंजों तथा प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों से संबंधित संख्या के एक्सचेंज वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान, प्रतीक्षा सूची के कुछ भाग का निपटान करने हेतु एक्सचेंजों की स्विचिंग क्षमता का विस्तार करने तथा लगभग 20000 और टेलीफोन कनेक्शन जोड़े जाने का प्रस्ताव है। अगली योजना अवधि के दौरान शेष प्रतीक्षा सूची का उत्तरोत्तर रूप से निपटान कर दिया जाएगा।

विवरण

30.11.96 की स्थिति के अनुसार कन्नौर सेकेण्डरी स्विचिंग क्षेत्र में प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या के ब्यौरे

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	अर्यांकनम	358
2.	अलाकोड	613

1	2	3
3.	अम्बालाथारा	224
4.	अंजागकंडा	2000
5.	अगलम	410
6.	अट्टनगनम	414
7.	बांपाएम वलियपट्टोम I	1129
8.	बांपाएम वलियापट्टोम VII	0
9.	बल्लाल	211
10.	बंडाडका	225
11.	बंडाडका	395
12.	बामंडा	328
13.	सीएनएन-कन्नानोर VI	4414
14.	सीएनएन-कन्नानोर VII	0
15.	छप्पारापडावू	269
16.	चीमंनी	414
17.	चेम्परी	337
18.	चेंगाला	795
19.	चेरूकुन्नू	1483
20.	चेरूपुजा	534
21.	चेरूवंचेरी	184
22	चेरूवाथूर	1210
23.	चित्तारिकल	466
24.	चित्तारीपारम्बा	197
25.	दलमपाड़ा	119
26.	इडाक्कड	1206
27.	इट्टोकुलम	46
28.	इचोलनगांड	137
29.	इरीक्कूर	468
30.	इरोटी	990
31.	काडाचिरा	905
32.	काडीरूर	947
33.	कालीचनाडुक्कोम	193
34.	कन्हंगड	2813
35.	कनीयाला	110
36.	करीवेल्लूर	577
37.	कासरगांड़ VI	2931
38.	कासरगांड़ VII	0
39.	कट्टाथाकडा	458
40.	केलाकोम	680
41.	किलियनथारा	713
42.	कोलम्सेरी	1325
43.	कोलायड़	157
44.	कोलोलम	677
45.	कुथुपाराम्बा	647
46.	कोट्टोयूर	231
47.	कुडियनमाला	250
48.	कुम्बाला	726
49.	कुनहोमंगलम	334
50.	कुट्टोकोल	258
51.	माहे	2038
52.	मेपपाड़ा	129
53.	मलोथ	374
54.	मलूर	466
55.	मतग्राम	1170
56.	मानक्काडाकू	475
57.	मंगट्टूपारंबा	971
58.	मंजश्वर	670
59.	माथामंगलम	646
60.	माथिल	355
61.	मट्टानूर	1472
62.	मट्टूल	795
63.	मायील	630
64.	मुलियार	384
65.	मुल्लेरिया	486
66.	मुंडेरो	624
67.	नार्डुविल	32[illegible]
68.	निलेश्वर	1642
69.	पईवालिका	40[illegible]
70.	पालाकाड	108

1	2	3
71.	पाल्लीकारा	764
72.	पनाथाडी	339
73.	पनाथूर	144
74.	पन्नूर	2544
75.	पारप्पा	354
76.	पईयांगड़ी	1549
77.	पइयानूर	1772
78.	पय्यावूर	457
79.	पेरावूर	960
80.	पेरडाला	547
81.	पेरिंगाथूर	1414
82.	पेरिंगोम	120
83.	पेरिया	485
84.	पेरला	585
85.	पेरूपडावू	227
86.	पेरूवम्बा	99
87.	पिलाथरा	434
88.	पुडुक्कुन्नू	202
89.	पुलिंगोम	390
90.	राजागिरी	72
91.	राजापुरम	575
92.	रमनथाली	137
93.	श्रीकंडापुरम	510
94.	टीएलआई-टेल्लीचेरी VI	3359
95.	टीएलआई-टेल्लीचेरी VII	0
96.	थालीपारम्बा	2314
97.	थेरथाली	239
98.	चिल्लेंकरी	290
99.	थूवक्ककुन्नू	1529
100.	तिरूमेनी	126
101.	त्रिकारपुर	1384
102.	उदूमा	1705
103.	उलिक्कल	536
104.	उप्पाला	1054
105.	ऊरूर	126
106.	वलक्कई	315
107.	वलियापारम्बा	241
108.	वनियप्पारा	176
109.	वेंगड़	220
110.	वीरकड़ी	288
111.	येथाडका	265
	जोड़	77542

डाक वितरण

4010. श्री जयसिंह चौहान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक कर्मियों द्वारा डाक का वितरण समय पर नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा डाक को समय पर वितरित करवाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग). सामान्यतया डाक वितरण का कार्य विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाता है। लेकिन विभिन्न कारणों से विलम्ब हो जाता है जैसे, बसों, रेलों और हवाई जहाजों की उड़ान को रद्द हो जाना/देरी से चलना, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूस्खलन तथा कारपोरेट डाक, शुभकामना डाक आदि का अप्रत्याशित रूप से भारी मात्रा में प्राप्त होना। कुछ राज्यों में राज्य सड़क परिवहन की बसों तथा प्राइवेट बसों द्वारा डाक लाने-ले जाने में भी कठिनाइयां पेश आती हैं। बड़े शहरों और नगरों में, विशेष रूप से नई विकसित हुई कॉलोनियों और उपनगरों में भी डाक-वितरण का कार्य, वितरण कर्मचारियों की अपर्याप्त संख्या के कारण दबाव में है। तथापि, अतिरिक्त कार्य को, जहां तक संभव होता है, कर्मचारियों की पुनः तैनाती करके निपटाया जा रहा है। जहां कहीं भी डाक कर्मचारियों द्वारा डाक के वितरण में देरी के मामले जानकारी में आते हैं, उन कर्मचारियों के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

2. विभाग ने डाक के प्रेषण और वितरण में सुधार लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। ये कदम हैं :-

- छंटाई में तेजी लाने के लिए बंबई और मद्रास में पत्र छंटाई मशीनों पर मशीनेबल मेल की छंटाई

- मनीआर्डरों के पारेषण में तेजी लाने के लिए वेरी स्माल अपरचर टर्मिनलों (वीएसएटी) की स्थापना। ऐसे 72 वीएसएटी पहले ही कार्य कर रहे हैं।
- 8 महानगरों से प्रमुख राज्यों की राजधानियों को भेजे जाने वाले पार्सलों के त्वरित पारेषण के लिए एक्सप्रेस पार्सल सेवा नामक एक नई सेवा शुरू की गई है। इसके अलावा, प्रीमियम मेल के त्वरित पारेषण और वितरण के लिए स्पीड पोस्ट सेवा को सुदृढ़ बनाया गया है।
- बल्क में भेजी जाने वाली डाक के मामले में प्रेषकों को पूर्व छंटाई के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि ऐसी डाक के गंतव्य स्थान पर शीघ्र पारेषण को सुनिश्चित किया जा सके।
- जनू से दिसंबर के व्यस्ततम सीजन में पोस्ट की गई कारपोरेट मेल और फेस्टिवल ग्रीटिंग मेल की छंटाई और प्रेषण के लिए विशेष प्रबंध किए जाते हैं।
- विभिन्न श्रेणियों की डाक की उनकी समय-संवेदनशीलता के अनुसार प्राथमिकताकृत और सेगमेंटेड हैंडलिंग द्वारा मेल प्रोसेसिंग को युक्तिसंगत बनाना।
- मनीआर्डरों के भुगतान की, विशेष रूप से गांवों में, नियमित रूप से जांच तथा मनीआर्डर भुगतान के लिए पर्याप्त निधि की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- डाक और मनीआर्डर के पारेषण व वितरण की विभिन्न स्तरों पर निरंतर मानीटरिंग की जाती है और पुनरीक्षा के उपरांत समय-समय पर संशोधन किया जाता है।
- डाक की ढुलाई के लिए इंडियन एयरलाइन्स के अलावा निजी एअरलाइनों का प्रयोग।
- चुनिंदा शहरों की व्यस्त बीटों में डाकियों को मोपेड देना।
- प्रमुख मेल कार्यालयों में पंजीकरण छंटाई कार्य का चरणबद्ध तरीके से कम्प्यूटरीकरण।
- आधुनिक प्रचालन उपस्करों और फर्नीचर की आपूर्ति द्वारा प्रचालन की कार्य-कुशलता को बेहतर बनाने के लिए सेल आफिसों का आधुनिकीकरण।

अधिक राशि के बिल बनाना

4011. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1996 की स्थिति के अनुसार, अधिक राशि के टेलीफोन बिलों के संबंध में दिल्ली टेलीफोन अधिकारियों के पास लंबित शिकायतों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितनी शिकायतें संसद सदस्यों से मिली हैं;

(ग) इन्हें कब तक निपटाया जाएगा;

(घ) इन शिकायतों में निपटारे के लिए कितनी धन-राशि निहित है;

(ङ) क्या भूतपूर्व संसद सदस्यों तथा मंत्रियों के नाम के बिल लंबित पड़े हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 1.4.1996 की स्थिति के अनुसार, दिल्ली टेलीफोन प्राधिकारियों के पास अधिक राशि के बिल बनाने संबंधी शिकायतों की कुल संख्या 2002 है।

(ख) उक्त शिकायतों में से 5 शिकायतें संसद सदस्यों से प्राप्त हुई थीं।

(ग) इन शिकायतों को लगभग दो माह के भीतर निपटा दिए जाने की आशा है।

(घ) इन शिकायतों में 255.77 लाख रु. की राशि अन्तर्ग्रस्त है।

(ङ) जी हां।

(च) 30.11.96 की स्थिति के अनुसार भूतपूर्व संसद सदस्यों तथा मंत्रियों की तरफ बकाया टेलीफोन बिलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

भूतपूर्व संसद सदस्यों/मंत्रियों की ओर बकाया टेलीफोन बिल

क्र.सं.	विवरण	संख्या	राशि (रुपयों में)
1.	7वीं लोक सभा	56	559058
2.	8वीं लोक सभा	132	8149130
3.	9वी लोक सभा	136	5007267
4.	10वीं लोक सभा	280	56643347
5.	राज्य सभा के भूतपूर्व संसद सदस्य	194	14368421
		798	84727223

रतलाम रेल सेक्शन में प्रगति

4012. डा. सत्यनारायण जटिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान आज तक पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत रेल सैक्शन में रेल लाइन बिछाने, रेल लाइन दोहरीकरण, विद्युतीकरण, प्लेटफार्म के विस्तार व ऊपरि पुल के निर्माण तथा रेल सुविधाओं के विस्तार आदि कार्यों की प्रगति का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतपाल महाराज) : रतलाम रेलवे मंडल में कार्यों की प्रगति का विवरण निम्नानुसार है :-

शीर्ष		वर्ष	परियोजना का नाम	वर्तमान स्थिति
1.	नई लाइनें	1995-96	गोधरा-इन्दौर बरास्ता दहोद, सरदारपुर, धार तथा देवास-मक्सी(316 कि.मी) नई ब.ला.	कार्य प्रथम चरण में अर्थात देवास-मक्सी खंड को हाल ही में कार्य को अर्थात् शुरू करने के लिए खोल दिया गया है।
		1996-97	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	आमान परिवर्तन	1995-96 और 96-97	नीमच-रतलाम खण्ड	कार्य प्रगति पर है।
3	दोहरीकरण	1995-96	(क) उज्जैन-भोपाल खंड के बीच दोहरीकरण	
			क. बैरागढ़-बकनियां-भौनरी	04.7.95 को कार्य प्रारम्भ किया गया।
			ख. बकनियां-भौनरी-फांदा	08.8.95 को कार्य प्रारम्भ किया गया।
			ग. कालीपीपल-फांदा	कार्य बन्द कर दिया गया है।
			घ. मक्सी-बैरागढ़-चार ब्लाक खंड।	मिट्टी कार्य एवं छोटी पुलियों के लिए निविदा स्वीकृत हो गई है और दूसरी निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
			(ख) रतलाम-गोधरा खंड पर अनास पुल सं. 142	15.1.96 को कार्य प्रारम्भ कर दिया गया।
		1996-97	उज्जैन-भोपाल खंड तिरूमरोद पिरूमरोद-बेश्रछा (11.67 कि.मी.) खंड के बीच दोहरीकरण।	14.11.1996 को कार्य प्रारम्भ कर दिया गया।
IV.	**अन्य यातायात सुविधा कार्य**			
		1995-96	कुछ नहीं	कुछ नहीं
		1996-97	1. गोधरा यार्ड में परिवर्धन एवं परिवर्तन।	विस्तृत प्राक्कलन मंत्रालय/रेलवे के विचाराधीन।
			2. नागदा-अतिरिक्त यात्री प्लेटफार्म सहित यार्ड में परिवर्तन	उपरोक्त
V.	**सड़क ऊपरि पुल**			
		1995-96	कुछ नहीं	कुछ नहीं
		1996-97	1. संत रोड-पिपलोट समपार सं. 20-बी के बदले सड़क ऊपरि पुल।	राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों का कार्य शुरू किए जाने के बाद इस कार्य को प्रारम्भ किया जाएगा।
			2. रतलाम-(जाओरा रोड) समपार सं. 192/ए के बदले ऊपरि पुल।	उपरोक्त
			3. इन्दौर-समपार सं. 246 के बदले सड़क ऊपरि पुल।	उपरोक्त
			4. नागदा-समपार सं.1 के बदले सड़क ऊपरि पुल।	कार्य प्रगति पर है।

रेलवे स्टेशनों पर चिकित्सा सुविधाएं

4013. श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्रीमती कमल रानी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के विभिन्न महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों की किताबों की दुकानों में प्राथमिक चिकित्सा/कैमिस्ट स्टाल/कार्नर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सुविधा कानपुर अंबाला छावनी, अमृतसर, नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन जालंधर सिटी, लुधियाना और जम्मू-तवी के प्रत्येक प्लेटफार्म पर भी प्रदान की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को यह सुविधा महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों के सभी प्लेटफार्मों पर उपलब्ध कराए जाने हेतु विभिन्न सांसदों के सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ङ). जी हां। उत्तर रेलवे पर नई दिल्ली, दिल्ली सराय रोहिल्ला, दिल्ली कैंट, हजरत निजामुद्दीन, वाराणसी, अटारी, अमृतसर और चण्डीगढ़ स्टेशनों पर बुक स्टाल के भीतर केमिस्ट कॉर्नर की व्यवस्था की गई है। फिलहाल कानपुर, जम्मूतवी, जालंधर, लुधियाना और अम्बाला स्टेशनों पर इसकी व्यवस्था नहीं की गई है। प्रमुख स्टेशनों पर मौजूदा बुक स्टॉल ठेकेदारों से केमिस्ट कॉर्नर के परिचालन के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गए हैं।

सीधी ई.एम.यू. सेवाएं

4014. श्री हाराधन राय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता के लोगों की सियालदाह तथा खडगपुर और वर्द्धमान तथा खडगपुर के बीच सीधी ई.एम.यू. सेवाऐं आरम्भ करने की मांग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सही है कि यदि ये सेवाएं आरंभ हो जाती हैं तो हावड़ा स्टेशन पर भीड़ कम हो जायेगी;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ङ). जी हां। इस संबंध में श्री हाराधन राय, सांसद सहित कुछ लोगों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। खडगपुर से सियालदाह/वर्द्धमान के बीच का मार्ग बरास्ता अन्डुल लिंक है। खड़गपुर और सियालदह/बर्द्धमान के बीच ईएमयू सीधी सेवा चलाने के लिए व्यावहारिक नहीं पाया गया है। ऐसे थ्रू पेसंजर को गाड़ी बदलने की सुविधा का लाभ उठाना पड़ेगा।

सुंदरवन क्षेत्र में रेल लाइन

4015. डा. असीम बाला : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जोयनागसर से रायडिघी और लक्शीकान्तपुर से राम गंगा तक रेल लाइन का निर्माण करने पर विचार कर रही है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन दोनों रेल मार्गों के लिये थोड़ी पूंजी की ही आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इन रेल मार्गों के लिये सर्वेक्षण कराने का विचार रखती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) संसाधनों की तंगी।

मध्य प्रदेश के दूरदर्शन/आल इण्डिया रेडियो केन्द्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

4016. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन/आल इण्डिया रेडियो केन्द्रों में श्रेणीवार तथा केन्द्रवार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन केन्द्रों में आरक्षण नीति का पालन नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) श्रेणीवार कितने पद खाली पड़े हैं तथा उन्हें कब तक भरे जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एक्सप्रैस रेलगाड़ी चलाना

4017. श्री गिरिधर गमांग : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर/पुरी से दिल्ली तक बरास्ता बेशमपुर-विजियनगरम-रामगढ़, के लिए नई एक्सप्रैस रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह रेलगाड़ी कब से शुरू की जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में एस.टी.डी./आई.एस.डी.

4018. श्री ए.जी.एस. राम बाबू : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में एस.टी.डी./आई.एस.डी. सुविधा युक्त पांसीओ की स्थापना के लिए कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं; और

(ख) इन आवदेदनों को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) तमिलनाडु में एसटीडी पीसीओ के लिए 6829 आवेदन लम्बित पड़े हैं।

(ख) इन आवेदनों पर 31 मार्च, 1997 तक कार्यवाही की जाएगी। पीसीओ आगामी वित्त वर्ष अर्थात् 1997-98 के दौरान प्रदान किए जाएंगे।

आंध्र प्रदेश में उपलब्ध कराए गए टेलीफोन कनेक्शन

4019. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान आंध्र प्रदेश में जिलेवार कितने टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए हैं;

(ख) आंध्र प्रदेश में जिलेवार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने टेलीफोन कनेक्शन काटे गए हैं;

(ग) कनेक्शन काटे जाने का ब्यौरा तथा कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश में विशेषकर गुंटूर जिले में "टावर टाइप टेलीफोन कनेक्शन" प्रदान करने/स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) पिछले छः महीनों (जून से नवम्बर, 96) के दौरान 56,366 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किये गये थे। जिलावार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं।

(ख) एवं (ग). आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 831 टेलीफोन कनेक्शन काटे गये थे। जिला-वार ब्यौरे तथा कनेक्शन काटे जाने के कारणों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) आंध्र प्रदेश में 30.11.96 तक एम ए आर आर (टावर किस्म) के जरिए 8,488 अदद ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किये गये थे। गुंटूर जिले में 1019 गांव हैं जिनमें से 400 अदद में टावर किस्म के टेलीफोन प्रदान किये गये हैं तथा शेष 619 गांवों को अन्य माध्यमों के जरिये टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किया गया है।

विवरण-I

क्र.सं.	जिले का नाम	जून, 96 से नवम्बर, 96 तक प्रदान की गयी सीधी एक्सचेंज लाइनें
1.	आदिलाबाद	1233
2.	अनन्तपुर	1727
3.	चित्तूर	3445
4.	कुडप्पा	1508
5.	पूर्वी गोदावरी	4800
6.	गुंटूर	3053
7.	हैदराबाद	19343
8.	करीम नगर	907
9.	खम्माम	1195
10.	कृष्णा	5888
11.	कुर्नूल	1296
12.	महबूबनगर	1050
13.	नालगोंडा	1242
14.	नेल्लूर	395
15.	निजामाबाद	645
16.	प्रकाशम	615
17.	संगारेड्डी	1589
18.	श्री काकुलम	1223
19.	विशाखापट्टनम	2235
20.	विजयानगरम्	616
21.	वारंगल	903
22.	पश्चिमी गोदावरी	1458
	जोड़ :	56366

विवरण-II

आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में काटे गये टेलीफोन कनेक्शनों के जिला-वार ब्यौरे

क्र.सं.	जिला	उपभोक्ताओं के वजह से	बकाए का भुगतान न किये जाने के कारण	जोड़
1	2	3	4	5
1.	आदिलाबाद	शून्य	2	2
2.	अनन्तपुर	24	12	36
3.	चित्तूर	1	8	9
4.	कुडप्पा	6	14	20
5.	पूर्वी गोदावरी	4	42	42
6.	गुंटूर	शून्य	126	126
7.	हैदराबाद टेलीफोन जिला एवं रंगारेड्डी	2	24	26
8.	करीम नगर	शून्य	46	46
9.	खम्माम	2	14	16
10.	कृष्णा	शून्य	24	24
11.	कुर्नूल	16	65	81
12.	महबूबनगर	शून्य	111	111
13.	मेढक	शून्य	30	30
14.	नालगोंडा	शून्य	10	10
15.	नेल्लोर	21	22	43
16.	निजामाबाद	शून्य	2	2
17.	प्रकाशम	शून्य	2	2
18.	श्रीकाकुलम	शून्य	25	25
19.	विशाखापट्टनम	शून्य	49	49
20.	विजयानगरम्	2	12	14
21.	वारंगल	7	4	11
22.	पश्चिमी गोदावरी	5	8	13
	जोड़ :	90	741	831

उड़ीसा में खानों का राष्ट्रीयकरण

4020. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में खनिज सम्पदा का सर्वाधिक भंडार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का खनिजों के समुचित दोहन अथवा उड़ीसा की खानों के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री और खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख). उपलब्ध सूचना के अनुसार उड़ीसा में लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क, बाक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्रोमाइट, अग्नि मिट्टी, ग्रेफाइट, दुलर्भ मिट्टी, अर्थ-बहुमूल्य रत्न आदि जैसे बड़े खनिज भंडार हैं।

(ग) और (घ). राज्य में खनिज गवेषण निगम, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, कोल इण्डिया लि., स्टील-अथार्टी ऑफ इण्डिया, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि., उड़ीसा खनन निगम और उड़ीसा के राज्य उपक्रम जैसी गवेषण एजेंसियां विभिन्न खनिजों के गवेषण के कार्य में पहले से ही लगी हुई हैं। उड़ीसा में खनिज सम्पदा के गवेषण को राष्ट्रकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। गवेषण और विदोहन के लिए खनिज रियायतें राज्य सरकार द्वारा खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार प्रदान की जाती हैं।

बिहार में डाकघर खोलना

4021. श्री राधा मोहन सिंह : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नालन्दा, पूर्वी चम्पारन और दरभंगा जिलों में डाकघर खोलने हेतु कितने प्रस्ताव/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या सरकार को दरभंगा जिले के नूरसराय ब्लाक और सिंघवाड़ा ब्लाक के अन्तर्गत मच्छालडिहा में डाकघर खोले जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो उक्त गांवों के लिए डाकघरों की स्वीकृति कब तक दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) नालन्दा जिले में डाकघर खोलने के लिए 13 (तेरह) प्रस्ताव/अभ्यावेदन पूर्वी चम्पारन जिले में 20 प्रस्ताव और दरभंगा जिले में 16 (सोलह) प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) जी हां। दरभंगा जिले के नूरसराय ब्लाक के अंतर्गत मच्छालडिहा ग्राम और सिंघवाड़ा ब्लाक में सरैया और कटेसा में डाकघर खोलने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) डाकघरों को, मानदंड पूरे होने पर और संसाधन उपलब्ध होने पर खोला जाता है।

लंबी दूरी की गाड़ियां चलाना

4022. श्री रामसजीवन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोमापुर-बुधवाल की छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बाद सीतापुर-गोडा-दिल्ली आदि के बीच लंबी दूरी की गाड़ियां चलाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीतापुर छावनी रेलवे स्टेशन पर किया गया विस्तार भी सभी गाड़ियों के वहां से गुजरने के लिए पर्याप्त नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या प्लेटफार्म पर यात्रियों के लिए कोई शेड नहीं बनाया गया है तथा गाड़ियों में कोच परिचारक तथा कंडक्टर भी नियमित रूप से उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं;

(च) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(छ) क्या यहां पर अनेक अनियमितताएं हैं जैसे पर्याप्त रेल कर्मचारी न होना, गाड़ियों में सुरक्षा व्यवस्था न होना तथा स्वच्छता की पर्याप्त व्यवस्था न होना; और

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) 4047/4048 दिल्ली-गोंडा एक्सप्रेस और 5209/5210 बरौनी-अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग पर चलाई जा रही हैं।

(ग) और (घ). फिलहाल सीतापुर छावनी पर एक प्लेटफार्म है मौजूदा यातायात की मात्रा के लिए पर्याप्त है।

(ङ) से (ज). प्लेटफार्म शेड 21 वर्गमीटर क्षेत्र में है। इसके अलावा प्रतीक्षारत यात्रियों के लिए एक प्रतीक्षालय भी है।

4047/4048 दिल्ली-गोंडा एक्सप्रेस और 5209/5210 बरौनी-अमृतसर एक्सप्रेस के आरक्षित सवारी डिब्बों में नियमित रूप से कर्मचारी तैनात किए जाते हैं। गाड़ियों में सुरक्षा व्यवस्था करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है जिसे वे अपनी रा.रे.पु. (राजकीय रेलवे पुलिस) के माध्यम से पूरी करती हैं। पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए रा. रे.पु. के साथ निकट समन्वय बनाए रखा जा रहा है।

पार्सल रूम

4023. श्री लिंगाराज कल्याल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर पार्सल रूम में नाप तौल के लिए आधुनिक (डिजिटल) तुला लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). जहां पर भी आवश्यक है वहां डिजिटल वेइंग स्केल्स की व्यवस्था पार्सल कार्यालय में कार्यों के कंप्यूटरीकरण का एक हिस्सा होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार कार्यालय

4024. श्री ए. सम्पथ : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1997 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में नये रोजगार कार्यालय स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). नये रोजगार कार्यालयों को स्थापित करने का निर्णय उन संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा लिया जाना है, जिनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन रोजगार कार्यालय कार्य करते हैं। केन्द्र सरकार इस मामले में राज्यों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा उठाये गये कदमों का समर्थन करेगी।

[हिन्दी]

पश्चिम रेलवे में स्टेशनों पर स्टालों का आबंटन

4025. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान पश्चिम रेलवे के कितने रेल स्टेशनों पर स्टालों का आबंटन किया गया है तथा इन स्टालों की श्रेणी तथा संख्या क्या है;

(ख) पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल में उक्त अवधि के दौरान किन-किन रेल स्टेशनों पर दुकानें, ट्रालियां तथा स्टालें आबंटित की गयी तथा इसकी श्रेणी क्या है तथा किन-किन व्यक्तियों को इसका आबंटन किया गया है;

(ग) क्या दुकानों, स्टालों, ट्रालियों के आबंटन हेतु कोई विज्ञापन दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो किन स्थानों के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इनमें से कितनी दुकानों, स्टालों तथा ट्रालियों का आवंटन बिना विज्ञापन के किया गया है; और

(च) उन्हें बिना विज्ञापन के आबंटित करने वाले अधिकारियों के नाम क्या हैं तथा इनका आबंटन किन नियमों के अंतर्गत किया गया था?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क)

वर्ष	स्टेशनों की सं.	स्टाल की किस्म		ट्राली
1993-94	14	चाय स्टाल	-14	
	1	केमिस्ट स्टाल	-1	
	2	जलपान स्टाल	-2	2
	1	फ्रूट जूस स्टाल	-1	
जोड़	18		18	2
1994-95	17	चाय स्टाल	-15	9
	1	पूरी, नमकीन स्टाल	-1	
	6	जलपान स्टाल	-6	
	3	फ्रूट जूस स्टाल	3	
	1	आइस-क्रीम		2
जोड़	28		25	11
1995-96	5	चाय स्टाल	7	1
	1	जलपान स्टाल	1	
	1	फ्रूट जूस-स्टाल	1	
जोड़	7		9	1

(ख) रतलाम डिविजन पर गत तीन वर्षों के दौरान खान-पान/वेंडिंग इकाइयों के चार आबंटन निम्नानुसार हैं:—

वर्ष	स्टेशन का नाम	इकाई की किस्म	लाइसेंसधारी का नाम
1993-94	चित्तौगढ़	टी स्टाल	मो. यूसुफ
	उज्जैन	दो ट्रालियां	इमरतीबाई
1994-95	उज्जैन	टी स्टाल	मोहम्मद फारूक
	नागदा	दो ट्रालियां	मैसर्स इकबाल एण्ड कं.
1995-96	-	कोई नहीं	-

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) रतलाम मंडल में चार व्यक्तियों को दो चाय के स्टाल और चार ट्रालियां आबंटित की गई थी।

(च) ये आबंटन रेल मंत्रालय के आदेशों द्वारा किए गए थे।

[अनुवाद]

भूमिगत केबल डालना

4026. श्री ललित उरांव : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सोनीपत (हरियाणा) के गढहा कुडाल से नाहरा एक्सचेंज तक भूमिगत केबल डालने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव/अभ्यावेदन प्राप्त किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना के कब तक पूरी होने की आशा है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां। नाहरा और गढही कुंडाल के बीच भूमिगत केबल बिछाने के लिए उपभोक्ता से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ग) चूंकि नाहरा और गढही कुंडाल के बीच केवल एक ही कनेक्शन कार्य कर रहा है। इसलिए नाहरा और गढही कुंडाल के बीच अभी भूमिगत केबल नहीं बिछाई जा सकती।

बाल श्रमिकों का शामिल न किया जाना

4027. श्री अय्यन्ना पटरुधु :
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्री कृष्ण लाल शर्मा :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में बाल श्रमिकों की दयनीय स्थिति के मामले की चर्चा किसी यूरोपीय देश की संसद में की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में लगाए गए सभी प्रकार के आरोपों का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार बाल श्रम की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए बाल श्रम निरीक्षकों को तैनात करने के संबंध में अमरीकी कानूनों का विरोध करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या देश के निर्यात पर कुछ यूरोपीय देशों द्वारा इन वस्तुओं के इस आधार पर बहिष्कार किए जाने, कि इनके उत्पादन में बाल श्रमिक लगे हैं, प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) ह्यूमन राइट्स वॉच नामक संगठन, जिसके कार्यालय ब्रूजेल्स सहित विश्व के भिन्न-भिन्न हिस्सों में स्थित हैं, ने हाल ही में 'दि स्माल हैण्ड्स ऑफ स्लेवरी : बाण्डेड चाइल्ड लेबर इन इण्डिया' नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। ब्रूजेल्स स्थित संगठन के कार्यालय के निदेशक ने इस रिपोर्ट का सार विदेश मामले संबंधी समिति, मानवाधिकार उप समिति और यूरोपीय पार्लियामेंट की विदेश आर्थिक संबंध समिति को भेजी है। संगठन ने 15 अक्तूबर, 1996 को एक मसौदा प्रस्ताव भी संवेदनशील सदस्यों को यूरोपीय पार्लियामेंट के पूर्ण अधिवेशन में प्रस्तावित करने के लिए परिचालित किया था। यूरोपीय पार्लियामेंट के कुछ सदस्यों ने बंधुआ बाल श्रम पर एक प्रस्ताव लाने के आशय की घोषणा की थी किन्तु यूरोपीय पार्लियामेंट में विभिन्न राजनैतिक ग्रुपों के मध्य कोई सर्वसम्मति नहीं थी और इसलिए प्रस्ताव को तत्समय वापस ले लिया गया।

(ग) जी, हां।

(घ) यूरोपियन संघ के भारतीय मिशन ने यूरोपीय समुदाय के सभी सदस्य देशों के साथ अलग-अलग यह मुद्दा उठाया और उन्हें भारत सरकार की इस मामले में स्थिति से अवगत कराया। इसके अतिरिक्त, संबंधित देशों के उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठक में यह मुद्दा भिन्न-भिन्न देशों के साथ उठाया गया और हमारी स्थिति के बारे में अवगत कराया गया।

(ङ) अभी तक ऐसा कोई अमरीकी कानून नहीं है जिसके तहत बाल श्रम निरीक्षकों को भारत में तैनात किया जाए। तथापि, भारत ऐसे किसी बाह्य क्षेत्रीय कानून का विरोध करेगा जो भारत में बाल श्रम निरीक्षकों की तैनाती को बाल श्रम के अनियोजन को सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकृत कर सके।

(च) उपरोक्त (ङ) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(छ) और (ज). भारत में बाल श्रम के उपयोग से ऐसे कुछ मामलों जैसे कालीन परिधान के उत्पादन के बारे में, तथाकथित चिन्ता व्यक्त करने वाले जर्मनी जैसे कुछ यूरोपीय देशों में अभियान के कारण भारतीय निर्यात पर प्रभाव पड़ रहा है।

(द) बाल श्रम के सामाजिक वातावरण को क्रमिक ढंग से समाप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा निवारात्मक कदम उठाए जाने के साथ-साथ विदेश मंत्रालय और विदेश स्थित भारतीय मिशन मामले के बारे में सूचित करने और स्थिति को स्पष्ट करने के लिए और संवेदनशील यूरोपीय और उत्तरी अमेरिका के नेताओं, विचारकों, मीडिया और आयातकों को व्यवसाय से संबंधित दण्डात्मक दृष्टिकोण अपनाने के विरूद्ध वास्तविकता की जानकारी देने के लिए समुचित कदम उठाए हैं और इसके स्थान पर बाल श्रम के वातावरण को जड़ से समाप्त करने हेतु विकास पूर्ण और सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की जिज्ञासा व्यक्त की है।

विदेश संचार निगम लिमिटेड की जी.आई.ए.एस. सुविधाओं का प्रयोक्ता

4028. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश संचार निगम लिमिटेड की जीआईएएस सुविधाओं के प्रयोक्ताओं को रियायतें देने के लिए क्या मानदण्ड हैं;

(ख) क्या छात्रों के लिए किसी आयु सीमा पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) वीएसएनएल की जो आई ए एस सुविधा के प्रयोक्ताओं को रियायतें देने के लिए मानदंड संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) विद्यार्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 30 वर्ष है।

विवरण

वर्ग	एक्सेस का प्रकार	रियायत के लिए मानदंड
विद्यार्थी	टर्मिनल डायल-अप	मान्यता प्राप्त संस्थानों में कक्षा-11 अथवा ऊपर की कक्षाओं में पूर्णकालिक अध्ययनरत तथा स्टाइपेंड/स्कोलरशिप सहित किसी प्रकार का आय स्रोत नहीं हो; प्रति वर्ष प्रधानाचार्य के लैटरहैड पर बोनाफाइड प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
शैक्षिणिक	डायल-अप लीज्ड लाइन	भारत/राज्य सरकारी प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त
सरकारी संगठन	लीज्ड लाइन	मान्यता प्राप्त गैर-व्यावसायिक संगठन
सॉफ्टवेयर निर्यातक तथा 100% निर्यात अभिमुख इकाइयां	लीज्ड लाइन	प्रति कनेक्शन 100,000 अमरीकी डालर से अधिक वार्षिक निर्यात आय

[हिन्दी]

रेलवे पुलिया

4029. प्रो. ओमपाल सिंह 'निडर' : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट कराया गया है कि उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद और शिकोहाबाद रेलवे स्टेशनों के बीच चन्द्रवार गेट पर स्थित रेलवे पुलिया की हालत बिगड़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उपरोक्त स्थान पर किसी प्रकार की अवांछित दुर्घटना को रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ङ). पुलिया सुदृढ़ स्थिति में है।

[अनुवाद]

सेवानिवृत्त हुए रेल पेंशनधारियों को परिचारकों की सुविधा

4030. श्री के.पी. नायडू : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवानिवृत्त हुए रेल पेंशनधारियों, जो कि वरिष्ठ नागरिक हैं, को रेल पास पर यात्रा के दौरान अपने साथ उसी श्रेणी में अपने परिचारकों को ले जाने की अनुमति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उन पेंशनधारियों को वृद्धावस्था में अपने परिचारकों को उसी श्रेणी में ले जाने की अनुमति देकर उनकी सहायता करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ). सेवारत/सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को, जो प्रथम श्रेणी पास के पात्र हैं, द्वितीय श्रेणी में एक परिचर को साथ में ले जाने की अनुमति दी जाती है जो मात्र उनकी व्यक्तिगत सेवा के लिए वेतन पर नियोजित किया गया हो, मौजूदा सुविधाओं और छूअ देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आंध्र प्रदेश में दूरभाष केन्द्र

4031. श्री बी. धर्म भिक्षम : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले में कितने दूरभाष केन्द्र कार्यरत हैं;

(ख) प्रतीक्षा सूची में वर्गवार और दूरभाष केन्द्रवार कितने लोग हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इसे निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 74 (चौहत्तर)

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ग) 96-97 के दौरान, नालगोंडा जिले के 31 स्टेशनों को वर्तमान प्रतीक्षा सूची में से अधिकांश टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की योजना है। शेष स्टेशनों में 9वीं योजना अवधि के पूर्वार्द्ध में उत्तरोत्तर रूप से टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।

विवरण

31.10.1996 की स्थिति के अनुसार नालगोंडा जिले की एक्सचेंज-वार प्रतीक्षा सूची

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	ओवाईटी विशेष	सामान्य	कुल	प्रतीक्षासूची
1	2	3	4	5	6
××	नालगोंडा				
1.	अलौर	0	1	197	198
2.	अनंताराम (बीएनजी)	0	0	0	0
3.	अरावापल्ली	0	0	1	1
4.	अटमाकुर	0	0	7	7
5.	अजमापुर	0	0	0	0
6.	बी. वेल्लूमाला	0	0	47	47

1	2	3	4	5	6
7.	बेथावोलू	0	0	19	19
8.	भुवनगिरि	1	8	224	233
9.	बीबीनगर	0	13	163	176
10.	चन्दमपेट	0	0	0	0
11.	चन्दूर	0	0	125	125
12.	चेरूकूपल्ली	0	0	15	15
13.	चिंतापल्ली	0	0	17	17
14.	चित्तयाल	0	0	148	148
15.	चौतुप्पल	0	0	134	134
16.	देवराकोंडा	0	0	15	15
17.	डिंडी	0	0	5	5
18.	एडुलूर	0	0	13	13
19.	गुडड्डीपल्ली	0	0	5	5
20.	गुड़ीपल्ली	0	0	0	0
21.	गुडंरमपल्ली	0	0	36	36
22.	गुरमिपीड	0	0	2	2
23.	हलिया	0	0	40	40
24.	हिलूलोनी	0	0	125	125
25.	हुजूरनगर	0	6	206	206
26.	कनागल	0	0	10	10
27.	कट्टनगूर	0	0	63	63
28.	केठेपल्ली	0	0	17	17
29.	कोडड	1	3	550	554
30.	कोयलागुडेम	0	0	24	24
31.	एम. ठुकरापल्ली	0	0	6	6
32.	माधापुर	0	0	5	5
33.	मधावरम्,	0	0	13	13
34.	मलिफपल्ली	0	0	15	15
35.	मर्रीगुडा	0	0	12	12
36.	मट्टमपल्ली	0	0	15	15
37.	मट्टापल्ली	0	0	2	2
38.	मेल्लाचेरूवू	0	1	49	49
39.	मिरयालगुडा	0	0	385	385
40.	मोठकुर	0	0	48	48
41.	गुनागंला	0	0	28	28

1	2	3	4	5	6
42.	मुनुगोड	0	0	12	12
43.	नाटीगुडेम	0	0	20	20
44.	नागीरेड्डीपल्ली	0	0	39	39
45.	नकरेकल	0	5	402	407
46.	नलगोंडा	0	110	830	940
47.	नामावरम	0	0	1	1
48.	नामपल्ली	0	0	19	19
49.	नारायणपुर	0	0	38	38
50.	नरकेटपल्ली	0	0	91	91
51.	नेम्मीकल	0	0	27	27
52.	नेरेकेरला	0	1	80	81
53.	निदमनूर	0	0	38	38
54.	नुठनाकल	0	0	3	3
55.	पद्मतापल्ली	0	0	3	3
56.	पेडाबूरा	0	0	12	12
57.	पेनपहाड़	0	0	10	10
58.	पोचमपल्ली	0	0	246	246
59.	पुट्टापका	0	3	108	111
60.	राजापेट	3	1	19	23
61.	रमन्नापेट	6	35	102	143
62.	शालीगोराराम	0	0	23	23
63.	सूर्यापेट	4	88	678	770
64.	थिप्परथी	0	0	3	3
65.	त्रिपुराराम	0	0	18	10
66.	तुंगतूरती	0	1	12	13
67.	तिरूमालगिरि (एमवाईजी)	0	0	12	12
68.	तिरूमलगिरि (एसआरटी)	0	0	78	78
69.	वलीगोंडा	0	0	46	46
70.	वेलीगाला	0	0	2	2
71.	वेमुलापल्ली	0	0	11	11
72.	विष्णुपुरम	0	0	134	134
73.	यादगिरिगुट्टा	0	0	16	16
74.	येरावरम्	0	0	8	8
		15	276	5920	6211

अवैध खनन

4032. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा और बिहार में लौह अयस्क, वाक्साइट और क्रोमाइट के अवैध खनन की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्री और खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

खनन के पट्टे हेतु स्वीकृति

4033. श्री मुख्तार अनीस : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोने और बहुमूल्य रत्नों की खोज और खनन हेतु किसी विदेशी कम्पनी और भारतीय उपसहायक कम्पनी को दिए गए खनन पट्टे का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे खनन पट्टे के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है;

(ग) यदि हां, तो क्या कुछ ऐसे प्रस्ताव विचाराधीन हैं; और

(घ) उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री और खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (घ). खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम में यह निर्धारित है कि स्वर्ण और बहुमूल्य रत्नों के लिए खनन पट्टे राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से ही दिये जा सकते हैं। स्वर्ण और बहुमूल्य रत्नों के लिए विदेशी कम्पनी या उनकी भारतीय सहायक कम्पनी को केन्द्र सरकार ने खनन पट्टे प्रदान करने के लिए अभी तक कोई अनुमोदन नहीं दिया है। तथापि, पूर्वेक्षण लाइसेंस देने के लिए राज्य सरकारों ने कुछ प्रस्ताव भेजे थे। ये प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकार को इस विषय पर दिनांक 30.10.1996 को जारी किए गए मार्ग-निर्देशों के अनुसार इनमें संशोधन करने के लिए भेज दिये गये हैं।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

4034. श्री छत्रपाल सिंह : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान आज तक उत्तर प्रदेश में जिले-वार कितने टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए;

(ख) नवम्बर, 1996 तक जिले-वार कितने लोग प्रतीक्षा सूची में थे;

(ग) प्रतीक्षा सूची को जिले-वार कब तक निबटा दिया जाएगा;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश में विशेषकर मेरठ मंडल में टेलीफोन के विस्तार और विकास हेतु कोई विशेष योजना तैयार की गई है;

(ङ) वर्ष 1996-97 के दौरान जिले-वार उक्त प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(च) इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 1993-94, 1994-95 और 1995-96 (नवम्बर, 96 तक) के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या संलग्न निम्नलिखित विवरणों में दी गई है :—

उत्तर प्रदेश (पश्चिमी) दूरसंचार सर्किल के लिए	विवरण-IV
उत्तर प्रदेश (पूर्वी) दूरसंचार सर्किल के लिए	विवरण-I

(ख) नवम्बर, 96 तक प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को जिले-वार संख्या निम्नलिखित अनुबंधों में दी गई है :—

उत्तर प्रदेश (पश्चिमी) दूरसंचार सर्किल के लिए	विवरण-IV
उत्तर प्रदेश (पूर्वी) दूरसंचार सर्किल के लिए	विवरण-II

(ग) प्रतीक्षा सूची को निपटाए जाने की समयावधि के ब्यौरे निम्नलिखित अनुबंधों में दिए गए हैं :—

उत्तर प्रदेश (पश्चिमी) दूरसंचार सर्किल के लिए	विवरण-IV
उत्तर प्रदेश (पूर्वी) दूरसंचार सर्किल के लिए	विवरण-III

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च). निधियां सर्किल-वार आबंटित की जाती हैं। वर्ष 1996-97 के लिए निधि-आबंटन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(आंकड़े करोड़ रु. में)

	नकद	/ स्टोर्स
उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)	135.99	37.85
उत्तर प्रदेश (पूर्वी)	303.56	48.09

विवरण-I

वर्ष के दौरान प्रदान किए जाने वाले कनेक्शन

जिला	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4
इलाहाबाद	2540	4766	7876
आजमगढ़	300	356	922
बहराइच	389	393	420
बलिया	375	334	595
बांदा	965	1035	750
बाराबंकी	1130	430	-
बस्ती	587	350	502
भदोही	-	-	503
देवरिया	705	-	-
इटावा	850	1284	1842
फैजाबाद	655	476	1744
फर्रूखाबाद	443	1389	2216
फतेहपुर	217	376	512
गाजीपुर	234	376	516
गोंडा	807	790	1298
गोरखपुर	1159	931	4068
हमीरपुर	377	-	280
हरदोई	279	283	317
जालौना	260	700	862
जौनपुर	267	469	1469
झांसी	1161	1637	5213
कानपुर	6076	6642	6538
कानपुर देहात	475	897	728
लखीमपुर	132	474	1336
ललितपुर	300	686	328
लखनऊ	2299	8061	10021
महाराजगंज	728		676
मैनपुरी	869	1025	547
महोबा	-	-	126
मऊनाथ भंजन	15	459	1215
मिर्जापुर	175	912	581
पडरौना	-	-	638
प्रतापगढ़	297	162	453
रायबरेली	65	95	788
शाहजहांपुर	82	1211	1318
सिद्धार्थनगर	186	344	174
सीतापुर	288	983	866
सोन भद्र	139	659	1206
सुल्तानपुर	346	283	1521
उन्नाव	658	1508	1117
वाराणसी	2462	2881	6783
अम्बेडकर	-	-	180

प्रदान किए गए मंडलवार कनेक्शन
1.4.96 से 30.11.96

क्र.सं.	मंडल/जिले का नाम	कनेक्शन
1	2	3
1.	जी.एम.टी.डी. कानपुर	972
(क)	कानपुर जिला	
(ख)	जिला कानपुर देहात	
(ग)	उन्नाव जिला	
2.	जी.एम.टी.डी. लखनऊ जिला	6155
3.	जी.एम.टी.डी. वाराणसी	
(क)	वाराणसी जिला	1988
(ख)	भदोही	
4.	टी.डी.एम. मऊ	
(क)	मऊ जिला	447
(ख)	देवरिया जिला	
(ग)	पड़रौना जिला	
5.	जी.एम.टी. (ई.ए.) वाराणसी	
(i)	**टी.डी.ई. आजमगढ़**	
(क)	आजमगढ़ जिला	262
(ii)	**टी.डी.ई. बलिया**	
(क)	बलिया जिला	1383
(ख)	गाजीपुर जिला	
(iii)	**टी.डी.ई. गोंडा**	
(क)	गोंडा जिला	1356
(ख)	बस्ती जिला	
(ग)	बहराइच जिला	
(घ)	सिद्धार्थनगर जिला	

1	2	3
(iv)	**टी.डी.ई. मिर्जापुर**	
(क)	मिर्जापुर जिला	1133
(ख)	जौनपुर जिला	
(ग)	सौनभद्र	
(अ)	**टी.डी.ई. सुल्तानपुर**	
(क)	सुल्तानपुर जिला	714
(ख)	प्रतापगढ़ जिला	
6.	**टी.डी.एम. इलाहाबाद**	
(क)	इलाहाबाद जिला	3709
7.	**टी.डी.एम. गोरखपुर**	
(क)	गोरखपुर जिला	3351
(ख)	महाराजगंज जिला	
8.	**टी.डी.एम. झांसी**	
(क)	ललितपुर जिला	1923
(ख)	झांसी जिला	
9.	निदेशक दूरसंचार (सी.ए.) एलडब्ल्यू	
(i)	**टी.डी.ई. बाराबंकी**	
(क)	बाराबंकी	1197
(ii)	**टी.डी.ई. फैजाबाद**	
(क)	फैजाबाद जिला	695
(ख)	अम्बेडकर नगर जिला	
(iii)	**टी.डी.ई. लखीमपुर**	
(क)	लखीमपुर जिला	424
(iv)	**टी.डी.ई. शाहजहांपुर**	
(क)	शाहजहांपुर जिला	319
(ख)	हरदोई जिला	
(v)	**टी.डी.ई. सीतापुर**	
(क)	सीतापुर जिला	332
10.	निदेशक (कार्यबल) के पी	
(i)	**टी.डी.ई. बांदा**	
(क)	बांदा जिला	1531
(ख)	जालौन जिला	
(ग)	हमीरपुर जिला	
(घ)	महोबा जिला	
(ii)	**टी.डी.ई. इटावा**	
(क)	इटावा जिला	1132
(ख)	मैनपुरी जिला	

1	2	3
(iii)	**टी.डी.ई. फर्रूखाबाद**	
(क)	फर्रूखाबाद जिला	886
(iv)	**टी.डी.ई. रायबरेली**	
(क)	रायबेरली जिला	723
(ख)	फैतेहपुर जिला	

विवरण–II

क्र.सं.	मंडल/जिले का नाम	30.11.96 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	जी.एम.टी.डी. कानपुर	15042
(क)	जिला कानपुर	
(ख)	जिला कानपुर देहात	
(ग)	जिला उन्नाव	
2.	जी.एम.टी.डी. लखनऊ जिला	16953
3.	जी.एम.टी.डी. वाराणसी	
(क)	जिला वाराणसी	7035
(ख)	जिला भदोही	
4.	टी.डी.एम. मऊ	
(क)	जिला मऊ	4394
(ख)	जिला देवरिया	
(ग)	जिला पड़रौना	
5.	जी.एम.टी. (ई.ए.) वाराणसी	
(i)	**टी.डी.ई. आजमगढ़**	
(क)	जिला आजमगढ़	2836
(ii)	**टी.डी.ई. बलिया**	
(क)	जिला बलिया	1110
(ख)	जिला गाजीपुर	
(iii)	**टी.डी.ई. गोंडा**	
(क)	जिला गोंडा	5007
(ख)	जिला बस्ती	
(ग)	जिला बहराइच	
(घ)	जिला सिद्धार्थनगर	

1	2	3
(iv)	**टी.डी.ई. मिर्जापुर**	
(क)	जिला मिर्जापुर	2653
(ख)	जिला जौनपुर	
(v)	टी.डी.ई. सुल्तानपुर	
(क)	जिला सुल्तानपुर	1797
(ख)	जिला प्रतापगढ़	
6.	**टी.डी.एम. इलाहाबाद**	
(क)	जिला इलाहाबाद	4442
7.	**टी.डी.एम. गोरखपुर**	
(क)	जिला गोरखपुर	5012
(ख)	जिला महाराजगंज	
8.	**टी.डी.एम. झांसी**	
(क)	जिला ललितपुर	1949
(ख)	जिला झांसी	
9.	**निदेशक दूरसंचार (सी.ए.) लखनऊ**	
(i)	**टी.डी.ई. बाराबंकी**	
(क)	बाराबंकी	1026
(ii)	**टी.डी.ई. फैजाबाद**	
(क)	जिला फैजाबाद	1012
(ख)	जिला अम्बेडकर नगर	
(iii)	**टी.डी.ई. लखीमपुर**	
(क)	जिला लखीमपुर	800
(iv)	**टी.डी.ई. शाहजहांपुर**	
(क)	जिला शाहजहांपुर	2320
(ख)	जिला हरदोई	
(v)	**टी.डी.ई. सीतापुर**	
(क)	जिला सीतापुर	642
10.	निदेशक (कार्यबल) के पी	8844
(i)	**टी.डी.ई. बांदा**	
(क)	जिला बांदा	
(ख)	जिला जालोन	निदेशक
(ग)	जिला हमीरपुर	(कार्यबल) कानपुर
(घ)	जिला महोबा	

1	2	3
(ii)	**टी.डी.ई. इटावा**	
(क)	जिला इटावा	निदेश (कार्यबल)
(ख)	जिला मैनपुरी	कानपुर
(iii)	**टी.डी.ई. फर्रूखाबाद**	
(क)	जिला फर्रूखाबाद	
(iv)	**टी.डी.ई. रायरेली**	
(क)	जिला रायबेरली	
(ख)	जिला फतेहपुर	

विवरण–III

लोक सभा में श्री छत्रपाल सिंह के द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 4034 के भाग (ग) के उत्तर में दिनांक 19.12.96 को सभा पटल पर रखा जाने वाला अनुबंध।

जिले का नाम	प्रतीक्षा सूची का निपटान किए जाने का समन्वित समय
1	2
इलाहाबाद	मार्च 98
अम्बेडकरनगर	मार्च 97
आजमगढ़	मार्च 97
बहराइच	मार्च 97
बलिया	मार्च 97
बांदा	मार्च 98
बाराबंकी	दिसम्बर 96
बस्ती	मार्च 98
भदोही	मार्च 98
देवरिया	मार्च 98
इटावा	मार्च 98
फैजाबाद	मार्च 98
फर्रूखाबाद	मार्च 98
फतेहपुर	मार्च 98
गाजीपुर	मार्च 97
गोंडा	मार्च 97
गोरखपुर	मार्च 97
हमीरपुर	मार्च 97

1	2
हरदोई	मार्च 97
जालौन	मार्च 98
जौनपुर	मार्च 97
झांसी	मार्च 97
कानपुर(एस)	मार्च 97
कानपुर (आर)	मार्च 97
लखीमपुर	मार्च 97
लखनऊ	मार्च 97
महाराजगंज	मार्च 98
महोबा	मार्च 97
मैनपुरी	मार्च 98
मऊ	मार्च 98
मिर्जापुर	मार्च 97
पडरौना	मार्च 98
प्रतापगढ़	मार्च 98
ललितपुर	मार्च 98
रायबरेली	मार्च 97
शाहजहांपुर	मार्च 97
सिद्धार्थनगर	मार्च 97
सीतापुर	मार्च 97
सोनभद्र	मार्च 98
सुल्तानपुर	मार्च 98
उन्नाव	मार्च 97
वाराणसी	मार्च 97

विवरण–IV

मुख्य महाप्रबंधक टेलीफोन्स (पश्चिमी) देहरादून

	वर्ष के दौरान प्रदान किए टेलीफोन की कनेक्शनों की संख्या				प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की संख्या	प्रतीक्षा सूची का निपटान करने का का लक्ष्य
	93-94	94-95	95-96	96-97		
	1	2	3	4	5	6
आगरा	5058	10601	8371	3348	7563	97.98
फिरोजाबाद	522	184	985	535	2966	वही
अल्मोड़ा	657	190	429	900	1041	मार्च, 97
पिथौरागढ़	684	69	372	149	269	वही
अलीगढ़	280	638	2713	1540	4268	वही
बरेली	160	1110	2037	2406	3445	वही
बिजनौर	–	2284	2012	1304	2686	वही
देहरादून	1233	4051	4977	4037	12741	वही
एटा	1184	2544	721	333	1445	वही
गाजियाबाद	6710	14131	16412	6402	17155	वही
बुलंदशहर	801	2120	2084	560	4965	वही
मथुरा	931	531	2998	839	3824	वही
मेरठ	3254	12183	14010	2732	3302	वही
मुजफ्फरनगर	2073	1901	4068	3835	5500	97-98
मुरादाबाद	2400	3436	2717	2288	6299	वही

	1	2	3	4	5	6
नैनीताल और यू.एस नगर	967	2197	5412	3088	6908	मार्च97
सहारनपुर	828	2010	4584	3272	4531	वही
हरिद्वार	2177	4061	3596	1050	3898	वही
पौढ़ी	947	826	782	843	1487	वही
चमोली	172	268	709	343	689	वही
उत्तर काशी	133	124	300	396	273	वही
टिहरी	292	241	583	342	301	वही
रामपुर	467	626	886	1255	2070	वही
पीलीभीत	277	442	632	383	497	वही
बदायूं	224	610	680	517	443	वही
कुल	32431	67408	83070	42697	98566	

पानागढ़ स्टेशन उपरि पुल की जीर्ण-शीर्ण अवस्था

4035. श्री महबूब जहेदी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पानागढ़ (पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल के अन्तर्गत में उपरि पुल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है तथा इसके कारण कभी भी दुर्घटना हो सकती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस स्टेशन पर प्लेटफार्म पर विद्युत की व्यवस्था नहीं की गई है जिसके कारण यात्रियों को काफी असुविधा तथा खतरे का सामना करना पड़ता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि "कोलफील्ड एक्सप्रेस" से इस स्टेशन से आरक्षित सीट कोटा चार से घटाकर एक कर दिया है तथा आसनसोल एक्सप्रेस में कोई कोटा नहीं है;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस स्टेशन से वर्धमान-हावड़ा बरास्ता मैन पर पड़ने वाले स्टेशनों के लिए मासिक टिकट बनाने की व्यवस्था बन्द कर दी गयी है;

(ङ) यदि हां, तो प्रश्न के भाग (क) से (घ) तक के क्या कारण हैं; और

(च) यदि नहीं, तो भाग (क) से (घ) तक के मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग), (ङ) और (च). इस समय पानागढ़ स्टेशन से 3030 कोलफील्ड एक्सप्रेस में वाता. कुर्सीयान में एक सीट और दूसरे दर्जे में 2 सीटों और 3029 कोलफील्ड एक्सप्रेस में दूसरे दर्जे की दो सीटों का कोटा उपलब्ध है जो मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं जहां तक आसनसोल एक्सप्रेस का संबंध है, आरक्षित स्थान की सीमित उपलब्धता के कारण इस स्टेशन से कोई कोटा आबंटित करना व्यावहारिक नहीं है।

(घ) पानागढ़ से, पानागढ़ हावड़ा खण्ड बरास्ता मेन पर केवल 150 कि.मी. तक की दूरी के विभिन्न स्टेशनों के लिए सीजन टिकट जारी किये जाते हैं।

[हिन्दी]

बैलाडीला और राजमोर खानों के लिए ठेके

4036. श्री विजय गोयल : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने बैलाडिला और राजमोर खानों में खनन कार्य हेतु विदेशी कम्पनियों से निविदाएं आमंत्रित करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में कुछ शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(च) खनन क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों को आमंत्रित करने के संबंध में केन्द्र सरकार की क्या नीति है?

इस्पात मंत्री और खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार बैलाडिला और राजमोर पहाड़ियों में खनन कार्य करने के लिए विदेशी कम्पनियों से निविदायें आमंत्रित करने का राज्य सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

(च) खनन अधिकार खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों क अनुसार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अनुसार खनन अधिकार केवल भारतीय राष्ट्रिक या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा (3) की उप धारा (1) में परिभाषित कम्पनी को ही दिये जा सकते हैं। लेकिन खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी खनिज के संबंध में केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई सर्वेक्षण लाइसेंस अथवा खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा।

[अनुवाद]

असम में रेल विभाग में भर्ती

4037. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष असम में रेल विभाग में श्रेणी-वार कितने लोगों की भर्ती की गई; और

(ख) राज्य में चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक श्रेणी में कुल कितने लोग भर्ती किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 में ग्रुप "ग" और "घ" में भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है:—

कोटि	वर्ष		
	1993-94	1994-95	1995-96
ग्रुप "ग"	97	128	197
ग्रुप "घ"	270	266	539

(ख) चालू वर्ष की पूरी अवधि में भर्ती किए जाने वाले संभावित व्यक्तियों की सही-सही संख्या का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है। बहरहाल, चालू वर्ष में नवम्बर 1996 तक ग्रुप "ग" और "घ" में भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है:—

कोटि	वर्ष
	1996-97 (30.11.1996 तक)
ग्रुप "ग"	115
ग्रुप "घ"	138

संयुक्त राज्य अमेरिका में एयर इंडिया के लिए बिक्री एजेंट/समेकनकर्त्ता

4038. श्री नामदेव दिवाथे : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राज्य अमेरिका में एयर इंडिया के लिए कितने सामान्य बिक्री एजेंट/समेकनकर्त्ता कार्य कर रहे हैं तथा नवीनतम पुनरीक्षा के अनुसार उनका कार्य-निष्पादन क्या है;

(ख) ऐसे एजेंटों/समेकनकर्त्ता को नियुक्त करने में सरकार की नीति क्या है तथा ऐसी नियुक्तियों में परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए मार्ग निर्देश तथा प्रक्रिया क्या है;

(ग) एयर इंडिया द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य देशों में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने सामान्य बिक्री एजेंटों/समेकनकर्त्ता नियुक्ति किए गए हैं और वर्तमान वर्ष के दौरान कितने नियुक्त किए जाने का विचार है तथा सम्बद्ध पार्टियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या की गई पदोन्नतियों में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) इस समय, संयुक्त राज्य अमेरिका में एयर इंडिया के लिए कोई सामान्य विक्रय अभिकर्ता/समेकनकर्ता नहीं है।

(ख) एयर इंडिया द्वारा किसी भी क्षेत्र के लिए सामान्य विक्रय अभिकर्ता की नियुक्तियां परिवर्तन तभी किया जाता है जब बाजार स्थिति तथा स्थानीय कस्टम की दृष्टि से इसकी जरूरत होती है। नियुक्ति उन निर्धारित सुस्थापित तथा व्यापक क्रियाविधि के अनुसार की जाती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक ऐसी अन्तर्विभागीय समिति एयर इंडिया के वित्त तथा वाणिज्यिक विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, विज्ञापन के अनुसार प्राप्त अभ्यावेदनों की संवीक्षा, स्थल निरीक्षण, क्रियाकलाप गतिविधि तथा प्रबंधन में सक्षम स्तरों द्वारा अनुमोदन शामिल है।

(ग) एयर इंडिया ने यू.एस.ए. में किसी सामान्य विक्रय अभिकर्ता/समेकनकर्ता की नियुक्ति नहीं की है। अन्य देशों में, निम्नलिखित जी.एस.ए. नियुक्त किए गए हैं:—

(1) इजराइल में मै. ओपन स्काई लि.।

(2) स्टेट ऑफ वैस्टर्न आस्ट्रेलिया में मै. जैटवर्ल्ड एयर सर्विसेज प्रा.लि.,

(3) किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया के [illegible] तथा दक्षिणी प्रान्तों में मै. यूसब बिन अ[illegible]मद कानू।

इस समय, केवल यू.एस.ए. क्षेत्र के लिए 3-4 समेकनकर्ताओं की नियुक्ति का प्रस्ताव है।

होटल निर्माण में जापानी उद्यमियों की भागीदारी

4039. श्री सत्यदेव सिंह :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने होटल निर्माण, विमानपत्तनों के विकास तथा अन्य सम्बद्ध गतिविधियों में भागीदारी के लिए जापानी उद्यमियों को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इस संबंध में दोनों सरकारों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त समझौते की शर्तें क्या हैं?

नागर विमानन मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). 30 अक्तूबर, 1996 को पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित खुले अधिवेशन में भाग लेने के लिए, कम्पनियों, बैंकों तथा अन्य संगठनों के शीर्षस्थ प्रबंधकों का एक जापानी प्रतिनिधि मंडल दिल्ली पहुंचा। खुले अधिवेशन का उद्देश्य भारत में पर्यटन तथा निवेश का संवर्धन करना था। केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में निवेश अवसरों की जानकारी से अवगत कराया।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

सेल द्वारा मिड ईस्ट स्टील कम्पनी लिमिटेड से वसूली

4040. श्री एस. रामचन्द्र रेड्डी :
श्री अजमीरा चन्दूलाल :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'सेल' का विचार 5.2 करोड़ रुपए की वसूली के लिए मिड ईस्ट स्टील कंपनी लिमिटेड के विरूद्ध मुकदमा चलाने का है;

(ख) क्या 'सेल' द्वारा 1994 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में बैंक गारन्टी तथा ब्याज आदायगी का प्रावधान शामिल नहीं था;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है?

इस्पात मंत्री और खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) जी, हां। 'सेल' पहले ही मिड ईस्ट स्टील कंपनी लि. से 5.2 करोड़ रुपए की वसूली हेतु उसके विरूद्ध मुकदमा कर चुकी है।

(ख) से (घ). 'सेल' ने सूचित किया है कि ब्याज मुक्त साख अवधि के बाद भुगतान में हुए विलम्ब हेतु ब्याज के भुगतान का प्रावधान समझौता ज्ञापन में शामिल था। तथापि, बिक्री की मात्रा की क्षमता और पार्टी की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उन्हें बैंक गारंटी देने से छूट दे दी गई थी, जोकि 'सेल' की विपणन नीति के अनुसार स्वीकार्य है।

कालीकट विमानपत्तन पर प्रायोक्ता प्रभार

4041. श्री टी. गोविन्दन :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कालीकट विमानपत्तन पर प्रयोक्ता प्रभार के रूप में कितनी राशि एकत्र की गई;

(ख) क्या देश के अन्य विमानपत्तनों पर भी प्रायोक्ता प्रभार लगाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो कालीकट विमानपत्तन पर ही इस प्रकार के प्रभार लगाने का क्या औचित्य है;

(घ) क्या सरकार का कालीकट विमानपत्तन पर प्रयोक्ता प्रभार की वसूली बन्द करने तथा विमानपत्तन के विकास के लिए धनराशि जारी करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) "प्रयोक्ता प्रभार" की उगाही। अक्तूबर, 1995 से आरंभ हुई तथा वर्ष 1995-96 के दौरान 228.52 लाख रुपए एकत्र किए गए।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, मालाबार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकास सोसायटी से वित्तीय सहायता के बिना कालीकट हवाई अड्डे का स्तरोन्नयन तत्काल रूप से नहीं कर सका। मालाबार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकास सोसायटी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को धावनपथ के विस्तार के उद्देश्य के लिए 60 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए सहमत हो गई है। मालाबार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकास सोसायटी द्वारा दी गई ऋण राशि पर ब्याज की अदायगी के लिए, सरकार कालीकट हवाई अड्डे पर

जीवनपथ के विस्तार की परियोजना पूरी होने तक प्रत्येक आरोही यात्री पर 500 रुपए का "प्रयोक्ता प्रभार" लगाने पर सहमत हो गयी है।

(घ) और (ङ). मामला परीक्षाधीन है।

संसद समाचारों के दर्शकों का मूल्यांकन

4042. श्री आर. देवदास : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद के सत्र के दौरान हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित होने वाले संसद समाचारों के दर्शकों के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) क्या दर्शकों की संख्या कम है;

(ग) क्या दूरदर्शन के राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से उस समय का उपयोग प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). दूरदर्शन ने इन समाचार बुलेटिनों के दर्शकों के बारे में कोई विशिष्ट मूल्यांकन नहीं किया है। तथापि, सीमित संख्या में शहरों से उपलब्ध दर निर्धारण आंकड़ों के अनुसार, इन कार्यक्रमों के दर्शकों की संख्या बहुत अधिक नहीं है।

(ग) और (घ). ये बुलेटिन क्योंकि संसद की कार्यवाही के बारे में देश में दर्शकों को सूचना देने के लाभप्रद उद्देश्य को पूरा करते हैं इसलिए इन स्लॉटों को प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रथम श्रेणी प्रबन्धन की परीक्षा

4043. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न संगठनों/सांसदों के अभ्यावेदन और पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें अनुरोध किया गया है कि स्नातक खनन इंजीनियरों को प्रथम श्रेणी प्रबन्धन परीक्षा में बैठने से मुक्त रखा जाए;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्नातक खनन इंजीनियरों ने 1990 में प्रथम श्रेणी प्रबंधन परीक्षा का सामूहिक रूप से बहिष्कार किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने परीक्षा प्रणाली की समीक्षा/उसमें संशोधन करने के लिए कोई अन्तर मंत्रालय समिति गठित की है;

(ङ) यदि हां, तो उन समिति के प्रतिवेदन का परिणाम क्या रहा; और

(च) समिति के प्रतिवेदन को प्रकाशित करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). जबकि प्रथम श्रेणी प्रबंधन परीक्षण धातु में वर्ष 1990 से 1994 के दौरान बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या 399 से 436 थी, प्रथम श्रेणी प्रबंधन परीक्षा (कोयला में) 1990 में केवल 28 उम्मीदवार बैठे। बाद के वर्षों में प्रथम श्रेणी प्रबंधन परीक्षा कोयला में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या 1991 में 1190 और 1994 में 2100 के बीच रही।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च). समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रबंधकीय कार्मिकों की दक्षता के लिए दो स्तरीय प्रमाणपत्र, अर्थात वित्तीय श्रेणी प्रबंधक प्रमाणपत्र और प्रथम श्रेणी प्रबंधक प्रमाणपत्र प्रदान करने की वर्तमान प्रणाली को जारी रखे जाने, द्वितीय श्रेणी प्रबंधक परीक्षा के लिए शैक्षिक योगयता को बढ़ाए जाने, इनहाउस उम्मीदवारों के लिए सेवा अनुभव में वृद्धि करने आदि की सिफारिश की। तदनुसार प्रबंधकीय कर्मियों को दक्षता के लिए दो स्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान करने की प्रणाली को जारी रखा गया है। समिति की अन्य सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ कार्यान्वयन के लिए स्वीकार कर लिया गया है।

श्रीनगर के ऊपर से संयुक्त राष्ट्र सेना प्रेक्षक ग्रुप की उड़ानें

4044. प्रो. अजित कुमार मेहता : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सेना प्रेक्षक ग्रुप इस्लामाबाद से दिल्ली तक उड़ानें संचालित कर रहा है जिसमें इनका श्रीनगर में गैर-कानूनी ठहराव भी शामिल है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यू.एन.एम.ओ.जी. द्वारा भारत में और पाकिस्तान से दिल्ली उड़ान संचालित करने और श्रीनगर में इसके अप्राधिकृत ठहराव का औचित्य क्या है; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (घ). दिनांक 7 नवम्बर, 1996 को केनन बोरेक एयर सि. से संबंधित यू.एन.-के बी जैड बीचक्राफ्ट एयर-100 ने इस्लामाबाद से श्रीनगर के लिए प्रचालन किया। इस उड़ान को ए ओ ए आर संख्या 796 दिनांक 1 नवम्बर, 1996 के तहत इस्लामाबाद से श्रीनगर, श्रीनगर से राजौरी, राजौरी से जम्मू, जम्मू से श्रीनगर तथा श्रीनगर से इस्लामाबाद को उड़ान के लिए प्राधिकृत किया गया था।

इस विमान के प्रचालन को वायु सेना मुख्यालय प्राधिकरण के अधीन अनुमति प्रदान की गई थी चूंकि श्रीनगर हवाई अड्डे पर हवाई वातायात नियंत्रण भारतीय वायुसेना के अधीन है।

कर्नाटक में बेलारी हवाई पट्टी का विकास

4045. श्री के.सी. कोन्द्य्या : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कर्नाटक में बेलारी हवाई पट्टी के विकास का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय आने का अनुमान है; और

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान इस पर कितनी धनराशि खर्च होने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). जी, नहीं। बेलारी हवाई पट्टी कर्नाटक राज्य सरकार की है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इस विमानक्षेत्र के विकास की कोई योजनाएं नहीं हैं।

'सेल' के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार

4046. श्री सुख लाल कुशवाहा : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 मार्च, 1996 को बानपुर (मध्य प्रदेश) स्थित भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) एकक में उत्पीड़न संबंधी घटना की ओर आकृष्ट किया गया जिसमें एकक के कर्मचारियों के साथ प्रबंध के इशारे पर सुरक्षा बल के कर्मियों ने हाथापाई और दुर्व्यवहार किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख). बानपुर (सतना), मध्य प्रदेश स्थित "सेल" की इकाई के कामगारों के साथ 24 मार्च, 1996 को हाथापाई की कोई घटना नहीं घटी। तथापि, 24 मार्च, 1995 (24.3.1996 को नहीं) कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ मारपीट/हाथापाई की घटना घटी थी न कि कामगार के साथ हाथापाई। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने कामगारों के उग्र रूप धारण करने पर अधिकारी की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप किया था और तत्पश्चात मारपीट/हाथापाई में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध एफ.आई.आर. भी दर्ज की थी। मारपीट में शामिल 132 कामगारों को निलम्बित/चार्ज शीट किया गया था और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई थी।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनियमितताओं के आरोप

4047. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1992 और 1994 के बीच भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के वाणिज्यिक समझौतों के संबंध में लगाए गए अनियमितताओं के आरोपों की जांच करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कहा है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा वर्ष 1992 और 1994 के बीच किए गए वाणिज्यिक समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के उन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध जांच करने तथा कार्यवाही करने का है जिन्होंने विभिन्न व्यापारियों को इस्पात का आबंटन करने में अनियमितताएं की हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (घ). जब भी अनियमितताओं के आरोप प्राप्त होते हैं, उनकी जांच की जाती है और गुण-दोष के आधार पर कार्रवाई की जाती है। इस्पात मंत्रालय ने कोई सी.बी.आई. जांच करने के लिए नहीं कहा है। वाणिज्यिक सहयोग के रूप में जानी जाने वाली ऐसी कोई विशिष्ट योजना नहीं है, जिसमें सेल अपने ग्राहकों को माल सप्लाई करता हो। वास्तविकता यह है कि सेल की विभिन्न योजनाएं लागू हैं जिनमें यह अपने ग्राहकों को माल सप्लाई करता है। सभी पात्र ग्राहकों को विभिन्न योजनाओं के तहत बिना किसी भेदभाव के एक समान रूप से माल की बुकिंग कराने की अनुमति है। वर्तमान मार्गनिर्देशों के अंतर्गत सेल द्वारा वर्ष 1992-93 से 1994-95 के दौरान प्रचालित योजनाएं नीचे दी गई हैं:—

वर्ष		योजना
1992-93	–	मांग पंजीकरण योजना
	–	वार्षिक बुकिंग योजना
	–	दीर्घावधि बुकिंग योजना
	–	तिमाही बुकिंग योजना
1993-94	–	वार्षिक बुकिंग योजना
	–	दीर्घावधि बुकिंग योजना
	–	तिमाही बुकिंग योजना
	–	समझौता ज्ञापन योजना
	–	सतत् बुकिंग योजना
1994-95	–	समझौता ज्ञापन योजना
	–	वार्षिक बुकिंग योजना
	–	तिमाही बुकिंग योजना
	–	सतत् बुकिंग योजना

विदेश संचार निगम लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति

4048. डा. बलिराम : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश संचार निगम के मुख्य वित्तीय अधिकारी जो दूरसंचार विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आए थे, को अपने मूल कैडर में वापस भेजने संबंधी आदेश किस तारीख को जारी किए गए;

(ख) क्या इस अधिकारी को विदेश संचार निगम के अध्यक्ष द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा विदेश संचार निगम के अध्यक्ष पर सरकारी आदेशों का पालन नहीं किए जाने के कारण क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अधिकारी द्वारा दूरसंचार विभाग में किस तारीख को कार्यभार संभालना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (घ). विदेश संचार निगम लि. (वी एस एन एल) में कार्यरत मुख्य वित्त अधिकारी श्रीमती एन्नी मोरेस को वापिस दूरसंचार विभाग में भेजने संबंधी आदेश 21 अगस्त, 1996 को जारी किया गया था। उक्त अधिकारी को 29 नंवम्बर, 1996 को विदेश संचार निगम लि. से कार्यमुक्त कर दिया गया था। श्रीमती मोरेस ने 5 दिसम्बर, 1996 को अपने मूल संगठन अर्थात् दूरसंचार विभाग में कार्यभार ग्रहण कर लिया था।

पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के साथ भेदभाव

4049. श्री मृत्युन्जय नायक : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा बरखास्त किए गए सामान्य श्रेणी के कुछ कर्मचारियों को बहाल किया गया था जबकि पिछड़े वर्गों के कुछ हैल्परों (खान) को बहाल नहीं किया गया है, यद्यपि वे कार्यालय को सूचित करने के बाद बीमारी के आधार पर ड्यूटी से अनुपस्थित रहे थे जैसा कि 7 फरवरी, 1996 के हिन्दी दैनिक "पब्लिक एशिया" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे भेदभाव के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त हैल्परों (खान) को बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

संतूर होटल में कार्यरत कर्मचारी

4050. श्री गुलाम रसूल कार : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1994, 1995 तथा 1996 को श्रीनगर के संतूर होटल में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी थी;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान होटल द्वारा अर्जित लाभ/नुकसान की राशि क्या थी;

(ग) यदि नुकसान हुआ है तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) होटल को लाभार्जक बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

	स्टाफ नफरी
अप्रैल 1994 को	368
अप्रैल 1995 को	356
अप्रैल 1996 को	347

(ख) से (घ). घाटी में अशांत स्थिति रहने के परिणामस्वरूप पर्यटन आवाजाही रुक गई थी, संतूर लेक व्यू होटल, श्रीनगर को हानि उठानी पड़ी। ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

वर्ष	हानि-राशि
	(लाख रुपयों में)
1993-94	544.02
1994-95	551.01
1995-96	330.55

[हिन्दी]

कोड वी.टी.

4051. श्री मनहरण लाल पांडेय : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय विमानन संगठन द्वारा भारतीय वायुयानों को दिये गये कोड बी.टी. का तात्पर्य वाइसराय टेरिटरी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस शब्द को बदलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) रिकार्ड में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं मिलता जिससे यह संकेत मिलता हो कि वी.टी. अक्षरों से अभिप्राय वाइसराय टेरिटरी से है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खुफिया नेटवर्क सेवा

4052. श्री के.एस. मुनियप्पा :
श्री रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में खुफिया नेटवर्क सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(ग) इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान, इंटेलीजेंट नेटवर्क पर आधारित सेवाओं को प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

(ग) नेटवर्क के बड़े हिस्से (सेगमेंट) में, निःशुल्क फोन, प्रीमियम दर, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल कार्ड कॉलिंग, यूनिवर्सल नंबर्स, टेलीवोटिंग इत्यादि जैसी इंटेलीजेंट नेटवर्क सेवाओं की शुरूआत करने की योजना बनाई गई है।

कम्प्यूटरों द्वारा ब्लू फिल्मों का उत्पादन

4053. श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री दादा बाबूराव परांजपे :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के जबलपुर में कुछ कम्पनियां कम्प्यूटरीकृत ब्लू फिल्मों के निर्माण में लगी हैं;

(ख) क्या इन फिल्मों को कुछ अन्य देशों तथा खाड़ी के देशों में भेजा जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (घ). चलचित्रको अधिनियम, 1952 में उल्लिखित उपबंधों को शर्तों के तहत किसी भी फिल्म को तब तक सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रदर्शित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित न कर दिया जाए। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को देश में निर्मित हो रही कम्प्यूटरीकृत ब्लू फिल्मों अथवा उनके वितरण/ निर्यात की कोई जानकारी नहीं है। चलचित्रको अधिनियम, 1952 को लागू करना राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों का दायित्व है तथा ऐसे अपराधों से संबंधित कानून के संगत उपबंधों के तहत आवश्यक कार्रवाई करना संबंधित जिला/पुलिस प्राधिकारियों का दायित्व है।

इंडियन एअरलाइन्स के टिकटों की बिक्री

4054. श्री प्रमथेस मुखर्जी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स की लखनऊ तथा कानपुर शाखाओं में पिछले तीन वर्षों के दौरान टिकटों की बिक्री से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि इन केन्द्रों पर बिक्री टर्नओवर में वृद्धि के बावजूद इंडियन एयरलाइन्स अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें चलाकर समुचित ग्राहक सेवा प्रदान करने में असफल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) पिछले तीन वर्षों के लिए कानपुर तथा लखनऊ में इंडियन एयरलाइन्स की शाखाओं द्वारा टिकटों की बिक्री से प्राप्त राशि निम्न प्रकार है :—

लाख रुपयों में

वर्ष	लखनऊ	कानपुर
1993-94	765.57	279.65
1994-95	823.59	268.41
1995-96	806.42	259.01

(ख) और (ग). पिछले तीन वर्ष के दौरान कानपुर में कुल बिक्री में कमी आई है। जबकि लखनऊ में वर्ष 1994-95 के दौरान बिक्री में साढ़े सात प्रतिशत की वृद्धि हुई थी लेकिन वह 1995-96 में 2 प्रतिशत घट गई।

मुम्बई में बग्गी पर्यटन परियोजना

4055. श्री महेश कुमार एम. कनोडिया : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु मुम्बई में "बग्गी पर्यटन परियोजना" आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना पर कितनी लागत आने की संभावना है;

(घ) क्या विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु देश के अन्य राज्यों में इसी प्रकार की योजना आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ग). निजी व्यवसाय हाउसों की सहायता से महाराष्ट्र सरकार ने दक्षिणी मुम्बई में ऐतिहासिक विश्वदाय स्मारकों के लिए पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक विक्टोरियन टुअर (बग्गी राइड) का आरम्भ किया है। विक्टोरियन टुअर की समयावधि सांय 9 बजे से 10 अर्थात् 1 घण्टा है, चार व्यक्तियों की एक बग्गी के लिए 250 रु. प्रति व्यक्ति किराया है। परियोजना पर कुल लागत खर्च लगभग 1.00 लाख है।

(घ) और (ङ). जी, नहीं । प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय विमानों को अनुमति

4056. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन से शिकागो जाने वाले विमानों को लंदन में उतरने की अनुमति नहीं दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या करण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस मुद्दे को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). भारत तथा यू.के. के बीच अंतर्शासकीय प्रबंध-व्यवस्थाओं के अंतर्गत, एअर इंडिया को पूर्ण तृतीय/चतुर्थ तथा पंचम स्वतंत्रता यातायात अधिकारों सहित लंदन से होकर शिकागो के लिए बी 747-400 सेवाएं प्रचालित करने के लिए यातायात अधिकार तथा आवृत्ति पात्रताएं प्राप्त हैं। तथापि, हीथ्रो प्राधिकरण उड़ानों के प्रचालनार्थ सुविधाजनक एयरपोर्ट स्लाट्स आवंटित नहीं कर सका। ऐसे मसलों को अंतर्शासकीय नागर विमानन बातचीत के जरिए हल किया जाता है।

कोड आदान-प्रदान समझौता

4057. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एअर लाइंस और एअर इंडिया के बीच कोड आदान-प्रदान समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). सरकार ने एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स को चुनिंदा अन्तर्देशीय सेक्टरों पर कोड-शेयर करने के निदेश दिए हैं। क्रियाविधि संबंधी ब्यौरे दोनों विमानकंपनियों द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा उक्त निदेश के कार्यान्वयन की निकट से मानिटरिंग की जा रही है।

कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मालभाड़े में वृद्धि करना

4058. श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में माल ढुलाई भाड़े में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सड़क परिवहन द्वारा वसूला जा रहा मालभाड़ा कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा वसूले जा रहे मालभाड़े से कम है;

(घ) यदि हां, तो दोनों के मालभाड़े में कितना अन्तर है;

(ङ) क्या उत्तरी क्षेत्र के निर्यातकों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा है; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या उपाय किए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). जी हां। कनकोर ने वार्षिक रेल बजट के अनुसार रेलवे कर्षण की दर के आधार पर रेल कर्षण प्रभार में 10 प्रतिशत की वृद्धि की है।

(ग) सामान्यतया कंटेनरों का सड़क परिवहन प्रभार, कनकोर द्वारा प्रभारित दर से अधिक है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं। कनकोर का बढ़ा हुआ माल भाड़ा निर्यातकों द्वारा एक कंटेनर की शापिंग पर खर्च किए गए कुल मूल्य का एक नगण्य हिस्सा है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी विभागों के विमान

4059. श्री आई.डी. स्वामी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी विभागों, मंत्रालयों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा स्वायत्तशासी निकायों का ब्यौरा क्या है जिनके पास अपने विमान हैं;

(ख) इनके द्वारा विमानों की खरीद कब की गयी तथा इन्होंने आज तक कितनी उड़ानें की हैं;

(ग) इन विमानों की खरीद किस उद्देश्य से की गयी थी; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इन हवाई जहाजों के दुरूपयोग के कितने मामले सरकार के ध्यान में आए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

गया-कोडरमा रेल लाइन पर हुई रेल दुर्घटना

4060. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे में गया-कोडरमा रेल लाइन पर गत तीन वर्षों के दौरान कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई;

(ख) क्या गया-कोडरमा रेल लाइन पर दूसरे स्थानों की अपेक्षा रेल दुर्घटनाएं होती हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उपयुक्त दुर्घटनाओं के कारण रेलवे को कुल कितनी हानि हुई है;

(ङ) क्या सरकार इस संबंध में विशेष ध्यान नहीं दे रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या ये दुर्घटनाएं रेल कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही के कारण हो रही है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) पूर्व रेलवे के गया-कोडरमा खंड में परिणामी रेल दुर्घटनाओं की संख्या 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान क्रमशः 4, 2 तथा 2 थी।

(ख) इसका कुछ भाग घाट खंड है तथा ऐसी तुलनायें संभव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इन दुर्घटनाओं के कारण रेलवे सम्पत्ति को हुई हानि का अनुमानित मूल्य 82.94 लाख रु. था।

(ङ) और (च). भारतीय रेलों पर संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकत दी जाती है। रेलें लगातार विभिन्न रोधक तथा सुधारात्मक उपायों से रेल दुर्घटनाओं की संख्या कम करने का लगातार प्रयास करती आ रही हैं। क्योंकि यह घाट खंड है अतः इस खंड पर चालकों तथा गाड़ियों पर विशेष निगरानी रखी जाती है।

(छ) और (ज). 8 दुर्घटनाओं में से 6, रेल कर्मचारियों की चूक से हुई थी।

मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क में विमानपत्तन

4061. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बांडला जिले में कान्हा नेशनल पार्क में विमानपत्तन के निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस विमानपत्तन पर कब तक कार्य करने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

समाचारपत्रों का पंजीकरण

4062. डा. बल्लभ भाई कठीरिया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों से वर्ष 1996 के दौरान अब तक, हिन्दी और अंग्रेजी के विभिन्न समाचारपत्रों के पंजीकरण के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत/लंबित आवेदनों की संख्या कितनी है;

(ग) बचे हुए मामलों को कब तक निपटा देने की संभावना है; और

(घ) पंजीकरण प्रदान करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) वर्ष 1996 के दौरान (13.12.1996 तक) हिन्दी और अंग्रेजी में समाचारपत्रों के पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या 2805 थी।

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान 1100 आवेदनों के संबंध में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए गए थे। प्रकाशकों द्वारा अपूर्ण सूचना देने के कारण 1705 आवेदनों को निपटाया नहीं जा सका।

(ग) प्रकाशकों द्वारा प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु अपेक्षित पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करते ही लम्बित मामलों को निपटा दिया जाएगा।

(घ) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत समाचारपत्रों का पंजीकरण किया जाता है। पंजीकरण हेतु मूलभूत मानदण्डों में भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय द्वारा शीर्षक का सत्यापन करना, संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा प्रकाशक की घोषणा को अधिप्रमाणित करना और प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम में निर्धारित समय में प्रकाशन आरंभ करना शामिल है।

कानपुर जोन में स्क्रैप का बेचना

4063. श्रीमती कमल रानी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 के दौरान कानपुर मण्डल में उनके मंत्रालय द्वारा कितना स्क्रैप बेचा गया और उससे कितनी धनराशि प्राप्त हुई;

(ख) क्या यह सच है कि कानपुर में रेलवे वर्कशाप के लोकोमोटिव इंजन रिपेयर शैड से भारी मात्रा में स्क्रैप की चोरी की गई है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्क्रैप की चोरी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या स्क्रैप व्यापारियों की दुकानों से पुलिस द्वारा मारे गए छापों में कई टन लोहा पकड़ा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) 1995-96 के दौरान इलाहाबाद मण्डल के अंतर्गत कानपुर क्षेत्र में लगभग 5200 मीट्रिक टन स्क्रैप बेचा गया था और उनसे 3.9 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस मंत्रालय को इस प्रकार के किसी घटना की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सरकारी/निजी क्षेत्र की सहायता से बिहार में खनन

4064. श्री सुकदेव पासवान :
श्री आर.एल.पी. वर्मा :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में उपलब्ध अपार खनिज भंडारों की मात्रा का पता लगा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी तथा निजी क्षेत्र की सहायता से इन खनिजों के विकास तथा खनन के लिए कोई योजना तैयार करने का है जो बिहार से गरीबी के उन्मूलन तथा बेरोजगारी को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में नए डाकघर

4065. श्री सोहन वीर :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने 1995-96 और 1996-97 में उत्तर प्रदेश में कितने डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में कोई मांगें भेजी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त मांगों को कब तक पूरा कर दिया जाएगा?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां। उत्तर प्रदेश में डाकघर खोलने के वर्षवार लक्ष्य इस प्रकार हैं :—

	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	विभागीय उप डाकघर
1995-96	12	16
1996-97	12	16

(ख) लक्ष्यों का आबंटन डाक सर्किलवार किया जाता है। डाकघर खोलना और उसके स्थान का निर्धारण करना मानदंडों पर आधारित औचित्य के अनुसार और प्रत्येक मामले के गुणावगुण पर निर्भर करता है।

(ग) और (घ). जी हां। सरकार ने सैफाई, जिला इटावा में एक डाकघर खोलने के लिए केवल एक मांग भेजी थी।

(ङ) दिनांक 24.11.96 को सैफाई, जिला इटावा में एक विभागीय उप डाकघर की मंजूरी दे दी गई है।

रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य

4066. श्री सुरेश प्रभु : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजपुर रोड तथा वैभव बाड़ी के बीच स्टेशन के निर्माण कार्य को बिना पूरा किए बीच में ही रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) . सरकार द्वारा उक्त स्टेशन के निर्माण कार्य को पूरा करने हेतु समुचित धनराशि उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

आमान परिवर्तन की लम्बित परियोजनाएं

4067. श्री कचरू भाऊ राउत :

श्री मधुकर सरपोतदार :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में कई प्रस्ताव सरकार की स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इनका परियोजना-वार ब्यौरा क्या है और इनके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) क्या आमान परिवर्तन के लिए कोई नई परियोजना शुरू की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके चयन के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ङ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(च) महाराष्ट्र में नई रेल लाइनें बिछाने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

(च) महाराष्ट्र में नई लाइनें बिछाने संबंधी मौजूदा स्थिति निम्न प्रकार है :—

नाम	वर्तमान स्थिति	पूरा होने की लक्ष्य तिथि
1. अमरावती-नरखेड़	भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है। नरखेड़ यार्ड में मिट्टी संबंधी कार्य का आंशिक कार्य प्रगति पर है। अमरावती में नई स्टेशन इमारत तथा नरखेड़ में ऊपरी पैदल पुल का कार्य पूरे जोरों पर है।	2001-02
2. पनवेल-करजत	आर्थिक मामलों की मंत्रिमंण्डल समिति ने कार्य की स्वीकृति दे दी है। मिट्टी संबंधी कार्य, छोटे तथा बड़े पुलों तथा इकहरी लाइन सुरंग आदि के कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।	1998-99

[अनुवाद]

कर्नाटक में उपनगरीय रेल सुविधाओं का उन्नयन

4068. श्री अनन्त कुमार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक में उपनगरीय रेल सुविधाओं का उन्नयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) बंगलौर, हुबली, बीजापुर, दावणगेरे, गुलबर्गा, हसन, मंगलौर और मैसूर में कितनी नई रेलगाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). भारतीय रेलों पर यात्रा सुविधाओं में सुधार करना, जिसमें उपनगरीय यात्रा भी शामिल है, एक सतत् प्रक्रिया है, जो यातायात औचित्य, संसाधनों की उपलब्धता (उपनगरीय सेवाओं के लिए डी एम यू/पुश पुल/ईएमयू/एमईएमयू रेलों सहित) और परिचालनिक व्यवहार्यता पर निर्भर करता है। कर्नाटक में उपनगरीय दैनिक यात्रियों के लिए अतिरिक्त गाड़ियां चलाने के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, जब कभी कर्नाटक के लिए भविष्य में नई गाड़ियां चलाई जाएंगी तब बेंगलूरू, हुबली, बीजापुर, दवनगिरी, गुलबर्गा, हसन, मंगलोर और मैसूर में ठहराव की व्यवस्था की जा सकती है जो यातायात के औचित्य पर निर्भर करेगी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में प्रथम एयर टैक्सी सेवा

4069. श्री दादा बाबूराव परांजपे :

श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि मध्य प्रदेश में गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा प्रथम एयर टैक्सी सेवा उपलब्ध कराने हेतु 7 जनवरी, 1992 को श्याम वर्मा ने कॉंटिनेंटल एविएशन प्राईवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी शुरू की थी तथा इस एयर टैक्सी सेवा

को आठ महीने चलाने के बाद इस कंपनी ने 22 मई, 1993 को अपना करोबार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा अन्य संगठनों से करोड़ों रुपए एंठ के बाद बंद कर दिया;

(ख) यदि हां, तो इस वायु सेवा के बंद होने के क्या कारण हैं;

(ग) इस कंपनी के कारण सरकार को कितनी धनराशि का घाटा हुआ है; और

(घ) सरकार द्वारा इस देय धनराशि की वसूली हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) मैसर्स कंटीनेंटल एविएशन प्रा.लि. को हवाई टैक्सी सेवाएं प्रचालन के लिए दिनांक 17 जून, 1991 को परमिट जारी किया गया था। परमिट 1 वर्ष के लिए मान्य था।

(ख कंपनी उक्त परमिट की वैधता के नवीकरण की इच्छुक नहीं थी।

(ग) कंपनी विरुद्ध बकाया देय राशि निम्नप्रकार है:—

		राशि (लाख रुपयों में)	यथा स्थिति
सीमा शुल्क प्राधिकारी (अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर)	:	74.86	17.12.96
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)	:	71.21	31.10.96

(घ) सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने बकाया देय राशियों की वसूली के लिए फरवरी, 1995 में मुम्बई स्थित कंपनी के एक विमान को आसेधित/पकड़ा था। भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि. द्वारा एक मामला दायर किया गया था, दिल्ली उच्च न्यायालय ने विमान को न बेचने तथा किसी तीसरे पक्ष को हस्तक्षेप न करने देने के संबंध में जनवरी, 1995 में निदेश जारी किए। उपरोक्त आदेश के परित्याग हेतु सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा एक मध्यस्थता दायर करने के संबंध में, माननीय उच्च न्यायालय ने ऋण वसूली अभिकरण (डीआरटी) को मामला हस्तांरित कर दिया है जहां मामला अभी निर्णय के लिए लंबित है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास विमान के संबंध में ग्रहणाधिकार है तथा देय राशियों की वसूली के लिए एक कोर्ट केस दायर कर दिया गया है।

कोयले के माल डिब्बों के गायब होने के संबंध में दावे प्रस्तुत करना

4070. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994 तक कोयले के ऐसे कितने माल डिब्बों के गायब होने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने दावे प्रस्तुत किए हैं;

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को कोयले से लदे माल डिब्बों के प्राप्त न होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे अधिकारियों ने कोयला अन्यत्र बेचा है;

(घ) यदि हां, तो इसमें लिप्त अधिकारियों के स्टेशन-वार नाम क्या हैं; और

(ङ) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के सभी दावों के संबंध में भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कम सप्लाई/अधिक सप्लाई किए गए कोयला माल डिब्बों के लिए दावे तथा प्रतिवदावों का निपटान आवधिक समन्वय के माध्यम से किया जाता है जोकि एक सतत् प्रक्रिया है।

विवरण

विद्युतघरों के लिए बुक किए गए कोयला रेकों में सामान्यत: अत्यधिक अपवादी परिस्थितियों यथा दुर्घटना, तोड़-फोड़, नागरिक अशांति, अत्यधिक भीड़भाड़ आदि या व्यापक राष्ट्रीय हित में ऊर्जा उत्पादन में रूकावट न आने दने के लिए विभिन्न विद्युत घरों की मांग को पूरा करने के सिवाय छेड़-छाड़ नहीं की जाती है। ऐसी परिस्थितियों में एक विशेष विद्युत घर के लिए बुक कोयले के रेकों का अन्य विद्युतघरों की ओर रूख कर दिया जाता है। जून 1996 को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के उत्तर तथा मध्य रेलों पर स्थित विद्युतघरों को 4962 कोयला माल डिब्बे कम सप्लाई किए गए थे जबकि पूर्व तथा पूर्वोत्तर रेलों पर स्थित विद्युतघरों को 7405 अधिक कोयला मालडिब्बे सप्लाई किए गए थे। इस प्रकार रेलों में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को उनके देय माल-डिब्बों से 2443 कोयला माल डिब्बे अधिक सप्लाई किए हैं।

[अनुवाद]

इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

4071. डा. राम लखन सिंह : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1995-96 के दौरान देश में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने का विचार है;

(ख) उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां 1996-97 के दौरान इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने का विचार है;

(ग) क्या भिंड के कुछ स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान, देश के सभी राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) जी नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) उक्त भाग (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दूरदर्शन के चैनल

4072. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में दूरदर्शन के चैनलों की संख्या तथा नाम क्या हैं;

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान प्रत्येक चैनल से कितनी धनराशि अर्जित की गयी है;

(ग) क्या सरकार का चैनलों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) निम्नानुसार 19 चैनल है :—

चैनल	सेवा
1	2
डी.डी.-1	राष्ट्रीय नेटवर्क दिल्ली अ.श.ट्रा.
डी.डी.-	अन्तर्राष्ट्रीय
डी.डी.-2	मैट्रो
डी.डी.-3	सूचनापट मनोरंजन तथा मूवी क्लब
डी.डी.-4	केरल
डी.डी.-5	तमिलनाडु
डी.डी.-6	उड़ीसा
डी.डी.-7	पश्चिम बंगाल
डी.डी.-8	आन्ध्र प्रदेश तथा पंजाब
डी.डी.-9	कर्नाटक
डी.डी.-10	महाराष्ट्र
डी.डी.-11	गुजरात
डी.डी.-12	डी.डी.-3 के साथ संविलयित
डी.डी.-13	असम तथा उत्तर पूर्व
डी.डी.-14	राजस्थान
डी.डी.-15	मध्य प्रदेश
डी.डी.-16	उत्तर प्रदेश
डी.डी.-17	बिहार
डी.डी.-18	डी.डी.-सी.एन.एन.
डी.डी.-19	जम्मू एवं कश्मीर

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी नहीं, इस समय नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मुगलसराय से वाराणसी तक गाड़ी आरम्भ करना

4073. श्री एस.पी. जायसवाल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुगलसराय से वाराणसी तक एक लोकल गाड़ी आरम्भ करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय लिया है;

(ग) क्या पटना और बक्सर से वाराणसी के बीच चल रही जी.एम.यू. गाड़ी मुगलसराय पर समाप्त कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त गाड़ी को पुनः वाराणसी तक बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). जी हां। इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और इनकी जांच कर दी गई है।

(ग) और (घ).पुश पुल रेकों में उपकरणों की प्रायः चोरी होने से तथा तदनन्तर उनके परम्परागत रेकों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप तकनीकी परिचालनिक कठिनाइयों के कारण बक्सर और वाराणसी के बीच पुश पुल सेवा को मुगलसराय स्टेशन पर समाप्त कर दिया गया है।

(ङ) फिलहाल इस गाड़ी को वाराणसी तक पुनः शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

विज्ञापन पर खर्च

4074. श्री इलियास आजमी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1995-96 के दौरान और अब तक मंत्रालय-वार और भाषा-वार दृश्य-श्रव्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से अथवा प्रत्यक्ष रूप से समाचार पत्रों में विज्ञापन पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय समाचारपत्रों को दिए जाने वाले उन विज्ञापनों पर मंत्रालयों/विभागों द्वारा खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा रखता है जो विज्ञापन और दृश्य निदेशालय के माध्यम से दिए जाते हैं। 1995-96 के दौरान और आज तक विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम समाचारपत्रों को दिए जाने वाले विज्ञापनों पर विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा खर्च की गई धनराशि का मंत्रालयवार और भाषावार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दर्शाया गया है।

विवरण-I

1995-96 के दौरान मंत्रालय/विभाग-वार किए गए व्यय को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	किया गया व्यय (रुपयों में)
1	2	3
1.	स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय	15765611
2.	वाणिज्य मंत्रालय	833913
3.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1798410
4.	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	62442112
5.	संचार मंत्रालय	29421831
6.	गृह मंत्रालय	27139560
7.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	4293008
8.	खाद्य मंत्रालय	744941
9.	नागरिक आपूर्ति मंत्रालय	2769407
10.	इस्पात मंत्रालय	41444
11.	खान मंत्रालय	1079926
12.	इलैक्ट्रानिक्स विभाग	4071866
13.	नागर विमानन मंत्रालय	266429
14.	शहरी विकास मंत्रालय	16157267
15.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	16356717
16.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	16293890
17.	उद्योग मंत्रालय	4118805
18.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	2135184
19.	वस्त्र मंत्रालय	4208373
20.	योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	1767875
21.	विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय	393204
22.	विद्युत मंत्रालय	226524
23.	कोयला मंत्रालय	52955
24.	विदेश मंत्रालय	410645
25.	पर्यटन मंत्रालय	103955
26.	महासागर विकास विभाग	382078
27.	संसदीय कार्य मंत्रालय	1044489
28.	अंतरिक्ष विभाग	6433527
29.	परमाणु ऊर्जा विभाग	8630835
30.	जल संसाधन मंत्रालय	2231721
31.	श्रम मंत्रालय	11059352
32.	वित्त मंत्रालय	26185475
33.	कृषि मंत्रालय	7815122
34.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	61722838
35.	रक्षा मंत्रालय	50843634
36.	भूतल परिवहन मंत्रालय	2721078
37.	कल्याण मंत्रालय	7561143
38.	खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय	91940
39.	रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय	192530
40.	प्रधान मंत्री कार्यालय एवं मंत्रिमंडल सचिवालय	491839
41.	राष्ट्रपति सचिवालय	91220
42.	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	17291772
	कुल	41,76,84,445
	स्वायत्तशासी निकाय एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	3,82,43,146
	कुल योग	45,59,27,591

वर्ष 1996-97 के दौरान मंत्रालय/विभाग-वार किए गए व्यय को दर्शाने वाला विवरण (30 नवम्बर, 1996 तक)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	किया गया व्यय (रुपयों में)
1	2	3
1.	स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय	9079969
2.	वाणिज्य मंत्रालय	713735
3.	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	44813489
4.	संचार मंत्रालय	19430443
5.	गृह मंत्रालय	9624975
6.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	1612268
7.	खाद्य मंत्रालय	267679
8.	नागरिक आपूर्ति मंत्रालय	195268
9.	खान मंत्रालय	165946
10.	इलैक्ट्रानिक विभाग	1027395
11.	नागर विमानन मंत्रालय	271370
12.	शहरी विकास मंत्रालय	8220769
13.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	1914582
14.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	7888459
15.	उद्योग मंत्रालय	1719786
16.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	1203754
17.	वस्त्र मंत्रालय	569041
18.	योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	1215369
19.	विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय	466866
20.	विद्युत मंत्रालय	41594
21.	विदेश मंत्रालय	103354
22.	पर्यटन मंत्रालय	68039
23.	महासागर विकास विभाग	375817
24.	संसदीय कार्य मंत्रालय	288000
25.	अंतरिक्ष विभाग	4299561
26.	परमाणु ऊर्जा विभाग	4175377
27.	जल संसाधन मंत्रालय	1131219
28.	श्रम मंत्रालय	3467381
29.	वित्त मंत्रालय	11438933
30.	कृषि मंत्रालय	3029363
31.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	25851927
32.	रक्षा मंत्रालय	26063876
1	2	3
33.	भूतल परिवहन मंत्रालय	923782
34.	कल्याण मंत्रालय	2687463
35.	खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय	95495
36.	रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय	191259
37.	प्रधान मंत्री कार्यालय एवं मंत्रिमंडल सचिवालय	391342
38.	राष्ट्रपति सचिवालय	50401
39.	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	562233
	कुल	19,56,37,579
	स्वायत्तशासी निकाय एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	2,76,74,971
	कुल योग	22,33,12,550

विवरण-II

वर्ष 1995-96 के दौरान मंत्रालय/विभाग/स्वायत्तशासी निकायों आदि की ओर से विज्ञापन और दृश्य निदेशालय द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों पर हुए खर्च का भाषावार ब्यौरा

क्र.सं.	भाषा	किया गया खर्च (रु. में)
1	2	3
1.	अंग्रेजी	167272574
2.	हिन्दी	153388705
3.	उर्दू	20602814
4.	पंजाबी	9370184
5.	मराठी	18173466
6.	गुजराती	14968291
7.	सिंधी	690988
8.	असमिया	2828430
9.	बंगला	21384121
10.	उड़िया	7614845
11.	तमिल	11030124
12.	तेलुगु	5218343
13.	मलयालम	13699761
14.	कन्नड़	9016437
15.	संस्कृत	32280

1	2	3
16.	नेपाली	156051
17.	मिजो	251248
18.	खासी	99553
19.	कोंकणी	15130
20.	मणिपुरी	114266
	योग	455927591

वर्ष 1996-97 के दौरान 30.11.1996 तक मंत्रालय/विभाग/स्वायत्तशासी निकायों आदि की ओर से विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों पर किए गए व्यय का भाषावार ब्यौरा

क्र.सं.	भाषा	किया गया खर्च (रु. में)
1	2	3
1.	अंग्रेजी	102510301
2.	हिन्दी	65051029
3.	उर्दू	8228099
4.	पंजाबी	4128835
5.	मराठी	7571695
6.	गुजराती	6226743
7.	सिंधी	291923
8.	असमिया	1073867
9.	बंगला	7926433
10.	उड़िया	3266504
11.	तमिल	5399368
12.	तेलुगु	2401468
13.	मलयालम	5541595
14.	कन्नड़	3413753
15.	संस्कृत	20377
16.	नेपाली	72619
17.	मिजो	147365
18.	खासी	12406
19.	कोंकणी	8182
20.	मणिपुरी	19988
	योग	223312550

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के अतिरिक्त एयरलाइन कंपनियां

4075. श्री पी.सी. थामस : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के पास एयर इंडिया और इंडियन एअरलाइन्स के अतिरिक्त भी एयरलाइन कंपनियां हैं;

(ख) क्या "एलाइन्स एयरलाइन्स" भी सहायक कंपनियों में से एक कंपनी है;

(ग) क्या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के पास अतिरिक्त स्टॉफ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सहयोगी एयरलाइन्स के बनाने से और अधिक स्टॉफ की आवश्यकता पड़ी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सहयोगी एयरलाइन्स के बनाने से सरकारी कोष पर अतिरिक्त खर्च बढ़ा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स के अतिरिक्त, भारत सरकार के अधीन एलायंस एयर नामक एक और अनुसूचित विमानकंपनी है। एलायंस एयर, इंडियन एयरलाइन्स की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अपनी सभी जनशक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एलायंस एयर प्रारंभ में इंडियन एयरलाइन्स/शार्ट हॉल आपरेशन विभाग के वॉलनटिअर्स को आमंत्रित करके संसाधन जुटाती है और केवल तदुपरांत ही खुले बाजार से प्रस्ताव करती है। इस समय एलायंस एयर के स्टाफ की नफरी 319 है और इसमें से 70 इंडियन एयरलाइन्स से सम्बद्ध हैं जबकि बाकी 249 को ठेके के आधार पर खुले बाजार से नियुक्त किया गया है।

(च) जी, नहीं।

(छ) यह प्रश्न नहीं उठता।

देश में इस्पात का उत्पादन

4076. जस्टिस गुमान मल लोढा :

श्री नवल किशोर राय :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में देश में इस्पात उत्पादन की दर काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो इस्पात उत्पादन की क्रमशः अन्तर्राष्ट्रीय तथा घरेलू दर क्या है; और

(ग) नवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इस्पात उत्पादन की अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू दोनों दर क्या होगी?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (ग). आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा 1996 में प्रकाशित रिपोर्ट "1995 में इस्पात बाजार और 1996 एवं 1997 हेतु संभावना" के अनुसार 1995 में विश्व में 7478 लाख टन अपरिष्कृत इस्पात का उत्पादन हुआ था। 1995-96 में 219.42 लाख टन अपरिष्कृत इस्पात का उत्पादन करके भारत विश्व में इस्पात का दसवां सबसे बड़ा उत्पादक है। नवीं योजना के अंतिम वर्ष 2001-02 हेतु प्रेक्षपणों के अनुसार देश में लगभग 432.6 लाख टन अपरिष्कृत इस्पात का उत्पादन होने का अनुमान है।

[हिन्दी]

रेल लाइन का दोहरीकरण

4077. श्री अमर पाल सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुरादनगर तथा मेरठ के बीच दोहरी लाइन बिछाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य हेतु धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राशि के आबंटन के बावजूद अब तक कार्य शुरू नहीं करने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) 1996-97 के दौरान 4.50 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं।

(घ) पहले कार्य बोल्ट योजना के अंतर्गत नियोजित था। बहरहाल, इस योजना के प्रति असंतोषजनक प्रतिक्रिया के कारण इस कार्य को रेल निधियों से शुरू करने का निर्णय लिया गया था। इस कारण कुछ विलंब हुआ है बहरहाल कार्य को हाथ में लेने के लिये रेलवे प्रारम्भिक व्यवस्था कर रही है।

[अनुवाद]

लिग्नाइट भण्डार

4078. श्री सनत मेहता : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लिग्नाइट की ऐसी कितनी खानें हैं जिनमें व्यावसायिक खनन की संभावना है;

(ख) इन खानों में राज्य-वार लिग्नाइट का कितना भंडार है; और

(ग) इनमें से कितने भंडारों को बिजली के उत्पादन के लिए सुरक्षित रखा गया है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) देश में कुल 16 खानें (तमिलनाडु-5, राजस्थान-7, गुजरात-4) हैं। जिनमें व्यावसायिक लिग्नाइट खनन की संभावना है।

(ख) इन खानों में राज्यवार लिग्नाइट के अनुमानित भंडार इस प्रकार हैं :—

राज्य	अनुमानित भंडार (एम.टी. में)
तमिलनाडु	3244.00
राजस्थान	807.08
गुजरात	664.56

(ग) ऊपर बताए गए लिग्नाइट के अधिकांश भंडार, यद्यपि विशिष्ट रूप से आरक्षित नहीं किए गए हैं, फिर भी, इनका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है।

ऐतिहासिक स्थलों का विकास

4079. श्री रमेन्द्र कुमार : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की बिहार में पर्यटन के उद्देश्य से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थलों को विकसित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य से किन-किन स्थानों को विकसित किए जाने की पहचान की गई है;

(ग) क्या बेगुसराय जिले के जयमंगलगढ़ जो कि उत्तरी बिहार का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल है और जहां साइबेरिया तथा अन्य दूरवर्ती क्षेत्रों से पक्षी आते हैं, को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख). पर्यटन हेतु महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थलों का विकास करना मुख्यतः राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। तथापि, पर्यटन विभाग राज्य सरकारों को, उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों पर, उनके गुणावगुणों, पारस्परिक प्राथमिकता तथा धन की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

जापान के विदेशी आर्थिक सहयोग कोष ने बोधगया, नालन्दा, राजगीर तथा वैशाली को शामिल करते हुए बौद्ध परिपथ सहित आधारभूत संरचना के विकास हेतु 143.18 करोड़ रु. की ऋण सहायता प्रदान की है।

(ग) और (घ). पर्यटन विभाग को बेगुसराय जिले में जयमंगलगढ़ के विकास हेतु बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

[हिन्दी]

बकाया भविष्य निधि की वसूली

4080. श्रीमती शीला गौतम :
श्री हरिन पाठक :
श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री ए. सम्पथ :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी/गैर सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक इकाइयों के विरूद्ध कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम की भारी धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी उद्योग-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार विलम्ब से भुगतान की गई धनराशि पर ब्याज की दर बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरूद्ध क.भ.नि. और क.रा.बी. देशों के राज्यवार बकाया राशियों से संबंधित सूचना विवरण-I में दिए गए अनुसार हैं। क.भ.नि. देयों के उद्योगवार बकाया राशियों के ब्यौरे-II पर दिए गए अनुसार हैं। क.रा.बी. योजना चरणबद्ध में क्षेत्रवार कार्यान्वित की जा रही है। इसलिए क.रा.बी. की बकाया राशियों के बारे में उद्योग वार सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) क.रा.बी./क.भ.नि. बकाया राशियों की वसूली में प्रगति की सतत् समीक्षा की जाती है। देयों/बकाया राशियों की वसूली में तेजी लाने के उद्देश्य से क.रा.बी.नि. और क.म.नि.सं. दोनों ने पूरे देश में अपने स्वयं के वसूली तन्त्र स्थापित किए हैं। क.रा.बी./क.भ.नि. प्रकीर्ण उपबंध अधिनियमों के अंतर्गत प्रावधान किए गए अनुसार आवश्यक निरीक्षण और अन्य कानूनी कार्रवाई भी चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरूद्ध की जा रही है।

(घ) और (ङ).इस समय क.रा.बी. योजना के अंतर्गत जो नियोजक निर्धारित समय सीमा के भीतर अंशदान भुगतान करने में असफल रहता है, उसे 15 प्रतिशत शोधक दर से ब्याज भुगतान करना पड़ता है। इसके अलावा वह चूक की अवधि के आधार पर 5 प्रतिशत से 25 प्रतिशत के रेंज के भीतर हर्जाना के भुगतान का भी उत्तरदायी है। क.भ.नि. योजना के अंतर्गत लम्बित भुगतान के मामले में नियोजक चूक की अवधि के आधार पर 17 प्रतिशत से 37 प्रतिशत की दर पर हर्जाना भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। इन दण्डात्मक उपबंधों को पर्याप्त समझा गया है।

विवरण-I

क.-क.रा.बी. देय

(रुपये करोड़ों में)

क्षेत्र का नाम	1993-94	1994-95	1995-96
आंध्र प्रदेश	14.96	15.18	14.92
असम	2.16	2.56	3.34
बिहार	8.08	9.05	9.99
दिल्ली	3.19	3.23	2.35
गुजरात	12.51	13.94	18.00
हरियाणा	4.46	4.08	4.51
कर्नाटक	7.50	9.02	9.62
केरल	6.34	6.83	7.69
मध्य प्रदेश	16.51	16.91	18.65
मुंबई	24.64	25.08	28.73
नागपुर	2.14	2.83	3.23
पुणे	7.67	7.80	8.88
गोवा	0.99	1.10	1.35
उड़ीसा	4.61	4.43	4.48
पंजाब	8.00	9.87	11.61
राजस्थान	2.94	3.27	3.75
तमिलनाडु	7.57	7.56	8.49
पांडिचेरी	0.59	0.77	0.78
कोयंबटूर	1.95	2.05	2.89
मदुरई	2.83	2.86	3.41
उत्तर प्रदेश	13.36	14.99	21.81
पश्चिम बंगाल	62.45	77.35	95.87

क.-कं.प.नि. देय

(रुपये करोड़ों में)

क्षेत्र का नाम	1993-94	1994-95	1995-96
आंध्र प्रदेश	1618.22	1132.22	1374.61
बिहार	1116.18	843.96	940.57
दिल्ली	364.30	254.65	2266.09
गुजरात	620.00	1036.12	943.06
हरियाणा	838.84	1389.07	2173.24
कर्नाटक	508.00	680.99	739.26
केरल	350.35	411.28	530.15
मध्य प्रदेश	1989.56	2361.43	2007.04
महाराष्ट्र	3137.41	3089.11	2902.70
पूर्वोत्तर क्षेत्र	232.15	294.13	270.00
उड़ीसा	425.39	601.80	400.47
पंजाब	1595.54	1909.84	1187.09
राजस्थान	331.22	429.07	625.72
तमिलनाडु	923.92	999.31	1466.13
उत्तर प्रदेश	3511.26	3836.57	4526.07
पश्चिम बंगाल	18536.47	15454.76	13974.12

विवरण-II

उद्योग-वार बकाया भविष्य निधि

क्र.सं.	उद्योग	चूक कर्ता प्रतिष्ठानों की संख्या	राशि (रुपए लाखों में)
1	2	3	4
1.	वस्त्र	621	9078.30
2.	इलैक्ट्रीकल, मैकेनिकल एवं सामान्य इंजिनियरिंग	1800	6266.00
3.	शिक्षा संस्थान	536	1627.46
4.	व्यापार एवं वाणिज्य	940	1430.84
5.	चीनी	222	1172.62
6.	सड़क एवं मीटर परिवहन	274	3245.92
7.	भारी एवं परिष्कृत रसायन	265	11117.20
8.	चाय एवं चाय बागान	52	327.52
9.	जूट उद्योग	46	9466.57
10.	कागज एवं कागज उत्पाद	64	322.30
11.	लोहा एवं इस्पात	173	276.30
12.	सीमेन्ट	48	166.00
13.	बैंक	19	154.03
14.	सिनेमा	473	130.96
15.	भवन एवं निर्माण	57	145.97
16.	समाचार पत्र	67	14.26
17.	होटल एवं रेस्तरा	151	88.86
18.	मुद्रण एवं मुद्रणालय	62	69.62
19.	खाद्य तेल	37	55.56
20.	अस्पताल	66	2259.43
21.	अन्य	5709	6332.63
	कुल	11682	22139.86

सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के प्रचार के लिए व्यय

4081. श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995 और 1996 के दौरान अब तक सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के प्रचार के लिये क्षेत्र-वार कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) क्या सरकार का इस धनराशि में कटौती करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अपना प्रचार अपनी आवश्यकता के अनुरूप सीधे करते हैं न कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के जरिए। अतः सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा विभिन्न प्रचार उपायों पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय में उपलब्ध नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा प्रचार पर खर्च की गई राशि पर भी विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय कोई नियंत्रण नहीं रखता है। तथापि, छह सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने वर्ष 1995 और 1996 के दौरान क्रमशः 353849.00 रुपए और 401787.00 रुपए की राशि के अपने वर्गीकृत प्रकृति के प्रेस विज्ञापनों को विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से भेजा है।

[अनुवाद]

भुज स्थित एचपीटी टावर

4082. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में भुज स्थित एच पी टी ट्रांसमीटर के लिए 300 मीटर के आर सी सी टावर के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या उक्त टावर का निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) कब तक इसे पूरा कर दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) क्या कार्य में विलंब से टावर की मूल लागत में वृद्धि होने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) 127.5 मीटर की ऊंचाई तक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर टावर का निर्माण हो गया है।

(ख) और (ग). टावर के निर्माण का कार्य एक मध्यस्थता मामले के कारण सितम्बर, 1995 से अगस्त, 1996 तक अस्थाई रूप से धीमा हो गया था। शेष ऊंचाई के लिए इस्पात निर्माण कार्य पुनः शुरू कर दिया गया है।

(घ) 300 मीटर टावर को दिसम्बर, 1997 तक पूरा किए जाने की आशा है।

(ङ) और (च). लगभग एक वर्ष से टावर निर्माण कार्य में हो रही धीमी प्रगति के कारण कीमत में लगभग 3.5 लाख रुपए की न्यूनतम वृद्धि होने की सम्भावना है।

अनधिकृत रूप से क्वार्टरों पर कब्जा

4083. डा. असीम बाला : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें बोकारो इस्पात नगर में बड़े पैमाने पर अनधिकृत रूप से क्वार्टरों पर कब्जा किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने उन क्वार्टरों पर कब्जा किया है और प्रत्येक व्यक्ति ने कुल कितने क्वार्टरों पर कब्जा किया हुआ है;

(घ) उन क्वार्टरों का कब्जा वापस लेने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या इन श्रमिक संघों को क्वार्टर आवंटित किए जाने के संबंध को क्वार्टर आवंटित किए जाने के संबंध में कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भविष्य निधि और उपदान का भुगतान

4084. डा. कृपासिंधु भोई : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कपड़ा निगम, (एन.टी.सी.) इंण्डियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आई डी पी एल) तथा कुछ अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकांश कर्मचारियों को जैसे भविष्य निधि और उपदान जैसी सांविधिक देय राशियों का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सभी कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इन गलतियों के क्या कारण हैं; और

(घ) कर्मचारियों को वेतन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ). कतिपय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मजदूरी और भविष्य निधि, उपदान, बोनस आदि जैसी अन्य सांविधिक बकाया देयों के भुगतान नहीं किए जाने का मुद्दा अनेक संसद सदस्यों और व्यवसाय संघों द्वारा विभिन्न औपचारिक और अनौपचारिक मंत्रों पर बार-बार उठाया जाता रहा है। उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ रुग्ण उपक्रम वित्तीय बाधाओं के कारण सांविधिक बकाया देयों का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। श्रम मंत्रालय ने संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों और वित्त मंत्रालय के साथ मामले को पहले ही उठाया है।

जम्मू और कश्मीर में कर्मचारी

4085. श्री पी. नामग्याल : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय जम्मू और कश्मीर में डाक एवं दूरसंचार विभाग में जिलेवार और श्रेणी-वार कितने कर्मचारी हैं;

(ख) क्या अनेक पद रिक्त पड़े हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी जिला-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) ये पद कब से रिक्त हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) **कर्मचारियों की संख्या :**

डाक विभाग

जम्मू व कश्मीर सर्किल में डाक-विभाग के कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित है :—

प्रभाग का नाम	स्टाफ की श्रेणियां			
	समूह "क"	समूह "ख"	समूह "ग"	समूह "घ"
(1) कश्मीर	2	8	498	157
(2) जम्मू	4	5	677	196
(3) बारामूला	शून्य	1	111	78
(4) उधमपुर	शून्य	1	239	68
(5) लद्दाख	शून्य	1	52	94

दूरसंचार विभाग

जम्मू व कश्मीर सर्किल में दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों की जिलावार (गौण स्विचन क्षेत्रवार) संख्या निम्नलिखित है :—

	समूह "क"	समूह "ख"	समूह "ग"	समूह "घ"
(1) गौण स्विचन क्षेत्र जम्मू	5	30	667	202
(2) गौण स्विचन क्षेत्र श्रीनगर	8	25	626	509
(3) गौण स्विचन क्षेत्र उधमपुर और राजौरी	2	14	220	72
(4) गौण स्विचन क्षेत्र लेह	1	3	29	21
(5) सर्किल कार्यालय (जम्मू में)	10	25	108	11

(ख) जी हां।

(ग) **डाक विभाग**

निम्नलिखित पद रिक्त हैं :—

प्रभाग का नाम	कर्मचारियों की श्रेणियां			
	समूह "क"	समूह "ख"	समूह "ग"	समूह "घ"
(1) कश्मीर	शून्य	शून्य	3	22
(2) जम्मू	"	"	–	13
(3) बारामूला	"	"	6	6
(4) उधमपुर	"	"	6	2
(5) लद्दाख	"	"	1	शून्य

दूरसंचार विभाग

जम्मू व कश्मीर सर्किल में गौण स्विचन क्षेत्र-वार रिक्तियों की स्थिति निम्नलिखित है :—

	समूह "क"	समूह "ख"	समूह "ग"	समूह "घ"
(1) गौण स्विचन क्षेत्र जम्मू	–	3	20	–
(2) गौण स्विचन क्षेत्र श्रीनगर	2	2	18	–
(3) गौण स्विचन क्षेत्र उधमपुर और राजौरी	–	3	8	–
(4) गौण स्विचन क्षेत्र लेह	–	–	2	–
(5) सर्किल कार्यालय	5	6	–	–

(घ) : **डाक विभाग**

ये सभी चालू वर्ष की सामान्य रिक्तियां हैं।

दूरसंचार विभाग

(1) स्थानांतरण/सेवानिवृति के कारण हाल में इंजीनियरिंग पक्ष में वर्ग "क" के 4 पद रिक्त हैं।

लेखा पक्ष में 3 पद पिछले लगभग 3 वर्षों से गड़बड़ी वाला क्षेत्र होने के कारण रिक्त पड़े हैं।

(2) इंजीनियरिंग पक्ष वर्ग "ख" के 12 पद मुकद्दमें के कारण 22.8.95 से रिक्त पड़े हैं।

लेखा पक्ष में वर्ग "ख" के 2 पद पिछले लगभग 2 वर्षों से गड़बड़ी वाला क्षेत्र होने के कारण रिक्त पड़े हैं।

(3) कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी संवर्ग में 1995 से वर्ग "ग" पद रिक्त पड़े हैं जिनके लिए भर्ती संबंधी कार्रवाई चल रही है।

(ङ) : **डाक विभाग**

कार्रवाई चल रही है तथा पदों के शीघ्र ही भरे जाने की संभावना है।

दूरसंचार विभाग

(1) इंजीनियरिंग पक्ष का वर्ग "क" पद शीघ्र ही भर लिया जाएगा।

(2) इंजीनियरिंग पक्ष का वर्ग "ख" पद मुकद्दमे के कारण भरा नहीं जा सकता तथा लेखा पक्ष के पद का गड़बड़ी वाला क्षेत्र होने के कारण नहीं भरे जा रहे हैं।

(3) वर्ग "ग" के पद परीक्षा आयोजित करने तथा उसका परिणाम घोषित होने के बाद, 1997 में भरे जाने की संभावना है।

नई रेल लाइन का निर्माण

4086. श्री के. परसुरामन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चेंगलपट्टू जंक्शन और महाबलिपुरम के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के बीच वाया कलपक्कम और तिरूकाजीपुरम द्वारा कोई नई रेलवे लाइन का निर्माण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी।

बंधुआ मजदूर

4087. श्री उधव बर्मन : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण ने "पहचान, मुक्ति और पुनर्वास" नामक एक वार्षिक कार्ययोजना स्वीकार की है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य-वार बाल श्रमिकों का पता लगाने, उनकी मुक्ति और पुनर्वास के संबंध में क्या प्रगति हुई है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग). देश में बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण ने "बाल श्रम की पहचान, मुक्ति और पुनर्वास" नामक एक कार्रवाई योजना अंगीकार की है। संक्षेप में इसमें बाल श्रम की पहचान और पुनर्वास के कार्य को प्रभावी रूप से निपटाने के लिए कार्यान्वयन स्तर-जिला स्तर-पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों की सेवाओं और योजनाओं के समायोजन, बाल श्रम के परिवार के आर्थिक पुनर्वास और संगत कानूनों को कड़ाई से प्रवर्तन का आह्वान किया गया है। वर्ष 1995-96 के अंत तक 1.5 लाख बालकों के पुनर्वास के लिए 11 राज्यों में कुल 76 बाल श्रम परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार अब तक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत 104,615 बालक शामिल किये गये हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

महाराष्ट्र में दूरदर्शन/आकाशवाणी के कार्यक्रम

4088. डा. जी.आर. सरोदे :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में दूरदर्शन ट्रांसमीटर के रेंज में कुल कितना क्षेत्र शामिल है;

(ख) क्या राज्य के एक बड़े क्षेत्र में दूरदर्शन/आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रसारित नहीं हो पाते हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष तथा नौवीं योजना अवधि के दौरान और एच.पी.टी./एल.पी.टी. स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो स्थान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). हालांकि, उपयुक्त डिश एण्टीना का प्रयोग करके उपग्रह के जरिए समग्र महाराष्ट्र राज्य में टी.वी. सेवा

उपलब्ध है तथापि राज्य की 85.2 प्रतिशत जनसंख्या तथा 74.1 प्रतिशत क्षेत्र को टी.वी. ट्रांसमीटरों द्वारा स्थलीय रूप से कवर किया जाता है। महाराष्ट्र में आकाशवाणी के संबंध में मौजूदा कवरेज 99 प्रतिशत क्षेत्र तथा जनसंख्या को उपलब्ध है। कुछ स्थानों को छोड़कर समग्र राज्य को एक या अधिक मी.वे./एफ.एम. ट्रांसमीटरों द्वारा कवर किया जाता है। तथापि, इन स्थानों को शा.वे. बैण्ड द्वारा कवर किए जाने की सम्भावना है।

(घ) और (ङ). जी, हां। नवीं पंचवर्षीय योजना अभी सूत्रबद्ध की जा रही है तथा इस स्थिति में ब्यौरे देना सम्भव नहीं होगा। तथापि, महाराष्ट्र में वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन टी.वी. परियोजनाओं के स्थानवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

टी.वी. परियोजनाएं (30.11.96 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	कार्यान्वयनाधीन
महाराष्ट्र	**कार्यक्रम निर्माण केन्द्र**
	मुंबई (सम्भावित)
	नागपुर (उन्नयन)
	पुणे
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	शिरपुर
	नवापुर
	मानगांव
	खोपोली
	महड
	उमरखेड
	सतना
	सिरौंचा
	चन्दौर
	अहेरी
	चिकौली
	अम्बेट
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	मालवान
	मलकापुर
	भोखर
	बदलापुर

भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898

4089. श्री काशीराम राणा : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लायी गई है कि वर्तमान आधुनिक प्रणाली में बदलाव को देखते हुए विद्यमान भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 पुराना हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समग्र मामले की जांच करने और वर्तमान स्थिति में संशोधन करने के लिए उपाय सुझाने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) पिछले काफी समय से भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की विश्वसनीयता तथा प्रामाणिकता बनी हुई है परंतु विश्व के बदलते हुए सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए इसके कुछ उपबंधों में संशोधन की आवश्यकता है।

(ख) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की पुनरीक्षा के लिए सरकार द्वारा एक समिति गठित की गई थी।

(ग) अधिनियम पुनरीक्षण समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(1) पत्रों को लाने-ले जाने के सरकार के अनन्य विशेषाधिकार का आंशिक रूप से परित्याग तथा कतिपय निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अधीन लाइसेंस प्राप्त करने पर प्राइवेट कोरियरों को पत्र लाने-ले जाने की अनुमति प्रदान करना।

(2) प्रचालन संबंधी असफलताओं के लिए डाक विभाग द्वारा और अधिक उत्तरदायित्व ग्रहण करना।

(3) नई सेवाएं आरंभ करने के लिए उपयुक्त, समर्थकारी उपबंधों को शामिल करना, और

(4) अवितरित डाक वस्तुओं के निपटान से संबंधित विनियमों में संशोधन करना।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेल द्वारा अर्जित राजस्व

4090. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के पूर्वार्द्ध में रेलवे ने मालभाड़ा के रूप में 162 करोड़ रुपये कम अर्जित किए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या रेलवे की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने के ठोस उपायों के अभाव में इस वर्ष के उत्तरार्द्ध में इस धनराशि के और बढ़ने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने रेल प्रशासन और प्रचालन को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय किए हैं; और

(ङ) वित्त वर्ष 1996-97 में कितना माल-भाड़ा शुल्क अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). जी नहीं। चालू वित्त वर्ष के पूर्वार्द्ध के दौरान मालभाड़ा राजस्व में वास्तविक कमी 129.44 करोड़ रु. हुई है। यह कमी सितंबर, 1996 तक के आनुपातिक लक्ष्य के संदर्भ में है।

(ग) और (घ).यद्यपि यातायात की मात्रा के लिए लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है फिर भी मिश्रित यातायात में बदलाव के कारण आमदनी लक्ष्य से कम रही है और अधिक लाभ प्रदान करने वाली वस्तुओं को ढोने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(ङ) वित्त वर्ष 1996-97 के लिए मालभाड़ा राजस्व की आमदनी का लक्ष्य 16975.00 करोड़ रु. निर्धारित किया गया है।

[अनुवाद]

टेलीफोन प्रणाली

4091. श्री हंस राज अहीर : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्रॉस-बार एक्सचेंज में बार-बार खराब के कारण टेलीफोन प्रणाली निरन्तर दोषपूर्ण होती जा रही है;

(ख) क्या सरकार का इन एक्सचेंजों को ई-90-बी इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इन एक्सचेंजों को इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में कब तक बदल दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). जी, हां। 9वीं योजना अवधि के दौरान सभी क्रासबार एक्सचेंजों को हटाने तथा उनके स्थान पर डिजिटल इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाने का कार्यक्रम है।

मेमू रेलगाड़ियां

4092. श्री विजय पटेल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अहमदाबाद और बड़ोदरा के बीच चलाई गई मेमू गाड़ियों को पहले गांधी नगर और बडोदरा के बीच चलाने का प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का उक्त निर्णय की पुनरीक्षा करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पूर्णिया डिवीजन में मीटर गेज रेल लाइन

4093. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्णिया डिवीजन में कुल कितने किलोमीटर रेल लाइन मीटर गेज है;

(ख) भारत और नेपाल को जोड़ने वाली इन महत्वपूर्ण रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइन में बदलने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) बिहार और नेपाल को जोड़ने वाली जोगबनी रेल लाइन के शेष भाग को कब तक बड़ी लाइन में बदल दिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) पूर्णिया रेलवे मण्डल नहीं है। रेलवे के मार्ग किलोमीटर से संबंधित सूचना केवल जोनवार और राज्यवार रखी जाती है न कि सिविल डिविजन या क्षेत्रवार।

(ख) और (ग).कटिहार-जोगबनी लाइन के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध होने के बाद परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

[अनुवाद]

श्रम बाजार संबंधी सुधार

4094. श्री नवल किशोर राय :
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 सितम्बर, 1996 के दैनिक "ट्रिब्यून" में "नीड फार लेबर मार्किट रिफार्म्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में उदारीकरण की नीति अपनाये जाने के पश्चात् श्रमिक वर्ग के समक्ष नई चुनौतियां तथा समस्यायें आ रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उच्च तकनीकी तथा सघन पूंजी वाले उद्योगों की स्थापना के पश्चात् उभरने वाले खतरे से श्रमिकों के हितों की रक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). उद्योगों का पुनर्गठन औद्योगिक विकास से जुड़ी प्राकृतिक प्रक्रिया है। उदारीकरण के परिणामस्वरूप इकाईयों के तकनीकी उन्नयन और आधुनिकीकरण के संबंध में नई औद्योगिक नीति के प्रभाव का सरकार द्वारा अध्ययन किया गया है। औद्योगिक पुनर्गठन, तकनीकी उन्नयन और उद्योगों के आधुनिकीकरण से प्रभावित कर्मकारों को एक सामाजिक सुरक्षा नेट प्रदान करने के लिए सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय नवीकरण निधि स्थापित की थी। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ उन श्रमिकों के लिए, जो फालतू हो गये हैं, सहायता, परामर्श पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन की परिकल्पना की गई है।

डॉक्टरों द्वारा त्यागपत्र

4095. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे में नियमित डाक्टरों के कितने पद रिक्त पड़े हैं तथा कितने डॉक्टर ठेके पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेलवे में नियमित रूप से नियुक्त डाक्टरों को परेशान किया जा रहा है तथा उन्हें नौकरी छोड़ने पर बाध्य किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या तथ्य हैं; और

(घ) सरकार द्वारा डाक्टरों के पलायन को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) :

(क) रिक्तियां - 60

ठेके पर डाक्टरों की सं. - 47

(ख) जी नहीं। ऐसी कोई घटना ध्यान में नहीं आई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बजट में आबंटित धनराशि

4096. श्री अमर राय प्रधान : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के बजट में मंडल-वार कितनी धनराशि आबंटित की गयी है;

(ख) क्या वर्ष 1996-97 के बजट में अन्य रेलवे मंडलों की तुलना में पूर्वोत्तर-सीमान्त रेलवे क्षेत्र हेतु दी गयी राशि न्यूनतम है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) बजट तैयार करते समय क्या मानदंड और आधार अपनाए जाते हैं; और

(ङ) वर्ष 1997-98 के लिये रेल बजट में मंडल-वार अनुमानित राशि क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) क्षेत्रीय रेलों के लिए बजटीय प्रावधान चालू कार्यों की संख्या, उनकी प्राथमिकता और प्रस्तावित नए कार्यों को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं।

(ङ) 1997-98 के लिए वार्षिक योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना हैं।

विवरण

(क) 1996-97 में विभिन्न क्षेत्रीय रेलों को प्रदान किया गया शुद्ध परिव्यय निम्नानुसार हैं :—

(हजार रुपयों में)

रेलवे	योजना परिव्यय
मध्य	481,02,49
पूर्व	285,04,00
उत्तर	473,13,33
पूर्वोत्तर	186,85,22
पूर्वोत्तर सीमा	256,58,93
दक्षिण	461,41,39
दक्षिण मध्य	305,50,05
दक्षिण पूर्व	505,16,37
पश्चिम	388,78,61

[हिन्दी]

रेल लाइनों का आमान परिवर्तन

4097. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काठगोदाम-बरेली-मथुरा-आगरा और बरेली-पीलीभीत रेल-लाइनों को बड़ी रेल-लाइनों में बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य के कब तक प्रारंभ होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) नौवीं योजना में।

[अनुवाद]

पंजाब में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के औषधालय

4098. श्री सुखबीर सिंह बादल : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में जिलेवार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कितने औषधालय कार्यरत हैं;

(ख) इनसे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए;

(ग) इन औषधालयों के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का पंजाब में और अधिक कर्मचारी राज्य बीमा निगम के औषधालय खोलने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). पंजाब में क.रा.बी. औषधालयों की संख्या के बारे में अपेक्षित सूचना संलग्न है। इन औषधालयों से क.रा.बी. चिकित्सा देख-रेख के लिए पात्र लाभानुभोगी 14,77,300 हैं।

(ग) से (ङ). राज्य में क.रा.बी. अधिनियम के अंतर्गत चिकित्सा देख-रेख के प्रशासन का दायित्व पंजाब सरकार का है। क. रा.बी. निगम ने औषधालयों के कर्मचारियों, उपस्करों के प्रावधान, दवाइयों आदि के लिए मानक निर्धारित किए हैं। निगम, राज्य में क. रा.बी. चिकित्सा देख-रेख के संचालन पर होने वाले 7/8 व्यय का पूरा करता है। महसूस की गयी आवश्यकताओं के अनुसार औषधालयों का उन्नयन और आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है। पंजाब में और क.रा.बी. औषधालय खोले जाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

पंजाब में औषधालयों की जिलेवार संख्या

जिला	औषधालयों की संख्या
1	2
लुधियाना	13
रोपड़	3
पटियाला	7
जालंधर	5
अमृतसर	5
कपूरथला	6
होशियारपुर	8
गुरूदासपुर	4
अबोहर	1
संगरूर	4
फतेहगढ़ साहिब	3
भटिंडा	3
बरनाला	2
फरीदकोट	4
मंसा	1
मोगा	1
कुल	70

रेल लाइन का सर्वेक्षण

4099. श्री जी.एम. बनातवाला :
श्री एस. अजय कुमार :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुट्टीपुरम से गुरुवायूर रेल लाइन का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो अनुमानित लागत तथा मार्ग की कुल दूरी सहित उक्त सर्वेक्षण का मुख्य निष्कर्ष क्या है;

(ग) क्या मार्ग में परिवर्तन किए जाने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). रेलवे के परामर्श से सर्वेक्षण के परिणामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। संरेखण को अंतिम रूप दिए जाने पर ही ब्यौरे उपलब्ध हो सकेंगे।

[हिन्दी]

उपग्रह फोन सेवा

4100. श्री पंकज चौधरी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में उपग्रह टेलीफोन सेवा आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसके कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) देश में टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए लंबी दूरी के माध्यम के रूप में इनसैट उपग्रह प्रणाली का इस्तेमाल पहले से ही किया जा रहा है।

(ख) देश में, जिला मुख्यालयों/उप-मंडल मुख्यालयों/तहसीलों/पर्यटन केन्द्रों/तीर्थ स्थलों इत्यादि को लंबी दूरी का माध्यम प्रदान करने के लिए उपग्रह माध्यम का इस्तेमाल किया जा रहा है। परिवहनीय/सचल फोन सेवा प्रदान करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है।

(ग) सेवा पहले ही प्रारंभ हो चुकी है।

[अनुवाद]

खनन कार्य

4001. श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने खनन कार्य को कम करने तथा अपने खानों का निजीकरण करने हेतु एक वृहत कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खान दुर्घटनाएं

4102. श्री दत्ता मेघे : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान कितनी खान दुर्घटनाएं जिलेवार तथा खानवार हुई;

(ख) खान दुर्घटनाओं में हुई वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) खान दुर्घटनाओं से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग). खान दुर्घटनाओं की प्रवृत्ति में उतार-चढ़ाव होता रहता है। खान अधिनियम, 1952 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों में खानों में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा संबंधी उपबंध विहित हैं। खान सुरक्षा महानिदेशालय सुरक्षा उपायों में सुधार करने के लिए प्रबंधन के लिए परिपत्रों के रूप में दिशा-निर्देश भी जारी करता है। इन उपबंधों का खान प्रबंधनों द्वारा पालन किया जाना अपेक्षित है। खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारी, सुरक्षा उपबंधों के अनुपालन की स्थिति की निगरानी करने, और चूक के मामले में खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई करने के लिए खानों का आवधिक रूप से निरीक्षण करते रहते हैं।

विधायी उपायों के अलावा, सरकार अनेक अन्य पहलों को प्रोत्साहन दे रही है, जैसे :—

(1) खान सुरक्षा सम्मेलन,

(2) प्रबंधनों द्वारा स्व-विनियमन,

(3) सुरक्षा प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता,

(4) विभिन्न स्तरों पर त्रिपक्षीय और द्विपक्षीय पुनरीक्षाएं,

(5) कार्य करने वाले व्यक्तियों का प्रशिक्षण,

(6) सुरक्षा सप्ताहों और सुरक्षा अभियानों का आयोजन,

(7) राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार।

खान सुरक्षा महानिदेशालय ने जल प्लावन से खतरे, अत्यधिक गैसीय खानों में भूमिगत कार्यकरण में फ्लेम प्रूफ उपज्कर की स्थिति की पहचान करने के लिए विशेष अभियान शुरू किए हैं अर्थात् गैसीयता की तीसरी श्रेणी की खानों में ये अभियान पूरे हो गए हैं और प्रबंधनों को उपयुक्त एहतियाती उपाय करने के लिए लिखा गया है। झरिया कोयला क्षेत्रों में भूमि के नीचे भू-तल अवसंरचनात्मक कामकाज संबंधी खतरे की पुनरीक्षा करने के लिए हाल ही में एक प्रयोग शुरू किया गया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पर्यटन का विकास

4103. श्री डी.पी. यादव : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों की उपेक्षा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश में बदायूं जनपद में, नरौरा में गंगा के निकट स्थित चेतना केन्द्र की अच्छी तरह देख-रेख नहीं की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त पर्यटन स्थल के विकास के लिए कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ताकि यहां राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आकर्षित हो सकें?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ग). पर्यटक क्षेत्रों का रख-रखाव तथा अनुरक्षण करना मुख्यतः राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। तथापि, पर्यटन विभाग राज्य सरकारों को विशिष्ट प्रस्तावों के लिए उनके गुणावगुणों, पारस्परिक प्राथमिकता तथा धन की उपलब्धता के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पर्यटन विभाग को उत्तर प्रदेश सरकार से "चेतना केन्द्र" हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र

4104. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :
श्री अनंत कुमार :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में इस समय दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्रों की संख्या कितनी है तथा उनकी क्षमता कितनी है और वे कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ख) इन केन्द्रों की खोज से उस क्षेत्र की कुल कितनी जनसंख्या को लाभ हो रहा है;

(ग) कितने आकाशवाणी केन्द्र विविध भारती की विज्ञापन सेवा का प्रसारण कर रहे हैं; और

(घ) मैसूर में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) संलग्न विवरण-I तथा II में दर्शाए अनुसार।

(ख) दूरदर्शन कर्नाटक में 69.9 प्रतिशत जनसंख्या को कवर करता है जबकि आकाशवाणी 96 प्रतिशत जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

(ग) दो आकाशवाणी केन्द्र विविध भारती की विज्ञापन सेवा का प्रसारण करते हैं।

(घ) सरकार का मैसूर में एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। वित्तीय स्वीकृति के बाद इस प्रकार की स्कीम को पूरा होने में लगभग तीन वर्ष का समय लगता है जो आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

विवरण-I

टेलीविजन परियोजनाएं (30.11.96 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	विद्यमान	क्षमता (वॉट में)
1	2	3
कर्नाटक	कार्यक्रम निर्माण केन्द्र	
	बंगलौर	
	गुलबर्गा	
	उ.श.ट्रां.	
	बंगलौर	10 किलोवाट
	धारवाड़	10 किलोवाट
	गुलबर्गा	1 किलोवाट
	शिमोगा	10 किलोवाट
	अ.श.ट्रां.	
	अरसीकेरे	100
	अथानी	100
	बागलकोट	100
	बन्तवाल	100
	बेलगांव	100
	बेल्लरी	100
	भटकल	100
	बिदर	100
	बीजापुर	100
	चिकमंगलूर	100
	चिकोड़ी	100
	चित्रदुर्ग	100
	दावंगेर	100
	गदग बेतगरी	100
	गंगावती	100
	हासन	100
	हासपेट	100
	हंगोन्ड	100
	कारवार	100
	कोलार सोना क्षेत्र	100
	कुमता	100
	मंडया	100
	मंगलौर	100
	मंडीकेरी	100
	मुदीगेरे	100
	मैसूर	100
	पावागदा	100
	रायचूर	100
	रामदुर्ग	100
	रानीबेन्नूर	100
	सदर	100
	सिरसी	100
	तिपतूर	100
	उड़िपी	100
	बंगलौर (डोडी-2)	100
	अ.अ.श.ट्रां.	
	सकलेशपुर	10

विवरण–II

आकाशवाणी केन्द्र का स्थल		क्षमता	
भद्रावती		20 कि.वा.मी. वे ट्रांसमीटर	
धारवाड़	(1)	200 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर	
	(2)	1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर	
गुलबर्गा		10 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर	
मंगलौर/उदिपी		1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर (मंगलौर)	
		20 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर (उदिपी)	
मैसूर		1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर	
बंगलौर	(1)	200 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर	
	(2)	1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर (वी.बी.)	
हासन		6 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर	
चित्रदुर्ग		6 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर	
हॉसपेट		10 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर	स्थानीय रेडियो केन्द्र
रायचूर		6 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर	
मरकरा		6 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर	
कारवार		3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर	स्थानीय रेडियो केन्द

दूरदर्शन से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति

4105. श्री प्रमोद महाजन : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों "कार्यक्रम कैडर स्टाफ" तथा इंजीनियरों ने 1994, 1995 और 1996 के दौरान अब तक त्यागपत्र दिया है अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इससे आकाशवाणी और दूरदर्शन का कार्यकरण कहां तक प्रभावित हुआ है;

(ग) सरकार द्वारा मंत्रालय के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने तथा इसे रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित अधिकारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बारे में क्या नियम हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीति क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). वर्ष 1994, 1995 और 1996 के दौरान छः भारतीय सूचना सेवा अधिकारियों, सात भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा अधिकारियों और बारह भारतीय प्रसारण (इंजीनियरी) सेवा अधिकारियों ने व्यक्तिगत कारणों से या अन्य सरकारी संगठनों में नियुक्ति हेतु आकाशवाणी/दूरदर्शन से त्यागपत्र दिया है/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अनुरोध किया है। इन दोनों संगठनों के वृहत् ढांचे के परिप्रेक्ष्य में इन संगठनों को छोड़ने वाले अधिकारियों की संख्या नगण्य है। वास्तव में, परिणामी रिक्तियों को भरने के लिए कई पात्र अधिकारी उपलब्ध हैं। इसलिए स्थिति को अधिक चिन्ताजनक नहीं समझा गया है।

(घ) और (ङ). अधिकारियों की स्वैच्छिक सेवा निवृत्तियां केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के मूल नियम 56 (ठ) तथा नियम 48 एवं 48 (क) द्वारा शासित होती हैं। सरकारी कर्मचारियों से प्राप्त त्यागपत्रों/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति संबंधी अनुरोधों को संबंधित नियमों में निर्धारित शर्तों के पूरा होने पर सामान्यतया स्वीकार कर लिया जाता है क्योंकि किसी अनिच्छुक सरकारी कर्मचारी को सेवा में रखना सरकारी हित में उपयुक्त नहीं समझा जाता है।

रूपसा–बंगरीपोसी रेल लाइन का आमान परिवर्तन

4106. श्री रनजीब बिसवाल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूपसा-गंगरीपोसी छोटी रेल लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत की गई है;

(ख) क्या इसके लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका था लेकिन रेल विभाग ने इस कार्य को शुरू करने के लिए धनराशि जारी नहीं की थी; और

(ग) यदि हां, तो धनराशि जारी न करने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं। इस कार्य के लिए 1996-97 के बजट में 50 लाख रु. की राशि की व्यवस्था की गई है।

(ख) और (ग). आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद कार्य को शुरू करने के लिए बजट में शामिल किया गया था। आर्थिक मामले सम्बन्धी मंत्रिमंडल समिति की स्वीकृति प्राप्त होने तक कार्य शुरू नहीं किया जा सकता था। अब स्वीकृति प्राप्त हो गई है और कार्य शुरू किया जा रहा है।

बिहार में टेलीकाम फैक्टरी की स्थापना

4107. श्री तारीक अनवर : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में टेलीकाम फैक्टरी/उद्योग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय, नई दूरसंचार फैक्टरी के गठन का ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

विदर्भ क्षेत्र में चालू रेल परियोजनाएं

4108. श्री अनंत गुढ़े : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदर्भ क्षेत्र में चालू रेल परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(ख) इसकी परियोजनावार लागत कितनी है तथा वर्ष 1995-96 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गयी, जारी की गयी तथा इसका कितना वास्तविक उपयोग किया गया तथा चालू वर्ष के दौरान अमरा-कोटी-नारखेड़ नई रल संपर्क हेतु विशेष रूप से कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है;

(ग) क्या धनराशि का प्रावधान इन परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के अंदर विशेष रूप से अमरा कोटी-नारखेड़ नई रेल संपर्क हेतु अपर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो चालू निर्माण कार्य की प्रक्रिया में तेजी लाने और अधिक लागत तथा समय से बचने हेतु चालू वर्ष के दौरान पर्याप्त धनराशि का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार हैं;

(ङ) विदर्भ क्षेत्र के लिए स्वीकृति हेतु लंबित उपरि पुल की परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) इनकी स्वीकृति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (च). एक विवरण संलग्न है।

(क) और (ख). विदर्भ क्षेत्र में इस समय चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

करोड़ रु. में

नाम	लागत	परिव्यय		मार्च, 96 तक व्यय
		1995-96	1996-97	
नई लाइनें				
1. अमरावती-नरखेड़	82.7 रु.	2.00रु.	5.49 रु.	2.53 रु.
दोहरीकरण				
1. सेवाग्राम (वर्धा पूर्व)-चिनोड़	3.39 रु.	1996-97 के बजट में शामिल की गई नई परियोजना	0.28 रु.	1996-97 के बजट में शामिल की गई नई परियोजना

(ग) जी नहीं।

(घ) अमरावती-नरखेड़ नई लाइन के लिए 5.49 करोड़ रु. की राशि की व्यवस्था की गई है जो इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त समझी गई हैं क्योंकि फिलहाल केवल भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य ही शुरू किया गया है।

(ङ) और (च). विदर्भ क्षेत्र में ऊपरी पुलों की कोई परियोजना स्वीकृति के लिए बकाया नहीं है। बहरहाल, "बोट" (निर्माण, परिचालन तथा हस्तांतरण) योजना अथवा निक्षेप कार्यों" के अंतर्गत 16 प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही योजना के विभिन्न चरणों में हैं।

गाड़ियों के लिए नए डिब्बे

4109. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में गाड़ियों के लिए नए डिब्बे प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाया गया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने डिब्बे प्रदान कराए गए हैं और गाड़ियों के नाम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). 1996-97 के दौरान दक्षिण रेलवे को 158 नए सवारी डिब्बे 2625/2626 केरला एक्सप्रैस को वात ब्रेक में परिवर्तित करने हेतु आबंटित किए गए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

यात्री सेवा समिति का गठन

4110. डा. सी. सिल्वेरा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्री सेवा समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इस समिति के सदस्यों और अध्यक्ष के नाम क्या हैं तथा अध्यक्ष और सदस्यों को क्या-क्या परिलब्धियां और सुविधाएं प्रदान की जायेंगी;

(ग) क्या सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति/चयन के लिए कोई दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति को क्या कार्य निर्दिष्ट किए गए हैं;

(ङ) क्या यह समिति यात्री सुविधा समिति से किसी मायने में अलग है;

(च) क्या इन दोनों समितियों को सभी रेलगाड़ियों और सभी श्रेणियों में मुख्यालय आरक्षण कोटे में वरीयता प्राप्त है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) अध्यक्ष और सदस्य जनसेवक होते हैं और इसलिए इन नियुक्तियों के लिए पात्रता के मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(घ) और (ङ). यात्री सुविधा समिति का गठन रेल स्टेशनों और रेलगाड़ियों में प्रदान की गई यात्री सुविधाओं की देख-रेख के लिए किया गया है जबकि यात्री सेवा समिति का गठन रेल परिसरों में खान-पान/बेडिंग स्टालों/ट्रालियों/पुस्तक स्टालों/पर्यटक सूचना केन्द्रों आदि की जांच के लिए किया गया है।

(च) और (छ). समितियों के अध्यक्ष तथा सदस्यों को ड्यूटी पर यात्रा करते समय आपातकालीन कोटे से आबंटन में विधिवत प्राथमिकता दी जाती है। अन्य व्यक्तियों के पक्ष में उनके द्वारा भेजे गए अन्य व्यक्तियों के लिए कोटे से आबंटन के अनुरोधों पर अन्य ऐसे अभी अनुरोधों के साथ योग्यता के आधार पर विचार किया जाता है तथा उन्हें कोई विशेष प्राथमिकता नहीं दी जाती।

विवरण

यात्री सेवा समिति के गठन में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(क) श्री शिव प्रसाद सिंह,
एडवोकेट, हाजीपुर जिला,
वैशाली (बिहार) ...अध्यक्ष

(ख) श्री एस.ए.हाशमी
जमायत बिल्डिंग, गली कासिम जान,
बालीमारान, दिल्ली ...सदस्य

(ग) श्री आर.के. सिसौदिया
गांव एवं डाक भौरा
जिला धनबाद, बिहार ...सदस्य

(घ) श्रीमती स्वराज लांबा
सं.306, बिल्डिंग सं. 34,
अधीश्वर अपार्टमेंट्स,
फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ...सदस्य

(ङ) श्री सूर्यमणि भियोगडे
जोगिंदरनगर, डा. भगवानपुर
नागपुर ...सदस्य

समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं :—

(1) खानपान/वेंडिंग स्टालों/ट्रालियों तथा अन्य सभी स्टालों तथा पुस्तक स्टालों एवं अन्य विविध वस्तुओं संबंधी स्टालों पीसीओ/आईएसडी/एसटीडी बूथों के आकार, अभिकल्प और स्थान की समीक्षा करना और स्थान सहित उनके अभिकल्प, आकार के मानकीकरण के उपायों की सिफारिश करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये न केवल स्टेशन की संरचना के अनुरूप हों बल्कि कम से कम स्थान घेरे और यात्रियों के चलने-फिरने में कोई रुकावट न पैदा करें। विशेष रूप से महत्वपूर्ण स्टेशनों और प्लेटफार्मों पर इस प्रकार की सेवाओं की प्रचुरता और अव्यवस्थित ढंग से स्थापना के कारण हुई भीड़-भाड़ को कम करने के उपायों की सिफारिश करेंगे।

(2) समिति स्टेशनों और रेलगाड़ियों में अप्राधिकृत फेरी वालों/वेंडिंग की समस्या का अध्ययन करेगी, संवेदनशील स्थानों, खण्डों और रेल गाड़ियों की खोज करेगी, इस संकट के निवारण हेतु ठोस उपायों की सिफारिश करेगी।

(3) समिति इन विभिन्न स्टालों पर, मौजूदा विक्रय के लिए स्वीकृत की गई वस्तुओं की भी समीक्षा करेगी और उनके मानकीकरण का सुझाव देगी। वे विक्रय के लिए शामिल करने के लिए उन वस्तुओं की सिफारिश करेंगे जो स्वास्थ्य और स्वच्छता को बिना किसी खतरे और जनता के स्वाद एवं संवेदनशीलता का किसी भी प्रकार से ठेस न पहुंचाएं।

(4) समिति यात्रा करने वाली जनता के लिए यातायात के अन्य साधनों, नगर नक्शों की उपलब्धता आदि के बारे में मार्ग-दर्शन के लिए पर्यटक सूचना केंद्रों तथा खोखों की स्थापना के संबंध में आवश्यकता की जांच करेगी तथा इनकी सिफारिश करेगी।

(5) समिति राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक *सद्भावना, ग्रामीण विकास आदि विषयों वाले साहित्य की बिक्री की मंजूरी देने सहित क्षेत्रीय और प्रादेशिक आवश्यकताओं के आधार पर पुस्तकों और प्रकाशनों के बारे में जांच और सिफारिश करेगी। समिति स्टेशनों पर* दृश्य साधनों यथा सीसीटीवी आदि के माध्यम से दिए जाने वाले संदेशों सहित रेलवे स्टेशनों पर रेल गाड़ियों में चलाए जाने वाले संगीत की किस्म की भी जांच करेगी।

सेल्युलर टेलीफोन उपकरण

4111. श्री राम टहल चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी कम्पनियां देश में सेल्युलर टेलीफोन उपकरण बेच रही हैं;

(ख) यदि हां, तो 1 नवम्बर, 1996 को देश में इन उपकरणों की कीमतें कितनी हैं;

(ग) संबंधित कंपनियों के इन उपकरणों की भारत के मुकाबले लंदन, न्यूयार्क, टोक्यो और सिंगापुर में कीमतें कितनी है;

(घ) इन सस्ते उपकरणों को भारत में ऊंची कीमतों पर बेचने की अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तिरूपति में कलाकारों को पारिश्रमिक

4112. श्री नेलावाला सुब्रह्मण्यम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी, तिरूपति केन्द्र ने मई, 1996 से कलाकारों को पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनको शीघ्र भुगतान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर मनमाड-मुंबई पंचवटी एक्सप्रेस का ठहराव

4113. श्री भीमराव विष्णु जी बडाडे : *क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या मनमाड-मुंबई पंचवटी एक्सप्रेस इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बृहत औद्योगिक क्षेत्र के लाभ के लिए इगतपुरी में उक्त रेलगाड़ी को रोकने का है;

(ग) यदि हां, तो उक्त ठहराव कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार विचार इस रेलगाड़ी को पूर्ण रूप से/आंशिक रूप से वातानुकूलित बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) 1401/1402 मनमाड-मुंबई पंचवटी एक्सप्रेस पहले से ही इगतपुरी स्टेशन पर दोनों दिशाओं में रुकती है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) और (च). फिलहाल, 1401/1402 पंचवटी एक्सप्रेस को पूर्णतया वातानुकूलित गाड़ी में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, 1401/1402 पंचवटी एक्सप्रेस में एक वातानुकूलित कुर्सीयान उपलब्ध है।

[अनुवाद]

पंचवटी एक्सप्रेस में ए.सी.डी.सी. लोकोमोटिव लगाना

4114. श्री राजाराम परशराम मोडसे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नासिक और मुंबई के बीच चलने वाली पंचवटी एक्सप्रेस में ए.सी./डी.सी. लोकोमोटिव लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) मध्य रेलवे में 5 अद्द एसी/डी सी रेल इंजन उपलब्ध हैं और उनका सेवा परीक्षण किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में दूरभाष केन्द्र

4115. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खराब रख-रखाव के कारण बिहार के सहरसा और सुपौल जिलों में कई गांवों के दूरभाष बन्द होने के कगार पर हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इनके उचित रख-रखाव हेतु क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) सहरसा जिले में 21 तथा सुपौल जिले में 14 एक्सचेंज हैं। ये सभी एक्सचेंज, इलेक्ट्रानिक किस्म के हैं और संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं।

(ख) अनेक एक्सचेंज ओपन वायर लाइनों के जरिए अपने मूल एक्सचेंजों से जुड़े हैं जिनमें बार-बार चोरियां तथा दोष होते रहते हैं। इस क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं के निष्पादन में सुधार हेतु अगले दो वर्षों के दौरान उत्तरोत्तर रूप से ओपन वायर लाइनों के स्थान पर विश्वसनीय संचार माध्यम स्थापित किए जाने की योजना है।

अहमदाबाद-भावनगर और भावनगर-तारापुर रेल लाइनें

4116. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न संगठनों, चेम्बर ऑफ कॉमर्स और विभिन्न औद्योगिक संस्थानों द्वारा बहुत समय से अहमदाबाद-भावनगर और भावनगर-तारापुर रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदले जाने की मांग की जा रही है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) उपरोक्त बड़ी लाइन पर करवाए गए अभियांत्रिक और यातायात संबंधी सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन लाइनों पर कब तक निर्माण कार्य आरंभ किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) इस संबंध में निम्नलिखित माननीय सांसदों तथा अन्यों ने अभ्यावेदन अग्रेषित किए हैं:—

1. श्री सोमनाथ चटर्जी, सांसद
2. श्री सनत मेहता, सांसद
3. श्रीमती उर्मिलाबेन पटेल, सांसद
4. श्री दिलीप संघानी, सांसद
5. श्री राजेन्द्र सिंह राणा, सांसद
6. श्री गोरधन भाई जाविया, सांसद
7. श्री नरोत्तमभाई पटेल, विधायक/गुजरात
8. श्री जिंद्रा उपाध्याय, सदस्य/राज्य संसदीय बोर्ड/गुजरात
9. फेडरेशन ऑफ कच्छ सौराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री
10. अमरेली चैम्बर ऑफ कॉमर्स

(घ) और (ङ). धोला-धासा-महुआ के पीपवाव तक विस्तार सहित सुरेन्द्रनगर तथा भावनगर के बीच के आमान परिवर्तन के कार्य को वर्ष 1996-97 के पूरक बजट में पहले ही शामिल कर लिया गया है तथा आवश्यक स्वीकृति मिलते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

बहरहाल इस समय भावनगर से तारापुर तक नई लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

बीना जंक्शन पर शताब्दी एक्सप्रेस का ठहराव

4117. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का, गोवा एक्सप्रेस, केरल एक्सप्रेस, पुष्पक एक्सप्रेस और सुपरफास्ट शताब्दी एक्सप्रेस को बीना जंक्शन पर ठहराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा बीना जंक्शन के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) न तो वाणिज्यिक रूप से औचित्य पूर्ण है और न ही परिचालनिक रूप से व्यवहार्य है।

(घ) स्टेशनों का विकास एक सतत प्रक्रिया है और इसे यातायात की आवश्यकता के अनुसार जहां कहीं जरूरत होती है, शुरू किया जाता है। बीना स्टेशन पर संभाले जा रहे यातायात की मात्रा के अनुरूप पहले से ही सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। बीना स्टेशन पर प्लेटफार्म के विस्तारण का 3/4 कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है।

[अनुवाद]

इंडियन न्यूज कास्टर्स एसोसिएशन

4118. श्री पिनाकी मिश्र : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इंडियन न्यूज कास्टर्स एसोसिएशन" अपनी मांगों को मनवाने के लिए आन्दोलनरत है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

लघु खान मालिक

4119. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लघु खान मालिकों की समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान खनिज उद्योग महासंघ द्वारा इस संबंध में कोई अभ्यावेदन दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा लघु खान मालिकों को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) राजस्थान में खनिजों से भरपूर अरावली पर्वत श्रृंखला में खनिजों की खोज और खनिज दोहन के संबंध में प्राप्त उपलब्धियों तथा इस संबंध में भारतीय खान ब्यूरो की भूमिका क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा छोटे खान मालिकों के साथ हुई वार्ता से जो कुछ समस्यायें सामने आई वे हैं-योग्य सर्वेक्षकों और खनन इंजीनियरों की कमी; खनन योजना तैयार करने के लिए विस्तृत प्रारूप; खनन कार्य करने में कठिनाइयां आदि क्योंकि खान मालिकों को खनिज अधिकार सहित भूतल अधिकार नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) खनिज संरक्षण और विकास नियम 1988 में संशोधन किए गए हैं जिनमें इससे पहले के फार्म तथा नोटिस सरल बनाए गए हैं और यहां तक कि उनके प्रस्तुत करने के अन्तराल को भी कम किया गया है। छोटे खान मालिकों की सहायता के लिए भारतीय खान ब्यूरो में हाल ही में एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। भारतीय खान ब्यूरो द्वारा तकनीकी परामर्श, रासायनिक विश्लेषण और ड्रेसिंग अन्वेषण के प्रभावों में छोटे खानों के लिए रियायत दी जाती है। राज्य सरकार ने 50 एम×50एम के न्यूनतम आकार के पट्टा क्षेत्रों को बढ़ाकर एक हैक्टर करने के लिए 1994 में राजस्थान खान खनिज-रियायत नियम 1986 में संशोधित किया। राज्य सरकार ने सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और श्रमिकों की अन्य कल्याण सुविधाओं की लागत का 50 प्रतिशत खर्च वहन करने की पेशकश भी की है बशर्ते कि 50 प्रतिशत खर्च पट्टाधारी द्वारा किया जाए। राज्य सरकार ने छोटी खानों के मामले में सड़क निर्माण का कार्य अपने खर्च पर करने का भी वचन दिया है।

(च) अरावली क्षेत्र में बहुत से संभावित खनिज भंडारों का पता लगाया गया है। जिनमें से बहुत से भंडारों में उत्पादन हो रहा है। गैर-धात्विक खनिजों में महत्वपूर्ण खनिज उदयपुर जिले के रॉक फास्फेट भंडार, राहीला और पंडोकीपाली जिलों के बैराइट भंडार फ्लोराइट भंडार जालोर जिले में करारा, डुंगरपुर चित्रोड़ बूंदी बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर, पाली और उदयपुर जिलों के संगमरमर और सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर भंडार है। धात्विक खनिजों में राज्य विभाग ने सिरोही जिले में बंसतगढ़, पिपेला क्षेत्रों में डेरी बहुधात्विक भंडारों और आधार धातु निक्षेप भीलवाड़ा जिले में अगूचा सीसा-जस्ता भंडार, डूंगरपुर जिले में पांडों की पाल तांबा भंडार और उदयपुर जिले में अंजानी आधार धातु भंडार का पता लगाया है। भारतीय खान ब्यूरो खनिज गवेषण से संबंधित कार्य नहीं करती।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली

4120. श्री ए.सी. जोस : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन सरकार ने राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली और प्रशिक्षण के प्रमुख क्षेत्रों के नवीकरण हेतु सहायता की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और शर्तें क्या हैं;

(ग) इस वित्तीय सहायता का किन किन क्षेत्रों में उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) जर्मनी के साथ तकनीकी सहयोग हेतु किन क्षेत्रों में सहयोग हुआ है/करने का विचार है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ). निम्नलिखित क्षेत्रों में श्रम मंत्रालय, बेरोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने के

प्रस्ताव पर जर्मन सरकार विचार कर रही है :—

(1) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली का पुनर्गठन जिसमें शामिल है (क) एक राष्ट्रीय व्यवसाय परीक्षण एवं प्रमाणीकरण प्राधिकरण हेतु नियोजन, (ख) अनुदेशकों के प्रशिक्षण हेतु एक नोडल संस्थान का नियोजन।

(2) केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, संस्थान (सी-स्टारी), कलकत्ता के वर्तमान कार्यों के पुनर्गठन द्वारा अनुसंधान कार्यपालक कर्मचारी प्रशिक्षण, केन्द्रीय सूचना एवं डाक्यूमैन्टेशन सेवाओं के लिए एक नोडल संस्थान का विकास।

(3) केन्द्रीय अनुदेशक मीडिया संस्थान (सिमी) चेन्नई, के वर्तमान कार्यों के पुनर्गठन द्वारा पाठ्यक्रम, मीडिया तथा व्यवसाय परीक्षण हेतु एक नोडल संस्थान का विकास।

उपर्युक्त प्रस्ताव विचार-विमर्श की प्रक्रिया में हैं। तथापि, व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में जर्मनी के साथ वर्तमान विकास सहयोग के अंतर्गत जर्मनी सरकार सिमी, चेन्नई के प्रशिक्षणार्थियों तथा प्रशिक्षकों को शिल्पकार प्रशिक्षण एवं शिक्षुता प्रशिक्षण योजनाओं के अंतर्गत उपयोग हेतु अनुदेशात्मक मीडिया पैकेजों के विकास के लिए सहायता प्रदान कर रही है।

रेलपथ का दोहरीकरण और विद्युतीकरण

4121. श्री रामचन्द्र डोम : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्व रेलवे के अंडाल सैन्थिया सेक्शन पर रेलपथ को दोहरा करने और उसका विद्युतीकरण करने संबंधी कार्यक्रम का कोई तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त खंड पर यह कार्य कब तक शुरू हो जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

रेल यातायात में व्यवधान

4122. श्री अनिल बसु :
डा. सत्यनारायण जटिया :
श्री हाराधन राय :
श्री विजय गोयल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान यात्री और मालगाड़ियों के पटरी से उतर जाने के कारण रेल यातायात में बार-बार व्यवधान पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो जोनवार और स्थानवार घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे यातायात व्यवधान के कारण रद्द की गई गाड़ियों का संख्या क्या है और इसके फलस्वरूप जान और माल की हानि का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौर न रद्द की गई गाड़ियों का और रेल यातायात गाड़ियों के मार्ग परिवर्तन का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या चल स्टॉक और रेल पटरियों का खराब रख-रखाव, गाड़ियों के बार-बार पटरी से उतर जाने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है; और

(ङ) यदि हां, तो चल स्टॉकों और विशेषकर रेल पटरियों के उचित रख-रखाव को सुनिश्चित करने के लिए जिसमें यात्री और मालगाड़ियों को पटरी से उतर जाने से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). भारतीय रेल पर गत तीन वर्षों अर्थात् 1993-94, 1994-95, तथा 1995-96 के दौरान रेलों के पटरियों से उतरने की घटनाओं का रेल जोन-वार विवरण निम्नानुसार हैं :—

रेलवे	1993-94	1994-95	1995-96
मध्य	41	46	43
पूर्व	37	28	24
उत्तर	43	54	33
पूर्वोत्तर	25	16	21
पूर्वोत्तर सीमा	40	49	20
दक्षिण	36	31	35
दक्षिण मध्य	47	39	27
दक्षिण पूर्व	91	84	62
पश्चिम	41	41	31
जोड़	401	388	296

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मनीला वार्ता

4123. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 अक्तूबर, 1996 के "इंडियन एक्सप्रेस" में, "डी.ओ.टी. टीम टू लीव फॉर मनीला टू

नेगोशियेट रूपीज 595 करोड़ एडीबी लोन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या दूरसंचार विभाग के दल की बातचीत सफल रही है; और

(घ) यदि हां, तो शर्तों का ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत कौन-कौन सी परियोजना आरम्भ किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). जी हां, दूरसंचार विभाग का दल ग्रामीण दूरसंचार परियोजना के लिए एशिया विकास बैंक (एडीबी) से ऋण प्राप्त करने के संबंध में बातचीत करने के लिए 16.10.1996 को मनीला गया है।

(ग) और (घ). जी हां। आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों सहित दल ने ऋण की बात तय कर ली है और बैंक ने दूरसंचार विभाग की परियोजना के लिए 400 करोड़ रु. का ऋण मंजूर कर दिया है जिससे उत्तर प्रदेश (पूर्व) के 42 जिलों के 31,780 ग्रामों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए जाएंगे। यह ऋण बैंक की मानक समय शर्तों (स्टैण्डर्ड टाइम्स कंडीशन्ज) के तहत प्राप्त किया गया है तथा इसे 4 वर्ष की ग्रेस अवधि सहित 24 वर्षों में चुकाया जाएगा। इस परियोजना के तहत स्कीम का कार्यान्वयन 1997-2000 के दौरान किया जाएगा। अक्तूबर, 1996 में पहले ही निविदा आंमत्रित की जा चुकी है और इसकी परीक्षण परियोजना 1997 के उत्तरार्ध में शुरू होगी।

देय बकाया राशि संबंधी समिति

4124. श्री नारायण अठावले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सचिवों की समिति ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान और अन्य राज्य बिजली बोर्डों से रेलवे की बड़ी मात्रा में बकाया राशि की वसूली करने के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमवार देय राशि की वर्तमान स्थिति क्या है और पिछले तीन वर्षों से कितनी बकाया धनराशि संचित हुई है;

(ग) क्या गत वर्षों में इस समस्या की उच्चतम स्तर पर गहराई से पुनरीक्षा की गई थी और इस संबंध में दिए गए सुझावों तथा परिणामस्वरूप की गई सुधारक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पैनल की रिपोर्ट कब तक उपलब्ध होने की संभावना है और रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में होने वाले विलम्ब के कारण वित्तीय संसाधनों की कमी का सामना करने के लिए रेलवे द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). 13.8.96 को मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, एन.टी.पी.सी., डेसू, तथा अन्य राज्य विद्युत बोर्डों से रेलवे को देय बकाया राशि की वसूली के मामले को, देय बकाया राशि की वसूली की रूप-रेखा तैयार करने हेतु सचिवों की समित का सौंप दिया गया है। यह रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

पिछले तीन वर्षों में देय बकाया राशि निम्नानुसार है:—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	एन.टी.पी.सी.	डेसू	अन्य राज्य विद्युत बोर्ड	जोड़
1.4.94	499.18	67.07	348.04	914.29
1.4.95	554.47	79.37	197.25	831.09
1.4.96	675.88	97.94	121.03	894.85

(ग) जी हां। अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड/रेल मंत्री द्वारा लगातार प्रयास किए गए जिन्होंने इस मामले को वित्त, बिजली, गृह मंत्रालय तथा मुख्यमंत्री, दिल्ली के साथ उठाया था। रेल मंत्रालय ने प्रस्ताव किया था कि (1) नए बकायों को रोकने क लिए बी.टी.पी.एस. तथा डेसू सहित अन्य राज्य विद्युत बोर्डों के बिजली घरों को कोयले का संचलन माल भाड़े के पूर्व-भुगतान पर किया जाए, (2) पिछले देय बकायों के निपटान के लिए, यह सुझाव दिया गया कि बिजली मंत्रालय तथा दिल्ली सरकार को दिए जाने वाले बजटीय समर्थन से कतिपय राशि का समायोजन किया जाए। बी.टी.पी.एस. तथा डेसू से बकायों के प्रति रेलों द्वारा सामान्य राजस्व को दिए जाने वाले लाभांश के वैकल्पिक प्रतिपूर्ति का भी सुझाव दिया गया।

रेल मंत्रालय के प्रयासों के परिणामस्वरूप, 13.8.96 को इस मामले पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई थी। इस बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए :—

(1) कैबिनेट सिद्धान्त रूप में इस प्रस्ताव का अनुमोदन करती है कि, बिजली घरों का कोयले की ढुलाई माल-भाड़े के पूर्व-भुगतान पर ही की जाए तथा यह विनिश्चय किया गया कि इसे 1 अक्तूबर, 1996 से क्रियान्वित किया जाए।

(2) देय राशि के निपटान के तरीके की जांच करने के लिए बकाया माल-भाड़ा प्रभार के मुद्दे को सचिवों की समिति को भेजा जाए।

जहां तक उपर्युक्त मद (1) का संबंध है बिजली घरों को कोयले के पारेषण की ढुलाई के लिए पूर्व-भुगतान की योजना 1.10.96 से लागू कर दी गई है। लेकिन, एन.टी.पी.सी. के बदरपुर ताप बिजली घर पर, इस निर्णय को 31.12.96 तक की अवधि के लिए अस्थायी रूप से आस्थगित कर दिया गया है।

जहां तक उपर्युक्त मद (2) पर कैबिनेट के निर्णय का संबंध है, इस मामले को सचिवों की समिति के पास अध्ययन के लिए भेज दिया गया है।

(घ) रेल मंत्रालय को ऐसे किसी पैनल के गठन की जानकारी नहीं है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में डाकघर

4125. श्री बची सिंह रावत "बचदा" : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के पर्वतीय क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष स्वीकृत किए गए शाखा डाकघरों, उप-डाकघरों और विभागेत्तर डाकघरों की स्थान-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या इन डाकघरों ने कार्य करना शुरू कर दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह कब तक कार्य करना आरंभ कर देंगे?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में पिछले तीन वर्षों के दौरान मंजूर किए गए अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों, उप-डाकघरों की संख्या क्रमशः 3 और 4 है। ब्यौरे इस प्रकार हैं .—

क्र.स.	वर्ष	विभागीय उपडाकघरों की संख्या	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों की संख्या	स्थान
1.	1993-94	-	6	**अल्मोड़ा**
				1. स्यूनानी
				2. चामटोला
				पिथौरागढ़
				3. बगोटी
				4. जमुक
				5. दूनी
				6. समकोट
2.	1994-95	-	1	**अल्मोड़ा**
				1. कोटा गिवई
2.	1995-96	-	-	-

(ख) जी हां। अल्मोड़ा जिले के कोटा गिवई को छोड़कर सभी डाकघरों ने कार्य करना शुरू कर दिया है।

(ग) और (घ). कोटा गिवई स्थित डाकघर की मंजूरी हाल ही में दी गई है और इसे 28.2.97 तक खोल दिया जाएगा।

[अनुवाद]

रेडियो टेलीफोन नेटवर्क

4126. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश में बेतुल के पूरे ग्रामीण क्षेत्र में रेडियो टेलीफोन नेटवर्क के काम न करने के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). बेतुल के रेडियो टेलीफोन नेटवर्क के 21 बेस स्टेशनों में से केवल तीन स्टेशन कार्य नहीं कर रहे हैं। कुल 336 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों में से 165 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन खराब हैं। सभी बेस स्टेशनों तथा ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों से 31 जनवरी, 1997 तक ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए प्राथमिकता आधार पर कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

राजस्थान में दूरदर्शन ट्रांसमीटर

4127. वैद्य दाऊ दयाल जोशी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में बूंदी स्थित दूरदर्शन ट्रांसमीटर ने कब से कार्य करना शुरू कर दिया है और इसकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी होगी;

(ख) गत तीन माह के दौरान ट्रांसफार्मर द्वारा कुल कितनी मेगावाट विद्युत की खपत की गई;

(ग) क्या ट्रांसफार्मर के पूरी क्षमता से कार्य न करने के कारण आम लोगों के टी.वी. सैट फुंक गए हैं और दूरदर्शन कार्यक्रम ठीक से नहीं देखे जा सकते; और

(घ) ट्रांसफार्मर को अधिष्ठापित क्षमता से कम क्षमता पर चलाने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) 8.9.1989 को बूंदी में 100वा. का अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर (अ.श.ट्रां.) चालू किया गया था जिसके स्थान पर बाद में दिनांक 27.6.1993 से एक 10 कि.वा. का उच्च शक्ति टी. वी. ट्रांसमीटर (उ.श.ट्रं.) लगा दिया गया था।

(ख) पिछले तीन महीनों के दौरान उच्च शक्ति ट्रांसमीटर द्वारा खपत की गई कुल विद्युत 91.146 मेगावाट है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

महाप्रबंधकों का सम्मेलन

4128. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी रेलवे जोन उत्पादन एककों और कलकत्ता मैट्रो के महाप्रबंधकों का दो-दिवसीय सम्मेलन नवम्बर, 1996 में दिल्ली में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई; और

(ग) इसमें क्या-क्या निर्णय लिये गए?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) मैट्रो रेल, कलकत्ता तथा उत्पादन इकाइयों सहित विभिन्न क्षेत्रीय रेलों के कार्य निष्पादन पर विचार-विमर्श किया गया था। आमदनी, माल लदान एवं रेलवे उत्पादन इकाइयों में सवारी डिब्बों तथा इंजनों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं। सम्मेलन के दौरान अन्य मुद्दों के साथ रेलों की संरक्षा तथा समयबद्धता निष्पादन की भी समीक्षा की गई थी और यथा आवश्यक शोधक कार्रवाई के लिए दिशानिर्देश दिए गए।

[हिन्दी]

दूरभाष केन्द्रों का कम्प्यूटरीकरण

4129. श्री मंगा राम कोली : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कम्प्यूटीकृत दूरभाष केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या वर्ष 1996-97 तक देश में सभी दूरभाष केन्द्रों का कम्प्यूटरीकरण कर दिया जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कब तक उनका कम्प्यूटरीकरण कर दिया जाएगा?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार देश में कम्प्यूटर नियंत्रित एक्सचेंज 20715 हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेंजों को कम्प्यूटर नियंत्रित एक्सचेंजों में बदलने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

यात्रियों की शिकायतें

4130. श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोनल रेलवे तथा उनके मंत्रालय में मीडिया द्वारा प्रकाश में लायी गयी यात्रियों की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए कोई इकाई कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सहित इसके क्या कार्य हैं;

(ग) क्या इन इकाइयों ने नवबंर, 1996 में मीडिया द्वारा प्रकाश में लाई गई यात्रियों की शिकायतों पर ध्यान दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). जी हां। प्रत्येक क्षेत्रीय रेल में तथा मंत्रालय में एक पूर्ण जन संपर्क कार्यालय है। मीडिया के माध्यम से प्राप्त शिकायत को रेलवे बोर्ड/महाप्रबंधक/अपर महाप्रबंधक/विभाग के प्रमुख को प्रस्तुत की जाती है जिससे वे आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित अधिकारी/मंडल को भेज देते हैं। समयबद्धता, यात्री सुविधा तथा खान-पान से संबंधित शिकायतों पर निगरानी रखने के लिए विशेष निगरानी कक्ष बनाए गए हैं।

(ग) जी हां।

(घ) से (ङ). जनसंपर्क अधिकारी द्वारा मीडिया के माध्यम से ध्यान में लाई गई शिकायतों को उपर्युक्त के अनुसार संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। संबंधित विभागों द्वारा उनके क्षेत्र से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई की जाती है। जन शिकायत कक्ष जनता से प्राप्त शिकायतों पर निगरानी रखते हैं।

[हिन्दी]

श्रम शक्ति और कुरला-वाराणसी एक्सप्रेस

4131. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रमशक्ति और कुरला-वाराणसी एक्सप्रेस बरौनी से चलनी बन्द हो गई है और उपरोक्त गाड़ियों के बदले में मुम्बई के लिए और कोई गाड़ी उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके परिणामस्वरूप उस क्षेत्र के यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो बरौनी से मुम्बई, अहमदाबाद और मद्रास के लिए गाड़ी की सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) मुजफ्फरपुर/पटना से मुंबई तक अतिरिक्त गाड़ी सेवाओं की व्यवस्था और पुनर्गठन के भाग के रूप में मुजफ्फरपुर और कुर्ला बरास्ता बरौनी के बीच मौजूदा गाड़ी सेवाओं के बदले मुजफ्फरपुर और पटना से कुर्ला तक दैनिक सेवाएं मुहैया करायी गई थी।

(ख) बरौनी पहले ही मुंबई तक सप्ताह में दो बार चलने वाली 5645/5646, गुवाहटी-दादर एक्सप्रेस और मद्रास तक 5011/5012ए साप्ताहिक एक्सप्रेस से जुड़ा हुआ है। बरौनी और अहमदाबाद के बीच सीधी गाड़ी चलाने का कोई फिलहाल प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. द्वारा रेल लाइन के निर्माण के लिए समझौता

4132. श्रीमती छबिला अरविन्द नेताम : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) ने लागत बांटने के आधार पर दिल्ली-राजहड़ा-जगदलपुर रेल लाइन के निर्माण के लिये कोई समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) :(क) जी, नहीं।

(ख) भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कर्नाटक में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का प्रस्ताव

4133. श्री बी.एल. शंकर : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के नाम क्या हैं; और

(ख) कर्नाटक राज्य में प्रस्तावित राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के नाम क्या हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) देश में पांच अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जिनके नाम हैं, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कलकत्ता, इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली, तथा तिरूवनंतपुरम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई, मुम्बई अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुम्बई तथा तिरूवनंतपुरम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरूवनंतपुरम।

(ख) सरकार का अंतर्देशीय प्रचालनों के लिए 50 सीटों वाले विमानों के प्रचालन के लिए, हसन पर हवाई पट्टी के उन्नयन का प्रस्ताव है। सरकार ने निजी भागीदारी से बंगलौर के निकट देवनहाली में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के एक हवाई अड्डे के विकास के लिए कर्नाटक सरकार को "अनापत्ति" से अवगत करा दिया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई सेवा

4134. श्री संतोष मोहन देव :

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में बेहतर हवाई सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने संसद सदस्यों की एक समिति के गठन का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समिति के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(घ) क्या समिति का गठन किया जा चुका है;

(ङ) यदि हां, तो यह अपनी रिपोर्ट कब तक दे देगी;

(च) क्या निजी कम्पनियों को भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में बेहतर हवाई सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (छ). सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई यातायात सेवा के प्रचालनों की संवीक्षा करने तथा क्षेत्र में हवाई अड्डों में सुधार सुझाने, जो एक सतत् प्रक्रिया है, के लिए एक समिति गठित की है जिसमें पूर्वोत्तर के 7 राज्यों तथा सिक्कम, प्रत्येक से एक संसद सदस्य, निजी एयरलाइनों, इंडियन एयरलाइन्स, एलायंस एयर से प्रतिनिधि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष को शामिल किया गया है तथा नागर विमानन महानिदेशक को संयोजक नियुक्त किया गया है। समिति की दो बैठकें क्रमशः 4-10-1996 तथा 14-12-1996 को पहले ही की जा चुकी हैं।

काजू बागानों में कार्यरत मजदूरों के लिए कल्याणकारी उपाय

4135. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने काजू बागानों में कार्यरत मजदूरों के विकास के लिए कौन से कल्याणकारी उपाय किए हैं;

(ख) क्या सरकार काजू बागानों में कार्यरत मजदूरों के लिए गृह निर्माण के लिए अग्रिम राशि देने, शैक्षिक सहायता, अन्य कोई परिवार कल्याण कार्य इत्यादि जैसे कल्याणकारी उपाय शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग). निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले काजू श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा और

भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत लाभ मिलते हैं। तथापि, काजू श्रमिकों के कल्याण के लिए गृह निर्माण अग्रिम, शिक्षा सहायता आदि के प्रावधान के लिए सरकार के समक्ष कोई नया प्रस्ताव नहीं है।

लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में सवारी डिब्बे जोड़ना

3136. श्री रूप चन्द मुर्मू : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लम्बी दूरी की सभी रेलगाड़ियों में एसी-3 सवारी डिब्बे जोड़े जाने की मांग को पूरा करने हेतु विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस मांग को पूरा करने हेतु विचार कर रही है;

(ग) क्या सरकार वातानुकूलित थ्री टियर डिब्बों के यात्रियों को मुफ्त में बिस्तर देने पर भी विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) रात्रिकालीन लम्बी दूरी की बात ब्रेक मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में चरणबद्ध आधार पर वातानुकूलित 3 टियर सवारी डिब्बों को लगाया जा रहा है और अभी तक इन गाड़ियों की 46 जोड़ी (राजधानी गाड़ियों सहित) गाड़ियों में इस प्रकार के सवारी डिब्बों की व्यवस्था की गई है।

(ग) जी नहीं। राजधानी एक्सप्रेस, जहां यह सुविधा पहले ही बिना किसी प्रभार के मुहैया कराई जा रही है, को छोड़कर

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) बहुत से यात्री इस सुविधा का लाभ नहीं उठाना चाहेंगे क्योंकि सभी यात्रियों को बिस्तर से किराए में वृद्धि करनी पड़ेगी।

शोलापुर और बंबई के बीच सुपरफास्ट गाड़ी चलाना

3137. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीस वर्ष पूर्व, सिद्धेश्वर एक्सप्रेस गाड़ी के चलने के समय से लेकर अब तक शोलापुर और मुम्बई के बीच, आने-जाने वाले यात्रियों की संख्या में कई गुणा वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का शोलापुर और मुम्बई के बीच दूसरी सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त सुपरफास्ट गाड़ी चलाने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ). इस समय 1023/1024 सिद्धेश्वर एक्सप्रेस सहित मुंबई से 14 जोड़ी गाड़ियां चल रही हैं और सोलापुर से गुजरती हैं। सिद्धेश्वर एक्सप्रेस में उपलब्ध आरक्षित स्थान का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा। चूंकि मौजूदा गाड़ियां वर्तमान यातायात को सम्हालने के लिए पर्याप्त हैं इसलिए मुंबई और सोलापुर के बीच अतिरिक्त गाड़ी चलाने का कोई वाणिज्यिक औचित्य नहीं है।

सिद्धेश्वर एक्सप्रेस बीस वर्ष पूर्व चलाई गई थी। सिद्धेश्वर एक्सप्रेस को शुरू करते समय प्राप्त होने वाले यातायात से संबंधित ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

श्रमिकों को विदेश भेजना

3138. श्री सौम्य रंजन : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में श्रमिकों को विदेश भेजने के लिए कुछ देशों के साथ समझौते किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या श्रमिकों को मजदूरी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में समझौते में प्रावधान किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन मजदूरों को किन-किन स्थानों पर भेजे जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मुरादाबाद से देहरादून के बीच नई रेलगाड़ी चलाया जाना

4139. श्री किशन लाल दिलेर : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुरादाबाद से देहरादून के बीच एक नई रेलगाड़ी को चलाये जाने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रेलगाड़ी को कब तक चलाया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाई और संसाधनों की तंगी के कारण।

[अनुवाद]

नई जलपाईगुड़ी-सिलिगुड़ी लाइन का आमान परिवर्तन

4140. प्रो. जितेन्द्र नाथ दास : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई जलपाईगुड़ी-सिलीगुड़ी रेल लाइन का आमान परिवर्तन कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) नौवीं योजना अवधि के दौरान इसे शुरू किए जाने और पूरा किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मोड एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित पुस्तिका

4141. श्री राम नाईक : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार के पर्यटन विभाग के लिए मोड़ एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित "गोवा-सी सैंड, सन फ्रोलिक एण्ड फन", शीर्षक वाली पुस्तिका के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस पुस्तिका में गोवा और इसकी संस्कृति के बारे में प्रकाशित की गई गलत बातों/तथ्यों की, गोवा के लोगों द्वारा इसका विरोध किए जाने की तथा इस पुस्तिका को तत्काल बाजार से हटा दिए जाने की मांग की जानकारी भी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख). पर्यटन विभाग ने 1995-96 में 3.39 लाख रुपयों की कुल लागत से मैसर्स मोड एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से "गोवा-सी, सैंड, सन, फ्रोलिक एंड फन" शीर्षक से गोवा पर एक फोल्डर की 1,00,000 प्रतियां प्रकाशित की थी। इस विज्ञापन एजेंसी को प्रतियोगी निविदा के पश्चात चुना गया था।

(ग) और (घ). गोवा के बारे में गलत बातों/तथ्यों के संबंध में स्थानीय गोवा प्रिंट मीडिया में निविदा को पर्यटन विभाग के ध्यान में लाया गया और भारत तथा विदेश स्थित सभी भारत सरकार पर्यटक कार्यालयों को इसके वापिस लेने के लिए तत्काल अनुदेश जारी किए गए। प्रबंधक, भारत सरकार पर्यटक कार्यालय, गोवा से मूल सामग्री का संशोधित रूपांतर इस विभाग को भेजने के लिए कहा गया है ताकि मैसर्स मोड एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड के खर्चे पर फोल्डर में संशोधन किया जा सके। एजेंसी जो पहले ही पर्यटन विभाग द्वारा वर्ज्य सूची में डाल दिया गया है।

रेलगाड़ी का पटरी से उतरना

4142. श्री मोहन रावले : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के किस भाग में रेलगाड़ियों के पटरी से उलटने की अधिकतम घटनाएं हुई हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : गाड़ी-दुर्घटनाओं के आंकड़े रेलवे जोनवार रखे जाते हैं। अप्रैल-नवम्बर, 96 के दौरान गाड़ियों के पटरी से उतरने की अधिकतम घटना दक्षिण-पूर्व रेलवे में 36, उत्तर रेलवे में 29 तथा मध्य रेलवे में 28 हुई हैं।

सफदरजंग हवाई अड्डे का उपयोग

4143. श्री संदीपान थोरात : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 अगस्त, 1996 के "द फाइनैन्शियल एक्सप्रेस" में "आऊट ऑफ यूज सफदरजंग एयरपोर्ट मेय फेस क्लोजर" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ग) सफदरजंग विमानपत्तन के अधिकतम प्रयोग के लिए तैयार की गई योजना तथा विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली उड़ान क्लब तथा ग्लाइडिंग क्लब के अतिरिक्त इस समय सफदरजंग हवाई-अड्डे का प्रयोग पवन हंस हेलिकाप्टर्स लिमिटेड तथा सीमा सुरक्षा बल द्वारा किया जाता है। कभी-कभार अति विशिष्ट उड़ानों का प्रचालन इस हवाई अड्डे से किया जाता है।

(ग) इसकी अवस्थिति तथा प्रचालनात्मक प्रतिबन्धों को ध्यान में रखते हुए, इस हवाई अड्डे का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है।

ठाणे जिले में नये डाकघर खोलना

4144. श्री चिन्तामन वानगा : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1996 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र के ठाणे जिले में नये डाकघर खोलने संबंधी कितने प्रस्ताव लंबित हैं;

(ख) इनके लंबित रहने की अवधि और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन डाकघरों के कब तक खोले जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 30 जून, 1996 की स्थिति के अनुसार नए डाकघर खोलने संबंधी दो प्रस्ताव लंबित थे।

(ख) ये दोनों प्रस्ताव जिनके नाम नांने (काडा) और अकलोली हैं 30 जून 1996 की स्थिति के अनुसार क्रमशः 2 और 3 महीने से लंबित थे क्योंकि महाराष्ट्र में वर्ष 1996-97 में अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के लक्ष्य पूरे हो गए थे।

(ग) डाकघर वार्षिक योजना स्कीमों के अंतर्गत प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर मानदंड पूरे होने पर उत्तरोत्तर रूप से खोले जाते हैं बशर्ते कि लक्ष्य निर्धारित किए गए हों और संसाधन उपलब्ध हों।

[हिन्दी]

मीटर लाइन के परिवर्तन हेतु धनराशि का आबंटन

4145. श्री सुशील चन्द्र : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कुल रेल बजट की तुलना में मीटरलाइन को बड़ी लाइन में बदलने हेतु आबंटित धनराशि का प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या यह सच है कि आमान परिवर्तन संबंधी कार्य पर अधिक धनराशि व्यय की जा रही है जबकि वर्तमान रेल लाइनों के रख-रखाव पर खर्च की जाने वाली धनराशि का व्यय नहीं किया जा रहा है;

(ग) क्या रेल लाइनों के रख-रखाव पर व्यय के प्रतिशत में कमी आने के परिणामस्वरूप रेलगाड़ियां आजकल अक्सर पटरी से उतर जाती हैं;

(घ) क्या रेल अधिकारियों ने इस स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाये जाने पर विचार किया जा रहा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) गत तीन वर्षों में आमान परिवर्तन कार्यों के लिए किए गए आबंटन का प्रतिशत निम्नानुसार है :—

1994-95	21%
1995-96	18%
1996-97 (बजट अनुमान)	12%

(ख) जी नहीं। यातायात आवश्यकताओं, कार्य/परियोजना की प्राथमिकता आदि के आधार पर आमान परिवर्तन तथा रेल लाइन कार्यों के अनुरक्षण के लिए पर्याप्त निधि का आबंटन किया जा रहा है।

(ग) व्यय के प्रतिशत तथा रेलगाड़ियों के पटरियों से उतरने के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आयात हेतु निविदाएं

4146. श्री पी.आर. दासमुंशी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें रेलवे ने पहले ही आयात के लिए आदेश प्राप्त किए हैं तथा उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें रेलवे ने जून 1996 से 31 अक्टूबर, 1996 तक आयात हेतु टैंडर जारी किए हैं;

(ख) क्या रेलवे हमारे अधिकांश तीव्रतम गाड़ियों के मार्ग के नवीकरण कार्यक्रम के संबंध में आयात प्रतिस्थापन के बारे में विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

क्रिसमस पर विशेष रेलगाड़ियां चलाना

4147. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में चालू वर्ष के दौरान क्रिसमस-पर विशेष रेलगाड़ियां चलाये जाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). क्रिसमस तथा सबरीमलाई के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ से निपटने के लिए मद्रास सेंट्रल तथा कोल्लम के बीच बड़ी लाइन पर एक दैनिक विशेष गाड़ी तथा मद्रास एग्मोर तथा

कोल्लम के बीच मीटर लाइन पर एक त्रि-साप्ताहिक विशेष गाड़ी तथा विजयवाड़ा तथा कोट्टायम के बीच बड़ी लाइन पर एक साप्ताहिक गाड़ी चलाई जा रही है।

कारपोरेट गारंटी

4148. श्री टी. गोविन्दन : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का केरल सरकार के सरकारी उपक्रम, मैसर्ज ट्रेको केबल कम्पनी लिमिटेड को उनके द्वारा जेली फिल्ड केबल्ज के क्रयादेशों के लिए बैंक गारंटी के स्थान पर कारपोरेट गारंटी दिए जाने की सुविधा पुनः बहाल कराने का विचार है क्योंकि इस सुविधा को समाप्त किए जाने से कम्पनी पर अत्यधिक वित्तीय बोझ पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) सार्वजनिक क्षेत्रों की सभी अन्य यूनिटों की तरह, मैसर्ज ट्रेको केबल कम्पनी लि. को भी सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के दिनांक 3.11.72 के पत्र संख्या बी पी ई/1(4)/ए डी वी (एफ./69 के तहत जारी मार्ग निदेशों के अनुरूप बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी जो निम्नानुसार परिभाषित हैं :—

"चूंकि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तथा सरकारी विभाग के बीच होने वाले लेन देन, वाणिज्यिक किस्म के होते हैं, अतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को संविदा की पूर्ति के लिए प्रतिभूति जमा के स्थान पर बैंक गारंटी से छूट देना उपयुक्त नहीं होगा। बैंक गारंटी के प्रावधान से यह पता चलता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, संविदा पूरा करने में कितने उत्सुक हैं और ऐसे मामलों में सामान्य वाणिज्यिक सिद्धान्तों का अनुपालन किया जाएगा"।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एच.ओ.आर. कोटा में से शयनयानों का आबंटन

4149. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड द्वारा एच.ओ.आर. कोटा में से शायिकाओं के आवंटन के लिए क्या मानदंड और दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या उत्तर रेलवे के इलाहाबाद डिवीजन में वाणिज्यिक अधिकारियों द्वारा इन मानदंडों और दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को एक वाणिज्यिक अधिकारी द्वारा इलाहाबाद में एच.ओ.आर. कोटा के लिए निर्धारित शायिकाओं को एजेंटों के माध्यम से बेचे जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). उच्च अधिकारियों, मंत्रियों, संसद सदस्यों/विधान सभा सदस्यों, अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की यातायात आवश्यकताओं तथा अन्य आपातिक मांगों को पूरा करने के लिए शायिकाओं सीटों की एक सीमित संख्या आपातकालीन कोटे के रूप में निर्धारित की जाती है। विभिन्न क्षेत्रों से इस संबंध में प्राप्त अनुरोधों पर विभिन्न पहलुओं यथा यात्री रुतबा, आवश्यकता की प्रकृति यथा सरकारी ड्यूटी, शोक, रोग्यता आदि को उचित प्राथमिकता देते हुए आपातकालीन कोटे में से शायिका/बैठने का स्थान दिया जाता है। इन दिशानिर्देशों का उत्तर रेल के वाणिज्यिक अधिकारियों द्वारा कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है।

(घ) ऐसी एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

(ङ) शिकायत किसी विशेष घटना को उद्धारित किए बिना सामान्य प्रकृति की थी। बहरहाल, आरक्षण कोटे का दुरुपयोग रोकने के लिए सतत निगरानी की जाती है।

रेल लाइन की खराब हालत

4150. श्री इन्नान मोल्लाह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सन्त्रागाची और बरगचिया के बीच रेल लाइन की हालत बहुत खराब है;

(ख) यदि हां, तो रेलगाड़ियों की गति बढ़ाने हेतु रेल लाइन की हालत सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) बरगचिया स्टेशन के सभी स्टेशनों पर न्यूनतम यात्री सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). सभी रेल स्टेशनों में यात्री यातायात की मात्रा के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति

4151. श्रीमती लक्ष्मी पनबाका : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दक्षिण मध्य रेलवे में अनुकम्पा आधार पर की जाने वाली कई नियुक्तियां 1990 से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विशेष रूप से उल्लेख करते हुए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) रोजगार प्रदान किए जाने के संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के सभी मामलों के निपटान हेतु कितना समय लिए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में आप्टिकल फाइबर केबिल

4152. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में दूरभाष सुविधा को व्यापक बनाने के लिए आप्टिकल फाइबर केबल्स लगाना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). आप्टिकल फाइबर केबल को जंक्शन नेटवर्क में काफी मात्रा में लगाया गया है तथा दिल्ली के अंत: एक्सचेंज नेटवर्क में लगभग 979 कि.मी. आप्टिकल फाइबर केबल बिछाया गया है। उपभोक्ता स्थानीय लूप में भी आप्टिकल फाइबर केबल का प्रयोग करने की योजना बनाई गई है। चालू वर्ष के दौरान नेटवर्क में 190 कि.मी. आप्टिकल फाइबर केबल बिछाया गया है।

केरल में दूरभाष केन्द्रों का विस्तार

4153. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने केरल के अत्यधिक पिछड़े, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र उत्तरी वायनाड में दूरभाष केन्द्रों के विस्तार के लिये क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या उत्तरी वायनाड में पेरिया और वालाड में नए दूरभाष केन्द्रों को चालू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ये चालू कर दिये जायेंगे?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) उत्तरी वायनाड में सभी छः एक्सचेंज अर्थात् मननथोडी, पनामारम, थलपओया, वेल्लामुंडा, कार्तिकुलम् और कोरोम का 1997-98 के दौरान विस्तार करने की योजना है। मननथोडी स्थित एक्सचेंज का विस्तार 1996-97 में भी किया जाएगा।

(ख) तथा (ग). पेरिया में नया टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, वर्ष 1997-98 के दौरान वलाड में 256 पी सी-डॉट इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की योजना है।

शहरों के बीच रेडियो सम्पर्क

4154. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम्प्यूटर आंकड़े और अथवा ध्वनि संप्रेषण के लिए शहरों के बीच रेडियो अथवा माइक्रोवेव सम्पर्क की अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आम प्रयोक्ताओं को अधिकतम और न्यूनतम कितनी दूरी तक कितने फ्रीक्वेंसी बैंड के उपयोग की अनुमति दी गई है अथवा दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) तथा (ख). जी, हां। सरकार ने 300 मेगाहर्ट्ज और 2.4 मेगाहर्ट्ज बैंडों जैसे विभिन्न आवृत्ति बैंडों में अंतरा-शहर कंप्यूटर कनैक्टिविटी के लिए लाइसेंस प्रदान किए हैं।

(ग) प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं पर मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जा सकता है, जो उनकी जरूरतों पर निर्भर करता है। ऐसे प्रचालनों के लिए दूरी विभिन्न तकनीकी प्रचारात्मक घटकों पर निर्भर करेगी।

गुजरात में टेलीफोन सुविधाएं

4155. श्री चक्रसिंह चौहान : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाओं की काफी कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गुजरात में टेलीफोन एक्सचेंजों को खोलने के लिए कोई मांग/योजना/प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो जिला-वार, स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). सरकार को पता है कि गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाओं में सुधार की गुंजाइश (स्कोप) है। फिर भी गुजरात में लगभग 66 प्रतिशत गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है।

(ग) और (घ). गुजरात में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए मांग के आधार पर वर्ष 1996-97 के लिए प्रस्ताव संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ङ) सरकार टेलीफोन सुविधाओं में सुधार करने तथा न्यायोचित मांगों के आधार पर जहां कहीं व्यवहार्य है, नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है।

विवरण

1996-97 के दौरान गुजरात सर्किल में प्रस्तावित ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंजों के ब्यौरे

क्र.सं.	स्थान	जिला	
1	2	3	
1.	सचना	अहमदाबाद	
2.	सोनारा	,, ,,	
3.	गलुदन	,,	
4.	वंवेरा	अमरेली	
5.	भडेर	,,	चालू
6.	चमरद्री	,,	वही
7.	रूसतमपुरा	बरोडा	
8.	झगदिया (जी आई डी सी)	भडुंच	चालू
9.	पगुथन	,,	
10.	झखेर	,,	
11.	सिसदारा	,,	
12.	गजेरा	,,	
13.	बरेडिया	,,	
14.	देवपार	भुज	
15.	बडसार	,,	
16.	खीरसारा	जामनगर	
17.	मंडसानी	,,	
18.	बाघला	,,	
19.	मोटिंगाझार	,,	
20.	मोटा बरूकिया	,,	
21.	मनडोरना	जूनागढ़	चालू
22.	कनेसर	गोधरा	
23.	रतनपुर	,,	
24.	बासक	,,	
25.	ब्रिरनिया	,,	
26.	पनसार	मेहसाणा	
27.	राजपुर	,,	
28.	रनवाड़ा	,,	
29.	जी आई डी सी लोधिका	राजकोट	
30.	वडसार	,,	
31.	नानी-परवादी	,,	
32.	खोरवादर	,,	
33.	अमबारडी	राजकोट	
34.	बजरंगझालिया	,,	
35.	अरब टिम्बडी		
36.	जामडाडर	,,	
37.	डेडवा	,,	चालू
38.	उच्छल	,,	
39.	खजेड	,,	
40.	खरवा	सुरेन्द्रनगर	
41.	रामगढ़	,,	
42.	इसनपुर	,,	
43.	अदिरूयाना	,,	
44.	सिली	वलसाड	
45.	वरदेरवाडला	,,	चालू
46.	कुकरली	,,	,,
47.	पिंडवल	,,	
48.	अम्बाजंगल	,,	
49.	पंगलवाड़ी	,,	

[हिन्दी]

नागदा में उपरिपुल का निर्माण कार्य

4156. डा. सत्यनारायण जटिया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के नागदा में निर्माण किए जा रहे उपरिपुलों की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) उक्त उपरिपुलों का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा;

(ग) बिरलाग्राम और नागदा को जोड़ने वाले पैदल यात्रियों के लिए उपरिपुल का निर्माण कार्य कब तक हो जाएगा; और

(घ) नागदा स्टेशन के प्लेट फार्म के जीर्णोद्धार का अद्यतन स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) रेलवे के भाग की प्रगति 80 प्रतिशत।

(ख) रेलवे का भाग जून 97 तक पूरा हो जायेगा।

(ग) उपरि पैदल पुल की मरम्मत की आवश्यकता नहीं है।

(घ) नागदा में ऐसा कोई कार्य हाथ में नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों को खड़ा करने की समुचित व्यवस्था करना

4157. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न प्लेटफार्मों पर रेलगाड़ियों को खड़ा करने के लिए कोई निश्चित प्रक्रिया/मानदंड है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बर्थिंग सोट तैयार करते समय इन स्टेशनों पर विभिन्न प्लेटफार्मों पर समान संख्या में यात्री रेलगाडियों की व्यवस्था की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ). जी हां। जब बर्थिंग शीट तैयार करते समय दिल्ली, नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर एक्सप्रैस और यात्री गाड़ियों को ठहराने का निर्धारण, प्लेटफार्म की उपलब्धता, गाड़ी के ठहराव की अवधि, गाड़ी के गंतव्य इत्यादि को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। प्लेटफार्मों की वास्तविक बर्थिंग यद्यपि गाड़ियों के देरी से चलने, स्टेशन के बाहर रूकावटों और स्टेशनों पर अन्य परिचालनिक आवश्यकताओं के कारण कभी-कभी परिवर्तित हो जाती है।

नई दिल्ली-पुरी एक्सप्रेस रेलगाड़ी को प्रतिदिन चलाना

4158. श्री बसुदेव आचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जनता की इस मांग की जानकारी है कि सप्ताह में चार दिन चलने वाली नई दिल्ली-पुरी एक्सप्रेस रेलगाड़ी को प्रतिदिन चलाया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मांग को पूरा करने के लिए एक और रेल उपलब्ध कराने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इसके साथ वातानुकूलित-थ्री टायर सवारी डिब्बा जोड़ने के लिए कोई कदम उठाएं गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। 2815/2816 नई दिल्ली-पुरी एक्सप्रेस की बारंबारता बढ़ाने की जांच की गई थी, लेकिन परिचालनिक कठिनाइयों से इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ). तकनीकी कठिनाइयों से, क्योंकि एसी-3 टियर सवारी डिब्बे एयर ब्रेक सिस्टम वाले हैं, जबकि पुरी एक्सप्रेस वैक्यूम ब्रेक रेक से चल रही है।

टाला में टर्मिनल स्टेशन की स्थापना

4159. श्री तरित बरण तोपदार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ई.एम.यू. सेवा शुरू करने के लिए टाला में टर्मिनल स्टेशन स्थापित करने के लिए कोई कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कार्य की प्रगति का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलगाड़ी को "वाया" ग्रैंड कॉर्ड चलाना

4160. श्री हाराधन राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 2305/2306 रेलगाड़ी को मुख्य मार्ग के बजाय वाया ग्रैन्ड कॉर्ड चलाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा (ईंधन) बचाने और राजस्व बढ़ाने की दृष्टि से इस रेलगाड़ी को वाया ग्रैन्ड कॉर्ड चलाने की मांग विभिन्न क्षेत्रों से की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो 2309/2310 चलाने के बाद इस रेलगाड़ी को मुख्य मार्ग से चलाने का क्या औचित्य है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) नई दिल्ली और पटना वाराणसी लखनऊ और वाराणसी के बीच 2309/2310 राजधानी एक्सप्रेस सप्ताह में दो दिन की सेवा मुहैया कराती है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में चक्रभाटा विमानपत्तन पर हवाई पट्टियां

4161. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ानों के प्रचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में चक्रभाटा विमानपत्तन में हवाई पट्टियां बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का इस विमानपत्तन पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर कितनी राशि व्यय किए जाने की संभावना है;

(घ) इस संबंध में कब तक अनुमति दे दी जाएगी तथा हवाई पट्टी कब तक बनाई जाएगी;

(ङ) क्या कुछ निजी विमान कम्पनियों ने उक्त विमानपत्तन से अपनी उड़ानें शुरू करने के संबंध में प्रस्ताव भेजे हैं;

(च) क्या ये निजी विमान कम्पनियां उक्त विमानपत्तन से अपनी उड़ानें पहले से ही चला रही थीं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). बिलासपुर हवाई अड्डे की वर्तमान हवाई पट्टी 50 सीटों वाले विमानों के प्रचालनों के लिए उपयुक्त है। यातायात की कम संभाव्यता के कारण, इस हवाई पट्टी के उन्नयन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ). ये प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ). ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

रायगढ़ में सड़क उपरिपुल के निर्माण के लिए धनराशि

4162. श्री गिरिधर गमांग : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्वी रेलवे के अंतर्गत रायगढ़ नगर में सड़क उपरिपुल के निर्माण हेतु अब तक केन्द्र सरकार और उड़ीसा सरकार द्वारा वर्षवार कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) क्या उपरिपुल का निर्माण पूरा हो गया है लेकिन पुल का सड़क संबंधी भाग अभी भी पूरा होना बाकी है;

(ग) यदि हां, तो पुल को यातायात के लिए खोलने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) मौजूदा रेल फाटक को बदलते समय पैदल, रिक्शा, साइकिलों इत्यादि द्वारा आम जनता के आवागमन हेतु रेल अधिकारियों द्वारा क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) रेलों द्वारा वर्षवार उपलब्ध कराई गई धनराशि इस प्रकार है :-

1990-91	5.00 लाख रुपये
1991-92	5.00 लाख रुपये
1992-93	196.00 लाख रुपये
1993-94	63.86 लाख रुपये
1994-95	85.14 लाख रुपये
1995-96	43.12 लाख रुपये
1996-97	10.60 लाख रुपये

उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग). रेलवे के हिस्से का कार्य पूरा हो चुका है। सड़क तक पहुंच-मार्ग का कार्य तथा सड़क उपरिपुल को यातायात के लिए खोलने का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(घ) पैदल यात्रियों के लिए सड़क उपरिपुल पर फुटपाथ की व्यवस्था की गई है। वाहनों को सड़क उपरिपुल का उपयोग करना है।

वैष्णोदेवी की तीर्थयात्रा के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने पर व्यय

4163. श्री आर.एल.पी. वर्मा : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार और जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार वैष्णोदेवी तीर्थ यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने पर कोई व्यय वहन करती है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितना व्यय किया गया है; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान अनुमानतः कितने तीर्थयात्री लाभान्वित हुए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख). पर्यटन विभाग, भारत सरकार, ने वैष्णोदेवी में पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार को 37.83 लाख रुपयों की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, वैष्णोदेवी के दर्शनार्थ आने वाले तीर्थयात्रियों के प्रयोग के लिए । करोड़ रुपये से अधिक के व्यय पर राज्य सरकार ने कटरा में एक यात्रिका बनाई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान 1,11,06,807 तीर्थ यात्री वैष्णोदेवी के दर्शनार्थ आए।

रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

4164. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) प्रत्येक रेलवे स्टेशन के लिए अलग-अलग कितनी धनराशि खर्च की जाएगी;

(ग) उन रेलवे स्टेशनों पर जहां कार्य प्रगति पर है आधुनिकीकरण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या चालू वित्तीय वर्ष में आधुनिकीकरण के लिए गुंटूर रेलवे जंक्शन को शामिल किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो आरंभ किए जाने वाले कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). विभिन्न रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए रेलवे जोनों को उनकी आवश्यकता के अनुसार निधियों का आबंटन किया जाता है तथा राज्यवार कोई आबंटन नहीं रखा जाता है। आलोच्य वर्ष के दौरान मध्य, दक्षिण मध्य तथा दक्षिण पूर्व रेलों को आन्ध्र प्रदेश राज्य में विभिन्न यात्री सुविधाएं संबंधी कार्यों को शुरू करने के लिए पर्याप्त निधि की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम के अनुसार शुरू किए गए कार्य प्रगति पर हैं।

(घ) से (च). गुंटूर जंक्शन रेलवे स्टेशन में संभाले जा रहे यातायात की मात्रा के अनुरूप पहले से ही यात्री सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इसलिए फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय श्रमशक्ति पट्टा विधेयक

4165. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में आर्थिक सुधारों के चलते विभिन्न वृहत और मेगा परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू करने के उच्च योग्यता प्राप्त विशेषज्ञों की आवश्यकता को देखते हुए "भारतीय श्रमशक्ति विधेयक" विधेयक प्रस्तुत करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नई रेल लाइन

4166. श्री रामसजीवन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 1997-98 के बजट में सीतापुर से बहराइच तक नई रेल लाइन के लिए प्रावधान करने पर विचार कर रही है जिसके लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). विचार करने के लिये सर्वेक्षण रिपोर्ट योजना आयोग से को भेजी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाना

4167. श्री ए. सम्पत : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार केरल के वरकला एवं पोनमुडी में पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र बनाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त चेना) : (क) से (ग). पर्यटन सुविधाओं के विकास करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि, पर्यटन विभाग, राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों पर, उनके गुण-दोषों, पारस्परिक प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पर्यटन विभाग ने केरल सरकार को, वरकला और पोनमुडी में निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की हैं :-

(1) वरकला में समुद्र-तट रिजार्ट

(2) पोनमुड़ी के लिए टैंटों में आवास

दिल्ली में रेलवे कालोनियों का रखरखाव

4168. श्रीमती मीरा कुमार :

श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में स्थित रेलवे कालोनियों का अद्यतन स्थिति के अनुसार स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि दिल्ली में स्थित रेलवे कालोनियों का समुचित रूप से रखरखाव नहीं किया जा रहा है और वहां बुनियादी नागरिक सुविधाओं का अभाव है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार ने इन रेलवे कालोनियों के समुचित रखरखाव और यहां बुनियादी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है;

(ङ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे कालोनियों के रखरखाव के लिए और बुनियादी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए धनराशि आबंटित की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार को उपर्युक्त अवधि के दौरान रेलवे क्वार्टर के आबंटितियों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ज) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (ज). कुछ कर्मचारी क्वार्टरों में मुलभूत सुविधाओं अर्थात् पृथक स्नानघर, शौचालयों और रसोईघरों की कमी थी। विगत तीन वर्षों के दौरान इन सुविधाओं की उत्तरोत्तर व्यवस्था की गई। केवल 179 क्वार्टर शेष हैं जहां इन मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था अभी की जानी है। 1997-98 के दौरान सभी बकाया कार्यों को पूरा कर दिया जाएगा।

कर्मचारी क्वार्टरों का अनुरक्षण करना एक सतत् प्रक्रिया है और जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उन्हें उनकी प्रकृति और विद्यमान समस्या के अनुसार विभागीय/संविदात्मक स्रोतों के माध्यम से दूर किया जाता है।

विगत तीन वर्षों के दौरान अनुरक्षण और मूलभूत सुविधाओं पर किया गया खर्च इस प्रकार है :-

(लाख रु. में)

वर्ष	अनुरक्षण	मूलभूत सुविधाएं
1993-94	383	30
1994-95	418	35
1995-96	464	40

सामान्य अनुरक्षण के अलावा आवश्कतानुसार जल आपूर्ति, सड़कों, जल निकासी आदि में सुधार कार्य किए जाते हैं। मौजूदा जल आपूर्ति प्रणाली में वृद्धि करने के लिए हाल ही में 7 ट्यूबवैल लगाए गए हैं।

विवरण

(क) दिल्ली क्षेत्र में रेलवे क्वाटरों की कालोनी वार और टाइप वार सूची इस प्रकार है :-

क्र.सं.	कालोनी	टाइप I	टाइप II	टाइप III	टाइप IV	टाइप IV स्पे.	टाइप V	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अजमेरी गेट	28	8	-	-	-	-	36
2.	आजादपुर	10	1	-	-	-	-	11
3.	बाबर रोड	-	15	-	-	-	-	15
4.	बुलवई रोड	6	-	-	4	-	11	21
5.	बराड स्क्वेयर	46	4	-	-	-	-	50
6.	सेंट्रल प्लेस	21	-	-	-	-	-	21
7.	कालेज लेन	24	24	42	-	-	-	90
8.	दयाबस्ती	80	70	1	-	-	-	151
9.	दयाबस्ती (रे.सु.वि.ब.)	98	30	7	1	3	-	130
10.	दिल्ली क्लोथ मिल्स	-	142	-	-	-	-	142
11.	गैस फैक्टरी	4	6	-	-	-	-	10
12.	हिमल्टन रोड	167	14	4	1	-	-	186
13.	यमुना पुल	20	2	-	-	-	-	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	दिल्ली किशन गंज	896	1074	64	1	-	-	2035
15.	लाजपत नगर	15	261	-	-	1	-	277
16.	लाजपत नगर-गुलाबी बाग	-	92	-	4	5	-	101
17.	लोधी कालोनी	12	72	-	-	-	-	84
18.	एम.के. रोड़	-	37	-	-	-		37
19.	माता सुन्दरी प्लेस	28	28	-	-	-	-	56
20.	शिवाजी पुल	190	76	-	-	-	-	266
21.	बड़ा मोर सराय	-	25	29	-	-	-	54
22.	छोटा मोर सराय	312	2	1	-	-	-	315
23.	मोतिया बाग	141	90	-	6	2	-	239
24.	मोती बाग	2	2	-	-	-	-	4
25.	निजामुद्दीन	64	2	-	-	-	-	66
26.	निजामुद्दीन-ओखला के बीच	20	-	-	-	-	-	20
27.	नया आजाद पुर	39	7	-		-	-	46
28.	ओखला	131	9	1	-	-	-	41
29.	पहाड़गंज पी.के. रोड (बी लेन एस.ई.रोड और चेम्सफोर्ड रोड)	451	253	44	130	129	63	1050
30.	पटेल नगर	20	8	4	-	-	-	32
31.	पुल बंगश	1	7	1	-	-	-	9
32.	राम नगर	26	32	-	-	-	-	58
33.	राम पुरा	7	-	-	-	-	-	7
34.	रेलवे लेन	-		4	-	-	-	4
35.	नई सब्जी मंडी	42	148	80	-	-	-	270
36.	पुरानी सब्जी मंडी	117	14	2	-	-		133
37.	सदर बाजार	113	55	8	6	4		186
38.	दिल्ली सफदरगंज	4	1	1	-		-	6
39.	शालीमार बाग दिल्ली	50	-	-				50
40.	एस.पी. रोड	11	4	-	-	35	48	98
41.	सरोजिनी नगर	125	172		-	64	-	664
42.	सेवानगर	1	200	-				201
43.	शकूर बस्ती	361	262	26	11	4	-	361
44.	पंजाबी बाग	320	16	12	-		-	348
45.	एस.पी. मार्ग	33	3	-	1	6	-	43
46.	आराम रोड	10	40	-	-	5	1	56
47.	तिलक पुल	12	40	-		-	32	84
48.	थाम्सन रोड	42	94	14	1	-	-	151

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49.	तुगलकाबाद	657	309	43	12	5	2	1028
50.	एस.ई.रोड, टी. कैम्प और रेस्ट हाउस	–	–	–	–	52	–	52
51.	वजीरपुर दिल्ली	15	15	–	–	–	–	30
52.	पी. मेथाई	45	11	1	–	–	–	57
53.	एस. फूस	–	16	3	–	–	–	19
54.	टी. बालन	47	–	–	–	–	–	47
55.	एल. गेट	27	7	1	–	–	–	35
56.	डी. सराय रोहिल्ला स्टेशन	89	29	2	1	–	–	121
57.	त्री नगर	67	8	4	–	–	–	79
58.	दिल्ली कैंट	61	23	–	–	–	–	84
59.	एल. कालोनी डी सराय रोहिल्ला	304	360	7	–	–	–	571
60.	पालम	24	5	–	–	–	–	29
61.	वृजवासन	8	3	–	–	–	–	11
	जोड़	5344	4108	406	179	315	157	10509

[हिन्दी]

फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण

4169. प्रो. ओमपाल सिंह "निडर" : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष, अब तक फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण/विकास पर सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या उक्त रेलवे स्टेशन पर पुल बनाने की कोई योजना बनाई गई थी;

(ग) यदि हां, तो पुल न बनाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त रेलवे स्टेशन पर पुल का निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) :

(क)

वर्ष	राशि
1993-94	1.00 लाख
1994-95	2.20 लाख
1995-96	1.20 लाख

चालू वर्ष के दौरान आधुनिकीकरण के कार्य पर कोई खर्च नहीं किया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. संघ का मांग-पत्र

4170. श्री बी. धर्मलिंगम : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ., संघ ने कोई मांग-पत्र पेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) उन्होंने एस टी डी पी सी ओ पर कान्फ्रेंस सुविधा, दूरसंचार सलाहकार समिति में पी सी ओ प्रतिनिधियों को शामिल करने, अतिरिक्त प्रतिभूति जमाराशि को माफ करने, एस टी डी पी सी ओ के कमीशन की मौजूदा दर का संशोधन करने तथा करार की शर्तों को आशोधन करने की मांग की है।

(ग) कमीशन की दरें 1.1.96 से संशोधित की गई हैं। एस टी डो पी सी ओ में कान्फ्रेंस सुविधा की मांग सरकार के विचाराधीन है। अन्य मांगों को न्यायोचित नहीं पाया गया है।

उड़ीसा में हीरे और स्वर्ण भंडारों का मूल्यांकन

4171. श्री के.पी. सिंह देव : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में उपलब्ध स्वर्ण, हीरे और अन्य बहुमूल्य पत्थरों का समुचित मूल्यांकन अभी नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (ग). जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उड़ीसा में स्वर्ण और हीरों के उचित मूल्यांकन के लिए अन्वेषण किया है लेकिन जेमस्टोन संसाधनों का उचित मूल्याकंन नहीं किया गया क्योंकि ये बहुत छोटे और अत्यधिक अनियमित स्वरूप के पाये गए हैं।

(घ) उड़ीसा में स्वर्ण के लिए प्रारंभिक खोज मयूरभंज जिले के गोरमहीसानी-बादामपहाड़ क्षेत्र में, क्योंझर जिले के बोनाई-क्योंझर क्षेत्र में और जयपुर जिले के समीपवर्ती क्षेत्रों में सुकिंदा क्रोमाइट फील्ड में लेटेराइट की गयी है। हीरे का स्रोत रॉक तलाशने और उड़ीसा के महानदी, ओएनजी, टी ई एल, सुकतेल-उदन्ती और कालाहाडी, नवापाडा, वोलनगीर पदमपुर, झारसुगुडा, सुन्दरगढ़ और संबलपुर आदि जिलों के नदी के थाले वाले भागों में हीरे वाले संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए हाल ही में सर्वेक्षण किए गए हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चुम्बकीय, प्रतिरोधात्मक और ई.एम. पद्धति से 50,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र पर सुदूर संवेदी आंकड़ों का आकलन 225 एल कि.मी. का भूभौतिकी सर्वेक्षण किया जा चुका है और विभिन्न अध्ययनों के लिये लगभग 1000 स्ट्रीम सडीमेंट और अन्य नमूने एकत्र किए गए हैं। उड़ीसा में हीरों के अन्वेषण के लिए 1996-97 फील्ड सीजन के दौरान तीन कार्यक्रम किय जाने का प्रस्ताव है। 1979-80 से 1985-86 फील्ड सीजन के दौरान उड़ीसा के कालाहाडी, कोरापुट, संबलपुर और बोलनगीर जिलों में बहुमूल्य और अर्धकीमती रत्नों के लिए भी अन्वेषण किया गया है।

मदुरै जंक्शन, तमिलनाडु में स्टाल

4172. श्री ए.जी.एस. राम बाबू : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मदुरै जंक्शन, तमिलनाडु पर वर्तमान में विभिन्न स्टालों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार का नए स्टाल खोलने के लिए लाइसेंस प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इन स्टालों के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) फिलहाल मदुरै जं. पर निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं :-

1. निरामिष अल्पाहार गृह (विभागीय)
2. सामिष अल्पाहार गृह (लाइसेंस पर)
3. फास्ट फूड स्टॉल (लाइसेंस पर)
4. स्वचालित वेंडिंग मशीन (लाइसेंस पर)
5. एपल जूस स्टॉल (एचपीएमसी)
6. फ्रुट एण्ड फ्लावर स्टॉल (लाइसेंस पर)
7. ट्रेवल एण्ड ट्रिनिटी स्टॉल (लाइसेंस पर)
8. सर्वोदय बुक स्टॉल (लाइसेंस पर)
9. हिजीन बॉथम बुक स्टॉल (लाइसेंस पर)

(ख) और (ग). जी हां। मदुरै जं. के नये पश्चिमी प्रवेश द्वार पर एक फास्ट फूड स्टाल का प्रस्ताव प्रक्रियागत है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

बिना बारी के टेलीफोन आबंटन

4173. श्री मुख्तार अनीस : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा 1 जुलाई, 1996 से श्रेणी-वार राज्य-वार बिना बारी के कितने टेलीफोन कनेक्शन्स जारी किए गए; और

(ख) ऐसे आबंटनों हेतु निर्धारित मानदंण्ड/प्रक्रिया क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) कैलेंडर वर्ष में 25 टेलीफोनों के अपने कोटे से संसद के माननीय सदस्यों द्वारा की गई सिफारिश पर दिये गये टेलीफोन कनेक्शन को छोड़कर दूरसंचार आयोग मुख्यालय द्वारा 1.7.1996 से बिना बारी के आधार पर जारी किए गए टेलीफोनों की कुल संख्या 845 (आठ सौ पैंतालीस) है। सभी

टेलीफोन नॉन-ओवाईटी (सामान्य) श्रेणी के अन्तर्गत प्रदान किए गए हैं। राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) दूरसंचार आयोग मुख्यालय द्वारा दिए जा रहे ऐसे टेलीफोन कनेक्शन, अब संलग्न विवरण-II में दिए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं।

विवरण-I

1.7.1996 से दूरसंचार आयोग मुख्यालय द्वारा बिना बारी के आधार पर जारी किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की राज्य-वार सूची

राज्य (दूरसंचार सर्किल/टेलीफोन जिला)	टेलीफोनों की संख्या
अंडमान-निकोबार द्वीप समूह	शून्य
आंध्र प्रदेश	009
असम	शून्य
बिहार	007
एमटीएनएल मुंबई	002
कलकत्ता टेलीफोन्स	005
एम.टी.एन.एल, नई दिल्ली	135
गुजरात	003
हरियाणा	008
हिमाचल प्रदेश	शून्य
जम्मू-कश्मीर	015
कर्नाटक	028
केरल	019
मध्य प्रदेश	010
मद्रास टेलीफोन्स	006
महाराष्ट्र	008
उत्तर-पूर्व	शून्य
उड़ीसा	001
पंजाब	005
राजस्थान	012
तमिलनाडु	002
उत्तर प्रदेश	569
पश्चिम बंगाल	001
जोड़	845

विवरण-II

(1) **टेलीफोन कनेक्शनों के लिए बिना बारी प्राथमिकता प्रदान करने हेतु मानदंड**

(क) आवेदक का लंबी अवधि के लिए गंभीर रूप से बीमार होना जैसे कैंसर होना, गुर्दे का खराब होना, जिगर का सूत्रणरोग होना।

(ख) *विधवाएं जो वास्तव में अत्यधिक विपरीत सामाजिक* परिस्थितियों में हों।

(ग) प्राकृतिक आपदाओं तथा मानव सृजित महाविपत्तियों के शिकार व्यक्ति जिनके पास टेलीफोन सुविधाएं नहीं है इसमें आतंकवादियों की धमकियों के मामले भी शामिल किए जाने चाहिए।

(घ) भारत के वरिष्ठ नागरिक (70 वर्ष और उससे अधिक)

(ङ) श्रमसाध्य प्रकृति के कार्यों का निर्वाह करने वाले जन-सेवक, जिन्हें मालिक की ओर से उनके आवास पर टेलीफोन सुविधा प्रदान नहीं की गई है।

(च) सांविधिक सरकार से सहायता प्राप्त तथा सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान तथा प्रत्यायित पत्रकार।

(छ) 60 प्रतिशत से अधिक की अक्षमता वाले शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति।

(ज) विशिष्ट अथवा अति विशिष्ट मामला जिन पर अनुकंपा आधार पर विचार करना आवश्यक हो जिसमें मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश में डाकघर

4174. श्री छत्रपाल सिंह : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने डाकघर कार्यरत हैं;

(ख) इनमें से कितने डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं तथा कितने गांवों में डाकघर की सुविधा बिल्कुल नहीं है; और

(ग) इन गांवों में, विशेषकर मेरठ डिवीजन के अंतर्गत आने वाले गांवों में कब तक डाकघर स्थापित कर दिए जाएंगे?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) उत्तर प्रदेश में कार्य करे रहे डाकघरों की संख्या 20084 है।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे डाकघरों की संख्या 17990 है। उत्तर प्रदेश के कुल 112804 गांवों में से 94814 गांवों में डाकघर नहीं हैं।

(ग) मानदंडों के आधार पर औचित्यपूर्ण होने तथा संसाधन उपलब्ध होने पर डाकघर उत्तरोत्तर रूप से खोले जाते हैं। चालू वार्षिक योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में 31 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों की मंजूरी दी गई है।

[हिन्दी]

डाक विभाग को हानि

4175. श्री अशोक प्रधान : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार में निजी कोरियर सेवाओं के आधिपत्य के कारण गत कुछ वर्षों के दौरान डाक विभाग को विशेष रूप से विदेशी पार्सल डाक के मामले में भारी हानि हुई है जबकि देशीय "स्पीड पोस्ट" सेवा में पर्याप्त वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस स्थिति से निपटने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) पिछले कुछ वर्षों के दौरान विदेश पार्सल मेल के मामले में डाक विभाग को बहुत अधिक वित्तीय घाटा नहीं हुआ है। तथापि भारत से विदेशों को भेजे जाने वाले (जावक) और विदेशों से भारत में वितरण के लिए प्राप्त विदेशी पार्सलों (आवक) के ट्रैफिक में गिरावट आई है। ट्रैफिक में गिरावट मुख्यतया बाजार में इस सेवा के, निजी कूरिअरों, हवाई मालभाड़ा कंपनियों, मालभाड़ा फारवर्डिंग एजेंटों जैसे, अधिक प्रदानकर्ताओं की उपलब्धता के कारण आई है।

(ख) पिछले चार वर्षों में विदेशी पार्सलों के ट्रैफिक में आई गिरावट इस प्रकार है :-

वर्ष	जावक पार्सल	आवक पार्सल
1992-93	1,81,168	2,87,654
1993-94	1,61,300	2,65,763
1994-95	1,22,090	2,53,750
1995-96	1,10,203	2,30,301

(ग) अन्य लेखा प्रदानकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की जा रही प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए पार्सल सेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं।

(घ) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

खराब टेलीफोन

4176. श्री विजय गोयल : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अनेक टेलीफोन एक्सचेंज विशेषतौर पर शक्तिनगर एक्सचेंज भलीभांति कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी एक्सचेंज-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अच्छी टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) दिल्ली में अधिकांश एक्सचेंज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक हैं, जो कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। तथापि, कुछ इलेक्ट्रो-मेकेनिकल एक्सचेंजों जैसे शक्तिनगर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों के समतुल्य अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान नहीं की गयी हैं। यह प्रस्ताव किया गया है कि 9वीं योजना अवधि के दौरान सभी इलेक्ट्रो-मेकेनिकल एक्सचेंजों को हटा कर उनके स्थान पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज स्थापित कर दिये जाएंगे।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह लागू नहीं होता।

(ग)(1) पुराने तथा जिनकी मियाद समाप्त हो चुकी है, उन एक्सचेंजों के स्थान पर आधुनिक प्रौद्योगिकी वाले एक्सचेंजों को स्थापित करना,

(2) जिन भूमिगत केबलों में अक्सर खराबियां होती रहती हैं, उनके स्थान पर जेली युक्त केबलें बिछाना,

(3) डक्ट्स में केबलें बिछाना

(4) नेटवर्क में आधुनिक औजारों और परीक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की शुरूआत,

(5) डिजिटल आप्टिकल फाइबर केबल्स (ओएफसी) पर 100 प्रतिशत जंक्शन नेटवर्क प्रदान करना,

(6) लोकल लूप पर बेतार प्रौद्योगिकी शुरू करना,

(7) बाह्य संयंत्र का उन्नयन

(8) आधुनिक प्रौद्योगिकी में कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु उन्हें प्रशिक्षण देना, और

(9) विभिन्न उपभोक्ता सेवाओं का कंप्यूटरीकरण।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल की ग्रामीण पंचायतों में डाक सेवा

4177. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल की कितने ग्रामीण पंचायतों में अब तक डाक तथा तार की सुविधा प्रदान की गई है;

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान डाक और तार के कितने कार्यालय खोले जाएंगे;

(ग) प्रत्येक ग्रामीण पंचायत में इस सुविधा को प्रदान करने हेतु क्या समय सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) ग्रामीण पंचायतों में एस.टी.डी. सुविधायुक्त डाकघरों की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सभी ग्रामीण पंचायत डाकघरों में एसटीडी सुविधा प्रदान करने के लिए कोई समयबद्ध योजना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) पश्चिम बंगाल में अब तक 3320 ग्राम पंचायत गांवों में डाकघर सुविधा सुलभ कराई गई है।

तार :– पश्चिम बंगाल में 1579 गांवों में तार सुविधा सुलभ कराई गई है।

डाक

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान पश्चिम बंगाल में 4 विभागीय उप-डाकघर तथा 2 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य है।

तार - शून्य

डाक

(ग) डाकघर वार्षिक योजना स्कीमों के अंतर्गत मानदंडों के अनुसार औचित्यपूर्ण होने पर उत्तरोत्तर रूप से खोले जाते हैं बशर्ते कि संसाधन और योजना लक्ष्य उपलब्ध रहें। अतः प्रत्येक ग्राम पंचायत में डाकघर सुविधा सुलभ कराने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं की जा सकती।

तारघर:– कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि तार सुविधा ट्रैफिक की मांग और औचित्य के आधार पर सुलभ कराई जाती है।

(घ) पश्चिम बंगाल में 12 ग्राम पंचायतों में एस टी डी सुविधा सुलभ कराई गई है।

(ङ) जी नहीं।

(च) उपर्युक्त (ङ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(छ) सर्किल में कोई मांग लंबित नहीं है क्योंकि एस टी डी सुविधा ग्राम पंचायतों से विनिर्दिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर ही सुलभ कराई जाती है।

बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में नए डाकघर

4178. श्री ब्रजमोहन राम : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की सरकारों की ओर से अपने-अपने राज्यों में नए डाकघर खोलने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य-वार क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन राज्यों में कुछ डाकघरों का दर्जा बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो जिला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन राज्यों में त्वरित डाक सेवा शुरू करने का है; और

(च) यदि हां, तो जिला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). नए डाकघर खोलने के लिए बिहार व महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के अंतर्गत सैफई ग्राम में नया डाकघर खोलने का एक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त हुआ था। इस डाकघर को मंजूरी दे दी गई है।

(ग) और (घ). मानदंडों के आधार पर औचित्यपूर्ण होने, संसाधन उपलब्ध होने तथा प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर डाकघर खोलने की मंजूरी दी जाती है/इनका दर्जा बढ़ाया जाता है।

(ङ) जी नहीं। फिलहाल बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में स्पीड पोस्ट सेवाओं में विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) उपर्युक्त (ङ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

फिल्मों का चयन

4179. श्री नामदेव दिवाथे : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने साप्ताहन्त रात्रि फिल्मों के संबंध में निजी वितरकों/निर्माताओं की पेशकश की अवहेलना करके यह कार्य राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम को सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या एम.आर.टी.पी.सी. ने दूरदर्शन के अधिकारियों को इस संबंध में कोई निर्देश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(च) क्या इस बारे में सरकार को कोई शिकायतें मिली हैं; और

(छ) उन फिल्मों का ब्यौरा क्या है जिन्हें वर्ष में दो बार और दो वर्ष में एक बार दिखाया गया तथा इसके क्या कारण हैं तथा फिल्मों के समुचित चयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). अच्छी फिल्मों के प्रसारण को सुनिश्चित करने तथा वर्धित राजस्व को अर्जित करने की दृष्टि से दूरदर्शन ने डीडी-1 पर शुक्रवार/शनिवार को फिल्म प्रसारित करने के लिए 8.8.96 को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे जिसके द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को निजी निर्माताओं/वितरकों से फिल्में प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया था।

(ग), (घ) तथा (ङ). एकाधिकार और प्रतिबन्धित व्यापार आयोग के समक्ष दायक एक याचिका पर एक आयोग ने 29.8.96 को दूरदर्शन को अगली सुनवाई की तारीख तक राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के समान निजी निर्माताओं के प्रस्तावों पर विचार करने का निदेश दिया है। दूरदर्शन द्वारा एकाधिकार और प्रतिबन्धित व्यापार आयोग के इस निदेश का अनुपालन किया जा रहा है। इस मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 23.12.1996 निर्धारित की गई है।

(च) जी, नहीं।

(छ) डीडी-1 पर एक साल में दो बार कोई फिल्म नहीं दिखाई गई है तथा राष्ट्रीय फिलम विकास निगम द्वारा प्रस्तुत की गई केवल एक फिल्म "दीवार" को उसकी लोकप्रियता के कारण एक विशेष मामले के रूप में दो वर्ष में दो बार दिखाया गया है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम तथा अन्य निजी पार्टियों से फिल्मों के प्रस्ताव स्वत: स्फूर्त प्राप्त होते हैं। पूर्वदर्शन समिति द्वारा सभी फिल्मों का पूर्वदर्शन किया जाता है तथा केवल पूर्वदर्शन समिति द्वारा प्रसारण के योग्य पाई जाने वाली फिल्मों को ही प्रसारित किया जाता है।

अवैध निर्माण

4180. डा. बलिराम : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में संचार विभाग की भूमि पर अवैध निर्माण होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन्हें कब तक हटाए जाने की संभावना है; और

(घ) भविष्य में अवैध निर्माण न होने देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) :

(क) **डाक एवं दूरसंचार विभाग**

जी, हां।

(ख) **डाक विभाग**

डाक विभाग ने दिनांक 9.3.1984 को दिल्ली विकास प्राधिकरण से जामियानगर (नूर नगर) नई दिल्ली में 200 वर्ग मीटर भूमि खरीदी थी बाद में जुलाई, 1994 में यह देखा गया कि उस प्लाट पर अतिक्रमण कर लिया गया था तथा उस पर विद्यालय भवन का निर्माण कार्य चल रहा था।

दूरसंचार विभाग

ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) **डाक विभाग**

यह विभाग दिल्ली विकास प्राधिकरण से इसके बदले में वैकल्पिक प्लाट आबंटित करने के लिए अनुरोध कर रहा है। इसमें लगने वाला समय दिल्ली विकास प्राधिकरण के जवाब पर निर्भर करता है।

दूरसंचार विभाग

ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) **डाक विभाग**

1. जहां कहीं भी आवश्यक हो वाउन्ड्री वाल (दिवार) बनाना तथा वहां पर साइन बोर्ड लगाना बशर्ते कि फंड उपलब्ध हो।
2. सर्किल स्तर पर खाली प्लाट की स्थिति का नियमित रूप से मानिटरिंग सुनिश्चित करना।

दूरसंचार विभाग

1. वाउन्ड्री वाल (दिवार) तथा घेरा बनाना।
2. खाली प्लाटों पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ साइन बोर्ड लगाना जिसमें यह लिखा हो कि यह प्लाट दूरसंचार विभाग का है।
3. खाली प्लाट पर भवनों के निर्माण के लिए यथा संभव प्रयास करना बशर्ते कि निधि उपलब्ध हो।
4. कार्मिकों को और अधिक सतर्क रहने तथा अवैध निर्माण के मामले में राजस्व प्राधिकारियों एवं पुलिस को तत्परता से रिपोर्ट करने के लिए निर्देश देना।

विवरण

क्र.सं.	अवैध निर्माण की स्थान स्थिति (लोकेशन)	अवैध निर्माण को हटाए जाने में लगने वाली संभावित अवधि
	भाग (ख)	भाग(ग)
(1)	मुखर्जी नगर	एम सी डी के स्लम स्कंध से झुग्गी झोपड़ी समूहों का सर्वेक्षण करने तथा उन्हें हटाने का अनुरोध किया गया है। इसमें कितना समय लगेगा यह बताना संभव नहीं है।

भाग (ख)		भाग(ग)
(2)	ईस्टर्न कोर्ट के पीछे	पुनर्स्थापना शुल्क के रूप में एम सी डी के स्लम स्कंध को पहले ही 14.21 लाख रु. का भुगतान किया जा चुका है। इस मामले पर तत्परता से जोर दिया जा रहा है। निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है।
(3)	डी आई जेड क्षेत्र	पुनर्स्थापना शुल्क के रूप में दूरसंचार विभाग द्वारा पहले ही 4.3 करोड़ रु. मंजूर किए जा चुके हैं। विभाग प्लाट खाली कराने के लिए एम सी डी के स्लम स्कंध से पैरवी कर रहा है।
एम टी एन एल, नई दिल्ली		
(1)	केशव पुरम (लारेंस रोड)	यह वैकल्पिक आवास सुविधा प्रदान करने के लिए एम सी डी (स्लम स्कंध) के जवाब पर निर्भर करता है। इस बारे में निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है। एम सी डी (स्लम स्कंध) के साथ इस मामले पर बातचीत की गई है।
(2)	जवाहरलाल नेहरू मार्ग	अवैध निर्माण स्थल के एक बड़े भाग को मार्च, 95 में पहले ही खाली करा लिया गया है। लंबित अवैध निर्माण को हटाने के लिए एम ओ यू डी/एम सी डी (स्लम स्कंध) के पास मामले की पैरवी की जा रही है। कोई निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है।

बोकारो इस्पात संयंत्र की भूमि

4181. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र को 210 एकड़ भूमि को अवैध रूप से बेच दिया गया है;

(ख) क्या इस संबंध में अक्तूबर, 1996 में बोकारो इस्पत संयंत्र के प्रबंधन के विरूद्ध कोई मामला दर्ज किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (घ). जी, नहीं। बोकारो इस्पात संयंत्र ने गैर कानूनी रूप से किसी को भी भूमि नहीं बेची है और अक्तूबर, 1996 में इस संबंध में बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रबंधन के विरूद्ध कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। तथापि बी.एस.एल. की भूमि को बोकारो स्टील इम्पलाइज को-आपरेटिव हाउस कंस्ट्रक्शन सोसायटी लिमिटेड के पूर्व पदाधिकारियों द्वारा अपने सदस्यों को आवंटन करने में आबंटन के मानदण्डों का उल्लंघन करने के लिए बिहार सरकार (सहकारी विभाग) द्वारा उनके विरूद्ध एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।

उपकरणों के लिए आर्डर

4182. डा. एम. जगन्नाथ : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरसंचार विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष वार कितनी धनराशि के उपकरणों का आर्डर दिया गया;

(ख) गैर सरकारी फर्मों तथा सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को अलग-अलग कितनी धनराशि आर्डर दिए गए;

(ग) गैर-सरकारी कंपनियों को अधिक आर्डर दिए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) इन 10 प्रमुख गैर सरकारी कंपनियों के नाम क्या हैं जिनको दूरसंचार विभाग ने सबसे अधिक धनराशि के आर्डर दिए;

(ङ) उपकरणों के लिए आर्डर देने में अब तक किन अनियमितताओं का पता लगाया गया है; और

(च) उन पर क्या कार्यवाही की गई?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) पिछले तीन वर्षों में दूरसंचार विभाग द्वारा दिए गए आर्डरों का मूल्य इस प्रकार हैं :—

वर्ष		आर्डरों का अनुमानित मूल्य (करोड़ रु. में) लगभग
1993-94		3224.23
1994-95		3676.80
1995-97		4941.61
		निजी फर्म
(ख)	1993-94	1811.22
	1994-95	2181.25
	1995-96	3527.83
		सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां
	1993-94	1431.01
	1994-95	1495.55
	1995-96	1413.78

(ग) सामान्यतया आर्डर, खुली निविदा आमंत्रित करके दिए जाते हैं जिसमें निजी तथा सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों की कंपनियां भाग ले सकती हैं और निविदा में अपने रैंक के आधार पर आर्डर प्राप्त कर सकती हैं। तथापि, कुल मांग के 35 प्रतिशत भाग तक के आर्डर दूरसंचार विभाग के सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों अर्थात् आई टी आई तथा एच टी एल के लिए आरक्षित रखे जाते हैं।

(घ) विवरण संलग्न है।

(ङ) एवं (च). इनमें से कुछेक केस फाइल, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मांगी है।

विवरण

	1993-94		1994-95		1995-96	
	कंपनी का नाम	आर्डर का मूल्य (करोड़ रु. में)	कंपनी का नाम	आर्डर का मूल्य (करोड़ रु. में)	कंपनी का नाम	आर्डर का मूल्य (करोड़ रु. में)
1.	मै. फिनोलेक्स	164.96	एसआईआईएल	228.01	एसआईआईएल	244.46
2.	विंध्याटेलीलिंक लि. (पीटीएल)	123.54	यूबीएल	127.63	फिनोलेक्स	219.09
3.	स्टर्लाइट इंडस्ट्रीज इंडिया लि. (एस आई आई एल)	114.11	फिनोलेक्स	117.34	पीटीएल	202.72
4.	ऊषा बेल्ट्रान लि. (यूबीएल)	95.05	वीटीएल	91.75	एएमएनएस	197.80
5.	हिमाचल फ्यूच रिष्टिक कंपनी लि.(एचएफसीएल)	94.03	जीटीसी	89.79	यूबीएल	196.19
6.	ए आर एम लि.	90.25	आरपीजी	77.53	आरपीबी	148.41
7.	आरपीजी टेली.लि.	87.65	ए टी एंड टी	76.56	एचएफसीएल	125.01
8.	टेलीफोन्स केबल्ज लि. (टीसीएल)	73.97	नैटेल्को	63.44	जीटीसी	118.36
9.	श्याम टेली.	67.49	अल्कोटेल मोदी नेटवर्क सिस्टमज (ए एम एन एस)	58.31	सिमेन्स	114.95
10.	गुजरात टेलीफोन्स केबल्स (जीटीसी)	64.50	अपकॉम केबल्ज लि.	56.01	टीसीएल	111.05

खनन लाइसेंसों में संशोधन

4183. डा. रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री के.पी. सिंह देव :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने खनिज खनन के लिए खानों की खोज संबंधी लाइसेंस देने से संबंधित शर्तों में संशोधन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये संशोधन किस तिथि से लागू होंगे?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (ग). पूर्वेक्षण लाइसेंस खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों और खनिज रियायत नियम 1960 के अनुसार दिए जाते हैं और 1994 के बाद पूर्वेक्षण लाइसेंस देने से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों/नियमों में कोई संशोधन नहीं किया गया है। खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 6 में यह प्रावधान है कि केन्द्र सरकार खनिजों के

विकास के हित में किसी भी व्यक्ति को 25 वर्ग कि.मी. की अधिकतम सीमा से अधिक क्षेत्र के लिए एक या एक से अधिक को पूर्वेक्षण लाइसेंस प्राप्त करने की अनुमति दे सकती है। केन्द्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वह 25 वर्ग कि.मी. की अधिकतम सीमा से अधिक क्षेत्र की अनुमति के लिए राज्य सरकार से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करेगी जिसके लिए आवश्यक मार्ग निर्देश राज्य सरकार को 30.10.96 को जारी किए गए हैं। मार्ग निर्देशों के अनुसार अधिकतम सीमा से अधिक क्षेत्र की अनुमति के संबद्ध अनुरोध पर निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत विचार किया जाएगा :-

1) केन्द्र सरकार बड़े क्षेत्र के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के अनुरोधों पर तभी विचार करेगी जब इस प्रकार के लाइसेंस प्रदान करने की मांग करने वाली पार्टी यह वचन लेगी कि वह इस क्षेत्र का हवाई पूर्वेक्षण करेगी।

2) एकल पूर्वेक्षण लाइसेंस के लिए राज्य सरकारों द्वारा क्षेत्रों की मंजूरी हेतु इस प्रकार की सिफारिशें 5,000 वर्ग कि.मी. से अधिक क्षेत्र के लिए नहीं होनी चाहिए और एक एकल कंपनी के पास पूरे देश में कुल क्षेत्र 10,000 वर्ग कि.मी. से अधिक नहीं होगा।

3) पूर्वेक्षण लाइसेंस के लिए बड़े क्षेत्रों की इस अनुमति को छोड़ देने की योजना से जोड़ा जाएगा। मंजूर किए गए क्षेत्र को धीरे-धीरे छोड़ देना चाहिए ताकि एक वर्ष पूरा होने के बाद वह क्षेत्र घट कर 1,000 वर्ग कि.मी. या मंजूर किए गए क्षेत्र का 50 प्रतिशत जो भी कम हों, रह जाए। बाकी क्षेत्र का 50 प्रतिशत दूसरे वर्ष के पूरा होने पर छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद कुछ और क्षेत्र भी छोड़ना पड़ेगा ताकि तीसरे वर्ष के अन्त तक 25 वर्ग किमी. क्षेत्र के लिए ही लाइसेंस रह जाए।

4) बड़े क्षेत्रों की मंजूरी को न्यूनतम व्यय संबंधी प्रतिबद्धता या विशिष्ट प्रत्यक्ष लक्ष्यों से जोड़ा जाएगा। राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन लक्ष्यों/व्यय संबंधी प्रतिबद्धताओं का अनुपालन किया जाए और ऐसा न करने पर पूर्वेक्षण लाइसेंस रद्द कर दिया जाए।

5) निजी पार्टियों द्वारा हवाई पूर्वेक्षण के दौरान नागर विमानन महानिदेशालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा लगाई गई शर्तों के अलावा हवाई सर्वेक्षण कार्यों के दौरान सामान्यतः भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण का एक प्रतिनिधि उपस्थित रहेगा।

6) एकत्र किए गए सभी आंकड़े मौजूदा नियमों के अनुसार भारतीय खान ब्यूरो को उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये आंकड़े भारतीय खान ब्यूरो में रखे जाएंगे और दो वर्ष के अंतराल के बाद जनता को उपलब्ध करवाये जाएंगे। तथापि, उस क्षेत्र से संबंधित आंकड़ों को गुप्त रखा जाएगा जिसके लिए कम्पनी खनन पट्टे आवेदन करेगी ताकि कम्पनी के वाणिज्यिक हितों को नुकसान न पहुंचे।

पर्यटकों द्वारा अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा

4184. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा के इच्छुक पर्यटक वहां पोत द्वारा जाने में हिचकिचाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि पोत के आने-जाने का समय अनियमित है और पर्यटकों के लिए प्रलेखन प्रक्रिया काफी जटिल है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रक्रिया को सरल बनाने और पोत के आने-जाने के समय को नियमित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). अण्डमान और निकोबार प्रशासन द्वारा अग्रिम रूप में, समुद्री जहाज के आने-जाने का समय भली-भांति तैयार कर लिया जाता है। तथापि, इस आने-जाने के समय में, खराब मौसम की अवस्था में या अन्य तकनीकी बाधाओं के कारण एक या दो दिन का फर्क पड़ जाता है।

पर्यटकों के लिए कोई पेचीदा प्रलेखन प्रक्रिया नहीं है।

नदी घाटी विकास वृत्तचित्र

4185. श्री सुख लाल कुशवाहा :
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन नेटवर्क पर विकास कार्यक्रमों पर वृत्तचित्र के प्रसारण हेतु क्या प्रक्रिया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष नदी घाटी विकास पर कितने वृत्तचित्र तैयार किए गए और प्रसारित किए गए;

(ग) क्या हिन्दी धारावाहिक "पानी के अक्षर" का प्रसारण बंद कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने दूरदर्शन पर इसका प्रसारण फिर से शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) कार्यक्रमों और समय स्लॉटों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए दूरदर्शन द्वारा इसके राष्ट्रीय नेटवर्क पर और इसके क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा समय-समय पर विकास संबंधी कार्यक्रमों पर आधारित वृत्तचित्र प्रसारित किए जाते हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

एयर इंडिया द्वारा पट्टे पर लिए गए भवन के किराये का भुगतान

4186. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने दिसम्बर, 1987 से अक्तूबर, 1994 तक पट्टे की अवधि के दौरान कनाट प्लेस में आत्मा राम मैंशन में उपलब्ध स्थान को उपयोग में न लाकर भवन के मालिक को पट्टे पर ली गई भूमि के किराये का भुगतान करना जारी रखा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच करवाई है; और

(ग) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष निकले और भविष्य में सार्वजनिक धन के दुरूपयोग को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) एयर इंडिया द्वारा दिसम्बर 1987 से अक्तूबर 1994 तक, आत्मा राम मैंशन में उपलब्ध स्थान का प्रयोग नहीं किया जा सका। तथापि, कम्पनी ने सितम्बर, 1993 से किराये का भुगतान रोक दिया था।

(ख) दिल्ली उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के निर्देशों के अनुसरण में, सरकार द्वारा मामले की जांच आरंभ की गई है।

(ग) मामला न्यायाधीन है।

सरकारी क्षेत्र के बन्द किये जाने वाले उपक्रमों के श्रमिकों का पुनर्वास

4187. श्री प्रमथेस मुखर्जी : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों, जिन्हें बन्द किये जाने की संभावना है, में कार्यरत श्रमिकों के पुनर्वास अथवा उन्हें वैकल्पिक रोजगार देने से संबंधित व्यापक प्रस्ताव तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के चमड़े और इसके सह-उत्पादों से संबंधित कुछ उपक्रमों के भी वर्तमान कर्मचारियों को पर्याप्त सहायता दिये बिना बंद करने के लिए पहचान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). 1992 में सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय नवीकरण निधि, 16 राज्यों में फैले 49 स्थानों में नोडीय एजेन्सियों द्वारा स्थापित कर्मचारी सहायता केन्द्रों के माध्यम से, भारतीय उद्योग के प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण और औद्योगिक पुनर्गठन द्वारा प्रभावित हुए कर्मकारों को परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन मुहैया कराता रही है।

(ग) और (घ). भारी उद्योग विभाग से उपलब्ध सूचना के अनुसार चर्मशोधन और फुटवियर निगम (टैफ्को) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के एक रूग्ण उपक्रम को 1992 में औ.एवं वि. पुनर्निर्माण बोर्ड को सन्दर्भित कर दिया गया था। बहुप्रयोजनीय की लघु सहकारी समितियों का गठन करके टैफ्को के कर्मचारियों के पुनर्वासन की संभावना का पता लगाया गया था। तथापि, किसी सकारात्मक अर्थक्षम प्रस्ताव के अभाव में औ. एवं. वि. पुनर्निर्माण बोर्ड ने कम्पनी को बंद करने की सिफारिश की और अपनी सिफारिशें इलाहाबाद उच्च न्यायालय को अंग्रेषित कर दी जहां कम्पनी की समापन कार्यवाही लंबित है। रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विषय उपबंध) अधिनियम, 1985 में कम्पनी को बंद किए जाने से प्रभावित कर्मकारों को मुआवजे के भुगतान किए जाने की व्यवस्था है।

कारजन रेलवे स्टेशन पर अहमदाबाद-मुम्बई जनता एक्सप्रेस का रोका जाना

4188. श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से कारजन रेलवे स्टेशन (गुजरात) में अहमदाबाद-मुम्बई जनता एक्सप्रेस के रोके जाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) जांच की गई परन्तु परिचालनिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं पाया गया।

दूरदर्शन में निजी निर्माता

4189. श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने हाल में समाचारों से संबंधित कार्यक्रमों के मामले में निजी निर्माताओं की भूमिका से संबंधित मानदंडों में छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह छूट दिए जाने का क्या औचित्य है;

(ग) इन परिवर्तनों से दूरदर्शन की संचालनात्मक और वित्तीय स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) दूरदर्शन नेटवर्क के लिए अन्य कार्यक्रमों हेतु विचाराधीन अन्य प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) दूरदर्शन के अलावा अन्य निजी चैनलों पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले प्रस्तुतकर्त्ताओं को राष्ट्रीय नेटवर्क से हटाए जाने के लिए के निर्धारित किए गए नये दिशा निर्देश क्या हैं; और

(च) समाचारों से संबंधित कार्यक्रमों और सामयिकी कार्यक्रमों में क्या अंतर है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) दूरदर्शन की कार्यक्रम पर अपेक्षाओं तथा प्रस्तावित कार्यक्रमों की गुणवत्ता और विषय-वस्तु पर निर्भर करते हुए विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत बाहरी निर्माताओं के प्रस्तावों पर विचार किया जाता है।

(ङ) दूरदर्शन के चैनलों पर प्रसारित समसामयिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों को दूरदर्शन चैनल के अलावा किसी भी चैनल पर कोई अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

(च) समाचार कार्यक्रम एक समाचार बुलेटिन की तरह ही होता है जिसमें घटनाओं तथा विकास कार्यों को समाचार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जबकि सामयिकी कार्यक्रम में किसी कार्य क्षेत्र की सामयिक घटनाओं की पृष्ठभूमि तथा विश्लेषण को प्रस्तुत किया जाता है।

रेल मार्गों का विद्युतीकरण

4190. श्री मुरलीधर जेना :
श्री के.पी. सिंह देव :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खड़गपुर से विजाग तक बरास्ता खुर्दा रेलमार्ग के विद्युतीकरण को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो क्या खड़गपुर से भुवनेश्वर तक पहले चरण का कार्य (320 कि.मी) वर्ष 1996-97 के दौरान पूरा किये जाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में आज तक क्या प्रगति की गई है; और

(घ) सम्पूर्ण मार्ग के विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूरा किये जाने की आशा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां। खडगपुर से विजाग (विशाखापट्टनम) खंड का निम्नानुसार दो चरणों में विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव हैं :—

चरण-1 : खडगपुर-भुवनेश्वर खंड, पारादीप-तलचेर शाखा लाइन सहित।

चरण-2 : भुवनेश्वर से विशाखापट्टनम।

(ख) से (घ). चरण एक में, खडगपुर से भुवनेश्वर का विद्युतीकरण मार्च 2000 तक, और भुवनेश्वर से विशाखापट्नम का मार्च 2002 तक पूरा किए जाने की योजना है।

दिल्ली दूरदर्शन में नैमित्तिक कर्मचारी

4191. श्री शान्तिलाल पुरषोत्तम दास पटेल :
श्री नामदेव दिवाथे :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन में अनेक सहायक 10 वर्षों से अधिक समय से नैमित्तिक आधार पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है और अब तक इनकी सेवाओं को नियंत्रित नहीं करने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इन सहायकों की सेवाओं को नियमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों को नियमित आधार पर खपाया गया?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसे नैमित्तिक कर्मचारियों के श्रेणी-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) नैमित्तिक कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु एक योजना वर्ष 1992 में बनाई गई थी जिसे बाद में वर्ष 1994 में संशोधित किया गया था। स्कीम के अनुसार योग्य नैमित्तिक कर्मचारियों को रिक्तियां उपलब्ध होने पर नियमित किया जा रहा है।

(घ) सहायकों की श्रेणियों में अब तक 140 व्यक्तियों को नियमित किया गया है।

विवरण

दूरदर्शन में 10 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत नैमित्तिक कर्मचारियों का ब्यौरा

	श्रेणी	नैमित्तिक कर्मचारियों की कुल संख्या	स्कीम के अनुसार पात्र	अपात्र	अब तक नियमित किए गए
1.	निर्माण सहायक	20	19	01	17
2.	मंच सहायक	74	71	03	49
3.	प्रकाश सहायक	13	12	01	11
4.	सामान्य सहायक	29	22	7	11

ठेका मजदूर

4192. श्री भक्त चरण दास : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इण्डस्ट्री ने ठेका मजदूरों के टू टीयर भाड़ा शुरू करने के सुझाव सहित सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें कतिपय महत्वपूर्ण सेवा क्षेत्रों में ठेका मजदूरों की अनुमति देने और ठेका मजदूर नियुक्त करने के प्रावधान में परिवर्तन करने का आग्रह किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार को उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री ने ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाने का सुझाव दिया है :-

(1) गैर-कोर क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने की अनुमति दिये जाने के लिए ठेका श्रम की परिभाषा में परिवर्तन किया जाए।

(2) धारा 10(2) में स्पष्टीकरण के स्थान पर ठेका श्रम की अनुमति संबंधी स्पष्ट दिशानिर्देशों को प्रतिस्थापित किया जाए।

(3) ठेका श्रम के लिए दो टीयर वाली मजदूरी अवसंरचना शुरू की जाए अर्थात ठेका कर्मकारों को निम्नतर मजदूरी की अदायगी की अनुमति दी जाए।

(ग) ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 में यथा प्रस्तावित सभी संशोधनों को आवश्यक नहीं समझा गया है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन/आल इंडिया रेडियो के सहायकों का वेतनमान

4193. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते :
श्री पी.एस. गढ़वी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** 29 अगस्त, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3319 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस संबंध में निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह मामला पांचवे वेतन आयोग की रिपोर्ट से सम्बद्ध है जिसकी प्रतीक्षा है।

[अनुवाद]

अलेप्पी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को अपर्याप्त सुविधाएं

4194. श्री वी.एम. सुधीरन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अलेप्पी रेलवे स्टेशन पर अपर्याप्त सुविधाओं के कारण यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) सरकार के नोटिस में कोई विशेष मामला नहीं आया है। स्टेशन पर ऊंची स्तर वाले प्लेटफार्म, प्लेटफार्मों पर सायवान, प्रतीक्षालय, बैठने की व्यवस्था, पेयजल की आपूर्ति, अल्पाहार स्टाल और शौचालय जैसी सुविधाएं सम्हाले जा रहे यातायात की मात्रा के अनुरूप मौजूद हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेल आरक्षण सुविधा

4195. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में झालावाड़ और बांरा में अनेक गाड़ियों के लिए रेल आरक्षण सुविधायें उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त स्थानों पर आरक्षण सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). बारां में 6 गाड़ियों में और झालावाड़ रोड में 2 गाड़ियों में आरक्षण कोटा उपलब्ध है। इन कोटों की उपयोगिता के विश्लेषण करने से पता चला है कि वर्तमान यातायात के स्तर को पूरा करने के लिए यह पर्याप्त है।

वित्तीय संस्थानों की भागीदारी

4196. श्री अनंत कुमार हेगड़े : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में सेल्यूलर फोन प्रणाली की मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थानों को भागीदारी का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). देश में बुनियादी टेलीफोन सेवा और सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए चुनी गयी प्राइवेट कम्पनियों ने, उन्हें लाइसेंस न मिलने के कारण बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से उनकी परियोजनाओं को वित्त-पोषित कराने में हो रही कठिनाइयों का उल्लेख किया है। सरकार इस मामले को हल करने के लिए प्रयास कर रही है।

समाचार पत्रों के मूल्य

4197. श्री जार्ज फर्नान्डीज :
श्री माधवराव सिंधिया :
श्री नन्द कुमार साय :
श्री विजय पटेल :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रकाशित दैनिक, साप्ताहिक तथा अन्य समाचार पत्रों/पत्रिकाओं की श्रेणीवार क्या संख्या है;

(ख) क्या इनमें से कुछ बंद होने की कगार पर हैं;

(ग) यदि हां, तो इसकें क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार देश के कतिपय समाचार पत्रों के बीच चल रहे अनैतिक मूल्य प्रतिस्पर्द्धा को सही मानती है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार इस तरह के मूल्य प्रतिस्पर्द्धा का एक स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता तथा दूसरी स्तर पर कतिपय समाचार पत्रों की अथक्षमता पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को रोकने के संबंध में कोई कदम उठाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार 31.12.95 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत दैनिकों, साप्ताहिकों तथा अन्य समाचारपत्रों/पत्रिकाओं की संख्या निम्नानुसार है :-

दैनिक	-	4341
साप्ताहिक	-	12946
अन्य	-	23191

(ख) और (ग). इस संबंध में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(घ) से (च). समाचारपत्रों की कीमतों के निर्धारण पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

कन्याकुमारी में हवाई अड्डा

4198. श्री एन. डेनिस : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के दक्षिण भाग कन्याकुमारी में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों, तीर्थयात्रियों एवं अन्य लोगों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए वहां पर हवाई अड्डे का निर्माण करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कोई निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

हथकरघा बुनकरों को न्यूनतम वेतन का भुगतान नहीं किया जाना

4199. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नागपुर में हथकरघा निगम बुनकरों को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बावजूद भी न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार को उन्हें औद्योगिक मजदूरों के समतुल्य मानने का निर्देश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दूरदर्शन केन्द्र, पोर्ट ब्लेयर

4200. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोर्ट ब्लेयर में कार्यक्रम तैयार करने के लिए स्टूडियो की स्थापना करके वहां पर स्थित दूरदर्शन केन्द्र का उन्नयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में आयोजित होने वाले महत्वपूर्ण समारोहों का प्रसारण उपरोक्त केन्द्र से किया जाता है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). प्रारंभ में पोर्ट ब्लेयर में एक अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित किया गया था जिसे नवम्बर, 1982 में सेवा के लिए शुरू किया गया था। बाद में सहायक उपकरणों सहित 50 वर्ग मीटर आकार के स्टूडियो वाली कार्यक्रम निर्माण सुविधाएं इस केन्द्र में उपलब्ध करवाई गई थीं। दिनांक 2.2.96 से इस स्टूडियो केन्द्र को चालू कर दिया गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पैसेंजर तथा लोकल रेलगाड़ियों में यात्री डिब्बे

4201. श्री मनहरण लाल पांडेय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पैसेंजर तथा लोकल रेलगाड़ियों में यात्री डिब्बों की न्यूनतम संख्या क्या है;

(ख) क्या बिलासपुर रेल मंडल के अन्तर्गत चल रही विभिन्न पैसेंजर तथा लोकल रेलगाड़ियों में यात्री डिब्बों की संख्या कम है; और

(ग) यदि हां, तो इन रेलगाड़ियों में सवारी डिब्बों की संख्या में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) एक सवारी डिब्बा।

(ख) और (ग). बिलासपुर मंडल में चलने वाली सवारी गाड़ियों की सामान्य संरचना, 3-8 सवारी डिब्बों की है जो यातायात की मांग, यात्रा की दूरी तथा सवारी डिब्बों की उपलब्धता आदि पर निर्भर करती हैं।

अतिक्रमण हटाओ अभियान

4202. श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रबंधकों द्वारा चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के अन्तर्गत केवल निर्धन लोगों के मकान ही गिराए गए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्हें अतिक्रमण वाले क्षेत्रों में बोकारो इस्पात संयंत्र के अधिकारियों के मकान नहीं गिराए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) जिन लोगों के मकान गिराए गए हैं, उनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (घ). जी, नहीं। तथापि, "सेल" ने सूचित किया है कि सी.डब्ल्यू.जे.सी. नवम्बर-2290/90 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के अनुसार अनधिकृत निर्माण को स्थानीय प्रशासन के समन्वय से, व्यक्तियों की श्रेणी को ध्यान में न रखते हुए, हटा दिया गया था। बोकारो इस्पात संयंत्र कर्मचारियों (एक कार्यपालक और दूसरा गैर-कार्यपालक) जिन्होंने बोकारो इस्पात संयंत्र की भूमि पर निर्माण कर रखा है और जिससे अनधिकृत कब्जा है, के दो मामलों में यह निर्माण नहीं हटाया जा सका है, क्योंकि इनमें माननीय उच्च न्यायालय (पटना बैंच) से स्थगन आदेश मिला हुआ है।

मुरैना रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों का हाल्ट

4203. श्री अशोक अर्गल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुरैना रेलवे स्टेशन पर किसी मेल/एक्सप्रैस गाड़ियां जैसे महामाया एक्सप्रैस, गोआ एक्सप्रैस और जी.टी. एक्सप्रैस आदि का हाल्ट बनाए जाने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) मुरैना रेलवे स्टेशन पर विगत पांच वर्षों से किसी मेल/एक्सप्रैस गाड़ी का हाल्ट न बनाए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार मुरैना रेलवे स्टेशन पर किसी पैदल पार पुल का निर्माण करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक हो जायेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). वाणिज्यिक औचित्य न होने के कारण मुरैना में 15 मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां डाउन दिशा में और 14 मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां अप दिशा में पहले से ठहरती हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में शाखा डाकघर

4204. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा डाकघर खोले जाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) डाकघर वार्षिक योजना स्कीमों के अंतर्गत उत्तरोत्तर रूप से खोले जाते हैं बशर्ते कि मानदण्ड पूरे होते हों और संसाधन उपलब्ध हों।

(ग) और (घ). वार्षिक योजना, 1996-97 के दौरान उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 12 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव था। तथापि, उत्तर प्रदेश के लिए आज तक 31 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर मंजूर किए जा चुके हैं।

केरल में डाक मंडल

4205. श्री सुरेश कोडीकुनील : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल में पूनालूर स्थित पठामनथिट्टा सीनियर डाक मंडल के विभाजन करने पर विचार किया है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि पठामनथिट्टा एस एस पी आफिस विशाल क्षेत्र को कवर करता है और पूनालूर क्षेत्र के लोगों को उपरोक्त कार्यालय पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (घ). विभाग ने जन प्रतिनिधियों से एक अभ्यावेदन प्राप्त होने पर केरल में पूनालूर स्थित पठामनथिट्टा डाक डिवीजन के विभाजन पर विचार किया था। इस मामले की जांच मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, केरल सर्किल से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। विभागीय मानदण्डों के अनुसार विभाजन का औचित्य नहीं बनता है।

जिला दूरसंचार सलाहकार बोर्ड

4206. श्री एन.एन. कृष्णादास :
श्री एस. अजय कुमार :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जिला दूरसंचार सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) कब तक इनका पुनर्गठन किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) दूरसंचार सलाहकार समितियां (दूरसंचार सलाहकार बोर्ड) 100 यूनिटों में पुनर्गठित की जा चुकी हैं।

(ख) पुनर्गठित दूरसंचार सलाहकार समितियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ). विभिन्न स्रोतो से नामों की सिफारिश प्राप्त हो जाने के बाद निकट भविष्य में अन्य क्षेत्रीय इकाइयों के लिए दूरसंचार सलाहकार समितियों का गठन पुनर्गठन किया जाएगा।

विवरण

30.11.96 की स्थिति के अनुसार मौजूदा दूरसंचार सलाहकार समितियों की सूची

गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	अध्यक्ष	दूरसंचार सलाहकार समिति का कार्यकाल
1	2	3
आंध्र प्रदेश		
1. अनंतपुर (गुंटकल)	टीडीएम	31.1.98
2. चित्तूर (तिरूपति)	टीडीएम	31.12.97

	1	2	3
3.	ई. गोदावरी (आरएमवाई)	जीएम	31.12.97
4.	गुंटूर	जीएम	31.1.98
5.	कृष्णा (वीडब्ल्यू)	जीएम	3.12.97
6.	नेल्लोर	टीडीएम	31.1.98
7.	विशाखापटनम	जीएम	31.12.97
8.	डब्ल्यू गोदावरी (इलूरू)	टीडीएम	31.12.97
9.	वारंगल	टीडीएम	31.3.98
10.	असम	सीजीएम	31.3.98
11.	कामरूप (गुवाहटी)	टीडीएम	31.3.98
12.	लखीमपुर (डिब्रूगढ़)	टीडीएम	30.11.97
	बिहार		
13.	पटना	जीएम	30.4.97
14.	गुजरात	सीजीएम	30.11.96
15.	अहमदाबाद	जीएम	31.1.97
16.	भावनगर	टीडीएम	31.1.97
17.	जामनगर	टीडीएम	31.1.97
18.	कच्छ-भुज	टीडीएम	30.11.97
19.	पंचमहल (गोधरा)	टीडीएम	28.2.98
20.	राजकोट	जीएम	31.1.97
21.	सूरत	जीएम	31.1.97
22.	वडोदरा	जीएम	31.1.97
23.	वलसाड़ (बुलसांड)	जीएम	30.11.97
24.	हिमाचल प्रदेश	सीजीएम	31.8.97
25.	हरियाणा	सीजीएम	31.3.98
26.	अम्बाला	जीएम	31.1.98
27.	फरीदाबाद	जीएम	28.2.98
28.	हिसार	जीएम	31.3.98
29.	रोहतक	टीडीएम	28.2.98
	केरल		
30.	अलेपी	जीएम	28.2.98
31.	कालीकट	जीएम	31.12.97
32.	कन्नानोर	जीएम	28.2.98
33.	एर्नाकुलम	जीएम	30.11.96
34.	कोट्टायम	जीएम	31.12.98
35.	पालघाट	जीएम	30.11.96
36.	क्वीलोन	जीएम	31.12.97
37.	त्रिचूर	जीएम	31.12.97
38.	त्रिवेन्द्रम	जीएम	31.12.96
	कर्नाटक		
39.	बेलगाम	जीएम	28.2.98
40.	हबली	जीएम	30.11.97
41.	मैसूर	जीएम	28.2.98
42.	महाराष्ट्र	सीजीएम	30.4.97
43.	अहमदनगर	टीडीएम	31.1.98
44.	जलगांव	टीडीएम	30.4.97
45.	कल्याण	जीएम	31.12.97
46.	कोलापुर	जीएम	28.2.97
47.	नासिक	जीएम	31.12.97
48.	सतारा	टीडीएम	30.11.97
49.	शोलापुर	टीडीएम	31.3.98
	मध्य प्रदेश		
50.	भोपाल	जीएम	28.2.98
51.	इन्दौर	जीएम	31.12.96
52.	जबलपुर	जीएम	31.12.97
53.	रायपुर	जीएम	20.2.98
	उत्तर-पूर्व		
54.	अगरतला (त्रिपुरा)	टीडीएम	31.12.97
55.	मिजोरम	टीडीएम	28.2.97
56.	दीमापुर (नागालैंड)	टीडीएम	31.12.97
57.	अरूणाचल प्रदेश	टीडीएम	31.3.98
	उड़ीसा		
58.	भुवनेश्वर	जीएम	30.11.97
59.	कटक	जीएम	30.11.97
60.	पंजाब	सीजीएम	30.4.97
61.	अमृतसर	जीएम	28.2.98
62.	भटिंडा	टीडीएम	28.2.98
63.	फिरोजपुर	जीएम	28.10.97
64.	होशियारपुर	टीडीएम	31.10.97
65.	जालंधर	जीएम	31.1.97

	1	2	3
66.	लुधियाना	जीएम	20.2.98
67.	पटियाला	जीएम	31.12.97
	राजस्थान		
68.	जोधपुर	जीएम	31.3.98
69.	उदयपुर	जीएम	31.3.98
	तमिलनाडु		
70.	चेंगलपेट	टीडीएम	31.3.98
71.	नगरचोली	टीडीएम	31.12.97
72.	तंझावूर	जीएम	31.12.97
73.	तूतीकोरिन	टाडीएम	28.2.98
74.	कावेरी डेलटा (कुम्बकोनम)	टीडीएम	28.2.98
	उत्तर प्रदेश (क्षेत्रीय दूरसंचार सलाहकार समिति)		
75.	बरेली	जीएम(एन)	30.6.97
76.	वाराणसी	जीएम(ई)	30.6.97
77.	देहरादून	डीआईआर (डब्लू)	30.6.97
78.	लखनऊ	डीआईआर (सी)	30.6.97
	उत्तर प्रदेश (पूर्व)		
79.	कानपुर	जीएम	30.6.97
80.	लखनऊ	जीएम	30.6.97
81.	मऊ	टीडीएम	30.6.97
82.	वाराणसी	जीएम	30.6.97
	उत्तर प्रदेश (प.)		
83.	आगरा	जीएम	30.6.97
84.	गाजियाबाद	जीएम	30.6.97
45.	मेरठ	जीएम	30.6.97
86.	नेनीताल	टीडीएम	31.3.98
	पश्चिम बंगाल		
87.	सिलिगुडी	टीडीएम	31.12.97
88.	सिक्किम	टीडीएम	30.6.97
	महानगरीय जिले		
89.	मुंबई	सीजीएम	30.11.97
90.	दिल्ली (मुख्य)	सीजीएम	31.12.96
91.	दिल्ली (पूर्व)	सीजीएम	31.12.96
92.	दिल्ली (पश्चिम)	सीजीएम	31.12.96
93.	दिल्ली (उत्तर)	सीजीएम	31.12.96
94.	दिल्ली (दक्षिण)	सीजीएम	31.12.96
95.	दिल्ली (केन्द्रीय)	सीजीएम	31.12.96
	संघराज्य क्षेत्र		
96.	पोर्ट ब्लेयर सहित अडंमान निकोबार	सीजीएम	30.4.97
97.	दादर नागर हवेली	सीजीएम (गुजरात)	30.8.97
98.	दमन एवं दीव	सीजीएम (गुजरात)	30.2.97
99.	लक्षद्वीप	टीडीएम	31.12.97
100.	पॉडिचेरी	टीडीएम	30.12.97

उड़ीसा में बौद्ध केन्द्रों का विकास

4207. श्री भक्त चरण दास : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से राज्य में विदेशी सहायता से बौद्ध केन्द्रों का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बौद्ध केन्द्रों के विकास के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी विदेशी सहायता मिलने की उम्मीद है; और

(घ) इस संबंध में विकास कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (घ). उड़ीसा में पारिस्थितिकी पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए संरचनात्मक विकास शीर्ष से बाहर से सहायता मांगने के लिए 348 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत को समाविष्ट करते हुए एक परियोजना प्रस्ताव तैयार किया गया है। परियोजना में नन्दनकानन, केन्द्रपाड़ा, हुकीतोला, गुप्ती, भितरकनिका, चांदबाली, अराडी, आदि अन्य केन्द्रों सहित धौली, उदयगिरि, ललितगिरि और रत्नागिरि जैसे बौद्ध केन्द्र शामिल हैं।

वित्तपोषण एजेंसियों द्वारा परियोजना प्रस्ताव स्वीकार करने के पश्चात ही सहायता की राशि और परियोजना का कार्य शुरू करने की तारीख का पता चल सकता है।

श्रमिकों का पुनर्वास

4208. श्री अशोक प्रधान : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से खुर्जा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नोएडा/ग्रेटर नोएडा में विभिन्न उद्योगों के बंद हो जाने के कारण कई श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने और उनका पुनर्वास करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/ उठाये जाने का विचार है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के खुर्जा में उद्योगों में दुर्घटना

4209. श्री अशोक प्रधान : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में विशेषकर खुर्जा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में औद्योगिक प्रतिष्ठान में कितनी दुर्घटनायें हुई हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने तथा भविष्य में इन दुर्घटनाओं को रोकने हेतु निर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

श्रम कानूनों को क्रियान्वित न किया जाना

4210. डा. बलिराम : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद, साहिबाबाद आदि क्षेत्रों के श्रम अधिकारी श्रम कानूनों को पालन न करने के लिए कारखानों के मालिकों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं; और

(ख) सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है/किए जाने का विचार है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं

4211. डा. बलिराम : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशनों पर पेयजल, जनसुविधाएं, स्नानघर, खान-पान, प्रतीक्षालय तथा विश्रामग्रहों जैसी यात्री सुविधाएं पर्याप्त नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त स्टेशनों पर ये सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). स्टेशनों पर सम्हाले जा रहे यात्री यातायात की मात्रा के आधार पर मानदण्डों के अनुसार सुविधाएं दी जाती हैं। इसलिए सभी स्टेशनों पर ये एक समान नहीं हो सकती हैं। आजमगढ़ और जौनपुर सिटी स्टेशनों पर पेयजल शौचालय, स्नानघर, वेडिंग स्टाल, प्रतीक्षालय की व्यवस्था की गयी हैं। इन स्टेशनों पर विश्राम कक्ष की व्यवस्था करने का फिलहाल कोई औचित्य नहीं है जब कभी यातायात में वृद्धि होने पर आवश्यक होगा सुविधाओं में वृद्धि करने पर विचार किया जाएगा।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

सरकार द्वारा एयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली की वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की वार्षिक समीक्षा और रिपोर्ट तथा इन दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रतिलिपि (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) एअर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एअर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1165/96]

[हिन्दी]

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1166/96]

[अनुवाद]

भारत रिफ्रेक्टीज लिमिटेड, बोकारो के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे एवं उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

इस्पात मंत्री और खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : मैं निम्नलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1996 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड, बोकारो के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड, बोकारो का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1167/96]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1168/96]

(ग) (एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कर्नाटक के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कर्नाटक का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1169/96]

(घ) (एक) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1170/96]

(ङ) (एक) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1171/96]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1172/96]

(दो) खनिज गवेषण निगम लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1173/96]

भारतीय डाक घर अधिनियम, 1898 और आई.टी.आई. लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) भारतीय डाक घर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय डाक घर (दूसरा संशोधन) नियम, 1996 जो 18 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 427 (अ) में प्रकाशित हुये थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1174/96]

(2) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (चौथा संशोधन) नियम, 1996 जो 29 अक्तूबर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 499 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1175/96]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) आई.टी.आई. लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आई.टी.आई. लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1176/96]

(ख) (एक) टेलीकम्युनिकेशन कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टेलीकम्युनिकेशन कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1177/96]

(ग) (एक) विदेश संचार निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) विदेश संचार निगम लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1178/96]

(4) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) विदेश संचार निगम लिमिटेड और दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1179/96]

(दो) आई.टी.आई. लिमिटेड और दूर संचार विभाग, संचार मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1180/96]

पाइराइट्स फोसफेट्स एण्ड कैमीकल्स लिमिटेड, रोहतास के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखा और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) पाइराइट्स फोसफेट्स एण्ड कैमीकल्स लिमिटेड, रोहतास के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पाइराइट्स फोसफेट्स एण्ड कैमीकल्स लिमिटेड, रोहतास के वर्ष 1995-96 का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1181/96]

(ख) (एक) प्रोजेक्ट्स एण्ड डिवलपमेंट इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) प्रोजेक्ट्स एण्ड डिवलपमेंट इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1182/96]

(ग) (एक) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1183/96]

(घ) (एक) पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1184/96]

[अनुवाद]

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा लेखापरीक्षित लेखे तथा इन दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाना वाला विवरण

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : महोदय, श्री सलीम इकबाल शेरवानी के स्थान पर मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1185/96]

(3) (एक) केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1186/96]

(4) (एक) आल इंडिया इंस्टिट्यूट आफ स्पीच एंड हीयरिंग, मैसूर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) आल इंडिया इंस्टिट्यूट आफ स्पीच एंड हीयरिंग, मैसूर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) आल इंडिया इंस्टिट्यूट आफ स्पीच एंड हीयरिंग, मैसूर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1187/96]

(5) (एक) पास्चर इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, कन्नूर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पास्चर इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, कन्नूर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) पास्चर इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, कन्नूर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1188/96]

(6) (एक) अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1189/96]

(7) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) हिन्दुस्तान लेटक्स लिमिटेड, तिरूअनन्तपुरम के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान लेटक्स लिमिटेड, तिरूअनन्तपुरम के वर्ष 1995-96 का प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1190/96]

(ख) (एक) हास्पिटल सर्विसिज कंसलटेंसी कारपोरेशन (आई) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हास्पिटल सर्विसिज कंसलटेंसी कारपोरेशन (आई) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1191/96]

(8) (एक) भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1192/96]

(9) हास्पिटल सर्विसिज कंसलटेंसी कारपोरेशन (इंडिया) लिमिटेड और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1193/96]

(10) (एक) महात्मा गांधी चिकित्सा विज्ञान संस्थान कस्तूरबा हास्पिटल, सेवाग्राम के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी चिकित्सा विज्ञान संस्थान कस्तूरबा हास्पिटल, सेवाग्राम के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1194/96]

रेल दावा अधिकरण (सभापति, उप सभापति तथा सदस्यों के वेतन भत्ते तथा सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 1996, और 1995-96 के लिए रेलवे स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की सरकार द्वारा की गई समीक्षा

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उपधारा (3) के अन्तर्गत रेल दावा अधिकरण (सभापति, उपसभापति तथा सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 1996 जो 26 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 436(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1195/96]

(2) (एक) रेलवे स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रेलवे स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) रेलवे स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1196/96]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित

लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1197/96]

अपराह्न 12.05 बजे

[हिन्दी]

कृषि संबंधी स्थायी समिति

विवरण

श्री पदमसेन चौधरी (बहराइच) : महोदय, मैं कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग की वर्ष 1995-96 की अनुदानों की मांगों के बारे में कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति (दसवीं लोक सभा) के की-गई-कार्यवाही संबंधी 32वें प्रतिवेदन की अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय-पांच में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.05 $^{1}/_{2}$ बजे

संचार संबंधी स्थायी समिति

पांचवां प्रतिवेदन

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मैं दूरसंचार विभाग से संबंधित बुनियादी टेलीफोन सेवाओं के निजीकरण के बारे में संचार संबंधी स्थायी समिति का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.06 बजे

श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति

तीसरा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : महोदय, मैं अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के बारे में श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.07 बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

बावनवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्रो. आई. जी. सनदी (धारवाड़-दक्षिण) : महोदय, मैं राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के बावनवे प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.08 बजे

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

अडतीसवां और उनचालीसवां प्रतिवेदन

प्रो. आर.आर. प्रामानिक (मथुरापुर) : महोदय, मैं (एक) श्री पी. रमर द्वारा 'हर्बल ईंधन' का प्रदर्शन; और (दो) पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1994-95) के बारे में समिति के नौवें प्रतिवेदन पर पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 38वें और 39वें प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.09 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में समुद्री रेत संग्रहण और पत्थर उत्खनन पर प्रतिबंध

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं पर्यावरण और वन मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह की समस्याओं के बारे में वक्तव्य दें।

श्री मनोरंजन भक्त ने एक विशेष मांग की है, इसलिए मैंने माननीय मंत्री जी से वक्तव्य देने को कहा है।

[हिन्दी]

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिन्ता से पूरी तरह से अवगत हूं और सहमत भी हूं। अण्डमान निकोबार में लोगों को जो भी कठिनाइयां हो रही हैं, उन्हें हम दूर करने के लिए निश्चित रूप से पूरा प्रयास करेंगे और जितनी जल्दी हो सकेगा, करेंगे। माननीय सदस्य को जानकारी है कि हमने उनके साथ 29 अक्टूबर, 1996 को बैठक की थी, जिसमे अंडमान निकोबार प्रशासन के पदाधिकारी भी थे। बैठक में जो फैसला लिया गया था, उसके मुताबिक हमने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर दिया है। 5 दिसम्बर को यह कमेटी गठित कर दी गई है, जिसके अध्यक्ष फादर जे.सी. सलघाना हैं। इस कमेटी में सैन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर बोर्ड और जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि रखे गए हैं। हमने कमेटी को छः सप्ताह का समय दिया है और मैं आश्वासन देता हूं कि यह कमेटी निर्धारित समय सीमा तक यानि 31 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट दे देगी। इस कमेटी को साफ-साफ यह कहा गया है कि वे बतायें कि किन-किन क्षेत्रों से बालू निकाला जा सकता है और किन-किन क्षेत्रों से जमीन के अन्दर से पानी निकालने की इजाजत दी जा सकती है। कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होते ही हम आवश्यक निर्णय लेंगे और लोगों की समस्या का समाधान करेंगे। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि केवल एक महीने यानि कमेटी की रिपोर्ट आ जाने तक धैर्य रखें और फिर वो कहें वो कमेटी के सामने भी अपनी बातें रख सकते हैं।

इसलिये हमने विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया है और बहुत ही जो कम से कम समय हो सकता है, उसे दिया है। उनकी रिपोर्ट आते ही आवश्यक निर्णय हम ले लेंगे। हमें देखना है कि पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और आम लोगों की जो समस्याएं हैं उनको भी जल्दी से जल्दी दूर कर दिया जाए और साथ ही हमें यह भी देखना है कि हमारा जो आदेश हो वह कानून की प्रक्रिया के मुताबिक हो। हम नहीं चाहेंगे कि 1994 की तरह ही बिना किसी आधार के या अध्ययन के संशोधन कर दिया जाए जो फिर न्यायालय के द्वारा वैध नहीं पाया जाये। एक बार जल्दबाजी के कारण जो समस्या आज उत्पन्न हुई है हम नहीं चाहते कि वही गलती दोहरायी जाए।

जो समस्या वहां के लोग फेस कर रहे हैं इसलिए कि 1991 में सीआरजैड की जो अधिसूचना जारी की गई थी, उस अधिसूचना में ही यह प्रतिबंध लगा दिया गया था कि समुद्र तट से दो सौ मीटर तक किसी भी तरह से पानी जमीन के अंदर से नहीं निकाला जा सकता है और 200 से 500 मीटर के क्षेत्र में पानी निकाला जा सकता है मगर केवल मेनुअल ढंग से यानि मशीन का प्रयोग करके पानी नहीं निकाला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन के सारे प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया था और इसके लिये 30 सितम्बर, 1996 तक का समय दिया था। यह समस्या आज इसलिये उत्पन्न हुई है कि 1991 में जब नोटिफिकेशन जारी किया गया तो लोगों ने सभी व्यावहारिक पहलुओं को नहीं देखा। नोटिफिकेशन के प्रावधानों का पालन भी नहीं किया गया। फलस्वरूप 1994 में जब नोटिफिकेशन को सरकार ने संशोधित किया तो सर्वोच्च न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया। हमें माननीय सर्वेच्च न्यायालय के आदेश का पालन 30 सितम्बर तक करना था। उसके मुताबिक हर राज्य और केन्द्र शासित क्षेत्र के लिए सी.आर.जैड. प्लान को पारित करना था। हमने इसका पालन कर दिया है। परन्तु जिन-जिन राज्यों ने और केन्द्र शासित क्षेत्रों ने जैसे अण्डमान निकोबार, जिसके बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं, अपनी समस्यायें रखीं, उन समस्याओं से भी माननीय सर्वेच्च न्यायालय को अपने एफीडेविट के माध्यम से अवगत करा दिया है।

इसलिये हमने विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया है और बहुत ही जो कम से कम समय हो सकता है उसे दिया है। उनकी रिपोर्ट आते ही आवश्यक निर्णय हम ले लेंगे। हमें देखना है कि पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और आम लोगों की जो समस्याएं हैं उनको भी जल्दी से जल्दी दूर कर दिया जाये और साथ ही हमें यह भी देखना है कि हमारा जो आदेश हो वह कानून की प्रक्रिया के मुताबिक हो। हम नहीं चाहेंगे कि 1994 की तरह ही बिना किसी आधार के या अध्ययन के संशोधन कर दिया जाये जो फिर न्यायालय के द्वारा वैध नहीं पाया जाये। एक बार जल्दबाजी के कारण जो समस्या आज उत्पन्न हुई है हम नहीं चाहते कि वही गलती दोहरायी जाये। ...**(व्यवधान)**

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : देखिए, आपके सामने मुझे एक ही बात को दोहराना है। एक महीने तक उधर के लोगों को पानी नहीं पीना, जब तक कमेटी रिपोर्ट नहीं देगी तब तक पानी नहीं निकालना और पानी पीना भी नहीं है। तब तक लोगों को समुद्र के बीच में फेंक दिया जाए और इस साल का जो बजटरी एलोकेशन है उस पैसे का खर्च नहीं होगा। उसके बाद अगले साल में जाकर जब दोबारा प्लानिंग कमीशन में देंगे कि आपका क्या है, आपने कितना काम किया है इस आधार पर जो होगा उसको देखने से इसमें भी इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए यह कोई बात नहीं हुई। इमर्जेन्सी तरीके से इसे अभी जो मौजूदा हालत है, जो सितम्बर महीने से चल रही है और इसको इतनी बार इनके सामने रखा है तो क्यों नहीं सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने, यह जो हालत अण्डमान निकोबार का है उस हालत को क्यों नहीं दोहराया गया? शायद उस बात को न दोहरा कर वे लोग कोशिश करते हैं कि आटोमेटिकली उधर से इस बात को आगे कर दिया जाएगा।

महोदय, मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं और इस सारे सदन के समक्ष बताना चाहता हूं कि अण्डमान निकोबार द्वीप दूरदराज में एक ऐसी जगह में है, यह एक ऐसा पिछड़ा हुआ इलाका है जिनमें कोई विधानसभा नहीं है, कुछ नहीं है। इस लोकसभा में उधर से एकमात्र सदस्य होने के नाते आपके सामने मैं निवेदन करना चाहता हूं।

यह जो समस्या उत्पन्न हुई है इससे निपटने के लिए आप कोई उपाय कीजिए जिससे अंडमान-निकोबार के लोगों को भी लगे कि वे अकेले और कमजोर नहीं है बल्कि सारा देश इस समस्या के समय में उनके साथ है। मैं सारे सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि रिपोर्ट की जो बात कही गयी है वह हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। रिपोर्ट कब आयेगी, रिपोर्ट में कब इस समस्या के निवारण का साधन होगा? क्या तब तक सारा काम बंद करके यह द्वीप चल सकता है? यह बात मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया समय बर्बाद न करें।

(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, आप पूरी चर्चा करने पर सहमत थे परन्तु अब समय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : समय नहीं है इसीलिए मैंने केवल श्री मनोरंजन भक्त को बोलने का अवसर दिया, मेरे विचार से सारा सदन अण्डमान और निकोबार की जनता के साथ है, हम सभी को उनके विकास की चिन्ता हैं।

मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे, जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि सरकार इस समस्या को उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे और जो भी उपाय वांछित हो आप उन्हें करें। मैं आपको तैयार सुझाव सुझाव नहीं दे सकता। मेरे विचार से सरकार को इसकी बेहतर जानकारी हो सकंती है। कृपया इस पर ध्यान दें और लोगों को परेशान न होने दें।

श्री पी.एम. सईद (लक्षद्वीप) : अध्यक्ष महोदय समिति के निष्कर्षों के लिए एक माह का समय पहले ही दिया जा चुका है। तब तक यह जानने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए कि लोगों को पानी मिलता रहे। अध्यक्षपीठ की ओर से तत्काल दिशानिर्देश जारी होने चाहिए। उनको कष्ट नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। यह एक बहुत गम्भीर मामला है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौडगढ़) : अध्यक्ष जी, मुझे दो मिनट में अपनी बात कह लेने दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात थोड़ी देर बाद सुनूंगा, क्या आप अण्डमान के विषय पर ही बोलना चाहते हैं?

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह : यह अलग विषय हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनूंगा।

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई-उत्तर पूर्व) : यह एक अत्यंत गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका दृष्टिकोण क्या है?

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ) : मैं दो मिनट में ही अपनी बात कह लेता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात अवश्य सुनूंगा। मैंने उनको पहले अवसर दिया है। श्री रूप चन्द पाल कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री रूप चन्द पाल (हुगली) : महोदय, मुम्बई में एक गम्भीर घटना हुई हैं जहां एक मराठी दैनिक 'महानगर' के सम्पादक के साथ मारपीट की गई। उसका मुंह काला किया गया, गुण्डों के एक जत्थे ने उनके कार्यालय में तोड़-फोड़ की। ...**(व्यवधान)**

उस सम्पादक की एक मात्र गलती यह थी जिसके कारण उसको यह अपमान और मंत्रणा झेलनी पड़ी कि उसके दैनिक पत्र में शिव सेना के मुखिया के बारे में कुछ आलोचना छपी थी। यह प्रेस की स्वतंत्रता पर हमले के सिवाय और कुछ नहीं है और 'एडीटर्स गिल्ड' ने इसकी भर्त्सना की है। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री जसवन्त सिंह

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बस; बस;

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई-उत्तर पश्चिम) : महोदय, कृपया मुझे अपनी बात कहने दें।

अध्यक्ष महोदय : किसने क्या कहा कुछ पता नहीं लग रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सरपोतदार आप चिन्ता न करें किसने क्या कहा किसी ने नहीं सुना।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री जसवन्त सिंह को अनुमति दी है उन्हें अपनी बात कहने दें।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति जी यह बड़ी दुखद घटना है। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल से पहले नेता प्रतिपक्ष माननीय अटल जी ने एक प्रश्न उठाया था। हाई-कोर्ट में एक जजमेंट हुई है। हमारी अपेक्षा थी कि उसको लेकर उत्तर प्रदेश में जो संवैधानिक और राजनैतिक परिस्थिति खड़ी हुई है उस पर सरकार अपना स्पष्टीकरण देगी कि सरकार कहां खड़ी है या गिरी पड़ी है- सरकार स्पष्ट तो करे। जब तक यह स्पष्ट नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में संवैधानिक संकट है, बची-कुची सरकार बताए तो सही कि वह कहां खड़ी है? ...**(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना निर्णय बताऊंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं आप इस बारे में शोर गुल न करें। कृपया बैठ जाइए।

आज की कार्यसूची में मद संख्या 17 पर एक विधेयक पर चर्चा होनी है।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : उसकी अब कोई जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप बात समझते क्यों नहीं। यह विधेयक सदन के समक्ष है, मुझे संवैधानिक मुद्दा उठाने के लिए मिला है श्री लोढा का एक नोटिस वह यह है कि जब उच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति शासन को रद्द कर दिया है तो क्या सदन इस विधेयक पर संवैधानिक ढंग से चर्चा कर सकता है।

मुझे संविधान के उपबंधों को देखना पड़ेगा और नियमों को भी। जिस समय यह विधेयक सदन में रखा गया था मुझे विश्वास है कि सरकार अपना पक्ष जरूर पेश करेगी। मुझे संविधान के उपबन्धों को भी देखना है, मेरे विचार से हम तब इस मामले में विचार कर सकते हैं।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय। इस विधेयक के संबंध में यही आपकी व्यवस्था है। निर्णय के बारे में आपकी क्या राय है।

अध्यक्ष महोदय : यह समय आने पर पता चलेगा।

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : ये दोनों प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। ...**(व्यवधान)**

श्री प्रमोद महाजन : महोदय। सरकार को आपका अनुकरण करना चाहिए। आप इतनी शीघ्र अपनी प्रतिक्रिया कर देते हैं कि आपने मद संख्या 17 के बारे में क्या किया जाना चाहिए इस पर भी सोचना प्रारम्भ कर दिया है। लेकिन मद संख्या 17 ही एक मात्र समस्या नहीं है। अनुच्छेद 356 का सम्पूर्ण विषय क्षेत्र ही रद्द कर दिया गया है। दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और एक तारीख निर्धारित की गई है। एक लोकप्रिय सरकार गठित करनी है। हम आपके आभारी हैं कि जहां तक कार्य सूची का प्रश्न है आपने इलाहाबाद के निर्णय के बारे में सोचना प्रारम्भ कर दिया है परन्तु राजनैतिक कार्यक्रम के बारे में क्या हो रहा है वहां पर संवैधानिक संकट है, वहां पर कौन सी सरकार है और सरकार इस बारे में क्यों पहल नहीं कर रही है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वे इस निर्णय से हतप्रभ है और उन्हें आश्चर्य हुआ है परन्तु उन्हें इसका उत्तर देना ही पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : वह उत्तर देने जा रहे हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : परन्तु वे क्या कह रहे हैं। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करने में 5 मिनट भी नहीं लगाए, वह सरकार पूर्णतया असंवैधानिक घोषित हो गई है ...**(व्यवधान)** जिसे राज्य पालने ऐसी असंवैधानिक बात होने दी उसे तुरन्त वापस बुलाया जाय। वे राज्यपाल के साथ क्या कर रहे हैं?

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : जोशी जी, क्या आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट की कापी मिल गई है? वह सरकार के पास तो नहीं है। ...**(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी : अगर सरकार को अभी तक कापी नहीं मिली है तो यह सरकार रहने के काबिल नहीं है ...**(व्यवधान)** आपको अभी तक इसके बारे में जानकारी ही नहीं है ...**(व्यवधान)** आप क्या कर रहे हैं? ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को पूरा करने दें। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : अध्यक्ष जी, आप पहले मेरी बात सुनिए और फिर उनकी बात सुनना।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जेना जी इससे पहले कि आप अपनी बात कहें, श्री फर्नान्डीज कुछ कहना चाहते हैं। मैं उनकी बात सुनूंगा क्योंकि वह हमेशा उचित बातें करते हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मेरा कहना यह है कि हाई कोर्ट ने पांच दिन का समय दिया है। पांच दिन समय देने का मतलब है कि सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहे तो जा सकती है। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि आप लोगों का मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने का फ़ैसला है। तमाम लोगों की इस सदन में कही गई पुरानी बातें भी रिकार्ड में हैं। आर्टिकल 356 के बारे में इस सदन में लगभग सभी लोगों की एक राय एक अर्से से है।

श्री श्रीकान्त जेना : यह दूसरी डिबेट है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हाई कोर्ट के तीन जजों ने यह फैसला दिया है। पांच दिन का समय देने का बहाना बना कर सरकार को कोई भी ऐसा कदम अभी नहीं उठाना चाहिए जिससे वहां तत्काल संविधान के आधार पर एक लोकप्रिय सरकार का निर्माण न हो।

ऐसी कोई भी भूमिका उनको नहीं लेनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात उनको नहीं करनी चाहिए। अदालत में जाने की बात नहीं करनी चाहिए। ...**(व्यवधान)** किसलिए नहीं करनी चाहिए वह मैं बताता हूं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा देने के तीन दिन पहले आप सब लोगों ने संयुक्त रूप से प्रधान मंत्री की सदारत में मुख्य मंत्रियों की बैठक में जो फैसला लिया था, हाई कोर्ट ने उस फैसले को सही बताया है, आपके आचरण को गलत बताया है। इसलिए नहीं जाना चाहिए। अपनी लाज बचाने के लिए नहीं जाना चाहिए, यही मुझे कहना है। ...**(व्यवधान)**

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष जी, उस जजमेंट में पांच दिन का जो समय दिया गया है, वह उच्चतम न्यायालय में जाने के लिए नहीं दिया है। जजमेंट में यह कहा गया है कि ओवरनाइट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बदला नहीं जा सकता। वैसे तो जजमेंट आते ही 356 खत्म हो जाएगा लेकिन 356 खत्म हो जाएगा तो वहां कोई मुख्य मंत्री होना चाहिए, उसकी शपथ होनी चाहिए, विधान सभा होनी चाहिए। यह प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने समय दिया है। उच्चतम न्यायालय में जाने के लिए समय नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि

[अनुवाद]

प्रशासनिक परिवर्तन रातों रात नहीं किए जा सकते हैं इसलिए हम इस कार्य के लिए आपको पांच दिन का समय दे रहे हैं।

[हिन्दी]

उसका स्पष्ट मतलब हो गया कि उच्च न्यायालय का मतलब है कि वहां लोकप्रिय सरकार आनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने समय दिया है।

अभी आइटम 17 आनी है। वैसे तो 17 नंबर पर ही हम हैं। अगर 17 नंबर पर हैं तो आज वह सब अप्रासंगिक और असंवैधानिक होगा। कल जो बजट पास हुआ उसका कोई अर्थ नहीं हुआ। धारा 357 के अंदर यह विधेयक आया, उसका कोई अर्थ नहीं है। ऐसे समय सरकार को प्रतिक्रिया देकर 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता को सरकार स्थापित करने के लिए बुलाना चाहिए और अपने प्रायश्चित के रूप में, इस गलत कदम के प्रायश्चित के रूप में इनको त्यागपत्र देना चाहिए। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इतना ही पर्याप्त है। मेरे विचार से संसदीय कार्य मंत्री की बात भी ठीक है कि सरकार को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त नहीं हुई है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। हम समाचार पत्रों और एजेंसी की रिपोर्टों पर विश्वास कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस निर्णय की प्रति नहीं मिली है।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, हो सकता है इस निर्णय की प्रति आपको न मिली हो। ...**(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : फैक्स की सुविधा है, टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध है और उच्च न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व उसके वकील कर रहे हैं। इस तरह सरकार अपने वकील के साथ सम्पर्क स्थापित कर सकती थी। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : चूंकि सरकार को निर्णय की प्रति प्राप्त नहीं हुई है इसलिए मेरे विचार से इस मुद्दे को विषय संख्या 17 पर चर्चा के समय उठाना ही उचित होगा। मेरे विचार से उस समय तक सरकार को रिपोर्ट मिल जाएगी। सरकार को तब तक रिपोर्ट मंगा लेनी चाहिए। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। साठ मिनट में कोई प्रमाणित प्रति नहीं मिल सकती है।

अध्यक्ष महोदय : मैं निर्णय की प्रमाणित प्रति के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं तो सरकार से विषय संख्या 17 पर चर्चा शुरू होने तक रिपोर्ट मंगा लेने के लिए कह रहा हूं। यही उचित रहेगा।

डा. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, इस समय उत्तर प्रदेश में कोई वैध सरकार नहीं है।

श्री प्रमोद महाजन : सरकार के पास रिपोर्ट पहले से ही उपलब्ध होनी चाहिए थी।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने बता दिया कि रिपोर्ट उनके पास नहीं है।

श्री प्रमोद महाजन : मंत्री जी प्रमाणित प्रति की बात कह रहे हैं। इस संबंध में सूचना के बारे में उनका क्या दृष्टिकोण है? गृह मंत्री महोदय खड़े होकर कह दें कि उन्हें निर्णय के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ...**(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : प्रमाणित प्रति जरूरी नहीं है। ...**(व्यवधान)**

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : जी नहीं।

श्री प्रमोद महाजन : इससे सरकार की अकुशलता और अक्षमता का पता चलता है कि उसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दिए गए ढाई घंटे के निर्णय की कोई जानकारी नहीं है। यह बड़ी गम्भीर बात है। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय को इसकी कोई जानकारी है।

(व्यवधान)

डा. मुरली मनोहर जोशी : यह एक संवैधानिक निर्णय है। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : परन्तु आप मंत्री महोदय को कुछ कहने का अवसर दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री महोदय को कुछ कहने क्यों नहीं देते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : मैंने कल आप लोगों के बारे में कहा था कि सरकार और मिनिस्टर इनकाम्पीटेंट हैं तो सोमनाथ चटर्जी साहब को बड़ा गुस्सा आ गया था। अब इससे ज्यादा इनकाम्पीटेन्स क्या प्रूव होगी कि हम लोगों को मालूम है और सरकार को मालूम नहीं है और होम मिनिस्टर को भी मालूम नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को बोलने दीजिए। आप मंत्री महोदय को क्यों नहीं बोलने देते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको बोलने का अधिकार है परन्तु मंत्री महोदय को भी उत्तर देने का अधिकार है। कृपया उनकी बात सुनिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीकान्त जेना : पहले आप सुनिए। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अपने सरकार को जो निर्देश दिए हैं, वे मुझे याद हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया है उसके बारे में सरकार को जैसे ही रिपोर्ट मिल जाएगी उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इतना ही कहना पर्याप्त है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश (हिसार) : गृह मंत्री जी बैठे हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री लाल मुनी चौबे जी, मैं आपके मामले में अपना विनिर्णय कल दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे (बक्सर) : गृह मंत्री जो करना चाहते हैं वह नहीं होता है, अगर आपकी इतनी भी व्यवस्था नहीं है तो आप क्यों खड़े हैं, आप चले जाइये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें समय दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। हमें बहुत कार्य करना है।

(व्यवधान)

डा. मुरली मनोहर जोशी : राज्यपाल के कार्यों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? ...**(व्यवधान)** वर्तमान राज्यपाल को हटाया जाना चाहिए।...**(व्यवधान)** उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को तत्काल हटाया जाना चाहिए। ...**(व्यवधान)** उन्होंने सभा को गुमराह किया है ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री श्रीकान्त जेना : आप पहले सुनिए तो ...**(व्यवधान)** सुनने की कोशिश कीजिए। ...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष जी, सरकार क्या कर रही है, दो मंत्री आपस में निश्चित कर लें कि उन्हें सदन में क्या कहना है। गृह मंत्री महोदय तो मौन धारण करके बैठे हैं। हम यह मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी इसे नहीं मानेगा और अध्यक्ष महोदय, आप भी नहीं मानेंगे कि सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बारे में सूचना नहीं मिली, जानकारी नहीं मिली। हम जानना चाहते हैं कि जो सूचना मिली है, उसके आधार पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? सरकार केवल यह कहकर नहीं बच सकती कि हमारे पास जजमेंट की सर्टिफाइड कापी नहीं आई, उसमें थोड़ा समय लग सकता है। वैसे तो संचार साधन इतने तीव्र हो गए हैं कि जल्दी से जल्दी फैक्स के माध्यम से खबर आ सकती है, जजमेंट आ सकता है लेकिन सदन का उत्तेजित होना स्वाभाविक है क्योंकि इन्होंने बहुमत के बल पर, गालियां देते हुए, धारा 356 का उत्तर प्रदेश में उपयोग किया, हमारी पार्टी को सरकार बनाने से वंचित कर दिया और राष्ट्रपति राज लागू कर दिया। आप वहां लाट साहब की सरकार चल रही है।

श्री रामसागर (बाराबंकी) : वहां आपका बहुमत तो नहीं है ...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, जिनका बहुमत है, उन्होंने ही वहां राष्ट्रपति राज लागू किया था, जिसकी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धज्जियां उड़ा दी। यहां सवाल बहुमत और अल्पमत का नहीं है, सवाल संविधान का है, सवाल कानून का है। आज जो स्थिति है, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार की ओर से अधिकृत वक्तव्य सदन में आना चाहिए कि वहां राज्यपाल महोदय कब तक बने रहेंगे। मैं जानता हूं कि गृह मंत्री जी वर्तमान राज्यपाल महोदय को पसन्द नहीं करते, मगर पसन्द न करते हुए भी हटा नहीं पाते, यह उनकी बड़ी मजबूरी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उनके शपथ-ग्रहण के टाइम पर आप गए थे, जब उन्होंने राज भवन में शपथ ली थी तो आप वहां उपस्थित थे, मैं नहीं था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं शिष्टाचार के नाते वहां गया था क्योंकि मैं शिष्टाचार का पालन करता हूं और लखनऊ से चुना गया हूं। आप किसी व्यक्ति को भेज दीजिए, जिसे मैं भले ही पसन्द नहीं करता हूं, अगर वह उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के रूप में जाएं तो उन्हें यथोचित सम्मान दिलाना मेरी संस्कृति है, मेरा संस्कार है लेकिन मुझे पता नहीं था कि आपके द्वारा नियुक्त होने के बाद वे ये रंग दिखाएंगे। खैर, गवर्नर को छोड़िए। इस समय आपकी और हमारी टक्कर हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, आप इन्हें निर्देश दीजिए कि ये आधे घंटे के भीतर अधिकृत वक्तव्य दें कि ये क्या करना चाहते हैं। सदन को पता लगना चाहिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के कारण एक गंभीर स्थिति पैदा हो गई है।

कार्य विधि मंत्री महोदय, काय तुम्ही गप्प बसणार, काही नहीं बोला, बोला।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, विपक्ष के नेता द्वारा उठाए गये मुद्दे पर सरकार 2 बजे अपना वक्तव्य देगी। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह अच्छी बात है। चौबेजी, मैं आपके नोटिस पर कल अपना निर्णय दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा बाद में करेंगे। समय बहुत कम है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता और श्री जार्ज फर्नान्डीज ने संवैधानिक उपबंधों का सही उल्लेख किया है तथा संविधान का पालन किया जाना चाहिए। इसके बारे में दो राय नहीं हो सकती। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

यह क्या बात है। देखिए। इन्हें संभालिए। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत कुछ कह लिया। उन्हें भी बोलने का अधिकार है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं तो केवल इतना ही कह रहा हूं कि संविधान का पालन किया जाना चाहिए ...**(व्यवधान)** मैं यह भी बता रहा हूं कि संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार भी शामिल है। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि इसके बारे में श्री जार्ज फर्नान्डीज की क्या प्रतिक्रिया है।

दुर्भाग्यवश, विपक्ष के नेता यहां उपस्थित नहीं हैं परन्तु विपक्ष के उपनेता और मेरे मित्र श्री जसवंत उपस्थित हैं मैं उनसे मुम्बई में एक समाचार पत्र के सम्पादक के साथ किए गए दुर्व्यवहार के बारे में जानना चाहता हूं ...**(व्यवधान)** इसके बारे में श्री फर्नान्डीज और श्री जसवंत सिंह का क्या विचार है? संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है इस बारे में इनका क्या विचार है?

सम्पादक ने बताया "कि तत्पश्चात उन्होंने मुझे पकड़ा और मेरे मुंह पर कोलतार पोत दिया तथा मेरे साथ दुर्व्यवहार किया।"

उसने ऐसा कुछ लिख दिया था जो उन्हें पसंद नहीं आया और इसके लिए तोड़-फोड़ की गई। मैं इस घटना पर श्री फर्नान्डीज की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं...**(व्यवधान)**

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : महोदय, हम इस पर उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि हम इस पर आगे चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : अध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने का अवसर दीजिए।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मामला समाप्त हो गया है?

[अनुवाद]

कुमारी शैलजा (सिरसा) : महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गत वर्ष 23 दिसम्बर, 1995 को एक हृदय विदारक घटना घटी। इस अग्निकांड में बच्चों तथा महिलाओं सहित 442 निर्दोष लोग मारे गए तथा अनेक लोग घायल हो गए।

महोदय, सभी राजनैतिक दलों को शोकसंतप्त नेता डबवाली गए? उस समय प्रधान मंत्री जी और हरियाणा के मुख्य मंत्री महोदय ने जनता की मांगों के बदले में अनेक वायदे किए? सभी घायलों का मुफ्त इलाज कराने का वायदा किया गया परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि अभी भी इलाज के बिलों का भुगतान किया जाना है। अन्य बातों के अलावा एक मेडिकल कालेज खोलने, एक सौ बिस्तरों वाले अस्पताल की स्थापना करने, एक खेलकूद परिसर बनाने तथा मृतकों की याद में एक स्मारक बनाने पर सहमति हुई थी? परन्तु एक वर्ष बीतने के बाद भी कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है।

महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए कि भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने जो वायदे किए थे उन्हें शीघ्रतापूर्वक पूरा किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं कुमारी उमा भारती को अपना मुद्दा उठाने के लिए बुलाता हूं।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : माननीय अध्यक्ष जी, इस विषय को उठाने की अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें सभा में बोलने का अवसर दिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : नोटिस तो सबने दिया है। 67 नोटिस हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : 67 नोटिस हैं।

कुमारी उमा भारती : गाजियाबाद जिले के थाना भोपुरा में चार बेकसूर नौजवानों को जिनके ऊपर कभी कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ था। यहां तक कि धारा 151 जैसे हल्के आपराधिक प्रकरण भी दर्ज नहीं थे। उनमें से एक दलित समुदाय का नौजवान था। एक अल्पसंख्यक समुदाय का नौजवान था तथा दो और नौजवान थे। ये चारों नौजवान मजदूर तबके के थे। उनको पुलिस इंस्पेक्टर ने जब वह मजदूरी करने के लिए फैक्ट्री जा रहे थे तो उन्हें साईकिलों से उतारा और सब लोगों के सामने खुद पुलिस इंस्पेक्टर ने उनको दौड़कर गोली मारकर हत्या कर दी क्योंकि वह प्रमोशन चाहता था। उसने इसको मुठभेड़ बताया और यह कहा कि वे लड़के बदमाश थे जबकि उनके खिलाफ कभी कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। वहां के पूरे जिले के लोग कह रहे हैं कि वे तो अपने मोहल्ले के लोगों के साथ भी कभी तेज जुबान से नहीं बोले। माननीय गृहमंत्री जी और प्रधान मंत्री जी से एक महीने पहले उस घर की महिलायें, उन बच्चों की मांयें मिलने गयी थी। गृह मंत्री जी ने कहा था कि इस प्रकरण पर कार्यवाही होगी।

इसी प्रकार से बाराबंकी में एक गुरुद्वारे के अंदर एक सिख ग्रंथी को एक घंटे तक बदमाश लोगों ने मार-मार कर उसकी हत्या कर दी और पुलिस सामने खड़ी देखती रही। पुलिस के सामने उस सिख ग्रंथी की हत्या की गयी। आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

माननीयस अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि गाजियाबाद के भोपुरा थाने में चार बेकसूर नौजवानों की हत्या हुई है उसके लिए पुलिस इंस्पेक्टर के ऊपर धारा 302 का प्रकरण दर्ज होना चाहिए और गृह मंत्री जी इस पर बयान आज ही दें। इसके साथ-साथ उस परिवार की महिलाओं को, जो उन पर डिपैंड करती थीं, उनको पूरी मुआवजा राशि मिलनी चाहिए। मैं यह कहना चाहती हूं कि 24 घंटे के अंदर उस पुलिस इंस्पेक्टर के ऊपर धारा 302 का प्रकरण दर्ज होना चाहिए। बाराबंकी में जिस ग्रंथी की हत्या हुई और पुलिस सामने खड़ी देखती रही, इसके बारे में भी कार्यवाही होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बारे में मंत्री जी का बयान चाहिए। ...**(व्यवधान)** इसके बारे में 24 घंटे के अंदर कार्यवाही होनी चाहिए। ...**(व्यवधान)** हमें पहले मंत्री जी का बयान चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। गृहमंत्री जी बोल रहे हैं। वह इसका जवाब देंगे। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप चाहते हैं कि मंत्री जी जवाब दें अथवा नहीं?

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : बाराबंकी में पुलिस की उपस्थिति में हत्या हुई।...**(व्यवधान)** मंत्री जी जवाब दें।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है? आप कुछ भी नहीं समझते हैं। कृपया बैठ जाइए। मंत्रीजी जवाब देना चाहते हैं लेकिन आप उन्हें जबाव नहीं देने देते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अध्यक्ष जी, यह मेरी छोटी बहन कुमारी उमा भारती जब बार-बार मेरी तरफ अंगुली दिखाती हैं तो मैं जरा परेशान हो जाता हूं। गाजियाबाद में जिन चार नौजवानों की हत्या हुई उसमें कोई शक नहीं कि वह हत्या पुलिस वालों ने की। इस मामले में वहां से तमाम दरख्वास्त नागरिकों के हस्ताक्षर समेत मेरे पास आयी हैं। मैंने इसके बारे में सोचा और इसमें कोई शक नहीं कि इस हत्या में पुलिस वालों का हाथ है। इसलिए पुलिस वालों से आशा करना कि वह इसकी जांच ठीक ढंग से करेंगे, यह हो ही नहीं सकता।... **(व्यवधान)** मैंने सोचा कि इसको सी.बी.आई. के हवाले कर देना चाहिए।...**(व्यवधान)** मैंने गवर्नर साहब से कांटेक्ट किया।

मैंने उनसे टेलीफोन पर बात करके कहा कि यह केस तो सी. बी.आई. को देने लायक है। क्या मुझे आपसे ऐप्रूवल लेनी पड़ेगी? उन्होंने कहा कि ऐप्रूवल लेनी पड़ेगी या नहीं, यह मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं खुद आपको सजैस्ट करके एक चिट्ठी भेज देता हूं कि इसे सी.बी.आई. में दिया जाए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह उसी के लिए हो रहा है और होगा। यह सी.बी.आई. को दे दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, वह इस पर सहमत गए हैं। अब उनकी बात तो सुन लीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इतना ही पर्याप्त है। वह सी.बी.आई. से ही जांच करायेंगे। अब आप और क्या चाहते हैं? मैं एक बात

कहना चाहता हूं। कृपया, बैठ जाइए। मैं खड़ा हूं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं? क्या आपकी आंखें नहीं हैं? क्या आपको दिखाई नहीं देता कि मैं बोल रहा हूं? मैं जानता हूं कि हमारे पास दो दिन अर्थात आज और कल बचे हैं। मैं यथा सम्पव अधिक से अधिक सदस्यों को बोलने का अवसर दूंगा। इसका केवल एक ही तरीका है कि हम मध्यान्ह भोजन न करें। जो सदस्य अपने मामले उठाना चाहते हैं वे यहीं उपस्थित रहें। मध्यान्ह भोजन नहीं होगा और प्रत्येक सदस्य को बोलने का अवसर दिया जाएगा।

श्री पी. षण्मुगम बोलें।

अपरान्ह 12.51 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री पी. षण्मुगम (बेल्लोर) : महोदय, पिछले दस दिनों की भीषण वर्षा और तूफान ने तमिलनाडु के चेन्नई, चेंगलपट्टू, वैल्लालूर, नगई क्वैद ई मिलाद, तिरूवेरूर, सर ए.टी. पनीरसेलवम तथा तंजावुर, सामवरयार और उत्तरी आरकोट तथा अम्बेडकर जिलों में तबाही मचा दी । डेल्टा जिलों के इतिहास में इतनी जोरदार वर्षा कभी नहीं हुई। कई नहरों और सड़कों में दरारें आ गई हैं।

गत दो दिनों से भारी वर्षा के कारण चिदम्बरम शहर, जिसे मन्दिरों के शहर के नाम से जाना जाता है, देश से कटा रहा।

दो लाख एकड़ से अधिक सिंचित 'सैम्बा' भूमि पानी में डूब गई। तीन लाख से अधिक मकान ढह गए अथवा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। करीब 1855 कि.मी. लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़कों को भारी नुकसान हुआ। चेन्नई में 585 कि.मी. से अधिक लम्बी सड़कों को भी भारी नुकसान हुआ। इसके कारण लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कठिनाई हो रही है। हजारों पशु मर गए। तमिलनाडु को 800 करोड़ से अधिक रुपयों का भारी नुकसान हुआ है? ...**(व्यवधान)**

कृपया मुझे दो मिनट का समय और दीजिए। कल हम माननीय प्रधान मंत्री महोदय से मिले थे। उन्होंने इस मामले में कुछ कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। परन्तु अभी वो तमिलनाडु को इस आपदा के कारण 800 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। हमें 500 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री महोदय कृपया प्रधानमंत्री प्राकृतिक आपदा राहत कोष से कम से कम 500 करोड़ रुपये जारी करें।

महोदय, मैं आपका इसके लिए आभारी हूं कि आपने मुझे तमिलनाडु में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर बोलने की अनुमति प्रदान की।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, आपस में चर्चा मत कीजिए। मैं प्रत्येक सदस्य को बुलाऊंगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

डा. के.पी. रामालिंगम (तिरुचेगोड़े) : महोदय, मैं भी इस मामले पर कुछ बोलना चाहता हूं। हम पिछले तीन दिनों से इस मामले को उठा रहे हैं। परन्तु प्रधानमंत्री महोदय ने धनराशि नहीं दी है। सरकार ने इस मामले में कोई रिपोर्ट भी नहीं दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वह वही विषय है?

डा. के.पी. रामालिंगम : यह वही विषय है। इस मामले पर कम से कम आधा घंटे की चर्चा होनी चाहिए। कल तमिलनाडु के सभी सदस्य प्रधानमंत्री के कक्ष में गए थे। हमने उनसे तत्काल धनराशि जारी करने का अनुरोध किया था। परन्तु उन्होंने अभी तक धनराशि मंजूर नहीं की है। लाखों टैंक टूट गए हैं। इसकी किसी को चिंता नहीं है। सभी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। तमिलनाडु की परवाह किसे है? तमिलनाडु की चिंता किसी को नहीं है।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, बैठ जाइए। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। कृपया, आप मेरी बात सुनिए। मैं सरकार से जवाब देने के लिए कह रहा हूं।

डा.के.पी. रामालिंगम : महोदय, यह बड़ा गम्भीर मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं भी कह रहा हूं कि यह गम्भीर मामला है। आप और क्या चाहते हैं? कृपया बैठ जाइए। पहले आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम विलास पासवान जी, तमिलनाडु का मामला बड़ा गम्भीर है?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। पहले मुझे अपनी बात कहने दीजिए। अब आप मंत्री महोदय की बात सुनिए। क्या मंत्री महोदय की बात नहीं सुनना चाहते हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : ठीक है। मैं प्रधान मंत्री से आग्रह करूंगा कि वहां के जो संसद सदस्य हैं, उनसे बुलाकर बातचीत करें और सदन की भावना से भी परिचय करवा दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। सत्यदेव सिंह। आपका नाम आएगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : तो आप मंत्री महोदय की बात नहीं सुनना चाहते।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर) : मेरा नाम आ गया, आपका नाम भी आएगा, आप क्यों परेशान हो।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सारे सदन से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो विषय मैं उठा रहा हूं, यह अति महत्व का है, पार्टी लाइन से अलग है, देश के सम्मान के साथ जुड़ा हुआ यह सवाल है, इसलिए मैं दोनों कैबिनेट मिनिस्टर साहब, जो यहां बैठे हुए हैं, राम विलास पासवान जी और माननीय इन्द्रजीत गुप्ता जी... **(व्यवधान)** अब इस समय कोई सुनने को तैयार नहीं है, जो मेरा गम्भीर विषय है...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : बोलिये।

श्री सत्यदेव सिंह : जरा उनको कहें, साहब।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुमारी उमा भारती, कृपया आप अपने स्थान पर बैठिये।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, पिछली 16 तारीख को इस देश ने विजय दिवस मनाया था, यह दिवस था उस दिन जब हमने अपने शौर्य को याद किया था, पुनर्स्मरण किया था, ऐतिहासिक दिवस था, इस सब-कांटीनेंट में एक नया राष्ट्र भी बना था, लेकिन इसके साथ-साथ उस शौर्य दिवस पर कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई, जिनपर हमें चिन्ता करनी चाहिए। फील्ड मार्शल मानेक शॉ, जो इस युद्ध के नायक थे और जिनकी युद्ध प्रवीणता के कारण इस देश ने उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि से सम्मानित किया था, आजीवन यह उपाधि उनके पास रहने वाली है। वे उस समारोह में उपस्थित नहीं थे, क्योंकि उनके साथ सरकार का व्यवहार उस प्रकार का नहीं था, जैसी सामान्य अपेक्षा थी।

लेकिन इसके साथ दूसरा गम्भीर विषय है, 54 सैनिक आज तक पाकिस्तान की जेलों में, जो सन् 1971 में युद्धबन्दी बनाये गये थे, वे वहां बन्द हैं, उनके परिवारों पर क्या बीत रही है, हमने 16 तारीख को विजय दिवस पर इसकी कोई चिन्ता नहीं की। इसी सदन के अन्दर सन् 1972 में शिमला समझौते के साथ जब युद्धबन्दियों की अदला-बदली हुई थी, उस समय के विदेश मंत्री श्री समरेन्द्र कुन्डू ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि पाकिस्तान की जेलों में 280 भारतीय बन्द हैं, जिनमें 40 रक्षा सेना के जवान हैं। लेकिन बाद में दसवीं लोकसभा में जो रक्षा राज्य मंत्री श्री मल्लिकार्जुनैया थे, उन्होंने अपने उत्तर में कहा कि भारत के पास जो सूचनाएं हैं, उसमें 54 सैनिक बन्द हैं। आज तक इन सैनिकों के बारे में भारत सरकार अपनी तरफ से क्या कर रही है कि ये सैनिक वापस अपने घरों को आयें और उनकी सूचना इस सदन को ये उपलब्ध करायें? इस तरह का कोई काम आज सन् 1971 के 25 साल बीत जाने के बाद भी हम नहीं कर पाये हैं। हम सिल्वर जुबली तो मना रहे हैं, लेकिन जिनके शौर्य, जिनके बलिदान, जिनके त्याग के कारण हमें यह सुखद अवसर मिला था, एक इतिहास बना था कि 90,000 से ज्यादा लोगों ने एक समय में एक स्थान पर ढाका में आत्म-समर्पण किया था, उनकी वीरता पर हम इस तरह से कुठाराघात कर रहे हैं, इस तरह से उनको अपमानित कर रहे हैं।

आगे बात यह नहीं चल रही है, एक सैनिक 21 दिसम्बर, 1974 को आर.एस. सूरी, मेजर अशोक सूरी, इन्होंने एक पत्र एक नागरिक के जरिये भिजवाया था और उन्होंने उस पत्र में जो लिखा था, वह इबारत मैं कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था: "प्रिय डैडी, आपको अशोक का चरण स्पर्श। यहां मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप कृपया हमारे बारे में सेना और भारतीय सरकार से सम्पर्क करें। यहां हम कुल 20 अधिकारी हैं, पर हमारे लिए आप परेशान न हों। भारत सरकार हमें छुड़ाने के बारे में पाकिस्तान सरकार से सम्पर्क कर सकती है।" यह वेदना है, आज तक सम्पर्क हुआ कि नहीं, मैं नहीं जानता।

आगे जरा दूसरा हाल देख लीजिए। फ्लाइट लेफ्टीनेंट विजय तांबे, दो दिन के युद्ध में दूसरे दिन इनका जहाज गिरा था और पाकिस्तान के संडे ओब्जर्वर ने पांच दिसम्बर, 1971 को अपनी खबर छापते हुए इनका नाम लिखा था, ये आज पाकिस्तान जेल में बन्द हैं। इनकी पत्नी क्या कह रही हैं, इनकी पत्नी श्रीमती दमयन्ती तांबे अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं, बैडमिंटन की राष्ट्रीय चैम्पियन रह चुकी हैं, वे आज 47 वर्ष की हैं और निराश हैं। उनके मन में देश के प्रति इतना आक्रोश है, उन्होंने यह कहा है कि उनका कोई बेटा तो नहीं है, लेकिन अगर उनका बेटा होता तो वे उसे खोमचा लगाने के लिए कहती, रक्षा सेनाओं में जाने के लिए नहीं कहतीं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिये। सदस्य आपस में बातचीत न करें।

श्री सत्यदेव सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह विषय बहुत गम्भीर है, यह आत्मा को चोट पहुंचाने वाला विषय है।

अपरान्ह 1.00 बजे

भारत-पाकिस्तान युद्ध के अंदर जो बंदी बनाए गए थे, आज 25 साल बीत जाने के बाद, कई सरकारें आने और जाने के बाद इस

लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर भी कुठाराघात है। भारतीय सेनाओं के मनोबल को गिराने वाली बात है, देश का अपमान भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। मैं सदन के नेता पासवान जी से कहना चाहता हूं, मुझे विश्वास है कि सदन उन 54 बंदियों को जो पाकिस्तान की जेलों में, देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए, भारत का सम्मान करते हुए, अपने परिवार की चिंता न करते हुए, हम सुखी रहें, यह सदन चले, यह देश चले, यह लोकतांत्रिक परम्परा बनी रहे उसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तत्सर रहने वाले, बंद हैं, उनके लिए सरकार घोषणा करे कि उनके लिए यथाशीघ्र क्या करने वाली है। पाकिस्तान पर किस प्रकार का दबाव डालने वाली है। यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों का मानवाधिकारों के हनन का भी प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न पर पर यह सरकार अपना मुंह खोले। यह विषय दलगत से ऊपर है, इसलिए यह राष्ट्र का विषय है। यह उन नागरिकों का विषय है जो भारत के सम्मानित नागरिक हैं और अवैध रूप से पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं। उनको छुड़ाने के लिए सरकार क्या करने जा रही है?

उपाध्यक्ष महोदय : इसी इश्यू पर मुझे कुछ कहना है। शिवराज सिंह जी ने भी इस पर नोटिस दिया है, क्या वे भी कुछ कहना चाहेंगे?

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सत्यदेव सिंह ने जो व्यथा व्यक्त की है, मैं उससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। पिछली 16 दिसम्बर को हमने पाकिस्तान से युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में विजय दिवस मनाया। लेकिन उसमें इस विजय के नायक जनरल मानेकशा नहीं थे। 95 हजार पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण कराने वाले लेफ्टीनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा भी नहीं थे। 1971 में भारत-पाक युद्ध हुआ था तो पूरा देश सेना के पीछे खड़ा था। लेकिन जो विजय दिवस इस सरकार ने मनाया, उसके परिदृश्य से विजय के नायक ही गायब थे और देश की भावना भी उस विजय दिवस से जुड़ी नहीं थी। फिर ऐसे विजय दिवस को मनाने का लाभ क्या है। आज सारा देश जानना चाहता है कि जनरल मानेकशा क्यों नहीं थे? 1971 के विजय नायक क्यों नहीं थे? वह समारोह केवल सरकारी समारोह बनकर रह गया, जनता की कहीं भावना जुड़ी नहीं थी। सरकार को जनता को जवाब देना चाहिए कि विजय के नायकों की इस प्रकार से उपेक्षा करने पर सेना का मनोबल कितना गिरेगा और कौन सिपाही सेना में भर्ती होकर देश पर सर्वस्व न्यौछावर करने का साहस करेगा?

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पहले मैं किसी और का नाम बोलूं, मैं यह महसूस करता हूं कि यह बहुत सीरियस इश्यू है। हमने 1971 में 93 हजार पाकिस्तान के फौजी जो कैदी बने थे, उनको वापस कर दिया, लेकिन हमारे जवान अभी भी पाकिस्तान की कैद में हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर सोचे, क्योंकि यह हम सबके लिए शर्म की बात है। सरकार इस पर सीरियस नोटिस ले। मेरी जुबान से उर्दू का एक शेर बेसाख्ता निकल रहा है-

किस को रहते हैं बुरे वक्त के साथी याद
सुबह होते ही चिरागों को बुझा देते हैं।

उनको याद रखना चाहिए, उन्होंने कुर्बानी की है। मैं सरकार से कहूंगा इस पर सीरियस नोटिस लिया जाए।

श्री सत्यदेव सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने हमारी भावना को अपने साथ जोड़ा। सरकार इस पर उत्तर दे।

श्री राम विलास पासवान : चेयर का निर्देश है, इससे ज्यादा क्या होगा। सरकार निश्चितरूप से इस पर विचार करेगी।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. दासमुंशी : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान जी मैं आपका तथा आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान एक गंभीर मामले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय प्रधान मंत्री ने कई बार देश के शहरी विकास कार्यक्रम के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। कल ही सदन में संसद सदस्य द्वारा स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा इसके लिए आवश्यक कोष के बारे में चर्चा की गई। परन्तु महोदय, मुझे दुखी मन से यह कहना पड़ रहा है कि पिछले चार महीनों में मैं देख रहा हूं कि अहमदाबाद, कानपुर, आगरा और हावड़ा शहरों, का नाम प्रदूषित शहरों की सूची में सबसे ऊपर हैं, और वहां और भी बहुत सी समस्याएं हैं। योजना आयोग एवं भारत सरकार का ध्यान भी इस ओर आकृष्ट किया गया था। मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे हावड़ा शहर के बारे में बात की। इस शहर के विकास के बगैर कलकत्ता शहर का विकास भी सम्भव नहीं है। मुझे बड़े खेद से कहना पड़ता है कि यद्यपि योजना आयोग ने उत्तर भारत की गंदी बस्तियों विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश जहां अधिकांश गरीब मुस्लिम वर्ग के लोग रहते हैं, के विकास के लिए धनराशि आवंटित की है। परन्तु कलकत्ता जैसे शहर में रहने वाले गरीब वर्ग को लोगों को कुछ भी नहीं दिया गया है।

महोदय मैं आपको यह बताना चाहता हूं 'सिटी ऑफ ज्वाए' नामक फिल्म हावड़ा शहर की गंदी बस्तियों, जो फीलखाना नाम से जानी जाती है, पर आधारित है। महोदय, मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रो. मधु दंडवते के लिखित निदेशों के बावजूद इस शहर को कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है। यदि इस तरह का उत्पीड़न जारी रहा और जो सम्भावित सहायता हावड़ा शहर को दी जानी या वह नहीं दी गई तो बड़ी मुश्किल होगी। मैं आपको पूर्ण दायित्व के साथ बता रहा हूं। मुझे सरकारी सूचना मिली है कि योजना आयोग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नौंवी योजना के दस्तावेज को शीघ्र अंतिम रूप दे दिया जाएगा। यदि

राजनैतिक आधार पर इस तरह का व्यवहार किया जाता है कि कौन सा सदस्य किस दल का है तो देश का विकास दांव पर लगाना होगा ...**(व्यवधान)** महोदय कानपुर, आगरा और अहमदाबाद में भी यही स्थिति है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि मलेशिया और पोलियो वैक्सीन के गलत प्रयोग से कई लोगों की मृत्यु हुई है। धोलागढ़ गांव जो कि श्री हन्नान मोल्लाह के निर्वाचन क्षेत्र की सीमा पर है, परसों वहां तीन बच्चों की मृत्यु हो गई जो कि पोलियो वैक्सीन के गलत प्रयोग के कारण हुई। मैंने इस क्षेत्र के विकास के पहलू की ओर माननीय प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया है। माननीय प्रधान मंत्री ने इसे योजना आयोग को भेजा है। इसके बावजूद, यदि रहस्योद्घाटन के कारण या अधिकारी वर्ग का सहयोग न मिलने के कारण। चाहे वह राज्य स्तर पर हो या केन्द्र स्तर पर। कोई कदम नहीं उठाया जाता तो लोगों को इसका शिकार नहीं बनाया जा सकता...**(व्यवधान)** महोदय, पश्चिम बंगाल में रहने वालों को सबसे पहले हावड़ा स्टेशन पर ही पहुंचना पड़ता है। वह हावड़ा पुल को पार किए बगैर कलकत्ता नहीं पहुंच सकते। वहां रहने वाले अधिकतर लोग बिहार और उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। वे ही इसके शिकार हुए। वहां पेयजल उपलब्ध नहीं है। वहां उनके रहने की भी ठीक व्यवस्था नहीं है।

अपरान्ह 1.07 बजे

(श्री नीतीश कुमार पीठासीन हुए)

गन्दी बस्तियों की हालत बहुत खराब है। मैं इस पर बहस करता रहा हूं। मेरे इस कथन को गम्भीरता से नहीं लिया गया। अन्ततः मझे यह जानकारी मिली है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐसा कोई भी पैकेज स्वीकार नहीं किया है। जिसे हावड़ा शहर के लिए विशेष अनुदान दिए जाने हेतु योजना आयोग के समक्ष रखा जा सके जैसा कि कानपुर शहर के मामले में किया गया था। पहले इसका आश्वासन दिया गया था। एक लिखित निदेश भी दिया गया था कि शहर की इन गन्दी बस्तियों के लिए अधिक से अधिक धन खर्च किया जाये। यह आश्वासन प्रो. मधु दंडवते द्वारा दिया गया था। परन्तु आज तक इस धनराशि में से गन्दी बस्तियों पर कुछ खर्च नहीं किया गया है। यदि इसी तरह भेदभाव बरता गया तो संसद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे कर पायेंगे? राजनैतिक दलों का क्या महत्व रह जायेगा?

महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और मांग करता हूं कि सरकार इस बारे में तुरंत योजना आयोग और शहरी आवास मंत्रालय के साथ बातचीत करे। यह स्थिति ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। यदि ऐसा नहीं किया गया तो मैं आपको बता दूं कि बिहार और उत्तर प्रदेश, जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र का ही हिस्सा है, के लोग इन परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाऐंगे। उन्होंने यह संदेश दिया है कि यदि विकास पैकेज को स्वीकार नहीं किया गया और उन्हें अनुदान नहीं दिया गया तो वे राजधानी एक्सप्रेस को रोक लेंगे और उसे हावड़ा स्टेशन से दिल्ली के लिए नहीं चलने देंगे। किसी भी गाड़ी को जाने नहीं दिया जायेगा।...**(व्यवधान)** यह कोई हंसने की बात नहीं है। सभापति महोदय हावड़ा के लिए 120 विशेष ट्रेन चलती है। हर क्षेत्र से यहां यात्री आते हैं। इसके बावजूद केन्द्र सरकार और शहरी विकास विभाग से हावड़ा शहर के लिए एक पैसे की सहयता नहीं देते। परन्तु इस शहर का इस्तेमाल जैसा जिसको करना होता है वैसा ही करता है। लोगों की कोई परवाह नहीं की जाती। ऐसा हमेशा नहीं चल सकता।

महोदय, क्या आप कभी ऐसी स्थिति की कल्पना भी कर सकते हैं? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं आपको एक वीडियो फिल्म का एक अंश दिखा सकता हूं। गरीब से गरीब मुस्लिम लोग नाली से पानी लेते हैं, उसे उबालते हैं और फिर पीते हैं। वहां उनके लिए पेयजल भी उपलब्ध नहीं है। मैं आपसे यह मांग करता हूं कि कम से कम उनके लिए पेयजल की व्यवस्था तो की जानी चाहिए। हम सभी धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं और हम अल्पसंख्यकों का बचाव करते हैं। परन्तु मेरे निर्वाचन क्षेत्र हावड़ा में भारत में गन्दी बस्तियों में रहने वाले मुस्लिम वर्ग की हालत सबसे खराब है। उन्हें गन्दी नाली का पानी उबाल कर पीना पड़ता है। यह कोई अच्छी बात नहीं है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री और शहरी आवास विकास मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है। उन्होंने इस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया है। परन्तु ऐसा केवल राजनैतिक कारणों से ही हो रहा है।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, मैं श्री दासमुंशी से पूरी तरह सहमत हूं।...**(व्यवधान)** केन्द्र सरकार के पास हावड़ा शहर के लिए 300 करोड़ रुपये की विकास योजना रखी है। उस योजना को शीघ्र स्वीकृति दी जानी चाहिए...**(व्यवधान)**

श्री पी.आर. दासमुंशी : महोदय, परसों ही मुझे शहर के मेयर ने बताया कि उनके पास पैसा नहीं है तथा वे इस काम के लिए संसद सदस्य कोष से धन खर्च कर रहे हैं। क्या यह कार्य केवल 70 लाख रुपये अथवा 1 करोड़ रुपये से करना संभव है। यह तो राजनैतिक स्तर पर भेदभाव किया जा रहा है। क्या एक सांसद के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? सरकार वहां चुप बैठी है। परन्तु लोग चिल्ला रहे हैं।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि 31 जनवरी तक हावड़ा के लिए पैकेज की घोषणा नहीं की गई तो मैं हावड़ा से दिल्ली के लिए एक भी ट्रेन नहीं चलने दूंगा। इसके चाहे जो भी परिणाम हों सरकार को उनका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : ट्रेन्स ने क्या बिगाड़ा है।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. दासमुंशी : महोदय, यह लोगों के दुख दर्द की बात है। मैं आपको वीडियो फिल्म का एक अंश दिखा सकता हूं।

[हिन्दी]

लाश देख कर आपकी आंखों में आंसू आ जायेंगे। बच्चों के इलाज के लिए दवा नहीं मिलती है। बच्चों को पीने का पानी नहीं मिलता है। यह कोई तरीका नहीं है। जब दिल्ली की सरकार को खत लिखा कि पैसा दो, उसके बावजूद भी पैसा नहीं देते हैं। यह ज्यादती नहीं है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल सरकार को यह पैकेज जितना जल्दी हो सके उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। यह मेरी प्रार्थना है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : महेन्द्र कर्मा जी की बात सिर्फ रिकार्ड में जाएगी।

(व्यवधान)

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : महोदय, पूरे सत्र में एक बार भी मुझे मौका नहीं मिला है।

सभापति महोदय : आपका नोटिस है।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : हां, नोटिस है।

सभापति महोदय : ठीक है, बैठिए। सबको मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सब लोग सुबह नोटिस देते हैं, दोपहर को नोटिस देने की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री महेन्द्र कर्मा : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। व्होक्हार्ड लिमिटेड एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी है जोकि दवाइयां बनाती हैं, जीवनदायिनी दवाओं के तहत आई.वी. इनफ्यूशन बनाती है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के द्वारा जिस प्रकार से दवाइयां बनाने में लापरवाही बरती जाती है उसका उदाहरण हैं। उन्होंने डीएनएल बेच नं. 95616, मेनुफेक्चरिंग डेट 95 है और इसकी एक्सपायरी डेट 98 है। इसमें एक गंदे नाली के पानी से भी ज्यादा कीड़े, मकोड़े और फंगस है, यह मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दूसरा है जिसकी मेनुफेक्चरिंग डेट 96 अप्रैल है और तीसरा है जिसकी मेनुफेक्चरिंग डेट 96 है और इन सभी की एक्सपायरी डेट 99 है। इसमें फंगस है।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : एक्सप्लेन नहीं करना है। आप इसको हाउस में लेकर चले आए।

श्री महेन्द्र कर्मा : मैं अपने नोटिस में पहले ही इसका उल्लेख कर चुका हूं। मैं इसको सदन के पटल पर रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय : अरे, सदन के पटल पर नहीं रखा जाता, पटल पर कागज रखा जाता है, बोतल नहीं।

श्री महेन्द्र कर्मा : सभापति महोदय, ये तीन-तीन महीने के अंतराल में बनाए गए। इन दवाइयों में फंगस और चींटियों का होना बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की नीयत है और उनके मुनाफा कमाने के इरादे को भी स्पष्ट करता है। मैं यह चाहता हूं कि इस कम्पनी को जो लाइसेंस दिया गया है उसको तत्काल रद्द किया जाए और इस प्रकार से जीवनदायी दवाइयां बनाने की, कम से कम ये जिम्मेदारी या यह अनुमति इस प्रकार की मल्टीनेशनल्स कम्पनी को न दी जाए, यह हिन्दुस्तान की कम्पनी को दी जाए तथा इस पर अवश्य जांच होनी चाहिए क्योंकि जांच के लिए...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप इसको नीचे रखिए।

श्री महेन्द्र कर्मा : मैं सदन के पटल पर रख दूं, नहीं तो क्या प्रमाण होगा, जो बात मैं कह रहा हूं।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप मंत्री जी से मिल करके वह सब डिसप्ले करें, सरकार इस बात को ग्रहण करे यह गंभीर मामला है। अब आप बैठ जाइए।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : माननीय सभापति जी, मैं लगातार पिछले सत्र से कोटा में स्थित केन्द्र सरकार के उद्योग इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के लिए चर्चा करता रहा है। मुझे दुख है कि समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है बल्कि वहां तीन महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा। आज साढ़े तीन हजार कर्मचारियों के आश्रित 25 हजार व्यक्ति कोटा में भूखे मरने की स्थिति में हैं। उनको कार्यशील पूंजी और बैंक लोन मिले इसके लिए मैं बारम्बार आग्रह कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मिला हूं लेकिन मुझे दुख है कि उन गरीबों की जायज मांग को भी स्वीकार नहीं किया गया है। वह एक श्रेष्ठ कम्पनी है। हिन्दुस्तान में अच्छा उत्पादन करने वाली कम्पनी थी लेकिन कुछ आर्थिक अकुशलताओं के कारण, बड़े लोगों की अक्रमण्यता के कारण जो इतना शानदार उद्योग तीन वर्ष से चल रहा था वह आज घाटे की स्थिति में आ गया है।

उस घाटे से उसे उबारने का किसी तरह का प्रयत्न यह सरकार नहीं कर रही है। बी.आई.एफ.आर. में सारा मामला गया लेकिन वहां भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से उद्योग मंत्री जी से आग्रह है कि वे यथाशीघ्र इस अच्छी कंपनी के पुनरोद्धार के लिए समुचित कार्यवाही करें और उसको कार्यशील पूंजी देने के लिए बैंकों को आदेश दें। सरकार ने अब तक अरबों रुपया

बट्टे खाते में डाला है उसी प्रकार से उस उद्योग के घाटे की धनराशि को भी बट्टे-खाते में डाला जाए।

[अनुवाद]

***श्री वीरभद्रम थाम्मीनेनी** (खम्माम) : सभापति महोदय, वर्तमान सरकार के अध्यक्ष श्री एच.डी. देवेगौडा का कहना हैं कि वे भी कृषक परिवार और समाज के गरीब वर्ग से हैं। माननीय प्रधान मंत्री का कहना है कि वह भी एक कृषक हैं। महोदय, इस सरकार को कृषक वर्ग हितों की रक्षा के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए।

देश में आज के समय में कपास उत्पादन बड़े ही गम्भीर संकट से गुजर रहे हैं। उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कपास का मौसम निकट ही है। इस समय 80 लाख हेक्टेयर भूमि में कपास की खेती की जा रही है। निवेश कीमतों में कई गुना वृद्धि हुई है। उर्वरक, कीटनाशकों और बीजों की कीमतें बढ़ रही हैं। इन सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कपास उत्पादकों ने कपास के अधिकाधिक उत्पादन का भरपूर प्रयास किया। परन्तु दुर्भाग्यवश भारी वर्षा के कारण सारी फसल या तो पानी में बह गई अथवा नष्ट हो गई। कपास का अधिकृत मूल्य इस समय करीब 1700 रुपये या ज्यादा से ज्यादा 1800 रुपये प्रति क्विंटल है। इस कीमत से कपास उत्पादकों को उनके द्वारा खर्च की गई कीमत भी वसूल होने की सम्भावना नहीं है। यह मूल्य तो बहुत ही कम है। इसका लाभकारी मूल्य कम से कम 2500 रुपये होना चाहिए। यदि कपास उत्पादकों को कम से कम 2500 रुपये समर्थन मूल्य भी नहीं मिलेगा तो उनके लिए जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो जायेगा। इस समस्या का सिर्फ एक मात्र समाधान है कपास के निर्यात की अनुमति देना। सरकार को कपास के निर्यात के लिए मानदण्ड निर्धारित करना चाहिए। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह आश्वासन दिया गया था कि संयुक्त मोर्चा सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठायेगी। महोदय, कपास निर्यात के लिए यह अति उत्तम समय है। कपास उत्पादक देशों में इस वर्ष कपास का उत्पादन काफी कम होने की सम्भावना है। वर्ष 1995-96 में पूरे विश्व में कपास का कुल उत्पादन 19.9 मिलियन टन था और इस वर्ष यह उत्पादन उससे 2 मिलियन टन कम होने की सम्भावना है। यह लगभग 18 टन होने की सम्भावना है। इसलिए कपास निर्यात करने का यह स्वर्णिम समय है जिससे दूसरे देशों से अच्छी कीमत प्राप्त की जा सके। कपास उत्पादक देशों जैसे पाकिस्तान, उज़बेकिस्तान और सुयंक्त राज्य अमरीका में कपास के उत्पादन में गिरावट आई है। इसी तरह ताईवान, दक्षिणी कोरिया और इंडोनेशिया देशों में कपास की मांग बढ़ी है। मांग और पूर्ति में काफी ज्यादा अन्तर है। केवल आस्ट्रेलिया और भारत ही इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में सक्षम है। भारतीय कपास का मूल्य 80 से 85 सेंट्स प्रति पाउंड मिल सकता है। हमारे पास निर्यात मांग को पूरा करने के लिए कपास का काफी भण्डार है। हमने पिछले समय में कपास की 156 गांठों का उत्पादन किया था। इस वर्ष इसका उत्पादन 165 लाख गांठे होने की आशा है। इस तरह जनवरी से मार्च तक की अवधि में निर्यात के लिए 10 से 15 लाख कपास की गाठें उपलब्ध होंगी। यदि सरकार कपास का निर्यात करे तो कपास उत्पादकों के लिए अच्छे बाजार मिल सकते हैं। कपास उत्पादकों को उनके उत्पादन की अच्छी कीमत मिलने की सम्भावना है। राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन भारतीय कपास निगम को बाजार में जाना चाहिए और कपास उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देकर कपास खरीदनी चाहिए। महोदय, कपास के निर्यात के लिए एकल एफ बीमा है और वह बाधा है चुनिंदा मूल्य नियंत्रण प्रणाली के उपबंध और इसके कारण निर्यातकों को तत्काल ऋण नहीं मिल रहा। कपास उत्पादकों के हित में इस उपबंध में संशोधन किया जाना चाहिए।

मैं सरकार से एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि सरकार कपास निर्यात के लिए पहल करे और देश में कपास उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देने के लिए कदम उठाये।

महोदय, मुझे अवसर देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री एम. कमालुद्दीन अहमद (हनामकोंडा) : सभापति महोदय, संयोगवश मैं भी उसी विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं जिस विषय पर पूर्व वक्ता ने अपने विचार व्यक्त किये हैं।

महोदय, आंध्र प्रदेश में और विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कपास की फसल किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण फसल है। दुर्भाग्यवश, कपास के मूल्य का निर्धारण बेईमान व्यापारियों द्वारा सट्टे और किसानों के शोषण का लक्ष्य बन गया है। बाजार में फसल आने पर व्यापारी अनपढ़ किसानों के साथ चालाकी करते हैं और उनका शोषण करते हैं।

सरकारी अभिकरण भारत कपास निगम समर्थन मूल्य का निर्धारण करती है। हाल ही के कुछ वर्षों में किसानों को इस संस्था से कोई ज्यादा मदद नहीं मिली है। इस अभिकरण द्वारा फसलों के खरीद, केन्द्र खोलने में विलम्ब करने और किसानों द्वारा बाजार में लाई गई फसल को खरीदने से इंकार किए जाने के कारण किसानों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

यद्यपि ऐसी अनियमितता कुछ वर्षों से चल रही है। लेकिन इस वर्ष आंध्र प्रदेश के वारांगल जिले में कपास के मूल्यों में तेजी से गिरावट का एक यही मुख्य कारण रहा। किसान बहुत परेशान हैं। चूंकि कपास नियंत्रणाधीन मद है और केन्द्र सरकार द्वारा इस पर निगरानी रखी जाती है, अतः सरकार को किसानों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए ताकि वे व्यापारियों के शोषण से मुक्त हो सकें।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूं कि व भारत कपास निगम को निदेश दें कि वे आंध्र प्रदेश के वारांगल जिले

* मूलतः तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

में गरीब किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करवाने के लिए अधिक से अधिक खरीददारी करें।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : सभापति महोदय, मैं वनांचल क्षेत्र की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हथिया का पानी नहीं पड़ने के कारण पूरे वनांचल में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे कई जिले प्रभावित हो गए हैं। रांची, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, हजारीबाग, पलामू, लोहरदगा तथा गुमला प्रखंडों में भारी कठिनाई उत्पन्न हो गई है। सूखे के कारण वहां से लोग पलायन कर रहे हैं। जानवरों के लिए चारा और पीने का पानी नहीं मिल रहा है। मुझे जिन प्रखंडों की जानकारी है, वह मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। पूरे वनांचल क्षेत्र में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मेरा सरकार से आग्रह है कि हर प्रखंड में जहां मात्र 30-40 परसैंट फसल का उत्पादन हुआ है, वहां उसकी जांच करा कर राहत कार्य चलाने का कार्य करें। ईचागढ़, चांडेल, नमड़ी, सोनाहातु, सिल्ली, अन्नगढ़ा, खिजरी, कांके, बुडमू, रांतु, तमाड़, बुंडू और माडर आदि प्रखंडों की मुझे व्यक्तिगत रूप से जानकारी है। यहां 30-40 परसैंट फसल हुई है। मैंने जिन प्रखंडों और जिलों का नाम लिया है, उनके अलावा वनांचल के शेष प्रखंडों की जांच करा कर वहां राहत कार्य शुरू करवाया जाए ताकि लोगों को पलायन से बचाया जा सके।

श्री शिवानंद एच. कौजलगी : सभापति महोदय, भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा धारवाड़ से हुबली तक 'बोल्ट' के अधीन बाई पास सड़क निर्माण करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। यद्यपि ये निविदाएं एक वर्ष पहले आमंत्रित की गई थीं परन्तु इन्हें अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई हैं। इस कारण सरकार को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि इसकी अनुमानित कीमत दिन प्रति दिन बढ़ रही है। साथ ही धारवाड़ से हुबली के बीच सड़क काफी खराब हालत में है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि भूतल परिवहन मंत्रालय को इन निविदाओं को तुरन्त स्वीकृति करने के निदेश दिए जाएं जिससे निर्माण कार्य आसानी से आरम्भ किया जा सके।

[हिन्दी]

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : सभापति महोदय, बुन्देलखंड क्षेत्र स्वतंत्रता के 50 साल बाद भी पिछड़ा हुआ है। सम्पूर्ण क्षेत्र उद्योग विहीन है जबकि वह खनिज सम्पदा से भरपूर है। हीरा एवं ग्रेनाइट से यह क्षेत्र भरपूर है लेकिन उचित दोहन के अभाव में पिछड़ा हुआ है। इसी तरह इस क्षेत्र की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पुरातत्वीय धरोहर अद्वितीय है। इस क्षेत्र में जन्म लिए महापुरुषों ने समय-समय पर देश की रक्षा में योगदान दिया है और नेतृत्व किया है। इस ऐतिहासिक धरोहर का अक्षुण्ण एवं सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक है कि इस सम्पूर्ण बुन्देलखंड को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। खजुराहो के अलावा ओरछा, बांदा में कालिंजर, पन्ना में मारंग मंदिर, बृहस्पति कुंड, चौमुखनाथ, सिद्धनाथ, पवई में कलेहन, हनुमान भाटा, नानचांद, दमोह में बांदकपुर, कुंडलपुर, सिंगारगढ़, नोहटा, स्नेह और महाकवि जगनिक की जन्म भूमि सफौर जहां स्कंदगुप्त, चन्द्रगुप्त का उपनिवेश था तथा जहां स्वामी रामदास जी ने छत्रपति शिवाजी की उपस्थिति में शिवलिंग एवं हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की थी तथा महाराज छत्रपाल को स्वराज्य स्थापित करने की प्रेरणा एवं सहयोग प्रदान किया था। इसी तरह से छतरपुर जिले में भीमकुंड, जटाशंकर, द्रोणगिरी, नैनागिरी तथा पन्ना का राष्ट्रीय उद्यान सहज ही पर्यटकों को मोहित कर लेता है। अतः बुन्देलखंड के विकास हेतु पर्यटन स्थल घोषित करने की कार्यवाही सरकार करे और इस क्षेत्र के विकास में सहयोग करे।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश का झांसी मंडल जो बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है, उसमें पेयजल से उत्पन्न संकट के संबंध में आपको अवगत कराना चाहता हूं। मान्यवर, झांसी और बुंदेलखंड के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने अभी 24.11.1996 को एक नया शासनादेश जारी किया है जिसमें उन्होंने आदेश दिया है कि झांसी मंडल के सभी जिलों में जल-कर एवं जल-मूल्य बढ़ी हुई दरों पर वसूल किया जाए। इस शासनादेश से बुंदेलखंड की जनता में बड़ा आक्रोश है और उस गरीब जनता से जो बढ़ी हुई दर से जल-कर वसूल किया जा रहा है उससे गरीब जनता पेयजल के कनैक्शन कटवा रही है। मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से चाहता हूं कि जो शासनादेश बढ़े हुए जल-कर और जल-मूल्यों पर दिया गया है, उसे वापस लिया जाए जिससे झांसी मंडल की जनता राहत की सांस ले सके।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, मैं सदन का ध्यान एक गंभीर समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यह मामला सदन में पिछले 15 से 20 वर्षों से उठाया जाता रहा है। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं बंगाली भाषा को नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान भी इसी भाषा में लिखे गये थे। आज यदि कोई उस भाषा में बोलता है तो उन्हें विदेशी कहकर पुकारा जाता है। यह देश के लिए बड़े शर्म की बात है। यह बात कहते हुए मेरा मन अति व्यथित है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि मैं ऐसे सात आठ मामलों से अवगत हूं।

महोदय, मुम्बई शहर में विशेषकर गन्दी बस्तियों में जब कोई बंगाली भाषा में बातचीत करता है तो विशेष पुलिस वहां आती है और उन्हें बंगलादेशी अथवा विदेशी समझकर पकड़ लेती है। पुलिस द्वारा न तो उनका पासपोर्ट और न ही मतदाता पहचान पत्र ही स्वीकार किया जाता है और उन्हें छोड़ने के लिए उनसे 500 रुपये से 3000 रुपये तक वसूले जाते हैं। यह सब क्या है। हम भारतवर्ष में रहते हैं और यह एक स्वतंत्र देश है। बंगाली भाषी और कितने वर्षों तक

यह दुख सहते रहेंगे। बंगाली लोग अहमदाबाद और देश के अन्य हिस्सों में भी रहते हैं।

मुम्बई में मैं नूरजहां बीबी और जनाब अब्दुल रजाक के उद्धरण दे सकता हूं। उनकी नागरिकता के लिए प्रमाण हेतु उनके पासपोर्ट भी मंजूर नहीं किए गए और उन्हें पुलिस हिरासत में ले लिया गया। ये लोग गोरखपुर बिहार और पश्चिम बंगाल से आये थे। उन्हें बंगलादेशी मानकर गिरफ्तार किया जा रहा है। हालांकि कुछ तमिल भाषियों को भी गिरफ्तार किया गया और तमिल में बातचीत करने के बावजूद उन्हें नहीं छोड़ा गया। और उन्हें बंगलादेशी की संज्ञा दी गई। यह सब क्या है। हम जानते हैं कि विदेशियों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए परन्तु यदि वे मुस्लिम हैं तो बंगलादेशी समझकर पकड़ लिया जाता है। यह एक गम्भीर मामला है। यह शिव सेना के लिए शर्मनाक बात है। उन्होंने न केवल एक समाचार पत्र के सम्पादक को पीटा बल्कि वे और लोगों को भी पिटाई कर रहे हैं। वे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और अल्पसंख्यक लोगों को और बंगला भाषा बोलने वाले लोगों को बंगलादेशी कहकर पकड़ लेते हैं।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : सभापति जी, यह गलत है। सदन को गुमराह किया जा रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ। यह गलत है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपने जो कुछ कहना था वह कह दिया। कृपया अब आप अपने स्थान पर बैठिए। प्रश्न काल के दौरान क्या किया जा सकता है?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : प्रो. रीता वर्मा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जो रीता वर्मा जी बोलेंगी वही रिकार्ड पर जाएगा

(व्यवधान)*

प्रो. रीता वर्मा (धनबाद) : माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगी कि अभी पिछले दिनों भारत और बंगलादेश के बीच गंगा जल के बारे में समझौता हुआ है। हम इस बात से बहुत प्रसन्न हैं कि पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारे जाने चाहिए और विवाद सुलझें लेकिन पश्चिम बंगाल को पड़ोसी राज्यों के साथ भी सदाशयता दिखानी चाहिए। गंगाजल का जो समझौता हुआ है, बिहार और उत्तर प्रदेश को उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। हम भी चाहते हैं कि पानी की कमी न हो, लेकिन इसके लिए बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों को पानी के बिना सूखा नहीं किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल ने पानी के मामले में हमेशा से बिहार की उपेक्षा की है।

जब दामोदर नदी के जल का बंटवारा हुआ था, जो कि वनांचल क्षेत्र में पानी की कमी का मुख्य कारण है। तो जब ये 1975 में बंटवारा हुआ था तो कहा गया था कि उसमें 34 हजार क्यूसेक फीट पानी है और कहा गया कि पश्चिम बंगाल को 30 हजार क्यूसेक फीट पानी चाहिए। इसलिए कायदे से पश्चिम बंगाल को 30 हजार क्यूसेक फीट पानी लेकर बाकी पानी बिहार को देना चाहिए था। लेकिन यह उसमें चालाकी करते आ रहे हैं, सिर्फ बिहारियों को बेवकूफ बनाते आ रहे हैं और इसीलिए इन लोगों ने कहा कि 34 हजार क्यूसेक फीट पानी है, पश्चिम बंगाल को 30 हजार फीट पानी चाहिए और इस प्रकार चार हजार क्यूसेक फीट पानी बिहार को देकर बाकी सारा पानी बंगाल लेता रहा है और यही वनांचल क्षेत्र के सूखे का सबसे कारण है। हम पानी के बिना तरस रहे हैं, हमारे खेत पानी के बिना सूख रहे हैं। सभापति महोदय, अभी नये इरीगेशन कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ दामोदर नदी में 45 हजार क्यूसेक फीट पानी है और इसलिए दामोदर नदी में पानी ठीक किया जाना चाहिए और पानी के बारे में पश्चिम बंगाल को बिहार के साथ वही सदाशयता का परिचय देना चाहिए जो वह बंगलादेश के साथ निभा रहा है। मैं यह भी कहूंगी कि हमारे पश्चिम बंगाल के साथी भी इसमें सदाशयता से काम लेंगे।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : अब सरकार को प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए तो हम कम्पैल नहीं कर सकते हैं।...**(व्यवधान)** आपने सवाल उठाया है, सरकार ने सुन लिया है।...**(व्यवधान)** आपका नाम हमने नहीं बुलाया है, हमने ई.अहमद को बुलाया है।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : महोदय, श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं का सरकार ने ध्यान रखा है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : रामाश्रय बाबू, आपको तो रोज समय मिलता है, आप इत्मीनान से बैठिये।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान विदेशों में रहने वाले भारतीयों की दुर्दशा की ओर आकृष्ट करना

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

चाहता हूं। हमारे बहुत से भारतीय मजदूरों को अपनी आजीविका उपार्जन हेतु खाड़ी देशों में जाना पड़ता है और वहां जाने के लिए यातायात का साधन केवल एयरलाइन ही है। विदेशों में रहने वाले भारतीयों से एयर इंडिया पर्याप्त मात्रा में राजस्व अर्जित कर रही है। परन्तु दुर्भाग्यवश एयर इंडिया मनमाने ढंग से किराये में वृद्धि करती है।

इसी 15 दिसम्बर को एयर इंडिया ने कतर से भारत का विमान किराया बढ़ाने का निर्णय किया था। जैसे एयर इंडिया ने कतर से भारत का विमान किराया बढ़ाने का निर्णय लिया। अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों ने भी इसका अनुसरण किया। मैं यह नहीं जानता कि एयर इंडिया भारत वापिस आने वाले भारतीयों से अधिक धन उगाहने में सबसे आगे क्यों रहता है? अभी यह बढ़ोत्तरी कतर जैसे खाड़ी देश से शुरू करने की बात है अभी यह बढ़ोत्तरी कतर जैसे छोटे देश से शुरू की गयी है लेकिन बाद में संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, सऊदी अरब और अन्य जगहों से भी विमान किराया बढ़ाया जाएगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां रह रहे भारतीयों में से अस्सी प्रतिशत भारतीय श्रमिक के रूप में वहां काम रहे हैं और उनके विमान किराया का भार उनके नियोजक वहन नहीं करते हैं। अतः उन्हें अपने जेब से विमान किराया देना पड़ता है। एयर इंडिया के इस एकपक्षीय मनमाने और अस्वीकार्य निर्णय से खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों को अत्यधिक तंगहाली और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह एयर इंडिया को कतर से भारत विमान भाड़े में एकपक्षीय और मनमाना वृद्धि पर पुनर्विचार करने का निदेश दे।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : माननीय सभापति जी, हमारे उत्तराखंड क्षेत्र में इस समय वन विभाग के लगभग तीन हजार श्रमिकों की छंटनी पिछले एक साल के दौरान कर दी गई है जिसमें वन निगम के कर्मचारी भी शामिल हैं जो लगभग विगत 15-20 वर्षों से लगातार वन विभाग में सेवा करते आए हैं। उन श्रमिकों की छंटनी कर दिए जाने के विरोध में, आज वहां जबर्दस्त आन्दोलन चल रहा है, वे क्रमिक अनशन कर रहे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। वे सभी गरीब मजदूर हैं और छंटनी के कारण उनके सामने भुखमरी का सवाल पैदा हो गया है। इतना ही नहीं, जल निगम के लगभग 2000 श्रमिकों की भी यह कहकर छंटनी कर दी गई है कि जल निगम के पास उनका वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। इस तरह 15-15 सालों से काम करने वाले, उत्तर प्रदेश के वन विभाग, वन निगम और जल निगम के 5000 श्रमिकों की छंटनी हो जाने से, आज उनके परिवार भुखमरी का शिकार होने जा रहे हैं। जहां यह सरकार मजदूरों की सुरक्षा और उन्हें समाजिक न्याय देने की बात करती है, वहीं उत्तरांचल में श्रमिकों की छंटनी की जा रही है। जब संसदीय कार्य मंत्री जी ने इसका नोटिस लिया है, कल भी मैंने इस विषय पर चर्चा की थी, मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार तुरन्त हस्तक्षेप करे क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति राज है, उत्तर प्रदेश का शासन केन्द्र सरकार चला रही है, वह बात अलग है कि ऐसा कितने दिनों तक चलेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि सरकार की ओर से तुरन्त वहां के मजदूरों को भुखमरी से बचाने के संबंध में आवश्यक निर्देश जाने चाहिए। वे सभी गरीब मजदूर 10-10 और 15-15 सालों से 35 रुपए रोज की दिहाड़ी पर काम करते आ रहे थे। मेरी मांग है कि उनका बकाया वेतन अविलम्ब दिलाया जाए और उन्हें फिर से नियुक्त करने की कार्यवाही की जाए।

श्री निहाल चन्द चौहान (श्री गंगानगर) : सभापति महोदय, आपने मेरे इलाके के लाखों किसानों की आवाज संसद में उठाने का अवसर दिया, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र श्री गंगानगर में भारत-पाकिस्तान सीमा पर कई ऐसे इलाके हैं, जैसे टिब्बी, रावतसर, पीलीबंगा तहसील मुख्यालय आदि, जहां के किसानों की पूरी भूमि सेम की चपेट में, पानी के रिसाव की चपेट में आ गई है, जिससे वहां का किसान बर्बाद हो गया है। किसानों के मकान पानी से घिर गये हैं। राजस्थान सरकार ने इस समस्या के लिए आठ करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई है परन्तु वह बहुत कम है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि मेरे क्षेत्र के किसानों को बर्बादी से बचाने के लिए अविलम्ब 50 करोड़ रुपए की सहायता राशि अलग से राजस्थान सरकार को उपलब्ध कराए ताकि पानी के रिसाव को रोका जा सके और अलग से व्यवस्था करके पानी को एकत्रित किया जा सके। आपका पुनः धन्यवाद।

श्री तिलक राज सिंह (सिधी) : सभापति महोदय, आपने मुझे अपनी समस्या सदन में रखने का अवसर दिया, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मध्य प्रदेश के सम्पूर्ण सिधी जिले में इस वर्ष के अव्यवस्थित मानसून के कारण खरीफ एवं रबी की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है। सिधी जिले के अंतर्गत कई तहसीलों, जैसे चुरहट, रामपुर, नैकिन, सिंहावल, देवसर, गोपदबनास आदि के लोग मजदूरी के लिए प्रदेश के बाहर, बिहार एवं उत्तर प्रदेश की ओर पलायन कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि सिधी जिले को अकालग्रस्त जिला घोषित करके, केन्द्र एवं राज्य सरकार की ओर से वहां राहत कार्य खोले जाएं, अकाल से प्रभावित लोगों को तत्काल रोजगार दिलाया जाए और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार से कहा जाए कि वह इस वर्ष सिधी जिले के किसानों का लगान माफ करने की घोषणा करे।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : माननीय सभापति महोदय, जैसा कि आप जानते हैं हम नौवीं पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ करने जा रहे हैं। अभी तक चार दशकों में आठ पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित कर चुकने के बावजूद भी योजना कार्यक्रम के सबसे महान उद्देश्य अर्थात गरीबी और क्षेत्रीय असंतुलन के उन्मूलन को संतोषप्रद ढंग से पूरा नहीं किया जा सका है।

दूसरी ओर क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ाता जा रहा है। बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में गरीबी बढ़ती ही जा रही है। कतिपय राज्य चूंकि आवश्यक आंतरिक संसाधनों को सृजन नहीं कर पाते हैं फलतः ऐसे राज्य योजना आयोग और भारत सरकार द्वारा नियत योजना परिव्यय का उपयोग नहीं कर पाते हैं। हमारे देश में यह अत्यन्त ही हास्यास्पद और दुखद स्थिति व्याप्त है। हमारे देश में राष्ट्रीय एकता की अत्यधिक आवश्यकता है। लेकिन वस्तुतः आज यह संकट में है। गरीबी का उन्मूलन किए बिना और निरन्तर बढ़ते क्षेत्रीय असंतुलन पर अंकुश लगाए बिना, ऐसा करना संभव नहीं है, हम नौवीं पंचवर्षीय योजना शुरू करने जा रहे हैं और जैसा कि कल शाम समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि मंत्रिमंडल ने नौवीं योजा के दृष्टिकोण पत्र पर विचार किया है। चूंकि संसद सर्वोच्च और सम्प्रभु है अतएव यह आवश्यक है कि सरकार और योजना आयोग द्वारा योजना को अंतिम रूप देने से पूर्व इस दृष्टिकोण पत्र पर इस सभा में चर्चा की जाए। यह अत्यावश्यक है कि यह सभा नौवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र के विभिन्न पहलुओं पर विचार करे इस तरह से हमें अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर मिलेगा इससे सरकार को सही परिप्रेक्ष्य में योजना को अंतिम रूप देने में मदद मिलेगी। चूंकि संसदीय कार्य मंत्री अभी सभा में उपस्थित हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह संसद में इस विषय पर चर्चा करायें।

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर) : मैं इस सभा का ध्यान कृषि मंत्री द्वारा हाल ही में देश में कम अनाज उत्पादक क्षेत्रों के पहचान के लिए बुलायी गई बैठक की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह दुर्भाग्यजनक है कि बैठक में विशेषज्ञ समिति द्वारा जो मानचित्र पेश किया गया था उसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र को नहीं दर्शाया गया था।

आप जानते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं के अभाव के कारण यह क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस समिति ने, जिसके अध्यक्ष विख्यात कृषि वैज्ञानिक डा. एम.एस. स्वामीनाथन थे, जो मानचित्र पेश किया उसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र को नहीं दर्शाया गया है। पूर्वोत्तर उस मानचित्र में नहीं था। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से तत्काल यह जांच करने का आग्रह करता हूं कि इस प्रकार की उदासीनता क्यों प्रदर्शित की गई। यह चूक उस विशेषज्ञ समिति के द्वारा की गई है जो पूरे देश के लिए परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करती है।

श्री ए.सी. जोस. (इडुक्की) : मैंने भी नोटिस दिया था लेकिन मेरा नाम सूची में नहीं है।

सभापति महोदय : आपको इसके लिए अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : महोदय, असम के हैलाकान्डी जिले में हैलाकान्डी उप-डाक घर कई वर्षों से उपेक्षित है। पिछले पांच-छः वर्षों से वहां कर्मचारियों का अभाव चल रहा है। यह अपने सभी वित्तीय कार्यकलापों के लिए कछार जिला के सिल्चर डाकघर पर निर्भर है। हैलाकान्डी मेरे निर्वाचन क्षेत्र करीमगंज (सु.अ. जा.) का एक जिला है। इसमें तीन विधान सभा क्षेत्र सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र की आबादी पांच लाख है तथा इतनी बड़ी जनसंख्या की आवश्यकताओं को केवल एक उप डाक घर से पूरा नहीं किया जा सकता है।

महोदय, मैंने इस मुद्दे का शून्य काल में, नियम 377 के अन्तर्गत और अन्य संगत मंचों पर उठाने का प्रयास किया है ताकि इस उप डाकघर का डाकघर बना दिया जाए लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो सका है।

अतएवं मैं सरकार और विशेषरूप से संचार मंत्रालय से इस मामले को देखने और यथाशीघ्र हैलाकान्डी के उप डाकघर को डाकघर के रूप में प्रोन्नत करने का आग्रह करता हूं ताकि इस क्षेत्र की पांच लाख जनता की आकांक्षाएं पूरी हो सकें।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : माननीय सभापति जी, मैं इस विषय को कई दिनों से शून्य काल में उठाने की कोशिश कर रहा था। आज आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सबसे पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमारे प्रधानमंत्री जिन्हें धरती पुत्र की संज्ञा दी गयी है। उस धरती पुत्र के राज्य में...

सभापति महोदय : आपने अनुसूचित जाति के बारे में दिया है।. ..**(व्यवधान)** आपकी कांस्टीट्वैंसी में दो नौजवान मारे गये हैं, उसके बारे में आपने नोटिस दिया है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : मैं वही बता रहा हूं कि उन्हें धरती पुत्र की संज्ञा दी गयी है और उन्हीं के राज्य में बिहार के जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में हरिजन गरीब लोगों को भूस्वामियों द्वारा हत्या की गयी है।

सभापति महोदय : यह आपके राज्य का मामला है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : यह राज्य का मामला नहीं है, यह हरिजन का मामला है।

सभापति महोदय : हरिजन नहीं आप अनुसूचित जाति बोलिये।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : आप धैर्य से सुन लीजिए कि क्या हो रहा है। आप बिहार के रहने वाले हैं। आप हमारे बार्डर के निकट हैं। सवाल यह है कि जो खुलासगंज थाना पड़ता है उसमें डिहोरी गांव है। 15 तारीख को डिहोरी मठ के दो नौजवानों के घर से पकड़कर उनकी हत्या कर दी गयी। उनको चोरी के झूठे केस में फंसाकर उनकी हत्या कर दी गयी। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह की हत्यायें

वहां बराबर हो रहो हैं। कुछ दिन पहले उसी गांव के अंदर अर्जुन कहार जिसकी उम्र 24 साल थी उसको घर से पकड़कर उसकी गर्दन काट दी गयी। उसी गांव के अंदर एक राजा नाम का लड़का था, उसकी भी हत्या की गयी। इन दोनों हत्याओं में वहां के डी.एल.पी. सौरभ कुमार का हाथ है। उसने भूस्वामियों से पैसा लेकर केस को रफा दफा कर दिया है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि ये दोनों नवयुवक हम लोगों के समर्थक थे। उनकी हत्या इसलिए की गयी क्योंकि वह अपने स्वाभिमान पर टिके हुए थे। वह अपनी इज्जत आबरू को भूस्वामियों के हाथों से बरबाद नहीं होने देना चाहते थे। वह अपनी मजदूरी का हक मांगते थे। इसी कारण उन्होंने कहा तुम गांव के नेता बने हो, और दोनों को पकड़कर उनकी हत्या कर दी गयी। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि आप इनके माता-पिता को दो-दो लाख रुपये मुआवजे का दें तथा हत्यारों को सख्त से सख्त सजा दी जाय क्योंकि पुलिस के मेल से यह हत्या हो रही है। यही कहकर हम अपनी बात समाप्त करते हैं।

श्री सोहन वीर : मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश में बिजली की चोरी की ओर दिलाना चाहता हूं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री हजारिका जी, यदि सूची में आपका नाम होगा तो आपको भी अपना मुद्दा उठाने का अवसर दिया जाएगा। लेकिन तब तक के लिए आपको संयम से प्रतीक्षा करनी होगी।

श्री ए.सी. जोस (इदुक्की) : महोदय, मैं भी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं।

सभापति महोदय : जोस जी, यदि सूची में आपके नाम का उल्लेख नहीं है तो आपको कैसे अवसर दिया जा सकता है?

श्री ए.सी. जोस (इदुक्की) : महोदय, मैंने भी नोटिस दिया था।

सभापति महोदय : यदि आपने नोटिस दिया था तो हो सकता है इसे स्वीकार नहीं किया गया हो।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री जोस जी, आप कृपया समय नष्ट न करें और बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री सोहन वीर : सभापति जी, देश की 70 फीसदी जनता गांवों में रहती है और गांव में शाम के सात बजे से लेकर सुबह के सात बज तक बिजली नहीं होती। पशुओं का दूध निकालने का जो टाइम होता है उस टाइम बिजली नहीं होती जिससे दूध निकालने में बड़ी असुविधा होती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि गांव में नियमित रूप से शाम के सात बजे से लेकर सुबह के सात बजे तक बिजली रहनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि किसानों के ट्रांसफार्मर फुंक जाते हैं। इन ट्रांसफार्मरों के लिए उन्हें 6-6 महीने भागना पड़ता है। आप एक निश्चित समय तय करिये कि ट्रांसफार्मर फुंक जाने के 4-5 दिन या कितने दिन बाद ट्रांसफार्मर मिलेंगे। जो बिजली के अधिकारी हैं, वे ट्रांसफार्मर के ठेके अपने परिवार या अपने रिश्तेदार को दे रहे हैं जिससे ट्रांसफार्मर जल्दी फुंकते हैं। इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि वे सही क्वालिटी का बनायें। जो सरकारी अधिकारी हैं, जो फैक्टरीज हैं, वे बड़ी संख्या में बिजली की चोरी कर रहे हैं। अगर चोरी रोकी जायेगी तो किसानों को निश्चित रूप से बिजली उपलब्ध हो सकती है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि सरकार इस बिजली की चोरी को रोके ताकि गांवों में नियमित रूप से बिजली का संचालन हो।

[अनुवाद]

डा. बी.एन. रेड्डी (मिरयालगुडा) : मैं सरकार और विशेष रूप से गृह मंत्री का ध्यान हैदराबाद, तैलंगाना के स्वतंत्रता सेनानियों के लंबित पड़े मामलों की ओर दिलाना चाहूंगा। बहुत समय से हजारों मामले नहीं निपटाए गए हैं। ये सच्चे स्वतंत्रता सेनानी हैं तथा देश को आजादी का श्रेय इन्हीं को है। लेकिन उनकी उपेक्षा की जा रही है। यहां तक कि न्यायालयों ने भी स्वीकृति दे दी है तथा सरकार से इन मामलों को निपटाने के लिए कहा है। अभी भी लगभग दो हजार मामले लंबित पड़े हैं और इनमें से कुछ मामले जो पहले ही स्वीकृत हो चुके हैं, में भी सरकार उन्हें छात्रवृत्ति, पेंशन इत्यादि सुविधाएं जो उन्हें मिलने चाहिए थी, दे रही हैं।

अतएव मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सरकार को इन स्वतंत्रता सेनानियों के मामले को तत्काल निबटाने तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेश दें।

[हिन्दी]

प्रो. ओमपाल सिंह 'निडर' (जलेसर) : सभापति महोदय, मैं भारत सरकार का ध्यान दिल्ली एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो कंस्ट्रक्शन एंड डैवलपमैंट यूनिट की वर्कशॉप है, उसके 150 अधिकारी और कर्मचारी पिछले तीन साल से प्रमोशन के लिए तरस रहे हैं, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। दुर्भाग्य से दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आपने नोटिस सेल के संबंध में दिया है और बात एयरपोर्ट अथारिटी के बारे में कह रहे हैं।

प्रो. ओमपाल सिंह 'निडर' : यह वही है जो मैं बोल रहा हूं। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप यहां अधिकारियों की प्रमोशन का मामला उठा रहे हैं। उसके लिए चिट्ठी लिखिए।

प्रो. ओमपाल सिंह 'निडर' : उठाना पड़ेगा क्योंकि तीन साल हो गए हैं। उसके चेयरमैन और निदेशक अपने चहेतों के लिए, क्योंकि वे क्वालीफाइड नहीं हैं और उनका प्रमोशन नहीं हुआ, सबके प्रमोशन रोके हुए हैं।

सभापति महोदय : प्रमोशन वगैरह का मामला यहां पर नहीं उठता है। आपको इसे दूसरे जरिए से उठाना चाहिए था।

(व्यवधान)

प्रो. ओमपाल सिंह 'निडर' : यह किसी प्रांत, किसी जिले, किसी गांव का मामला नहीं है।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : ठीक है, अब हो गया। आप चिट्ठी लिखिए।

(व्यवधान)

श्री विजय गोयल (सदर-दिल्ली) **:** सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में जो कागज मिलें हैं, उनका अस्तित्व खतरे में है। कितनी ही मिलें बंद हो गई हैं और कितनी अन्य मिलें बंद होने के कगार पर हैं। कारण यह है कि बड़ी मात्रा में न्यूजप्रिंट अखबारी कागज को इम्पोर्ट किया गया है। मैं अखबारी कागज के इम्पोर्ट के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन जब बाहर से सस्ता न्यूजप्रिंट आएगा तो अपने देश में जो स्थानीय मिलें हैं, उनका तो बुरा हाल होना ही है।

अप्रैल 1996 से सितम्बर 1996 तक सवा दो लाख टन का इम्पोर्टेड कागज आया और न केवल वह न्यूजप्रिंट इम्पोर्ट किया गया बल्कि इम्पोर्टेड न्यूजप्रिंट की आड़ में बहुत सारे अन्य कागज यहां पर लाए जा रहे हैं। उसके कारण अपनी देसी मिलों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। सरकार को चाहिए कि इसके बदले अपने देश में जो मिलें हैं, जिन्होंने पिछले दो सालों में अपने उत्पादन को कई गुना बढ़ा लिया है, उनके ऊपर इक्साइज ड्यूटी वगैरह में रियायतें देकर उन्हें मिलों को प्रोत्साहन दें ताकि वे अपने देश में न्यूजप्रिंट को ज्यादा से ज्यादा अखबारी कागजों को दे सकें।

इसका संबंध मांग और पूर्ति से है। यदि अपने देश में प्रचुर मात्रा में कागज है तो उसके बाद बाहर से कागज मंगवाकर ज्यादा से ज्यादा फौरेन एक्सचेंज बाहर देने की बात है। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जर्मनी और यूरोपियन कम्युनिटी सैंटर के जो देश हैं, वे भी अपनी मांग और पूर्ति के हिसाब से कागज को इम्पोर्ट होने देना चाहते हैं।

इसलिए अंत में मैं सरकार का ध्यान दो बातों की तरफ दिला रहा हूं। जो कागज इम्पोर्ट किया जाए, वह एक्चुअल यूजर के लिए किया जाए। अप्रैल 1995 तक देश में यही पॉलिसी थी कि एक्चुअल यूजर को ही इम्पोर्ट करने दिया जाए। अगर आज कागज को ट्रेडिंग के लिए मंगाया गया तो आप समझिए कि देश की कागज मिलों को बहुत ज्यादा खस्ता हालत हो जाएगी। आज कागज मिलों में बहुत ह्यूज स्टॉक हो गया है। और जो सरकारी उपक्रम भी हैं, वह एच.पी.सी. की मिल है, चाहे वह तमिलनाडु मिल है या मैसूर पेपर मिल है, उन मिलों को भी आज बहुत खतरे का सामना करना पड़ रहा है और वे मिलें बन्द होने के कगार पर हैं। यही मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी. कोदंडा रमैया (चित्रदुर्ग) **:** माननीय सभापति महोदय, 16 तारीख के 'द इंडियन एक्सप्रेस' के मुखपृष्ठ पर एक समाचार प्रकाशित हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि गुप्तचर ब्यूरो ने एक वरिष्ठ अधिकारी को नौकरी छोड़ने तथा त्यागपत्र देने को कहा गया है। उन्हें त्यागपत्र देने के लिए विवश करने का कारण यह था कि वह कतिपय अन्य विदेशी मिशन के कर्मचारियों से मेलजोल करता हुआ पकड़ा गया और यह कि जवाबी-गुप्तचरी के संबंध में उनकी विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है।

यह अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा का 1964 बैच का अधिकारी है तथा सरकार उन्हें अत्यन्त उत्कृष्ट अधिकारी मानती है। उनका नाम उस सूची में शामिल किया गया होता जिससे भारत सरकार के अपर सचिवों की नियुक्ति की जाती है या वह नियमित पुलिस विभाग में पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त होते।

इस संबंध में दो बातें हैं। इंडियन एक्सप्रेस में उनकी बातें भी छपी हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि उसने अपने कतिपय निर्दिष्ट कर्त्तव्यों के निर्वाह के लिए अपने उच्च अधिकारियों को सूचना देने के पश्चात इन लोगों से भेंट की थी। इसके बावजूद भी उन्हें त्यागपत्र देने का निदेश दिया गया और तदनुसार उन्होंने अपने त्यागपत्र दिया।

महोदय, इस मामले में दो बातें कही जा रही हैं और देश की सुरक्षा के लिए यह अत्यन्त ही नाजुक मसला है। संबंधित अधिकारी ने अपनी बातें कह दी हैं लेकिन इस मामले में सरकार का क्या विचार है उसकी जानकारी हमें नहीं है। कल के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के सम्पादकीय में छपा है कि इस प्रकार के मसले किसी अधिकारी विशेष के विवेक पर नहीं छोड़ देना चाहिए बल्कि इसकी पूरी जांच पड़ताल की जानी चाहिए। इस सम्पादकीय में यह भी सुझाव दिया गया है कि एक जांच समिति बनाई जानी चाहिए जिसमें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और गुप्तचर ब्यूरो के अवकाश प्राप्त निदेशक तथा शोध एवं विश्लेषण विंग (रिसर्च एण्ड एनालिसिस विंग) के अवकाश प्राप्त सचिव को शामिल किया जाए। इन तीन व्यक्तियों को मिलाकर एक समिति गठित की जाए और यह आरोपों या जो भी सूचनाएं उनके पास हैं, उसकी गहराई से जांच करे। तभी, उस अधिकारी के विरूद्ध कुछ कार्रवाई की जा सकती है।

इस समय इस अधिकारी की नौकरी चली गई है। उसे कथित रूप से नौकरी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। यह उचित समय है जबकि सरकार इस मामले के महत्व को समझे। उस अधिकारी का त्यागपत्र स्वीकार करने से पहले एक समिति गठित की जानी चाहिए और मामले की छानबीन की जानी चाहिए।

सभापति महोदय : आपको किसी अधिकारी से संबंधित मामले को नहीं उठाना चाहिए। इस प्रकार के मामले यहां नहीं उठाए जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री पी. कोदंडा रमैया : महोदय मैं क्षमा चाहता हूं।

सभापति महोदय : मैंने कहा कि इस प्रकार के मामले यहां कभी नहीं उठाए गए।

श्री पी. कोदंडा रमैया : महोदय, यह राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित मामला है न कि किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित मामला है।

सभापति महोदय : सरकार के किसी अधिकारी या किसी सरकारी अभिकरण के कार्यकलाप पर यहां चर्चा नहीं की जाती है।

श्री पी. कोदंडा रमैया : महोदय, यह गुप्तचर गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है।

[हिन्दी]

श्री अशोक अर्गल (मुरैना) : सभापति महोदय, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में किसानों को समुचित बिजली नहीं मिल पा रही है। जब किसान खेती ही नहीं करेगा तो खाएगा क्या? किसानों को अन्नदाता भी कहा जाता है। मेरा सरकार से आग्रह है कि किसानों को 18 घंटे बिजली दी जाये। शहर की पानी की व्यवस्था भी काफी खराब हो रही है, बिजली समय पर नहीं मिला पा रही है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बिजली की व्यवस्था की जाये।

श्री नंदकुमार सिंह चौहान (खंडवा) : माननीय सभापति महोदय, इस संबंध में मेरी भी सूचना है। इसी विषय पर मेरी भी सूचना है।

सभापति महोदय: बोलिये।

श्री नंदकुमार सिंह चौहान : मध्य प्रदेश के किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, जिसके कारण आज मध्य प्रदेश में लाखों एकड़ गेहूं और चने की फसल सूखने के कगार पर है। रात के समय में बिजली मिलने के कारण किसान मजदूरी में रात में खेत में जाते हैं, जहां उसको 4-5 घंटे भी बड़ी मुश्किल से बिजली मिलती है। शीत के कारण कई किसान मौत के मुंह में जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में बिजली के इस संकट के कारण लाखों किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। लाखों क्विंटल गेहूं और चने की फसल मध्य प्रदश में इस साल कम उतरेगी। गेहूं और चने की फसल कम होने के कारण किसान की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और देश की अन्य व्यवस्थाएं भी चरमरा जाएंगी। मध्य प्रदेश में किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिले,

अपरान्ह 2.00 बजे

इसके लिए केन्द्र सरकार को अपनी ओर से पहल करनी चाहिए। मध्य प्रदेश के किसानों को भरपूर मात्रा में सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से अतिरिक्त बिजली मध्य प्रदेश सरकार को देने का प्रबंध करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका (तेजपुर) : सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान उस अत्यधिक संवेदनशील मसले की ओर दिलाना चाहता हूं जो असम की जनमानस को आंदोलित कर रहा है। मई में असम के कोकराझार जिले में प्रजातीय झड़पें हुईं। परिणामस्वरूप लगभग तीन लाख लोग बेघरबार हो गए तथा दो सौ लोग मारे गए। इन्हें कैम्पों में शरण दी गयी है। इन शरणार्थी कैम्पों में रखे गए लोगों में से कुछ ही अपने घरों को लौटे हैं।

अभी भी कोकराझार जिले के शरणार्थी कैम्पों में डेढ़ लाख लोग किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। इन लोगों के भोजन के लिए प्रतिदिन 17 लाख रुपये की आवश्यकता पड़ती है। असम सरकार पहले ही 28 लाख रुपये खर्च कर चुकी है। हमें लगता है कि केन्द्र सरकार अत्यधिक दरिद्रता और गंदगी में जीवन यापन कर रहे डेढ़ लाख जनजातीय लोगों के जीवन की दुर्दशा के प्रति पूर्णतया निष्ठुर और उदासीन है। दवाओं की कमी के कारण प्रतिदिन लोग मर रहे हैं क्योंकि वहां भोजन का उचित प्रबंध नहीं है।

साथ ही साथ राज्य सरकार भी अनुकूल माहौल बनाने में विशेष रूप से असफल रही है जिससे ये सभी लोग अपने गांवों में लौट पाते। सुरक्षा के समुचित प्रबन्ध और पुनर्वास के कोई उपाय नहीं किए गए हैं। यह बहुत ही गंभीर मसला है। हम लोग इस सभा में एक या दो या तीन व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले मामलों पर काफी लंबी चर्चा करते हैं। लेकिन यह मामला डेढ़ लाख व्यक्तियों से संबंधित है। इस मामले पर नियम 193 के अन्तर्गत अलग से चर्चा करना उपयुक्त होगा। यह मामला ऐसा है जिस पर अत्यधिक विस्तार से विचार किए जाने की आवश्यकता है, मैं जानता हूं कि आप मुझे केवल दो मिनट देंगे।

अतः मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि वह राज्य सरकार को तत्काल अनुदान दे जिससे कि शरणार्थियों को उचित भोजन, वस्त्र

और दवाईयां पहुचाई जा सकें। केन्द्र सरकार को राज्य सरकार को बेहतर सुरक्षा माहौल बनाने में मदद करनी चाहिए ताकि लोग यथाशीघ्र अपने गांवों को लौट सकें।

अपरान्ह 2.03 बजे

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इस क्षेत्र में सेना की कोई तैनाती नहीं है। निस्संदेह केन्द्रीय सुरक्षा बलों की 38 कंपनियां वहां हैं लेकिन यह बिल्कुल अपर्याप्त है। राज्य के इस भाग को छोड़ अन्य भागों में सेना तैनात है और इसका क्या कारण है यह तो सरकार को ही मालूम है। मेरे विचार में, प्रभावित इलाकों में सेना तैनात की जानी चाहिए और ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए कि लोग निर्भय होकर अपने अपने गांवों में लौट सकें।

पुनर्वास संबंधी विभिन्न उपाय तत्काल किए जाने चाहिए। अन्यथा, ये लोग कैम्पों में ही मर जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप यह निदेश दें कि सरकार इस क्षेत्र में स्थित कैम्पों का दौरा करने हेतु मंत्री को भेजे। यह सरकार के लिए अत्यन्त शर्म की बात है कि एक भी मंत्री ने असम राज्य के कोकराझार जिले में सात महीनों से कैम्पों में रह रहे शरणार्थियों की दुर्दशा का जायजा लेने का कष्ट नहीं किया।

[हिन्दी]

श्री रामशकल (राबर्ट्सगंज) : आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तीन सीमेंट फैक्टरियां, डाला, चुनार और चुरक चलाई जा रही हैं। इनमें काम करने वाले श्रमिकों को वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इसको लेकर वे लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा, उनको नए वेतनमान भी नहीं दिए जा रहे हैं। वहां का मजदूर भुखमरी के कगार पर है। प्रबंधकों की वजह से इन फैक्टरियों में करोड़ों रुपये के घोटाले हुए हैं। इस कारण तीनों फैक्टरियां बंद होने की स्थिति में आ गई हैं। मेरा निवेदन है कि इन मजदूरों को तीन महीने का वेतन दिया जाए और नए वेतनमान लागू किए जाएं। इसके साथ ही केन्द्र सरकार पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध कराकर इन फैक्टरियों को सुचारू रूप से चलाए।

***श्री के.एस. रायुडू** (नरसापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान आन्ध्र प्रदेश में हाल ही में आए उस चक्रवाती तूफान की ओर दिलाना चाहता हूं जिसकी विनाशलीला से सारा आंध्र प्रदेश बर्बाद हो गया। विभिन्न राजनैतिक दलों के विशिष्ट नेताओं ने चक्रवाती तूफान से प्रभावित क्षेत्रों का स्वयं दौरा करके राज्य को हुए नुकसान का स्वयं जायजा लिया। इस नुकसान से राज्य बर्बाद हो गया है। माननीय प्रधान मंत्री और माननीय विपक्ष के नेता ने जब तूफान प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया तो उनके आंखों में आंसू आ गए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। राज्य सरकार ने तूफान से हुए नुकसान का विस्तृत ब्यौरा दे दिया है। यह क्षति लगभग 6000 करोड़ रुपये की है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने 27 नवम्बर को एक चर्चा का उत्तर देते हुए कहा था कि आंध्र प्रदेश सरकार केन्द्र को तूफान से हुई क्षति के बारे में ज्ञापन दे चुकी है और केन्द्र सरकार क्षति का मूल्यांकन करने के लिए शीघ्र ही एक अध्ययन दल नियुक्त करने जा रही है। उन्होंने आगे कहा था कि केन्द्र सरकार केन्द्रीय दल की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही सहायता प्रदान कर सकती है। आज से लगभग एक महीना पूर्व केन्द्र सरकार ने यह वायदा किया था। वर्ष 1996 खत्म होने को है और हम वर्ष 1997 में प्रवेश करेंगे। यह सचमुच ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस भीषण प्राकृतिक आपदा के शिकार लोगों को जीवन बसर करने के लिए आवश्यक सहायता की इतने लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ रही है।

मैं सरकार से इस संबंध में वक्तव्य देने का निवेदन करता हूं कि अध्ययन दल द्वारा कब तक प्रतिवेदन दिए जाने की संभावना है, और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, और राज्य सरकार को दी जाने वाली सहायता की मात्रा क्या होगी और उसका स्वरूप क्या होगा? लोकसभा के शीतकालीन अधिवेशन का कल अंतिम दिन है, अतएव मैं सत्र की समाप्ति से पूर्व वक्तव्य देने की मांग करता हूं।

राज्य के लाखों तूफान प्रभावित लोगों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने का आपने मुझे जो अवसर दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : मुझे हर्ष है कि अंततः मुझे भी बोलने का अवसर मिला। जहाजरानी उद्योग में विद्यमान मंडी के कारण हिन्दुस्तान शिपयार्ड कंपनी से अत्यन्त ही प्रतिष्ठित और पहली जलपोत निर्माता कंपनी है, को भारी नुकसान हो रहा है। कोई ग्यारह वर्ष पहले इस कंपनी के प्रबंधन ने केन्द्र सरकार से इसके पुनर्गठन के लिए निवेदन किया था ताकि कंपनी चल सके। दुर्भाग्यवश, भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। हिन्दुस्तान शिपयार्ड कंपनी एक प्रतिष्ठित कंपनी है और पूरे विश्व में इसने ख्याति अर्जित की है। लेकिन अब इसकी हालत खराब है। यदि केन्द्र सरकार पुनर्गठन के लिए कोई कार्रवाई नहीं करती है या राजसहायता नहीं देती तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित एकमात्र जलपोत बनाने वाली कंपनी बंद हो जाएगी और इसके 20,000 श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे। इससे पूरे विश्व में भारत की छवि खराब होगी। मैं भूतल परिवहन मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वह कंपनी के पुनर्गठन के लिए तत्काल कार्रवाई करें और इसे राजसहायता भी दें जिससे नवजीवन का संचार हो सके। सरकार को इस ओर इसलिए भी ध्यान देना चाहिए कि 20,000 श्रमिकों का रोजगार न छिन जाए।

* मूलतः तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[हिन्दी]

श्री सुरेश आर. जादव (परभनी) : अध्यक्ष महोदय, संयुक्त मोर्चा सरकार में शामिल विभिन्न पार्टियों ने अपने-अपने चुनाव घोषणा पत्रों में बच्चों के ऊपर क्रूरता और जुल्म को मिटाने का वचन दिया था। बच्चों के ऊपर होने वाले इस अन्याय और क्रूरता को रोकने के लिए कानून बनाने की बात भी कही गई थी। इसके अलावा 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की घोषणा की थी।

हाल ही में सरकार ने यह घोषणा की है कि शिक्षा के ऊपर होने वाले व्यय का 6 प्रतिशत जी.डी.पी. तक बढ़ाया जाएगा और इस बढ़ाए हुए बजट का 50 प्रतिशत केवल प्रथमिक शिक्षा पर खर्च किया जाएगा।

आज हमारे देश में साढ़े पांच करोड़ से भी अधिक बच्चे बाल एवं बंधुआ मजदूरी के जुल्म का शिकार बने हुए हैं। ये बदनसीब और लाचार बच्चे कालीन और कांच तथा अन्य उद्योगों में गुलामी का जीवन बिता रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुंबई-उत्तर) : महोदय, मैं जानकारी पाने के लिए अत्यन्त उद्यत हूं। आपने कहा कि वक्तव्य देने में इसलिए देरी हो रही है कि इसे टाइप किया जा रहा है और इसमें कुछ समय लगेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वक्तव्य के समय प्रधान मंत्री जी भी सभा में उपस्थित रहेंगे। वक्तव्य के समय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति वांछनीय है क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और यदि प्रधानमंत्री जी यहां होंगे तो वक्तव्य से उभरे महत्वपूर्ण मुद्दों का वह जवाब दे सकेंगे। इसलिए यदि प्रधान मंत्री जी सभा में उपस्थित रहें तो बेहतर होगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी से उस समय सभा में उपस्थित होने का आग्रह किया जाना चाहिए।

श्री श्रीकांत जेना : इस समय प्रधान मंत्री दूसरे सदन में उपस्थित होंगे। इस सदन में गृह मंत्री वक्तव्य देंगे और उस समय प्रधान मंत्री राज्य सभा में होंगे।

श्री राम नाईक : यह एक महत्वपूर्ण मामला है। उन्हें यहां उपस्थित रहने को कहा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : यदि उस समय तक वह राज्य सभा में अपना वक्तव्य समाप्त कर लेते हैं। तब वह यहां आ सकते हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : इसमें कोई समस्या नहीं है। यदि वह वहां अपना वक्तव्य समाप्त कर लेते हैं। वह यहां आ सकते हैं।

क्या माननीय संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने इन साढ़े पांच करोड़ बेसहारा और बेजुबान बाल मजदूरों को मुक्त कराने तथा उन पर होने वाले जुल्म और क्रूरता को रोकने के लिए क्या नीति अपनाई है और उसके लिए वर्तमान वित्त वर्ष और आगामी नौवीं पंचवर्षीय योजना में क्या प्रावधान किया है?

प्राथमिक शिक्षा के बजट पर बढ़ाई हुई 50 प्रतिशत राशि में से बाल एवं बंधुआ मजदूर बच्चों की मुक्ति, पुनर्वास तथा उनकी शिक्षा पर वर्तमान बजट में कितनी धनराशि निर्धारित की है? देश में प्रचलित बाल एवं बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन करने के लिए सख्त कानून बनाने की प्रक्रिया पर सरकार की क्या नीति है? धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री रूप चन्द मुर्मू (झाड़ग्राम) : माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान सानताली भाषा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सानताली भाषा भारत की एक अच्छी भाषा है। भारत के लगभग 60 लाख से ज्यादा लोग सानताली भाषा बोलते और समझते हैं। केवल सानताली सम्प्रदाय के लोग ही नहीं बल्कि अन्य सम्प्रदाय के लोग भी इस भाषा में बोलते हैं। पश्चिम बंगाल में इस भाषा का दूसरा स्थान, उड़ीसा में तीसरा और बिहार में हिन्दी, मैथिली, भोजपुरी के बाद ही इसका स्थान है। भारत में इस भाषा का स्थान 18वां है।

महोदय, सानताली भाषा केवल अन्तर्देशीय नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है। नेपाल, भूटान, बंगलादेश में भी सानताली भाषा बोली और समझी जाती है। इस भाषा की स्क्रिप्ट भी है। साईंटिफिक डैवलप स्क्रिप्ट जिसको अलचिकी कहा जाता है। सानताल कम्यूनिटी के लोग इस भाषा को सर्वसम्मति से ग्रहण किए हुए हैं।

महोदय, पश्चिम बंगाल सरकार ने 1979 में इस अलचिकी को मंजूरी दे दी थी। बिहार में रांची और भागलपुर यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट स्तर तक सर्टिफिकेट कोर्स पढ़ाया जाता है। हर साल इसी भाषा में 75 से अधिक विभिन्न विषयों में किताबें और डेढ़ सौ से अधिक जनरल मैगिजन इसी भाषा में प्रकाशित होती हैं। इस काम में 300 से अधिक लेखक, कवि, नाट्यकार लगे हुए हैं लेकिन बहुत दुख है कि अभी तक सैंट्रल साहित्य अकादमी में इसका कोई स्थान नहीं है। संविधान में भी इसको कोई मान्यता नहीं दी गई है। सरकार से मेरी मांग है कि सानताली भाषा को तुरन्त भारतीय संविधान के शेड्यूल आठ में शामिल किया जाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आज की सूचनाएं दस भी मान्य होंगी। जिन सदस्यों को आज बोलने का मौका नहीं मिला उन्हें इसका अवसर कल मिलेगा। इसके लिए उन्हें अलग से सूचना देने की जरूरत नहीं होगी। मेरे पास वक्ताओं की सूची है और इस सूची से आज जिन्हें बोलने का अवसर नहीं मिला उनको कल बोलने दिया जाएगा।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : अध्यक्ष जी, जो कल एबसेन्ट होंगे उनको तो आज चांस दे दीजिए। स्पीकर साहब, बड़ी महत्वपूर्ण बात है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जब अध्यक्ष एक बार अपना विनिर्णय दे देता है तो आपको इस तरह से खड़ा नहीं होना चाहिए। यह ठीक नहीं है।

अपरान्ह 2.15 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अंतर्गत मामलों को लेते हैं।

[हिन्दी]

(एक) बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में जासूसी की बढ़ती हुई गतिविधियों को रोकने की लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह (मोतीहारी) : बिहार के सीमावर्ती जिले चम्पारण से किशनगंज तक लगी हुई बंगलादेश और नेपाल की सीमा पर पिछले कुछ वर्षों से विदेशी जासूसों की गतिविधियां बराबर जारी हैं, जो अब इस इलाके के जासूसों के अड्डों में बदलती जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में इसी सीमावर्ती क्षेत्र के काकड़मोठा नामक स्थान पर चार चीनी जासूस बंदी बनाये गये थे, इन्हीं इलाकों में अक्टूबर 1989 में एक फ्रांसीसी गुप्तचर मुस्जू राजा तथा श्रीलंका के जाफना निवासी सुधिया देलीरगह नामक गुप्तचर पकड़े गये। भारत बंगला देश सीमा के सोनधा फुलवारी तथा भारत नेपाल सीमा के खसौल, मीटामोड़ वेरगनिया, वहेड़ा, बहेड़ आदि स्थानों पर पाकिस्तानी एवं बंगलादेशी कतिपय गुप्तचर पकड़े गये। इन इलाकों में कई गुप्तचरों एवं तस्करों से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा और धनराशि बरामद की गई है।

महोदय, मेरा निवेदन है कि बिहार के नेपाल एवं बंगलादेश सीमावर्ती स्थानों को विदेशी जासूसों के अड्डों को रोकने के लिए, कड़ी कार्यवाही की जाए।

[अनुवाद]

(दो) दक्षिण पश्चिम जोन में गुंटाकल डिवीजन का बंगलौर के साथ मुख्यालय के रूप में प्रस्तावित विलय न किए जाने की आवश्यकता

श्री वेंकटरामी रेड्डी अनन्था (अनन्तपुर) : अध्यक्ष महोदय, गुंटाकल डिविजन 1977 ई. तक दक्षिण रेलवे में था। वर्ष 1977 के बाद गुंटाकल डिविजन को दक्षिण मध्य रेलवे के साथ संबद्ध कर दिया गया। इस डिविजन ने रायलसीमा क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गुंटाकल डिविजन को भाषाई लाभ, प्रशासन, और स्थलाकृति ग्राफी की दृष्टि से तथा रायलसीमा की जनता के वृहद हित को देखते हुए दक्षिण मध्य रेलवे में ही बना रहना जरूरी है। तेलुगु लोगों के बृहत्तर हित में गुंटाकल का दक्षिण मध्य रेलवे में बने रहने की जरूरत है। दूसरे धर्मावरम-हिन्दुपुर रेल खंड जो अब बंगलौर जोन के अन्तर्गत उसे भी गुंटाकल डिविजन का भाग बना देना चाहिए।

इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस क्षेत्र के लोगों के हितों की रक्षा करने हेतु गुंटाकल डिविजन को दक्षिण पश्चिम जोन जिसका मुख्यालय बंगलौर है, में प्रस्तावित विलय नहीं किया जाए।

(तीन) बांदा जिले के दस्यु प्रभावित क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को पर्याप्त धनराशि जारी किये जाने की आवश्यकता

श्री रामसजीवन (बांदा) : उत्तर प्रदेश के डाकूग्रस्त क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा 1985-86 में "विशेष समस्याग्रस्त क्षेत्रों में सड़कों" के निर्माण की योजना लागू की गयी थी। उससे कुछ जिलों में सड़कों के निर्माण हुए थे और डाकू समस्या हल करने में मदद मिली थी। परन्तु बांदा जिले में सड़कों के निर्माण हेतु पर्याप्त धन आवंटित नहीं किया गया और सड़कें निर्मित नहीं हुई जिस कारण से बांदा जिले में डाकुओं की समस्या लगातार गंभीर बनी हुई है और आम जनता का जीवन कष्टमय बना हुआ है। 1995-96 में इस योजना में केन्द्र और उ.प्र. राज्य सरकार द्वारा कोई धन ही नहीं दिया गया और निर्माण रूक गया है।

बांदा जिले में डाकूग्रस्त समस्या को हल करने हेतु सड़कों का निर्माण अति आवश्यक है जिससे पुलिस बल दूर दराज के गांवों बीहड़ एवं जंगली पर्वतीय इलाकों में शीघ्रता के साथ पहुंचकर सफलतापूर्वक कार्रवाई कर सकें। अतः इस योजना को शीघ्र लागू किया जाए।

केन्द्र सरकार, उ.प्र. सरकार से बांदा जिले से सड़कों के संशोधित प्रस्ताव मांगे और उन पर स्वीकृति देकर पर्याप्त धन अब मुक्त किया जाए। राज्य सरकार को अपने हिस्से का 50 प्रतिशत धन स्वीकृति/आवंटित करने हेतु प्रेषित किया जाए तथा निर्माण कार्य को शीघ्रता के साथ गति प्रदान की जाए।

(चार) भारी वाहनों की भार वहन क्षमता में वृद्धि करने हेतु मोटर वाहन अधिनियम, 1939 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : अध्यक्ष महोदय, माल ढुलाई क्षेत्र में सड़क द्वारा माल ढुलाई का प्रतिशत जहां गत पांच दशकों में चार गुना बढ़ा है, वहीं रेल के प्रतिशत में भारी कमी आई है लेकिन सड़क मार्गों के विकास व विस्तार की स्थिति देश की आवश्यकतानुसार नहीं हुई है। देश के विकास का रथ इसी कारण ठहर गया है। रेल वैगनों में माल ढोने की क्षमता बढ़ाने का जहां प्रस्ताव है, वहीं ट्रकों की क्षमता में कमी कर दी गई है। फलतः ढुलाई मंहगी होती जा रही है। सड़कों पर भारी वाहन चलाए जा रहे हैं लेकिन उनको चलाने के लिए ड्राइवरों के लिए भारी गाड़ी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने पर रोक है। मेरा प्रदेश पंजाब इसका उदाहरण है। प्रदेश में भारी उद्योगों की स्थापना, बड़ी सिंचाई परियोजनाओं व भारी मात्रा में खाद्यान्न की ढुलाई के कारण सड़क मार्ग में आज कमी आ गई है।

मेरी केन्द्रीय सरकार से गुजारिश है कि मोटर व्हीकल एक्ट में जरूरी अमैंडमैंट किया जाए और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ायी जाए।

(पांच) केरल में कोल्लम बाई-पास का दूसरा चरण शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कोल्लन बाईपास सड़क का निर्माण आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल एक परियोजना है। इसके चार चरण हैं। माइलाकाड से आयातिल तक परियोजना का पहला चरण 9 करोड़ रुपये खर्च करके पूरा किया जा चुका है। जब तक बाकी के तीन चरण पूरे नहीं कर लिए जाते हैं तब तक जो काम पूरा हो चुका है वह भी बेकार है।

अतः मैं जल भूतल परिवहन मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे उक्त कार्य को नौवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करें तथा उक्त कार्य के दूसरे चरण को अत्यधिक प्राथमिकता के साथ अगली वार्षिक योजना में भी शामिल करें।

(छह) असम में ब्रह्मपुत्र घाटी गवेषण परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर) : भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों जैसे कोयला, चूना पत्थर, तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार है। आजादी के बाद के पिछले 50 वर्षों में इन संसाधनों का अन्वेषण और प्रयोग करने के समुचित उद्यमिता की कमी के कारण यह क्षेत्र अविकसित रह गया है। असम के लोगों को मौजूदा छोटे-छोटे तेलशोधक कारखाने लगवाने के लिए आंदोलन करने पड़े थे। देश में सबसे पहले कच्चे तेल की खोज असम में ही अंग्रेजों ने की थी और लगभग एक शताब्दी पहले डिग्बोई में पहले तेलशोधक कारखाने की स्थापना की गई थी। एसोसिएटेड गैस तब से हो जल रहे हैं और इसका मूल्य अभी प्रतिदिन 3 करोड़ रुपये से अधिक है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केन्द्र सरकार ने प्राकृतिक गैस पर आधारित एक भी बृहत् उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी है। असम गैस क्रैकर परियोजना और अमगुरी विद्युत परियोजना को लगाने में देरी हो रही है क्योंकि ऑयल इंडिया लिमिटेड और तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने वायदे के मुताबिक प्राकृतिक गैस देने में असमर्थता जताई है, हालांकि अनेक गैस कूंओं का अन्वेषण किया जाना बाकी है। इसके अतिरिक्त, असम में पिछले चार दशकों में कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने या जल रहे गैस को बचाने या मुक्त गैस को एकत्र करने के लिए पर्याप्त निवेश नहीं किए गए हैं। यह आश्चर्यजनक है कि असम में तेल और गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए निवेश करने में पेट्रोलियम मंत्रालय अनिच्छुक है जबकि इसी समय पाइपलाइन से गैस और तेल के आयात पर सैकड़ों करोड़ रुपये व्यर्थ खर्च करने होंगे। ब्रह्मपुत्र घाटी अन्वेषण परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में लिया गया था लेकिन इसे सच्चे तौर पर क्रियान्वित नहीं किया गया। परिणामस्वरूप देश में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में जल्दी-जल्दी वृद्धि हो रही है।

इसलिए मैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र के तीव्र औद्योगिकीकरण के लिए केन्द्र सरकार से ब्रह्मपुत्र घाटी अन्वेषण परियोजना को शीघ्र पूरा करने और मुक्त गैस को एकत्र करने और उनके पर्याप्त अनुरक्षण के उपायों तथा गैस को आपराधिक रूप से जलाने को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का निवेदन करता हूं।

(सात) श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए बंद पड़ी मिलों को दुबारा चालू किए जाने की आवश्यकता

प्रो. ओमपाल सिंह 'निडर' (जलेसर) : अध्यक्ष महोदय, आज देश में उद्योग वैसे ही संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, लेकिन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आ जाने से भारतीय उद्योगों पर बुरा असर पड़ रहा है। कागज के क्षेत्र में नेपा मिल नेपा नगर और लैम्पस के क्षेत्र में हिन्द लैम्पस शिकोहाबाद जैसे प्रतिष्ठित कारखाने बंद पड़े हैं। दोनों स्थानों पर हजारों भुखमरी के कगार पर हैं। इन कारखानों और उद्योगों से जुड़े लगभग 50 हजार परिवार परेशानी से गुजर रहे हैं। इन उद्योगों से जुड़े मजदूरों और उनके परिवारों का भविष्य पूर्णतः अंधकारमय है।

अतः मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इन मेहनतकश लोगों और उनके आश्रितों के जीवन को समाप्त होने से बचाने के लिए इन बंद हुए बड़े उद्योगों को तुरंत चलवाया जाए।

अपरान्ह 2.26 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बारे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने संबंधी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले से उत्पन्न स्थिति के बारे में वक्तव्य देना चाहता हूं।

जब उत्तर प्रदेश में एक दल आवश्यक पूर्ण बहुमत को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सका तो ऐसी स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के मसले पर संसद के दोनों सदनों में विस्तार से चर्चा की गई और सरकार का यह दृढ़ मत है कि प्रजातांत्रिक परम्पराओं और प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रति वह प्रतिबद्ध हैं। उत्तर प्रदेश विधान सभा का चुनाव उस राज्य में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना के दृष्टि से किया गया था लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि कोई भी दल या गठबन्धन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्णय लगभग एक सप्ताह के गहन विचार-विमर्श के बाद किया गया था। स्पष्ट है इस निर्णय पर पहुंचने के लिए पर्याप्त समय दिया गया। जब राज्यपाल ने यह महसूस किया कि विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपनाए गए रूख, जिसमें कोई भी राजनीतिक दल या ग्रुप स्थायी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है या बिना संदिग्ध साधनों के उपयोग के वे बहुमत का समर्थन नहीं प्राप्त कर सकती हैं तो उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करने का निर्णय किया।

इस संदर्भ में इसका भी उल्लेख किया जा सकता है कि विधान सभा को इस आशा में स्थगित किया गया है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच आपसी समझ से एक बहुमत वाली सरकार का गठन हो जाएगा और इसमें अवांछित साधनों का उपयोग नहीं हो सकेगा। सरकार के इस निर्णय की संसद के दोनों सदनों में उस समय पुष्टि कर दी गई जब इसने 17 अक्टूबर 1996 को राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा के अनुमोदन के लिए रखे गए सरकार के संकल्प का अनुमोदन कर दिया।

जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में संविधान के अनुच्छेद 356 (1) के अन्तर्गत उद्घोषणा को चुनौती देने वाली अनेक याचिकाएं दायर की गई। सबसे पहले इन मामलों की सुनवाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने की। इसने 19 नवम्बर, 1996 को परस्पर विरोधी निर्णय दिया। इसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए एक पूर्ण पीठ का गठन कर दिया और 4 दिसम्बर, 1996 को सुनवाई शुरू हुई।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नव गठित पीठ ने आज अपने निर्णय में राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को अवैध करार दिया।

हालांकि, न्यायालय ने यह भी कहा है कि उनका आदेश सिर्फ 26 दिसम्बर 1996 से ही प्रभावी होगा। लेकिन सरकार को अभी तक निर्णय की प्रतिलिपि नहीं मिली है जिसके अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन राज्य में इसको समाप्त करने के प्रयास में हमें सभी राजनैतिक दलों का सहयोग चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई-उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष जी, यह स्टेटमैंट केवलमात्र मैटर ऑफ फैक्ट्स हैं, और कुछ नहीं है। गवर्नमैंट ने इसमें अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही है। उच्च-न्यायालय का जो फैसला हुआ है, उसका मूल भाव यह है कि धारा 356 निरस्त करके, पांच दिन में वहां एक जनप्रिय सरकार बनाई जानी चाहिए। पांच दिन का समय सरकार बनाने के लिए दिया गया है। अभी गृह मंत्री जी ने यहां जो बयान दिया, हमें लोग सुबह से जिसके लिए आश्वस्त थे, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा।

श्री रूप चन्द पाल (हुगली) : कहा है।

श्री प्रमोद महाजन : क्या कहा है?

श्री रूप चन्द पाल : उन्होंने कहा है कि जनप्रिय सरकार बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं।

श्री प्रमोद महाजन : यह बहुत निराशाजनक बयान है और ऐसा लगता है कि यह सरकार अभी भी स्थिति की गम्भीरता को समझ नहीं रही है। हमारी मांग है कि सरकार किसी और डिटेल में न जाकर, इस फैसले का जो औपरेटिव पार्ट है, उसके अनुसरण में भारतीय जनता पार्टी को बुलाकर सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करे।

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : अध्यक्ष जी, उच्च न्यायालय ने सर्व-सम्मति से अपना निर्णय दिया है जिसमें प्रेजीडैन्श्यल प्रोक्लेमेशन को निरस्त कर दिया गया है। प्रेजीडैन्श्यल प्रोक्लेमेशन आपने वहां के राज्यपाल की सिफारिश पर लगाया था। इसका अर्थ है कि उन्होंने जो तर्क और तथ्य इसके संबंध में दिए थे, उन्हें हाई कोर्ट ने नहीं माना। इससे दो बातें पैदा होती हैं। पहले तो आप यह बताइए कि इस समय उत्तर प्रदेश में सरकार क्या है, क्योंकि प्रेजिडैन्श्यल प्रोक्लेमेशन समाप्त हो गया है, जिसका अर्थ है कि वहां के गवर्नर के पास कोई ताकत नहीं है...**(व्यवधान)** आप देख लीजिए, उनके पास कांस्टीट्यूशनली कोई शक्ति नहीं है। गवर्नर के पास डैलीगेटिड पावर्स थी, राष्ट्रपति जी ने प्रेजीडैन्श्यल प्रोक्लेमेशन के तहत उन्हें कुछ अधिकार दिए थे कि आप उत्तर प्रदेश का शासन चलाइए लेकिन जब प्रोक्लेमेशन ही क्वैश हो गया तो अब गवर्नर के पास सत्ता चलाने की शक्ति है ही नहीं...**(व्यवधान)** इसलिए हाई कोर्ट के निर्णय के तुरन्त

पश्चात्, अब उत्तर प्रदेश में विधि-सम्मत सरकार बननी चाहिए, एकदम बननी चाहिए...**(व्यवधान)** जरूर बननी चाहिए...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : आप सरकार को न्यायालय से मिले 5 दिन का समय देने से इंकार कर न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध जा रहे हैं।...**(व्यवधान)** न्यायालय ने 26 तारीख तक का समय दिया है और आप यह समय नहीं देना चाहते हैं।...**(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : महोदय, इसमें संविधान से संबंधित व्यवस्था का प्रश्न है।...**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : आप सोच रहे हैं कि आज आप सबसे बड़ी ताकत हैं वस्तु स्थिति यही है।...**(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : नहीं, हम सबसे बड़ी ताकत नहीं हैं। मुद्दा यह है कि यह उद्घोषणा अब निष्प्रभावी है। आप कांस्टीट्यूशन पढ़ लीजिए। कोर्ट ने कहा है कि सरकार बनाने के लिए आपको पांच दिन का समय दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : जोशी जी, आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[अनुवाद]

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : महोदय मेरे भाषण में व्यवधान डाला जा रहा है। मुझे आपके संरक्षण की जरूरत है।

[हिन्दी]

धारा 356 के अंतर्गत जो प्रोक्लेमेशन था, उसे हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया गया है। अब उसके क्या नतीजे सरकार समझती है, कांसीक्वेंसेज क्या है।

[अनुवाद]

क्या विधि मंत्रालय ने इसकी जांच की है?

[अनुवाद]

श्री इंद्रजीत गुप्त : इसमें जांच के लिए क्या है?...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : हाई कोर्ट ने पांच दिन का समय, सरकार बनाने के लिए, इनीशियेट करने के लिए दिया है, प्रेजीडेन्स्यल प्रोक्लेमेशन को निरस्त करके पांच दिन का समय दिया है। यह इसलिए नहीं दिया कि प्रोक्लेमेशन वैलिड है।

यह इसलिए होता है कि आप इन पांच दिनों के अंदर फार्मेलिटीज को पूरा करें।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का प्रश्न है। क्या आप मुझे वह नियम बताएंगे?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, जो मुद्दे यहां पर उठाए जा रहे हैं, अगर गृह मंत्री कुछ तथ्यों को सामने रखते...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उच्च न्यायालय ने कहा है कि संसद के द्वारा राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन असंवैधानिक है। उच्च न्यायालय ने जो कहा है उसका मतलब यही है।

[हिन्दी]

अगर आपके पास है, तो बताइए।

[हिन्दी]

उच्च न्यायालय ने कहा है कि राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन असंवैधानिक था।

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : मैंने सिर्फ संविधान पढ़ना शुरू किया है। इससे पहले ही व्यवधान उपस्थित किया गया। मैं संविधान से पढ़ रहा था।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : ऐसे खड़े होने से क्या फायदा है, पहले सुनिए।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : क्या आपके पास निर्णय की प्रति है?...**(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालंदा) : मेरे पास निर्णय की प्रति नहीं है। लेकिन मेरे पास सूचना है।...**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : आपके पास आपकी सूचना है और आप तत्काल ही इसकी तह तक पहुंच गए।...**(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालंदा) : जी हां, मेरे पास सूचना है और मैं अपनी बात पर दृढ़ हूं।

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : पहले मुझे पूछने दीजिए कि गृह मंत्री के पास यह सूचना है या नहीं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : यह बिल्कुल उचित समय है जबकि उच्च न्यायालय ने यह कहा है।

अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न तो सुन लीजिए। ...**(व्यवधान)**

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बहरामपुर) (पश्चिम बंगाल) : संसद को उद्घोषणा संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। मेरे मित्र जो कह रहे हैं वह ठीक नहीं है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें सदन में बोलने का अवसर दिया है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आज जब हाइकोर्ट ने इस बात का ऐलान किया है कि इस पार्लियामेंट ने यहां जिस प्रस्ताव को पारित किया था, जिसको सरकार यहां पर लाई थी, वह अनकांस्टीट्यूशनल है। अब जब वह अनकांस्टीट्यूशनल है, तो उसका अर्थ है कि उत्तर प्रदेश में जो शासन चल रहा है, वह उसी क्षण समाप्त हो गया।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : जरा बुद्धि का प्रयोग करें।... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

डा. मुरली मनोहर जोशी : मैं भी यही बात कह रहा हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उच्च न्यायालय का निर्णय तो मेरे पास भी नहीं है परन्तु इसकी मुझे जानकारी है। मैं अपनी सूचना पर कायम हूं। मैं सभा को गुमराह नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप उनकी बात क्यों नहीं सुनते? मैं इस पर अपना विनिर्णय दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, बैठ जाइए। श्री जार्ज फर्नांडीज ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री सनिल बसु (आरामबाग) : क्या यह उच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में है?

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, हमें उनकी बात सुननी चाहिए। इस पर विनिर्णय देना मेरा कार्य है। कृपया जल्दी कीजिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मेरा यह कहना है कि इस सदन में जब यह प्रस्ताव आया था तब धारा 356 (5) के अंतर्गत हम में से अनेक लोगों ने यह तर्क रखा था कि हमें राष्ट्रपति शासन को एक साल से आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने आज यह बात कही है कि हम लोगों का यह जो फैसला था यह अनकांस्टीट्यूशनल था कि हम यहां से धारा 356 (5) के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की अवधि को एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ा सकते हैं। हाईकोर्ट ने आज उस बात को सही कहा है।

अब दो बातें आती हैं, एक तो सरकार ने यह भूमिका ली कि सही कर रहे हैं जिसको अनकांस्टीट्यूशनल कहा। यह ऐसी कोई मामूली चीज नहीं है। संविधान के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। आप शपथ ले चुके हैं कि हम संविधान के मुताबिक यहां पर राज करेंगे। राष्ट्रपति के ऊपर यह दायित्व है और राष्ट्रपति के दायित्व का मतलब प्रधान मंत्री या गृह मंत्री के ऊपर इसका दायित्व है। ये लोग अपने दायित्व को सही ढंग से निभा लें, इसलिए अटार्नी जनरल है।

इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि कहां से इनको सलाह मिली थी। इन लोगों का धारा 356(6) के बारे में अर्थ लगाने की जो बात हुई थी, यह सलाह उनको कहां से मिली थी क्योंकि आज अदालत ने जब यह कह दिया कि यह सदन ने गलत काम किया तो वहां हमारा दूसरा मुद्दा आता है। अगर सारे सदन ने मिलकर उस प्रस्ताव को पारित करने में असंवैधानिक काम किया तो आज उसका अर्थ क्या होता है? इस सदन के लिए उसका क्या अर्थ होता है और उत्तर प्रदेश के लिए उसका क्या अर्थ होता है। मेरा यह कहना है कि जिस क्षण जब यह जजमैंट आया, सुबह साढ़े दस या जिस समय भी यह जजमैंट आया, हम लोगों का जो समर्थन वाला प्रस्ताव था वह अवैध हो गया और जब प्रस्ताव अवैध हो गया तो राष्ट्रपति शासन वहां पर अवैध है। यह बात स्पष्ट हो चुकी है। मैं यह सवाल इसलिए कर रहा हूं।... **(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, उन्हें यह नहीं मालूम कि संविधान की धारा पर प्वांइट ऑफ आर्डर है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जार्ज जी, आपने अपनी बात कह दी।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरा आखिरी मुद्दा यह है कि जब यह बात स्पष्ट है कि असंवैधानिक काम हुआ है। जब अदालत ने कह दिया तो फिर वहां कब बुलायेंगे, पांच दिन का समय है, यह सारी बहस फिजूल है। हमारी यह मांग है कि तत्काल वहां पर संवैधानिक ढंग से सरकार बनाने के लिए कदम उठाना चाहिए। इसके लिए एक क्षण भी नहीं रुका जाना चाहिए और जो सबसे बड़ी पार्टी है उसे बुलाकर सरकार वहां पर बनायें। इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए।

[अनुवाद]

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) : अध्यक्ष महोदय ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हम विषय-संख्या 17 पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम तो मंत्री जी के वक्तव्य के बारे में विचार-विमर्श कर रहे हैं।

जस्टिस गुमान मल लोढा : महोदय, मैं उनकी बात को पूरा करना चाहता हूं क्योंकि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री फातमी को बुलाया है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : जार्ज साहब ने जो अपील दायर की कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में एक साल से ज्यादा शासन चला। मैं यह कहना चाहता हूं कि कश्मीर के अंदर कितने साल प्रैजीडैंट रूल चला।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनके व्यवस्था के प्रश्न को अमान्य कर दिया है।

श्री गुलाम रसूल कार (बारामूला) : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि धारा 356 के बारे में सरकार गलत अख्तियार का इस्तेमाल करती है। मैं औपोजीशन के साथ सहमत हूं कि धारा 356 का इस्तेमाल बार-बार गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। कश्मीर सात साल तक प्रैजीडैंट रूल के तहत रगड़ा गया। हाई कोर्ट ने इस धारा के बारे में अब आर्डर दे दिया है। जो प्रोक्लेमेशन निकला है, उसने उसे रद्द किया है। अब यह देखना है कि किस बुनियाद पर वह रद्द हुआ है। प्रोक्लेमेशन निकलने में कौन सी गलतियां हो गई। यह तो कानून है, टैक्नीक है। इसे सरकार भी दुरस्त कर सकती है। प्रोक्लेमेशन निकल सकता है या उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है। यह सवाल कहां पैदा होता है कि हाई कोर्ट ने फैसला किया और कातिल को फांसी दे दी कातिल को फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का हक है। लिहाजा आप इस पर अपनी रूलिंग दे दीजिए।

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, हम इस विषय के तीन अलग-अलग पहलुओं पर विचार कर रहे हैं, मैं इस चर्चा को आसान बनाने के लिए इनमें अन्तर स्पष्ट करना चाहता हूं। इनमें से एक मुद्दा उत्तर प्रदेश से संबंधित विशेष कानून के बारे में है जो कि मद संख्या 17 के अन्तर्गत आज की कार्य सूची में शामिल है।

अभी हमें इस पर विचार करना है। दूसरा पहलू इलाहाबाद उच्च-न्यायालय के आज सुबह के निर्णय के बारे में है जिसने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि हम आपकी अनुमति से सरकार से इस निर्णय पर उसकी प्रतिक्रिया के बारे में वक्तव्य मांग रहे हैं। तीसरा पहलू सरकार की प्रतिक्रिया के संबंध में है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर अभी चर्चा होनी है और मैं समझता हूं कि इलाहाबाद उच्च-न्यायालय ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है और दूसरा पहलू यह है कि यदि सरकार ने अपने वक्तव्य में इस विषय को कोई महत्व नहीं दिया तो यह बड़ी गम्भीर त्रुटि होगी। इस विषय के अन्तर्गत इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो कुछ कहा है उसका उल्लेख किया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के अनुमोदन के संबंध में संसद ने जो निर्णय लिया है वह असंवैधानिक है ...**(व्यवधान)**

श्री रूप चन्द्र पाल : उन्होंने भी यही कहा हैं।

श्री जसवंत सिंह : यह बड़ा गम्भीर मामला हैं। उन्होंने भी यही बात कही है। यह बहुत ही गम्भीर मामला है।

महोदय, मैं विषय संख्या 17 की बात नहीं कर रहा हूं। मैं दूसरे पहलू की चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं इलाहबाद उच्च न्यायालय के निर्णय की बात कर रहा हूं जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन को वैध ठहराने के लिए संसद ने जो निर्णय लिया है वह संवैधानिक नहीं है। यह बड़ा गम्भीर मामला है। हमें भी यही उम्मीद थी। मुझे इस बात की खुशी है ...**(व्यवधान)** मेरे विचार से जिस विषय पर चर्चा हो रही है यह राजनीतिक मतभेद से परे है। मुझे इस बात का आश्चर्य नहीं है कि मेरे वामपंथी सहयोगी मध्याह्न भोजन के पश्चात इस मुद्दे पर हमारी बात को कम महत्व देने के लिए तैयार होकर आए हैं अन्यथा वे हमारी बात से सहमत हैं...**(व्यवधान)** वे इस मुद्दे पर राजी हैं।

श्री रूप चन्द पाल : जी हां। हम इस मुद्दे पर सहमत हैं।

श्री जसवंत सिंह : मुझे इस बात की प्रसन्नता है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, हम सूचना के रूप में मध्याह्न भोजन के बिना भी इस बात से सहमत हैं।

श्री जसवंत सिंह : मुझे इस बात की खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अनुच्छेद 356 के मुद्दे पर आप हमारा साथ दे रहे हैं। ...**(व्यवधान)** अनुच्छेद 356 के मुद्दे पर आप हमारे साथ हैं अथवा नहीं?

श्री रूप चन्द पाल : हम हमेशा आपके साथ नहीं रहे हैं। हमने कभी नहीं चाहा कि किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 लागू किया जाए।

श्री जसवंत सिंह : यह बड़ी अच्छी बात है। मैं यही जानना चाहता था।

श्री रूप चन्द पाल : परन्तु कुछ विशेष परिस्थितियों में इस अनुच्छेद को लागू करना पड़ा है क्योंकि आप विधायकों की

खरीद-फरोख्त कर रहे हो इसके बिना आप सरकार नहीं बना सकते हो ...**(व्यवधान)**

श्री जसवंत सिंह : मेरे विचार से आपने मेरी बात को बल दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आपने अपनी बात स्पष्ट कर दी है।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, सभा में इस बात पर चर्चा हो रही है और जैसा कि मेरा विश्वास है कि यदि इलाहाबाद उच्च-न्यायालय ने कहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के संबंध में संसद का निर्णय असंवैधानिक है तो यह बहुत ही गम्भीर बात है। हम इस पर सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। मेरे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज जब हमारी बात कहते हैं तो उनका मतलब इस मुद्दे के दूसरे पहलू से होता है। दूसरा पहलू यह है कि यदि संसद का निर्णय असंवैधानिक है तो राज्यपाल का बना रहना और अन्य बातें भी असंवैधानिक है यह एक व्यावहारिक पहलू है। यह सब उसी का परिणाम है। परन्तु सरकार ने इस निर्णय की गम्भीरता को पूरी तरह नकार दिया है और हमारी यही शिकायत है। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मुझे निर्णय पढ़ने की अनुमति दीजिए ताकि चर्चा सार्थक हो सके ...**(व्यवधान)** महोदय, मैं चाहता हूं कि चर्चा सार्थक हो। इसलिए मैं इस निर्णय को पढ़ूंगा। ...**(व्यवधान)**

जस्टिस गुमान मल लोढा : महोदय, इस पर निर्णय देने से पहले कृपया हमारी बात सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं निर्णय नहीं दे रहा हूं।

जस्टिस गुमान मल लोढा : यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय देने से पहले ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस मामले पर चर्चा मत कीजिए। मैं इस मामले को समझता ही नहीं हूं।

जस्टिस गुमान मल लोढा : महोदय, आप इस मामले को समझते हो।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा क्यों समझते हैं?

जस्टिस गुमान मल लोढा : परन्तु हमें इस मामले को समझना है। इसलिए आप हमें इसकी अनुमति दीजिए। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जस्टिस लोढा, आप हर बार इसी प्रकार खड़े हो जाते हो। यह अच्छी बात नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

जस्टिस गुमान मल लोढा : महोदय, आप हमें इसकी अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया, बैठ जाइए।

जस्टिस गुमान मल लोढा : आप इस मामले का जिक्र कैसे कर सकते हैं?....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जस्टिस लोढा, मैं कहता हूं कि कृपया आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप किस किस्म के सदस्य हैं?

(व्यवधान)

जस्टिस गुमान मल लोढा : महोदय, आप मुझे अपनी राय व्यक्त करने की अनुमति दीजिए। आप अपना निर्णय नहीं दे सकते ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सदस्य पीठासीन अधिकारी का सम्मान नहीं कर रहे हैं। मुझे इसका खेद है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जस्टिस लोढा आप पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं मेरे विचार से आपका व्यवहार अन्य लोगों से बेहतर होना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको अन्य लोगों से बेहतर होना चाहिए और उनका पथप्रदर्शन करना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात से सहमत हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और इस संबंध में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि बताया जाता है कि उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के संबंध में संसद की कार्यवाही और संसद द्वारा इसकी अभिपुष्टि असंवैधानिक है। यह बड़ा गम्भीर मामला है। मैं समझता हूं कि सभा को इस पर विचार करना चाहिए। परन्तु डा. जोशी के हिसाब से इस निर्णय के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नहीं है, उनका ऐसा कहना सही नहीं है क्योंकि गृह मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि यह निर्णय 26 दिसम्बर से लागू होगा। यह विशेष बात है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं। शेष बातें आप कह सकते हैं। इस मामले में हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, इस बात पर बार-बार टोका गया, इसलिए मैं जाकर पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में आपकी जो पी. टी.आई. की खबरें आती हैं, उसमें जो रखा है, उसको मैं ले आया हूं। ...**(व्यवधान)** अध्यक्ष जी, अब अगर लखनऊ से इस जजमेंट के बारे में पी.टी.आई. से दी हुई खबर के बारे में लोगों को है-है करना है तो मुझे बहुत अफसोस है। यहां रोज अखबार लेकर सुबह आकर लोग नाचते हैं और आज एक अहम् सवाल पर यहां पर यह बहस छेड़ी जा रही है तो है-है हो रहा है। यह मजाक नहीं होना चाहिए। यह लखनऊ की खबर है। ...**(व्यवधान)**

श्री रूप चन्द पाल : आप नाचते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह लेंग्वेज ठीक नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप क्यों इतना उनके बचाव में खड़े हो जाते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। ...**(व्यवधान)**

लखनऊ, 19 दिसम्बर, पी.टी.आई. के हवाले से कहा गया है :

> "कि आज इलाहाबाद उच्च-न्यायालय की पूर्ण खंडपीठ के प्रत्येक सदस्य ने एक ऐतिहासिक फैसले में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने संबंधी अधिसूचना को अवैध घोषित कर दिया। यह निर्णय तीन सदस्यों की खंडपीठ ने, जिसमें न्यायाधीश बी.एम. लाल, न्यायाधीश बृजेश कुमार तथा न्यायाधीश मार्कन्डेय कुत्जू शामिल हैं, सर्वसम्मति से किया। विशेष खंडपीठ ने यह भी निर्णय दिया कि संसद द्वारा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अभिपुष्टि भी असंवैधानिक है।"

आगे यह बताया गया है

> "कि खंडपीठ ने कहा है कि इस संबंध में आदेश 26 दिसम्बर से लागू होगा।"

महोदय, प्रश्न यह है कि यह आदेश 26 दिसम्बर से प्रभावी होगा परन्तु सच्चाई यह है कि हमने असंवैधानिक कार्य किया है। इसमें परिवर्तन नहीं होता है।

यदि विधि विद्वानों का यह तर्क है कि इसमें भी परिवर्तन होता है तो मैं उनसे असहमत नहीं हूं परन्तु सम्मानपूर्वक उन्हें यह बताना चाहता हूं कि वे पहले की मूल क्री पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं। मेरा यह सुझाव है कि अनुच्छेद 356 के बावजूद भी इस संकल्प को क्यों पारित किया गया है। मुझे उम्मीद है कि यह सभा विशेषतः आप इस पहलू पर विचार करेंगे क्योंकि आप और हम संविधान के रक्षक हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला (पुन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, आपने बिल्कुल सही कहा है कि यह आदेश इस माह की 26 तारीख से लागू होगा। तात्पर्य यह है कि जब तक सरकार इस आदेश को रद्द नहीं करेगी तब तक वहां राष्ट्रपति शासन रहेगा। यह एक अलग बात है। परन्तु वर्तमान स्थिति यह है कि हमें प्रत्येक बार वहां विद्यमान स्थिति के बारे में बताया गया है। इस समय वहां राष्ट्रपति शासन लागू है और इसलिए व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। इसलिए संसद पर मद संख्या 17 के अन्तर्गत सूचीबद्ध विषयों पर चर्चा करने के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं है। यह भी इस विषय का एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि हमें इस बात पर विचार करना होगा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले पर गम्भीरता से विचार किया है और स्पष्ट तौर पर कहा कि यह आदेश उस माह की 26 तारीख से लागू होगा। सभा में हम में से कुछ पक्षों के लोग इस संबंध में तत्काल प्रतिक्रिया की मांग कर रहे हैं। न्यायालय ने भी तत्काल प्रतिक्रिया नहीं मांगी थी। न्यायालय ने भी यह महसूस किया कि यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर सरकार द्वारा तत्काल प्रतिक्रिया की जा सके। न्यायालय ने भी इसके लिए समय दिया है। इसके अतिरिक्त सरकार के अधिवक्ताओं ने उच्चतम न्यायालय में जाने के लिए समय मांगा है।

इस पर न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय में जाने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। इसलिए उद्घोषणा की संवैधानिकता अथवा असंवैधानिकता से संबंधित मामला अभी निपटा नहीं है। जब ऐसे महत्वपूर्ण मामले में खंडपीठ के दो न्यायाधीशों के विचारों में मतभेद था तभी तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ का गठन किया गया था। जब इतना महत्वपूर्ण मामला है तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह हमारे देश की लोकतांत्रिक परम्पराओं को कायम रखने हेतु निर्देश प्राप्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय में जाए। देश की लोकतांत्रिक परम्पराओं को बनाए रखने के लिए यह मामला उच्चतम न्यायालय द्वारा हमेशा के लिए निपटाया जाना चाहिए।

जहां तक इस सभा का संबंध है, यह आदेश अभी लागू नहीं हुआ है इसलिए हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं।

श्री शिवराज वी. पाटिल (लातूर) : महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। यह मामला उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने तथा इसके अनुमोदन हेतु संकल्प पारित करने संबंधी संसद के अधिकार से संबंधित है।

कुछ माननीय सदस्यों ने इन अलग-अलग मुद्दों को बड़े उचित ढंग से उठाया है। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि क्या इस निकाय को-जो देश की सर्वोच्च संस्था है- निर्णय की प्रति के बिना ही इस मामले पर विचार करना चाहिए क्योंकि यदि हम न्यायपालिका के निर्णय के पूरी तरह समझे बिना ही कुछ कह दें तो यह हमारी भूल होगी और यदि हम गलती करते हैं तो इससे अच्छा संदेश नहीं जाएगा।

एक तरफ तो कुछ लोगों का मत है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए अथवा नहीं, राज्यपाल का स्थिति आकलन सही था अथवा नहीं तथा किसी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए था अथवा नहीं, ये ऐसे मामले हैं जिन

पर किसी के अपने विचार हो सकते हैं और ये विचार गम्भीर भी हो सकते हैं। परन्तु जब न्यायपालिका द्वारा संकल्प पारित करने संबंधी संसद के अधिकार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है तो इस मामले पर बड़ी सावधानी से विचार किया जाना चाहिए और यह देखना चाहिए कि यह कार्यवाही उचित है अथवा नहीं। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण मामले पर पूरे निर्णय पर गौर किए बिना ही विचार-विमर्श नहीं किया जाना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्यों ने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। इसमें कोई संदेह नहीं है। मिली-जुली राजनीति की दृष्टि से किसी भी राज्य में ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए हमें जल्दबाजी में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए अथवा ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिस से यह मामला और जटिल बने क्योंकि हम इस मामले को यहां नहीं सुलझा सकते हैं। दूसरी तरह जहां तक न्यायपालिका के निर्णय का संबंध है, यह सरकार को सोचना है कि वह इसके लिए उच्चतम न्यायालय में जाएगी अथवा नहीं। परन्तु यह उच्चतम न्यायालय अर्थात सर्वोच्च मंच में जाने का अच्छा अवसर है तथा इस मामले में सर्वोच्च न्याय प्राधिकरण की राय लेना ही उचित है।

अपने पास उपलब्ध सूचना के आधार पर मैं समझता हूं कि एक प्रश्न यह भी है कि क्या दूसरी बार उद्घोषणा की जा सकती है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता परन्तु उस पक्ष के मेरे सहयोगी मुझसे बेहतर जानते हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान के अनुच्छेद 356 (5) की सही व्याख्या क्या है? एक वर्ष की अवधि के बाद यह कहना कठिन है कि उद्घोषणा समाप्त कर दी जाएगी अथवा समाप्त हो जाएगी और उसके बाद दूसरी उद्घोषणा की जाएगी।

मध्याह्न 3.00 बजे

तुरंत राय देना बहुत कठिन है। इस मायने में हमारी राय भी अंतिम नहीं है कि न्यायिक मत, सर्वोच्च न्यायालय का मत मान्य होगा। इसलिए जैसा कि मैंने कहा यह मामला ऐसा है जिसमें हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अपने मित्रों से मेरा यह अनुरोध है कि यदि आप यह समझते हैं कि यदि आप सरकार बनाने के हकदार हैं अथवा उसके साथ अथवा उनके बिना अकेले ही सरकार बना सकते हैं तो यह बात उनकी तरफ से कही जानी चाहिए। आपको उस स्थिति का पता लगाना होगा। मैं किसी के पक्ष की बात नहीं कर रहा। लेकिन जार्ज फर्नान्डीज क्या कहते हैं, हां, यह साफ तौर पर असंवैधानिक हुआ है इसलिए इसे रद्द कर दिया गया है और यदि यह संवैधानिक होता तो इसे रद्द नहीं किया जाता। लेकिन इसे असंवैधानिकता की उस घोषणा पर भी न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है।

श्री जसवंत सिंह : न्यायालय ने रोक नहीं लगाई है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : न्यायालय ने कहा है- 'इसे 26 तारीख से अलग किया जाएगा।' इसलिए जसवंत सिंह जी हमें शब्दों को लेकर बखेड़ा नही खड़ा करना चाहिए। मुझे आपकी हाल की हवाई यात्रा के बारे में जानकारी नहीं है।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मुझे इस बात का विश्वास है कि एक प्रतिष्ठित बैरिस्टर के रूप में उन्हें 'रोक लगा दी है' और 'रोक नहीं लगाई है' के बीच अंतर पता होगा। मैं शब्दों के बारे में बखेड़ा खड़ा नहीं कर रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय मेरी तथाकथित प्रमुखता के बारे में उनकी राय को मैं विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। मैंने कहा, 'इसलिए मैं जानता हूं। महोदय, श्री शिवराज वी. पाटिल ने ठीक ही कहा है कि हम इसकी प्रतीक्षा कर सकते हैं। आज कुछ भी नहीं किया जा सकता अथवा नहीं किया जाना चाहिए। यह एक गंभीर मामला है। कोई भी इसमें असफल हो सकता है। मुझे नहीं पता कि जब आप यहां आते हैं तो क्या होगा। हो सकता है अनुच्छेद 356 आपका रोजमर्रा का काम हो जाए। कोई नहीं जानता। इसलिए हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। उपदेश देने के दिन लद गए। हम इस बात को नहीं भूल सकते कि आपने किस तरह उन 13 दिनों का दुरूपयोग किया है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : हम भी जानते हैं कि आप कैसे पश्चिम बंगाल में इतने दिनों से दुरूपयोग करते आ रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : धन्यवाद। इसलिए आपने कुछ तो सीखा है। महोदय, इस मामले की गंभीरता के कारण, प्रश्न की गंभीरता और भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति के दुर्भाग्यकारी खतरे के कारण हमें कम से कम निर्णय आने तक प्रतीक्षाण करनी चाहिए। किसी भी स्थिति में, भले ही हम चाहें अथवा न चाहें, अत्यंत प्रमुख सदस्य श्री शिवराज पाटिल ने एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है अर्थात सरकार के विभिन्न अंगों के बीच संबंधों का प्रश्न। आज यह कहना मुश्किल है कि कौन कहां अतिक्रमण कर रहा है। जो कुछ भी बात हम निजी तौर पर कहते हैं हम उसे हमेशा सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकते।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : यह प्रश्न पहली बार नहीं उठाया गया है। इस प्रश्न का निपटारा किया जा चुका है। यह निर्णय न्यायालय को करना है कि क्या सभा ने संवैधानिक तरीके से काम किया है अथवा नहीं। अध्यक्ष महोदय, मुझे हस्तक्षेप करने का खेद है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री वाजपेयी, मुझे खेद है कि आपने बात को समझा नहीं। मैं समझता हूं मैंने कोई खास भाषा इस्तेमाल नहीं की है। मैं विभिन्न संगठनों के बीच सम्बन्धों की बात कर रहा हूं। यह केवल इस मामले में ही नहीं है- न्यायपालिका का क्या अधिकार क्षेत्र है, विधायिका का अधिकार क्षेत्र क्या है और कार्यपालिका का अधिकार क्षेत्र क्या है। आज हर व्यक्ति इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : संवैधानिकता की व्याख्या कौन करेगा-हम अथवा उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यही प्रश्न आप उठा रहे हैं। आप इसी प्रश्न विशेष को उठा रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : भौतिक विज्ञान और राजनीति की मिली जुली विद्वता ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : मैं एक बेहतर राजनीतिज्ञ इसीलिए हूं क्योंकि मैं भौतिक शास्त्री हूं। श्री चटर्जी जो प्रश्न आप उठा रहे हैं...

अध्यक्ष महोदय : हमें इस तरह तर्क नहीं करने चाहिए। मैं समझता हूं यह एक गंभीर बात है और हमें इस पर सही ढंग से विचार करना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अपना दृष्टिकोण बता रहा हूं। वे मेरे किसी भी अच्छे सुझाव से, जो मैं उन्हें दे रहा हूं सहमत नहीं हैं। इसमें मैं क्या कर सकता हूं। आज वे कोई भी अच्छी बात स्वीकार नहीं करना चाहते।

महोदय, आपके माध्यम से इस सभा से अपील करता हूं कि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। इसमें संविधान की व्याख्या और सरकार के विभिन्न अंगों की भूमिका की व्याख्या की बात शामिल है। यह आखिरी मौका नहीं है जब यह प्रश्न उठाया गया है। मुझे इस बात की आशंका है कि यह प्रश्न जल्दी ही बार बार सामने आने वाला है। इसलिए यह एक बहुत गंभीर मामला है और हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। मैं समझता हूं श्री प्रमोद महाजन वहां मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित होना चाहते हैं। महोदय, दूसरे दिन मैं दूरदर्शन देख रहा था और मैंने पाया कि वे इस बारे में बहुत ज्यादा परेशान थे। वे वह कहे थे, " लखनऊ में उनकी सरकार बनाए जाने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है?' इसलिए वे लखनऊ जाएंगे। इसलिए हमें 26 तारीख तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, जब सरकार के प्रतिकूल कोई निर्णय आता है तो सरकार तथ्यों को छिपाकर या ट्रेजरी बेंचेज चिल्ला-चिल्लाकर उस प्रतिकूल निर्णय को अनुकूलता में नहीं बदल सकती।

मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सदन में इस समय यही किया जा रहा है। ...**(व्यवधान)** कोर्ट का निर्णय बहुत स्पष्ट है। ...**(व्यवधान)** कोर्ट के फैसले में किसी तरह की एम्बिगुइटी नहीं है। पीटीआई के ट्रिकल से खबर लेकर हमारे जार्ज फर्नान्डीज साहब ने अपनी बात कोट-अनकोट में रखी। उसमें बहुत स्पष्टता से कहा गया है ...**(व्यवधान)** उत्तर प्रदेश में ...**(व्यवधान)**

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : यह जो हो रहा है, बहुत ही आपत्तिजनक है। एक माननीय सदस्य बोल रही हैं और इस प्रकार का प्रदर्शन बहुत ही आपत्तिजनक है ...**(व्यवधान)** यह बहुत देर से चल रहा है। ...**(व्यवधान)** उन्होंने अपनी गर्दन नीचे कर ली ...**(व्यवधान)** एक सदस्य के लिए यह बहुत ही आपत्तिजनक बात है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाईए। बहुत हो गया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाईए।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : किसके लिए बोल रहे हो ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री फातमी, कृपया बैठ जाईए।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : महोदय, हम ऐसी बातें नहीं होने देंगे। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों खड़े हैं? कृपया बैठ जाईए।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : हमने अपनी बात कम्पलीट नहीं की और हंगामा शुरू हो गया। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हंगामा करिए। हंगामा करिए। आप लोगों को पूरे देश से एप्रिसिएशन बहुत मिल रहा है, जिस प्रकार से आप लोग पार्लियामेंट में विहेण कर रहे हैं। करिए, करिए। हंगामा कर लीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : करिए। करते रहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति दे रहा हूं, जारी रखिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें करने दीजिए। मैं उनमें से हरेक को अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री नीतीश पारद्वाज (जमशेदपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं आप हम पर दोषारोपण कर रहे हैं। आपको उन पर दोषरोपण करना है। ...**(व्यवधान)** जब श्रीमती सुषमा स्वराज बोल रही थीं उस समय हम एकदम चुप थे। आप हम पर क्यों आरोप लगा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आरोप नहीं लगा रहा। जो कुछ मैं कर रहा हूं उसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने उनसे ऐसा न करने के लिए कहा है। मैंने उन्हें चेतावनी दी है, क्या यह काफी नहीं है? मैंने उनसे ढंग से व्यवहार करने के लिए कहा है।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकात जेना) : महोदय, उनके व्यवहार के लिए मुझे अत्यंत खेद है। वे क्यों इस तरह प्रतिक्रिया कर रहे हैं? किसने क्या कहा है? आप क्यों अनावश्यक रूप से चीख-पुकार मचा रहे हैं? ...**(व्यवधान)** किसी ने कोई बात नहीं कही है। आप बेवजह चिल्ला रहे हैं। हर चीज की कोई सीमा होती है। आप क्यों चिल्ला रहे हैं। ...**(व्यवधान)** किसी को सभा में इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक तरह से व्यवहार कीजिए। ...**(व्यवधान)** किसी ने कोई बात नहीं कही है। आप अनावश्यक रूप से चीख पुकार मचा रहे हैं। यह ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय यहां सभा का संचालन करने के लिए हैं।...**(व्यवधान)** इस तरीके से भी आप सभा को नहीं चला सकते। अध्यक्ष महोदय, यहां सभा का नियंत्रण करने के लिए हैं। ठीक ढंग से व्यवहार कीजिए। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपकी इजाजत हो, तो मैं कहूं। ...**(व्यवधान)** ये आपकी इजाजत के बिना बोल रहे हैं। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना : आप ऐसे ही नहीं बोल सकते और इस तरह इस सभा में हो-हल्ला नहीं कर सकते। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जो कुछ हुआ है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। सदन में एक गम्भीर प्रश्न पर विचार करते हुए, यह नौबत आ जाए। ...**(व्यवधान)**

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : ये बजरंग दल के लोग हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं कड़ी बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मूर्ख दल का होने से अच्छा है, बजरंग दल का होना। ...**(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूं। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना : यदि विपक्ष के नेता कोई बात कह रहे हैं तो हमें इस तरह प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करनी चाहिए। जब तक अपरोक्ष दल शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो यह निर्णय करना उनका काम है कि इस शब्द का प्रयोग उचित है अथवा अनुचित।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने यह नहीं कहा था, आप जानते हैं, मैं कभी किसी सदस्य के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं करता हूं। ...**(व्यवधान)** आपने सुषमा जी को बोलने के लिए बुलाया था। उनकी बात शान्ति से सुनी नहीं गई। हो सकता है, उधर से पहले माननीय सदस्य बोल रहे हों और उनके बोलने में गड़बड़ डाली गई हो और इसलिए वे थोड़ा क्रुद्ध हों और इसीलिए जब सुषमा जी बोल रही थीं, तो जिस तरह से टोका-टाकी हुई, वह नहीं होनी चाहिए थी। ...**(व्यवधान)** आप स्वयं रोक रहे थे। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : आपमें उनसे निपटने का साहस नहीं है। ...**(व्यवधान)**

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : हम सभी आपका सम्मान करते हैं। यदि इस ओर से बजरंग दल के नाम से कुछ कहा जाता है तो आप क्यों उत्तेजित होते हैं। आप इस सभा के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। इसमें बजरंग दल कहां से आ गया? आपका यह कहने का तात्पर्य क्या है? ...**(व्यवधान)**

श्री अनिल बसु : आप इस सभा के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : आपमें उनसे निपटने का साहस नहीं है। इसीलिए अब आप इस स्थिति में फंस गए हैं। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बजरंग दल का नाम आपने आदर के साथ लिया था? बजरंग दल का नाम लिया था, तो किस भावना से लिया था? अगर बजरंग दल का नाम आदर के साथ लिया, तो मैं अपने शब्द वापिस लेने के लिए तैयार हूं। ...**(व्यवधान)** बैठ जाइए, बहुत हो गया। ...**(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, आज जेना साहब भी शामिल हो गए। जेना साहब, आप केवल सदस्य ही नहीं हैं, संसदीय मंत्री भी हैं। मंत्री का दायित्व होता है, मंत्री को भुला-बुरा सुनना पड़ेगा, जहर पीना पड़ेगा। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना : मैं यह जानता हूं और इसके लिए तैयार हूं मैंने ऐसा नहीं कहा कि ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपने पर्यादा को खो दिया। जो भी चर्चा हो, वह शान्तिपूर्ण वातावरण में होनी चाहिए।

श्री श्रीकान्त जेना : बिल्कुल होनी चाहिए, सर।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं अपने दल के लोगों से भी कहूंगा। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में क्यों आ रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री मुख्तार अनीस (सीतापुर) **:** महोदय, जब सुषमा जी बोल रही थीं, तो आपके दल के लोगों ने शोर करना शुरू किया। आपके दल के लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। ...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमारे दल के सदस्यों ने शुरू किया, तो गलत किया और उधर से शुरू हुआ, तो वह भी गलत हुआ, मगर जेना साहब बीच में कूद पड़े, इसका मुझे अफसोस है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत छोटी बात है और आप अनावश्यक रूप से ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। ठीक है, जब श्रीमती सुषमा स्वराज बोल रही थीं उस समय माननीय सदस्य श्री तस्लीमुद्दीन जोर-जोर से हंस रहे थे। मैंने उस पर आपत्ति की थी। यदि कोई सदस्य हंसना चाहता है तो कृपया बाहर चला जाए और वहां जाकर हंसे। लेकिन सभा में नहीं। जब मैंने उनसे इस तरह न हंसने के लिए कह दिया तो आपको खफा होने और इस तरह शोरगुल मचाने की क्या आवश्यकता थी? यह ठीक नहीं हैं।

श्री संतोष मोहन देव : मैं समझता हूं हम मुस्करा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप मुस्करा सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे आशा है आप अपनी मुस्कान बनाए रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। जब हंसने की स्थिति हो तो आप भी हंस सकते हैं। लेकिन जब गंभीर मामले पर चर्चा हो रही हो तो किसी को इस तरह नहीं हंसना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका ध्यान कहीं और है इस सभा में नहीं। मैं यही बात कह सकता हूं।

श्री संतोष मोहन देव : इस सभा के समक्ष केवल आज का और कल का दिन बाकी रह गया है। हमें बहुत से मामले निपटाने हैं। इसलिए जब एक माननीय सदस्य बोल रहा है तो दूसरे सदस्यों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन आप दूसरे सदस्यों को शून्य काल के दौरान उसका उत्तर देने का अवसर दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसका अर्थ है कि सारे दिन ही शून्य काल रहेगा।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप सदन की मुस्कराहट वापस ले आए हैं। मैं कह रही थी कि पीटीआई के ट्रिकल की जो खबर कोट करके पढ़ी गई है उसमें किसी तरह की अस्पष्टता नहीं है लेकिन चूंकि एक ही बात ट्रिकल पर आ सकती है तो वह वाक्य पढ़ा है। शिवराज जी ने यहा वही बात रखी कि बहस तब हो सकती है और मीनिंगफुल बात तब हो सकती है जब जजमेंट आए तथा उसको पढ़ा जाए। मैं केवल अदब से आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि यह जजमेंट के टेक्स्ट यहां प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी किसकी थी। क्या इधर बैठे हुए लोगों की थी या सरकार की थी?

अध्यक्ष जी, मैं यह भी बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगी कि आपके द्वारा सुबह दिए गए निर्देशों की अनुपालना नहीं की गई बल्कि उसकी अवमानना हुई। आपने खास तौर पर सरकार को समय दिया और यह कहा कि दो बजे तक आप वह मंगा करके यहां पर स्टेटमेंट दीजिए। जब कि जरूरत इस बात की भी नहीं थी। देश के संचार साधन इतने आगे बढ़ चुके हैं जैसे फेक्स, एस.टी.डी., कूरियर सर्विस से आ सकता है। वह जजमेंट क्या था, उसका ऑपरेटिव पार्ट क्या था? यह बात सरकार को पता लगाने में देरी नहीं लगनी चाहिए थी लेकिन सुबह भी सरकार इसको छिपाना चाहती थी। आपने बीच में हस्तक्षेप करके समय दिया। एक समयबद्ध तरीके पर लाकर यहां आपको बयान देना था। यह जो बात पी.टी.आई. के ट्रिकल पर आई यह आपके बयान का पार्ट होनी चाहिए थी। आप कब तक छिपाएंगे। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। अरे, इतने लोगों के बीच में जजमेंट सुनाया गया। पी.टी.आई. के कारसपोडेंट ने लिया यह ट्रिकल भेज दिया। शाम तक उसकी प्रतियां सब जगह बंट जाएंगी। आप कब तक यह छिपाएंगे। स्वयं कोर्ट ने उस एक्शन को असंवैधानिक करार दिया है, जिस प्रस्ताव को सदन में यह सरकार लाई और हमारे विरोध के बावजूद पारित करा कर ले गई। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि मीनिंगफुल बहस को रोकने का काम सरकार ने किया है, हमने नहीं किया और यदि अध्यक्ष जी के निर्देशों की अनुपालना की जाती और इस टेक्स्ट का समावेश इस समय मंत्री महोदय के वक्तव्य में होता तो एक मीनिंगफुल बहस यहां हो सकती थी, यह मेरा पहला प्वाइंट है। मेरा दूसरा प्वाइंट यह है कि इस बात पर कोई डिसप्यूट नहीं है कि इस निर्णय को कोर्ट ने

असंवैधानिक कहा। वह राष्ट्रपति शासन लाने का प्रस्ताव 356(5) की बात सोमनाथ जी कह रहे थे। शायद सोमनाथ जी से ज्यादा किसी को यह पता नहीं है, क्योंकि जनता पार्टी के शासन काल में वह तरमीम, वह संशोधन हम और आप मिल कर लाए थे। धारा 356 के दुरूपयोग को रोकने के लिए लाए थे। इसलिए कहा था कि एक समय छह महीने से ज्यादा नहीं और कुल मिला कर एक वर्ष से ज्यादा राष्ट्रपति शासन नहीं लगे। यहां हमारे भाई ने जे एंड के की बात की और इसे भी हमारे जे एंड के के एक भाई ने कहा कि डबल स्टेंडर्ड क्यों, जे एंड के में पांच साल रहा, वहां के लिए बाकायदा संविधान संशोधन लाया गया था और इसके लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है क्योंकि यह सरकार दो-तिहाई नहीं जुटा सकी थी इसलिए इसको चुनाव कराना पड़ा और उसके बाद यह भाजपा की सरकार नहीं बनने देना चाहते थे इसलिए पांच महीने का अंतर देकर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। अब मेरा कहना यह है कि बाकी पोलिटिकल प्रोसेस के लिए समय लगा, वह तो लगा लेकिन असंवैधानिक प्रस्ताव पारित कराने का काम जो इस सरकार ने सदन में किया है उसके बाद इस सरकार को सिंहासन पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ...**(व्यवधान)** इस सरकार से हमारे नेता ने इस्तीफा मांगा था और अब ये जो पीटीआई के ट्रिकल पर लाइन थी, ये स्ट्रिक्चर है, इस गवर्नमेंट के खिलाफ सीधे-सीधे स्ट्रिक्चर है। इस सदन में इस प्रस्ताव को लाकर सदन की गरिमा को गिराने का काम किया है, एक असंवैधानिक प्रस्ताव पारित कराने का काम किया है।

इसलिए इस सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और आगे का पॉलिटिकल प्रोसेस जो भी चीज यहां उभरे उसके अनुसार होना चाहिए। इसलिए मैं शिवराज जी से कहना चाहती हूं कि जिम्मेदारी इस सरकार की बनती है, यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मीनिंगफुल बहस यह सरकार करा सकती थी, इन्होंने बहस नहीं कराने का काम किया है। इसलिए असंवैधानिक कार्य करने के लिए पुनः इस सरकार से इस्तीफा मांगते हैं। इस सरकार को तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए।

श्री शिवराज वी. पाटिल (लातूर) : मैं सुषमा जी की पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा था। मैं तो इतना ही कह रहा था कि जो जजमेंट दी गयी है उस जजमेंट में क्या यह कहा गया है कि जिस आधार पर राष्ट्रपति शासन वहां पर शुरू किया गया है वह आधार गलत है या यह कहा गया है कि पहले वहां राष्ट्रपति शासन था फिर लगाया गया वह गलत है या यह कहा गया है कि इस सदन को यह अधिकार ही नहीं है कि इस प्रकार इसमें वोटिंग करनी थी। ये सारे मुद्दे बहुत अहम हैं। जो मूल मुद्दा है कि चुनाव होने के बाद वहां पर शासन कितनी जल्दी होना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, किसको बुलाना चाहिए? इस पर अपने-अपने मत हो सकते हैं और अपने हृदय से उस पर बोला भी जा सकता है। लेकिन यह जो मुद्दा है जिस पर कहा जा रहा है उसी पर हमें चर्चा करनी है तो क्या हमें पी.टी.आई. के टिक्चर पर आए हुए 50-60 पन्ने के जजमेंट के बारे में दो लाइन में जो आया है उस पर इस सदन में चर्चा करें-यह ठीक नहीं होगा। इतनी ही बात मैंने कहीं है। विपक्ष के सदस्यों को अधिकार है कि उनकी पार्टी चुनकर आई है तो वे अपनी सरकार बनाने को कहें। उसके लिए कोई रोकथाम नहीं कर सकता है। जजमेंट आए तब तो वह सरकार के लिए बाईडिंग है। सरकार उस पर कुछ कर नहीं सकेगी। वह ज्यादा से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने तक उन्हें राह देखनी पड़ेगी। उनके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मगर इस सदन में बैठकर ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जबकि हालात ऐसे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ हो गया है, इसमें चर्चा करना ठीक नहीं है-इतना ही मुझे कहना है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं यह पर्याप्त है। मैंने इस मामले में आपका दृष्टिकोण समझ लिया है। अब मैं इस मामले को समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई-उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष जी, हम एक घंटे से इस बात पर बहस कर रहे हैं कि उच्च-न्यायालय ने अपने निर्णय में वहां राष्ट्रपति शासन को अवैध घोषित किया है। अवैध घोषित क्यों किया है? जैसा कि शिवराज जी ने जिक्र किया, इसके तीन-चार कारण हो सकते हैं। जब चर्चा करेंगे तो उन तीन-चार कारणों में से कौनसा कारण है पता करें तो चर्चा करने में सुलभता होगी। यह बात ठीक है। कल संसद का आखिरी दिन है। जो चर्चा आज शुरू हुई वह गृहमंत्री के वक्तव्य के संबंध में है। उच्च-न्यायालय के निर्णय पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है, इस पर चर्चा हो रही है। उसका कारण क्या है, उसमें बहस कैसे हो, वह सार्थक कैसे हो और कब हो? यह सब महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और जो कुछ वरिष्ठ सांसदों ने यहां रखा है वह सब महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जो निर्णय आया है उसका कारण आपको ठीक लगे या न लगे, उसके कारणों पर आप बहस करते रहें। लेकिन यह असंवैधानिक प्रैसीडेंट जो घोषित किया है उसपर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? जैसे किसी ने कहा भी कि उच्चतम न्यायालय में जाना है या संसद का विशेष अधिवेशन बुलाना है या रात भर और कल बहस करके उस पर निर्णय करना है। आखिर संसद ने जिस राष्ट्रपति शासन को पारित किया था अगर उसे असंवैधानिक घोषित किया तो उस पर सरकार करना क्या चाहती है? यह वक्तव्य में आना चाहिए लेकिन सरकार ने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। सरकार को पूरा वक्तव्य केवल एक क्रॉनोलोजिकल आर्डर में एक हिस्टरी मात्र है। सरकार इसमें करना क्या चाहती है।

शिवराज जी ने कहा कि सरकार आज रात में निर्णय लेकर कल बहस कराना चाहती है, सरकार उत्तर दे सकती है। सरकार यह कह सकती है कि हम उच्चतम न्यायालय में जाना चाहते हैं। सरकार यह

कह सकती है कि हम उस पर अमल करेंगे। लेकिन सरकार ने कुछ नहीं कहा है और सारी बहस इसमें अप्रासंगिक है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रमोद महाजन, मैं समझता हूं आपने अपनी बात कह दी है। कृपया बैठ जाईए।

गृहमंत्री महोदय, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? उसके बाद हम इस मामले को समाप्त करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मुझे इस बात का खेद है कि यहां कुछ सदस्यों ने न्यायालय के उस निर्णय को, जो अभी हमें मिला भी नहीं है, अध्याय किए बिना या उसे समझे बिना उस पर मेरा निर्णय या कोई विशेष राय साफ साफ बताई है। हमें नहीं मालूम उन्होंने क्या इसका आधार बताया है अथवा उनकी दलीलें क्या हैं हमें नहीं मालूम। हम सभी ने यही कहा कि जैसे ही निर्णय हमें प्राप्त होगा, हम इसका अध्ययन करेंगे, तब हमें अपनी भावी कार्यवाही तय करनी होगी और हम तत्काल उनसे सभा को अवगत कराएंगे। लेकिन इस समय कुछ कहना संभव नहीं है।

बहुत सी दलीलें दी जा सकती हैं। यदि वास्तव में न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संसद द्वारा की गई पुष्टि असंवैधानिक है और इसलिए उत्तर प्रदेश में अब कोई सरकार नहीं है अथवा कोई यह दावा करता है कि वहां सरकार कार्य कर रही है तो वह असंवैधानिक सरकार है तो फिर न्यायालय के लिए यह भी असंवैधानिक हैं कि उसने 26 दिसम्बर तक का समय दिया है। उन्होंने समय किसलिए दिया है? कुछ मित्रों के अनुसार यदि सारी की सारी बात ही असंवैधानिक है तो फिर वहां कोई सरकार नहीं है, फिर उन्होंने 26 दिसम्बर तक का समय क्यों दिया है? यह कोई तर्क संगत बात नहीं है।

महोदय, इसलिए हमें जो कुछ निर्णय करना है हम करेंगे और जैसे ही निर्णय की प्रति या निर्णय की रिपोर्ट हमें प्राप्त हो जाएगी हम सभा को सूचित करेंगे। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि निर्णय की प्रमाणित प्रति आने में समय लगता है। लेकिन निर्णय से सम्बन्धित रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। आखिरकार पीटीआई की रिपोर्ट क्या है? निश्चय ही वह भी रिपोर्ट है। निश्चय ही, हमें जैसे ही लखनऊ से रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके आधार पर हम अपनी भावी कार्यवाही तय करेंगे और सभा को उसके बारे में बताएंगे। हम किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने में जल्दबाजी नहीं कर सकते।

मेरे विचार से श्री शिवराज पाटिल ने जो कुछ कहा है उन्होंने संवैधानिक रूप से उचित दृष्टिकोण अपनाया है। इस सभा के पूर्व अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने राज्य के विभिन्न अंगों के बीच संघर्ष की संभावना व्यक्त की है। इसलिए हमें सजग और सावधान रहना होगा।

महोदय, मैं आपको बता सकता हूं, यह मेरी निजी राय है इस देश में जिस तरीके की बातें हो रही हैं कल ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया उनकी बात सुनिए। यह क्या हो रहा है? जो कुछ वे कह रहे हैं आप उनकी बात को समझ नहीं रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, इस देश की राजनीतिक स्थिति में जिस तरीके से बातें हो रही हैं, इससे भविष्य में एक या अधिक राज्यों में ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। जब कोई भी दल विधान सभा में अपना बहुमत नहीं बना सके और मिली जुली सरकार भी न बना सके, तब क्या होगा? हमें अभी से इन सब बातों के बारे में सोचना होगा। यदि ऐसी स्थिति पैदा होती है तो क्या किया जाए? वहां कोई एक सबसे बड़ा दल हो सकता है- हमेशा ही वह दल भाजपा नहीं हो सकता, कोई दूसरा दल भी हो सकता है।

लेकिन मैं नहीं जानता कि न्यायालय के निर्णय से-जिसे हमें अभी तक अध्ययन करने का अवसर नहीं मिला है—वह निष्कर्ष निकले कि यदि किसी दल को बहुमत नहीं मिलता तो सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए, तब यह पूरी तरह एक नई मिसाल होगी और की जाने वाली नई कार्यवाही होगी।

इसलिए हमें इन सब बातों पर विचार करना चाहिए और मैं विपक्ष के सदस्यों से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि निर्णय उपलब्ध होने और 26 तारीख तक निर्णय के प्रभावी होने पर रोक तक धैर्य रखें।

यही सब बातें मुझे कहनी हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं अब यह बात पूरी हो गई है। अब विधायी कार्य शुरू करते हैं। विचारार्थ विधेयक-मद संख्या 17 श्री इन्द्रजीत गुप्त

अपराह्न 3.30 बजे

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक*

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई-उत्तर पूर्व) : हमें इसीपर तो आपत्ति है ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : देखते हैं, वह क्या करने वाले हैं।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : महोदय जब किसी विधेयक पर चर्चा शुरू करनी होती है तो सामान्यतः मंत्री महोदय वक्तव्य देते हैं।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-दो खंड-2, दिनांक 19.12.96 में प्रकाशित

अब पहले गृहमंत्री महोदय से वक्तव्य देने के लिए कहा जाए कि इस विधेयक में क्या बातें हैं। इस सम्बन्ध में उन्हें हमारा मार्गदर्शन करना चाहिए और तब वाद विवाद शुरू किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें इसी के लिए बुला रहा हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, पहले मुझे विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी जाए और उसके बाद मैं संक्षिप्त वक्तव्य दूंगा।

जस्टिल गुमान मल लोढा (पाली) : महोदय, मेरी आपत्ति को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी जाए। इस मामले में पहले मेरी बात सुनी जाए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 17 अक्टूबर, 1996 को जारी की गई उद्घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग अब संसद द्वारा अथवा संसद द्वारा प्रदत्त प्राधिकार के अंतर्गत किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 357(1) (क) के अंतर्गत राज्य के विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करने और इस प्रकार प्रदत्त शक्ति का किसी अन्य आधिकारी को, जिसे राष्ट्रपति इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, ऐसी शर्तों के अधीन, जिन्हें राष्ट्रपति अधिरोपित करना ठीक समझे, प्रत्यायोजन करने के लिए राष्ट्रपति को प्राधिकृत करने के लिए संसद सक्षम है।

संसद की व्यस्तता की कार्य सूची को ध्यान में रखते हुए, राज्य के राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत रहने की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में विभिन्न आवश्यक विधायी उपायों से निपटाना संसद के लिए संभव नहीं हो सकता। वहां यही भी समस्या हो सकती है यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसके लिए आपात् ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वे इसके बारे में बयान चाहते हैं।

श्री राम नाईक : जब कोई मंत्री बयान दे रहा हो तो, कोई भी सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता है।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष महोदय, कम से कम मैं तो समझ रहा था कि डेढ़ घंटे की चर्चा के बाद आप कुछ करेंगे।

[अनुवाद]

जस्टिस गुमान मल लोढा : मैंने लिखित रूप में आपत्ति व्यक्त की है किन्तु आप मुझे बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। आपको चाहिए कि मुझे उस लिखित आपत्ति सम्बन्धी ब्यौरा देने की अनुमति दें। वह आपत्ति जो सम्वैधानिक थी अब निरर्थक हो गई है और इसीलिए उसे पेश नहीं किया जा सकता। कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए और उसके बाद आप चाहें तो इस लिखित मामले को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, अभी तो यह सुप्रीम कोर्ट में गए नहीं इसलिए अभी तो हाई कोर्ट का ऑर्डर सही है, वैलिड है।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे वक्तव्य देने के लिए कहा गया था। इसीलिए मैं वक्तव्य दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री प्रमोद महाजन : मेरा ख्याल था कि उच्च न्यायालय का निर्णय सुनने के बाद मंत्री महोदय इस विधेयक को वापिस लेने के लिए सभा से अनुमति चाहेंगे।

श्री राम नाईक : ऐसा प्रतीत होता है कि हालांकि प्रख्यापन को अधिकारातीत घोषित कर दिया गया है फिर भी यह चाहते हैं कि सभा उस पर विचार करें।

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदय, सरकार को कोई प्राधिकार प्राप्त नहीं है।

जस्टिस गुमान मल लोढा : मैंने लिखित आपत्ति में यह निवेदन किया है कि इस निर्णय के कारण यह निरर्थक और असम्वैधानिक हो गया है और इसीलिए मुझे अपनी आपत्ति प्रकट करने की अनुमति दी जाए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप उसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसे यहां उठाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे के बारे में ही मैं बताऊंगा।

जस्टिस गुमान मल लोढा : कृपया मुझे आपत्ति प्रकट करने की अनुमति दी जाए। सम्विधान का अनुच्छेद 357 विधायी कार्य के प्रयोजन हेतु संसद की शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान करने के लिए ऐसा विधेयक पेश करने की अनुमति देता है। तथापि इसके लिए एक पूर्व शर्त का गतिरोध हैं, और वह यह है कि जब संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा राज्य विशेष में लागू हो और उसकी वजह से वहां शून्य की स्थिति हो तो वहां विधायी कार्य का किस प्रकार निर्वहण सम्भव है। अनुच्छेद 357 के अनुसार संसद एक कानून पारित कर ये शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान कर सकती है, इस जरा से नुक्ते के संदर्भ में मैं इस माननीय सभा को उन शक्तियों के बारे में याद दिलाना चाहूंगा जिनका संविधान के अनुच्छेद 357 में उल्लेख किया गया है। यहां पर उसको उद्धृत करना भी संगत होगा। संविधान की व्याख्या करते हुए यह हमेशा बेहतर होता है कि अस्पष्ट होने और राजनीतिबाजी करने के बजाए सटीक और सही बात की जाए। मैं

अनुच्छेद 357 उद्धृत करता हूं:—

"(1) जहां अनुच्छेद 356 के खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की गई है कि राज्य के विधान-मंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी वहां-

(क) राज्य के विधान मंडल की विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करने की और इस प्रकार प्रदत्त शक्ति का किसी अन्य प्राधिकारी को, जिसे राष्ट्रपति इस निमित विनिर्दिष्ट करे, ऐसी शर्तों के अधीन, जिन्हें राष्ट्रपति अधिरोपित करना ठीक समझे, प्रत्यायोजन करने के लिए राष्ट्रपति को प्राधिकृत करने की संसद को .....

.....

क्षमता होगी।"

यदि आप माननीय महोदय उत्तर प्रदेश विधानपालिका (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1996 जिसे पुरःस्थापित किया गया है, का अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या कहा गया है। मैं उद्देश्यों और कारणों का कथन का हवाला दे रहा हूं।

राष्ट्रपति द्वारा 17 अक्तूबर, 1996 को जारी उद्घोषणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विधानपालिका की शक्तियों का अब संसद के प्राधिकार द्वारा या अंतर्गत प्रयोग सम्भव है। संसद के लिए तत्संबंधी विधायी उपायों के अधिनियमन हेतु पर्याप्त समय निकाल पाना सम्भव नहीं होगा। इसीलिए यह प्रस्ताव किया गया कि संसद अनुच्छेद 357 के खंड 1 के उप-खंड (क) जिसे मैंने अभी पढ़ा है, के उपबंधों के अनुरूप उत्तर प्रदेश राज्य के लिए कानून बनाने हेतु विधानपालिका की शक्तियां कानूनी तौर पर राष्ट्रपति को प्रदान की जाएं। यह विधेयक इस पूर्वोल्लिखित उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है।

अब मैं इस विधेयक की धारा 2 का हवाला देना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है कि इस अधिनियम में उद्घोषणा का अभिप्राय है 'राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत सत्रह अक्तूबर, उन्नीस सौ छियान्वे को जारी तथा उक्त तिथि को गृह मंत्रालय की अधिसूचना के साथ प्रकाशित उद्घोषणा खण्ड के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधानपालिका की विधि निर्माण सम्बंधी शक्ति जिसके बारे में संविधान में घोषणा की गई है कि उसका संसद के प्राधिकार द्वारा या अंतर्गत प्रयोग किया जाएगा एतद द्वारा राष्ट्रपति को प्रदान की गई। ...**(व्यवधान)**

श्री जी.एम. बनातवाला (पुन्नानी) : क्या वह कुछ पढ़ रहे हैं? उन्हें केवल मुद्दे पर चर्चा करने की ही अनुमति दी जाए।

जस्टिस गुमान मल लोढा : इससे समझने की कोशिश कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कह चुके।

जस्टिस गुमान मल लोढा : मैं आपत्ति कर रहा हूं। वस्तुतः आपत्ति इस बात पर है कि विद्यमान या अविद्यमान सरकार के प्रश्न, उद्घोषणा के कारणों के प्रश्न आदि पर जो भी वाद विवाद हो कि ऐसा शुरूआत में ही त्रुटि होने या असंवैधानिकता होने या तत्श्चात संसद द्वारा गलत या सही अनुसमर्थन करने के कारण हुआ-मूल मुद्दा बुनियादी बात यही है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी राय में आप अपनी बात कह चुके हैं।

जस्टिस गुमान मल लोढा : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा दिए गए निर्णय के बारे में कोई विवाद नहीं है। यहां तक कि श्री शिवराज वी. पाटिल ने भी कहा है ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इतना पर्याप्त है।

जस्टिस गुमान मल लोढा : कृपया इस मुद्दे को समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि आपको इस पर विनिर्णय देना होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात भलीभांति समझ गया हूं।

जस्टिस गुमान मल लोढा : आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दे पर विनिर्णय देना है और पूरा देश अत्यंत उत्सुकता से देख रहा है कि अध्यक्ष महोदय द्वारा इस बारे में क्या विनिर्णय दिया जाएगा?

मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत अधिसूचना या उद्घोषणा प्रस्तुत करने के मुद्दे पर कोई विवाद नहीं है। विवाद तो केवल कारणों के बारे में है और इसके औचित्य या ऐसे अन्य मुद्दों के बारे में भी है। यदि एक बार अनुच्छेद 356 और 357 के अंतर्गत उद्घोषणा का गतिरोध हटा दिया जाए या समाप्त कर दिया जाए तो अनुच्छेद 357 का अविलम्ब लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा प्रस्तुत किए जाने को ध्यान में रखते हुए इस समय यह विधेयक निरर्थक, असंवैधानिक तथा अवांछित है। इसीलिए इस पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

यदि माननीय गृह मंत्री इसे वापस लेते हैं तो ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : न्यायधीशों को बिल्कुल संक्षेप में केवल सटीक बात ही करनी चाहिए।

जस्टिस गुमान मल लोढा : यदि वह सरकार से इस बारे में परामर्श करना चाहे कि इसे वापिस लिया जाए या नहीं, तो निर्णय की विवक्षा का अध्ययन करने के लिए वह समय ले सकता है। किंतु इस समय जो स्थिति, उसमें मेरा निवेदन यही है कि इस पर चर्चा, बहस करने और इसे पारित करने की भी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष जी, मैं सदन से, आपसे और इस सरकार से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम इस विषय को

टैक्नोकेलेटीज से थोड़ा सा आगे देखें। हम गलती कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं, इसका फैसला बाद में होगा। लेकिन कम से कम हम कोई नई गलती अब न करें। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय हो, उसके कारण जो भी हों, उस पर विवाद जो भी हो, इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि धारा 356 का उत्तर प्रदेश में अस्तित्व केवल 25 दिसम्बर तक है।

यदि उच्चतम न्यायालय कोई और फैसला देता है तो इसमें अंतर आ सकता है अन्यथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार धारा 356 का जीवन केवल एक सप्ताह के लिए है, जिसमें तीन सार्वजनिक अवकाश शामिल हैं। ऐसी स्थिति में, उत्तर प्रदेश की विधान सभा के सारे अधिकार, जिसे उच्चतम न्यायालय ने लगभग जीवित किया है, आज आप लें लें, इसकी मुझे आवश्यकता समझ में नहीं आती क्योंकि कब तक वह जीवित रहेगी, ये अधिकार कब तक हमारे पास रहेंगे, उसके बारे में बिल कहता है कि ये अधिकार तब तक रहेंगे जब तक धारा 356 वहां रहेगी। आज की स्थिति में धारा 356 का अस्तित्व 25 दिसम्बर तक है, उसके आगे नहीं है और धारा 357 का जन्म धारा 356 से होता है, जब धारा 356 ही इन्टैन्सिव केयर यूनिट में पड़ी है, केवल पांच दिन का जीवन मांग रही है, ऐसी स्थिति में, मुझे समझ नहीं आता कि सरकार को इसमें जल्दबाजी क्या है। जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय हो चुका है कि वह असंवैधानिक है, फिर इस बिल को इतनी जल्दी पारित करके सरकार द्वारा अधिकारग्लेने का औचित्य मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसकी टैक्निकैलिटजी में मत जाईए, यही मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हो गया।

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : महोदय, मैं केवल तीन वाक्यों में अपनी बात कहना चाहता हूं। यह प्रश्न विधायी क्षमता से संबंधित है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न इसकी विधायी क्षमता के बारे में है। अब हम इसके पुरःस्थापन के चरण पर हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, इस समय हम विचार करने के चरण पर हैं।

श्री जसवंत सिंह : जी हां, हम इस पर विचार करने वाले हैं। मैं विधायी क्षमता का मुद्दा उठा रहा हूं। मैं इसके बारे में आपका मार्ग निर्देश चाहता हूं। यह अत्यंत गम्भीर मुद्दा है। मैं नहीं समझता कि इससे पहले इस सभा के समक्ष ऐसी कोई समस्या आयी थी।... **(व्यवधान)** तो, मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या यह सभा ऐसे विषय संबंधी विधेयक पर विचार करने के लिए कानूनी तौर पर सक्षम है जिस विषय के बारे में हाल ही में एक न्यायालय निर्णय दे चुका है? वस्तुतः न्यायालय के निर्णय से यह स्थगित हो गया है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सभा ऐसे विषय पर विचार करने और कानून बनाने में कानूनी तौर पर सक्षम है जोकि न्यायालय के लगभग विचाराधीन ही है?

अध्यक्ष महोदय : जी हां, अब मैं विनिर्णय दूंगा। जैसा कि मैंने पहले भी संकेत किया था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय 26 दिसम्बर, 1996 से लागू होगा अतः आज जो स्थिति है उसके अनुसार यह संसद उस पर विचार करने में सक्षम है। मेरे विचार से मैंने अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है।

बहरहाल, मैं श्री प्रमोद महाजन से भी सहमत हूं। इस समय सभा में जो बहस हुई है उसे ध्यान में रखते हुए मैं इस विधेयक पर चर्चा कल तक के लिए स्थगित करता हूं। हम इस पर कल चर्चा करेंगे।

अपरान्ह 3.38 बजे

पंचायत उपबन्ध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आइए अब इस विधेयक पर विचार करें।

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरन नायडू) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

> कि पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार करने का उपबंध करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः

> कि पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार करने का उपबंध करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुबई-उत्तरी) : इस बात पर सहमति हुई थी कि यह विधेयक बिना चर्चा किए ही पारित किया जाएगा। किंतु कुछ माननीय सदस्य यदि कुछ कहना चाहते हैं तो दस-पन्द्रह मिनट दिए जाने चाहिए...**(व्यवधान)** इस विधेयक के बारे में अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : उनकी राय में इस विधेयक को चर्चा किए बिना पंद्रह मिनट में ही पारित किया जाए।

* भारत के राजपत्र असाधारण भाग-दो खण्ड-2, दिनांक 19.12.96 में प्रकाशित।

श्री राम नाईक : अनेक मुद्दे हैं जो महत्वपूर्ण हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : राज्य सभा ने इसे पहले ही पारित कर दिया है। मेरी राय में इसे पारित किया जाना जरूरी हैं क्योंकि चुनाव नहीं हो पा रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी राय में इसे अभी पारित किया जाना चाहिए।

श्री राम नाईक : महोदय, मैं केवल दो मिनट लेना चाहता हूं। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मैंने ही विगत सत्र में इस मुद्दे को उठाया था...**(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, हमने अपने सदस्यों को कहा था कि वे इस विधेयक पर बोल नहीं सकते हैं। किंतु दूसरे पक्ष के कुछ सदस्य यदि चर्चा करना चाहते हैं तो समस्या खड़ी हो जाएगी। हमारी तरफ के पांच सदस्य हैं जो बोलना चाहते हैं, किंतु हमने उन्हें कहा था कि वे नहीं बोल सकते ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री राम नाईक, हमने कार्य मंत्रणा समिति में स्पष्टतः कहा था और आप उस समिति के सदस्य हैं।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : महोदय, मैं वही कह रहा हूं कि यह विधेयक जिला परिषदों, ग्राम पंचायतों आदि के लिए मतदान का अधिकार प्रदान करता है। किंतु अनुसूचित क्षेत्रों की नगरपालिकाओं के लिए ऐसा कोई अधिकार प्रदान नहीं किया जा रहा है। मेरे राज्य में नौ नगरपालिकाएं हैं जहां चुनाव नहीं करवाए गए हैं। अतः उसको ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री से आश्वासन चाहता हूं।

श्री किंजारप्पू येरन नायडू : महोदय, श्री राम नाईक की बात शहरी विकास मंत्रालय से संबद्ध है। राज्य सभा में जिस दिन इस विधेयक पर चर्चा हुई थी तो संबंधित मंत्री ने उसके बारे में भी विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए सहमति व्यक्त की थी। यह चौहत्तरवें संशोधन के अंतर्गत है, जिसके बारे में शहरी कार्य मंत्रालय ही कार्यवाही करता है। किंतु यह विधेयक ग्रामीण विकास मंत्रालय के बारे में है...**(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : क्या आप उसके बारे में विधेयक पेश करने वाले हैं?

श्री किंजारप्पू येरन नायडू : ठीक है, करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है:

"कि राज्य सभा द्वारा यथापारित अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों संबंधी संविधान के भाग नौ के उपबंधों के विस्तार के लिए प्रावधान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : यह सभा अब विधेयक पर खंडवार चर्चा करेगी।

खंड 2 और 3

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 4

अध्यक्ष महोदय : श्री के. प्रधानी अनुपस्थित

प्रश्न है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है:

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है:

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र और पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री किंजारप्पू येरन नायडू : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अपरान्ह 3.49 बजे

चीनी निर्यात वृद्धि (निरसन) विधेयक*

खाद्य मंत्री और नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि चीनी निर्यात वृद्धि अधिनियम, 1958 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है:

> "कि चीनी निर्यात वृद्धि अधिनियम, 1958 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"
>
> क्या यह विधेयक भी बिना चर्चा किए पारित कर दिया जाए?

श्री बलाई चन्द्र राय : नहीं, महोदय, यह उन विधेयकों में नहीं है जिन्हें बिना चर्चा किए पारित किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : यह उन विधेयकों जैसा नहीं है। ठीक है क्या कोई वक्ता इस विषय पर बोलना चाहता है?

श्री सनत मेहता

श्री सनत मेहता (सुरेन्द्र नगर) : महोदय, मैं मंत्री महोदय से केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका आशय कितना ही अच्छा क्यों न हो, इस प्रकार के उपबन्ध से गन्ने के कारखानों के लिए अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होने वाली हैं।

अपरान्ह 3.50 बजे

(श्री पी.एम. सईद पीठासीन हुए)

इस समय अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के दाम अनुकूल नहीं हैं। उन देशों में भी, जिनमें उदारीकरण विद्यमान है गैर सरणीकरण से कठिनाइयां उत्पन्न होंगी, इसलिए वहां पर अभी भी सरणीकरण विद्यमान है। इसलिए, मैं समझता हूं कि इसे पारित करने से पहले मंत्री महोदय को इस मुद्दे पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। अन्यथा उन्हें इसके लिए बाद में पछताना पड़ेगा। इससे इस समय विशेषतौर से सहकारी क्षेत्र के चीनी के कारखानों को भारी नुकसान होगा। हमारे पास सरणीकरण वाले संगठन हैं जो चीनी का निर्यात करते हैं और गैर सरकारी लोगों को भी इसके माध्यम से चीनी निर्यात करने की अनुमति प्राप्त हैं।

महोदय, इस प्रकार एकाधिकार व्याप्त है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस विधेयक पर जल्दीबाजी में कोई निर्णय न लें। भविष्य में इससे निर्यातकों को कोई लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार अनुकूल नहीं है। मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि इस विधेयक पर किस प्रयोजन के लिए विचार किया जा रहा है। मैं अत्यंत गम्भीरतापूर्वक कहना चाहता हूं कि इससे सहकारी चीनी कारखानों को नुकसान पहुंचेगा और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री राय, कृपया संक्षेप में बोलिए।

श्री बलाई चन्द्र राय : सभापति महोदय, हमें नहीं मालूम कि इस अधिनियम को निरसित करने से देश का क्या भला होगा। इस अधिनियम से कुछ हद तक चीनी के निर्यात का सरणीकरण हो जायेगा। एक बार नियंत्रण हटा दिया गया और सभी दिशा निर्देश हटा दिए गए, इसके परिणामस्वरूप वही हाल होगा जो चावल के निर्यात के मामले में हुआ था। यह तर्क कि हम विश्व व्यापार संगठन के सदस्य बन गए हैं और हमें विश्व व्यापार संगठन की औपचारिकताओं को पूरा करना होगा, यह केवल एकांगी दृष्टिकोण होगा। इस विधेयक को पारित करने का आशय चीनी का उन्मुक्त निर्यात करना होगा। इसका परिणाम यह होगा कि इसके बाद चीनी मिलें जिस चीनी का उत्पादन करेंगे वह ऐसी चीनी होगी जिसका निर्यात ऊंची दरों पर किया जा सकेगा। हमारे देश में चीनी की पहले से ही कमी है और इससे स्थिति और खराब होगी। देश में चीनी की सप्लाई में गिरावट आयेगी। इसका दूसरा परिणाम यह होगा कि केवल ऐसे उद्योग, जिन्हें बड़े औद्योगिक देशों की शह प्राप्त है, जिनके पास निर्यात बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए चीनी का उत्पादन करने का आधारभूत ढांचा है, चीनी का उत्पादन करेंगे। परिणामस्वरूप चीनी का उत्पादन कम होगा और लाभ ज्यादा होगा तथा कीमत भी ज्यादा होगी। देश को भारी मात्रा में चीनी के निर्यात से हाथ धोना पड़ेगा अन्यथा वह चीनी घरेलू खपत के लिए उपलब्ध होती। खाद्य पदार्थों और खाद्य सामग्री के गैर सरणीकृत निर्यात से देश को भारी नुकसान हो रहा है। यहां तक कि चावल के निर्यात के मामले में भी जिसकी हमारे पास बेहद कमी है, निर्यात पर कोई नियंत्रण नहीं है। आज चीनी की उस किस्म पर नियंत्रण लगाने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है जिसके पास निर्यात बाजार उपलब्ध है। भारत में सभी उद्योगों द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक निर्यात करना असम्भव है। उन मिलों द्वारा जो केवल चीनी की ऐसी किस्म का उत्पादन करते हैं जिसकी मांग निर्यात मांग निर्यात बाजार में है। चुना हुआ निर्यात करने से चीनी के स्वदेशी बाजार को वंचित रहना पड़ेगा, जिसकी पहले से ही कमी है। इससे भारी समस्या पैदा होगी, इस विधेयक को पुरःस्थापित नहीं किया जाना चाहिए था। सरकार को इस तथ्य पर पुनर्विचार करना चाहिए था कि क्या इस बात का पता लगाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है कि आंतरिक खपत और चीनी की उपलब्धता की कीमत पर निर्यात नहीं किया जाना चाहिए। मैं यही कहना चाहता था।

सभापति महोदय : श्री पाटिल, कृपया संक्षेप में बोलें।

(व्यवधान)

* भारत के राजपत्र असाधारण भाग-2 खण्ड-2 दिनांक 19.12.96 में प्रकाशित।

श्री सनत मेहता : महोदय, यह महत्वपूर्ण विधेयक है।

सभापति महोदय : यह निर्णय लिया गया था कि इसे बिना चर्चा किए ही पारित कर दिया जायेगा।

श्री सनत मेहता: महोदय, मैंने इस सदन में अनेक समस्याएं देखी हैं। कार्य मंत्रणा समिति ने यह निर्णय लिया था कि इस पर सभा में खुली चर्चा होगी। यह अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम आपके आदेशों का पालन कर रहे हैं परन्तु आज मुझे कष्ट हो रहा है और हर चीज की एक हद होती है। यहां तक कि कार्य मंत्रणा समिति के वे सदस्य, जो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में कतिपय निर्णयों पर सहमत थे, उन विषयों पर सभा में बोल रहे हैं।

सभापति महोदय : मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों हुआ है। मैं कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य नहीं था।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको मालूम है कि कार्य मंत्रणा समिति में सभी दलों के सदस्य होते हैं।

(व्यवधान)

श्री सनत मेहता : महोदय, मैं जानता हूं।

सभापति महोदय : वे निर्णय लेते हैं। इस विधेयक को यहां पर पारित करने से केवल दस मिनट पूर्व उन्होंने यह निर्णय लिया था।

श्री सनत मेहता : कृपया मुझसे यह न कहें...**(व्यवधान)** मैं दस वर्षों तक कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य रहा हूं।

सभापति महोदय : सभा सर्वोच्च है आप कोई भी निर्णय ले सकते हैं।

श्री सनत मेहता : कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य होने के बाद मैंने ऐसा कभी नहीं कहा होता।

सभापति महोदय : श्री मेहता आप जो कह रहे हैं मैं उसका परिवाद नहीं कर रहा हूं परन्तु एक बार यदि कोई निर्णय ले लिया जाता है तो वह स्वीकार्य होना चाहिए।

श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल (इरन्डोल) : महोदय, यह अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक है। जब इस विधेयक को पहली बार पुरःस्थापित किया गया था तो हमारा विचार था कि इससे निर्यात में मदद मिलेगी और चीनी उद्योग को निर्माताओं, किसानों और अन्य लोगों के साथ काम करने में सुविधा होगी। परन्तु इस विधेयक पर विचार करने के बाद मेरी जानकारी में जो भी आया है उससे मुझे यह पता लगा है कि इसमें कई कमियां हैं जहां इस पर कतिपय सीमाओं तक ही सीमित रहना चाहिए। निर्माताओं पर कई प्रकार के प्रतिबन्ध लगाए गए हैं। आजकल केवल दो एजेंसियां निर्यात के क्षेत्र में काम कर रही हैं और बाकी मिलों को अपने स्तर पर इसकी अनुमति नहीं दी गई है। निर्यात के कारण होने वाले खर्च को मिलों द्वारा कायम रखा जायेगा। यदि यहां विधेयक अधिनियम बन गया तो चीनी मिलों पर लगाए गए अनेक प्रतिबन्धों को हटाना पड़ेगा।

जब यह विधेयक लागू होगा निर्यातकों के बीच निश्चित रूप से कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। इस क्षेत्र में अनेक प्रतिस्पर्धियों के आने से बेहतर गुणवत्ता, त्वरित सुपुर्दगी और किफायती सुनिश्चित होंगे। किफायती मूल्यों का सीधा संबंध चीनी की गुणवत्ता से है। यदि चीनी की गुणवत्ता में सुधार होता है तो भविष्य में बाजार भी बेहतर होगा। मैं ऐसा नहीं सोचता हूं कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में खुले बाजार के प्रस्ताव पर कोई चिन्ता की बात नहीं है।

1995 में सरकार ने एजेन्सी को 11 लाख टन चीनी का निर्यात करने की अनुमति दी थी। 925 करोड़ रुपयों का व्यापार हुआ। 56 करोड़ रुपये का नुकसान विभिन्न चीनी मिलों को अपने स्तर पर उठाना पड़ा। चीनी का निर्यात करने में हुए नुकसान को निर्यातक चीनी मिलों द्वारा स्वयं वहन करना पड़ा ये वे प्रतिबंध हैं जो चीनी मिलों पर लगाए गए थे। मेरे विचार से किसी भी चीनी मिल पर इस प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए।

इस विधेयक में ऐसे कतिपय अन्य मुद्दे भी हैं जिनका विरोध किया जाना चाहिए। उनमें से एक उपबन्ध एजेन्सियों को दी गई सुरक्षा है। विधेयक के खण्ड 12 के अन्तर्गत केवल एजेन्सी को पूरी सुरक्षा प्रदान की गई है, न कि किसी एक चीनी मिल को। यदि इस विधेयक को पारित किया जाता है तो इस प्रकार के प्रतिबंधों को हटाया जाना चाहिए। इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : सभापति महोदय, यह विधेयक बहुत स्पष्ट है। मैं माननीय सदस्य की भावना सुन रहा था। माननीय सदस्य की जो आशंका है, वह तो और निर्मूल हो जाएगी क्योंकि अभी तक शुगर का एक्सपोर्ट एक कम्पनी और दूसरी कम्पनी के बीच कैनलाइज सिस्टम से हो रहा था। उसके बाद कोई एजेंसी ही नियुक्त नहीं थी। कैनलाइज सिस्टम से शुगर बाहर जाता था। इसे डीकैनलाइज करने से सबको आजादी मिल जाएगी, चाहे कौपरेटिव मिल वाले हो चाहें शुगर उत्पादन की कोई भी यूनिट हो। इससे कम्पनी का निवेश बढ़ेगा, देश में अच्छी क्वालिटी की चीनी बनेगी। आज भारत का स्थान शुगर निर्यातक के रूप में है। जहां तक माननीय सदस्य की लिमिटेशन की शंका है, मैं बताना चाहता हूं कि घरेलू चीनी के उपयोग की प्रायरिटी को ध्यान में रखा जाएगा। देश में 130 लाख टन चीनी की खपत है, जो सरप्लस चीनी होगी, उसे एक्सपोर्ट करेंगे। उसे हम डीकैनलाइज कर रहे हैं। शुगर एक्सपोर्ट प्रमोशन बिल के जरिए सबको आजादी मिल रही है। इसलिए मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि इसे पारित किया जाए।

अपरान्ह 4.00 बजे

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चीनी निर्यात वृद्धि अधिनियम, 1958 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार करती है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गए।

[हिन्दी]

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाये,"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपरान्ह 4.02 बजे

[अनुवाद]

कंपनी (संशोधन) विधेयक*

सभापति महोदय : अब मद संख्या 28। वित्तमंत्री

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैंने अपनी 22 जुलाई, 1996 के भाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि कम्पनी अधिनियम, 1956 को व्यापक रूप से पुनः लिखा जाए। इसलिए मैंने कम्पनी अधिनियम का पुनः प्रारूप तैयार करने के लिए एक कार्यदल गठित किया था जिसमें कानून, अर्थशास्त्र और कम्पनी मामलों की जानकारी रखने वाले व्यक्ति थे। मेरा विचार है कि सभा में नया विधेयक लाने से पूर्व आप चर्चा के लिए कम्पनी अधिनियम के नए प्रारूप को उपलब्ध कराऐं।

मैंने अपने बजट भाषण में इस बात का भी संकेत दिया था कि मैं वर्तमान कम्पनी अधिनियम में कुछ आवश्यक संशोधन करना चाहता हूं। मैंने राज्यसभा में 18 सितम्बर 1996 को कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1996 पुरःस्थापित किया था और उसे स्थायी समिति को सौंपा गया था। जिसने संसद के दोनों सदनों में 26 नवम्बर 1996 को विधेयक पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

राज्य सभा में विधेयक पर 16 दिसम्बर 1996 को विचार हुआ। स्थायी समिति की रिपोर्ट को देखते हुए जिसने गैर मतदाता शेयरों को शुरू करने से संबद्ध उपबन्ध (जो विधेयक का खण्ड 6 है) का विलोपन करने की सिफारिश की हैं और राज्यसभा में विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचार कि जिनमें मुख्यतः यह सुझाव दिया गया था कि कम्पनी अधिनियम में व्यापक संशोधन करते समय आम चर्चा के बाद गैर मतदाता शेयरों की अवधारणा पर विचार किया जाये, मैंने उस सभा में एक सरकारी संशोधन पेश किया था जिसमें विधेयक से खण्ड 6 को हटा लेने का प्रस्ताव किया गया था, राज्य सभा ने पहले इस संशोधन को स्वीकृत कर लिया था और खण्ड 6 को हटाने के पश्चात उस विधेयक को पारित कर दिया था। अतः इस विधेयक में अब मैर मतदाता शेयरों को शुरू करने का कोई प्रावधान नहीं है।

किसी कंपनी के बंद होने पर जमाकर्ताओं, निवेशकों, कर्मचारियों के हित में और निगमित क्षेत्र के हित में कुछ प्रक्रिया संबंधी और कानूनी अपेक्षाओं के सरलीकरण के लिए अधिनियम में कुछ आवश्यक संशोधन करने की मांग विधेयक में की गई है।

[अनुवाद]

प्रस्तावित संशोधनों से इन वर्गों को राहत होगी जो इस प्रकार हैं :

1. कम्पनियों को अब "मेमोरेडम ऑफ एसोसिऐशन" में उनके उद्देश्यपरक खण्डों में परिवर्तन के लिए लॉ बोर्ड की पुष्टि प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

2. कम्पनी अधिनियम की धारा 58क के अंतर्गत प्राप्त जमा के संबंध में जो कम्पनियां जमा राशि के पुनर्भुगतान और उस पर ब्याज की अदायगी में चूक करती हैं उन्हें जनता से पुनः निक्षेप प्राप्त करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ऐसी कम्पनियों को अन्तरनिगम निवेश करने/ ऋण के लिए भी प्रतिबंधित किया जायेगा।

---

* भारत के राजपत्र असाधारण भाग-दो खंड 2, दिनांक 19.12.96 में प्रकाशित।

3. धारा 80 (5क) में प्रस्तावित संशोधन के अंतर्गत 20 वर्ष की समयावधि जिसकी समय सीमा 10 वर्ष तक की है, से ज्यादा समय के लिए 'रिडिमेबल प्रेफरेंस शेयर' को निर्गमित करने की स्थिति में होगी। इस संशोधन से जिन परियोजनाओं में विशेषकर मूलभूत ढांचे के क्षेत्र में तैयारी के लिए लम्बा समय लगता है, कम्पनियां पूंजी को लम्बी अवधि तक अपने पास रखने की स्थिति में होंगी।

4. म्युच्युल फंड और विभिन्न कम्पनियों में उनके द्वारा लगाये शेयरों के संबंध में जोखिम पूंजी निधि के संबंध में मत देने के अधिकार की प्रस्तावित स्वीकृति से उनको कम्पनियों के कार्यकरण में आधिकारिक रूप से अपनी बात कहने का एक अवसर मिलेगा जिससे लघु निवेशकों की ओर से ऐसी निधियों द्वारा इन कम्पनियों में लिए गए निवेश पर अधिकतम लाभ मिल सके।

5. कम्पनियों के परिसमापन की स्थिति में प्राथमिकता पाने की दृष्टि से कर्मचारियों के वेतन या मजदूरी के भुगतान पर सीमा निर्धारण को सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाने के प्रस्ताव से कर्मचारियों को लाभ होगा। क्योंकि सरकार जीवनयापन खर्च में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए आवधिक रूप से वेतन सीमा बढ़ाने की स्थिति में होगी।

कम्पनियों को कम्पनी रजिस्ट्रार के पास कम्प्यूटर फ्लापी में/डिस्क में अपने दस्तावेज फाइल कराने की अनुमति देने से उन्हें दस्तावेज फाइल करने की प्रौद्योगिकी दृष्टि से समुन्नत विकल्प मिलेगा और इससे सरकारी कार्यालयों में और कारपोरेट कार्यालयों में अनावश्यक कागजी कार्यक्रम होगा। स्थायी समिति ने मताधिकार रहित शेयर (नान वोटिंग शेयर) शुरू करने, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया है, से सम्बन्धित खंड को छोड़कर विधेयक की सिफारिश की है, इस खंड को पहले ही विधेयक से हटा दिया गया है। स्थायी समिति ने वरीयता वाले शेयरों की पुनः खरीद अवधि से संबंधित खंड 5 के बारे में कुछ आपत्तियां व्यक्त की हैं। किसी तरह यह गलत धारणा पैदा की गई थी कि एक अनिवार्य प्रावधान लागू किया जा रहा है जिसके अंतर्गत कम्पनियां 20 वर्ष की अवधि के लिए पुनः खरीदे जाने योग्य वरीयता प्राप्त शेयर जारी करेंगे। मेरे स्पष्टीकरण सुनने के बाद स्थायी समिति के सदस्य इस बात से सन्तुष्ट हैं कि जो प्रावधान लागू किया जा रहा है इससे कम्पनियां 20 वर्ष की अनधिक अवधि के लिए पुनः खरीदे जा सकने वाले वरीयता प्राप्त शेयर जारी कर सकने की स्थिति में होंगे। इस तरह प्रस्तावित संशोधन दीर्घ अवधि के लिए पूंजी जुटाने खास तौर पर लम्बे समय तक चलने वाली आधारभूत परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाने के लिए एक सक्षम प्रावधान है।

मैं प्रस्ताव करता हूं:—

> "कम्पनी अधिनियम 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया:—

> "कम्पनी अधिनियम 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए एक घंटे का समय दिया गया है।

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : महोदय, इस विधेयक को बिना किसी चर्चा के पारित कर दिये जाने के लिए सहमति थी।

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) : जो विधेयक राज्य सभा यथा संशोधित माननीय वित्त मंत्री ने सदन के समक्ष, प्रस्तुत किया है वह अधिक व्यावहारिक नहीं है। मैं इसकी कुछ खामियों और मुद्दों पर माननीय वित्त मंत्री द्वारा विचार किये जाने का अनुरोध करना चाहता हूं। इस समय लिमिटेड कम्पनियों के नाम से भारत में भारी धोखाधड़ी की जा रही है। हजारों वित्त कम्पनियां और चिट फण्ड कम्पनियां रातोंरात खोली जा रही हैं। जिनके पास न तो कोई सम्पत्ति है और न ही कोई परिसम्पति। उनके पास तो केवल लेटरहेड और बोर्ड ही होता है। इन धोखाधड़ी करने वाली कम्पनियों को खोलने की सरकार की अनुमति होती है। यह कम्पनियां लाखों निवेशकों को जो कि मध्यम आय वर्ग से है, जो कि अपनी मेहनत की कमाई को अपनी भविष्य निधि और अपनी छोटी-छोटी बचतों को ऐसी कम्पनियों में निवेश करते हैं उन्हें धोखा दे रही हैं।

महोदय, यह देखा जाता है कि अगली ही सुबह को ये वित्त कम्पनियां गायब हो जाती हैं और गरीब निवेशकों को दर-दर भटकना पड़ता है। रजिस्ट्रार आम कम्पनी और सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि वे इस वित्त कम्पनियों की प्रमाणिकता की जांच करवाने के लिए कोई कदम नहीं उठाते जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक दिन लाखों लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। इससे पहले प्रावधान था जिसके अन्तर्गत एक कन्ट्रोलर ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कम्पनीज हुआ करता था। नियंत्रक प्रत्येक व्यक्ति का अभ्यावेदन जो कि ज्वाइंट स्टॉक कम्पनी बनाना चाहता है, उसकी जांच करता था कि उसके पास कुछ धनराशि है या नहीं, सम्पत्ति है या नहीं अथवा उसके पास कोई बिल्डिंग, प्रोजेक्ट या वास्तविक सम्पदा है या नहीं।

महोदय, परन्तु अब उदारीकरण के नाम पर, खुली अर्थव्यवस्था के नाम पर, विश्व एकीकरण के नाम पर और लोगों को स्वतंत्र रखने के नाम पर लगातार लूट चल रही है और इस लूट से लोगों का गरीब

लोगों का शोषण हो रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय वित्त मंत्री को न केवल उन लोगों के उत्पादन में रुचि लेनी चाहिए जो पहले से ही अमीर हैं वरन् ऐसे प्रावधान भी करने चाहिए जिससे इन धोखेबाज वित्त कम्पनियों और चिट फण्ड कम्पनियों पर रोक लगाई जा सके और ऐसी कम्पनियों की प्रमाणिकता और परिसम्पत्तियों की जांच पड़ताल की जा सके। ऐसा कानून बनाया जाये जिससे निवेशकों का शोषण रोका जा सके।

यह ठीक है कि राज्य सभा ने पहले ही से 'नान वोटिंग शेयर राइट्स' जो कि पहले विद्यमान थे अलग कर दिया है। हमारा उस पर कोई मतभेद नहीं है। बाकी प्रावधान अनपकारी हैं मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। परन्तु मैं केवल इस बात पर बल देना चाहूंगा कि गरीब निवेशकों के हितों की रक्षा अवश्य की जानी चाहिए। 'सेबी' को इनकी रक्षा में सक्षम होना चाहिए। 'सेबी' के कई मायनों में बड़े ही महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं जैसा कि इसके स्टाक एक्सचेंज में कर्तव्य हैं इत्यादि। नई कम्पनियां जारी करने और उन्हें विनियंत्रित करने के लिए कंट्रोलर ऑफ ज्वाइंट कम्पनीज की नियुक्ति जैसा प्रावधान अवश्य किया जाना चाहिए। इसे बनाकर लाखों निवेशकों के हितों की रक्षा की जा सकेगी। मैं सोचता हूं कि माननीय वित्त मंत्री गरीब लोगों की भी चिन्ता करेंगे।

श्री सनत मेहता : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक पर कोई भाषण नहीं देना चाहता यदि निवेशकों की बाजार में पूर्ववत स्थिति रही।

हम इस विधेयक को दो कारणों से ला रहे हैं जैसा कि उद्देश्यों और कारणों के कथन में बताया गया है "अर्थात जमाकर्ताओं और कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान करना और निगमित क्षेत्र के हित में कुछ प्रक्रियात्मक और विधिक अपेक्षाओं को सरल बनाना।

महोदय हमारे वित्त मंत्री एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और जब वे वित्त मंत्री बने थे तो कम से कम मुझे यह आशा थी कि बाजार समृद्ध होगा और अधिक निक्षेप को जुटाया जा सकेगा और उद्योग और अधिक उन्नति करेगा। लेकिन यदि हम आज की स्थिति पर निगाह डाले, तो एक ही असली मुद्दा सामने आता है कि निवेशकों को कैसे सुरक्षा प्रदान की जा सके। परन्तु निवेशक हैं कहां?

परन्तु असली मुद्दा यह है कि वर्तमान परिस्थितियों में क्या ये संशोधन सचमुच अपने उद्देश्य एवं लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे?

माननीय वित्त मंत्री भी जानते हैं कि इस वर्ष "सेनसेक्स" तीन गुणा नीचे गिर गया है। भारतीय जी.डी.आर.पी. भी बहुत ही निम्न स्तर तक गिर गया है। इसलिए देश में ऐसी स्थिति आ गई है कि शेयर और इक्विटी के माध्यम से हम धन नहीं जुटा पा सकते। मुझे इस बात का डर है कि भारत सरकार जो विनिवेश करने जा रही है वह बड़ा ही मुश्किल कार्य सिद्ध होगा। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि वे स्टाक मार्केट को और निवेशकों के विश्वास को पुनर्जीवित करने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं। नहीं तो ऐसी ही स्थिति हो जायेगी जैसे कि घोड़ों द्वारा अस्तबल छोड़ जाने पर फिर अस्तबल का दरवाजा बंद किया जाये। मेरा मुद्दा यह है कि पूंजी बाजार को बिना किसी विलंब के पुनः उठाया जाये।

महोदय, बम्बई स्टाक एक्सचेंज में कुल 5350 सिक्योरिटीज दर्ज हैं और इसमें से सममूल्य वाले शेयर की कीमत और भी कम हो गई है इनकी संख्या 3122 है। ये ऐसी सिक्यारिटीज हैं जिनका मूल्य उसके अंकित मूल्य से भी कम है, ये लगभग 58.36 प्रतिशत है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि आधे से अधिक सिक्योरिटीज उसके अंकित मूल्य से भी कम मूल्य पर देने की पेशकश की जाती है। महोदय, यह बड़ी ही शोचनीय स्थिति है कि 35.74 प्रतिशत सिक्योरिटीज 5 रु. से कम में देने की पेशकश की गई है। इनमें सूचीबद्ध सेक्यूरिटीज हैं जिनकी संख्या 1912 है और बम्बई स्टाक एक्सचेंज में 431 सिक्योरिटीज ऐसी हैं जो कि 2 रुपये से कम पर दर्ज हैं और 78 ऐसी सिक्योरिटीज का मूल्य एक रुपये से भी कम है। यह तो शेयर प्रपत्र की मुद्रण खर्च को भी पूरा नहीं करती और ऐसे शेयर केवल एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गए हैं। मैं कम्पनियों की आलोचना नहीं करना चाहता क्योंकि इन कम्पनियों की स्थिति का कोई भी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

महोदय, हम इस मामले में क्या कर रहे हैं। इसका अभिप्राय तो यह है कि निवेशकों के विश्वास को सुदृढ़ के लिए उपाय करने से पहले निवेशकों के संरक्षण का कोई औचित्य नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि यह न केवल सिक्योरिटी के मामले में हो रहा है वरन् जी.डी.आर. के मामले में भी यही हो रहा है। इतना ही नहीं आज के समाचार पत्रों में दिया गया है कि अनिवासी भारतीयों ने भी जो कि हमारे सबसे अच्छे निवेशक थे और अर्थव्यवस्था के उदारीकरण में हमारी सहायता कर रहे थे, भी हाथ खींच लिये हैं।

तथ्य बड़े ही चौंकाने वाले हैं। मैं कुछ तथ्य बताना चाहता हूं। हमने यह वर्ष 1991-92 में आरम्भ किया था। वर्ष 1994-95 में कुल 1343 सार्वजनिक निर्गम थे। इन निर्गमों में से कुछ हिस्सा अनिवासी भारतीयों को प्रस्तावित किया गया और कुछ "ओ.सी.बी" को उस समय 1343 निर्गमों में से 410 निर्गमों को अनिवासी भारतीयों को दिये गये हैं और लगभग 31 प्रतिशत योगदान प्राप्त हुआ।

महोदय, और आज वर्ष 1996-97 (अप्रैल-दिसम्बर) की रिपोर्ट के अनुसार 354 प्राथमिकता वाले निर्गम अनिवासी भारतीयों को देने की पेशकश की गई और जबकि निर्गम शून्य पर ही रहे।

मैं माननीय वित्त मंत्री से अपील करना चाहता हूं कि स्थिति बहुत गम्भीर है और मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूं कि उन्होंने 'नॉन वोटिंग शेयर' के लिए संशोधन को वापस ले लिया है। यदि ऐसा हो जाता तो यह बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती और कुछ विदेशी कम्पनियां जिन्हें हमने 50 प्रतिशत तक इक्विटी की अनुमति दी गई है। वे अपना विदेशी धन ले आते और नॉन वोटिंग शेयर में सारा धन लगा देते

अब यह अच्छा ही हुआ कि हमने इसे वापस ले लिया। अन्यथा दृष्टिकोण तो बाजार से अधिकाधिक पूंजी आकर्षित करने का था। महोदय, यहां तक भारतीय निवेशकों का संबंध है ऐसा सम्भव नहीं है क्योंकि निवेशकों का विश्वास अब उठ चुका है।

इस स्थिति में विधेयक को पारित हो जाने दीजिए। मैं विधेयक का विरोध नहीं करता हूं परन्तु पूंजी बाजार को उबारने के लिए अविलम्ब क्या उपाय किए जा रहे हैं। यदि हम इसमें सफल नहीं हुए तो सम्भवतः हमें औद्योगिकीकरण के लिए आधारभूत क्षेत्र के लिए और पूंजी जुटाने में बड़ी ही गम्भीर स्थिति का सामाना करना पड़ेगा।

महोदय, आप जानते हैं कि उन्होंने पुनः खरीदने योग्य डिबेन्चर की समय सीमा बढ़ाई है, केवल यह सोचकर कि धन का प्रवाह ऐसे क्षेत्रों में आकर्षित किया जाये जहां ज्यादा अवधि के लिए कम लाभ पर निवेश किया जाये। इसलिए वह यह संशोधन चाहते थे। पूंजी बाजार की ऐसी स्थिति में जहां अनिवासी भारतीय हिचक रहे हों और हमारे निवेशक बाजार से माना रहे हों, मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही कि जहां तक अधिकारिधक पूंजी जुटाने का सवाल है, इन संशोधन से क्या लाभ होगा।

मैं तहेदिल से माननीय वित्त मंत्री से अपील करता हूं कि पूंजी बाजार को सुदृढ़ बनाने हेतु तत्काल कदम उठाए जाएं अन्यथा हमें आगामी नये बजट के दौरान बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

मैं केवल यही सब माननीय वित्त मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं जस्टिस लोढा और श्री सनत मेहता का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने बड़े महत्वपूर्ण और सार्थक मुद्दे उठाये। यद्यपि मैं पूर्ण आदर के साथ कहता हूं कि जो विधेयक विचाराधीन है उससे यह मसले नहीं उठते। मैं इन दोनों के लिए बड़ा आदर भाव रखता हूं तथा जो मुद्दे उन्होंने उठाये हैं। मैं उन पर कुछ मिनट के लिए चर्चा करूंगा।

महोदय, जैसा कि मैं मानता हूं कि इस विधेयक के संबंध में काफी व्यापक समर्थन मिला है इसलिए मुझे इस विधेयक पर और अधिक नहीं बोलना चाहिए।

जस्टिस लोढा ने बताया है कि असंख्य वित्तीय संस्थाएं उभर आई हैं जो जनता को धोखा दे रहे हैं और ये संस्थाएं उनका धन लेकर गायब हो गई हैं।

जस्टिस गुमान मल लोढा मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हमारी सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और न ही इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। वित्त कम्पनियां बहुत तरह की होती हैं। एक गैर बैंकिंग वित्त कम्पनियां कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होती हैं और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत नियन्त्रित होती है तथा गैर बैंकिग वित्त कम्पनियों के कार्यकरण को विनियमित करने हेतु रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों के अन्तर्गत कार्य करती हैं।

दूसरी तरह की कम्पनियां निधि या म्युच्युल फंड से संबंधित होती हैं। ये ऐसी कम्पनियां होती हैं जो कि कम्पनी अधिनियम की धारा 620क के अंतर्गत अधिसूचित होती हैं। ये कम्पनियां पहले किसी व्यापक विनियमन के अंतर्गत नहीं आती थी परन्तु 4.10.1995 विनियमन जारी हुआ। ये निधियां विनियमन के अधीन संचालित होती हैं। इस सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद और मेरे द्वारा इस मंत्रालय का यह भार संभालने के बाद इन पर और अधिक प्रतिबंध लगाए गए। हमने इन निधियों पर भी प्रतिबंध लगाये हैं खास तौर पर उनके द्वारा दिए जाने वाले ब्याज दरों पर और हमने उन पर विज्ञापन देने पर रोक लगा दी है।

इसके बाद संगठनों का तीसरा वर्ग आता है और यही बात आपके मस्तिष्क में होगी। इन्हें गलत अर्थ लेकर बैंकिंग वित्तीय निगमों और म्युच्युल बेनेफिट सोसाइटीज के रूप में माना जाता है। ये अनिगमित निकाय हैं। केरल में इन्हें 'ब्लेड' कंपनी कहा जाता है। ये अनिगमित निकाय हैं। ये सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम अध्याय तीन ग से शासित होती है। उन पर मात्र यह अंकुश है कि वे कुछ विशेष संख्या में लोगों से जमा राशि नहीं लेंगे जो उनके भागीदारों या सहयोगियों की संख्या का गुणक होगा। तथापि पिछले वर्ष के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक विज्ञापन के द्वारा संगठनों और निकायों में धन जमा करने के प्रति लोगों को सचेत किया था।

जब मैंने और इस सरकार ने कार्यभार संभाला तो हमने इस मामले की गहन छानबीन की। सभी प्रकार के वित्तीय संस्थाओं पर अंकुश लगाए गए हैं और अभी हमने नए नियम बना लिए हैं जो पिछले एक वर्ष में अनुभव की गई बुराइयों को बहुत हद तक दूर करेगा। मैंने पहले ही इसकी घोषणा कर दी है। मुझे यह स्मरण नहीं है कि मैंने यह घोषणा सभा में की थी या सभा से बाहर। लेकिन मैंने राज्य सभा में यह घोषणा की है कि यदि मुझे विधायन संबंधी समय मिलता है तो इस सदन में विधेयक पेश किया जाएगा। लेकिन यदि विधायन संबंधी समय कार्यों की अधिकता के कारण नहीं मिलता है तो मैं ऐसा अध्यादेश के माध्यम से करूंगा इसलिए यह अब लगभग तैयार ही है। यदि हम कल तक विधेयक पेश नहीं कर देते हैं तो अध्यादेश जारी किया जाएगा। इसलिए मैं श्री लोढा को विश्वास दिलाता हूं कि इस मामले पर मैं पूरा ध्यान दे रहा हूं।

जब यह कानून पारित किया जाएगा तो उन्हें इस बात का पूरा संतोष होगा कि मैंने उस समस्या के समाधान का प्रयास किया जिसने मुझे पिछले एक वर्ष से परेशान कर रखा था।

जहां तक श्री सनत मेहता द्वारा उठाए गए मुद्दों का सवाल है, वे बिल्कुल ठीक है। मैं यह दोहराना चाहूंगा कि इस वर्ष जनवरी में सेनसेक्स सबसे नीचे 2820 प्वाइंट तक गिर गया था लेकिन उस समय

मैं मंत्री नहीं था। उस समय हमारी सरकार नहीं थी। 16 जून को सेन्सेक्स सबसे अधिक 4004 प्वाइंट्स पर पहुंच गया जबकि हमने कुछ भी नहीं किया था और न ही हमने बजट की घोषणा की थी। सेन्सेक्स 2820 प्वाइंट्स तक क्यों पहुंच गया जबकि कांग्रेस पार्टी सर्वशक्तिमान थी, सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था और 6.5 प्रतिशत के लगभग विकास दर था। सेन्सेक्स 4004 प्वाइंट्स की नई ऊंचाई पर क्यों पहुंचा जबकि इस सरकार ने बजट की भी घोषणा भी नहीं की थी? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके सुनिश्चित उत्तर नहीं है। मैं केवल यही कह सकता हूं कि बाजार भावनाओं से प्रभावित है। बाजार कई राजनैतिक विषयों की अनदेखी कर देता है। मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि ये राजनैतिक मसले क्या हैं।

जब निवेशक अखबार में कोई बुरी खबर पढ़ता है तो भी वह इसकी अनदेखी कर देता है। जब वे कोई बढ़िया खबर पढ़ते हैं तो वे इसे बढ़ा-चढ़ा कर देखते हैं। बुरी खबर मैं नहीं दे रहा हूं। आप जानते हैं कि बुरी खबरें कैसे पैदा की जातीं हैं और कौन ऐसा करता है। कुल मिलाकर जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं और बाजार में अवश्य ही उछाल आना चाहिए। हमें बाजार में निवेशकों का विश्वास फिर से पैदा करना चाहिए। श्री मेहता ने वर्ष 1994-95 और 1995-96 में जारी हजारों सैकड़ों निर्गमों की ओर ध्यान दिलाया है। यह स्थिति उन्हीं निर्गमों की वजह से है। वे रातों रात भाग जाने वाले प्रवर्तक नहीं थे। लेकिन वे घटिया दर्जे के निर्गम थे और ये घटिया दर्जे के निर्गम बाजार में बिके और जब वे सूचीबद्ध हुए तो निवेशकों ने पाया कि उसे लाभ नहीं मिल रहा है। अतएव निवेशक बाजार से कतराने लगा है। मैंने बार-बार कहा है कि मुझे छोटे निवेशकों को पुनः बाजार की ओर आकर्षित करना होगा।

अपनी बजट चर्चा के उत्तर में मैंने कई उपायों की घोषणा की थी। उसके बाद फिर, लगभग आठ सप्ताह पहले भास्तीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने कई उपायों की घोषणा की। मेरा विश्वास है कि बाजार अब राजनैतिक मसलों की अनदेखी कर रहा है। मैं समझता हूं कि यदि राजनैतिक मसले नहीं होंगे तो बाजार ऊपर उठेगा। यदि आप पिछले चार दिनों को देखें तो पाएंगे कि 13 दिसम्बर को बाजार एक प्वाइंट ऊपर उठा, सोमवार 16 दिसंबर को यह 78 प्वाइंट उछला, मंगलवार 17 दिसंबर को यह 25 प्वाइंट चढ़ा और बुधवा 18 दिसंबर को यह 17 प्वाइंट बढ़ा और आज जबकि श्री सनत मेहता ने सशक्त रूप से हस्तक्षेप किया है तथा मै। भी उनके साथ हूं अतएवं मुझे पूरी आशा है कि आज भी बाजार ऊपर उठेगा। लेकिन मैं छोटे निवेशकों की बाजार में वापसी को सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम प्रयास कर रहा हूं। हम लोग इस विधेयक के द्वारा कुल मिलाकर छोटे निवेशकों में पुनः विश्वास पैदा कर रहे हैं। अब हम कंपनी अधिनियम में मौजूद छोटी-छोटी खामियों को दूर कर रहे हैं। इसके लिए व्यापक विधेयक आने तक इंतजार नहीं किया जा सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि व्यापक विधेयक जनवरी में आम चर्चा के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस पर पूरे में छः महीने तक आम चर्चा जरूर की जानी चाहिए और फिर विधेयक को औपचारिक तौर पर संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। यह कार्य दिन-रात चल रहा है। इसलिए कृपया मेरे साथ सहयोग करें। मैं एक व्यापक विधेयक लाऊंगा और यह जनवरी 1997 में आम चर्चा के लिए प्रस्तुत कर दिया जाएगा।...**(व्यवधान)**

श्री सनत मेहता : अनिवासी भारतीयों के संबंध में क्या राय है?

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, यह मान लेना गलत है कि अनिवासी भारतीय भारत में निवेश नहीं कर रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में अनिवासी भारतीयों द्वारा की गई निवेश की राशि 2.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। यह हो सकता है कि अनिवासी भारतीय शेयरों में निवेश नहीं कर रहे हों पर वे निजी क्षेत्र जैसे अन्य क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हम निजी क्षेत्र को ले सकते हैं।

श्री सनत मेहता : वे पहले निवेश कर रहे थे।

श्री पी. चिदम्बरम : वे निवेश कर रहे थे लेकिन ये घटिया दर्जे के शेयर थे जो वर्ष 1994-95 और 1995-96 में बाजार में आए थे।

महोदय, हमने इस विषय का पूर्ण विश्लेषण किया है। अनेक शेयर घटिया दर्जे के थे। आज जब बढ़िया दर्जे का आता है-मैं उन्हें रातोंरात भागने वाला नहीं कह सकता, लेकिन शेयर घटिया दर्जे का था-जब भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अपने शेयर लाता है। इसे पूरा अभिदान मिलता है, जब आई.सी.आई.सी.आई. अपने शेयर लाता है तो इसे पूरा अभिदान मिलता है, बैंक ऑफ बड़ौदा के निर्गम को पूरा अभिदान मिला, देना बैंक के निर्गम को भी पूरा अभिदान मिला।...**(व्यवधान)**। महोदय, मैं नहीं समझता कि हम कंपनी विधेयक पर चर्चा के समय स्टॉक मार्केट के विवाद में उलझ जाएं। माननीय सदस्य ने जो कुछ भी कहा है मैं उसे स्वीकार करता हूं और मैं उस पर कार्रवाई कर रहा हूं।

यदि आज अच्छा गुणवत्ता वाला शेयर बाजार में आता है तो मुझे इसमें कोई शंका नहीं कि निवेशक इन शेयरों को नहीं खरीदेगा। लेकिन यदि घटिया दर्जे का शेयर आता है, तो निवेशक को प्रर्वत्तकों की विश्वसनीयता पर भरोसा नहीं होता है। ठीक इसी समय निजी क्षेत्र ने 'प्राइवेट प्लेसमेंट' के जरिये लगभग 17,000 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं। 'प्राइवेट प्लेसमेंट' के जरिये वे धन एकत्रित करने में सफल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि निवेशक अपना धन नहीं लगाना चाहता है। वह अपना धन अच्छे शेयरों में लगाना चाहता है। वह अपना धन अच्छे इन्स्ट्रूमेंन्ट्स में लगाना चाहता है, चाहे वे शेयर हों या प्रतिभूति। हमें जो अवश्य करना चाहिए वह यह सुनिश्चित करना है कि सिर्फ अच्छे गुणवत्ता वाले शेयर ही बाजार में आएं। जैसाकि खराब धन अच्छे धन को छितरा देता है उसी प्रकार घटिया दर्जे के शेयरों से निवेशक इतना भयभीत हो जाता है कि वह अच्छी गुणवत्ता वाले शेयरों से भी कतराने लगता है। खैर, जो भी हो, मैं माननीय सदस्य के विचारों से सहमत

हूं। हमें बाजार के विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए अवश्य कुछ और करना होगा और मैं बाजार के विश्वास को पुनःस्थापित करने के लिए आवश्यक उपाय करने का अधिकतम प्रयास करूंगा। ...**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : राजनीतिक गतिविधियां नियंत्रण के परे हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : यह मेरे नियंत्रण के परे हैं। जो मैं कर सकता हूं, वह मुझसे कहिए। यदि किसी दल में राजनैतिक विलंब हो, तो क्या मैं उससे निबट सकता हूं? मैं उससे नहीं निबट सकता हूं। यदि एक दल विभाजित हो गया हो, तो क्या मैं उससे निबट सकता हूं? मैं उससे नहीं निबट सकता हूं।...**(व्यवधान)**

श्री सनत मेहता : ऐसा प्रतीत होता है कि आप उन चीजों के प्रति संतोष प्रकट कर रहे हैं जो वास्तविकता नहीं है। अनेक आर्थिक जर्नल हैं और इनमें कहा गया है कि विदेशी संस्थागत निवेशक भी भारत से दूर ही रहे हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, यह उक्ति भी ठीक नहीं है। कल के 'इकानॉमिक टाइम्स' में छपे विश्लेषण को ही पढ़िए। आज विदेशी संस्थागत निवेशकों पर छपे संपादकीय को पढ़िए। कृपया 'इकानॉमिक टाइम्स' के विश्लेषण को पढ़ें। उन्होंने पीछे की ओर जाने वाला विश्लेषण किया है। हम लोग अलग-अलग निष्कर्षों पर पहुंच सकते हैं लेकिन हमें यह नहीं कहना चाहिए कि केवल मेरा निष्कर्ष ही ठीक है। मैं केवल एक दृष्टिकोण रख रहा हूं। मेरे विद्वान मित्र कहते हैं कि विदेशी संस्थागत निवेशक बाजार का परित्याग कर रहे हैं। यह सही नहीं है। भारत में विदेशी संस्थागत निवेशकों का निवेश पहले ही कुल मिलाकर सात बिलियन डॉलर को पार कर चुका है। सिर्फ इसी वर्ष, विदेशी संस्थागत निवेशक शुद्ध खरीददार रहे हैं और उन्होंने दो बिलियन डॉलर की खरीद की है। कृपया कल के 'इकानॉमिक टाइम्स' के प्रतीप-गमन विश्लेषण को पढ़ें। यदि आप कुल खरीद, कुल बिक्री, और शुद्ध खरीद के स्टॉक संदर्भ में कल छपे ग्राफ को और स्टॉक मार्केट सूचकांक को प्रतीप-गमन विश्लेषण के साथ देखें तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसे बाजार के लिए घातक कहा जाए। आज के 'इकानॉमिक टाइम्स' के पहले संपादकीय को पढ़ें। हमारे दृष्टिकोण अलग-अलग हो सकते हैं और हम अलग-अलग निष्कर्षों पर पहुंच सकते हैं।

हम लोगों ने इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं किया है जो निवेशक या निगमित क्षेत्र के प्रतिकूल हों। वस्तुतः हमारा प्रत्येक उपाय विश्वास की पुनः स्थापना के लिए है। मैं आपसे सहमत हूं कि मुझे और अधिक करना चाहिए। मैं आपके सुझाव लेने को तैयार हूं। मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं। मैं सभी से बात करना चाहता हूं। लेकिन हमें पूंजी बाजार में विश्वास पुनःस्थापित करने के लिए असंभव उपाय करना चाहिए। यह विधेयक निवेशक के विश्वास को अर्जित करने में सहायक होगा। मैं माननीय सदस्यों से इस विधेयक को पारित करने के लिए नम्रतापूर्वक अपील करता हूं।

धन्यवाद। मैं श्री लोढा और श्री सनत मेहता को वाद-विवाद में भाग लेने के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अनुरोध करता हूं कि आप निर्णयों में तेजी लाएं।

श्री पी. चिदम्बरम : जी हां।

श्री सनत मेहता : महोदय, यह मेरी कठिनाई है। मुझे और समय दिया जाना चाहिए था।

सभापति महोदय : आपको सात मिनट का समय दिया गया था।

प्रश्न यह है :

> "कि कम्पनी अधिनियम 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है :

> "कि खंड 2 से 10 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 10 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

> "कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपरान्ह 4.33 बजे

[अनुवाद]

महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय विधेयक*

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह (बलिया) (बिहार) : सभापति महोदय, मुझे आपत्ति है कि ये हिन्दी विश्वविद्यालय का विधेयक अंग्रेजी में पेश कर रहे हैं।

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : सभापति महोदय, यह हिन्दी में पेश किया जाना चाहिये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय (श्री पी.एम. सईद) : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। कृपया व्यवधान न डालें। मंत्री जी को कहने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह : इसको हिन्दी में प्रस्तुत किया जाये। मंत्री जी हिन्दी बोलिये।

सभापति महोदय : रिप्लाई में बोलेंगे।

श्री शिवराज सिंह : मंत्री जी हिन्दी अच्छी तरह जानते हैं, हिन्दी बोल सकते हैं। हमारी भावना को समझिये। इसलिये हमारा निवेदन है कि यदि हिन्दी में प्रस्तुत कर सकें तो इससे बेहतर और कुछ नहीं।

श्री एस.आर. बोम्मई : मुझे बिल तो मूव करने दीजिये। मैं आश्वासन देता हूं कि डिबेट का जवाब हिन्दी में करूंगा।

[अनुवाद]

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि हिन्दी भाषा और साहित्य के संवर्धन और विकास के लिए, अध्यापन और अनुसंधान के माध्यम से, इस दृष्टि से कि उसे प्रकार्यात्मक प्रभावशीलता और मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता अभिप्राप्त करने में समर्थ बनाया जा सके, अध्यापन विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

महोदय, विश्व हिन्दु सम्मेलन में यह मांग की गई थी कि अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में हिन्दी को अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता मिलनी चाहिए। हमें यह भी जानना जरूरी है कि भारत के बाहर कई देशों में हिन्दी बोली जाती है। जहां भारतीय जाकर बस गए और उन देशों का विकास किया इस विश्वविद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य यह है कि हिन्दी के विद्वान और विदेशों के हिन्दी ज्ञाता भी यहां आएं और शोध करें जिससे हिन्दी भाषा समृद्ध बने और यह एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बन जाए और इसे विश्व में तथा अपने देश में भी उपयुक्त स्थान मिले।

इस विधेयक का यही उद्देश्य है। एक समिति नियुक्त की गई थी जिसने इस विधेयक की सिफारिश की है। स्थायी समिति ने भी इसका अनुमोदन कर दिया है। मैं इस विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करें।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि हिंदी भाषा और साहित्य के संवर्धन और विकास के लिए अध्यापन और अनुसंधान के माध्यम से, इस दृष्टि से कि उसे प्रकार्यात्मक प्रभावशीलता और मुख्य अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त करने में समर्थ बनाया जा सके, अध्यापन विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

इस विधेयक के लिए दो घंटे का समय दिया गया है।

श्री एस.आर. बोम्मई : महोदय, मैं आपसे सदन से जाने की अनुमति चाहता हूं। मेरे सहयोगी मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री टिप्पण लेने हेतु यहां पर उपस्थित रहेंगे। मैं आधे घंटे के पश्चात लौट आऊंगा।

सभापति महोदय : जी हां।

[हिन्दी]

श्री विजय अन्नाजी मुडे (वर्धा) : सभापति महोदय, मेरे संसदीय जीवन का यह पहला भाषण है और लोक सभा का सदस्य चुने जाने के बाद यह पहला अवसर है कि मैं आज अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। इसलिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं जो आपने मुझे मेरे विचार व्यक्त करने की अनुमति दी। मैं बोम्मई साहब को भी धन्यवाद देता हूं कि वह तो अहिंदी भाषी राज्य के हैं। लेकिन उनका बड़ा सौभाग्य है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का विधेयक प्रस्तुत करने का मौका उन्हें इस सदन में मिला है। महोदय, मैं बड़ा सद्भागी और प्रसन्न हूं कि यह अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठ मेरे निर्वाचन क्षेत्र वर्धा में, मेरे गांव में स्थापित होने जा रही है। वर्धा एक अंतर्राष्ट्रीय

---

* भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-दो खण्ड-2, दिनांक 19.12.96 में प्रकाशित

महत्व का केन्द्र रहा है। महात्मा गांधी, पूज्य विनोबा भावे का कार्यक्षेत्र वर्धा रहा है। 1936 में महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्र भारत का एक सपना देखा था और मेरे सपने का भारत कैसा होगा, उनकी अभिलाषा थी और उन्होंने यह भिन्न-भिन्न भाष, भिन्न-भिन्न पहनावे वाला देश, अनेक भाषा, अनेक प्रदेश फिर भी हमारा एक देश, ऐसा महात्मा गांधी कहा करते थे। महात्मा गांधी ने इस राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए एक हृदय हो भारत जननी, सम्पूर्ण भारत एक सूत्र में बंधना चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी जी का सपना था। वह यह चाहते थे कि इस देश की एक भाषा होनी चाहिए जिसे राष्ट्र भाषा कहा जाए। इसलिए उनका आकर्षण हिंदी के प्रति था। महात्मा गांधी गुजराती भाषिक राज्य के थे, फिर भी उन्होंने वर्धा में आने के बाद हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, हिंदी का प्रचार होना चाहिए और हिंदी के माध्यम से करोड़ों भारतीयों के हृदय में यह एक भावना होनी चाहिए, यह उनका सपना था। इसलिए 1936 में महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना वर्धा में की थी। यह स्थापना करते वक्त इस देश के महान राष्ट्रभक्त, देश गौरव सुभाष चंद बोस, महान देशभक्त डा. राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आचार्य काका कालेलकर ये सब राष्ट्रभाषा प्रचार समिति से संस्थापक सदस्य थे और जब से बापूजी के मन में एक यह भावना निर्माण हुई थी कि हिंदुस्तान के कोने-कोने में भिन्न भाषाएं बोली जाएं, लेकिन उनकी एक भाषा हो, ताकि राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा जाए। इसीलिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के माध्यम से पूरे देश में हजारों प्रचारक निर्माण करने के प्रयास राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा ने किया। आज यह बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक आ रहा है, जो यह विश्वविद्यालय वर्धा में स्थापित होने जा रहा है। हिंदी के लिए हिंदीभाषी राज्यों के लोगों ने क्या किया, यह तो मैं नहीं बता सकता, उनकी तो भाषा ही थी। लेकिन इस देश के गौरव की बात यह है कि जो मेरा राज्य है वह मराठी भाषी राज्य है, लेकिन हिंदी के प्रचार के लिए मेरे राज्य ने बहुत प्रयास किया।

हमारे यहां अनेक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने हिन्दी भाषा के जरिए लोगों के मन में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाई। नेताजी सुभाष चन्द बोस का वह नारा आज भी आपको महाराष्ट्र के स्कूलों में देखने को मिल जाएगा-'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा'। महाराष्ट्र में आज भी इसे बड़े गौरव से गाया जाता है। हमारे यहां अनेक संत ऐसे हुए हैं, जिन्होंने मराठीभाषी होते हुए भी हिन्दी में रचनाएं की। ऐसे एक महान संत राष्ट्रसत्गुरु जी महाराज हुए हैं जिन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद ने 'राष्ट्र संत' की उपाधि से विभूषित किया था। उन्होंने उस समय देश के लोगों के मन में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाई थी और अनेक रचनाएं की थीं। उनके भजन आज भी महाराष्ट्र में भक्ति से गाये जाते हैं। राम का विरोध करने वाले यहां भले ही कुछ लोग हों लेकिन मुझे याद है कि महाराज जी की मृत्यु के पश्चात् आज भी महाराष्ट्र के लोग बड़े गर्व से उनके इस भजन को गाते हैं-

सच्चे सेवक बनेंगे हम, आजादी को पाऐंगे,
घर-घर में आबादी बनाकर रामराज्य करवाऐंगे।

सत्गुरू जी महाराज ने हिन्दी के माध्यम से पूरे हिन्दुस्तान के लोगों के दिल में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने का प्रयास किया था।

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : हमारे यहां संत श्री रामदेव जी हुए हैं, जो मराठीभाषी होते हुए भी, हिन्दी में लिखते थे। उनकी वाणी गुरू ग्रंथसाहब में शामिल है।

श्री विजय अन्नाजी मुडे : मैं स्वयं आगे चलकर संत नामदेव जी का नाम लेने वाला था। वे मराठीभाषी होते हुए भी हिन्दी में लिखते थे। वे पंजाब में गए थे और इसका उल्लेख ग्रन्थ में आया है। पूरे हिन्दीभाषी क्षेत्र का दौरा करके उन्होंने हिन्दी के महत्व को बढ़ाने का प्रयास किया था। इतना ही नहीं, वंदनीय सत्गुरू जी महाराज की 'लहर की बरखा' नामक पुस्तक में, देश को आजादी दिलाने के लिए नौजवानों के मन में राष्ट्रभक्ति का नया स्वर फूंका गया है। अंग्रेजों के प्रति उन्होंने कहा था-

अब काहे को धूम मचाते हो, सुखवाकर भारत सारे,
आते हैं नाती हमारे।

आज भी महाराष्ट्र के लोग उनके भजन प्रेम से गाते हैं। उन्होंने अंग्रेजों के प्रति यह भी कहा था-

झाड़-झूड़ ले, शस्त्र बनेंगे,
हटकर कारे बाम बनेंगे,
भक्त बनेंगी सेना।

इसी आधार पर 1942 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसमें हमारे अष्टी और चिमूर के 10-11 लोगों ने बलि दी थी। विश्व के इतिहास में, भारत के अष्टी और चिमूर के शहीदों के नाम अमर हैं।

मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि हिन्दी एक गौरवशाली भाषा है। आज मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य और दुख होता है कि हिन्दीभाषी प्रान्तों से आने वाले अनेक माननीय सदस्य यहां आकर अंग्रेजी में बोलने में अपनी शान समझते हैं, स्वाभिमान समझते हैं, अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़कर स्वाभिमान समझते हैं जबकि इस देश की भाषा हिन्दी बोलने में उन्हें हिचकिचाहट होती है। वे हिन्दी में बोलने का प्रयास तक नहीं करते, अंग्रेजी में बोलने में बड़प्पन समझते हैं।

अब महाराष्ट्र के वर्धा में अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विद्यापीठ स्थापित होने जा रहा है, जिसके लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूं। इससे पूर्व 1975 में विश्व हिन्दी सम्मेलन हमारे नागपुर में हुआ था, जिसमें भाग लेने के लिए देश के ही नहीं, पूरे विश्व के अनेक हिन्दी प्रेमी आए थे। वर्धा में आज भी जब मैं जापानी, अमेरिकी, मलेशियन विद्यार्थियों को हिन्दी का अध्ययन करते देखता हूं तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि दूसरे देशों के लोग हमारे यहां आकर हिन्दी का अध्ययन करते हैं। 1936 में महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा प्रचार समिति

की स्थापना की थी। उनका सपना था कि पूरे देश को हिन्दी भाषा के माध्यम से एकसूत्र में बांधा जाए। उसी के तत्वावधान में 1975 में वर्धा में विश्व हिन्दी सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मौरिशस के प्रधानमंत्री सर शिवसागर रामगुलाम ने की थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी उस वक्त वहां आई थीं। उस सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि हिन्दी के प्रचार के लिए, पूरे राष्ट्र को एकसूत्र में बांधने के लिए यहां एक हिन्दी विश्व-विद्यालय की स्थापना की जाए ताकि पूरे विश्व के लोग यहां हिन्दी पढ़ने आ सकें। सभापति जी, 1975 के उस प्रस्ताव पर अब 1996 में अमल किया जा रहा है, आज यह बिल सदन में लाया गया है। महात्मा गांधी के उस सपने को पूरा करने के लिए एक-चौथाई दशक लग गया। मैं आशा करता हूं कि जिस भावना से यह विधेयक माननीय शिक्षा मंत्री जी सदन में लाए हैं, वर्धा भूमि के लिए यह गौरवशाली बात है।

सभापति महोदय, मैं आशा करता हूं कि इस विश्वविद्यालय का कार्य जल्दी होगा। मैं जब आया था तो राष्ट्र भाषा प्रचार समिति के कुछ लोगों से मिला था और श्रीमान नारायण जमना लाल जी की पत्नी श्रीमती मृणाल ने मुझे बुलाया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि बाबा यह विश्वविद्यालय जल्दी होना चाहिए। मेरा दम अब फूट रहा है। मेरा यह सपना है कि बापू के मन में होने वाला विश्वविद्यालय वर्धा में जल्दी होना चाहिए। इसलिए मैं आशा करता हूं कि इस विश्वविद्यालय का कार्यान्वयन जल्दी होना चाहिए। केवल विधेयक पास करके ही नहीं रह जाएंगे बल्कि सरकार इसमें दिलचस्पी लेगी। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : मोहतरम चेयरमैन साहब, मैं इस बिल की ताईद और सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी-अभी हमने, चन्द दिन पहले उर्दू यूनिवर्सिटी के बारे में बिल पास किया था। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मौजूदा बिल की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं थी, लेकिन अब जब उर्दू यूनिवर्सिटी बन रही है, तो फिर तवाजुन ही रखने की खातिर एक हिन्दी यूनिवर्सिटी बना दी जाए, इस तरह सोचा गया है।

मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि हिन्दी की तरक्की, हिन्दी के अंदर रिसर्च वर्क और हिन्दी के आगे बढ़ने के सिलसिले में कोई रुकावट, कोई दुश्वारी, कोई मुश्किलात नहीं है। हां, जब स्टेडिंग कमेटी उर्दू यूनिवर्सिटी के बिल पर गौर कर रही थी, तो उसकी रिपोर्ट से पता चलता है कि कुछ लोगों ने बरहमी का इजहार किया, कुछ लोगों ने अपनी नाराजगी का इजहार किया कि उर्दू यूनिवर्सिटी के बारे में तो सोच रहे हो और हिन्दी यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं सोच रहे हो। इसलिए आज हुकूमत हिन्दी यूनिवर्सिटी के बारे में यह बिल लाई है। यह बिल सिर्फ एक बैलेंसिंग एक्ट है। वरना हिन्दी की राह में कोई दुश्वारी नहीं थी। इसके अलावा हम सब दिल से यह चाहते हैं कि हिन्दी तरक्की करे, फले, फूले, बढ़े और छाए। मैं भी यह चाहूंगा कि हमारे देश का हर बच्चा-बच्चा हिन्दी के ऊपर हावी हो जाए, इसलिए कि वह कौमी जवान के तौर पर मंजूर की गई है और उस पर हावी होना जरूरी है। बहर सूरत यह है कि यह बैलेंस बनाए रखने के लिए किया गया है। अब इसमें एक मतालबा आया है और हम मतालबे को हुकूमत ने माना है और तसलीम किया है। इससे यह जाहिर होता है कि हुकूमत इस मामले के ख्याल और जज्बात का अहतराम करती है और इसलिए यह बिल आया है और मैं उसकी ताईद करता हूं।

चेयरमैन साहब, उर्दू और हिन्दी दोनों ही साथ-साथ आगे फलेंगी, फूलेंगी और यकीनन अपना-अपना मुकाम हासिल होगा और उन दोनों की ही तरक्की में किसी किस्म की कोई रुकावट पैदा नहीं होगी। हिन्दी भी आगे बढ़े यह हम तमन्ना करते हैं और इन तमन्नाओं के साथ मैं इस हिन्दी यूनिवर्सिटी के बिल की ताईद करते हुए यह चाहूंगा कि यह हिन्दी यूनिवर्सिटी जल्दी से जल्दी कायम हो जाए। शुक्रिया।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सभापति महोदय, आज महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय विधेयक सरकार की तरफ से प्रस्तुत किया गया है। कुछ दिन पहले मौलाना आजाद उर्दू विश्वविद्यालय विधेयक इस सदन में पारित किया गया। उर्दू विश्वविद्यालय पर बोलते हुए मैंने सरकार को एक सुझाव दिया था कि इस देश में जिस प्रकार की हिन्दी है या जिस तरह की उर्दू है, हिन्दी संस्कृत शब्दों की ओर झुकती चली जा रही है और उर्दू का झुकाव फारसी अरबी शब्दों की ओर होता जा रहा है जबकि इस धरती की खड़ी बोली से यह भाषायें निकली हैं। इसके पिछले इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, वह हिन्दुस्तानी भाषा है। बापू जी ने भी कहा था कि ऐसी हिन्दी का विकास हो और उन्होंने राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार करने की वकालत की थी। हमारे संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन बापू जी जिस हिन्दी की वकालत करते थे वह आज की हिन्दी नहीं है। आप विधेयक को भी देख लीजिए कि यह विधेयक किस उद्देश्य से लाया गया है। उसमें कहा गया है-हिन्दी भाषा और साहित्य के संवर्धन और विकास के लिए, अध्यापन और अनुसंधान के माध्यम से, इस दृष्टि से कि उसे प्रकार्यात्मक प्रभावशीलता और मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता अभिप्राप्त करने में समर्थ बनाया जा सके। अध्यापन विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक। प्रकार्यात्मक प्रभावशीलता, आप इसी शब्द को ले लीजिए। अंग्रेजी में फंक्शनल एफीशेंसी यानी कामकाजो क्षमता बढ़ाने के लिए इस भाषा की जरूरत है। जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, उससे हिन्दी को कोई फायदा नहीं हो रहा है, हिन्दी को लाभ नहीं हो रहा है। जिस प्रकार की हिन्दी चलाने की कोशिश इस देश में हो रही है, उसी ने हिन्दी के बारे में, जिसे ज्यादा से ज्यादा लोग स्वीकार करने लगे थे, उसको गहन करने लगे थे, उसके दायरे को सीमित किया है। इस प्रकार की हिन्दी है और जो लोग इस प्रकार की हिन्दी रचते हैं, जिस प्रकार के शब्दों का इसमें

समावेश करते हैं उन्हीं ने इस देश की हिन्दी का अहित किया है। आज महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय विधेयक लाया गया है। अभी बनातवाला जो ने कहा। बनातवाला बोल रहे हैं तो किसी की भी प्रतिक्रिया हो सकती है जबकि सही बात है कि उर्दू विश्वविद्यालय लाया जा रहा हो तो संतुलन बैठाने के लिए एक हिन्दी विश्वविद्यालय का भी बिल सरकार ने सोचा होगा कि ला दें। न इससे उर्दू का भला होने वाला है, न हिन्दी का होने वाला है। यह पता नहीं किसको तृप्त करना चाहते हैं। लाने वाले लोगों के दिमाग में उर्दू का संबंध मुसलमान से दिखता होगा और हिन्दू का संबंध हिन्दी से दिखता होगा। इसके अलावा और कोई बात मेरी समझ में नहीं आती है। राष्ट्रभाषा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए सरकार की तरफ से जो पहल होनी चाहिए, वह पहल कहां हुई है? अगर सरकारी लोग अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में जाकर हिन्दी बोलना पसंद नहीं करेंगे तो कैसे होगा। जितने लोग हिन्दी बोलते हैं, जितने इस देश में हिन्दी भाषी हैं उसको देख लें और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में जिन भाषाओं को मान्यता मिली है, उन भाषाओं के बोलने वाले लोगों की संख्या को गिना जाये तो हिन्दी को कब से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल जाती। क्या सरकार ने कोई पहल की कि हिन्दी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनायें? क्या उन्होंने इसके लिए कोई कूटनीतिक पहल की? अगर नेपाल में यह पहल की होती, नेपाल की तराईयों में हिन्दी बोली जाती है और नेपाल के ज्यादातर लोग हिन्दी अच्छी तरह से समझते और बोलते हैं तो वहां इसका असर हो सकता था और वह हमारा समर्थन कर सकता था। हम और पड़ोसी देशों में जाते। हिन्दी अगर हिन्दुस्तानी की तरह ली जाती और पाकिस्तान को भी जाकर हम कह सकते थे इस प्रकार की हिन्दुस्तानी लायें जिससे तुम्हारा भी काम चले और हमारा भी चले तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में इसको मान्यता मिल सकती थी। लेकिन यहां तो हिन्दी बोलने वालों को अपने देश में ही अपमान का बोध होता है। अगर कोई हिन्दी में कितनी भी अच्छी बात कह दे जब तक वह अंग्रेजी में न बोले, हमने इस सदन में कई बार ऐसा देखा है। अगर कोई माननीय सदस्य हिन्दी में बोलता है तो वह प्रभाव नहीं पैदा कर पाता है जितना उसी बात को अंग्रेजी में लोग कहते हैं।

उसे लंबा खींचकर कहते हैं, पूरी भूमिका देकर कहते हैं। उसका प्रभाव होता है। कुछ लोग अपनी भाषा के खिलाफ हैं। इसका जो एक उद्देश्य है, उसका मैं हिमायती हूं कि जो दूसरी भारतीय भाषा है, उसमें जो काम हो रहा है, उसका जो साहित्य है, उसमें कोई अनुसंधान हो रहा है तो उसके साथ ये अपना संबंध स्थापित रखेंगे और इस विश्वविद्यालय में उस पर भी काम होगा। अगर हिन्दी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के लिए हम ग्रह उपबंध करने जा रहे हैं कि यह ऐसा काम करेगा तो जो उर्दू विश्वविद्यालय बना है, उसके साथ भी इसका काफी निकट का संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। इस विश्वविद्यालय को मिलकर संयुक्त संस्था का निर्माण करना चाहिए।

मैं आपके माध्यन से आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आप सचमुच एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा का विकास करना चाहते हैं और इस देश में इस भाषा की ग्राह्यता को बढ़ाना चाहते हैं तो इन दोनों के बीच कोई संयुक्त निकाय होना चाहिए, एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाना चाहिए जो संस्था मिलकर हिन्दुस्तानी भाषा का विकास करे यानि उर्दू में जो शब्द ज्यादा प्रचलित हैं, उनको इसमें शामिल करें। जब हम अंग्रेजी का अनुवाद करना चाहते हैं तो तुरंत संस्कृत की ओर पहुंच जाते हैं। संस्कृत समृद्ध भाषा है इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन आज संस्कृत आम बोलचाल की भाषा नहीं है। कुछ खास लोगों की भाषा हो सकती है। ऐसी स्थिति में आमतौर पर जो बोलचाल की भाषा है और जिन शब्दों का रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग होता है, आपस में बातचीत के सिलसिले में जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, उनको इसमें समाहित करना चाहिए। बोलने के लिए बहुत से ऐसे शब्द हैं जो दूसरी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। हमको क्यों शर्मिन्दगी होती है। जहां तक मेरी जानकारी है, अंग्रेजी भाषा ने 85 प्रतिशत दूसरी भाषाओं के शब्दों को ग्रहण कर लिया। इसलिए आज समृद्ध हो रही है। अगर हिन्दी को समृद्ध बनाना चाहते हैं तो दूसरी भाषा के शब्दों को भी लेना पड़ेगा। यह अनुवाद सरकारी दस्तावेज में होता है। लोक सभा में तो वही मिलेगा, उन्हीं शब्दों का प्रयोग होगा जो सरकारी शब्दकोष में हैं। लेकिन अखबार भी तो हिन्दी में छपते हैं। उनकी भाषा तो वैसी नहीं होती। फिल्में हिन्दी में चलती हैं। उनके संवाद की जो भाषा है, उसे देखिए। वह भाषा सबकी समझ में आती है। लेकिन यहां कानून के लिए जो विधेयक या प्रस्ताव लाए जाते हैं, उनके लिए मुझे भी बहुत देर तक कसरत करनी पड़ती है कि आखिर इसका अर्थ क्या है। ऐसी कौन सी भाषा है। हम हिन्दी भाषी हैं, वोट मांगने से लेकर संसद में वक्तव्य देने तक हिन्दी भाषा में ही सब कुछ करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो वोट तो अपनी भाषा में मांगते हैं लेकिन उन्हें संसद में अपनी भाषा में बात करने में शर्म आती है। मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। यह तो संविधान में लिखा है कि अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में काम होगा। मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करना चाहता। बनातवाला साहब अपवाद हो सकते हैं। केरल से चुनकर आते हैं। पता नहीं मलयालम बोलते हैं या नहीं। ...(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला : मैंने वहां पर वोट भी अंग्रेजी में ही मांगा थां।

श्री नीतीश कुमार : हम यही कह रहे हैं कि ये अपवाद हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने पता लगाया कि बनातवाला साहब केरल से आते हैं, मलयालम जानते हैं या नहीं। पता लगा कि नहीं जानते। ये एकमात्र ऐसी शख्सियत होंगे जो केरल से खड़े होते हैं। यह इनकी पार्टी का प्रभाव है कि वहां पर एक खास परिस्थिति में ये अंग्रेजी में वोट मांगते हैं और इनका काम चल जाता है। जरा हमारे यहां कोई अंग्रेजी में वोट मांगकर काम चलाए और देखे कि कितने वोट मिलते हैं। बनातवाला जी की पार्टी का प्रभाव है। इन्होंने अपने संगठन का इस ढंग से फैलाव किया है। इन्होंने वहां अपनी जड़ जमा ली है या सामाजिक आधार पर इतना समर्थन प्राप्त है कि अंग्रेजी बोलकर काम

चल जाता है। एक-आध उदाहरण छोड़ दें लेकिन हम नहीं समझते कि पूरे देश में कोई अंग्रेजी में वोट मांगकर इस सदन में आता है। यदि आप वाद-विवाद को देखें और उसका विश्लेषण करें तो आपको पता लगेगा। मैं जार्ज फर्नान्डीज जी की तारीफ करना चाहता हूं। कई भाषाओं को जानते हैं।

अपरान्ह 5.00 बजे

और हिन्दी उसमें उनकी सबसे कमजोर है। कन्नड़ उनकी मातृभाषा है, वे कुरू जानते हैं, मराठी जानते हैं, मराठी में उन्होंने मुम्बई में मजदूर आन्दोलन का काम शुरू किया, अंग्रेजी में पारंगत हैं, हिन्दी उनकी सबसे कमजोर है, लेकिन वे इस सदन में आते हैं तो हिन्दी में बोलते हैं। किस बात का असर है, डा. राममनोहर लोहिया का असर है, राष्ट्रीयता का असर है, सही बात है, हिन्दी को जब हमने राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। आज जार्ज फर्नान्डीज जी अपनी बात अगर अंग्रेजी में कहें तो वे ज्यादा छपेंगे, उनका यह भी कसूर है कि वे हिन्दी में ही सब बातें बोलते हैं। मुझको याद है, एक बार जब इम्पीचमेंट का मोशन आया था, एक जज साहब के बारे में एक महाभियोग प्रस्ताव आया था तो पार्टी की तरफ से वे बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने माफी मांगकर कहा कि मुझको माफ कीजिएगा, इसमें कई कानून के शब्द हैं, मुझको अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा और सदन में लोगों ने कहा कि नहीं, आप बोलिये, तो वे अंग्रेजी में बोले, लेकिन यहां तो लोगों के बीच में एक फैशन है। इसमें कोई शरमाने की बात नहीं है।

मैं कह रहा था कि शब्दों को स्वीकार करने का सवाल है। उस दिन कल्पनाथ राय जी उर्दू वाले बिल पर बोल रहे थे, वे उस पर चले गये। जिन शब्दों को हमने स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया, उन शब्दों का प्रयोग सरकारी दस्तावेजों में होना चाहिए। अगर लोक सभा के दस्तावेजों में उन शब्दों का प्रयोग नहीं होगा तो उसको मान्यता नहीं मिलेगी। कानून मंत्रालय विधेयक बनाता है तो पता नहीं कहां-कहां से शब्द ढूंढकर लाता है। इसके लिए मेहनत करनी चाहिए कि हम कौन से आसान शब्दों का प्रयोग करें ताकि हिन्दी की ग्राह्यता और बढ़े। अगर कोई क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करेगा तो दूसरी भाषा को जानने वाले लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हम लोग जब सामान्य बोल-चाल वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं तो दूसरे अहिन्दीभाषी क्षेत्र के लोग भी ज्यादातर हम लोगों की बात समझ लेते हैं, जो हम लोगों को बाहर लॉबी में बताते हैं कि आपकी बात समझ में आ गई, इसका मतलब है कि हम कैसे हिन्दी का विकास करना चाहते हैं।

आपके माध्यम से इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं यही सवाल उठाना चाहता हूं कि किस प्रकार की हिन्दी का विकास सरकार चाहती है, उसी हिन्दी का विकास चाहती है, जिसमें प्रकार्यात्मक प्रभावशीलता है, उस प्रकार की हिन्दी का विकास करना चाहते हैं, इसी प्रकार की हिन्दी में प्रकार्यात्मक प्रभावशीलता हम पैदा कर पाएंगे या कामकाजी क्षमता बढ़ाने वाली हिन्दी आपको चाहिए? आपको ये प्रकार्यात्मक प्रभावशीलता चाहिए, कौनर सी हिन्दी चाहिए, यह सरकार को तय करना पड़ेगा? अब कोई जरूरत नहीं है कि जिन शब्दों का प्रयोग हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, उनका अनुवाद भी उस तरह का ढूंढा जाये। हिन्दी को अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बनाना तो दूर की बात है, अन्तर्राष्ट्रीय भाषा तो कूटनीतिक पहल से ही सम्भव है। आज हम चाहें कि इस देश की राष्ट्रभाषा को अन्तर्राष्ट्रीय भाषा की मान्यता मिले तो इसको अन्तर्राष्ट्रीय भाषा की मान्यता मिल सकती है। हिन्दी को इस रूप में नहीं जैसा आज कहा गया कि हिन्दी को दादागिरी नहीं चलेगी, हम लोग तो हिन्दी की दादागिरी वाले नहीं हैं, हम लोग तो सभी भारतीय भाषाओं का विकास चाहते हैं। इस सदन में हमने उर्दू विधेयक का भी समर्थन किया और सारे सदन ने समर्थन किया, सर्व-सम्मति से वह पास हुआ। मुझको बड़ी प्रसन्नता होगी कि जो दूसरी भाषाएं हैं, उन भाषाओं के संवर्धन के लिए, उनके विकास के लिए, उनमें प्रकार्यात्मक प्रभावशीलता पैदा करने के लिए, और भी इसी प्रकार के सारे विश्वविद्यालयों का निर्माण किया जाये, उसके लिए विश्वविद्यालयों का विधेयक लाया जाये तो मुझको खुशी होगी। तमिल इतनी समृद्ध भाषा है, तमिल के लिए कोई विश्वविद्यालय की स्थापना हो, तेलुगू के लिए हो, बंगला इतनी समृद्ध है, उसके लिए हो, उड़िया के लिए हो, असमिया के लिए हो, कन्नड़ के लिए हो, मराठी के लिए हो, गुजराती के लिए हो, सभी भाषाओं के लिए हो। उसमें अगर विश्वविद्यालय का निर्माण होता है तो यह हमारे लिए और भी प्रसन्नता की बात होगी।

लेकिन सबसे बड़ी बात इस देश को एक रखने की है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की हम सब लोग बात करते हैं, आपस में हम बातचीत करने के लिए निकलते हैं तो एक गांव का आदमी भी दक्षिण के मंदिरों में हो आता है, हम लोगों के गांव का आदमी भी मंदिरों में हो आता है और उसको कहीं भाषा की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। कोई दक्षिण भारतीय व्यक्ति पूरी चला जाता है तो उसको भाषा की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। वह अयोध्या चला जाता है, कहीं चला जाता है, सब जगह लोग अपना काम चला लेते हैं, मतलब कहीं न कहीं सब लोग बोलचाल के शब्दों को जानते हैं और लोगों का काम चल जाता है तो उस तरह से जो सम्पर्क भाषा की बात होती रही है, इस देश में कोई सम्पर्क भाषा होगी इस देश की भाषा होगी या नहीं? कब तक हम इस विषय को टालते रहेंगे, कब तक इसको विवादित विषय समझकर टाला जाता रहेगा। देश को एक रखना है तो देश की एक भाषा होनी चाहिए। उस समय कितना अपमान महसूस होता है, जब दूसरे देशों के राज्याध्यक्ष, प्रधान मंत्री या शासनाध्यक्ष आते हैं तो वे यहां अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं ...**(व्यवधान)** मैं समाप्त करूंगा। लेकिन हम लोगों के जो प्रतिनिधि होते हैं, वे अपनी भाषा का प्रयोग नहीं करते।

वे चाहे जिस भाषा का प्रयोग करें, इतनी बड़ी भारत सरकार है, अगर कोई राजनयिक हिंदी नहीं जानता, कन्नड़ जानता है तो उसमें

बोलने का मौका दें। उसका अन्य भाषाओं में अनुवाद हो सकता है या सिर्फ अंग्रेजी में ही अनुवाद होता है। मैं इस सदन के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में कई बार विदेश गया हूं, यहां आने से पहले भी मैं युवा प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में विदेश जा चुका हूं। मैंने देखा कि बाहर अंग्रेजी की इतनी इज्जत नहीं है। फ्रांस में जाकर देखें, वहां अंग्रेजी नहीं जानते, जबकि वह ब्रिटेन का पड़ौसी देश है, लेकिन उसने कितनी तरक्की की है। जापान, रूस, चीन आदि देशों को देखें, ये देश अंग्रेजी के बिना ही इतनी तरक्की कर गए। लेकिन हिंदुस्तान बगैर अंग्रेजी के तरक्की नहीं कर सकता, ऐसी हमारी मानसिकता बन गई है। आज हिंदुस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट अंग्रेजी ही है। यहां का विद्यार्थी-बच्चा जो पहले ही कई विषयों का ज्ञान हासिल करने के लिए मोटी-मोटी पुस्तकों को हाथ में लेकर घूमता है, वह बस्ता लादकर पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, उस पर अंग्रेजी भाषा हम और लाद देते हैं। हम इस चीज को रोज महसूस करते हैं। अगर उसको अंग्रेजी न पढ़ाएं तो वह गणित में, विज्ञान में पारंगत हो सकता है।

बिहार में जब कर्पूरी ठाकुर जी मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने पहली बार वहां अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर दी थी। इस पर बड़ा बावेला मचा कि बिना हिंदी के, बिना अंग्रेजी के पास कर रहा है, तो कहा गया कि यह कर्पूरी डिवीजन है। उस समय ऐसे तर्क दिए गए। लेकिन उस समय के पास किए हुए कितने ही लोग आगे चलकर आई.ए.एस., आई.पी.एस. बने और कहां-कहां अच्छे वैज्ञानिक बने, सब जगह गए, यह सभी जानते हैं। उर्दू माध्यम से जिन्होंने पास किया वे भौतिकी के बहुत बड़े ज्ञाता बने और उनका एटॉमिक एनर्जी में बड़ा नाम भी हुआ।

यह अंग्रेजी भाषा गुलामी का प्रतीक है। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। आज भी हम उसी मानसिकता के शिकार हैं। इसलिए अगर सचमुच हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाना है तो यहां दिल्ली में बैठे हुए जो लोग हैं, नीति निर्धारक हैं, उनको अपनी मानसिकता में बदलाव लाना होगा। आप चाहें तो एक महीने के अंदर या तीन महीने के अंदर हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा की मान्यता मिल सकती है। हिंदी को इस देश में सम्पर्क भाषा बनाने के लिए, जिसको अधिक से अधिक लोग बोल सकें, उसके लिए हिंदी को भाषा के रूप में विकसित करने के लिए हिंदी को अपनी छाती को उदार करना पड़ेगा। इसमें प्रकांड विद्वान बनकर जो लोग बैठे हुए हैं, वे हिंदी के दुश्मन हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। एक कामकाजी हिंदी भाषा का विकास कीजिए, जिसको हिंदुस्तानी भाषा के रूप में हम जानते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह (बलिया) (बिहार) : मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय विधेयक, 1996 का समर्थन कर रहा हूं। महोदय, हमने देखा है कि इस हिंदी विश्वविद्यालय विधेयक को समर्थन और स्वागत मौलाना आजाद उर्दू विश्वविद्यालय के रूप में ही संतुलन कायम करने के रूप में प्राप्त होगा। लेकिन माननीय सदस्य नीतिश कुमार ने जो अभी ध्यान आकृष्ट किया अनुवाद के सम्बन्ध में, तो मैं कहना चाहता हूं कि यह विधेयक ही अनुवाद में तैयार हुआ है। आप देखें इसकी हिंदी प्रतिलिपि पर लिखा हुआ है 'द', यह देवनागरी लिपि में "द महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय विधेयक, 1996" छपा है। द महात्मा गांधी का जब हिंदी अनुवाद होगा तब जो ऐसे शब्द अंग्रेजी के होते हैं, उनका जब हिंदी में अनुवाद होता है तो उसमें मौलिकता नहीं रहती। हम मातृभाषा उसे कहते हैं जो माता की गोद में सिखाई गई हो, स्वाभाविक भाषा वही मातृभाषा है। हमारी मातृभाषा हिन्दी है। हिन्दी में हम बोलते हैं। हिन्दी में हम लिखते हैं। संसद में हिन्दी विधेयक पेश हो, तो वह पेश होता है अंग्रेजी में और अंग्रेजी का अनुवाद हिन्दी में, इससे सरकार की नीयत पर मुझे सन्देह होता है।

अब मैं आपको इसकी विसंगतियों के बारे में बताना चाहता हूं। इसमें लिखा है-अध्यापन विश्वविद्यालय की स्थापना। अध्यापन विश्वविद्यालय क्या होता है, पता नहीं और यह भी पता नहीं कि कौन लोग इसकी स्थापना करेंगे। इसके उपबंधों में लिखा हुआ है-कार्य परिषद् और सभा। यह किसकी शक्ति होगी और कहां शक्तियों का प्रत्यायोजन होगा, इसको कहीं भी इंगित नहीं किया गया है। आप विधेयक के पृष्ठ 8 पर देखिए, इसमें लिखा है-'सभा' और अंग्रेजी बिल में लिखा है- 'कोर्ट'। पहले कोर्ट का अनुवाद अदालत करते रहे हैं, न्यायालय करते रहे हैं, पता नहीं कानून मंत्रालय के किस शिक्षक ने, किस विद्वान ने और किस अनुवादक ने 'कोर्ट' शब्द का अनुवाद 'सभा' अंकित कर दिया है। मैं इसका विरोध करता हूं और यह गलत अनुवाद है। इसमें लिखा है-सभा का गठन और उसके सदस्यों की पदावधि, परिनियमों द्वारा निहित की जाएगी, यानि सभा में कितने सदस्य होंगे, कितने दिनों की उनकी पदावधि होगी, कब बैठक होगी, इनका कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। इसी तरह से विधेयक में लिखा है कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की प्रधान कार्यपालक निकाय होगी। कार्य परिषद् का

अपराह्न 5.12 बजे

(श्री नीतीश कुमार पीठासीन हुए)

गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियां और कृत्य, परिनियमों द्वारा विहित किए जायेंगे। इसको भी उन्होंने अंकित नहीं किया। पृष्ठ 16 पर लिखा है-कुलाधिपति को कुलाध्यक्ष द्वारा कार्य परिषद सिफारिश किए गए तीन से अन्यून व्यक्तियों के पैनल में से, देश के शैक्षिक या सार्वजनिक जीवन में प्रख्यात व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाएगा। इसकी पदावधि होगी तीन वर्ष और कुलाधिपति की पदावधि होगी पांच वर्ष, मेरे विचार से यह पांच और तीन की विसंगतियां हैं। मैं चाहूंगा, मंत्री महोदय जब स्पष्टीकरण दें,

तो वे स्पष्ट करेंगे कि तीन वर्ष के बाद कुलाधिपति पात्र नहीं होगा और पांच वर्ष के बाद कुलाधिपति पात्र हो जाएगा-यह कैसी विसंगति है? ये व्यक्ति विद्वान होंगे, सार्वजनिक जीवन के प्रख्यात व्यक्तियों में से होंगे या उनमें ऐसी कोई अयोग्यता हो जाएगी, किन्हीं की पदावधि तीन वर्ष होगी और किन्हीं की पदावधि पांच वर्ष होगी, इसका क्या औचित्य है और क्या कारण है, उपबन्ध में इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है।

अब आप इस विधेयक के कृत्यों के बारे में देखिए। इस विधेयक में पैनल शब्द है, नीमिका शब्द नहीं है। नामों की कोई सूची नहीं है। कहा गया है, पैनल में से नियुक्ति की जाएगी। कुलाधिपति की नियुक्ति के लिए सिफारिश और सिफारिश करने के लिए निकाय का गठन कब होगा और कहां से उन्हें अनुशंसा प्राप्त होगी, इस बारे में भी उपबन्ध में कहा गया है। इतना ही नहीं, जब यहां सदन में माननीय सदस्य, श्री नीतीश कुमार जी बोल रहे थे, तो उन्होंने अनुवाद की कठिनाइयों के संबंध में उल्लेख किया। हिन्दी में तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है और विदेशज शब्द है। तत्सम शब्दों का प्रयोग हिन्दी में होता है। फिर तद्भव, देशज और विदेशज, ये स्टेशन शब्द का प्रयोग करते हैं, लालटेन का प्रयोग करते हैं, पेंसिल का, फाउंटेन पैन का प्रयोग करते हैं। फिर उर्दू फारसी, अभी माननीय बनातवाला साहब बोल रहे थे कि इन तमाम शब्दों का हिन्दी में प्रयोग होता है। इसलिए ऐसा कहना कि अंग्रेजी अनेक भाषाओं के शब्दों को लेकर के समृद्ध भाषा बनी हुई है, दुनिया की सबसे समृद्ध भाषा हिन्दी भाषा है और इसकी जो समृद्ध होने की शक्ति है, पचाने की शक्ति है यह भारत की सांस्कृतिक एकता की देन है और हमारे विद्वान श्री रामधारी सिंह दिनकर ने जो पुस्तक लिखी, संस्कृति के चार अध्याय में उन्होंने जो लिखा कि हमारी यह भारत की संस्कृति सामाजिक संस्कृति है, मिलीजुली संस्कृति है। हेथाई आर्य, हुन, द्रविड, इन तमाम जातियों की राजसत्ता स्थापित हुई। उनकी अच्छाइयां ले लीं और विकृतियां छोड़ दीं। जो स्वस्थ बातें थीं संस्कृति, सभ्यता में बेहतरीन बातें थीं, भारत की सभ्यता ने संस्कृति ने आत्मसात किया और हमारी जो हिन्दी भाषा है यह समृद्ध भाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समृद्ध भाषा हैं। लेकिन जिन्हें मौलिकता का ज्ञान नहीं, जिन्हें मौलिकता से भय लगता है वे अंग्रेजी की शरण में चले जाते हैं। इससे मैं सहमत हूं कि सदन में जब हम आम मतदाताओं से लोकभाषा में मत प्राप्त करके आते हैं तो हमारी जो अभिव्यक्ति होती है, जिस भाषा को ये नहीं समझते हैं, दर्शक दीर्घा में वे आते हैं और प्रश्न-काल में वे उठ कर चले जाते हैं, क्योंकि जब वे देखते हैं कि उनका प्रतिनिधि जिस लोकभाषा में उन्हीं से मत प्राप्त करके आया है और उनके क्षेत्र की समस्या वह रख रहे हैं लेकिन उनके मतदाता उस भाषा को नहीं समझते हैं।

हम समझते हैं यह महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी नहीं, चूंकि महात्मा गांधी के संबंध में दुनिया में ऐसी प्रसिद्ध है कि महात्मा गांधी विश्व मानव थे। इसलिए आज जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय विधेयक 1996 सदन के समक्ष आया है वह इस मानसिकता से कभी नहीं, यदि है कहीं मानसिकता, तो यह विकृत मानसिकता है कि उर्दू के कारण हिन्दी वालों को तुष्टि के लिए यह विधेयक है। यदि किसी ने ऐसा सोचा तो इसका अपमान है, हिन्दी भाषा का अपमान है, राष्ट्रभाषा का अपमान है, राष्ट्र का अपमान है, राष्ट्रीय एकता का अपमान है। इसलिए मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। एक स्वस्थ परम्परा की स्थापना के लिए और सदन में ऐसे तमाम हिन्दी भाषा-भाषी माननीय सदस्य हैं, मैं उनसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि वे भविष्य में यदि आज इसे पारित कर रहे हैं तो आज से ही इसे पारित करें कि हिन्दी भाषा-भाषी माननीय सदस्य बोलने, लिखने में हिन्दी का प्रयोग करेंगे। हम लाख विश्वविद्यालय की स्थापना कर लें लेकिन प्रयोग हिन्दी का नहीं करेंगे, पत्राचार में, बोलचाल में प्रयोग नहीं करेंगे तो महात्मा गांधी आज मर कर भी अमर हैं, आप रोज-रोज महात्मा गांधी के सीने पर गोली दागेंगे, यदि अंग्रेजी का ही पत्राचार, अंग्रेजी का ही व्यवहार करेंगे।

महोदय, इन शब्दों के साथ जिन उपबंधों की विसंगतियों की, त्रुटियों की चर्चा की है, जब मंत्री जी जवाब देंगे तो उन विसंगतियों का, त्रुटियों का समाधान करेंगे। इन शब्दों के साथ-साथ मैं इसका फिर से एक बार स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए हिन्दी को सशक्त बनाने की दृष्टि से शिक्षण और शोध के माध्यम से हिन्दी भाषा और साहित्य के प्रचार और प्रसार हेतु विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पुरःस्थापित किया गया है।

कुछ माननीय सदस्य : कृपया, हिन्दी में बोलिए।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : हमें धर्मान्ध नहीं होना चाहिए। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। परन्तु साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा देश एक बड़ा देश है जिसकी जनसंख्या 90 करोड़ है तथा अलग-अलग राज्यों की पृथक-प्रथक भाषाएं और संस्कृतियां हैं। हमें जीवन की व्यावहारिकता को ध्यान में रखना चाहिए। हम अनावश्यक बहस और झगड़ों में अपना कीमती समय बर्बाद न करें। हमें इस महान देश का इस ढंग से निर्माण करना चाहिए कि सम्पूर्ण विश्व इसकी ईर्ष्या करें। इसमें भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

हिन्दी एक महान भाषा है। हम इसका सम्मान करते हैं, इससे प्रेम करते हैं। हम इस विचार का निश्चित रूप से समर्थन करते हैं कि हिन्दी सीखी जानी चाहिए और इसे राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बनाया जाना चाहिए। मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं। एक ऐसा समय आए जबकि प्रत्येक भारतीय हिन्दी जाने। वस्तु साथ ही हमें व्यावहारिक स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए।

भारत में ऐसे अनेक राज्य हैं जहां लोग हिन्दी ही नहीं जानते हैं। जब आप वहां जायेंगे तो यह देखेंगे कि वहां को सम्पर्क भाषा केवल अंग्रेजी ही है। हमें वहां अंग्रेजी में ही बातचीत करनी पड़ती है। अन्यथा हमें संकेत करना पड़ता है जैसे मैं पानी चाहता हूं अथवा भोजन चाहता हूं। हम किसी अन्य तरीके से अपनी बात नहीं कह सकते।

महोदय, पूरे विश्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास अंग्रेजी के माध्यम से हो रहा है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि जापान को अंग्रेजी की कोई चिन्ता नहीं है उनकी अपनी भाषा है। परन्तु हम अपनी तुलना जापान से नहीं कर सकते हैं। हमारा देश विकसित देश नहीं है। जिस ढंग से स्थिति बदल रही है उससे हम कह सकते हैं कि जापान के बराबर तक पहुंचने में हमें काफी समय लगेगा। हम केवल विवादों में ही अपना समय बर्बाद करते हैं। इसमें काफी समय लगेगा।

इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में जब तक हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति नहीं करेंगे तब तक हमें विकसित देशों से सहायता लेनी चाहिए। इसके लिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए सम्पर्क और स्नेह की भाषा हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के अलावा हमें अंग्रेजी को भी बढ़ावा देना चाहिए।

[हिन्दी]

सारे भारत देश में हिन्दी को प्यार करते हैं, हिन्दी को सब चाहते हैं, न चाहने का कोई सवाल ही नहीं है।

[अनुवाद]

अंग्रेजी और हिन्दी का साथ-साथ विकास होना चाहिए। इसलिए हमारी नीति हिन्दी को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ हमें अंग्रेजी का विकास करना भी होना चाहिए। कुछ मित्रों ने कहा है कि सब कुछ हिन्दी में ही लिखा होना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम कुछ भी समझ नहीं पाएंगे।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : मैं जानना चाहता हूं कि कितने परसेंट लोग अंग्रेजी जानते हैं। हमें भी साउथ में घूमने का मौका मिला है। अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते हैं, लोकल भाषा जानते हैं। अंग्रेजी जानने वालों का एक प्रतिशत भी पूरे देश में नहीं है जबकि हिन्दी जानने वाले आपको देश में दस प्रतिशत लोग मिल जाएंगे।

सभापति महोदय : चलिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : हम तमिल, कन्नड़ और दूसरी देशी भाषाओं का बड़ा आदर करते हैं। आप कन्नड़ बोलिये, मलयालम बोलिये, लेकिन अंग्रेजी भाषा की जहां तक बात है वह न बोलिये।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : रेड्डी जी आप पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : भाजपा के हमारे मित्रों में कांग्रेस के सदस्यों से अधिक शक्ति है। प्रत्येक दिन उन्हें अधिक समय मिलता है। हम बड़े विनम्र हो गए हैं। महोदय, मेरा आप से अनुरोध है कि मुझे अधिक समय दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : हिंदी के टुकड़े करने के प्रयास भी अब चालू हो गये हैं। कोई कहता है पुर्वी हिंदी, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है लेकिन विश्व के 22 देशों में जो भाषा बोली जाती है उसका नाम बंगाली है।...**(व्यवधान)**

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : इसलिए सर, यह बंगाली में बोलते हैं, कोई हमारे देश में तेलुगू में बोलता है, कोई तमिल में बोलता है तो उसका सवाल नहीं है।

हमें धर्मान्ध नहीं होना चाहिए। हमें हिन्दी और अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहिए। हमें उनका साथ-साथ विकास करना चाहिए। हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधार पर राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। यदि आप विदेशों में जायें तो आपको वहां अंग्रेजी ही बोलनी पड़ेगी। वहां हिन्दी कौन जानता है? निस्संदेह हिन्दी एक महान भाषा है।

[हिन्दी]

हिन्दी चाहिए, अंग्रेजी चाहिए और मदरटंग चाहिए। यह तीन भाषा का फार्मूला बहुत अच्छा है।

[अनुवाद]

त्रिभाषा फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है।

जब तक हम जापान अथवा अमरीका के बराबर आना चाहते हैं तो हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं आपको व्यावहारिक बात बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि यहां उपस्थित मेरे सभी सहयोगी भविष्य में भी इसका समर्थन करें।

सभापति महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : अन्त में मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं हिन्दी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए प्रस्तुत विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है। परन्तु साथ ही अन्त में मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि हमारे देश में लाखों ऐसे लोग हैं। जो न तो हिन्दी भाषा ही जानते हैं और न ही अंग्रेजी भाषा जानते हैं। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। इसलिए हमें इसके लिए कोई प्रणाली विकसित करनी चाहिए। यह बड़ा संवेदनशील मामला है और आप इसे किसी पर थोप नहीं सकते। यदि आप मुझे हिन्दी में लिखी हुई कोई चीज दिखायें तो मैं उसे नहीं समझ सकता। मैं थोड़े बहुत हिन्दी के शब्द बोल सकता हूं परन्तु हिन्दी पढ़ नहीं सकता हूं। हमारे मंत्री महोदय श्री वेंकटमन् जो यहां उपस्थित हैं वह भी हिन्दी नहीं पढ़ सकते हैं। हम इसे किसी पर थोप नहीं सकते। यदि आप मुझे कोई विधेयक हिन्दी में दें तो मैं उसे समझ नहीं सकता हूं। उसे या तो आपको पढ़ना पड़ेगा या फिर उसका अनुवाद कराना पड़ेगा। क्या यह व्यावहारिक है? यह व्यावहारिक नहीं है।

हमारी सबसे बड़ी चिंता यह है कि देश से गरीबी कैसे हटाई जाए, इस देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण कैसे हो, इस देश में बेरोजगारी की समस्या कैसे हल की जाए, देश में युवाओं का उत्थान कैसे हो तथा विश्व इस बात का अनुभव कैसे करें कि भारत समृद्धशाली और प्रगतिशील देश है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। यह केवल संसद भवन ही नहीं है। यह एक मंदिर है, यह एक पवित्र स्थान है। जब हम सब यहां बैठते हैं और चिन्तन करते हैं तो हमें वास्तव में भगवान दिखाई देते हैं। इस सभा में इतनी ताकत है।

सभापति महोदय : ठीक है, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : इसलिए जब हम यहां बैठते हैं तो हमें अपना मन, मस्तिष्क और आत्मा इस महान राष्ट्र के निर्माण में लगानी चाहिए। अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस राष्ट्र के निर्माण के लिए हमें हिन्दी और अंग्रेजी का एक समान विकास करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : सभापति जी, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। विश्वविद्यालय की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी को स्थापित करना है। उद्देश्य पवित्र है लेकिन यह उद्देश्य पूरा होगा या नहीं, इसमें संदेह है। विभिन्न सरकारों का व्यवहार इस संबंध में जैसा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि हिन्दी का विकास नहीं हो पाएगा। 1975 में प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन हुआ था। आज 1996 आ गया है। 21 साल में इस संकल्प को पूरा करने के लिए केवल यह विधेयक पेश किया जा रहा है। विधेयक पारित होने के बाद विश्वविद्यालय खड़ा होने में कितना समय लगेगा, हम यह जानना चाहते हैं? सरकारों का जैसा व्यवहार रहा है, उसको आप स्वयं स्वीकार रहे थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे कितने प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री हिन्दी में बोले? 1977 में जब अटल जी विदेश मंत्री थे, तो वह वहां हिन्दी में बोले थे और चन्द्रशेखर जी हिन्दी में बोले थे। वहां अंग्रेजी ही बोलने में हर कोई गर्व अनुभव करता है।

9 दिसम्बर को हमने संविधान सभा की 50वीं वर्षगांठ मनायी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि संविधान सभा की पहली बैठक में आचार्य कृपलानी हिन्दी में बोले थे। मैं बड़ी तकलीफ और दुख के साथ कहना चाहता हूं कि 50वीं वर्षगांठ में मैंने देखा कि केन्द्रीय कक्ष में अंग्रेजी धाक जमा रही थी और हिन्दी आहत सी, अपमानित सी अपने दुर्भाग्य पर केन्द्रीय कक्ष के बाहर आंसू बहा रही थी। वहां एक भी वक्ता हिन्दी में नहीं बोला। यह हिन्दी की दुर्दशा है।

सभापति महोदय, मुझे दो साल पहले संयुक्त राज्य अमेरिका जाने का अवसर मिला था। मैं वहां भारतीय दूतावास में बड़ी इच्छा के साथ गया कि कम से कम वहां लोग हिन्दी बोलेंगे और बातचीत करेंगे लेकिन एक भी कर्मचारी और अधिकारी और यहां तक हमारे राजदूत महोदय भी हिन्दी में एक शब्द नहीं बोले। वहां हिन्दी में टाइपराइटर नहीं, कम्प्यूटर नहीं है। वहां हिन्दी में कामकाज नहीं होता है। दुनिया के दूसरे देशों के दूतावासों में या तो उनकी भाषा में काम होता है या जिस देश में वे स्थापित हैं, उस भाषा में काम होता है। हमारा देश ही ऐसा है जो अपनी राष्ट्रभाषा में काम करना पसन्द नहीं करता। व्यावहारिक स्थिति यह है कि मैं और मेरे नए सांसद मित्र जब एक सचिव के पास काम के लिए गए तो मैंने उनसे हिन्दी में बात की तो काम नहीं बना। मेरे दूसरे मित्र ने कहा कि आपने हिन्दी में बात की, इसलिए वह इम्प्रैस नहीं हुए, अब मैं अंग्रेजी में बात करूंगा। उन्होंने अंग्रेजी में बात की तो अधिकारी महोदय बड़े प्रभावित हुए। मुझे यह देख कर बहुत आश्चर्य हुआ। यह चीज मैं सदन में भी महसूस करता हूं। जो लोग हिन्दी जानते हैं वे ज्यादा प्रभाव जमाने के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने में अपने आपको गौरवान्वित महसूस करते हैं।

शिक्षा ने हिन्दी और बाकी विदेशी भाषाओं की जड़ों में मट्ठा डालने का काम किया है।

सभापति महोदय, लार्ड मैकाले तो मर गये लेकिन अपनी अंग्रेजी यहां छोड़ गये लेकिन मुझे लगता है कि वे कब्र में पड़े-पड़े भी हमारे मस्तिष्क और चिन्तन को प्रभावित कर रहे हैं। शिक्षा के माध्यम से हिन्दी की जड़ों को काटा जा रहा है और शिक्षा को अंग्रेजी से प्रतिष्ठित कर जोड़ दिया गया है, हमारे कैरियर को जोड़ दिया गया है। गांव में

यदि कोई नवयुवक थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख जाते हैं यो अंग्रजी के कुछ शब्द बोलकर अपने आपको गर्व का अनुभव करते हैं। इसका एक उदाहरण देता हूं कि कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र के पिता का स्वर्गवास हो गया। जब मिले तो दुखी मन से बोले 'फादर डैड हो गये' यह हाल हो गया है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय की स्थापना तो शुभ है लेकिन इस शुभ उद्देश्य को क्रियान्वित करने के लिये यह विश्वविद्यालय हिन्दी भाषा में काम-काज करे। मेरा एक संशोधन भी इस संदर्भ में आया हुआ है कि हिन्दी में काम करे। वास्तव में यह होगा कि हिन्दी विश्वविद्यालय खुल तो जायेगा लेकिन काम अंग्रेजी में होगा। जितना भी काम होगा उसका अनुवाद हिन्दी में होने लगेगा। उदाहरण के लिये हमें संसदीय पत्रों की जितनी सामग्री मिलती है, मूल रूप से अंग्रेजी में होते हैं और फिर उसका हिन्दी में अनुवाद करके हमें दे दी जाती है। मेरा सरकार से निवेदन है कि भारत के दूतावासों में हिन्दी का प्रयोग कर सकते हैं, प्रशासनिक काम हिन्दी भाषा में हो सकता है। देश के विभिन्न प्रान्तों में वहां की क्षेत्रीय भाषा में प्रशासनिक कार्य होता है, हमारा उससे कोई विरोध नहीं है और न अंग्रेजी से दुश्मनी है। चाहे तमिल में काम हो, तेलुगु में काम हो, इसमें हमें क्या आपत्ति हो सकती है लेकिन कम से कम जो कार्य हिन्दी भाषा में हो सकता है, वह तो हिन्दी में करने का प्रयास करना चाहिये और हम यह प्रयास प्रारम्भ तो कर सकते हैं। भारत सरकार का प्रशासनिक काम हिन्दी में कैसे हो, इसकी शिक्षा कैसे दी जाये, यह विश्वविद्यालय इस काम को करे।

सभापति महोदय, एक दिन हमारे मंत्री जी कह रहे थे कि दुनिया के कई देशों के लोग हिन्दी जानना चाहते हैं और हिन्दी बढ़ रही है लेकिन वहां सवाल यह पूछा जाता है कि जब हमारे दूतावासों में काम हिन्दी में नहीं होता तो हिन्दी पढ़कर क्या करेंगे? कम से कम हमारे दूतावासों में कम्प्यूटर्स, टाईपराईटर्स हिन्दी भाषा में रख सकते हैं। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार का इस पर अतिरिक्त खर्च नहीं आयेगा। देश और विदेश में अनेक ऐसी संस्थायें हैं और विशेषकर हमारे देश में ऐसी संस्थायें अनेक वर्षों से हिन्दी की अनवरत सेवा कर रही हैं तो इस विश्वविद्यालय के माध्यम से उन संस्थाओं को जोड़ने का काम किया जा सकता है। इन संस्थाओं को मंच प्रदान किया जाये और उनके विचारों में और स्वायत्तता में बिना हस्तक्षेप किये हिन्दी के प्रोत्साहन हेतु कार्य करें। अभी कैबिनट मिनिस्टर यहां नहीं हैं। मैं उनसे पूछना चाहता था कि यह विश्वविद्यालय कब खड़ा होगा, कब से काम करना प्रारम्भ करेगा, इसके लिये कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाईये। हिन्दी को सरल बनाईये ताकि ग्राह्य हो क्योंकि यह इसलिये आवश्यक है कि यदि स्टेशन को लोहपथ गामिनी स्थल कहने लगेंगे तो काम नहीं चलेगा। इसलिये ऐसी सरल हिन्दी का प्रयोग हो जो आम जनता के लिये आसानी से ग्राह्य हो।

सभापति महोदय, अंत में यह निवेदन करते हुये कि मेरा संशोधन, जो विश्वविद्यालय का काम-काज हिन्दी में करने के लिये दिया गया है, यदि इसको स्वीकार नहीं किया गया तो यह विधेयक पारित नहीं होने देंगे, मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : सभापति महोदय, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय विधेयक, 1996 का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं इस विधेयक का अपनी और अपनी पार्टी की ओर से समर्थन करता हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दी भाषा के प्रगामी प्रयोग की चर्चा काफी दिनों से होती रही है। दसवीं लोकसभा में भी इस सदन में यह बात उठी थी और चर्चा भी हुई। इस देश में राष्ट्रभाषा के विकास के लिये जो भी बातें होती रही हैं, देखने में यह मिलता है कि हम चर्चा जरूर कर लेते हैं लेकिन फिर उसके बाद उसको वहीं भूल जाते हैं।

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की बात को सही मायनों में हम जमीन पर नहीं उतार पाते हैं। यह विधेयक जबकि हिन्दी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्याल का विधेयक है, इस विधेयक को भी सरकार से हिन्दी के बजाय अंग्रेजी में प्रस्तुत किया और उसका हिन्दी रूपान्तर यहां पेश हुआ है। कई माननीय सदस्यों ने इन बिन्दुओं का जिक्र किया है। स्वयं सभापति जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने जिक्र किया, माननीय शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी, शिवराज सिंह जी ने भी चर्चा की है। इन सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं का मैं आदर करता हूं और अपने आपको इनकी भावनाओं से जोड़ता हूं। कम से कम इस सदन में यह निश्चित हो जाए कि हिन्दी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का विधेयक भी हिन्दी में न आए और अंग्रेजी का रूपांतर हो तो इसका हश्र क्या होने वाला है आप सोच सकते हैं। हम आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं कि यह जो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का विधेयक आया है, कितने दिनों में यह जमीन पर खड़ा होगा और कितने समय में यह कार्यरूप में परिणत होगा? हम यह भी जानना चाहते हैं कि माननीय सदस्य टी. सुब्बारामी रेड्डी जी चर्चा कर रहे थे तो अंग्रेजी के बारे में उन्होंने चर्चा की। उनके भाषण के क्रम में लगा कि जैसे हम सभी हिन्दी भाषी भाषी जो हिन्दी के समर्थन में यहां बात करते हैं, वह अंग्रेजी के खिलाफ हैं। ऐसा नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हम सभी अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हैं। अंग्रेजी पढ़ने वाले पढ़ें लेकिन कम से कम हिन्दी जो राष्ट्रभाषा है, पचास साल भारत को आजाद हुये हो गए हम आजादी की स्वर्ण जयन्ती मनाने जा रहे हैं और इस अवसर पर भी हमारा हिन्दी का प्रगामी प्रयोग पूरे देश में भारत सरकार के स्तर पर जो एक्ट बना हुआ है, वह जमीन पर नहीं उतरा। केवल इस विश्वविद्यालय की स्थापना से यह संभव नहीं हो सकता है। कई माननीय सांसदों ने तथा रेड्डी जी ने भी चर्चा की कि देश में गरीबी उन्मूलन करना है, देश को आर्थिक विकास की ओर हम ले जाना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना

चाहता हूं कि जब तक देश में देशी भाषाओं का विकास नहीं होगा, तब तक यह संभव नहीं है। मैं नहीं कहता कि जो हिन्दी बिल्कुल नहीं जानते उन पर हिन्दी थोप दी जाए। उनको हिन्दी सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए और जो माननीय सदस्य या जो भी व्यक्ति हिन्दी जानते हैं, उनको हिन्दी का प्रयोग करना चाहिए, यह निश्चित होना चाहिए, तभी यह बढ़ सकती है। हम देशी भाषाओं के विरोधी नहीं हैं। यहां तेलुगु चले, मलयालम चले, कन्नड़ चले, जो भी हिन्दी नहीं जानते हैं, वह देशी भाषाओं का प्रयोग करे। डा. लोहिया ने कहा और डा. लोहिया का नाम जोड़ते हुए हम हमेशा नारा लगाते रहे हैं... 'डा. लोहिया की ये अभिलाषा, चले देश में देशी भाषा।' जब हम इस देश से गरीबी मिटाना चाहते हैं, इस देश में आर्थिक विकास करना चाहते हैं, गांवों के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को ऊपर लाना चाहते हैं तो जब तक संपर्क भाषा देशी भाषा नहीं होगी, देशी भाषाओं का विकास नहीं करेंगे, गांव की बोली में बजट नहीं बनाएंगे, गांव की बोली का प्रगामी प्रयोग देश में नहीं करेंगे, तब तक देश का आर्थिक विकास संभव नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि केवल महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय विधेयक लाने से और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कर देने से हिन्दी का विकास और देशी भाषाओं का विकास नहीं हो सकता है। जब तक गांव की बोली का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार के साथ-साथ इस सदन से अपील करना चाहता हूं कि देशी भाषाओं के विकास के लिए हम जिस क्षेत्रीय भाषा को जानते हैं, उसी भाषा में बात करें। इसके लिए केवल नीति ही न बने बल्कि हमें अपनी नीयत भी बनानी पड़ेगी।

जब हम सभी चौतरफा अपनी नीयत नहीं बनायेंगे, तब तक केवल नीति बनाने से देश-भाषा का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए इस महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय विधेयक-1996 का जोरदार समर्थन करते हुए और यह कहते हुए कि नीति के साथ-साथ सभी तरफ से नीयत बनाकर देश-भाषा का विकास करने का अनुरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री समीक लाहिरी (डाइमंड हार्बर) : सभापति जी, हिंदी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए आज यहां पर बिल लाया गया है। इस बिल का समर्थन करते हुए मैं दो-तीन प्रश्न और भावनाएं सरकार के सामने रखना चाहता हूं। मुझसे पहले जिन माननीय सदस्यों ने यहां वक्तव्य पेश किये हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। सिर्फ दो-तीन बातें भारत सरकार से कहना चाहता हूं। प्रथम तो यह कि दो नई यूनिवर्सिटीज भारत सरकार स्थापित करने जा रही है तो जब यह कार्य किया जा रहा है तो क्या यह सोचा गया है कि यू.जी.सी. की तरफ से नये एलोकेशन देकर अधिक रुपया खर्च करने के लिए क्या सरकार तैयार है। अगर तैयार नहीं है तो फिर स्टेट यूनीवर्सिटी का जो बजट है, वह तो घाटे में चल रहा है तो उसमें तो और भी अधिक घाटा आ जायेगा, तो इसके लिए केन्द्रीय सरकार को यू.जी.सी. को और ज्यादा रुपया एलोकेट करना चाहिए।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि हिंदी की यूनिवर्सिटी बन रही है, उर्दू की यूनिवर्सिटी बन रही है। लेकिन हमारे देश में इतनी सारी रीजनल लैंग्वेजिज हैं, उन रीजनल लैंग्वेजिज के विकास के लिए भी क्या सरकार नई यूनिवर्सिटीज बनाने जा रही है? नहीं तो इन रीजनल लैंग्वेजिज का विकास कैसे होगा, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी संस्कृति हैं, उन भाषाओं और संस्कृति के विकास के लिए स्टेट यूनीवर्सिटीज हैं। लेकिन इन भाषाओं के विकास के लिए क्या भारत सरकार और सैंट्रल यूनिवर्सिटीज स्थापित करना चाहती हैं। सभापति महोदय, हमारे देश में हिंदी यूनिवर्सिटी है, उर्दू यूनिवर्सिटी है, लेकिन लिंग्विस्टक क्यों नहीं है, स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक क्यों नहीं है। हर भाषा के विकास के लिए स्कूल ऑफ लिंग्विस्टक भी स्थापित करना चाहिए। मैं यह भी सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। मेरे पूर्व में जो माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। फिर भी इस बिल का समर्थन करते हुये ये दो भावनाएं सदन के सामने रखते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : सभापति महोदय, आज सरकार हिंदी के लिए अंतर्राष्ट्रीय विद्यापीठ बनाने जा रही है। लेकिन क्या हिंदी राष्ट्रभाषा है। स्वयं हिंदी हमारे देश में अभी तक राजभाषा नहीं हुई है और हम उसे अंतरराष्ट्रीय भाषा बनाने जा रहे हैं। पहले हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। भूतपूर्व राष्ट्रपति बाबू राजेन्द्र प्रसाद जी ने जब संविधान पारित करते समय उद्घाटन किया था तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि आज अंग्रेजी में हम संविधान को स्वीकार कर रहे हैं, इसका हमें दुख हो रहा है। आज इतने सालों के बाद भी यहां जो बिल लाया गया है वह अंग्रेजी में लाया गया है, यह दुख की बात है।

श्री एस.आर. बोम्मई : यह हिंदी में भी है।

श्री मोहन रावले : आपने जो पेश किया वह अंग्रेजी में पेश किया लेकिन उस वक्त जब डा. राजेन्द्र प्रसाद ने संविधान अंग्रेजी में देखा तो उस पर दुख व्यक्त किया था। महोदय, आज इस देश में राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रगीत है, राष्ट्रीय ध्वज है, लेकिन दुख यह है कि अभी तक हमारे देश में राष्ट्रभाषा नहीं हुई है।

यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। मैं शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज हिन्दी में यह बिल कहां लाया गया है। कांग्रेस ने इस देश में आजादी के बाद अभी तक राज किया...**(व्यवधान)**

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : संविधान में जितनी भाषाएं हैं, वे सब हमारी राष्ट्रभाषाएं हैं।

श्री मोहन रावले : अगर हिन्दी राष्ट्रभाषा है तो सभी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं हो सकती हैं लेकिन संविधान की धारा 343 के मुताबिक हिन्दी को हमने देश की राजभाषा माना है, स्वीकार किया है। राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद ने भी यही कहा था, हमारे भूतपूर्व तीसरे राष्ट्रपति

श्री जाकिर हुसैन ने भी यही कहा था, हमने इसे राजभाषा स्वीकार किया है इसलिए हिन्दी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए। आज यह हमारा दुर्भाग्य है कि हिन्दी अभी तक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई...**(व्यवधान)** आज हिन्दी इस देश की राष्ट्रभाषा नहीं है...**(व्यवधान)**

श्री तिरुची शिवा (पुडुक्कोट्टाई) : कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है ...**(व्यवधान)**

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर) : जो बात आप कह रहे हैं, उसी बात को श्री मोहन रावले भी कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप इनके भाव को समझ नहीं रहे हैं।

सभापति महोदय : जब आपका टर्न आए तो आप अपनी भावनाएं सदन में व्यक्त कीजिए, आपको मौका मिलेगा। बीच में डिस्टर्ब मत करिए।

(व्यवधान)

श्री मोहन रावले : एच.एम. सिरवाई ने ही नहीं बताया, यहां हमारे बहुत से वक्ताओं ने भी बताया, श्री नवल किशोर राय ने भी यही बात कही कि हिन्दुस्तान में बहुत अधिक लोग हिन्दी बोलते हैं इसलिए सिरवाई जी ने हिन्दी के बारे में जो कुछ कहा, हिन्दी राष्ट्रभाषा नहीं है...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आपने दो मिनट में खत्म करने के लिए कहा था, तीन मिनट हो चुके हैं, इसलिए अब आप कन्क्लूड करिए।

श्री मोहन रावले : मैं आपसे विनती करता हूं कि जैसा आपने भी कहा हिन्दी भाषा आसान होनी चाहिए, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। मैं मानता हूं कि हिन्दी में हमारे सामने ऐसा बिल लाया जाना चाहिए, जिसे सभी लोग आसानी से पढ़ सकें लेकिन हमारे सामने जो बिल लाया गया है, उसे हम और आप कैसे पढ़ सकते हैं। इसलिए हिन्दी भाषा ऐसी होनी चाहिए, भाषान्तर ऐसा होना चाहिए, ताकि साधारण से साधारण आदमी की समझ में आसानी से आ जाए। सभापति जी, आपने भी कहा कि हम अखबार पढ़ सकते हैं लेकिन जब मंत्री जी की तरफ से बिल सदन में आता है, उसे नहीं पढ़ सकते-यही कारण है कि हिन्दी का विकास नहीं हो रहा है। इस तरह हिन्दी नहीं पढ़ सकते। अगर हिन्दी क्लिष्ट होगी तो कैसे उसका विकास हो सकता है। यही हमारा दुर्भाग्य रहा है। दक्षिण भारत के लोग हिन्दी का विरोध क्यों करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। जब उनके यहां हिंदी सिनेमा चल सकता है तो हिन्दी क्यों नहीं चल सकती. ..**(व्यवधान)**

अंत में, मेरा निवेदन है जब हिन्दी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए यह बिल सदन में लाया गया है, पहले उसे राष्ट्रीय स्तर की भाषा तो बनाईए, तभी वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन पाएगी, यही मेरी आपसे विनती है और इन शब्दों के साथ, मैं समय देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री वी. धनन्जय कुमार (मंगलौर) : सभापति जी, मैं इस सदन में गैर-हिन्दी भाषी प्रदेश से आता हूं लेकिन आपके सामने हिन्दी में बोलने का प्रयास करूंगा।

श्री सत्यदेव सिंह : आप हिन्दीभाषी प्रांत से आते हैं और माननीय सदस्य गैर-हिन्दीभाषी प्रांत से आते हैं, आपको तालियों से इनका स्वागत करना चाहिए।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति जी, माननीय सदस्य के इस प्रयास के लिए, मैं उनका स्वागत करता हूं और बधाई देना चाहता हूं।

श्री वी. धनन्जय कुमार : मैं कहना चाहता हूं कि हम जिस मानसिकता को यहां प्रकट करते हैं, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन्होंने इस देश पर पिछले 50 सालों तक राज किया, उन्होंने यह नहीं समझा कि इस देश के रहने वाले लोग हिन्दू हैं, यहां की भाषा हिन्दी है और इसलिए हम हिन्दुस्तानी हैं। किसी ने इसे समझने का प्रयास नहीं किया और न वे इसे ठीक से समझ पाए।

श्री जी.एम. बनातवाला : सभापति जी, इन्होंने अब हिन्दू और हिन्दी को जोड़ दिया-यहां पर क्या हो रहा है...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को इतना ही कहना चाहता हूं कि आप जितनी भी गहराई में जाएं, कभी आप इसको समझ नहीं पाएंगे।...**(व्यवधान)**

श्री सैयद मसूदल हुसैन : मैं हिन्दू नहीं हूं, लेकिन हिन्दुस्तानी होने के नाते मैं हिन्दी हूं।...**(व्यवधान)**

श्री वी. धन्नजय कुमार (मंगलौर) : हिन्दी और हिन्दू एक ही होता है, इसको आप अच्छी तरह से समझिए।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : धनंजय जी, आपके विचार से हिन्दू और हिन्दी एक होती होगी। कृपाकर के यहां जो हिन्दी आई है, हिन्दी विश्वविद्यालय विधेयक है, उसी पर अपनी राय रखिए। सदन ने आपका स्वागत किया है। आप हिन्दी पर ही बोलिए।

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव सिंह : सभापति महोदय, हिन्दी भाषा पर ध्यान न देते हुए इनकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए और कोई बात अन्यथा नहीं लेनी चाहिए।...**(व्यवधान)**

श्री सैयद मसूदल हुसैन : हिन्दी के साथ हिन्दू का सम्पर्क बनाकर आप हिन्दी से दुश्मनी कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप बैठिए। आप इधर मुंह कर के बोलिए।

(व्यवधान)

श्री वी. धनजय कुमार : सभापति जी, ये कम से कम यह तो मानते हैं कि हम हिन्दुस्तान में रहने वाले हैं, हम हिन्दुस्तानी हैं। कम से कम इतना तो आपको मानना चाहिए।

हमारे राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने इसी वर्धा में हिन्दी को राष्ट्रभाषा मानते हुए उसके प्रसाद के लिए एक राष्ट्रभाषा प्रचार समिति बनाई थी। दुर्भाग्य से जिन्होंने यहां राज किया, उसको भी बदलने का काम किया। अभी राष्ट्र भाषा प्रचार समिति के नाम को बदल कर हिन्दी प्रचार समिति कर दिया। मतलब यह है कि हिन्दी को राष्ट्र भाषा मानने के लिए इनकी मानसिकता तैयार नहीं हुई। अभी-अभी हमारे एक मित्र यहां बोल रहे थे कि हम कैसे देश हैं? हमारा संविधान अलग है, हमारी पहचान अलग है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, हमारा झंडा है, सब कुछ हमारा अलग है, लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। अपने देश के संविधान ने भी राष्ट्रभाषा की जगह राजभाषा (आफीश्यल लैंग्वेज) का उल्लेख है। इसके तहत न केवल हिन्दी को बल्कि समूचे देश में अलग-अलग प्रदेशों में बहुत सारी भाषाएं प्रयोग में हैं, उन सबको जोड़ कर इस देश में हमारी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश करनी चाहिए और वह कोशिश की जा रही है।

सभापति महोदय, त्रिभाषा सूत्र जिन्होंने इस देश में लाने का प्रयास किया, उसका क्या नतीजा हुआ, मैं उस झंझट में नहीं पड़ना चाहता हूं, फिर भी कम से कम आज अपने बोम्मई साहब ने जो प्रयास किया, महात्मा गांधी के नाम पर, महात्मा गांधी के अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय स्थापित करके और उसके द्वारा हिन्दी को एक अन्तर्राष्ट्रीय दर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मैं स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि इसके साथ-साथ अभी भी जो कमी रह गई है, उसकी पूर्ति होगी और जल्दी से जल्दी हिन्दी अपना राष्ट्र भाषा का दर्जा पाएगी और हम सब गर्व से यह कह सकेंगे कि हम हिन्दू हैं और हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है और हिन्दुस्तान के हम रहने वाले हैं।

श्री सत्यदेव सिंह : यह हिन्दी और हिन्दू के बारे में आपके मन में बड़ा भेद उत्पन्न हो रहा है। इसलिए मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूं:—

"मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना।
हिन्दी हैं हम, वतन है हिन्दोस्तां हमारा।।"

यह भावना आपके मन में कब आएगी। आप इन भावनाओं को समझिए।...**(व्यवधान)**

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : हां, ठीक है। हिन्दी हैं हम, वतन है हिन्दोस्तां हमारा।...**(व्यवधान)**

श्री सत्यदेव सिंह : माननीय सदस्य गैर-हिन्दी प्रदेश से आने वाले हैं और वे यहां आकर हिन्दी में भाषण कर रहे हैं, इसको समझने का आप प्रयास करें।...**(व्यवधान)**

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : हम हिन्द में रहने वाले हैं और हमारी जुबान हिन्दुस्तानी है।...**(व्यवधान)**

अपरान्ह 5.54 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव सिंह : आप थोड़ा संकीर्णता से ऊपर उठिए। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : सत्यदेव सिंह जी, आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) **:** आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने महात्मा गांधी हिन्दी अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाने का विधेयक यहां प्रस्तुत किया है। ईश्वर और प्रकृति ने हिन्दुस्तान को, इसके इतिहास को, इसके भूगोल को, इसके समुद्र को ऐसा बनाया है कि भारत मेरा एक देश है और इस देश की एक भाषा है।

महात्मा गांधी ने हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई का जब शंखनाद फूंका, रणभेदी बजाई तो उसके साथ-साथ राष्ट्रभाषा का भी आंदोलन शुरू किया। महात्मा गांधी ने आंध्र के श्री के.टी. प्रकाशम, दक्षिण भारत के राजगोपालाचारी से लेकर, आसाम से लेकर गुजरात के सभी लोगों को आजादी की लड़ाई में हिस्सा लो और हिन्दी सीखो, इसका भी आंदोलन किया था। हमारे देश के अंदर राष्ट्रभाषा हिन्दी होगी। जब देश आजाद होगा तो कलम की एक नोंक से अगर मेरे हाथ में हुकूमत आएगी तो भारत की भाषा हिन्दी होगी, यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने 'कदम कदम बढ़ाये जा, खुशी के गीत गाये जा' से आजादी का शंखनाद किया। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और क्या होगी कि आज तक इस मुल्क की कोई भाषा नहीं बन सकी। आप सुप्रीमकोर्ट में जायें वहां एक भी आदमी राष्ट्रभाषा में नहीं बोलता है। आज भी हमारे मित्र कह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा हिन्दी बननी चाहिए। आज तक हम अपने मुल्क की राष्ट्रभाषा हिन्दी को नहीं बना सके। मैं इस सदन में जार्ज फर्नान्डीज को सलाम करता हूं। उनका अभिनन्दन करना चाहता हूं जो कि इस संसद में राष्ट्रभाषा में बोलते हैं जबकि वह कन्नड़ हैं, अंग्रेजी के जानकार हैं, दस भाषाओं को जानते हैं लेकिन हिन्दी सबसे अच्छी बोलते हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषणों को सुनकर पूरा देश घूम उठता है जब वह मातृभाषा में बोलते हैं।

जब लार्ड मैकाले भारत की शिक्षा पद्धति में अंग्रेजी लेकर आये तो उन्होंने जो पहला वाक्य कहा था, वह सभी साथियों को याद रखना चाहिए।

[अनुवाद]

"हमे अपने और अपने शासनाधीन लाखों लोगों के बीच एक ऐसे वर्ग के लोगों के निर्माण के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए जो रक्त और वर्ण में तो भारतीय हों परन्तु मानसिक दृष्टि से अंग्रेज हों।"

[हिन्दी]

अगर हिन्दुस्तानियों को मानसिक रूप से गुलाम बना लिया जाये तो सदियों तक यह गुलाम बना रहेगा। जब मैं सर्वहारा की बात करने वाले साथियों को केवल अंग्रेजी में बोलते देखता हूं तो मुझे लार्ड मैकाले की याद आती है।...**(व्यवधान)** मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है और न ही किसी व्यक्ति का नाम लिया है। भारत में करोड़ों-करोड़ सर्वहारा की हकूमत कैसे होगी।

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, यह बंगला से वोट मांगते हैं लेकिन कभी बंगला में नहीं बोलते।

श्री कल्पनाथ राय : आमार सोनार बंगला आमि तुम्हें बालो बाछो। कितनी शानदार कितनी अच्छी भाषा है बंगला। बंगला हिन्दी है। बंगला तेलगू, तमिल, कन्नड़ आदि सभी भाषायें बहनें हैं। एक बड़ी बहन है तो दूसरी छोटी बहन है। अगर हमारे मित्र बंगला में बोलते हैं या गुजराती मित्र गुजराती, महाराष्ट्र के मराठी बोलें तो यह खुद ही एक राष्ट्रभाषा बन जाती। हम सभी एक दूसरे को जानते हैं। तमिल शब्द है "वनक्कम्" जिसका मतलब नमस्कार करना है। हमारे कामराज जी कहते थे "पारकलाम" 'लैट अस सी' हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं "मातारडू"। पानी मांगना हो तो नीरू। कितनी शानदार और मुल्क के लिए मर मिटने वाले लोगों की यह भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है। आदरणीय बोम्मई जी आप जीवन की संध्या काल में हैं। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह आपने गलत कहा है।

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, हमको एतराज है। श्री बोम्मई साहब की लम्बी आयु की हम कामना करते हैं। वह संध्या बेला में क्यों रहेंगे।...**(व्यवधान)**

श्री कल्पनाथ राय : मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह 100 वर्ष जियें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड से नहीं निकाल रहा लेकिन आपने यह ठीक नहीं कहा।

श्री कल्पनाथ राय : उपाध्यक्ष जी, मेरी बातों को आप उल्टा न समझें। मेरे मन में बड़ा सम्मान है, बड़ा आदर है। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि मुख में अंग्रेजी की बोली और हाथ में बंदूक की गोली लेकर कुछ मुट्ठी भर लोग, एक या दो परसेंट लोग भारत की समस्याओं का हल करेंगे।

अपराह्न 6.00 बजे

सर्वहारा की हुकुमत अंग्रेजी में होगी। राष्ट्र की भाषा, राष्ट्र की औद्योगिक समस्या, बेकारी की समस्या, जनसंख्या की समस्या आदि का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस मुल्क में भाषा का सवाल हल नहीं होगा। अभी दर्शक दीर्घा बिल्कुल खाली है। यदि यहां राष्ट्र भाषा में बहस होती तो दर्शक दीर्घा खचाखच भरी होती। लोग यह जानते हैं कि हमारे संसद सदस्य हमारे लिए क्या बहस कर रहे हैं। संसद में भोजन के सवाल पर, भूख के सवाल पर, मुल्क की आजादी के सवाल पर, राष्ट्रीयता के सवाल पर क्या हो रहा है। संविधान को किसने तोड़ा है। हम यहां पर कसम खाते हैं कि हम ईश्वर की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करते हैं कि भारत के संविधान को अक्षुण्ण रखेंगे, भारत की एकता और अखंडता के लिए काम करेंगे। भारत का संविधान तो है कि जब हिन्दुस्तान आजाद होगा तो धारा 344, 345 और 346 के अंतर्गत 15 साल में राष्ट्र भाषा हिन्दी हो जाएगी। क्या हम संविधान की कसम खाकर उसे नहीं तोड़ रहे हैं?

यहां अंग्रेजी में विधेयक आता है, सुप्रीम कोर्ट की पूरी भाषा अंग्रेजी, जो हमारे मुल्क की नौकरशाही की भाषा है, है। मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहता। कैबिनेट सैक्रेटरी से लेकर डिप्टी सैक्रेटरी तक सारे कार्य अंग्रेजी में होते हैं। केवल सैक्रेटरी के आदेश चलते हैं। इन सारे बिंदुओं पर इस राष्ट्र को चिंतन करना चाहिए। जार्ज फर्नान्डीज जैसे लोग हर दल से, हर पार्टी से यहां आते। वाजपेयी जी के भाषण हिन्दी में होते रहते हैं।...**(व्यवधान)** आज मुल्क की क्या स्थिति है। आज कोई हिन्दी क्यों नहीं पढ़ता। यू.पी., बिहार में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चला था। लेकिन जो अंग्रेजी नहीं पढ़ते, वे आई.ए.एस. आई.पी.एस. नहीं हो सकते, मिलिटरी की सर्विसेस में नहीं जा सकते, बड़े-बड़े इंजीनियर, डाक्टर की नौकरी नहीं पा सकते। हिन्दुस्तान की 50 वर्षों की आजादी ने अंग्रेजी को रोजगार से जोड़ दिया है। परिणाम यह हुआ कि अगर रोजी-रोटी कमानी है तो अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य है। जिस व्यक्ति को अंग्रेजी नहीं आती, वह भी अंग्रेजी बोलता है। मैं यहां पर देखता हूं-

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता था किंतु,

[हिन्दी]

आदि बातें अंग्रेजी में बोली जाती हैं। यह क्या है। अंग्रेजी बोलनी नहीं आती लेकिन फिर भी आधे लोग अंग्रेजी का प्रदर्शन करने में ही अपना समय बिताते हैं। अंग्रेजी पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। आप अंग्रेजी पढ़ें, तमिल पढ़ें या और कोई भी भाषा पढ़ें। ...**(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार : यदि ये दुबारा मंत्री बन जाएंगे तो इस तरह की अंग्रेजी में जवाब नहीं देंगे।

श्री कल्पनाथ राय : यदि कोई मुझसे हिन्दी में सवाल करेगा तो मैं हिन्दी में जवाब दूंगा। यदि कोई काबिल बनकर अंग्रेजी में सवाल करेगा तो अंग्रेजी में जवाब दूंगा। कोई यह न समझे कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता। मैं घंटों अंग्रेजी में बोल सकता हूं। लेकिन मैं जब से मैम्बर बना हूं, मैं ईश्वर की शपथ लेकर कहता हूं कि मैंने इस सदन में जब भी भाषण दिया है या 2-4 मिनट जो भी बोला है, अपनी मातृभाषा में ही बोला है। देश की सब भाषाएं हमारी बहनें हैं। हमारे सभी मित्र अपने हैं। उनकी भाषा हमारी भाषा हैं। इस देश का शासन जनता की बोली में चले। जनता की बोली में न्यायपालिका के लोग काम करें। इस मुल्क की नौकरशाही की भाषा में काम करने वाले बड़े-बड़े अधिकारी जनता की बोली में अपनी फाइलें लिखें, दीर्घाएं हमेशा भरी रहें, लोग देश की राजनीति की जानकारी लें।

यह कब होगा, कब गांधी जी के सपने पूरे होंगे?

मैं इस विधेयक पर अपनी अंतिम बात कहते समय यह कहना चाहूंगा कि आजादी की लड़ाई के उद्देश्य क्या थे...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कल्पनाथ राय जी कन्क्लूड कीजिए। मेरे पास अभी 10 आदमियों की लिस्ट और है।

श्री कल्पनाथ राय : जिस आजादी की लड़ाई के उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए पूज्य बापू ने, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने, आदरणीय राजगोपालाचारी ने, श्री टी. प्रकाशम जी ने, श्री श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने, राष्ट्र के इन सारे नेताओं ने जिस मातृभाषा को आगे बढ़ाने की कोशिश की, हमें विश्वास है कि संसद के लोग भी उसी को आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय मानव संसाधन मंत्री जी इस विश्वविद्यालय के माध्यम से कम से कम राष्ट्रभाषा हिन्दी को कश्मीर से कन्याकुमारी तक ले जाने का प्रयास करेंगे। ईश्वर उनको दीर्घायु बनाएंगे और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस बिल के माध्यम से राष्ट्र में हिन्दी का प्रचार-प्रसार हो। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : ऑनरेबिल मैम्बर्स, मेरे पास 10 ऑनरेबिल एम.पीज की लिस्ट है और मुझे पता लगा है कि 10 लोग और भी हैं।

श्री नीतीश कुमार : समय छह बजे से ऊपर हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे आज पास करना है तो 2-3 मिनट से ज्यादा कोई सज्जन न बोले। केवल अपने पाइंट्स कह लें।

श्री नीतीश कुमार : समय तो बढ़ा लिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : समय एक्सटेंड कर लीजिए। एक घंटा समय और बढ़ा लेते हैं, लेकिन आधे घंटे में खत्म करने की कोशिश कीजिए।

श्री जी.एम. बनातवाला : क्या इसके बाद भी कोई आइटम लिया जायेगा?

उपाध्यक्ष महोदय : इसके बाद कोई आइटम नहीं है।

***डा. के.पी. रामालिंगम** (तिरुचेंगोडे) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर, जिसमें महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की गई है, बोलने का अवसर प्रदान किया।

पूरा विश्व हमें देख रहा है। पूरा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय हमारी तरफ उत्सुकता से देख रहा है। इस महान लोकतांत्रिक देश की इस सभा में जो कुछ भी होता है उसे बड़ी सावधानीपूर्वक देखा जा रहा है। यहां तक कि छोटी-छोटी बातें भी विश्व का ध्यान आकर्षित करती हैं। इस देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। इसकी सम्प्रभुता की रक्षा की जानी चाहिए। भारत एक ऐसा छोटा सा देश नहीं है जिसकी एक ही भाषा हो। भारत बहुभाषी उपमहाद्वीप जैसा है।

हममें से कुछ सदस्यों का कहना है कि केवल एक ही राष्ट्र भाषा है। परन्तु इस देश की सत्रह भारतीय राष्ट्र भाषाएं हैं। हममें से कुछ लोगों का यह भी कहना है कि एक ही भारत है, एक ही प्रकार के लोग हैं और एक ही प्रकार की भाषा है। यह एक भाषा वाला छोटा सा देश नहीं है। इस देश के अनेक भागों में भारतीय रह रहे हैं उनकी मातृभाषा के रूप में अनेक भाषाएं हैं।

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य विश्व के अनेक भागों में इस भाषा का प्रचार करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर हिन्दी भाषा को स्थान दिलाना है। लोकप्रिय प्रस्ताव होने के कारण मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। हम इसका विरोध नहीं करते हैं।

यदि यह समझा जाए कि केवल हिन्दी ही अन्तर्राष्ट्रीयमंत्र के योग्य है तो मुझे इस पर आपत्ति है। इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। इस सभा में मौलाना आजाद उर्दू विश्वविद्यालय विधेयक पारित हुआ। यह विधेयक दूसरे सदन में भी पारित हुआ। अब हम अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी विधेयक पर विचार कर रहे हैं। हम इस विधेयक को भी पारित करेंगे।

इसके पश्चात् एक अन्तर्राष्ट्रीय तमिल विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि अन्य प्राचीन और उत्कृष्ट भारतीय भाषाओं का उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा। इस विधेयक के पश्चात मलयालम विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी विधेयक लाया जाना चाहिए। यदि ऐसा कोई विचार है तो हमें इस विधेयक का स्वागत करने में कोई आपत्ति नहीं है।

इस विधेयक के पारित होने और इस हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद इस प्रक्रिया को रोका नहीं जाना चाहिए। अन्य भारतीय भाषाओं का भी प्रचार किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए जिसमें अन्य भारतीय भाषाओं को हिन्दी से कम

* मूलतः तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

महत्व दिया जाए। किसी एक भाषा को नहीं बल्कि सभी भाषाओं को महत्व दिया जाना चाहिए। इसी वजह से मैं इस विधेयक का सावधानीपूर्वक समर्थन करता हूं।

इस चर्चा में भाग लेने वाले अन्य सदस्यों विशेषतः मेरे हिन्दी भाइयों अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश से आने वाले सदस्यों ने इस विधेयक का स्वागत किया है और अपनी भाषाओं में बोले हैं।

जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो उन्होंने मेरा स्वागत किया। वे चाहते थे कि मैं बोलूं। मैं उनकी भावनाओं को समझता हूं। मुझे उनकी भावनाओं को नोट करते हुए प्रसन्नता है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश से आने वाले मेरे भाई यदि हमें प्रसन्न देखना चाहते हैं तो तमिल सीखें और तमिल में ही बोलें, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। यदि वे तेलगु बोलें तो हमारे आन्ध्र प्रदेश के भाइयों को खुशी होगी, यदि वे मलयालम बोलें तो हमारे केरल के भाइयों को खुशी होगी और यदि वे पंजाबी, उड़िया बोले तो इन भाषाओं के बोलने वाले लोगों को प्रसन्नता होगी। तत्पश्चात मैं उनको भाषा सीखने के लिए आगे बढ़ूंगा और उनकी मातृभाषा में बोलूंगा। ऐसा करते हुए मुझे प्रसन्नता होगी।

मुझे खुशी है कि मैं इस सभा में तथा विभिन्न समितियों में इन राज्यों के सदस्यों के साथ रहता हूं। मेरी हिन्दी सीखने और हिन्दी में ही बातचीत करने में बड़ी रूचि है। मैं चाहता हूं कि यह दृष्टिकोण पारस्परिक होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि वे अन्य भाषाएं भी सीखें। एक भाषा ही राष्ट्र भाषा नहीं है। सत्रह भाषाएं राष्ट्र भाषाएं हैं। तमिल सहित सभी राष्ट्र भाषाएं भारत की सम्पर्क भाषाएं होनी चाहिए। तमिल, तलुग, मलयालम, उडिया, पंजाबी, गुजराती, आदि सभी भाषाओं में प्रशासनिक भाषाओं के रूप में इस्तेमाल किए जाने की विशेषता है। इसलिए इन सभी भाषाओं का साथ-साथ विकास होना चाहिए। इन सभी भाषाओं में इस देश की सम्पर्क भाषाएं होने की विशेषता है।

मैं यहां एक ऐतिहासिक तथ्य को विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। हमारे दक्षिण के प्रतिष्ठित नेता स्वर्गीय कायदे-मिल्लत ने संविधान सभा में तमिल को सम्पर्क भाषा बनाने का विचार प्रस्तुत किया था। उन्होंने इस समृद्ध भाषा की महानता का विस्तार से बताया था।

भारत की स्वतंत्रता से पूर्व तमिल भाषा को मलेशिया, सिंगापुर, और श्रीलंका जैसे देशों में राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। इन देशों में प्रसारण भी तमिल भाषा में होता था। वहां तमिल रेडियो केन्द्रों की भी स्थापना की गई थी। आजकल इन देशों में तमिल में टी.वी. कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं।

विश्व में ऐसे अनेक विश्वविद्यालय हैं जहां अध्ययन तमिल में ही होता है। इन विश्वविद्यालयों की संख्या 20 से अधिक है। यह शोध कार्य के लिए शैक्षिक भाषा है। तमिल भाषा विश्व के अनेक भागों में बोली जाती है क्योंकि तमिल पूरे विश्व में फैले हुए हैं।

इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रस्तावित हिन्दी विश्वविद्यालय की तरह एक अन्तर्राष्ट्रीय तमिल विश्वविद्यालय भी खोला जाए।

हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बड़ा सम्मान करते हैं। हम द्रविड़ आन्दोलन के महान नेता पेरियार, ई.वी. रामास्वामी नायकर का भी सम्मान करते हैं। जिन्होंने साक्षरता के माध्यम से वैज्ञानिक विचारधारा और सामाजिक स्वतंत्रता का संदेश फैलाया। अतः 'तंतई पेरियार अन्तर्राष्ट्रीय तमिल विश्वविद्यालय' की स्थापना करना ही उचित होगा। मुझे आशा है कि आप सब इस बात का समर्थन करेंगे और निकट भविष्य में अन्तर्राष्ट्रीय तमिल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए ऐसा ही विधेयक पारित किया जाएगा। इस आशा के साथ ही मैं इस विधेयक के माध्यम से सरकार के वर्तमान प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय बनाने का संकल्प हमारे मंत्री महोदय लेकर आए हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने कहा था :—

निज भाषा उन्नति, सब उन्नति का मूल।

इसी प्रकार से एक अन्य कवि ने कहा :—

जिसको न जिन भाषा तथा न देश का सम्मान है
वह नर नाहीं, पशु निरा और मृतक समान है।

अपनी भाषा मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, के रूप में जिसे प्रस्तावित करते समय हमने संविधान में यह कहा था कि 15 वर्ष के अंदर-अंदर हम अंग्रेजी को समाप्त कर देंगे और सम्पूर्ण देश में राष्ट्रभाषा हिंदी को लागू करेंगे। यह दुख की बात है आज उस 15 वर्ष के स्थान पर 50 वर्ष हो गए, लेकिन अंग्रेजी की गुलामी आज किस प्रकार से हमारे ऊपर छाई हुई है, इसका अभी कई पूर्व वक्ताओं ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया।

मैथिलीशरण गुप्त ने इन शब्दों में कहा:

केवल विदेशी वस्तु ही, अब स्वदेशी कहां
यह वेशभूषा और भाषा सब विदेशी है यहां।
गुण मात्र विदेशियों के यहां, हम उन्हीं में सम गए
कैसी नकल की हाय, हम नक्काल पूरे बन गए।

श्रीमान्, भाषा के स्तर के ऊपर हम हिंदी को अभी तक स्थापित नहीं कर सके। यह अत्यन्त दुख की बात है। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से प्रगति हमारी अवश्य होगी, लेकिन संविधान में जो

प्रावधान है उसके अनुसार हमें परिवर्तन करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। हमारे कई सांसदों ने कहा कि अंग्रेजी में बिल लाए। अंग्रेजी में बिल आता है, मैं इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। संविधान की धारा 348 में ही हमने आत्महत्या कर ली। यह धारा बनाते समय उसमें लिख दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद और अन्य प्रदेशों के अंदर जो लेजिस्लेटिव हैं, वहां पर जितने बिल बनेंगे, वे सारे के सारे अंग्रेजी में होंगे। मुझे याद है, राजनारायण जी और हिदायतुल्ला जी, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के रूप में, एक प्रसंग आया, तो राजनारायण जी ने कहा कि मैं स्वयं हिन्दी में बहस करूंगा और उन्होंने अनुमति दे दी। दूसरे दिन जब बैंच बनाने का प्रश्न आया, तो हिदायतुल्ला जी को दूसरे न्यायाधीशों ने बताया कि धारा 348 में है कि हम अंग्रेजी के लिए बाध्य है। हम हिन्दी में बहस नहीं सुन सकते हैं और न हिन्दी में फैसला दे सकते हैं। जब राजनारायण जी खड़े हुए, तो हिदायातुल्ला जी ने कहा -

[अनुवाद]

"मुझे खेद है। मेरे सहयोगियों ने बताया है कि अनुच्छेद 348 के अन्तर्गत हम अंग्रेजी में कार्य करने के लिए बाध्य हैं। हिन्दी में कार्य करने का हमारे पास कोई विकल्प नहीं हैं।

[हिन्दी]

वह सुप्रीम कोर्ट का एक हास्यास्पद सीन है। उस वक्त राजनारायण जी ने कहा-अरे न्यायाधीश, तुम्हें यह पता नहीं था कि संविधान में ऐसा कानून बना हुआ है। यदि तुम पहले बता देते, तो हम इसको पलट देते। राम मनोहर लोहिया जो और राजनारायण जो हिन्दी की हिमायत करते रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो हिन्दी की हिमायत करते रहे। कांग्रेस के नेताओं ने शुरू से हिन्दी को अपनाया। महात्मा गांधी और सेठ गोविन्द दास तथा राजर्षि टंडन, इन्होंने अपना सारा जीवन इसी में लगा दिया, लेकिन दुख की बात है कि लोहिया जी के जो इने-गिने शिष्य यहां पर हैं, उन्होंने संविधान की धारा 248 को परिवर्तित करने का प्रयास नहीं किया। संविधान की धारा 120 को परिवर्तित करने का प्रयास नहीं किया। संविधान की धारा 210, 343, 345, 346 और 348 -ये सब धारायें हैं, जिनके द्वारा हम चाहते हुए भी हिन्दी को इस देश में नहीं ला सकते हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जब संविधान सभा की बहस हो रही थी, तो उस समय सेठ गोविन्द दास जी ने कान्स्टीचुयेंट एसेम्बली में जो भाषण दिया, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। उन्होंने भाषण हिन्दी में दिया था, यहां मैं अंग्रेजी में अनुवाद उद्धृत कर रहा हूं। उन्होंने बताया था -

[अनुवाद]

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस संबंध में कांग्रेस कार्यकारी समिति द्वारा पारित संकल्प की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। कार्यकारी समिति चाहती थी कि अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी का प्रयोग करने के लिए भरसक प्रयास किए जाने चाहिए।

तत्पश्चात दिल्ली में एक राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन बुलाया गया। यद्यपि यह सम्मेलन हिन्दी साहित्य सम्मेलन के तत्वावधान में हुआ लेकिन फिर भी देश के प्रत्येक क्षेत्र से विद्वान व्यक्तियों को इसमें आमंत्रित किया गया। मुझे यह कहते हुए संतोष है कि देश में यह इस प्रकार का पहला सम्मेलन था। इसमें बंगाल का प्रतिनिधित्व डा. सुनीति कुमार चटर्जी और श्री सजनी कान्त दास, सचिव बांग्य साहित्य परिषद ने किया तथा कर्नाटक का प्रतिनिधित्व श्री एल.कृष्ण शर्मा सचिव, कन्नड साहित्य परिषद ने किया। मलयालम से महान कवि वल्लतोल ने इस सम्मेलन में भाग लिया उनका भी मलयालम साहित्य में उतना ही ऊंचा स्थान है जितना कि बंगाली सम्मेलन में स्वर्गीय रवीन्द्र नाथ टैगोर का। मलयालम के कन्हान राजा ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। महाराष्ट्र के महामहोपाध्याय श्री कानी भी इस सम्मेलन में भाग लेने वाले थे परन्तु वह नहीं आ पाए लेकिन उन्होंने सम्मेलन के लिए अपना संदेश भेज दिया था। उड़ीसा के श्री एले बल्लभ ने इस सम्मेलन में भाग लिया। तेलुगु के महान विद्वान श्री नीलकंठ शास्त्री तथा डा. राघवन विश्वनाथ सत्यनारायण ने भी इसे सम्मेलन में भाग लिया।

इस सम्मेलन में यह निर्णय किया गया कि दस वर्षों में अंग्रेजो के स्थान पर हिन्दी का प्रयोग होना चाहिए।

[हिन्दी]

यह उस समय की बात है, जब विधान सभा बनी थी। 1931, मई को हिन्दी साहित्य सम्मेलन में पं. जवाहरलाल नेहरू ने एक पत्र भेजा था, मैं उसके दो वाक्य पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। वे वाक्य थे :

[अनुवाद]

"मुझे खेद है कि मैं इस अवसर पर मधुरा नहीं आ सका। मैं आना चाहता था और अपने तमिलनाडु के मित्रों की यथासम्भव सेवा करना चाहता था। विशेष रूप से मैं हिन्दी साहित्य सम्मेलन की चर्चा में भाग लेना चाहता था। हिन्दी ने राष्ट्र भाषा की पूरी तरह भूमिका निभाई है और कांग्रेस का अधिकांश कार्य हिन्दी में ही किया जा रहा है। यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि तमिलनाडु में हिन्दी का तेजी से प्रसार हो रहा है। मैं इस पवित्र कार्य में खुशी से अपना पूरा सहयोग देता परन्तु मुझे खेद है

कि प्रबल कारणों की वजह से मैं सम्मेलन में नहीं आ सका। मुझे आशा है कि यह हिन्दी साहित्य सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न होगा तथा इससे तमिलनाडु में हिन्दी के प्रचार का मार्ग प्रशस्त होगा।"

यह पंडित जवाहर लाल नेहरू का पत्र मैंने इसलिए पढ़ा, यह बताने के लिए पढ़ा क्योंकि कई व्यक्ति कई बार ऐसे तर्क देते हैं कि नेहरू जी इसके पक्ष में नहीं थे। कांस्टीट्यूशनल असेम्बली के अंदर यह स्पष्ट कर दिया गया था कि संस्कृत भाषा हिन्दी की गंगोत्री है और संस्कृत भाषा के शब्द विश्व के अन्य लेंग्वेज में सब जगह हैं। डॉ. निजामुद्दीन अहमद ने कहा कांस्टीट्यूशन की डिबेट में जब बोल रहे थे मैं उनके थोड़े से वाक्य पढ़ कर सुनाऊंगा, जोकि पेज 1333 पर है। उन्होंने कहा -

[अनुवाद]

"जी हां, मैं कुछ उद्धरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। प्रो. मैक्समुलर ने संस्कृत को विश्व की महान, अद्भुत और त्रुटिहीन भाषा बताया है। सर विलियम जोन्स ने कहा है कि संस्कृत ग्रीक से भी अधिक विकसित है, लैटिन भाषा से इसका शब्द भंडार अधिक है तथा यह इन भाषाओं से अधिक परिमार्जित है। जब कभी भी हमारा ध्यान संस्कृत साहित्य की ओर जाता है तो इसकी अनंतता का भाव अपने आप प्रकट हो जाता है। हिमालय तथा भारत की सीमाओं से बाहर प्रत्येक देश के स्वरूप की तरह विशाल और उत्कर्ष साहित्य के अध्ययन के लिए दीर्घावधिक जीवन पर्याप्त नहीं हैं।" इसी प्रकार सर डब्लू हन्टर ने कहा है कि पाणिनी व्याकरण विश्व के महान व्याकरण में से है। यह मानवीय आविष्कार और उद्योग की शानदार उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करता है।

[हिन्दी]

उन्होंने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा -

[अनुवाद]

"हिन्दुओं ने असाधारण गरिमापूर्ण भाषा, साहित्य और धर्म का निर्माण किया है।

[हिन्दी]

"भाषा, भेष और भोजन है जिसको अपना प्यारा।
उस पर कभी नहीं चलने को है ओरों का चारा।

मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हम संविधान की धारा 348, 120 का परिवर्तन व संशोधन करें और जो 15 वर्ष हमारे समाप्त हो चुके हैं, 50 वर्ष हो गए पर हिन्दी को राष्ट्रभाषा हमेशा के लिए बनाने का अंग्रेजो के साथ में जो क्लाज़ था, अंग्रेजी को यहां से समाप्त करने के लिए हम एक कानून पारित करें तभी वास्तव में हिन्दी का उद्धार हो सकेगा। यह विश्वविद्यालय बनाने का जो आपने संकल्प किया है उसके लिए मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं। इन्ही शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री सुरेश प्रभु (राजापुर) : महोदय, धन्यवाद। मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय विधेयक सदन में लाने के लिए सरकार की प्रशंसा जरूर करूंगा। शायद सरकार 50 साल इसलिए रूक गई थी कि स्वतंत्रता के 50 साल पूरे होने के बाद ही यह बिल इस सदन के सामने लाना था। इसलिए मैं समझता हूं कि 50 साल इस बात के लिए रूकना पड़ा। यह जो बिल इस सदन के सामने लाया गया है मैं उसका महत्व जरूर समझ सकता हूं लेकिन उसका जो रिलेवेंस हैं वह ठीक से नहीं समझ पाया हूं। इसमें क्लाज चार में लिखा है कि इस विधेयक को इसलिए लाया गया है कि हिन्दी भाषा और साहित्य का संवर्धन और विकास करना और उनसे प्रयोजन के लिए विद्या सुसंगत शाखाओं, शिक्षण और अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करना। आज अपने देश की हालत ऐसी है कि कोई भी छात्र शिक्षा पाने के लिए जाता है तो सिर्फ इसलिए जाता है कि उसको एक डिग्री मिले और उसके बाद उसको कहीं नौकरी मिले। इसमें जो आबॅजेक्ट दिए गए हैं इसको पारित करने के लिए यदि कोई शिक्षा पाने के लिए विश्वविद्यालय में आएगा तो उसके बाद उसको जाब कहां मिलेगी, मैं समझता हूं कि सरकार ने उसके बारे में जरूर सोचा होगा। क्योंकि इस विधेयक का उद्देश्य ऐसा है। आज हिंदी भाषा विश्व में एक जानी-मानी भाषा है। इसके संवर्धन और विकास के लिए यह विधेयक लाया गया है। विश्व के लोग यह भाषा पढ़ें और इसकी उन्नति हो, इसके लिए यह विधेयक लाया गया है। इसं विश्वविद्यालय में कुछ डिग्रियां दी जाएंगी, कुछ कोर्स पढ़ाएं जाएंगे लेकिन ऐसा न हो कि यह केवल डिग्री देने का ही विश्वविद्यालय बनकर रह जाए। लोगों में यह भावना नहीं आनी चाहिए कि इसमें जो प्रोजेक्ट्स रखे गये हैं वह शायद ही बन पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए।

हमारे देश में यह फैशन है कि अगर किसी प्रकल्प को बनाना है तो उसके साथ किसी बड़े नेता का नाम जोड़ दिया जाता है और उसके बाद जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। उस नेता का नाम ही इतना बड़ा होता है कि वह इंस्टीट्यूशन काम न भी करे, तो भी नेता के नाम से संस्था जानी जाती है। जहां यह विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है वहां पवनार आश्रम है। विनोबा भावे ने हिंदी को विश्व-भाषा बनाने का बड़ा प्रयास किया है।

संस्कृत भाषा के बारे में अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि संस्कृत अब ऐसी भाषा है जो लोगों के, आम लोगों से अलग हो चुकी

है और यह बात सच भी है। लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या हम लोग इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। दो-तीन हजार साल पहले जो भाषा जनता की भाषा थी उसको हमने नष्ट कर दिया। लेकिन जिस व्यक्ति ने इसे लोगों तक पहुंचाने का काम किया उसका नाम विनोबा भावे था। महात्मा गांधी के बाद उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया था। अगर बड़ी विभूतियों का आप नाम जोड़ना चाहते हैं तो उनका नाम भी इस विश्वविद्यालय को किसी संकाय के साथ जोड़ दीजिए।

मैं दो-तीन बातें और आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं यह नहीं चाहता कि इस बात पर बहस की जाए कि हिंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हम यहां यह विधेयक पारित करने के लिए बहस कर रहे हैं। इसमें लिखा है कि यह विश्वविद्यालय आवासीय विश्वविद्यालय होगा। इसमें छात्रों के रहने का प्रबंध किया जाएगा और यह वर्धा में होगा और इसे वर्धा में बनाने का प्रयास हो रहा है। वर्धा में आकर कितने लोग रह सकेंगे-यह सोचने की बात है। इस विधेयक में जिन प्रांतों में हिन्दी नहीं बोली जाती है वहां इसके प्रसार का प्रयास करने के लिए रीजनल सेंटर की स्थापना की जानी चाहिए। महाराष्ट्र में जहां हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है वहां भी प्रांतीय सेंटर जल्दी खोले जाने जरूरी हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में इस भाषा का प्रचार होना बहुत जरूरी है। अभी कुछ दोस्तों ने उन प्रदेशों में रिजर्वेशन की बात कही। वह दूर करने के लिए भी इसका प्रसार और प्रचार इन प्रांतों में हो तो यह एक बहुत बड़ी बात होगी।

सरकार ने यह विधेयक बहुत विस्तृत बनाया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इसकी फंडिंग की क्या व्यवस्था की गयी है। इसकी व्यवस्था यूनिवर्सिटी खुद करेगी या उसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के पास जाना पड़ेगा या सरकार अपने कंसोलिडेट फंड से इसकी व्यवस्था करेगी। इस विधेयक में इस बारे में कुछ कहा नहीं गया है। राष्ट्रपति जी इसके विजिटर होंगे जो बाद में चांसलर बनेंगे। इसके बारे में भी अगर कोई प्रोविजन हो तो उसकी भी जानकारी देने की इसमें जरूरत है।

अभी हमारे कुछ माननीय साथियों ने राम मनोहर लोहिया का नाम भी बार-बार लिया। राम मनोहर लोहिया ने एक बात कही थी कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो आम लोगों की भाषा है, जिसे आम आदमी समझ सकता है। सरकार के पास लोगों तक जाने के लिए हिंदी ही एक माध्यम है इसलिए इसका प्रचार और प्रसार ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। यह केवल कुटेशन के लिए ही बची नहीं रहनी चाहिए। संयुक्त मोर्चा में जो लोग हैं उनमें से काफी लोगों के प्रेरणा-स्रोत राम मनोहर लोहिया जी रहे हैं। उनकी प्रेरणा से ही काफी लोग राजनीति में आए हैं। मैं समझता हूं कि उनके काल में यह काम जरूर हो जाएगा।

यह जो चांसलर की नियुक्ति होने वाली है, उसके लिए प्रावधान है कि प्रैजिडैंट जो विजिटर है, वह तीन लोगों का पैनल लेगा। तीन लोगों के पैनल के नाम एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेगी। आज तक जितने भी अच्छे विश्वविद्यालय बने, उनमें यदि कमियां रही हैं तो उसका एक कारण यह है कि ये नियुक्तियां पॉलिटिकलाइज हो सकती हैं। एमिनैंट कौन है, इस बारे में राजनीति के लोगों को सोचना पड़ता है। ऐसा प्रबन्ध हो और ऐसी पाठशाला हो जैसे गुरूकुल की होती थी। आवास का प्रबन्ध करने का मतलब यह है कि वहां गुरूकुल जैसा विश्वविद्यालय बनना चाहिए। जैसे गुरूकुल की व्यवस्था थी, वैसी ही गुरूशाला हों जिससे इसका प्रबन्ध हो सके। धन्यवाद।

श्री माणिकराव होडल्या गावीत (नन्दरबार) : उपाध्यक्ष महोदय, एस.आर. बोम्मई साहब जो कि मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। हमारे देश में हिन्दी भाषा राष्ट्रीय भाषा के रूप में बोली जाती है। मैंने विधेयक में देखा कि विश्वविद्यालय में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी हिन्दी भाषी होंगे। यहां मेरे साथी सांसदों ने ज्यादातर राष्ट्रभाषा हिन्दी में अपने विचार रखे। मैं भी उनके साथ अपने विचार जोड़ता हूं।

आज भारत सरकार के हर विभाग में हिन्दी और अंग्रेजी में पत्र लिखे जाते हैं। कई देहातों में लोगों को पत्र अंग्रेजी में भेजे जाते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारे देश में ज्यादातर लोग हिन्दी भाषा का प्रयोग करते हैं। यहां अलग-अलग प्रान्तों में अलग-अलग भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा में बात की जाती है। आज हिन्दी भाषा का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा राज्यों में हो रहा है और वह होना भी चाहिए।

महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में वित्त अधिकारी, कुल सचिव और दूसरे अधिकारियों आदि के पद भरे जाएंगे। यहां के अधिकारी और कुलपति हिन्दी भाषा का प्रयोग करें, ऐसी मेरी इच्छा है। यह बिल देखने से लगता है कि ऐसा होगा भी।

छात्रों के निवास के लिए भी प्रपोजल है। इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हिन्दी में जरूर डिग्री प्राप्त करेंगे। डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्हें केन्द्र और राज्यों में सरकारी नौकरी प्राप्त होगी, ऐसी मैं आशा रखता हूं।

अभी मेरे एक मित्र ने कहा कि जब हम विदेश गए तो वहां के हाई कमिश्नर ने अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया। यह चीज मैंने भी देखी। मुझे साउथ अफ्रीका जाने का मौका मिला।

वहां के हाई कमिश्नर हमसे अंग्रेजी में बात करते थे, यह देखकर हम लोगों को बहुत दुख हुआ। बाद में कुछ भारतीय मिले जिनसे हम हिन्दी में बात कर सकते थे। जब हमारे देश में कोई विदेशी नेता आता है तो अपनी भाषा में बात करता है तो हम लोग विदेश जाकर अपनी भाषा में बात क्यों नहीं कर सकते? यदि अपने देश में हिन्दी का प्रयोग करेंगे तभी तो विदेश में करेंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस विश्वविद्यालय की कार्यवाही हिन्दी में चले और यह जल्दी से जल्दी खुल जाये। मैं उम्मीद करता हूं कि जो छात्र वहां भरे जायेंगे, वे मैरिट

के आधार पर ही लिये जायेंगे। इसमें छात्रावास बनाये जाने का प्रोवीजन दिया गया है और मैं आशा करता हूं कि यह अच्छी जगह पर बनाया जायेगा। हम भी जब छात्र थे, तो छात्रावास में रहा करते थे और वह अंग्रेजों का जमाना था और आज अपना देश है इसलिये इस बात का ध्यान रखा जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि आपने घंटी बजा दी है, इसलिये अपनी बात समाप्त करते हुये माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी को बधाई देता हूं कि इस विधेयक को यहां लाये हैं।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मैं एक-दो बातें कहना चाहूंगा। जनता हमें जिम्मेदारी से चुनकर भेजती है लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे यहां बहुत कम लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी से वाकिफ हैं। सारे देश में टी.वी. पर लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि हम यहां क्या कर रहे हैं? यहां पर यूनिवर्सिटी बिल आया है लेकिन बहस हिन्दी पर शुरू हो गयी है। मेरी जानकारी के मुताबिक हमारे संविधान में जितनी भाषायें दी गयी हैं, वे सारी राष्ट्रभाषायें हैं। हिन्दी पर इसलिये बल दिया गया कि यह एक लिंक लैंग्वेज है। एक प्रान्त को दूसरे प्रान्त से जोड़ने के लिये हिन्दी की जरूरत है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के मुताबिक भारत को तीन हिस्सों में बांटा गया है। हिन्दी बोलने वाले 'क', मिली-जुली बोलने वाले महाराष्ट्र जैसे राज्य 'ख', दक्षिण के चार राज्य, पूर्वोत्तर प्रान्त जो अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा में काम करते हैं को 'ग' भाग में रखा गया है। हर राज्य में उसकी क्षेत्रीय भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। हमारे यहां कई माननीय सदस्य अंग्रेजो पर प्रहार कर रहे हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। इसलिये कि वे शब्द उनको मालूम नहीं क्योंकि उत्तर पूर्व के छोटे-छोटे प्रान्त हैं उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है।

अगर हम यहां इस तरह से सवाल छेड़ेंगे तो वहां के लोगों के दिल पर चोट लगेगी। हमें देश को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। मैं सिर्फ इस बात को कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि हमें देश को मजबूत बनाना है। आपको शायद मालूम नहीं है कि भाषा कितना सेन्सेटिव इश्यू है। धर्म के आधार पर देश टुकड़े-टुकड़े हो गए। सन् 1947 में देश के दो टुकड़े हो गए।

श्री राम नाईक : किसने किये?

श्री सैयद मसूदल हुसैन : जिसने भी किये, मैं उस पाइंट पर नहीं जा रहा हूं। उतना समय चेयर से मिल जाए तो मैं बोलने के लिए तैयार हूं। मैं इस बात को कह रहा हूं कि 1947 में पाकिस्तान बना और 1948 में जब पाकिस्तान ने उर्दू को पूर्वी बंगाल एरिया में थोपने की कोशिश की, उस दिन से वहां भाषा आंदोलन चला और नतीजा यह हुआ कि 1971 में नया देश वहां बन गया। जबान के आधार पर नया देश बन गया। धर्म से ऊपर अपनी संस्कृति है, धर्म से ऊपर अपनी भाषा है। सारी दुनिया के लोगों में किसने कितनी बार धर्म बदला है, कोई इतिहास इस बारे में नहीं बता सकता, लेकिन किसी भी इलाके के लोग अपनी संस्कृति और भाषा को नहीं छोड़ते हैं। भाषा बदलती है, भाषा की अपनी गति होती है। संस्कृत से हिन्दी बनी, हिब्रू से अरबी बनी और लैटिन से अंग्रेजी बनी, लेकिन संस्कृत, हिब्रू या लैटिन तीनों आज डेड लैंग्वेज हैं और उनसे जो बनी हुई भाषाएं हैं, वह फल-फूल रही हैं।

बापूजी का कहना था कि हिन्दी-उर्दू दोनों साथ-साथ चलती रहेंगी और उर्दू के शब्द आहिस्ता-आहिस्ता हिन्दी में समा जाएंगे। लिपि देवनागरी ही रहेगी, लेकिन शब्द उर्दू के होंगे। इस नयी भाषा का नाम हिन्दुस्तानी होगा। यह प्रक्रिया चल रही है। अरबी और फारसी के बोझ से दबी हुई उर्दू और संस्कृत का बोझा ढोने वाली हिन्दी आम जनता की मातृभाषा कभी नहीं हो सकती।

यह हिन्दी यूनिवर्सिटी का बिल है लेकिन हमें इस बात पर इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि कुछ सदस्य यहां ऐसी बात कहते हैं जो दूसरे एरिया के लोगों की भावनाओं पर चोट पहुंचाती हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक माननीय सदस्य ने हिन्दी के बारे में बहुत डटकर तकरीर की, लेकिन जब मुसीबत में फंसे तो उन्हें शेक्सपीयर याद आया। यह आप सबको मालूम है और अखबारों में भी आया है। कोर्ट में वे अंग्रेजी में लड़ते हैं। इसलिए ऐसी बात कहना ठीक नहीं है। हमें देखना है कि जो हिन्दी यूनिवर्सिटी बन रही है, इसे मजबूत करना है। मेरी पार्टी की ओर से एक सदस्य ने सही बात बताई है कि हर प्रांतीय भाषा में इस तरह की यूनिवर्सिटी बने, हर भाषा फले फूले, अपनी भाषा में हम काम करते रहे, तो एक भाषा के साथ दूसरी भाषा का अंतर घटता रहेगा और हमारे यहां जो भाषा बनेगी वह हिन्दुस्तानी भाषा होगी। मैं भी उम्मीद करता हूं कि हिन्दुस्तानी भाषा हमारे देश की भाषा हो जाएगी लेकिन भाषा को अपनी गति पर चलने का मौका देना पड़ेगा। उससे पहले हम नुक्ताचीनी करेंगे तो उससे काम सुलझेगा नहीं उलझ जाएगा। इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सत्यदेव सिंह : मेरा एक निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपसे पहले मैं एक निवेदन कर दूं। 15 माननीय संदस्यों के नाम मेरे पास हैं। अगर एक माननीय सदस्य दो मिनट भी बोलें तो आधा घंटा लगेगा। मंत्री महोदय ये जवाब देना है और बिल भी पास करना है। या तो मैं लिस्ट करटेल कर दूं या सिर्फ एक डेढ़ मिनट बोलें।

श्री सत्यदेव सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी के नाम के साथ ऐसा मत करिये। ...**(व्यवधान)**

श्री गंगा चरण राजपूत (हमीरपुर) (उ.प्र.) : उपाध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय के लिए आप इतना कम समय दे रहे हैं। राष्ट्रपिता के साथ ऐसा न करिये। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कल तो प्राइवेट मैम्बर बिजनेस है, कल के लिए पोस्टपोन नहीं हो सकता है।

श्री सत्यदेव सिंह : मेरा निवेदन यह है कि यह उर्दू और हिंदी का प्रश्न नहीं है। हिन्दी विश्वविद्यालय अपने ढंग का एक अनूठा प्रयोग हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपसे सुझाव क्या हैं?

श्री सत्यदेव सिंह : महोदय, आप दो-दो मिनट का समय निर्धारित कर दें। सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वे अपनी सीमा में ही बात कर लें।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, जिसके पास सुझाव है वह दे दे।

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। महोदय, 20 साल के बाद विश्व हिंदी सम्मेलन के प्रस्ताव को लाने के लिए मैं सरकार को धन्यवाद करता हूं और मंत्री जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। परंतु मेरी कुछ आपत्तियां हैं और वह यह हैं कि आज हिंदी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के नाम के साथ महात्मा गांधी का नाम जोड़ा जाए, उर्दू यूनिवर्सिटी के नाम के साथ मौलाना आजाद का नाम जोड़ा जाए, इसमें आपकी मंशा क्या है। क्या उर्दू सिर्फ मुसलमानों की भाषा है और हिंदी केवल हिंदुओं की भाषा है कि आपने दोनों यूनिवर्सिटी के साथ हिंदु और मुसलमान का नाम जोड़ा। महात्मा गांधी का नाम जोड़कर इस विश्वविद्यालय के साथ उनके नाम को महत्व नहीं दिया गया। महात्मा गांधी का नाम तो ऐसे ही पूरे संसार में महत्व पा चुका है, हिंदुस्तान की बात तो आप छोड़िये। अगर आपने नाम ही जोड़ना था तो हिंदी और उर्दू के मूर्धन्य विद्वानों का नाम इन विश्वविद्यालयों के साथ जोड़ते। मुंशी प्रेमचंद उर्दू की लघुकथाओं के जनक कहे जाते हैं, फिर क्यों नहीं आपने उनका नाम इसके साथ जोड़ा? रघुपति राय, फिराक और भी ऐसे दर्जनों नाम हैं, जिनका नाम उर्दू विश्वविद्यालय के साथ जोड़ा जा सकता था और इसी तरह से हिंदी के मूर्धन्य विद्वान मुंशी प्रेमचंद का नाम इसके साथ जोड़ते। वर्धा में एक हिंदी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए, इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक नहीं था कि महात्मा गांधी का नाम उसमें जोड़ा जाए।

मेरी दूसरी आपत्ति यह है कि राजनीतिज्ञों का नाम भी विश्वविद्यालय के साथ क्यों जोड़ा जाए, भाषाओं के विद्वानों का नाम क्यों नहीं जोड़ा जाए। जयशंकर प्रसाद, भारतेन्दु हरिश्चन्द और भी बहुत से लोग हैं मैं कहां तक आपको नाम गिनाऊं, उनका नाम जोड़ा जाना चाहिए था। अब मैं इस बिल की चर्चा करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : चलिये दो मिनट के बाद आप बिल की चर्चा पर तो आये।

प्रो. अजित कुमार मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, अगर सिर्फ दो मिनट का समय दिया गया तो यह मेरे लिए अन्याय होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं दो मिनट के बाद घंटी बजाऊंगा।

प्रो. अजित कुमार मेहता : लोग आधा-आधा घंटे बोल चुके हैं, लेकिन जब मेरा समय आया तो सिर्फ दो मिनट का समय दे रहे हैं। महोदय, बिल के उद्देश्य और कारणों के कथन में कहा गया है :

[अनुवाद]

> "शिक्षण की सुविधाओं और हिन्दी के मानक रूपरूप के प्रसार से भारतीय और अन्य समुद्रायों की इन आकांक्षाओं की पूर्ति होगी। यद्यपि अधिकांश भारतीय विश्वविद्यालयों और विदेशों में लगभग 150 विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जाती है और उनका अध्ययन किया जाता है फिर भी ऐसा कोई केन्द्रीयकृत संस्थान या अध्ययन केन्द्र नहीं हैं जो ऐसी प्रत्याशाओं की पूर्ति के लिए कार्यक्रमों में समन्वय, विकास या निवेश देने का कार्य करता हो।"

[हिन्दी]

लेकिन इस बिल में कहीं भी उसकी चर्चा नहीं है। ...**(व्यवधान)**

महोदय, जब यह बिल हमारे सामने आया है, मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी को बधाई देते हुए कहूंगा कि अगर इस विश्व-विद्यालय के साथ किसी वर्तमान राजनीतिज्ञ का नाम ही जोड़ना था तो जिन्होंने हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए कार्य किया, जैसे अभी डा. राम मनोहर लोहिया की कुछ देर पहले चर्चा की गई, उनका नाम क्यों नहीं जोड़ा गया। उससे कुछ समय पहले कहा गया कि हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए संविधान को बदलना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या संविधान की कोई हिन्दी प्रति आज उपलब्ध है, क्या संविधान हिन्दी में है- संविधान तो अंग्रेजी भाषा में है फिर आप किसे बदलेंगे।

यहां उत्तर और दक्षिण को जोड़ने की बात कही गई। भाषा का प्रश्न बहुत संवेदनशील है। यहां मैं आपको एक बात की याद दिलाना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले जब भाषा के संबंध में झगड़ा चला था तो इस बात पर समझौता हुआ था कि सभी स्कूल, कालेज और विश्व-विद्यालयों में तीन-भाषाएं पढ़ाई जाएं-आज हम उस पर अनुसरण क्यों नहीं करते? यदि हर स्कूल, कालेज और विश्व-विद्यालय में तीन भाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी तो उत्तर के लोग दक्षिण भारत की भाषाएं पढ़ेंगे और दक्षिण के लोग उत्तर भारत की भाषाएं सीखेंगे। इससे पूरे देश को एकसूत्र में पिरोने में सहायता मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं सदन में लाए गए विधेयक का समर्थन करता हूं और मंत्री जी को विधेयक लाने के लिए बधाई देता हूं।

प्रो. ओमपाल सिंह 'निडर' (जलेसर) : उपाध्यक्ष जी, मैं इस बिल पर विस्तार में बोलना चाहता था क्योंकि इसमें कुछ तकनीकी कमियां हैं लेकिन समय-सीमा आपने बांध दी है, अतः उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो विधेयक सदन में लाया गया है, प्रयास बहुत अच्छा है और मैं इसका समर्थन करता हूं लेकिन जिस भाषा को 50 वर्ष के अंतराल में राजभाषा का दर्जा भी न दिया जा सका हो, उसे एकदम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना, केवल बहलाने और फुसलाने वाली बात लगती है। भगवान करे हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री, जो अपने आप में पूरा पूरा शब्द

हो गलत है, मंत्री जी तो अच्छे हैं लेकिन उनका शब्द या विशेषण अच्छा नहीं है, वे अपने प्रयास में सफल हों और हमारी भाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे।

मैं बहुत संक्षेप में दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। आजकल हिन्दी का अनुवाद इतना क्लिष्ट होता है, जटिल होता है कि शब्दों ने अपना अर्थ ही खो दिया है। अगर इसी प्रकार की हिन्दी इस विश्व-विद्यालय में पढ़ाई जाएगी तो उससे न हिन्दी का विकास होने वाला है और न प्रचार-प्रसार होने वाला है।

दूसरा सुझाव मैं देना चाहता हूं, जैसा इन्होंने कहा कि हम दूरदर्शन और आकाशवाणी से इसका प्रचार-प्रसार करेंगे लेकिन जो भाषा हमारे दूरदर्शन और आकाशवाणी में बोली जाती है, उसमें हिन्दी के शब्द खोजने पड़ते हैं। इसलिए अच्छा यही होगा कि या तो आप कोई नया दूरदर्शन केन्द्र स्थापित कीजिए, वहां कोई भाषा विशेषज्ञ नियुक्त कीजिए, वरना हमारा जो दूरदर्शन पहले से चल रहा है, वह दूर से ही दर्शन कराता रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वह हमारे निकट न आए तो अच्छा रहेगा।

एक सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि जिन संस्थाओं की शक्तियां कुछ ज्यादा बढ़ा दी गई हैं, जैसे कार्य-परिषद् है, उन पर हम थोड़ा-सा प्रतिबंध लगाएं, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मुकदमा सुनने का नियम बनाएं तो अच्छा रहेगा।

एक मेरा सुझाव है कि अगर हम हिन्दी को वास्तव में बढ़ावा देना चाहते हैं तो इसे न्यायालय की भाषा बनानी होगी, संघ लोक सेवा आयोग की भाषा बनानी होगी। इसके साथ साथ, जितनी हमारी देशी भाषाएं हैं, मैं यहां लोगों से सहमत हूं कि हमें देशी भाषाओं को भी उतना ही महत्व देना पड़ेगा।

जब सब लोगों के दिमाग में आएगा कि नहीं, अकेली हिन्दी का विकास नहीं हो रहा है, बल्कि हमारी समस्त भाषाओं का विकास हो रहा है, तो उन्हें एक प्रेरणा मिलेगी और उनमें आशा जगेगी और वे हमारा साथ देंगे।

आपने सुझाव की बात कही है, इसलिए मैं एक मिनट और लूंगा और मैं चाहूंगा कि यदि मंत्री जी चाहें तो इन सुझावों को नोट कर सकते हैं। अगर वास्तव में हिन्दी को अन्तर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाना है, उसका संवर्धन करना है, उसमें तकनीकी व वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना है, तो सबसे पहले उसे भारत की राजभाषा बनाना होगा। साथ ही देश की अन्य भाषाओं को भी उतना ही महत्व देना होगा, उतना ही सम्मान करना होगा जितना राजभाषा का हो, लेकिन ऐसा करने से पहले आवश्यकता इस बात की है कि सभी राजनीतिक दलों, भाषाओं और क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का व्यापक आधार पर गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए, जहां शान्त वातावरण में भाषा समस्या पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और उसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाना चाहिए। क्योंकि भाषा का सवाल राष्ट्र की एकता, अखंडता और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं एक-दो छोटे-छोटे सुझाव देना चाहता हूं जिन पर विशेष ध्यान दिया जाए। ऐतिहासिक तथ्यों और आंकड़ों से यह सिद्ध हो गया है कि संपर्क भाषा हिन्दी बन सकती है, लेकिन अन्य भाषाओं के सहारे चलकर ही वह ऐसा कर सकती है। इसलिए हिन्दी भाषी लोगों को भी अहिन्दी भाषी लोगों की कठिनाइयों और समस्याओं को समझना चाहिए और दोनों पक्षों को भाषाई उग्रता से बचना चाहिए। प्रादेशिक भाषाओं के विकास पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। हिन्दी को सरल व लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ सस्ती व सरल पुस्तकें प्रकाशित करा कर अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में बंटवाई जाएं। भाषा के आधार पर मिलन हो, इसलिए जहां हिन्दी बोलने वाले कम हों वहां हिन्दी भाषाभाषी पहुंचे और जहां मलयालम, तमिल या बंगला बोलने वाले कम हैं वहां इन भाषाओं के बोलने वाले पहुंचें, तो जो हमारे यहां पर एक अलगाव जैसी स्थिति बन गई है वह दूर होगी और जो शब्द हमारे काम आ सकते हैं, चाहे वे किसी भाषा के क्यों न हों, उनको हमें लेने में, उनको हमें बोलने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए, कोई इंकार नहीं करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक अंतिम बात, छोटी सी कहकर मैं समाप्त करूंगा। अगर हम लोग वास्तव में यह चाहते हैं कि हिन्दी का विकास हो, तो भाषा को राजनीतिक स्वार्थ का माध्यम नहीं बनाया जाए। जब तक भाषा राजनीतिक स्वार्थ का माध्यम बनती रहेगी, तब तक हम भाषा के लिए रोना रोते रहेंगे, लेकिन परिणाम नहीं आएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, एक अंतिम बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में अन्य भाषाओं की शिक्षा की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए और त्रिभाषा सूत्र को बलपूर्वक लागू किया जाना चाहिए और यह जो हमारा विश्वविद्यालय बन रहा है इसमें भी देश की जो समृद्ध भाषाएं हैं, जिनकी संख्या अभी 16-17 बताई गई थी, उनके तुलनात्मक अध्ययन की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, केवल एक इशारा करना चाहूंगा, मुझे दुख इस बात का है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था और हमारे जो अफ्रीका के देश थे, पूर्वी और दक्षिणी एशिया के देश थे, वहां से जो लोग हमारे यहां शिक्षा लेने के लिए आते थे, तो मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि वे दो वर्ष पहले वहां हिन्दी सीखते थे और तब हिन्दुस्तान आते थे। लेकिन अब यहां जब वे अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उन्होंने अंग्रेजी सीखनी शुरू कर दी और हिन्दी पढ़ना बन्द कर दिया है। इसलिए यहां व्यवस्था ऐसी हो कि जो जिस भाषा का विश्वविद्यालय हो, उस विश्वविद्यालय में उस भाषा में ही शिक्षा प्रदान की जाए, तो ज्यादा ठीक होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आदरणीय मंत्री जी, बोम्मई साहब का धन्यवाद करता हूं। आजादी के 50 वर्ष में पहली बार एक हिन्दी भाषा की यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। अभी हमारे बहुत से साथियों ने भाषा और यूनीवर्सिटी को लेकर

बहुत सी बातें कही हैं। मैं भी इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और कहना चाहता हूं कि यह एक अच्छी शुरूआत हुई है। बहुत से लोगों ने कहा कि हिन्दुस्तान में अंग्रेजी भाषा है। मैं कहना चाह रहा हूं कि हिन्दुस्तान की भाषा कभी अंग्रेजी नहीं रही, चाहे बादशाहों का राज रहा हो और चाहे अंग्रेजों का राज रहा हो। अंग्रेजी तो राज करने वालों की भाषा रही हैं और इसीलिए आजाद हिन्दुस्तान के लिए लड़ाई करते समय महात्मा गांधी जी ने आजादी की लड़ाई लड़ी और इस भाषा को सबसे आवश्यक कहा और अंग्रेज लोग हिन्दी भाषा नहीं जानते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन जब आम लोगों, गरीब लोगों की ताकत बनी, और जब वे खड़े हुए, तो अंग्रेजों को भारत छोड़ कर जाना पड़ा।

अपराह्न 7.00 बजे

उसमें भाषा का सबसे बड़ा योगदान रहा। मैं यह कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि अभी भी इस देश में गरीब-गरीब होता चला जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। अभी भी लोगों से हमारे जो संबंध है, उस पर कहीं न कहीं भाषा का इफैक्ट हो रहा है। हमारे देश में त्रिभाषा का फार्मूला है। बहुत से प्रदेशों में नवोदय स्कूल खोले गये। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में जहां हिन्दी भाषी थे वहां लोग दूसरी भाषा चाहे तेलुगू हो, कन्नड हो, पढ़ने लगे मगर कई राज्यों में नवोदय स्कूल नहीं खोले गये। इसलिए मेरा बोम्मई साहब से कहना है कि अगर हमारे देश को मजबूत करना है, इस देश के प्रजातंत्र को मजबूत करना है तो वह भाषा से हो सकता है। दुनिया में अनेक देश हैं चाहे जापान हो, अमरीका हो, इसी तरह अनेक भाषायें है मगर आज भी अंग्रेजी भाषा सिर्फ राज करने वाले अंग्रेजों की भाषा है। जापान में, फ्रांस में या रूस में कोई बोलने वाला नहीं है। वह अंग्रेजी जानते हुए भी अपनी भाषा में बात करेंगे। उनकी भाषा में बात नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : सात बज गए हैं। आप बताइए कि कितनी देर और बढ़ाना है।

श्री सत्यदेव सिंह : एक घंटा बढ़ा दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, एक घंटा बढ़ा देते हैं।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : आपने मुझे दो मिनट बोलने के लिए दिये हैं। मैं दो मिनट ही बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी 12 मैम्बर और बोलने वाले हैं।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : मैं यह कह रहा था। यह जो भाषा है। ...**(व्यवधान)** अभी हमारे एक साथी अच्छा बोल रहे थे कि इसका राजनीतिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को अगर यह बंधन हो जाये कि कोई राजनीतिक पार्टी धर्म और भाषा का उपयोग न करे तो इस भाषा से किसी को कोई प्राब्लम नहीं है। हमें कोई प्राब्लम नहीं है। कैसे वोट मांगना है, कैसे उनको अपनी तरफ आकर्षित करना है इसलिए यह विवाद हो रहा है। पार्टिकल पार्टीज अपने एजेंडे में नेशनल इशू से राजनीतिक पार्टी के मेनीफेस्टो को बनाये तो कम से कम यह जरूरी हो कि चाहे भाषा हो, जाति हो, धर्म हो, लोगों की बेरोजगारी की समस्या हो, अगर सारी चीजों का बंधन कर दें तो आज भी हमारा देश तेजी से विकास कर सकता है। आम आदमी जो विकास में अभी भी भागीदार नहीं हो रहा है वह उस भाषा के जरिये विकास कर सकता है। गांव का आदमी चाहे तमिलनाडु का हो, आंध्र का हो, महाराष्ट्र का हो, गुजरात का हो, वह उस भाषा को नहीं समझता। वह अपनी भाषा चाहता है। उसी में वह तेजी से विकास कर सकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। इन्होंने बहुत अच्छा कदम रखा है। मैं यह चाहता हूं कि महात्मा गांधी के नाम से ख्याति प्राप्त यूनिवर्सिटी हो। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। उपाध्यक्ष जी मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (गोड्डा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, बिल का तो मैं समर्थन करता हूं लेकिन कुछ मुद्दे मानव संसाधन मंत्री जी के सामने उठाना चाहता हूं। यह विधेयक स्वयं में अनुवाद में आया है और अनुवाद ने एक प्रश्न उठाया है कि हिन्दी आज देश में अनुवाद की भाषा है। आज भी हिन्दी राजकाज की भाषा नहीं होने के कारण अनुवाद की भाषा है। 9.10.96 को केन्द्रीय कक्ष में पहली बार चार के चार सर्वोच्च पद पर विराजमान लोगों ने हिन्दी को अनुवाद के क्षेत्र से भी बहिष्कृत कर दिया। चारों लोग अंग्रेजी में बोले। केन्द्रीय कक्ष में आज तक एक अंग्रेजी में बोलता था तो दूसरा हिन्दी में बोलता था। विधेयक यह प्रदर्शित करता है कि देश आज हिन्दी को अनुवाद की भाषा भी नहीं स्वीकार कर रहा है। यह विधेयक यह बताता है कि हिन्दी को अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी अनुवाद की भाषा भारत सरकार शायद बना सकती है।

आप हिन्दी को विकसित करना चाहते हैं। भाषा और साहित्य के संवर्द्धन में विकास के लिए अध्यापन और अनुसंधान किस माध्यम से होगा। यदि अध्यापन और अनुसंधान अंग्रेजी भाषा में होता है तो मैं दूसरा प्रश्न करूंगा कि आपने जो महात्मा गांधी का नाम लिया है, क्या इस विधेयक में महात्मा गांधी की आत्मा है? महात्मा गांधी कहते थे कि अगर तानाशाही की शक्ति होती तो मैं आज अंग्रेजी को विदा कर देता। साथ ही वे कहते थे कि अंग्रेजी भाषा नहीं है, अंग्रेजियत के रूप में संस्कृति है जो भारतीय संस्कृति को गहराई से धूमिल करती है। इस विधेयक में गांधी जी की आत्मा नहीं है। यदि हम मानें कि अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्व सम्मेलन, वर्धा में हिन्दी विश्वविद्यालय खोलने की मान्यता दी, क्या वह मान्यता इसकी आत्मा में है? यदि नहीं है तो मैं समझता हूं कि यह विधेयक आत्माविहीन होगा।

जब हिन्दी की बात बहुत आई तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। आप मानें या न मानें, विश्व ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा माना। अभी-अभी जो हमारे राष्ट्रपति या पूर्व प्रधानमंत्री बाहर गए थे, आदिवासियों समेत ने हिन्दी में स्वरचित गाना गाकर सुनाया।

बड़ा साधन बन सकती थी, लेकिन इसका वहां पर प्रसार न होने की वजह से आज जो वहां पर परिस्थितियां बनी हैं, वे विपरीत हैं। इस में बताया गया है कि विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विश्वास सम्पूर्ण भारत पर होगा। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, कश्मीर के अन्दर भी इसको कालेज के साथ जोड़ने की व्यवस्था की जाए या फिर केवल हिन्दी के प्रचार के लिए वहां पर व्यवस्था करिए। मैं कहना चाहता हूं, आप सारी सरकार के अन्दर देख लीजिए, हिन्दी का एक टाइपराइटर भी वहां आपको नहीं मिलेगा, कम्प्यूटर नहीं मिलेगा। जब तक आप इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करेंगे, जिससे राज्य के अन्दर अपनी राष्ट्रभाषा ठीक तरह से प्रगति करे, तब तक देश की एकता और अखण्डता के ऊपर भी एक प्रश्नचिन्ह बना रहेगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। बनातवाला जी सदन में उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने एक मुद्दा खड़ा किया था। अगर हमें कोई भी कालेज खोलना है या कुछ भी करना है, तो पहले केन्द्र से उसकी इजाजत लेनी पड़ेगी। ऐसी इसके अन्दर व्यवस्था है, यानि एक तरह से इसको सीमित कर दिया। जब तक सरकार इजाजत नहीं देगी, तब तक वहां पर कोई काम नहीं चल सकता है। विश्वविद्यालय का जो नाम है, उसी पर एक तरह से यह प्रश्नचिन्ह है। उसकी स्वायत्तता पर एक प्रश्नचिन्ह है। इस बारे में आप जवाब दें, तो जरूर जवाब दें।

अंत में, माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वे हमारी शंकाओं को दूर करने की कोशिश करें। मैं इस बिल का पूर्णतः समर्थन करता हूं।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (औरंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, 1975 में विश्व हिन्दी सम्मेलन में अनुशंसा की गई थी कि अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह विधेयक हमारी सरकार ने रखा है, मैं इसके लिए सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ माननीय सदस्यों ने अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय के लिए जो विचार व्यक्त किए हैं, मैं उनके विचार से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

यह सदन देश की सर्वोच्च संस्था है। लोक सभा में जिस तरह से अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना पर हिन्दी में भाषण दिए गए, जो विचार व्यक्त किए गए, उससे मैं आशा करता हूं कि यहां माननीय सदस्यों और आसन के द्वारा हिन्दी में कार्य किया जाएगा।

साथ ही साथ यह आशा रखते हुए कि यह हिन्दी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा की तरह जिस तरह हमारे बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था और दुनिया में उसका नाम रोशन था, दुनिया के लोग उस विश्वविद्यालय में आते थे उसी तरह इस विश्वविद्यालय में भी हिन्दी पढ़ने, सिखने के लिए आएं।

महोदय, मुझे एक बात और कहनी है जो अनुवाद करते हैं वह हिन्दी के प्रकाण्ड विद्वान लगते हैं लेकिन वह हिन्दी के प्रकांड विद्वान नहीं अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान होते हैं। वह सहज भाषा में इसका अनुवाद नहीं करते उसमें इतनी कठिन भाषा का प्रयोग करते हैं कि हमको हिन्दी समझने में भी कठिनाई होने लगती है। इसी आशा और उम्मीद से मैं अपनी बात समाप्त करते हुए इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सत्यदेव सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, 16 अगस्त, 1995 में इस सदन के सामने यह बिल प्रस्तुत किया गया था और उसके उद्देश्य और कारणों में जो बात बताई गई थी कि जनवरी, 75 में नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना का हमने संकल्प लिया था और आगे इसमें कहा गया है कि इसमें राष्ट्रपिता जी के नाम से वर्धा में, उस शहर में जहां उनके घनिष्ठ संबंध थे 25वीं वर्ष गांठ के अवसर पर हम यह अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय महात्मा गांधी के नाम पर समर्पित कर रहे हैं। हमारे वर्तमान मंत्री जी ने भाषण में भी यह कहा है कि हिन्दी को पहले महात्मा गांधी जी ने स्वंत्रता संग्राम से जोड़ा, इसलिए हम इस विश्वविद्यालय का नाम महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी रख रहे हैं। इसके जो कारण हैं वे अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। यह मात्र भाषा तथा उसके संवर्धन तक सीमित नहीं है, यह राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ सवाल है। देश की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसलिए हिन्दी भाषा को मात्र एक सीमित विश्वविद्यालय के दायरे में देखना या भाषा तक इसको संकलित करके छोड़ देना, मैं समझता हूं कि इस विधेयक की भावना से प्रतिकूल हम अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं।

मान्यवर, आगे आपने ही कहा है कि यह स्वतंत्रता संग्राम का एक भाग था। हमें इस बात का सौभाग्य है कि इस 11वीं लोकसभा में आए, जबकि 10वीं लोकसभा में भी मैं आया था, लेकिन इस 11वीं लोकसभा के अंतर्गत हमने कई बड़े काम किए हैं। सबसे पहले विजय दिवस के रूप में 25वीं वर्ष गांठ मनाई। बंगलादेश हमारे जवानों के खून और बलिदान से बना था। उसकी 25वीं वर्ष गांठ हमने विजय दिवस के रूप में मनाई। दूसरा अवसर आया जब इसी सेंट्रल हाल में एतिहासिक केन्द्रीय कक्ष में, जहां संविधान सभा की बैठक प्रारम्भ हुई थी उसकी स्वर्ण जयंती का जो हमने यहां आयोजन किया था उसका उत्सव भी और उस इतिहास के पन्नों को पलटने का अवसर भी हमें इस 11वीं लोकसभा के सभी माननीय सदस्यों को मिला। उस समय भी मैंने कहा था और इस बात का दुख आज भी मुझे है। इसकी देश में चर्चा भी हुई है कि संविधान सभा की स्वर्ण जयंती के बारे में जो भाषण यहां किए गए, माननीय स्पीकर साहब के द्वारा, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा, उसमें हमने हिन्दी भाषा का प्रयोग नहीं किया, अनेक लोग हिन्दी जानते थे और वे हिन्दी में बोल सकते थे। वे टूटी-फूटी हिन्दी में बोलते लेकिन उससे राष्ट्र का गौरव बढ़ता। आज जो यह बिल आप लाए हैं यह भी एक एतिहासिक कदम है। मैं इसलिए इसे एतिहासिक कदम मानता हूं कि पिछले 50 वर्षों के बाद कम से कम इस देश की मानसिकता में हिन्दी का प्रत्यारोपण हुआ है। आपने एक बार फिर हिन्दी को जाग्रत करने का प्रयास किया है।

मान्यवर, यह हम लोगों का सौभाग्य है जिन्होंने हिन्दी के बारे में इस देश में सबसे ज्यादा संघर्ष किया। स्वर्गीय माननीय राममनोहर लोहिया जी, राजनारायण जी को मैं श्रद्धा से नतमस्तक करता हूं।

जाति तोड़ो और हिंदी के लिए उन्होंने सतत प्रयत्न किया। इस सदन में भी किया और सदन के बाहर भी किया। जन-मानस के बीच में भी किया। राजर्षि टंडन का नाम भी हम नहीं भूल सकते जिन्होंने अपना सब कुछ हिंदी के लिए न्यौछावर कर दिया। पंडित दीन दयाल उपाध्याय भी उसी कड़ी एक मोती थे। महात्मा गांधी हिन्दी प्रांत के नहीं थे, वे गुजरात से आते थे। उनके नाम पर जो इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है उसके लिए मैं मंत्री जी का सम्मान और स्वागत करता हूं और उनको बधाई देता हूं।

एक और गुजराती महापुरूष हमारे बीच में हुए थे जिन्होंने हिंदी के लिए बहुत काम किया। उनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखी थी। आपने मान्यवर अपने भाषण में कहा है कि इस विश्वविद्यालय के चार संकाय होंगे। उसमें भाषा, साहित्य, संस्कृत और अनुवाद ये चार संकाय होंगे। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इनमें से किसी एक संकाय का नाम उस महापुरूष के नाम पर रखिये जिससे हम महात्मा गांधी के साथ-साथ इस देश के सपूत और गुजरात की धरती में पैदा हुए स्वामी का नाम भी इस विश्वविद्यालय के साथ जोड़ सकेंगे जिसे सारा देश याद करता है।

हमारे सम्मानित दोस्त पीछे बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा कि संस्कृत, लैटिन और हिब्रू भाषाएं समाप्त हो गयी हैं। संस्कृत देववाणी है, यह समाप्त नहीं हो सकती। यह तो सभी भारतीय भाषाओं की जननी है और यह तो सतत चलने वाला प्रवाह है। इज़ाइल में सभी देशों से लोग गये और वे सभी अपनी-अपनी भाषा बोलते थे। लेकिन इज़ाइलियों ने पांडुलिपियों से हिब्रू भाषा को निकाल कर परिवर्धित किया और आज वहां की राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों हिब्रू हैं। भाषा की इतनी बड़ी शक्ति है। भाषा भावना का व्यक्त करने का माध्यम है। अगर हम अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा सकते हैं तो न अच्छा पड़ोस बन सकता है न अच्छा देश बन सकता है। इसलिए भावनात्मक एकता के लिए यह जरूरी है कि देश की भाषा एक हो।

आपने प्रसिद्ध समाज-सुधारक श्री केशव चंद सेन जी का नाम सुना होगा। आजादी से बहुत पहले 1874 में सुलभ समाचार में, बंगला में लिखते हुए उन्होंने कहा था कि भारत के अंदर एक कॉमन भाषा होनी चाहिए और वह कौन सी भाषा हो सकती है? इस समस्या को हम कैसे हल करें। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा के अंदर सभी भाषाओं के शब्द मौजूद हैं, सभी भाषाओं की भावना उपलब्ध है। इसलिए हिंदी ही इस देश की राजभाषा और राष्ट्रभाषा हो सकती है। राजभाषा तक तो हम सीमित हैं, राष्ट्रभाषा तक हम नहीं पहुंचे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की बात आप करते हैं। बड़ी संख्या में अप्रवासी भारतीय दुनिया के कोने-कोने में हैं और वे बड़े विद्वान और मेधावी हैं, बौद्धिक क्षमता वाले हैं और उनको हम आर्थिक रूप से भी इस देश के विकास में जोड़ना चाहते हैं। उसमें यह अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बड़ा योगदान कर सकता है। न केवल मारिशस, ब्रिटिश और फ्रैंच-गुयाना बल्कि ऐसे तमाम देश जो अत्यधिक सम्पन्न देश हैं जैसे अमरीका और कनाडा में भी हिंदी के प्रचार और प्रसार में योगदान कर सकते हैं। आप किसी भी तरह से इस विश्वविद्यालय के साथ इनको जोड़ें। इनकी तरफ भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए।

एक दो बातें मुझे और कहनी हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अंग्रेजी के बारे में जो कहा मैं आपको बताना चाहता हूं। मुझे अंग्रेजी में उद्धृत करना पड़ेगा। संविधान सभा में बोलते हुए उन्होंने जो अंग्रेजी के बारे में कहा कि अंग्रेजी भाषा और उसकी मानसिकता न केवल हमें आर्थिक गुलामी की तरफ ले जा रही है बल्कि मानसिक गुलामी से भी हमने अभी तक अपना पिंड नहीं छुड़ाया है। काले अंग्रेज चले गये लेकिन मैकाले की शिक्षा अभी यहां है। उन्होंने संविधान सभा में भाषा के बारे में बोलते हुए कहा था और वह अंग्रेजी के लिए। ...**(व्यवधान)** मान्यवर मैं समाप्त कर रहा हूं। आपको अवसर मिलेगा। हिन्दी भाषा का सवाल है। हम और हिन्दी भाषी क्षेत्र से आते हैं। आप हमारे बड़े भाई और मित्र भी हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप थोड़ा अवसर दें तो मैं बात समाप्त कर सकूं। ...**(व्यवधान)** बड़े इसलिए हैं कि आप बिहार से हैं और बिहार ने हमेशा उत्तर प्रदेश को दिया।

[अनुवाद]

> "भले ही अंग्रेजी कितनी भी अच्छी और महत्वपूर्ण क्यों न हो, हम यह सहन नहीं कर सकते कि यहां अंग्रेजी जानने वाला संभ्रान्त वर्ग हो और अंग्रेजी न जानने वाली विशाल जनसंख्या। इसलिए, हमारी अपनी भाषा अवश्य होनी चाहिए।"

[हिन्दी]

यह नेहरू जी ने बात कही थी। वह संविधान सभा के माननीय सदस्य थे, भारत के प्रधान मंत्री थे, हम उनको बहुत याद करते हैं। उन्होंने भी कम से कम कॉमन लैंग्वेज की बात कही थी। यहां पर विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं हैं। वह 1977 में भारत के विदेश मंत्री थे। उस समय पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की देव वाणी गूंजी थी और उन्होंने हिन्दी का प्रयोग किया था। आज तक आप उसे नहीं कर पाए। क्यों नहीं करते? विदेश से लोग आते हैं। चीन के लोग आएंगे, चीनी में बात करेंगे, फ्रांस के लोग आएंगे, फ्रैंच में बात करेंगे। आप दुभाषिया रख कर क्यों नहीं हिन्दी में बात करके उन्हें फ्रैंच और चीनी में समझाते। आपको इसमें क्यों शर्म आती है। बाहर जाकर अंग्रेजी में बात करते हो और यहां विदेशी मित्र आते हैं तो उनके साथ अंग्रेजी में बात करते हो ...**(व्यवधान)**

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : मैं ईरान गया था। आपको जान कर खुशी होगी कि मैंने वहां के लीडर्स से हिन्दी में बात की।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छी बात है।

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर) : मैं आपका आभारी हूं कि आपने ईरान में अपनी मातृभाषा बोली और दृढ़ता से अपनी बात रखी। इसके लिए बधाई लेकिन हमारा यह स्वभाव होना चाहिए कि अपनी भाषा पर, अपने देश पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी सभ्यता पर, अपने आविष्कारों पर हम गौरव अनुभव करें। ये गौरव की बातें हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से समर्थन करता हूं। तमाम सदन इस भावना से अपने आपको जोड़ता हूं कि आप एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वह आपको सफलता दे। इस बिल में जो खामियां रह गई हैं, वे काम करते-करते दूर होंगी लेकिन अपनी भावना शुद्ध होनी चाहिए। राजभाषा हिन्दी को राष्ट्रभाषा में परिवर्तित करने के लिए महात्मा गांधी के नाम से बनने वाला यह अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। यह उसका सूत्रधार बनेगा। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और ऐतिहासिक निर्णय के लिए आपको बधाई देता हूं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : महोदय, मैं सबसे पहले अपने वजीरे तालीम को मुबारकवाद देता हूं। ...**(व्यवधान)** मैं उर्दू में हिन्दी को समर्थन दे रहा हूं। वजीरे तालीम पहले उर्दू यूनिवर्सिटी का बिल लाए। अब वह हिन्दी यूनिवर्सिटी स्थापित करने का बिल लाए हैं। मैं सभी साथियों को बड़े गौर से बात सुन रहा था। हिन्दुस्तान से सात साल बाहर रहने का मुझे मौका मिला है, इसलिए मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि हर मुल्क की अपनी जुबान है। जहां मुख्तलिफ जुबान हो, वहां उन्होंने एक बड़ी जुबान को नैशनल लैंग्वेज के रूप में मानने का काम किया है और उसे लाने की कोशिश भी हो रही है। सभी जुबान में तालीम देनी चाहिए।

हमारे एक साथी ने कहा कि चूंकि इंजीनियरिंग की तालीम, मेडिसिन की तालीम, साईंस की तालीम, अंग्रेजी जुबान में होती है, और इसीलिये अंग्रेजी को हटाया नहीं जा सकता और आज अंग्रेजी हिन्दुस्तां में गुलामी का तौक है। यह अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी का दन है कि आज यहां की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और यहां के इन्स्टीट्यूशन्स में अंग्रेजी मौजूद है। मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तां के अंदर कोशिश होनी चाहिये कि इसमें सिर्फ लिट्रेचर जबान नहीं पढ़ायेंगे बल्कि इसके अंदर यह भी कोशिश होगी कि यहां पर इंजीनियरिंग, मैडिसन और साइंस की तालीम भी हिन्दी जबान के अंदर होगी। जब तक यह कोशिश नहीं की जायेगी, आपके ऊपर गुलामी की तौक लगती रहेगी। आप जबान की बात कर रहे हैं। आप चाईना, जापान में जाकर देखिये कि वहां पर तालीम किस जबान में हो रही है। आज जरूरत इस बात की है कि जबान ऐसी बने जिसे आम हिन्दुस्तानी समझ सके। मैं तो उर्दू बैकग्राउंड से आता हूं लेकिन इंजीनियरिंग अंग्रेजी में पढ़नी पड़ी। आज जब कोशिश करता हूं कि हिन्दी में पढ़ूं तो उसमें ऐसे लफ्ज भी आते हैं जो सर से गुजर जाते हैं जैसाकि हमारे एक साथी ने कहा कि एक मौका आयेगा जब उर्दू हिन्दी एक हो जायेंगे। मैं भी यही कहता हूं कि आज हिन्दी उर्दू में दूरी नहीं है। सिर्फ बोलने और लिखने की सहल कर लीजिये। एक कॉमन और आसान जबान हो जायेगी। इसमें दूसरे राज्यों की जबानों के लफ्ज लीजिये। मैं दुनिया में मोरक्को, सऊदी अरब, बहरीन में गया हूं और जब कस्टम और एक्साईज वाले और माईग्रेशन वाले पूछते हैं तो उर्दू में पूछते हैं कि हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। इसलिये यह इंटरनैशनल यूनिवर्सिटी के कालेज अपने मुल्क में खुलें या सिंगापुर, मलेशिया या यूरोप के दूसरे मुल्कों में कालेज खुलें तो वहां भी यही कोशिश होनी चाहिये। मैं आपके सामने एक शेर पढ़ रहा हूं जिससे आप सारी बात समझ जायेंगे कि उर्दू हिन्दी की दूरी कितनी कम है।

पनघट पे जाओ हो तो मुंह देखे है पानी,
ऑचल जो सरक जाये तो शमशीर चले रे।

मैं कहना चाहता हूं कि दूरी नहीं है। इसमें तीन लफ्ज-'पनघट', 'ऑचल', और 'पानी' हिन्दी के हैं और 'शमशीर' लफ्ज उर्दू का है लेकिन यह शेर उर्दू का कहलाता है। तो इस प्रकार हिन्दी जुबान आसान हो जायेगी। मैं एक मिनट और लेकर अपनी बात खत्म करूंगा। जो जबान फिल्मी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, वह हिन्दुस्तानी हो सकती है जिसे आम हिन्दुस्तानी उसे समझ सकता है। फिल्मों के गाने कितने मशहूर हैं, यही नहीं हिन्दुस्तान के बाहर भी लोग उसको गाते हैं, वह अरबी, फारसी जानने वाले भी समझते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों में खुद कमी है। मैं जानना चाहता हूं कि आजादी के 50 साल बाद भी कब कोशिश की गयी कि कोई ऐसा इंजीनियरिंग, मैडिकल कालेज है जहां हिन्दी में तालीम दी जाती हो। मैं यही कहना चाहता हूं कि नहीं हुई है लेकिन जबानी खर्च बहुत है। आज हैदराबाद के मैडिकल कालेज में उर्दू में तालीम दी जा सकती है तो हिन्दी में क्यों नहीं हो सकती? चूंकि मैं एक इंजीनियरिंग तालबेल्म हूं, निश्चित रूप से यदि हिन्दुस्तां के अंदर कोशिश हो तो हिन्दी जबान में इस तरह की तालीम हो सकती है।

आज भी मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था और आर्कोमिडीज प्रिंसिपल को उर्दू में याद किया तो वह आज तक भी मुझे याद है-- "जब किसी शय को किसी रकीक मादे में जुज्बी या कुल्ली तौर पर डुबोया जाता है तो उसके वजन में जाहिरी कमी आ जाती है। वजन की ये जाहिरी कमी हटाए हुए वजन के बराबर होती है।"

जब उर्दू में एक चीज हो सकती है तो हिन्दी में क्यों नहीं? मैं नहीं समझता हूं कि अगर सरकार निश्चित रूप से कोशिश करे और इस यूनिवर्सिटी के जरिये जब तक आप जुबान को पेट से नहीं जोड़ेंगे और जब तक जुबान को आम आदमी से नहीं जोड़ेंगे, जुबान की तरक्की मुमकिन नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इस मुल्क में यकीन की जरूरत है। इस मुल्क में कोनफिडेन्स नहीं है। हम उर्दू बोलने वाले या हिन्दी बोलने वाले हैं मगर हिन्दुस्तान में बहुत सी जुबानें बोली

जाती हैं। तेलुगु, तमिल, कन्नड, मराठी हर जुबान को हम इज्जत करते हैं क्योंकि वह यहां की जुबान है, विदेशी जुबान नहीं। लेकिन उन सबके साथ हमें एक कॉमन जुबान चाहिए और वह जुबान हिन्दी हो सकती है। इसलिए यह जो यूनिवर्सिटी बनायी जा सकती है, इसके लिए मैं तहे-दिल से मंत्री जी को मुबारकबाद देते हुए और इस उम्मीद के साथ कि हिन्दुस्तान पर अंग्रेजी के नाम पर गुलामी का जो टीका लगा है, वह एक दिन दूर होगा। यहां की जुबान हम उसी जुबान में पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे और तालीम हासिल कर पाएंगे। हिन्दी ही एक ऐसी जुबान है जो इस मुल्क की जुबान हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : सांसदों की जानकारी के लिए एक बात मैं भी कहना चाहता हूं। स्वर्गीय डा. राजेन्द्र प्रसाद ने कांस्टीट्युएंट असेम्बली में दो बातों के लिए माफी मांगी थी। पहली बात यह थी कि हम कोशिश के बावजूद भी एम.एल.ए और एम.पीज के लिए कोई क्वालिफिकेशन फिक्स नहीं कर सके और दूसरी माफी थी कि हम भारत का संविधान हिन्दी में नहीं लिख सके। बाद में उसका अनुवाद हिन्दी में जरूर हुआ है।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दी भारतमाता के भाल की बिन्दी है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, इस समय सभापतियों की तालिका में शामिल सदस्यों में से कोई भी सदस्य उपलब्ध नहीं है। यदि सभा सहमत हो तो मैं श्री सैयद मसूदल हुसैन से सभापति का दायित्व संभालने का अनुरोध कर सकता हूं।

कुछ माननीय सदस्य : ठीक है।

अपराह्न 7.48 बजे

(श्री सैयद मसूदल हुसैन पीठासीन हुए)

प्रो. रासा सिंह रावत : माननीय सभापति जी, मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी द्वारा लाए गए महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय विधेयक का हार्दिक अभिनन्दन और स्वागत करता हूं और जैसा संस्कृत में कहावत है --

"अकरणात् मन्द करणं श्रेयः।"

अर्थात् कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा रहता है। हिन्दी को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त कराने की ओर यह एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध होगा, ऐसा मैं मानता हूं और इसी रूप में इसका स्वागत करता हूं।

जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि हिन्दी भारतमाता के भाल की बिन्दी है। आज हम स्वाधीन राष्ट्र के स्वतंत्र और स्वाभिमानी नागरिक हैं। इस नाते राष्ट्रीय अस्मिता का तकाजा है कि हम अपना कार्य अपनी भाषा में करें। हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाएं हमारी मां हैं। ठीक है, अंग्रेजी का किसी रूप में सहयोग कभी रहा होगा, लेकिन अंग्रेजी नर्स के रूप में हो सकती है लेकिन मां नहीं हो सकती है। मां का स्थान कभी नर्स नहीं ले सकती। एक स्वाभिमानी राष्ट्र के लिए यह एक आवश्यक है कि आपको अपनी भाषा वहां की राजभाषा का पद ग्रहण करें।

मान्यवर, हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाने में गर्व का अनुभव करते हैं, लेकिन आज लोक की भाषा अलग है और तंत्र की भाषा अलग है।

लोक की भाषा भारतीय भाषा है, हिंदी है, लेकिन तंत्र की भाषा अंग्रेजी बनी हुई है।

ज्ञान दूर कुछ किया भिन्न हैं, इच्छा क्यों पूरी हो मन की,
एक दूसरे से न मिल सके, यह विडम्बना है जीवन की।

मैं समझता हूं कि हमारे राष्ट्र के विकास की यही सबसे बड़ी विडम्बना है कि जनता कुछ और भाषा में सोचती है और हमारा शासन कुछ और भाषा में सोचता है। मान्यवर, स्वर्गीय राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने एक बार कहा था :

किसी देश में निजता पढ़ जाती है पर्वत का क्या,
बिन एक व्यापक वाणी के राष्ट्र की सत्ता क्या।

किसी देश के अंदर एक पराई भाषा अपनेपन का पद कभी प्राप्त नहीं कर सकती है। अंग्रेजी सात समन्दर पार की भाषा चल रही है। अंग्रेजी यहां तक बनी हुई है कि मेरे एक मित्र अंग्रेजी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। जब जापान में जापानी, चीन में चीनी, फ्रांस में फ्रैंच, जर्मनी में जर्मन और उन भाषाओं के माध्यम से सारा काम हो सकता है और हमारे वैज्ञानिक जो पहले रूस के अंदर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे तो उनका छः महीने के लिए पाठ्यक्रम चलता था कि पहले वे रूसी भाषा सीखें और फिर रूसी भाषा के माध्यम से उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। हमारे यहां नालन्दा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे जहां विश्व के दूर-दूर के देशों के विद्यार्थी यहां की भाषा के माध्यम से आकर शिक्षा प्राप्त करते थे। तो हमारे संविधान के अंदर जिस भाषा को राजभाषा का पद प्रदान किया गया है, जिन भारतीय भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची के अंदर परिणित किया गया है, उन भाषाओं का हम मान-सम्मान बढ़ायें।

अपनी एक भाषा अपना देश, देता है गौरव का संदेश।

मैं इस विश्वविद्यालय का जहां स्वागत करता हूं वहां पर दो-तीन सुझाव भी देना चाहता हूं। महोदय इसकी विद्वता परिषद और कार्य परिषद में हिंदी के विद्वानों को समुचित स्थान दिया जाना चाहिए। यह मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा और इसी परिषद के अंदर छात्रों, प्राध्यापकों अथवा कर्मचारियों को उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ताकि विश्वविद्यालयों की आंतरिक समस्याओं को

सुलझाने में विद्वता परिषद या कार्य परिषद अथवा सभा को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना न पड़े। मान्यवर, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन 1975 में हुआ था और इतने वर्षों के बाद देर से ही सही, लेकिन यह काम अच्छा होने जा रहा है और मैं समझता हूं कि भारतवंशी मारीशस, ट्रिनीडाड, फिजी, गयाना, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड या अमरीका जहां-जहां भी गये हैं, वे अपनी संस्कृति से सम्पर्क स्थापित करने के लिए भारत की भारतीयता और आदर्शों को अपने जीवन में धारण करने के लिए इस विश्वविद्यालय के द्वारा विदेशों में केन्द्र स्थापित होंगे, उनके माध्यम से वे लाभान्वित हो सकेंगे। पत्राचार के द्वारा उनको राजभाषा हिंदी का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा और हिंदी का संवर्धन, विकास, अनुसंधान तथा हिन्दी के अध्यापन के कार्य में भी गुणवत्ता आ सकेगी, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं।

सभापति जी, मैं दो लाइन कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा और वह पंक्ति यह है कि अक्सर यह कहा जाता है कि प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और चिकित्सा की शिक्षा यह हिंदी में संभव नहीं है। इसलिए अंग्रेजी आवश्यक है। इसलिए मैं चाहूंगा यह विश्वविद्यालय जो महात्मा गांधी के नाम पर देश के केन्द्र वर्धा में स्थापित हो रहा है तो आप यहां पर यह प्रयोग भी प्रारम्भ करें कि हिंदी के माध्यम से प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और चिकित्सा और अन्य उच्चस्तरीय शिक्षा प्रदान की जा सके और उसमें वहां पर पाठ्यपुस्तकों का निर्माण भी हो सके। वे पाठ्यपुस्तकें विश्वविद्यालय के अंदर स्नातक और स्नातकोत्तर के स्तर पर पढ़ाई जा सकें, वहां ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए। इस विश्वविद्यालय में एक चीज और होनी चाहिए कि यहां पर पुस्तकालय में देश व दुनिया के किसी भी कोने में प्रकाशित होने वाली हिंदी भाषा की प्रामाणिक और स्तरीय पुस्तकें सभी विषयों पर वहां सहज ही उपलब्ध हो सकें। मान्यवर, हिंदी में स्वाभाविकता को भी बनाये रखें, आपने अभी एक माननीय सदस्य के रूप में यह कहा था। आपके स्वर से स्वर मिलाते हुए मैं भी यही कहता हूं कि हिंदी की स्वाभाविकता, हिंदी की मौलिकता को बनाये रखना भी इस विश्वविद्यालय का कर्तव्य है। हिंदी केवल कोरी अनुवाद की भाषा न बन सके, यह केवल पांडित्य प्रदर्शन की भाषा न बन सके, अपितु उसमें स्वाभाविकता आये। महोदय, जब बंगाली के अंदर 80 प्रतिशत शब्द संस्कृत के हैं, मराठी के अंदर 80 प्रतिशत शब्द संस्कृत के हैं, कन्नड और मलयालम में 75 प्रतिशत संस्कृत के शब्द हैं तो क्या संस्कृत शब्दावली हिंदी के अंदर नहीं आयेगी। हिंदी का एक स्तर बनाना होगा, साहित्य का एक रूप बनाना होगा। यहां दो पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा :

जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रस धार नहीं,
वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।

वह स्वदेश की लड़ाई हमारी भाषा हिंदी के माध्यम से लड़ी गई, इसलिए हिंदी की सेवा देश की सेवा है। पूज्य बापू महात्मा गांधी ने यही बात कही थी। देश को आजाद कराते हुए, जब बी.बी.सी. का एक संवाददाता उनके पास साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुआ तो गांधी जी ने कहा था कि दुनिया के लोगों से कह दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता। ये गांधी जी के शब्द थे। इसलिए गांधी जी के नाम से स्थापित होने वाले इस विश्व-विद्यालय में भारतीय भाषा हिन्दी को समुचित सम्मान मिले, उसका संवर्धन हो, विकास हो, हिन्दी संयुक्त राष्ट्र-संघ की भाषा बने, दुनिया में हमारी भाषा की पहचान हो, इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

श्री नन्द कुमार साय (रायगढ) : सभापति जी, मैं मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा सदन में लाए गए अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विद्यापीठ विधेयक का समर्थन करता हूं और कम समय में अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करूंगा क्योंकि आपने समय-सीमा निर्धारित कर दी है। यहां अनेक बातें कही गईं, कई अच्छी बातें भी सामने आईं, मैं उनसे हटकर कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं।

हम हिन्दी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों स्थापित करना चाहते हैं, हम क्यों चाहते हैं कि सम्पूर्ण दुनिया में इसका अध्ययन हो, प्रो. रासा सिंह रावत ठीक कह रहे थे कि हमारे देश में तक्षशिला और नालन्दा दो विश्व-विद्यालय ऐसे थे जहां दुनियाभर के लोग ब्रहम विद्या सीखने के लिए आते थे। ब्रहम विद्या क्या है- मैं यहां उसकी व्याख्या में जाना नहीं चाहता और न समय है। मनु महाराज को यहां बहुत गालियां दी जाती हैं लेकिन उन्होंने मनु-स्मृति में कहा था कि गंगा और यमुना के किनारे पैदा होने वाले विद्वान लोगों, सम्पूर्ण दुनिया में फैल जाओ और यहां जो अंतरंगता है, अंतर-आत्मा है, स्वाभाविकता है, वात्सल्य है, प्रेम है, एक दूसरे के प्रति अनुराग है, उसे सम्पूर्ण दुनिया में फैलाओ। दूसरे देशों में जाकर, उन लोगों के करैक्टर या चरित्र को बताओ। मनु ने कहा था-

एतत्देशे प्रसूतस्य सकासा ते अग्रजन्मना
स्वंस्वंचरित्र शिक्षेस पृथिव्यां सर्व मानवा :

मैं समझता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब आप हिन्दी विश्व-विद्यालय की स्थापना करने जा रहे हैं, उसमें यही बातें होंगी। आज दुनिया में क्या हो रहा है—सब जगह आपस में लोग लड़-मर रहे हैं- कहीं भाषा को लेकर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं मजहब के नाम पर। इसलिए आज आवश्यकता है और हमें सम्पूर्ण दुनिया में फिर से जाना पड़ेगा। आज जिस विश्व-विद्यालय की स्थापना होने जा रही है, श्रीगणेश हो रहा है, वह आगे चलकर सम्पूर्ण दुनिया के लिए लाभकारी हो, ऐसी कामना मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं।

अभी यहां कहा गया कि उत्तर और दक्षिण में भाषा को आधार बनाकर, हिन्दुस्तान की जो अनेकता में एकता है, यहां नाना प्रकार की भाषाएं हैं, नाना प्रकार की बोलियां हैं, इस देश को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। हमार देश पूरी दुनिया में अद्वितीय है, जैसे किसी बगीचे में नाना प्रकार के फूल खिले होते हों तो उसकी सुन्दरता बढ़ जाती है वैसे ही हमारे देश में नाना प्रकार की बोलियां हैं जो इसकी सुन्दरता

को चार चांद लगा देती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर चार कोस के बाद भाषा बदल जाती है, उसमें अंतर आ जाता है-

कोस-कोस बदले पानी और चार कोस में वाणि।

इससे आपको घबराना नहीं चाहिए। यह हमारे देश की मान्यता है। यहां ठीक कहा गया है कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, इसलिए किसी मामले में आपको दिक्कत नहीं होगी। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में एक शब्द 'अल्टीमेटम' है, जिसके हिन्दी अनुवाद के लिए अनेक भाषा-शास्त्रियों ने कोशिश की कि कोई सरल हिन्दी या संस्कृत तत्सम शब्द मिल जाए तो अनुवाद हो जाएगा- उसके लिए 'अन्तिमेथम' शब्द का प्रयोग करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज इस बात की आवश्यकता है। हिन्दी सम्पूर्ण भाषाओं का केन्द्र बिन्दु है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके आने से उत्तर में गड़बड़ हो जाएगी लेकिन हमारे देश में कन्नड, मलयालम, गुजराती, मराठी आदि जितनी भाषाएं हैं, हिन्दी का उनमें से किसी से विरोध नहीं है। हिन्दी के हृदय में दक्षिण की भाषाओं के लिए स्नेह है, उत्तर के लिए अनुराग है, पूर्व के लिए प्रेम है, पश्चिम के लिए अपनत्व है। इसलिए पूर्व-पश्चिम उत्तर-दक्षिण कहीं भी हिन्दी को लेकर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हिन्दी विद्यापीठ स्थापित करते समय वे इन सारी भावनाओं को ध्यान में रखें।

अपराह्न 8.00 बजे

सम्पूर्ण दुनिया में एक बार फिर हमको पहुंचने की आवश्यकता है। यदि हम घर में ठीक हो जाएं, तो निश्चितरूप से हिन्दी में किसी चीज की कमी नहीं है। कई बातें हैं। हमारे यहां अंग्रेजी आई। यह ऐसे आई जैसे कोई बाहर से आता है, तो अपने साथ कोई अपनी चीज ले आता है। इसी प्रकार से वे अपनी भाषा लेकर यहां आए। इस नाते उनका योगदान हो सकता है, लेकिन भाषा के रूप में बहुत सारी कमियां जो अंग्रेजी में हैं, वे संस्कृत में, हिन्दी में हो ही नहीं सकती। मेरा नाम "नंद कुमार साय" है। मैं "एस.ए.आई" लिखता हूं। इसको हिन्दी में "साई" लिखते हैं। इसको कोई "साय" पढ़ ही नहीं सकता। इस प्रकार की अनेक कमियां अंग्रेजी भाषा में हैं।

सभापति महोदय, आजकल मैंने क्या देखा है कि राजीव गांधी मिशन के तहत "ऋ" शब्द को हटा दिया गया है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि भाषा के साथ किस प्रकार से गड़बड़ की जा रही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दी में सारी बातों और सारी चीजों का अध्ययन हो सकता है।

अन्त में मैं डा. सोम ठाकुर के इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

वंदन अपनी भाषा का, अभिनंदन अपनी भाषा का,
जहां तुलसी की ऊंचाई और सूर, सिंधु की गहराई,
टंकार चन्द्र वरदाई का जय देव की पुरवाई का,
जहां जय शंकर का जयकारा और निराला का अप्रतिम भोज,
वंदन अपनी भाषा का अभिनंदन अपनी भाषा का।

आप हिन्दी अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कीजिए। मैं सभापति महोदय आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

सभापति महोदय : अब इसका टाइम तो आठ बजे तक था। यदि इसको जारी रखना है, तो फिर सदन के समय को बढ़ाना पड़ेगा। यदि समय बढ़ाना है, तो बताएं कितना समय बढ़ाएं?

श्री राम कृपाल यादव : सर, आधा घंटा बढ़ा दीजिए।

सभापति महोदय : देखिए, अभी इस पर पांच बोलने वाले हैं और अभी भी स्लिप्स आ रही हैं। इसके लिए दो घंटे का समय नियत था और इस पर अभी तक पांच घंटे चार मिनट बहस हो चुकी है।

श्री रमेश चेन्नित्तला : सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। इसलिए इसको तो थोड़ा और टाइम देना चाहिए।

सभापति महोदय : ठीक है। इतना महत्वपूर्ण विधेयक है, तो पहले नाम आ जाना चाहिए था अच्छा तो कितना समय बढ़ाया जाए?

प्रो. रासा सिंह रावत : सभापति महोदय, आधा घंटा बढ़ा दीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : सभापति महोदय, एक घंटा बढ़ा दीजिए।

सभापति महोदय : ठीक है, एक घंटा टाइम बढ़ा रहे हैं जिसमें से आधा घंटा चर्चा के लिए है और आधा घंटा मंत्री जी के जवाब के लिए है।

श्री अनिल कुमार यादव (खगरिया) : माननीय सभापति जी, मैं संसद के माध्यम से महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय विधेयक 1996 का स्वागत करता हूं तथा मैं इस सदन के माध्यम से आग्रह भी करता हूं कि इस विश्वविद्यालय में जो भी कार्य हो वह हिन्दी में हो। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें ऐसे लोगों की नियुक्ति करनी चाहिए जिनको हिन्दी आती हो और जो हिन्दी में काम कर सकें। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी में काम करना न आता हो, वैसे लोगों को इस विश्वविद्यालय में कदापि नियुक्त न किया जाए।

सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से खासतौर से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जब हम सांसद लोग इनके कार्यालय में या इनके चैम्बर में जाते हैं, तो जो इनके पदाधिकारी हैं या जो इनके प्राइवेट सैक्रेट्री हैं, उनसे हम हिन्दी में कोई जानकारी मांगते हैं और वे हमसे अंग्रेजी में बात करते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उनको हिन्दी आती ही नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि वे अपने निजी

सचिव वगैरह के रूप में ऐसे अधिकारियों को भर्ती करें जो हिन्दी जानते हों।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में यह निवेदन भी करना चाहूंगा कि आज हिन्दी का सबसे बड़ा धरना संघ लोक सेवा आयोग के सामने चल रहा है क्योंकि हम हिन्दी का विधेयक तो पास करते हैं, लेकिन पदाधिकारी हिन्दी में कार्य करना उचित नहीं समझते। इसीलिए हिन्दी भाषा के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। धन्यवाद

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) :

माननीय सभापति महोदय, विश्व में हो हिन्दी का उदय,
इसीलिए लाया गया है यह, महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय विधेयक।
आजादी के बीत रहे हैं पचास बरस,
फिर भी हम स्वभाषा हिन्दी के लिए गए हैं तरस।
देश को वास्तविक आजादी कब आएगी,
यह नहीं है किसी को पता?
मालूम नहीं हम से हुई है कौन सी खता।
संविधान में "इंडिया" और भारत है
किन्तु भारत को भारत होना चाहिए।
संविधान में यह भी संशोधन होना चाहिए।
पचास बरस पहले देश गुलाम था
और आजादी के पचास बरस बाद भी
देश अंग्रेजी से मुक्त नहीं तो हम कहां आजाद हैं?
अंग्रेजी और अंग्रेजीयत की हुकूमत है।
इस हुकूमत से हमें कौन मुक्त कराएगा?
और देश को निज भाषा का स्वाभिमान दिलाएगा।
महात्मा गांधी ने देश की राजनैतिक आजादी की अगुवाई की थी।
और मेरा देश हिन्दुस्तान आजाद हो गया।
और अब फिर महात्मा गांधी का नाम आया है,
अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय का विधेयक
संसद में पारित होने के लिये आया है।
हिन्दी का अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।
और हिन्द की "सांस्कृतिक ध्वजा" बनकर विश्व गगन में लहरायेगा।
राजनीति की भाषा हम नहीं जानते, इतना जरूर जानते हैं,
राजनीति लोगों को बांटती है,
और भाषा देश को जोड़ती है।
इसलिये भाषा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए
देश को अपनी स्वभाषा चाहिए।
हम हिन्दुस्तान को सही माने में आजाद देखना चाहते हैं
और इसलिये हिन्दुस्तानी "हिन्दी" को
स्वतंत्र देश की अभिव्यक्ति का
सशक्त माध्यम बनाना चाहते हैं
हिन्दी संयुक्ताक्षर है-
हिमालय का प्रथम अक्षर "हि"
और सिन्धु का "न्दु"
हिमालय से सिन्धु पर्यन्त बनता है
जो स्थान वह है मेरा देश
हिन्दुस्तान जन जन की वाणी कल्याणी हिन्दी है
आओ हम हिन्दी से हिन्दुस्तान समझें और समझाएं
हिन्दी को विश्व भाषा बनाए
तो आएं "हिन्दी" को
अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय के माध्यम से विश्व में ले जाए।
इसमें नहीं है कोई विवाद

सभापति जी, इस अवसर पर मेरा आपको और सदन को धन्यवाद।

श्री राम कृपाल यादव : माननीय सभापति जी, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सबसे पहले उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक लाकर इस सदन के माध्यम से पास करवाने का कार्य करवाया। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय खोलने की बात की जा रही है। आज हमें आजाद हुए 50 वर्ष हो गये हैं। मैं समझता हूं कि जितना हिन्दी का विकास होना चाहिए उतना नहीं हो सका है। मैं उसकी तह में नहीं जाना चाहता क्योंकि इस पर कई माननीय सदस्यों ने अपनी भावना व्यक्त की है। यह भी चिन्ता और दुख का विषय है कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है। मगर मैं पूछता हूं कि ...**(व्यवधान)**

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : सभापति जी, मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं कि हिन्दी राष्ट्रभाषा है या नही।

सभापति महोदय : वह अपने रिप्लाई में इसका जवाब दे देंगे।

(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : मैं समझता हूं कि हिन्दी जैसी सरल सहज भाषा शायद कोई दूसरी भाषा नहीं है। हिन्दुस्तान में हिन्दी बोलने वाली भाषा है, उसे राष्ट्रभाषा का व्यापक रूप नहीं दिया जा सका। मैं समझता हूं कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना इसलिए की जा रही है, इसके पीछे मंशा यह है कि हम इससे हिन्दी को व्यापक रूप देने का काम करेंगे, इसका संवर्धन करेंगे, विकास करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को हिन्दी का ज्ञान और उसकी बारीकी को पहुंचाने का काम करेंगे। न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको मैटीरियल देने का काम, रिसर्च करवाने का काम यह

विश्वविद्यालय करेगा। सबसे पहली बात यह है कि हिन्दी राष्ट्रभाषा है मगर उसका उपयोग परीक्षाओं में नहीं होता है।

इसके लिए आज भी आंदोलन चल रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं चाहे यू.पी.एस.सी. की हो, राज्य स्तर पर जो कमिशन है, उसकी हो या दूसरी जो कम्पीटीटिव परीक्षाएं होती हैं, उनमें इसका उपयोग नहीं हो पाता है। कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि जब तक इस भाषा को रोजी-रोटी से जोड़ने का काम नहीं किया जाएगा तब तक इसका संवर्द्धन नहीं हो सकता। ऐसी परीक्षाओं में हिन्दी जानने वालों को निराशा ही हाथ लगती है। इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिन्दी की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हिन्दी जानने वाले छात्र इसका प्रयोग करें और लाभ उठाने का काम कर सकें। इससे उनका उत्साह बढ़ेगा और इसका रूप भी व्यापक होगा।

यहां अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। हमारे कई माननीय सदस्यों ने यह भावना व्यक्त की है कि कार्यालयों में हिन्दी का कम से कम उपयोग होता है। सिर्फ दिखावे और खानापूर्ति के लिए हिन्दी सप्ताह मनाया जाता है। इसे सख्ती से लागू करने का काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए सारे सरकारी दफ्तरों में, चाहे लोक सभा हो, राज्य सभा हो या दूसरे दफ्तर हों, इसका उपयोग हो ताकि इसका संवर्द्धन हो सके, विकास हो सके।

समय का अभाव है इसलिए आपको भी दिक्कत है और सदन को भी दिक्कत है। आप विश्वास और दृढ़ता के साथ यह विधेयक लाए हैं, आपका कमिटमैंट है, प्रतिबद्धता है कि आप हिन्दी का विकास करेंगे। इसलिए इसकी मंशा पूरी करने में माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं, उनका पालन करें और उनके अनुरूप कोई ठोस कदम उठाएं ताकि हिन्दी जानने वाले लोगों का उत्साहवर्द्धन हो और सही मायने में राष्ट्रभाषा का रूप दिख सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी और अपनी संयुक्त मोर्चे की सरकार को धन्यवाद देते हुए कहना चाहता हूं आपने हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना का जो उत्तम निर्णय लिया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं इसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रमेश चेन्नित्तला : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छा विश्वविद्यालय खोलने का बिल सदन में पेश किया है। आप जानते हैं कि मैं केरल का रहने वाला हूं। मैं लोक सभा में हिन्दी में भाषण करने की कोशिश कर रहा हूं, कई बार किया भी है। आज हिन्दी भाषा को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। हिन्दी हमारे देश की सेवा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसके बारे में अपनी पुस्तकों में, अपने कार्यकाल में बहुत कुछ किया भी है। देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्य रखने के लिए इस भाषा की बहुत जरूरत है। जब हम विदेश जाते हैं तो वहां के प्रधानमंत्री हों या राष्ट्रपति हों, वे अपनी भाषा में बात करते हैं। वे अंग्रेजी जानते हैं लेकिन फिर भी अपने देश का गौरव बढ़ाने के लिए अपनी भाषा में बात करते हैं। लेकिन विचित्र मामला है, हमारे देश के प्रधान मंत्री हों, राष्ट्रपति हों, कोई डेलीगेशन हो, जब वे बाहर जाते हैं तो अपनी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हिन्दी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं, राष्ट्रभाषा का प्रयोग नहीं करते हैं और वे अंग्रेजी भाषा में बात करना बहुत पसन्द करते हैं, इसलिए हमारी भाषा की गरिमा नहीं बढ़ती है, हमारी भाषा का प्रचार नहीं होता है, इसलिए हमको यह देखना है कि हमारी भाषा का कैसे हम लोग प्रचार करें। इस सिलसिले में यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है।

हिन्दी भाषा को लेकर हमारे देश में झगड़े भी हुए हैं। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, तब तमिलनाडु में भाषा को लेकर, हिन्दी प्रचार को लेकर बहुत रोष प्रकट किया गया और बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आपकी सरकार को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि ठीक तरीके से हिन्दी का प्रचार करने से और नागरिकों को ठीक तरीके से बताने से कोई रोष नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई आन्दोलन नहीं होगा।

तमिलनाडु में, मद्रास में जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तब मैं दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा में शामिल हुआ था, जिन प्रचारक महोदय ने हमको पढ़ाया था, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अहिन्दीभाषी प्रदेशों में लोगों को पढ़ाया था। हिन्दी का प्रचार करने के लिए उन प्रचारकों ने बहुत काम किया था, लेकिन दुख की बात यह है कि चाहे प्रदेश की सरकार हो या सरकारी केन्द्र की सरकार हो, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देती हैं। जो लोग हिन्दी का प्रचार करते हैं, जो प्रचारक हैं, आज हर गांव में प्रचारक हैं, उनकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा एक ऐसी संस्था है, जिसके चेयरमैन प्रधान मंत्री होते हैं, लेकिन इसको कोई बढ़ावा नहीं देते हैं, उसके लिए कोई धनराशि का प्रबन्ध नहीं करते हैं, उसे कोई प्रोत्साहन नहीं देते हैं।

ठीक है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग हिन्दी का प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो साउथ में हिन्दी का प्रचार करने की संस्था बनाई हुई है, उसको प्रोत्साहित करने में हम कोई काम नहीं करते हैं, इसलिए मेरा मंत्री महोदय से एक निवेदन है कि ठीक है, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रचार जरूर करना है, लेकिन इसके साथ-साथ देश के अन्दर जो भी संस्थाएं हैं, उसको भी प्रोत्साहित करने के लिए कुछ काम करना है ...**(व्यवधान)** मैं दो मिनट के अन्दर खत्म करूंगा। वहां जो प्रचारक हैं, उनकी मदद करना बहुत जरूरी है।

इसके अलावा हमारे देश में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा जैसी बहुत सी संस्थाएं हैं, जो हिन्दी के प्रचार में लगी हैं। वे हिन्दी प्रचार को देश सेवा के रूप करती हैं, उनको संरक्षण और बढ़ावा देना चाहिए ताकि वे लोग ज्यादा से ज्यादा अपना काम करें। इसमें मुझे दो-तीन सुझाव मंत्री जी को जरूर देने हैं। यह विधेयक जब मैंने देखा था तो

उसमें कुलाध्यक्ष हमारे प्रेसीडेंट ऑफ इंडिया को बनाया हुआ है, वह जरूरी है। हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विश्वविद्यालय का गठन कर रहे हैं, तो कुलाध्यक्ष प्रेसीडेंट ऑफ इंडिया, महामहिम राष्ट्रपति जी को बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए मेरे मन में शक है कि इतनी ज्यादा पावर देना क्या जरूरी है? कुलाध्यक्ष अपने दो-तीन आफिसरों की नियुक्ति करेंगे, वहीं संचालन करेंगे और विश्वविद्यालय को हर चीज को वे देखेंगे, लेकिन इतनी सारी पावर्स कुलाध्यक्ष को देने से क्या यह विश्वविद्यालय ठीक तरह से चलेगा या नहीं चलेगा?

दूसरी बात, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई है, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो गठन हुआ है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को सारी पावर्स सौंपी गई हैं, स्टेच्यूट की तरह से वह बनेगी, लेकिन जो पावर्स उसको दी हैं, उसमें उस विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उनके जो टीचर्स हैं, उनका ठीक तरह से उसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह विश्वविद्यालय जब काम करेगा, तब छात्र भी अपने विचार उसमें रख सकते हैं और पाठ्यक्रम के बारे में अपने विचार उसमें रख सकते हैं, जो अध्यापक हैं, वे अपना विचार रख सकते हैं, एक्जोक्यूटिव कौंसिल में इतनी अधिक पावर्स हैं इसलिए इन सारे लोगों को अपने विचार रखने का मौका दिया जाना चाहिए। जहां तक वाइस चांसलर की बात है, उसमें कहा गया है कि वाइस चांसलर के बारे में चार लोगों का पैनल बनेगा और कुलाध्यक्ष तीन लोगों की कमेटी में इस पर निर्णय लेंगे। मैं चाहता हूं कि इसकी संख्या पांच कर दी जाए। जिससे और अच्छे लोगों के आने से विश्वविद्यालय का संचालन ठीक तरह से हो सके। इसके ऊपर मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए।

मैं अंत में एक बात और कहना चाहता हूं। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी में दो-तीन संसद सदस्यों को लिया जाता है, वैसे ही इस कोर्ट में कुछ सांसदों को प्रतिनिधित्व देने पर भी विचार करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गंगा चरण राजपूत : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आदरणीय बोम्मई जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से हिंदी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु विधेयक प्रस्तुत किया। दरअसल हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भूलते जा रहे थे। देश में सभी महापुरूषों के नाम से विश्वविद्यालय खोले गए हैं, लेकिन राष्ट्रपति महात्मा गांधी के नाम से अभी कोई विश्वविद्यालय नहीं खुला। मंत्री जी ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना करके महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

आज हमें इस बात का अफसोस है कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने जब प्रधान मंत्री पद की शपथ ली थी तब कहा था कि मैं तीन महीने के अंदर हिंदी सीख लूंगा और लालकिले पर 15 अगस्त को भाषण भी हिंदी में दूंगा। उन्होंने किसी तरह भाषण तो हिंदी में दिया, लेकिन उसके बाद वे दुबारा हिंदी में नहीं बोल सके। मैं अपने मानव संसाधन विकास मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि एक बहुत अच्छे हिंदी के अध्यापक की प्रधान मंत्री जी को हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था करें। यदि नहीं कर सकते तो हममें से बहुत से सांसद हैं जो उनको निशुल्क हिंदी पढ़ा सकते हैं। हमारे रासा सिंह रावत जी हिंदी के प्रोफेसर हैं।

सभापति महोदय : आपको मालूम नहीं, वे संस्कृत के प्रोफेसर हैं।

श्री गंगा चरण राजपूत : आज हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, तीन चीजों में कहीं न कहीं आपस में एकता है, समरूपता है। हिंदी किसी जाति की, धर्म की, मजहब की भाषा नहीं है। जब हम हिंदी की बात करते हैं तो लोग झगड़ा करते हैं, दक्षिण वाले झगड़ा करते हैं, नार्थ-ईस्ट वाले झगड़ा करते हैं कि हिंदी हम पर थोपी जा रही है। हिंदी स्वयं में कोई भाषा नहीं है, अनेक भाषाओं को मिलाकर हिंदी भाषा बनी है। जिसमें उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि हैं। इन सब भाषाओं को मिलाकर हिंदी बनी है, जिसे हम बोलचाल की भाषा भी कहते हैं यानी हिंदुस्तानी भी कहते हैं। जहां तक हिंदू धर्म का मामला है, जिस धर्म में अनेक संस्कृतियों का समावेश हो, जिसमें अकाली भी हैं, सिख भी हैं, शैव भी है, वैष्णव भी हैं, मूर्तिपूजक भी हैं और अनईश्वरवादी भी हैं। अनेक संस्कृतियों, अनेक मजहबों के लोगों के द्वारा जो धर्म बना, वह हिंदू धर्म है। इसी तरह से हिन्दुस्तान है। जिस देश में अनेक ऋतुयें हों, जिस देश में अनेक संस्कृतियां हों, वही हिन्दुस्तान है। हिन्दी-हिन्दू-हिन्दुस्तान में एक दूसरे के प्रति समानता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हिन्दी धर्म निरपेक्षता की भाषा है, हिन्दू धर्म अपने आप में धर्म-निरपेक्ष है और हिन्दुस्तान अपने आप में धर्म-निरेपक्ष देश है। इसलिए जब कोई हिन्दी-हिन्दू-हिन्दुस्तान की बात करता है, तो इसको एक धर्म, एक जाति और एक मजहब से नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि इस देश में हिन्दू भी है, मुसलमान भी है, सिक्ख भी हैं और ईसाई भी हैं। जब हम कोई परिवार चलाते हैं, तो उसकी एक भाषा होती है, खून का रिश्ता होता है, एक धर्म का रिश्ता होता है, तब बड़ी मुश्किल से परिवार चलता है और वह भी नहीं चल पाता है। एक देश को चलाने के लिए कहीं-न-कहीं एक रूपता लानी पड़ेगी। पूरे देश के लोग एक धर्म को स्वीकार नहीं कर सकते हैं और पूरे देश में एक संस्कृति नहीं हो सकती है, तो कम से कम एक भाषा तो होनी चाहिए, जो हमें एक सूत्र में पिरोए। कहीं-न-कहीं देशवासियों को हमें एकता से जोड़ना पड़ेगा, जिससे हम कह सकें कि हम हिन्दुस्तानी हैं और यह हमारी भाषा है। अगर एकता नहीं होगी, तो इस देश को चलाना मुश्किल हो जाएगा। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जो हिन्दी को समझता न हो। जब हमारे केरल के साथी चेन्नित्तला जी, जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, वे हिन्दी बोल लेते हैं, जब तमिलनाडु के लोग हिन्दी बोल लेते हैं और हमारे पीठासीन पदाधिकारी हिन्दी बोल लेते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि हिन्दी ऐसी कोई भाषा नहीं है, जिसको कि लोग

सीख नहीं सकते हैं। हिन्दी कोई कठिन भाषा नहीं है। हिन्दी एक सरल भाषा है। हिन्दी के शब्दकोश में जितने शब्द हैं, उतने शब्द किसी दूसरे शब्दकोश में नहीं है। अभी महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक हिन्दी शब्दकोश का विमोचन किया था, जिसमें दो लाख शब्द हैं। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा, यह सही है कि उत्तर भारत में लोग हिन्दी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन दक्षिण के लिए और नार्थ-ईस्ट के लिए हिन्दी का प्रचार और प्रसार किया जाए। जिस तरह से महात्मा गांधी ने प्रचारणी समिति बनाई थी, इसी तरह का कोई संगठन बना कर हिन्दी का प्रचार और प्रसार किया जाए। दक्षिण भारत तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में इस विश्वविद्यालय की शाखायें खोली जायें, हर जिले में खोली जायें, जिससे हिन्दी का प्रचार और प्रसार हो सके। यदि ऐसा होगा, तो सारा देश हिन्दी सीख सकता है।

मंत्री महोदय से मैं एक बात कहना चाहता हूं। हिन्दू धर्म में एक भी ग्रन्थ हिन्दी में नहीं है। सबसे पहला ग्रन्थ गोस्वामी तुलसी दास जी ने हिन्दी में लिखा था। मैं इसी क्षेत्र का निवासी हूं। 'चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीर, तुलसी चंदन घिसें तिलक देत रघुबीर'- मैं इसी बुन्देलखंड क्षेत्र से चुनकर आया हूं, हमीरपुर महुवा से। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस विश्वविद्यालय की एक संकाय का नाम तुलसी दास जी के नाम से रखा जाए और साथ ही मैथली शरण गुप्त जी भी बुन्देलखंड से थे, जो एक राष्ट्रकवि थे, इसलिए एक संकाय का नाम मैथली शरण गुप्त के नाम से रखा जाए। साथ ही हिन्दी को वैज्ञानिक भाषा बनाया जाए। जब तब वैज्ञानिक युग है, तो हिन्दी को भी वैज्ञानिक भाषा बनाया जाना चाहिए, नहीं तो यह अन्तर्राष्ट्रीय भाषा नहीं बन सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मंत्री जी को इस विधेयक को लाने के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका (तेजपुर) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक पर अंतिम वक्ता के रूप में समर्थन देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

भारतवर्ष एक विचित्र देश है और हमारे देश का एक महत्व है। यह बहुभाषिक देश है। अतुल चंद्र द्वारा लिखे गए एक गाने में हम कहते हैं- नाना भाषा, नाना मत, नाना परिधान। विविधेर मांझे देखी, मिलन महान।

इस विचित्रता में, अनेकता में एकता है यह हमारी खूबी है, हमारे देश का गौरव है। लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि एक बहुभाषिक देश में अगर एक भाषा को श्रेष्ठ स्थान दिया जाए तब जो दूसरे भाषा के लोग हैं उनका स्थान कुछ निम्न हो जाता है। जिनकी मातृभाषा हिन्दी है उनको एक श्रेयता मिलती है। तब भी यह हमारी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है इसलिए इसका प्रचार एवं प्रसार जरूर होना चाहिए। इसलिए जो हिन्दीभाषी लोग हैं उनमें कुछ हद तक सहिष्णुता एवं धैर्य चाहिए और अगर जल्दी से यह काम हो तो उसमें ही हर्ष होता है। इसलिए सहिष्णुता से एवं धैर्य से काम लेना चाहिए। मैं मंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं क्योंकि इस विश्वविद्यालय का नाम महात्मा गांधी से जुड़ा है। हम जब छोटे थे तब असम में स्वाधीनता आंदोलन के टाइम पर जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति हुआ करती थी, वहां प्रचारक शिक्षक हुआ करते थे तो हम लोग उत्साह से यह भाषा वहां सीखने जाते थे। अब अभ्यास नहीं रहा इसलिए शायद हम इसे भूल गए हैं। लेकिन बड़े उत्साह से उस समय पर लोग पढ़ते थे। उसमें कोई जबरदस्ती नहीं थी। तब भी लोग बड़े पैमाने में इसको पढ़ने, सीखने जाते थे तो इसी एक ढंग से इसको अहिन्दीभाषी लोगों के साथ प्रचार एवं प्रसार करने की चेष्टा करनी चाहिए। अगर कोई जोर-जबरदस्ती हो तो लोगों में विरोध भाव उत्पन्न होता है और हिन्दी भाषा की क्षति होती है।

दूसरी बात यह है कि संस्कृत, जो देव भाषा कहलाती है, संस्कृत भारत की जितनी भाषाएं हैं उनकी बुनियाद है और अगर हम शुद्ध हिन्दी का इस्तेमाल करें तो असम से लेकर गुजरात और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर राज्य में लोगों की समझ में आती है। लेकिन हिन्दी भाषा में जो उर्दू के शब्द हैं वे प्रायः लोगों को समझ में नहीं आते हैं। इसलिए यह नीति निर्णय करने में यह सोचना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में हम शुद्ध हिन्दी का प्रयोग ज्यादा करेंगे। बिहार और यू.पी. में जो हिन्दी बोली जाती है उसका हम प्रचार करेंगे इस नीति के बारे में सोचने का काफी प्रोविजन है। हम सोचते हैं कि अगर हम भारतीय एकता के बारे में सोचें तो हम शुद्ध हिन्दी, जो संस्कृत से निकली हुई हिन्दी है उसको ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए, यह मेरा अभिमत है। लेकिन शायद पहले जिन वक्ताओं ने कहा है कि जो शुद्ध हिन्दी है उसके कई शब्द समझ में नहीं आते हैं इसलिए दिक्कत होती है। इसमें कठिनाइयां हैं लेकिन इसमें जो सांस्कृतिक मूल है जिससे हमारी एकता का आधार बनता है उसकी वजह से हम सोचते हैं कि यह सांस्कृतिक लिपिक होनी चाहिए। मैं मंत्री जी से यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय में जब नियुक्ति की बात आए, खास तौर से रिसर्च वगैरह, अनुसंधान की बात आए तब जो हिन्दी के विद्वान हैं उनको ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए।

वह देने की बहुत जरूरत है। तब एक संदेश अहिंदीभाषियों को जाएगा कि अगर वे भी हिंदी सीखेंगे, अगर वे भी हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त करेंगे तो उनको भी प्रोफेशन में तरक्की मिलेगी। विदेशों में जब हम वाणिज्यिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए जाते थे तब हमारे साथ दक्षिण के लोग भी जाते थे जो हिंदी का विरोध करते थे। लेकिन जब किसी वस्तु के दाम जानने हों या किस भाव में वह लेनी चाहिए आदि बातें हिंदी में करते थे। वह अंग्रेजी में नहीं करते थे ताकि दुकानदार को पता न लगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। हिंदी का यह हमें एडवांटेज था। लेकिन इस विश्वविद्यालय में अगर बहुत ज्यादा विदेशी हिंदी सीख जाएंगे तो यह एडवांटेज हमारा खत्म हो जाएगा।

मैं इस बिल का समर्थन करते हुए मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह यह विधेयक लेकर आए हैं और साथ ही यह आशा भी करता हूं कि यह विधेयक पास हो जाएगा। मैं यह आशा करता

हूं कि यह विश्वविद्यालय हिंदी को आगे बढ़ाने और देश-विदेश में हिंदी का प्रचार और प्रसार करने में एक अग्रणी भूमिका निभाएगा।

श्री एस.आर. बोम्मई : माननीय सभापति महोदय, सभी सदस्यों ने इस बिल का समर्थन किया है और कुछ सुझाव भी दिये हैं। कुछ सदस्यों ने विश्वविद्यालय के नाम को लेकर भी तकरीरें की हैं। इस विश्वविद्यालय के नाम के साथ महात्मा गांधी का नाम इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि जब हम स्वतंत्रता संग्राम के लिए काम कर रहे थे उस समय महात्मा गांधी जी ने स्वराज्य, स्वावलम्बन, स्वदेशी के साथ-साथ हिंदी भी जोड़ी थी। हिंदी हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक भाग है। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि महात्मा गांधी जी ने हिंदी के लिए बहुत काम किया था। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा, हर गांव में हिंदी स्कूल उनकी ही देन थे जहां विद्यार्थी हिंदी पढ़ने के लिए आते थे। उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं था बल्कि यह भावना थी कि हिंदी सीखना और जानना राष्ट्र की जरूरत है। आजादी के बाद हिंदी के प्रचार का तरीका कुछ बदल गया और दक्षिण भारत में और खासतौर से तमिलनाडु के लोगों को लगा कि यह हिंदी साम्राज्यशाही हमारे ऊपर लादी जा रही है, कुछ इस तरह की भावना लोगों में आई। लेकिन अब वह भावना नहीं है। दक्षिण भारत के लोक सभा और राज्य सभा के सभी सदस्यों ने हिंदी में भाषण किये हैं। डी.एम.के., ए. डी.एम. के और तेलुगू देशम के सदस्यों ने भी हिंदी में भाषण किये।

हिन्दी राष्ट्रभाषा है या नहीं, यह सवाल नहीं पूछा। मैं इस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार :

> "संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा की प्रसार वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें।"

[हिन्दी]

संविधान में यह बताया गया है कि इसको कम्पोजिट लैंग्वेज बनाने के लिए कैसे कोशिश होनी चाहिए। इससे ज्यादा इस पर कहने की जरूरत नहीं है।

श्री मोहन रावले : मेरा सीधा-सादा सवाल यह है कि हिन्दी ऑफिशियल लैंग्वेज तो नहीं है लेकिन यह राष्ट्र भाषा है या नहीं?

श्री एस.आर. बोम्मई : इसका जवाब आर्टिकल 351 में है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : यहां के सत्ताधारी पक्ष ने आज तक यह नहीं बताया कि हिन्दी राष्ट्रभाषा है या नहीं? ...**(व्यवधान)**

श्री एस.आर. बोम्मई : मेरी व्यक्तिगत राय है कि यह राष्ट्रभाषा है। सरकार की तरफ से आर्टिकल 351 इस बात का जवाब देगा।

मैं संविधान से बाहर नहीं जा सकता।

प्रो. रासा सिंह रावत : संसदीय राजभाषा समिति बनी हुई है जिसमें लोक सभा के 20 और राज्य सभा के 10 सदस्य हैं। हिन्दी राजभाषा है ही। सभी भारतीय भाषाएं राष्ट्रभाषा हैं।

श्री एस.आर. बोम्मई : इंटरनैशनल विश्वविद्यालय का ऑब्जैक्टिव क्लीयर है। हिन्दी को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा बनाना, हिन्दी और दूसरी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन, अनुवाद और उसमें शैक्षिक कार्यक्रम, दूरस्थ शिक्षा द्वारा हिन्दी का विकास। यह एक सैंट्रल यूनिवर्सिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, ये केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं। इसलिए इसको बेसिक बिल में लाया गया है। बाकी डिटेल्स ऑर्डिनैंस और स्टैट्यूट्स में आएगी। एक माननीय सदस्य ने इस पर अपना अमेंडमेंट भी दिया है।

श्री मोहन रावले : राजेन्द्र प्रसाद जी और जाकिर हुसैन साहब ने भी यह कहा था कि हिन्दी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। वह अगर राष्ट्रभाषा थी तो वह ऐसा क्यों कहते थे। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : रावले जी, आप बात-बात में टोका मत कीजिए। उन्होंने आपकी बात का साफ जवाब दे दिया है ... **(व्यवधान)** यह ठीक नहीं है। उन्होंने व्यक्तिगत बात भी कह दी है और संविधान में जो लिखा है, वह भी बता दिया है। आपको बार-बार टोकने की क्या जरूरत है?

श्री एस.आर. बोम्मई : ऐसा सब जगह हो रहा है और परिवर्तन होना चाहिये। सबको साथ लेकर चलना चाहिये। हमारे संविधान में तमिल, कन्नड, तेलुगु सबको राष्ट्रभाषा का स्तर दिया गया है जिसके लिये मेरा कोई विरोध नहीं है। मुझे माफ करिये मेरी हिन्दी अच्छी नहीं है।

कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं आपका अच्छा है और बहुत अच्छी हिन्दी बोली रहे हैं।

श्री एस.आर. बोम्मई : मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय में विद्वान लोग ही आयेगें और रिसर्च करेंगे और भाषान्तर करने का काम भी करेंगे। आप जानते है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटीज में हिन्दी में पढ़ाया जाता है और हिन्दी

में डिग्री भी देते हैं फिर भी मैडिकल और इंजीनियरिंग तथा टैक्नीकल सब्जैक्ट्स में पाठ्य पुस्तकें नहीं हैं लेकिन यह विश्वविद्यालय यह काम कर सकता है। यह एक इंटरनैशनल विश्वविद्यालय है इसलिये देश विदेश से विद्वान आयेंगे। मैं आपसे सहमत हूं कि यहां के आफिसर अंग्रेजी में बात करते हैं और काम करते हैं, यहां तक कि भाषण भी देते हैं, ऐसा क्यों? इस पर सोचना चाहिये। हमारे पास शब्द भंडार हैं उनमें संशोधन करके यूनिवर्सिटी को दे सकते हैं। बाद में सरकार देखे कि यह विश्वविद्यालय हिन्दी में काम करे। यह विश्वविद्यालय सबसे आगे रहेगा। इसके लिये हम स्टैट्यूटरी और आर्डिनेंस लायेंगे। यहां पर हिन्दी के लिये अमेंडमेंट भी आये हैं जिसमें कहा गया है कि सब काम हिन्दी में होना चाहिये। फिर अनुवाद कैसे हो सकता है? एडमिनिस्ट्रेशन का काम हिन्दी में होगा। राज्य सभा में एक अमेंडमेंट आया था। मैंने एश्योरेंस दिया है कि आफिस का काम, एडमिनिस्ट्रेशन का काम हिन्दी में होगा। साथ ही ट्रांस्लेशन, रिसर्च हो, विदेशी विद्वान आते हैं, उसके साथ बातें हिन्दी और फ्रैंच और कभी कभी रशियन भी होगी। संवाद करने की जरूरत पड़ेगी।

मैं ज्यादा तो नहीं बोलना चाहता लेकिन यहां पर फंड्स के बारे में बात की गयी है। इसके लिये शुरू में 30 करोड़ रुपया दिया जायेगा और बाद में जब जरूरत पड़ेगी, दिया जायेगा। इसके साथ यह जरूर कहूंगा कि यह यूनिवर्सिटी जल्द ही प्रस्थापित हो जायेगी। इसमें ज्यादा टाईम नहीं लगेगा क्योंकि अगले साल 50वीं एनीवर्सिरी मनायी जानी है। मेरा इरादा है कि अगले ही साल 1997 के अंत तक यह विश्वविद्यालय बन जाएगा। मैं इस पर कोशिश करूंगा। इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं हैं।

श्री रमेश चेन्नित्तला : इस विधेयक में जो कुलाध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, उसको बहुत ज्यादा पॉवर्स दी हैं, लेकिन इसके नीचे तो कुलाधिपति होते हैं, कुलपति होते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि कुलाध्यक्ष को ज्यादा पावर्स क्यों दी गई हैं? कुलाधिपति को ज्यादा पावर्स दे सकते हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को चलाना तो है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री चेन्नित्तला, क्या आपने किसी संशोधन की सूचना दी है।

श्री रमेश चेन्नित्तला : महोदय, मैं इस सम्बन्ध में सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

सभापति महोदय : मैं पूछ रहा हूं कि क्या आपने कोई संशोधन दिया है।

श्री रमेश चेन्नित्तला : जी नहीं महोदय, मैंने कोई संशोधन नहीं दिया है।

श्री एस.आर. बोम्मई : मैं बात को स्पष्ट करूंगा।

[हिन्दी]

श्री रमेश चेन्नित्तला : जब स्टैट्यूट बनेगा, तब ऐक्जीक्यूटिव काउंसिल में ज्यादा पावर्स हैं। उसमें छात्र और अन्य वर्गों को प्रबुद्ध करने के लिए आप संसद सदस्यों को इसमें स्थान देने की कोशिश करेंगे?

श्री राम कृपाल यादव : मैंने मंत्री जी से निवेदन किया था कि जो यूपीएससी की परीक्षाएं होती हैं उनमें हिन्दी का प्रयोग ठीक से नहीं हो रहा है।

सभापति महोदय : यह बात बिल से संबंधित नहीं है।

श्री राम कृपाल यादव : लेकिन हिन्दी का संवर्द्धन कैसे होगा? ...**(व्यवधान)** मैं सिर्फ निवेदन कर रहा था कि मंत्री जी का इस पर क्या विचार है? कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग नहीं हो रहा है।

सभापति महोदय : आपने डिबेट पर बहुत कुछ बोला है। बिल पर पूछिए।

श्री राम कृपाल यादव : मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं। मैंने अपनी भावना रखी है। मंत्री जी बताएं तो ठीक है।

श्री एस.आर. बोम्मई : मैं बताना चाहता हूं कि यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, यह उसी तरह की यूनिवर्सिटी है। उसमें कुछ बदलाव नहीं है। जहां तक इलेक्टेड रिप्रजेण्टेटिव्ज को रखने का सवाल है, उसकी हम कोशिश करेंगे।

माननीय सदस्य यादव जी ने पूछा कि यू.पी.एस.सी. में हिन्दी में जवाब दे सकते हैं। आई.ए.एस., आई.पी.एस. आदि परीक्षाओं में हिन्दी में जवाब दे सकते हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) **:** माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि आठ वर्षों से भाषायी आंदोलन चल रहा है। संसद ने सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया और उसके बावजूद भी भारतीय भाषाओं को और विशेषकर अंग्रेजी के साथ हिन्दी माध्यम को जो मान्यता संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में मिलनी चाहिए, वह नहीं मिली। उस तरफ माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है।

श्री एस.आर. बोम्मई : शंका तो ठीक है। उसको सुधारने की हम कोशिश करेंगे।

प्रो. आई.जी. सनदी (धारवाड-दक्षिण) **:** सभापति जी, जहां भी तुम्हारे कदम चले वह भारत है। जो पानी आप पीते हैं वह गंगा है। जहां भी रहें, जैसे भी रहें तुम हिन्दी बनकर रहो। ऐसे अच्छे वातावरण में अहिन्दी भाषा क्षेत्र से आते हुए भी आप जो सुन्दर बिल यहां पर लाए हैं, मैं इसका स्वागत करता हूं और आपका अभिनन्दन करता हूं।

साथ ही साथ मेरा एक प्रश्न है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया कोई स्पष्टीकरण मत दीजिए।

प्रो. आई.जी. सनदी : मैं सिर्फ एक स्पष्टीकरण मांग रहा हूं।

सभापति महोदय : मैं इसे कैसे मान सकता हूं। मंत्री महोदय ने पहले ही उत्तर दे दिया है।

[हिन्दी]

प्रो. आई.जी. सनदी : सवाल यह है कि अहिन्दी भाषी क्षेत्र से यहां पर अध्ययन करने के लिए जो आते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके लिए कोई स्पेशल स्कोलरशिप देने के बारे में आप सोचेंगे?

श्री एस.आर. बोम्मई : वह डीटेल्स की बात है। उस बारे में बाद में सोचेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि हिन्दी भाषा और साहित्य के संवर्द्धन और विकास के लिए अध्यापन और अनुसंधान के माध्यम से, इस दृष्टि से कि उसे प्रकार्यात्मक प्रभावशीलता और मुख्य अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता अभिप्राप्त करने में समर्थ बनाया जा सके, अध्यापन विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने हेतु विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खण्ड 2

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड – 3

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 40,

अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये :-

"जिसका समस्त कार्य सामान्यतया हिन्दी में होगा (1)

मेरा सुझाव है कि पृष्ठ दो पंक्ति 40 में विश्वविद्यालय शब्द के पश्चात, जिसका सारा काम-काज सामान्यतः हिंदी भाषी विश्वविद्यालय में होगा, शब्द अंतःस्थापित किये जाएं।

श्री एस.आर. बोम्मई : मैंने आश्वासन दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज हिंदी होगी। मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि आप इसे वापस ले लें।

श्री शिवराज सिंह : आप मुझे मेरी भावना भी व्यक्त नहीं करने देना चाहते हैं। सभापति जी, अगर आप मुझे निवेदन करने दें तो मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि सामान्यतः होता यह है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय स्थापित हो जायेगा, लेकिन हिंदी विश्वविद्यालय में प्रशासनिक काम-काज हिंदी भाषा में नहीं होगा।

सभापति महोदय : आप इस बात को डिबेट में बोल चुके हैं। आपको सिर्फ इतना ही बोलना है कि आप इसको रख रहे हैं या विदड्रा कर रहे हैं।

श्री शिवराज सिंह : महोदय, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मेरी जो भावना है वह यह है कि कुल मिलाकर उसका सामान्य काम-काज हिंदी भाषा में हो सकता है, वह तो हिंदी में होगा, चूंकि यह हिंदी विश्वविद्यालय है, बाकी तो दूसरी भाषाओं का इस्तेमाल होगा, उसका विरोध नहीं है, लेकिन प्रशासनिक काम-काज जो हिन्दी में हो सकता है वह हिंदी में ही किया जाए। क्या इसके लिए आप हमें आश्वासन देंगे।

श्री एस.आर. बोम्मई : मैंने आश्वासन दे दिया है।

श्री शिवराज सिंह : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या सभा इस बात से सहमत है कि श्री शिवराज सिंह द्वारा पेश किया गया संशोधन वापस लिया जाए?

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 से 44 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 से 44 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री एस आर. बोम्मई : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 1996 को पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 9.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 1996/ 29 अग्रहायण, 1918 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।